

ANNUAL REPORT
2014-15

*Encouraging Financial
Freedom for all*



यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India
Good people to bank with

जल्दी कीजिए! होम लोन

सिर्फ ₹878* प्रति लाख
की कम ईएमआय

10%* प्रति वर्ष
की कम ब्याज दर पर



*शर्तें लागू

अधिक राशि का लोन, कोई ऊपरी सीमा नहीं • शीघ्र स्वीकृति के लिए विशेष शाखाएँ

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank of India**
अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

हेल्पलाइन नंबर : 1800 22 2244 (टोल फ्री) | 080 2530 0175 (शुल्क योग्य)
080 2530 2510 (अप्रवासी भारतीयों के लिए) | www.unionbankofindia.co.in



pointart.mobi पर से
"PointART" मोबाइल एप्प
डाउनलोड करें



एप्प खोलें और
इस विज्ञापन
को प्राप्त करें



होम लोन के
बारे में अधिक
जानकारी पाईए



एक कदम स्वच्छता की ओर

विषय सूची

	पृष्ठ
निदेशक मंडल	03
वर्ष 2014-15 की प्रमुख बातें	13
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	15
सूचना	17
निदेशकों की रिपोर्ट	29
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण	34
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	49
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	74
तुलन-पत्र	76
लाभ एवं हानि लेखा	77
अनुसूचियां 1 से 18	78
नकदी प्रवाह विवरण	114
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	116
समेकित तुलन-पत्र	118
समेकित लाभ एवं हानि लेखा	119
समेकित अनुसूचियां 1 से 18	120
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	140
जोखिम प्रबंधन	142
कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2014-15	143

CONTENTS

	Page
Board of Directors	03
Highlights of 2014-15	13
Key Financial Indicators	161
Notice	163
Directors' Report	174
Management Discussion and Analysis	179
Corporate Governance Report	194
Independent Auditors Report	218
Balance Sheet	220
Profit & Loss Account	221
Schedules 1 to 18	222
Cash Flow Statement	254
Independent Auditors Report	256
Consolidated Balance Sheet	258
Consolidated Profit & Loss Account	259
Consolidated Schedules 1 to 18	260
Consolidated Cash Flow Statement	280
Risk Management	282
Business Responsibility Report 2014-15	283

प्रधान कार्यालय

यूनियन बँक भवन
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बँक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

निवेशक सेवा प्रभाग

यूनियन बँक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.

प्लॉट क्र. बी- 5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एम. आई. डी.सी., मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.

Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

Registrar & Share Transfer Agent Datamatics Financial Services Ltd.

Plot No. B-5, Part B,
Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai-400 093.

लेखा परीक्षक AUDITORS

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जी.पी. कापड़िया एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS

BOARD OF DIRECTOR



श्री अरुण तिवारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri Arun Tiwari
Chairman &
Managing Director

श्री अरुण तिवारी 26 दिसंबर, 2013 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं।

रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त श्री तिवारी को बैंकिंग एवं वित्त तथा कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विविध क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान है। एक जिज्ञासु पाठक तथा सतत ज्ञानार्जक श्री तिवारी ने आर्थर डी'लिटिल, बोस्टन, यूएसए, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, शिकागो, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई, एनआईबीएम, पुणे आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री तिवारी ने विश्व बैंक के तत्वावधान में भारत में निर्यातानुसूची लघु उद्योगों के लिए यूएसए तथा यूरोप में अध्ययन कार्य किया।

श्री अरुण तिवारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपना करियर आरंभ किया, जहां उन्होंने शाखाओं, अंचलीय कार्यालय, तथा कार्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक- एमएसएमई तथा वेल्थ मैनेजमेंट, होलसेल बैंकिंग के रूप में बैंकिंग के विविध क्षेत्रों में कार्य किया है। बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न भौगोलिक केन्द्रों तथा कुआलालम्पूर तथा सिंगापुर में संबंधित क्षेत्रों के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य किया। श्री तिवारी महाप्रबंधक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के महानगरीय मुंबई अंचल के प्रमुख भी रहे।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्य ग्रहण करने से पूर्व श्री तिवारी 18 जून, 2012 से इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे तथा वहां उन्होंने ऋण, ऋण अनुश्रवण, एचआर, आईटी, जोखिम प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, सतर्कता, शाखा विस्तार तथा सहायक सेवाएं संविभागों का कार्यभार संभाला। उन्होंने ऑल बैंक फाइनेन्स लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

वर्तमान में श्री अरुण तिवारी बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के भी चेयरमैन हैं। श्री तिवारी बैंक की जीवन बीमा संयुक्त उद्यम कंपनी स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भी निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त वह बैंक की ओवरसीज सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया(यूके) लिमिटेड के भी चेयरमैन हैं।

श्री अरुण तिवारी वित्तीय समावेशन पर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तथा जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी आरई) के निदेशक मण्डल में निदेशक हैं।

Shri Arun Tiwari is the Chairman and Managing Director of Union Bank of India since December 26th, 2013.

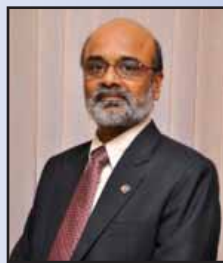
A postgraduate in Chemistry, Shri Tiwari has extensive knowledge in areas as diverse as banking & finance and computer programming. Shri Tiwari, a voracious reader and continuous learner, has undergone training at prestigious institutions, like Arthur D'Little, Boston, USA, Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, Indian School of Business, Hyderabad, Indian Institute of Technology, Mumbai, NIBM, Pune, etc. Shri Tiwari did a study assignment in USA and Europe for export oriented Small Scale Industries in India under aegis of World Bank.

Shri Arun Tiwari started career as a Probationary Officer in Bank of Baroda, where he worked in almost all key segments of Banking, in various capacities – at Branches, Zonal Office, and at Corporate Office as General Manager – MSME & Wealth Management, Whole Sale Banking. His tenure in the Bank spanned various geographies of the country and overseas centers at Kuala Lumpur and Singapore, as Chief Executive of the respective territories. Shri Tiwari also headed Greater Mumbai Zone of Bank of Baroda, in the rank of General Manager.

Before joining Union Bank of India, Shri Tiwari was Executive Director in Allahabad Bank from June 18th, 2012 and handled the portfolios of Credit, Credit Monitoring, HR, IT, Risk Management, Finance & Accounts, Vigilance, Branch Expansion & Support Services. He has also served as Director on the Board of All Bank Finance Ltd.

Presently, Shri Arun Tiwari is also Chairman of Union KBC Asset Management Company Limited, an Asset Management Company of the Bank. Shri Tiwari is also Director on the Board of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited, Bank's Life Insurance Joint Venture Company. In addition, he is Chairman of Bank's overseas subsidiary i.e. Union Bank of India (UK) Ltd.

Shri Arun Tiwari is Chairman of Indian Banks' Association Standing Committee on Financial Inclusion and also Director on Board of General Insurance Corporation of India (GIC Re).



श्री के. सुब्रह्मण्यम
कार्यपालक निदेशक

Shri K. Subrahmanyam
Executive Director

श्री के. सुब्रह्मण्यम ने 21 जनवरी, 2013 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। श्री सुब्रह्मण्यम का जन्म 15 जुलाई, 1955 को हुआ था। वह वाणिज्य में स्नातक तथा बेहरामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में अपने तीन दशक से अधिक के करियर में, उन्होंने देश-विदेश में विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला। वहां उनकी अंतिम पदस्थी एमएसएमई विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक के रूप में थी। श्री सुब्रह्मण्यम ने 1975 में इंडियन ओवरसीज बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने बैंक की हैदराबाद, अहमदाबाद तथा मुंबई जैसी प्रमुख शाखाओं के शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया है। 2006 से 2008 के मध्य वह कोलकाता एवं विजयवाड़ा क्षेत्रों के क्षेत्र प्रमुख रहे। सितम्बर, 2008 से अगस्त, 2010 के मध्य वह बैंक के सिंगापुर संचालन के मुख्य कार्यपालक रहे। श्री सुब्रह्मण्यम एक लगनशील पाठक तथा कर्नाटक संगीत के बड़े प्रशंसक हैं।

Shri K. Subrahmanyam has assumed charge as Executive Director of Union Bank of India on 21-Jan-2013. Born on 15th July 1955, Shri Subrahmanyam is Graduate in Commerce and a Gold Medalist from Berhampur University, Orissa. In his Banking career, in Indian Overseas Bank, spanning of over three decades, he held various positions across the country as well as overseas. His last posting was as General Manager in charge of Bank's MSME portfolio. Shri Subrahmanyam joined Indian Overseas Bank as Probationary Officer in 1975. He served as Branch Head at Bank's major branches in Hyderabad, Ahmedabad and Mumbai. He was the Regional Head of Kolkata and Vijayawada region between 2006 and 2008. He was posted overseas as Chief Executive of Bank's Singapore Operations between September 2008 and August 2010. Shri Subrahmanyam is an avid reader and an ardent admirer of Carnatic music.



श्री राकेश सेठी
कार्यपालक निदेशक

Shri Rakesh Sethi
Executive Director

श्री राकेश सेठी बी.कॉम., एलएलबी तथा पर्सनल मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा धारक हैं। वह इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एवं फाइनेन्स के सर्टिफाइड एसोशिएट हैं। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में अपना करियर आरंभ किया तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालन-दोनों स्तरों पर बैंकिंग के विविध क्षेत्रों में कार्य करने का 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है।

बैंक ऑफ इंडिया में अंचल प्रमुख के रूप में वह चंडीगढ़ अंचल के प्रमुख रहे, जिसमें उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं। महाप्रबंधक के रूप में वह नेशनल बैंकिंग- दक्षिण के प्रमुख रहे, जिसमें सम्पूर्ण दक्षिण भारत के सभी छह अंचल जिनमें कुल 565 शाखाएं आती हैं, शामिल हैं। वह बैंक के खुदरा बैंकिंग परिचालन के भी प्रमुख रहे।

बैंक ऑफ इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र खुदरा, एमएसएमई तथा ग्राहक वालेट में बैंक की हिस्सेदारी पर विशेष ध्यान देते हुए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग रहा है। अपने घरेलू बैंकिंग अनुभव के अतिरिक्त वह जर्सी- चैनल द्वीप, जाम्बिया तथा अंत में बैंक ऑफ इंडिया के यूरोपीय संचालनों के मुख्य कार्यपालक के रूप में तीन विदेशी पदस्थियों पर भी रहे हैं।

उन्हें 5 अगस्त, 2013 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा तब से वह ट्रेजरी (घरेलू एवं फॉरेक्स) कारोबार, एनपीए प्रबंधन, खुदरा बैंकिंग एवं विपणन, वैकल्पिक चैनल तथा नव प्रवर्तन, केंद्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग जैसे प्रमुख विभागों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओवरसीज परिचालनों का भी पर्यवेक्षण कर रहे हैं, जिसमें हांगकांग, दुबई तथा एंटवर्प-बेल्जियम शाखाएं, यूके में सहायक कंपनी तथा बीजिंग, शंघाई, सिडनी एवं अबू धाबी में प्रतिनिधि कार्यालय शामिल हैं। भारत तथा विदेशों में प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं करना उनका शौक है।

Mr Rakesh Sethi, is Bachelor of Commerce, LLB and a Diploma holder in Personnel Management. He is a Certified Associate of the Indian Institute of Banking and Finance. He has a vast experience spanning more than 35 years in various facets of banking both in domestic and international operations, having started his career with Bank of India.

As Zonal Manager Bol, Mr Sethi headed Chandigarh zone covering the Northern states of Himachal Pradesh, Haryana & U.T. Chandigarh. As a General Manager, he headed the National Banking -

South comprising all the six zones of entire Southern India having 565 branches and Retail Banking operations of the Bank.

During his tenure in Bank of India he handled many core areas viz. Retail, MSME and International Banking with a focus on increasing the bank's share in the customer wallet. In addition to his domestic banking experience, Mr Sethi also has three overseas stints during his career at Jersey - Channel Islands, Zambia and lastly as Chief Executive of European operations of Bank of India.

He was elevated to the position of Executive Director of Union Bank of India on 5th August 2013 and since then he has been overseeing operations of key departments viz. Treasury (Domestic & Forex) Business, NPA Management, Retail Banking & Marketing, Alternate Channels & New Initiative, Central Audit & Inspection Dept. He also supervises the overseas operations of Union Bank of India having branches in Hong Kong, Dubai and Antwerp – Belgium and also a subsidiary in UK besides representative offices in Beijing, Shanghai, Sydney and Abu Dhabi.

Touring different places very close to nature in India and abroad is his hobby.



श्री किशोर खरात
कार्यपालक निदेशक

Shri Kishor Kharat
Executive Director

श्री किशोर खरात ने 10 मार्च, 2015 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। 4 सितंबर, 1958 को जन्मे श्री खरात वाणिज्य व विधि में स्नातक तथा सीएआईआईबी हैं। वह प्रबंधन में भी एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा धारक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने तीन दशकों से अधिक के कार्यकाल में उन्हें बैंकिंग के विविध क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है, जिसमें ऋण प्रशासन, विदेशी मुद्रा कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भारत एवं विदेशों में सामान्य प्रशासनिक उत्तरदायित्व शामिल है। श्री खरात ने ट्रिनीडाड एवं टोबैगो, वेस्ट इंडीज में बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशी सब्सिडियरी की स्थापना की तथा उसके प्रबंध निदेशक के रूप में 3 वर्ष से अधिक समय तक शीर्ष नेतृत्व प्रदान किया। वह दोनों देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहन हेतु ट्रिनीडाड एवं टोबैगो चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के संस्थापक सदस्य के रूप में सक्रिय रहे। उनका अन्य विदेशी उत्तरदायित्व शरजाह (यूएई) में रहा। उन्होंने बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में कार्पोरेट ऋण का भी पर्यवेक्षण किया तथा हैदराबाद में कार्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज शाखा के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। वहां अपनी अंतिम पदस्थी के दौरान वे बैंक ऑफ बड़ौदा के वित्तीय समावेशन वर्टिकल के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, जहां अपने बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन पहलों के कार्यान्वयन में उनकी प्रमुख भूमिका रही। वह देश की समावेशी संवृद्धि की दिशा में पूरे मनोयोग से कार्य करते रहे हैं। श्री खरात एक जिज्ञासु पाठक तथा प्रकृति के प्रशंसक हैं।

Shri Kishor Kharat has assumed charge as Executive Director of Union Bank of India on 10th March 2015. Born on 4th Sept. 1958, Shri Kharat is a graduate in Commerce, CAIIB and Law. He also holds an Executive Diploma in Management. In his banking career, in Bank of Baroda, spanning over more than three decades, Shri Kharat has got varied exposure which includes Credit Administration, Foreign Business, Information Technology and general administration in India as well as overseas. Shri. Kharat has established a foreign subsidiary of Bank of Baroda in Trinidad & Tobago, West Indies and headed the same as Managing Director for more than three years. He was also a founding member, active in the formation of India Trinidad & Tobago Chambers of Commerce & Industry, for fostering trade between two countries. His other foreign assignment was at Sharjah (UAE). He was also looking after the Corporate Credit in the Bank's Corporate Office and also headed Corporate Finance Services branch at Hyderabad. In his last posting Shri Kharat was heading Financial Inclusion Vertical as General Manager of Bank of Baroda, wherein he had been a key driver for implementation of major Financial Inclusion initiatives of the Bank, RBI as well as Government of India. He has been passionately working towards an Inclusive growth of the Country. Shri Kharat is an avid reader and an admirer of nature.



श्री मिहिर कुमार

सरकार द्वारा नामित निदेशक

Shri Mihir Kumar

Govt. Nominee Director

दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं विधि में स्नातक श्री मिहिर कुमार ने 1997 में भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) ग्रहण की। अपने 17 वर्षों से अधिक के सेवा काल में श्री मिहिर कुमार ने सशस्त्र बलों के भुगतान, लेखापरीक्षा एवं वित्तीय सलाह के अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में शान्ति सुरक्षा बल एमओएनयूसी में संयुक्त राष्ट्र की भारतीय शान्ति सुरक्षा ब्रिगेड के पहले वित्त अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। श्री कुमार आईडीएएस अकादमी-राष्ट्रीय रक्षा वित्तीय प्रबंधन अकादमी (एनएडीएफएम), पुणे में संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण थे। वह रक्षा, विदेश, तेल तथा अन्य सभी केंद्रीय सरकारी खरीद, जिसमें लगभग ₹ 50,000 करोड़ का रक्षा बजट भी शामिल है, के ऑडिट एवं भुगतान का कार्य संभालने वाले कार्यालय के द्वितीयक कमाण्डर रहे। 25 अक्टूबर, 2012 से वे वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक हैं।

An Economics and Law graduate from Delhi University, Shri Mihir Kumar joined Defence Accounts Service (IDAS) in 1997. In his service career of over seventeen years, Shri Mihir Kumar, has held a number of assignments relating to payment, audit and financial advice of Armed Forces. He was the first Finance Officer of Indian peace keeping Brigade in UN peace keeping force MONUC in Democratic Republic of Congo. Shri Kumar was Joint Director, Training in IDAS Academy-National Academy of Defence Financial Management (NADFM), Pune. He was second in command of the office handling audit and payment of all defence, foreign, oil and other central procurement items involving Defence Budget of about ₹ 50000 Cr. Since October 25, 2012 he is a Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.



श्री दीपक सिंघल

भारिबैं नामित निदेशक

Shri Deepak Singhal

RBI Nominee Director

श्री दीपक सिंघल भारतीय रिजर्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक हैं। इस उत्तरदायित्व से पूर्व, वह मुम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। देश के केन्द्रीय बैंकर के रूप में उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त है। इससे पूर्व वह केन्द्रीय कार्यालय में परिसर विभाग तथा मानव संसाधन विकास विभाग के प्रमुख रह चुके हैं।

श्री सिंघल ने बैंकों के पर्यवेक्षण पर बॉसल समिति, बीआईएस तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनेक महत्वपूर्ण कार्य समूहों/समितियों में कार्य किया है।

उन्होंने 1977 में इलाहाबाद से स्नातक किया। उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने 1979 में अपनी एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की तथा बैंक में अपने करियर के दौरान सीएआईआईबी भी किया।

Shri Deepak Singhal is the Regional Director of New Delhi office of the Reserve Bank of India. Prior to the current assignment, he was Chief General Manager Incharge looking after Department of Banking Operations and Development of the RBI at Mumbai. He has vast experience as a central banker of the country. He has earlier headed the Premises Department and Human Resource Development Department at Central Office.

Shri Singhal has served on several important working groups/committees of the Basel Committee on Bank Supervision, BIS and Reserve Bank of India.

He graduated from Allahabad University in 1977. He also acquired his MBA from the same University in 1979 as also CAIIB during the course of his career in the Bank.



श्री जग मोहन शर्मा
सनदी लेखाकार निदेशक

**Shri Jag Mohan
Sharma**
C. A. Director

दिल्ली निवासी 65 वर्षीय श्री जगमोहन शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.काम.(आनर्स) किया है। उन्हें 33 वर्षों से अधिक का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस करने का अनुभव है तथा उन्होंने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये कार्य किया है।

पिछले 33 वर्षों में उन्होंने बैंकों की शाखाओं की नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षा और स्टॉक लेखापरीक्षा करने के साथ ही प्राथमिक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से बड़े कार्पोरेट देशीय उधारकर्ताओं की समुचित सावधानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया है। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के सीडीआर कक्ष के अर्न्तगत अनुश्रवण संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सीडीआर तंत्र के अधीन बड़े उधारकर्ताओं का संगामी लेखापरीक्षक भी नियुक्त किया गया था।

श्री शर्मा ग्रामीण तथा निचले तबके के लोगों के कल्याण के प्रति सतत समर्पित रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने पीएनबी फार्मर्स वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक योजना बनाकर इसे कार्यान्वित किया, जिसके तहत पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्त पोषित सभी ट्रैक्टरों के लिए व्यापक बीमा कवर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया तथा इससे बचाये गये धन का उपयोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना में किया गया। इसका उद्देश्य कृषि तकनीक, प्रौढ़ शिक्षा, किसानों के बच्चों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा में सुधार, किसानों के परिवार की महिला सदस्यों को सिलाई मशीन प्रदान कराना था। वह इसके प्रारंभ से पांच वर्षों तक सांविधिक लेखापरीक्षक रहे।

उपर्युक्त के अलावा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत मौजूदा एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक इम्प्लॉईज वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिना किसी लाभ के उद्देश्य / या किसी धार्मिक समुदाय या जाति को बिना किसी लाभ के पंजाब नेशनल बैंक के सदस्यों के लिए पंजाब नेशनल बैंक सेन्टेनरी वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना भी की। उन्होंने भारत तथा विश्व का व्यापक भ्रमण किया है।

Shri Jag Mohan Sharma from New Delhi aged 65 years has done B.Com (Hons) from Delhi University and is a practicing Chartered Accountant with more than 33 years of experience and has exclusively worked for the Public Sector Banks.

In the long span of 33 years he has conducted various kinds of audits of the Bank's Branches like regular Internal Inspection, Concurrent audit, Statutory audit and having conducted stock audit, valuation of primary securities, due diligence and monitoring of large corporate domestic borrowers on behalf of Public Sector Banks. He was also appointed as concurrent auditor of large borrowers under the CDR mechanism by the Monitoring Institution, Punjab National Bank under CDR cell of RBI.

Shri Sharma has a deep commitment for the welfare of the rural people and the down trodden. In this regard he formulated and implemented a scheme under the name of PNB Farmer Welfare Trust under which requirement of comprehensive insurance policy was waived for all the tractors financed by the Punjab National Bank and money saved from this has been utilized in setting off the training centers in various parts of the country. It also aimed at improvement of farming technology, adult education, computer education for the wards of the farmers, provision of sewing machines to the female members of the farmer's families and remained statutory auditor for five years since its inception.

Besides above he created Punjab National Bank Employees Welfare Trust for the welfare of existing as well as retired employees under the Corporate Social responsibility. He has also created Punjab National Bank Centenary Welfare Trust for the purpose of the welfare of the members of Punjab National Bank without there being any profit motive and/or benefits to any particular religious community or caste. He has widely travelled in India and abroad.



**डॉ. रवीन्द्रराय हर्षदराय
ढोलकिया**
शेयरधारक निदेशक
**Dr. Ravindrarai
Harshadrai Dholakia**
Shareholder Director

61 वर्षीय डॉ. ढोलकिया अहमदाबाद के निवासी हैं तथा आईआईएम अहमदाबाद में अर्थशास्त्र एवं पब्लिक सिस्टम के प्रोफेसर हैं और उन्हें 37 वर्षों का अनुभव है। वे मास्टर ऑफ आर्ट्स (गोल्ड मेडलिस्ट), अर्थशास्त्र (एमएसयू, बड़ौदा) में पीएच.डी तथा पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो (यूनिवर्सिटी ऑफ टोरन्टो) हैं।

वे एयर इंडिया, अडानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक हैं।

वे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सदस्य थे तथा भारत सरकार एवं गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त समितियों में उन्होंने विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य किया है। उन्होंने आर्थिक विकास एवं नीतियों के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें, विनिबंध एवं शोध पत्र प्रकाशित किये हैं।

Dr. Dholakia from Ahmedabad aged 61 years is a Professor of Economics and Public Systems in IIM Ahmedabad and has 37 years of experience. He is Master of Arts (Gold Medalist), Ph. D. in Economics (MSU, Baroda) and Post-Doctoral Fellow (Univ. of Toronto).

He is a Director on the Boards of Air India, Adani Enterprises Limited and Gujarat State Petroleum Corporation Limited.

He was a Member of the Sixth Central Pay Commission and has worked as an expert Member on numerous High Powered Committees appointed by the Government of India and State Government of Gujarat. He has published several books, monographs and research papers in the field of economic development and policies.



श्री दीपांकर चटर्जी
शेयरधारक निदेशक
Shri Dipankar Chatterji
Shareholder Director

कोलकाता के 66 वर्षीय श्री डी. चटर्जी एक वाणिज्य स्नातक हैं तथा लेखापरीक्षा एवं कंसलटेंसी में 42 वर्षों के अनुभव के साथ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस करते हैं। वह अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में रहे हैं तथा हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लि., पियरलेस फाइनेंशियल सर्विसेज लि., टेक्समैको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग लि., वेस्ट बंगाल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि., टीआरएफ लि. सहित अनेक कंपनियों के बोर्ड में भी हैं। श्री चटर्जी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लि. के अध्यक्ष हैं तथा वर्तमान में देश के 10 शीर्ष बिजनेस स्कूलों में से एक के उपाध्यक्ष हैं। वह भारिबैं/आईबीए/ विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा गठित अनेक समितियों के सदस्य रहे हैं। वह आईसीएआई के सेन्ट्रल काउंसिल सदस्य रहे हैं तथा आईसीएआई की ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी के अध्यक्ष थे। वह आईसीएआई की ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के भी अध्यक्ष रहे। वह सीआईआई की नेशनल काउंसिल के सदस्य हैं तथा नेशनल कमेटी ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अध्यक्ष भी हैं।

Shri D. Chatterji from Kolkata aged 66 years is a Commerce graduate and a practicing Chartered Accountant with around 42 years of experience in auditing and consultancy. He has been on the Board of other Public Sector Banks and is also on the Boards of a number of companies including Hindustan National Glass & Industries Limited, Peerless Financial Services Ltd., Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd., West Bengal Industrial Development Corporation Limited, TRF Limited. Shri Chatterji is the Chairman of The Calcutta Stock Exchange Ltd and is currently the Vice President of one of the top 10 Business schools in the Country. He has been member on various Committees set up by RBI/IBA/various Government authorities. He had been a Central Council member of ICAI and was the Chairman of Auditing Practices Committee of ICAI. He was also the Chairman of Eastern India Regional Council of the ICAI. He is a member of National Council of CII and also Chairman of National Committee on Financial Reporting.



श्री श्रीकांत मिश्रा

अंशकालिक गैर सरकारी
निदेशक

Shri Shrikant Misra
Part time Non Official
Director

8 मार्च, 1955 को जन्मे श्री श्रीकांत मिश्रा 1978 से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्तमान में वह मेसर्स एस.के.एन एसोसिएट्स के संचालक हैं, जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

श्री मिश्रा वर्ष 1982 से दिसम्बर, 2012 तक मेसर्स चतुर्वेदी एंड कम्पनी के भागीदार भी थे।

35 वर्ष से अधिक के अपने पेशेवर करियर के दौरान उन्होंने अनेक सांविधिक लेखापरीक्षा (विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा कम्पनियों के केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षा सहित), बड़े कारोबारी समूहों जैसे बलरामपुर चीनी मिल, टाइम्स ऑफ इंडिया, शॉ वालेस, एडवान्स ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्रीज, विकास टेलीकाम आदि का आन्तरिक/ प्रबंधन लेखापरीक्षा, परियोजना वित्तपोषण, प्रबंधन परामर्श, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा स्थावर सम्पदा एवं आतिथ्य सेवा कम्पनियों के लिए लेखांकन मैनुअल तैयार करना, कम्पनी कानून एवं आयकर के मामलों में विशेषज्ञ राय देने का कार्य, वित्तीय समुचित सावधानी अवधारणा की स्थापना तथा परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट और विलय एवं अधिग्रहण का कार्य किया है। अपने ज्ञान एवं क्षमता को बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने विश्व का व्यापक भ्रमण किया। उन्होंने स्थावर सम्पदा एवं आतिथ्य सेवा परियोजनाओं की वित्तीय आयोजना में विशेषज्ञता हासिल की है।

श्री मिश्रा पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास संघ के मानद सचिव भी थे। वह सनातन धर्म महामंडल की कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

Shri. Shrikant Misra born on March 8, 1955, is a practicing Chartered Accountant since 1978. At present he is the proprietor of M/s S K N & Associates, having its head office at New Delhi.

Shri Misra was also a partner in M/s Chaturvedi & Co from the year 1982 till December, 2012.

During his professional career of more than 35 years, he has handled various assignments of Statutory Audit (including Central Statutory Audit of various Nationalized Banks and Life Insurance Companies), Internal/Management Audit of various big business groups like Balrampur Chini, Times of India, Shaw Wallace, Advance Group of Industries, Vikas Telecom etc., Project Financing, Management Consultancy, preparation of accounting manuals for electronic media and real estate and hospitality companies, Expert opinion in Company Law and Income Tax matters, Financial due diligence, Idea Validation & Project feasibility reports and mergers and acquisitions. He has travelled around the globe to acquire and strengthen his knowledge and capabilities. He has gained specialization in financial planning of real estate and hospitality projects.

Shri Misra was also Honorary Secretary of Backward Area Industries Development Association. He is a member of Working Committee of Sanatan Dharam Mahamandal.



श्री गोपाल कृष्ण लाठ

शेयरधारक निदेशक

Shri Gopal Krishan Lath
Shareholder Director

लखनऊ निवासी 62 वर्षीय श्री लाठ लखनऊ विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल सहित वाणिज्य स्नातक हैं तथा उन्हें 35 वर्षों से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रैक्टिस करने का अनुभव है। वह मेसर्स ए. सचदेव एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, लखनऊ के 25 वर्षों से अधिक समय से वरिष्ठ प्रबंध भागीदार हैं।

श्री लाठ आईसीएआई द्वारा “पीएर रिव्यूवर” के पैनल में नामित हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आईसीएआई विनियमों के अनुरूप विभिन्न सीए फर्मों की समीक्षा समीक्षा की है। बैंकिंग उद्योग के लेखापरीक्षा के व्यापक अनुभव के अतिरिक्त, उन्होंने कई निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, बीमा कम्पनियों, स्थानीय निकायों, केन्द्रीय सहकारी समितियों, सरकारी विभागों एवं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कई परियोजनाओं की विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षा एवं अन्य कार्य किया है

श्री लाठ “श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार” द्वारा नामित “स्थायी त्रिपक्षीय समिति” तथा “न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री बोर्ड” के भी सदस्य हैं।

उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा “उ.प्र.में निजी इंजिनियरिंग कालेजों में फीस निर्धारण” के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में भी नामित किया गया था ।



सुश्री अनुसूया शर्मा
अंशकालिक गैर सरकारी
निदेशक

**Sushri Anusuiya
Sharma**
Part Time Non Official
Director

Shri Lath from Lucknow aged 62 years is a commerce graduate with gold medal from Lucknow University and is a practicing Chartered Accountant with more than 35 years of experience. He is a senior managing partner of M/s. A. Sachdev & Co., Chartered Accountants, Lucknow since more than 25 years.

Shri Lath is in the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of audit and other assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, local bodies, central cooperative societies, government departments and several World Bank aided projects.

Shri Lath is also a member of the "Standing Tripartite Committee" and also the member of "Minimum Wages Advisory Board" nominated by the "Ministry of Labour and Employment, Government of India".

He was also nominated by the Government of UP in the High Powered Committee constituted for 'fixation of fees of private engineering colleges in U.P."

सुश्री अनुसूया शर्मा को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 06 मई, 2013 के द्वारा तीन वर्ष के लिये अथवा अगले निर्देशों तक बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है.

सुश्री शर्मा का जन्म एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ. वह समाज शास्त्र में एम.ए, बी एड तथा एलएलबी डिग्री धारक हैं. वह सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं. एवं एआईसीसी, पीसीसी, यूपीसीसी आदि की सदस्य रही हैं. वह यू.पी.महिला कांग्रेस समिति की प्रभारी भी हैं.

वह सक्रिय रूप से ट्रेड यूनियन गतिविधियों से भी जुड़ी रही हैं तथा विभिन्न ट्रेड यूनियन समितियों/ यूनियनों की सदस्य, महासचिव, प्रेसिडेंट आदि रही हैं.

वह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सेमिनारों में भाग लेने के अलावा विभिन्न सरकारी समितियों की सदस्य भी रही हैं.

Sushri Anusuiya Sharma has been appointed as Part-Time Non-Official Director on the Bank's Board vide MOF notification dated 06th May, 2013 for a period of three years or until further orders.

Sushri Sharma, born in a freedom fighter family, has done her M.A in Sociology besides having degrees of B. Ed. And L.L.B She has an active political background and has been a member of AICC. PCC, UPCC. Etc. She is also in charge of the U.P. Women's Congress Committee.

She is also having an active Trade Union background and is holding various posts like Member, General Secretary, President, etc. of various Trade Union Committees/Unions.

She has also been a member of various Government Committees besides having participated in seminars, both National and International.

महा प्रबंधक - GENERAL MANAGER

1	श्री वी जे म्हात्रे	Shri V J Mhatre
2	श्री एच के बेहेरा	Shri H K Behera
3	श्री बी पी डिमरी	Shri B P Dimri
4	श्रीमती एम आर प्रभु	Smt M R Prabhu
5	श्री ए के गुप्ता	Shri A K Gupta
6	श्री पंकज शर्मा	Shri Pankaj Sharma
7	श्री मयंक के मेहता	Shri Mayank K Mehta
8	श्री देबज्योति गुप्ता	Shri Debajyoti Gupta
9	श्रीमती रेखा पी नायक	Smt Rekha P Nayak
10	श्री के एन रघुनाथन	Shri K N Reghunathan
11	श्री के चन्द्रशेखर	Shri K Chandrashekar
12	श्री एस के सिंह	Shri S K Singh
13	श्री वी के जैन	Shri V K Jain
14	श्री डी वी गुप्ता	Shri D V Gupta
15	श्री आर के चौधरी	Shri R K Chaudhary
16	श्री जी आर पाडलकर	Shri G R Padalkar
17	श्री आर पी मिश्रा	Shri R P Mishra
18	श्री एल डी रेवतकर	Shri L D Rewatkar
19	श्री एस के गुप्ता	Shri S K Gupta
20	श्री एच एल रावल	Shri H L Rawal
21	श्रीमती हेमलता राजन	Smt Hemalatha Rajan
22	श्री ए के दीक्षित	Shri A K Dixit
23	श्री डी डी मिस्त्री	Shri D D Mistry
24	श्री ए के मित्तल	Shri A K Mittal
25	श्रीमती आभा आनंद	Smt Abha Anand
26	श्री ए के दुग्गल	Shri A K Duggal
27	श्री एस के जैन	Shri S K Jain
28	श्री जी एस रावत	Shri G S Rawat
29	श्री पी सी पाणिग्रही	Shri P C Panigrahi
30	श्री अतुल कुमार	Shri Atul Kumar

उप महा प्रबंधक - Dy. GENERAL MANAGER

1. श्री के सी चरमन्ना	Shri K C Charamana	46. श्री आर पी वायकुल	Shri R P Waykul
2. श्री बी बी खट्टर	Shri B B Khattar	47. श्री वी पी उसारिया	Shri V P Usharia
3. श्री के के तिवारी	Shri K K Tiwari	48. श्री बी एस नागेन्द्रनाथ	Shri B S Nagendranath
4. श्री के ए सुब्बा राव	Shri K A Subba Rao	49. श्री वी वी शेनॉय	Shri V V Shenoy
5. श्री रवि कुमार गुप्ता	Shri Ravi Kumar Gupta	50. श्री एस एन कौशिक	Shri S N Kaushik
6. श्री एस सी चितकारा	Shri S C Chitkara	51. श्री डी के सूद	Shri D K Sood
7. श्री ए के आचार्य	Shri A K Acharya	52. श्री एस के डे	Shri S K De
8. श्री आर कंडासामी	Shri R Kandasamy	53. श्री सी आर पात्रा	Shri C R Patra
9. श्री तरुण कोच्छड़	Shri Tarun Kochhar	54. श्री आई ए खान	Shri I A Khan
10. श्री पी बी वायकर	Shri P B Waikar	55. श्री के पी आचार्य	Shri K P Acharya
11. श्री ए के जैन	Shri A K Jain	56. श्री ए कृष्णास्वामी	Shri A Krishnaswamy
12. श्री वी के चावला	Shri V K Chawla	57. श्री एस के महापात्रा	Shri S K Mohapatra
13. श्री एस एच कंधारिया	Shri S H Kantharia	58. श्री ब्रजेश्वर शर्मा	Shri Brajeshwar Sharma
14. श्रीमती मोनिका कालिया	Smt Monika Kalia	59. श्री डी ए कामत	Shri D A Kamath
15. श्री पी आर राजगोपाल	Shri P R Rajagopal	60. श्री ए के सिंह	Shri A K Singh
16. श्री एच पी एस गुगलानी	Shri H P S Guglani	61. श्री के एल राजू	Shri K L Raju
17. श्री वी के गाबा	Shri V K Gaba	62. श्री डी सी चौहान	Shri D C Chauhan
18. श्री बी बी जोशी	Shri B B Joshi	63. श्री आर के कश्यप	Shri R K Kashyap
19. श्री वी राजेन्द्रन	Shri V Rajendran	64. श्री आर रामनाथन	Shri R Ramanathan
20. श्री एन के गुप्ता	Shri N K Gupta	65. श्री ए वी रमण	Shri A V Ramana
21. कैप्टन आर राजाराम	Capt. R Rajaram	66. श्री वी के श्रीवास्तव	Shri V K Srivastva
22. श्री अनिल कुरील	Shri Anil Kuril	67. श्री डी के नायक	Shri D K Naik
23. श्री वी एच कामत	Shri V H Kamath	68. श्री वी वी टेम्भूर्णे	Shri V V Tembhurne
24. श्री एस के भाटिया	Shri S K Bhatia	69. श्री आर एस बंसल	Shri R S Bansal
25. श्री वी एम काथवटे	Shri V M Kathavate	70. श्री सी एस सुलगंटे	Shri C S Sulgante
26. श्री एम के डोंगरे	Shri M K Dongre	71. श्री एम एस चारी	Shri M S Chary
27. श्री ए के भट्टाचार्य	Shri A K Bhattacharjee	72. श्रीमती सी एस नारायणी	Smt C S Narayani
28. श्री संजय शर्मा	Shri Sanjay Sharma	73. श्री एन के श्रीवास्तव	Shri N K Srivastava
29. श्री आर नेलियप्पन	Shri R Nellaiappan	74. श्री बी एस राव	Shri B S Rao
30. श्रीमती एल एम पै	Smt L M Pai	75. श्री पी एस राजन	Shri P S Rajan
31. श्री पी के साहा	Shri P K Saha	76. श्री ओ पी निगम	Shri O P Nigam
32. श्री एस के परीडा	Shri S K Parida	77. श्री लाल सिंह	Shri Lal Singh
33. श्री डी शिवगुरु	Shri D Sivaguru	78. श्री डी डी संघवी	Shri D D Sanghavi
34. श्री जे डी इलियास	Shri J D Elias	79. श्री एम वेंकटेश	Shri M Venkatesh
35. श्री एच एन सक्सेना	Shri H N Saxena	80. श्री निशीष मोबार	Shri Nishish Mobar
36. श्री टी एस स्वामी	Shri T S Swamy	81. श्री आई विश्वनाथन	Shri I Viswanathan
37. श्री आर आर मोहंती	Shri R R Mohanty	82. श्री वी एम जैन	Shri V M Jain
38. श्री एस एस बिम्भ	Shri S S Bimbh	83. श्री पी के सिंह	Shri P K Singh
39. श्री वी के एन जैन	Shri V K N Jain	84. श्री पी सत्यनारायण	Shri P Satyanarayana
40. श्री ए के श्रीवास्तव	Shri A K Srivastava	85. श्री भोला प्रसाद	Shri Bhola Prasad
41. श्री नितेश रंजन	Shri Nitesh Ranjan	86. श्री आर सेंधील	Shri R Sendhil
42. श्री केशव बैजल	Shri Keshav Baijal	87. श्री योगेन्द्र सिंह	Shri Yogendra Singh
43. श्री वी के जैन	Shri V K Jain	88. श्री आर के जगलान	Shri R K Jaglan
44. श्री जे के गोयल	Shri J K Goyal	89. श्री प्रवीण शर्मा	Shri Pravin Sharma
45. श्री आर पी बेरी	Shri R P Berry		

वर्ष 2014-15 की प्रमुख बातें

- ❑ 31 मार्च, 2015 को बैंक का कुल कारोबार 8.95% की वृद्धि के साथ ₹ 5,79,627 करोड़ रहा.
- ❑ 31 मार्च, 2015 को बैंक की कुल जमा राशियां 6.45% की वृद्धि के साथ ₹ 3,16,870 करोड़ रहीं.
- ❑ 31 मार्च, 2015 को बैंक के कुल अग्रिम 12.13% की वृद्धि के साथ ₹ 2,62,757 करोड़ रहे.
- ❑ गैर ब्याज आय 24.84% की वृद्धि के साथ ₹ 2,822 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,523 करोड़ हुई.
- ❑ कोर शुल्क आय 14.50% की वृद्धि के साथ ₹ 1,635 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,872 करोड़ हुई.
- ❑ शुद्ध ब्याज आय 7.17% की वृद्धि के साथ ₹ 7,879 करोड़ से बढ़कर ₹ 8,444 करोड़ हुई.
- ❑ वित्त वर्ष 2014-15 में परिचालन लाभ ₹ 5,823 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2013-14 के ₹ 5,218 करोड़ से 11.59% अधिक है.
- ❑ वित्त वर्ष 2014-15 में शुद्ध लाभ ₹ 1,782 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2013-14 के ₹ 1,696 करोड़ से 5.07% अधिक है.
- ❑ 31 मार्च 2015 को बासल- III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 9.00% की नियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 10.22% रहा. सामान्य इक्विटी टियर-1 अनुपात 5.50 % की नियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 7.24% रहा.
- ❑ 31 मार्च, 2015 को प्रति शेयर बुक वैल्यू ₹ 288.01 रहा, जो पिछले वर्ष ₹ 269.38 था.
- ❑ प्रस्तावित लाभांश 60%.
- ❑ 31 मार्च 2015 को 4,081 शाखाओं (3 विदेशी शाखाओं सहित) एवं 7,020 एटीएम का नेटवर्क.

Highlights for FY 2014-15

- ❑ Total Business of ₹ 5,79,627 crore as on March 31, 2015, an increase of 8.95%.
- ❑ Total Deposits of ₹ 3,16,870 crore as on March 31, 2015, an increase of 6.45%.
- ❑ Gross Advances of ₹ 2,62,757 crore as on March 31, 2015, an increase of 12.13%.
- ❑ Non Interest Income increased by 24.84% from ₹ 2,822 crore to ₹ 3,523 crore.
- ❑ Core Fee Income increased by 14.50% from ₹ 1,635 crore to ₹ 1,872 crore.
- ❑ Net Interest Income increased by 7.17% from ₹ 7,879 crore to ₹ 8,444 crore.
- ❑ Operating Profit for FY 2014-15 increased by 11.59% to ₹ 5,823 crore from ₹ 5,218 crore in FY 2013-14.
- ❑ Net profit for FY 2014-15 increased by 5.07% to ₹ 1,782 crore from ₹ 1,696 crore in FY 2013-14.
- ❑ Capital Adequacy Ratio (CRAR) under Basel III stood at 10.22% as on March 31, 2015 against the minimum regulatory requirement of 9.00%. Common equity tier 1 ratio stood at 7.24% against the minimum regulatory requirement of 5.50%.
- ❑ Book value per share stood at ₹ 288.01 as on March 31, 2015 as against ₹ 269.38 in the previous year.
- ❑ Proposed Dividend at 60%.
- ❑ Network of 4,081 branches (including 3 overseas branches) and 7,020 ATMs as on March 31, 2015.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण % (प्रतिशत में)	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88
2	ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54
3	ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	3.03	3.05	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40	2.34
4	गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	0.63	0.75	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97
5	परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67	1.70
6	लागत आय अनुपात	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24	51.34
7	सकल (परि.) लाभ / ए डब्ल्यू एफ	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61
8	शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49
9	नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73
10	वर्षात आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47
11	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49
12	अग्रिमों पर प्रतिफल	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42
13	जमा राशियों की लागत	4.75	5.23	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31
14	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76
15	ऋण जमा अनुपात	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65
16	ऋण + गैर एस एल आर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल II)	11.41	12.80	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45	11.89	10.74
	टियर - I	7.32	7.79	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37	8.23	8.13	7.60
	टियर - II	4.09	5.01	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48	3.22	3.76	3.14
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल III)	-	-	-	-	-	-	-	-	10.80	10.22
	टियर - I	-	-	-	-	-	-	-	-	7.54	7.50
	टियर - II	-	-	-	-	-	-	-	-	3.26	2.72

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
1	कर्मचारी (संख्या)	25421	25969	25722	27510	27772	27746	30838	31798	33806	35514
2	शाखाएं (संख्या)	2082	2206	2361	2558	2805	3016	3201	3511	3871	4081
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)*	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76	14.46
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	5.77	7.70	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44	16.40
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02	5.02
6	प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)*	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16	125.80
7	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44
9	प्रति शेयर आय (₹ में)	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01

नोट : * औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	: कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां	: कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम	: कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार	: औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	: कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	: कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	: कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	: कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को घटाकर एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	: कुल गैर ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
परिचालन व्यय	: कुल व्यय में से ब्याज व्यय घटाये
परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	: परिचालन व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
आय लागत अनुपात	: परिचालन व्यय/ गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ / ए डब्ल्यू एफ	: सकल लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ	: शुद्ध लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/ नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियां एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/ कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/ एडब्ल्यूएफ
अग्रिमों पर आय	: अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / औसत अग्रिम
जमाराशियों की लागत	: जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें
लाभांश भुगतान अनुपात	: कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश / शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात	: कुल अग्रिम / ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां - अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)	
- जमाराशि अनुपात	: कुल अग्रिम + गैर एसएलआर निवेश - अनुषंगी ईकाइयों में निवेश / ग्राहकों की जमाराशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार	: औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / कर्मचारियों की संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	: सकल लाभ को कर्मचारियों की कुल संख्या से भाग दें
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार	: औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा सकल लाभ	: सकल लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय	: शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें
प्रति शेयर बही मूल्य	: नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 13वीं वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 जून, 2015 को प्रातः 11.00 बजे रामा एण्ड सुंदरी वाटुमल आडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशां वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:-

सामान्य कारोबार

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च, 2015 के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु.

मद क्र. 2

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करने हेतु.

विशेष कारोबार

मद क्र. 3

एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन

विचारोपरान्त उचित पाये जाने पर, संशोधनों सहित या संशोधन के बिना निम्नलिखित विशेष संकल्प को पारित करना.

संकल्प किया कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (अधिनियम) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 (योजना) तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 यथा समय- समय पर संशोधित (विनियम), भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई'), भारत सरकार ('जीओआई'), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ('सेबी') और/या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2009 (आईसीडीआर विनियम) यथा अद्यतन संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यदि कोई हों; बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/ परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा समय- समय पर लागू अन्य नियमों एवं संबंधित प्राधिकरणों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद बोर्ड कहा जायगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाय एवं एतद्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/ प्रारूपेक्टस अथवा ऐसे अन्य किसी दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर ₹ 3700 करोड़ (रु. तीन हजार सात सौ करोड़ मात्र) तक के इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) जो ₹ 635.78 करोड़ (रु. छह सौ पैंतीस करोड़ तथा अठहत्तर लाख मात्र) वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी सहित ₹ 3000 करोड़ (रु. तीन हजार करोड़ मात्र), जो बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण)

अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार से कि किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य से छूट पर अथवा प्रीमियम पर तथा एक या अधिक अवसरों पर, एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंडों, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक की इक्विटी/ प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु अधिकृत हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन (निश्चित आवंटन और / या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए.

“पुनः संकल्प किया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आवंटन सार्वजनिक निर्गम (यथा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/ या अधिकार निर्गम और/ या निजी स्थापन, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन, अधिआवंटन विकल्प सहित या रहित के जरिये होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थापन या आवंटन, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980, सेबी (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009 (“आईसीडीआर विनियम”) तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए.

पुनः संकल्प किया कि बोर्ड को अधिकार होगा कि वह निर्गम ऐसे मूल्य या मूल्यों पर इस प्रकार से और यदि आवश्यक हो, तो लीड मैनेजरों और/ अभिगोपकों और/ या अन्य परामर्शदाताओं या अन्यथा के परामर्श से अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर तथा आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और लागू अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अधीन ऐसे मूल्य या मूल्यों पर जारी करे, जो आईसीडीआर विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो; चाहे ऐसे निवेशक (गण) बैंक के विद्यमान सदस्य हों या नहीं.

पुनः संकल्प किया कि संबंधित शेयर बाजारों के साथ किये गये लिस्टिंग करार, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में ‘सम्यक प्राधिकारी’ कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी

द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यक्षीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और / या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखा/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय- समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में उल्लेख है, के अनुसार आईसीडीआर विनियमों के या उस समय प्रचलित कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य, ऐसे तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो।

पुनः संकल्प किया कि आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में

- ए) प्रतिभूतियों का आवंटन केवल आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन यह संकल्प पारित किये जाने की तिथि से 12 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
- बी) आईसीडीआर विनियमन के विनियम 85(ए) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, विनियमों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है।
- सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी।

पुनः संकल्प किया कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं सूचीयन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास विहित होगा।

पुनः संकल्प किया कि एनआरआई/एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई हैं, का निर्गम और आवंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन परंतु अधिनियम द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्यक्षीन होगा।

पुनः संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्यक्षीन तथा सभी तरह से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई हो, के लिये पात्र होंगे।

पुनः संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम या आवंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आवंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित

सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हैं, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

पुनः संकल्प किया कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर्स, अभिगोपक, डिपाजिटरी, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक तथा अन्य ऐसी एजेंसी, जो इक्विटी एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है।

पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्प्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है।

पुनः संकल्प किया कि इनमें से ऐसे शेयर/ प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है।

पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

पुनः संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त

सभी प्राधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक (कों) या निदेशकों की समिति को प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाए या एवं एतद्वारा किया जाता है।

मद क्र. 4

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 9(3)(i), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (इसके बाद इसे 'विनियम अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के साथ पठित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 (इसके बाद इसे 'योजना' के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा अधिनियम की धारा 19 के अनुसार सृजित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम 1998 (जिसे इसके बाद विनियम कहा गया है) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना क्र.डीबीओडी.सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 (इसके बाद इसे 'भारिबैं अधिसूचना' के रूप में संदर्भित किया गया है) के साथ पठित अधिसूचना क्र. डीबीओडी.सं.बीसी सं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों पर विचार करने हेतु दिनांक 25 मार्च, 2015 को निर्धारित किए गए मानदंडों (जिसे इसके बाद भारत सरकार के दिशानिर्देश कहा गया है) के साथ पठित भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ. क्र.16/83/2013-बीओ.1 दिनांक 9 सितंबर, 2013 के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पारित करके ऐसे तीन शेयरधारकों का निर्वाचन करना, जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हों।

संकल्प पारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ पठित योजना और उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के रूप में चुने गये _____, _____ तथा _____ को एतद्वारा बैंक का निदेशक नियुक्त किया जाता है और वे 27 जून, 2015 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे तथा पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण होने तक इस पद पर बने रहेंगे।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रतिवारी..

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2015

नोट:

1. व्याख्यात्मक वृत्तांत:

बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 3 व 4 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक वृत्तान्त इसके साथ संलग्न हैं।

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्वयं के

स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोड़कर) उपस्थित रहने व वोट देने हेतु परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 के विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रूप से वोट देने का हकदार नहीं होगा। वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक फार्म 'बी' के अलावा परोक्षी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा।

परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में **कम्पनी सचिव को संबोधित, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021** के पते पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शनिवार, 20 जून, 2015 को बैंक के कार्य-समाप्ति पर दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पूर्व** मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है तो उसके साथ, जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के स्तर में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के स्तर में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के प्रधान कार्यालय में, उक्त पते पर, बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 20 जून, 2015 को कार्य-समाप्ति अर्थात् दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।**

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह - मत पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र इस रिपोर्ट के साथ, पहले से ही छपे हुए अपेक्षित ब्योरे, ई-वोटिंग लॉग-इन आय डी व पासवर्ड के साथ, प्रेषित किया गया है। शेयरधारकों को यह विकल्प है कि वे ई-वोटिंग प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन जो शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं, वे एजीएम की तिथि पर, बैठक के स्थान पर आयोजित होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया में अपना वोट डाल सकते हैं। इस प्रकार के शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में छपे हुए ब्योरे का सत्यापन करें और खाली स्थान यदि कोई है तो उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द करें। शेयरधारकों के परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर 'परोक्षी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए। उपस्थिति पर्ची का भाग एजीएम के स्थान पर प्रवेश के समय सुपुर्द किया जाए और प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र के भाग को मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने हेतु सुपुर्द किया जाए।

5. बुक क्लोजर

यदि वार्षिक साधारण बैठक में घोषित होता है, तो वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य एवं वित्त वर्ष 2014-15 हेतु शेयरधारकों के लाभांश की पात्रता निश्चित करने के लिए शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार, दिनांक 20 जून, 2015 से शुक्रवार दिनांक 26 जून, 2015 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगा।

6. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित शेयरधारकों के लिए लाभांश का भुगतान भौतिक रूप में शेयर रखने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दिनांक 26 जून, 2015 को दर्ज हैं तथा डिमैट के रूप में रखे गए शेयरों के मामलों में, दिनांक 19 जून, 2015 को कारोबार समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर हितकारी स्वामित्व (बेनपोस) के आधार पर प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया जाएगा तथा लाभांश का भुगतान 6 जुलाई, 2015 को किया जाएगा।

7. अंतरण दायर करना:

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र/ पत्रों को अंतरण हेतु बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जाना चाहिए।

8. लाभांश पत्र/ यूनियन बैंक खाते में सीधे जमा/ राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह क्रेडिट (एनएसीएच) के लिए बैंक खाते का ब्योरा :

बैंक लाभांश राशि यथा संभव यूनियन बैंक खाते में/ राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह जमा सुविधा द्वारा शेयरधारकों के बैंक खातों में जमा करेगा, अतएव शेयरधारक, जो शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं, से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को अपने पते में नवीनतम परिवर्तन और बैंक अधिदेश के ब्योरे (नए खाते का नंबर, यदि कोई हो, बैंक का एमआईसीआर कोड नंबर और आईएफएससी कोड नंबर सहित) तुरंत सूचित करें; ताकि लाभांश राशि तत्काल उनके यूनियन बैंक खाते/ एनएसीएच में जमा की जा सके। डिमैट के रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स से संपर्क किया जा सकता है।

ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, वे अपने बैंक अधिदेश के ब्योरे बैंक के निवेशक सेवा प्रभाग को अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को पैरा (10) में नीचे दिए गए पते पर 22 जून, 2015 तक या उससे पूर्व प्रेषित करें।

बैंक, भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध न होने की दशा में या भुगतान निर्देश विफल हो जाने या बैंकर्स द्वारा निरस्त किए जाने पर ही लाभांश वारंट जारी करेगा। ऐसे मामलों में बैंक ऐसे लाभांश पत्रों पर निवेशक के बैंक खाते के ब्योरे अनिवार्यतः मुद्रित करेगा।

बैंक ब्योरे देने हेतु फार्मेट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और यह बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है।

9. अदावाकृत / अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश पत्र जारी कराने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से संपर्क करें। क्षतिपूर्ति बांड से संबंधित निर्धारित प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 और वित्तीय संस्थान कानून (संशोधित) अधिनियम 2006 द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 में संशोधन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा है कि उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व वर्षों और उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात घोषित अदावाकृत/ अदत्त लाभांश की शेष राशि को 'अदत्त लाभांश खाते' में अंतरित करें।

उक्त 'अशोधित लाभांश खाते' में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 (सी) के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में बैंक अथवा निधि से भुगतान हेतु कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा। बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2006-07 तक अदत्त लाभांश राशि को आईईपीएफ को अंतरित कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2007-08 से अशोधित लाभांश राशि को शेयरधारकों द्वारा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर देखा जा सकता है।

10. पता/ बैंक ब्योरा/ बैंक खाता मैन्डेट में परिवर्तन :

(क) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डीपाजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्योरे का उपयोग करेगा। जिन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डीपाजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए; ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके। बैंक अथवा इसके रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैन्डेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसे परिवर्तनों को केवल सदस्य के डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किया जाए।

(ख) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसे अद्यतन करवाने हेतु विधिक दस्तावेजी सबूत के साथ हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन भेजें तथा बैंक खाते का ब्योरा अद्यतन करवाने हेतु निरस्त चेक के साथ हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर भेजें:

डाटा मैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,

एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल

अंधेरी (पूर्व),

मुंबई - 400 093

(ग) इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डीपाजटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को।

(घ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रानिक/ डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

11. स्थिति में परिवर्तन की रिकार्डिंग :

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट- डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को तत्काल सूचित करें

ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले नहीं दिया गया हो.

12. फोलियो का समेकन

एक से अधिक खातों में एक जैसे नामों से या संयुक्त नामों से उसी क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों को एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को प्रेषित करें.

13. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर सेवा द्वारा भेज दी गई हैं तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत करवाया है, उनको सॉफ्ट प्रतियां भेजी गई हैं. बैंक की वेबसाइट पर भी वार्षिक रिपोर्ट को रखा गया है. वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बांटी नहीं जाएंगी और इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं.

14. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन, विनियम के नियम 68 के अनुसार निर्धारित तारीख अर्थात् 15 मई 2015 (शेयरधारकों के निर्वाचन के लिए) तथा कट-ऑफ तारीख अर्थात् 19 जून, 2015 को (अन्य कार्यों के लिए) शेयरधारक के

स्म में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक हाथ उठाकर वोट देने पर एक वोट देने और मतदान होने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा.

विनियम के नियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही नामांकन करने, बैठक में वोट देने का अधिकारी होगा.

15. लेखों की जानकारी

जो शेयरधारक लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को लिखें, जो वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे.

16. भौतिक रूप से धारित शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन

शेयरों को भौतिक स्म से धारण करने वाले शेयरधारक, अपने शेयरों को डिमैटेरियलाइज स्म में परिवर्तित करा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा, जहां वे अपना संबंधित डि-मैट खाता संचालित कर रहे हैं.

17. निर्धारित तिथि एवं कट-ऑफ की तिथि

ए) निर्वाचन के लिए निर्धारित तारीख :

विनियम के नियम 12 के अनुसार, जैसाकि सूचना में उल्लेख है, केन्द्र सरकार को छोड़कर, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों के निर्वाचन हेतु नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने की प्रक्रिया में प्रतिभागिता के लिए शेयरधारकों के निर्धारण की तारीख **शुक्रवार, दिनांक 15 मई, 2015** होगी.

बी) ई-वोटिंग और वार्षिक साधारण बैठक के लिए कट-ऑफ की तारीख

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) अधिनियम 2014 में संशोधन के अनुसार कार्यसूची के मद क्रमांक 1,2 तथा 3 के लिए शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार **शुक्रवार, दिनांक 19 जून, 2015** को निर्धारित किये जायेंगे.

18. ई-वोटिंग

i. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 तथा लिस्टिंग एग्रीमेंट के वाक्य 35बी के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वार्षिक साधारण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर एलेक्ट्रानिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कार्यवाही की सुविधा प्रदान की गई है. वार्षिक सामान्य बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान ("रिमोट ई-वोटिंग") से एलेक्ट्रानिक वोटिंग

की सुविधा नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदान की जा रही है।

- ii. बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग की सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित शेयरहोल्डर बैलेट पेपर द्वारा अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- iii. जिन शेयरहोल्डरों ने वार्षिक सामान्य बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दुबारा वोट नहीं दे सकेंगे।
- iv. **रिमोट ई-वोटिंग की अवधि दिनांक 23 जून 2015 ((प्रातः 9.00 बजे) प्रारम्भ होकर 25 जून 2015 (शाम 5.00 बजे) तक रहेगी।** बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, जो निर्धारित तारीख 15 मई 2015 (शेयरधारकों के निर्वाचन के लिए) तथा कट-ऑफ तारीख 19 जून 2015 (अन्य मामलों के लिए) को फिजिकल या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं। इस अवधि के बाद नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बन्द कर दिया जाएगा। शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- v. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है
(ए) नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) से शेयरहोल्डर को ई-मेल मिलने की दशा में (उन शेयरधारकों के लिए जिनका ई-मेल बैंक/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत है):
 - (i) ई-मेल खोलें और अपने ग्राहक आई.डी.या फोलियो नम्बर के द्वारा पी.डी.एफ. फाइल अर्थात “remote e-voting.pdf” खोलें। **इस पी.डी.एफ.फाइल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड/पिन रहेगा।** कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड केवल आरम्भिक पासवर्ड है।
 - (ii) निम्न यू.आर.एल.टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर आरम्भ करें [https:// www.evoting.nsdl.com/](https://www.evoting.nsdl.com/)
 - (iii) शेयरहोल्डर पर क्लिक करें - लॉगइन
 - (iv) उपर्युक्त मद क्र.(i) के अनुसार आरम्भिक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें.लॉगइन क्लिक करें.
 - (v) पासवर्ड बदलने के लिए मेनू दिखेगा. अपनी पसन्द का नया पासवर्ड/ पिन परिवर्तित करें जो 8 अंकों/ कैरेक्टर्स या दोनों मिलाकर हो सकता है. नया पासवर्ड नोट करें.यह सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें.
 - (vi) रिमोट ई-वोटिंग का होम पेज खुलता है. रिमोट ई-वोटिंग: एक्टिव वोटिंग साइकल (Active Voting Cycles) पर क्लिक करें.

(vii) “यूनियन बैंक ऑफ इंडिया” के “EVEN” को चुनें.

(viii) अब आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब वोट करने के लिए पेज खुल गया है.

(ix) यथोचित विकल्प का चयन कर वोट डाल दें और “Submit” तथा उसके बाद ‘Confirm’ पर क्लिक करें.

(x) पुष्टि (Confirmation) के बाद यह संदेश दिखेगा “Vote cast successfully”.

(xi) संकल्प पर एक बार आपके द्वारा वोट करने के बाद आपके वोट में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

(xii) संस्थागत शेयरधारकों (व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, गैर निवासी भारतीयों आदि के अलावा) द्वारा वोट करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षरों के सत्यापन के साथ, संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रतियां (पीडीएफ/ जेपीजी फॉर्मेट) जांचकर्ता को ई-मेल द्वारा snv@snaco.net तथा evoting@nsdl.co.in पर भेजना होगा.

(बी) यदि शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठक की सूचना फिजिकल कापी द्वारा मिलती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनका ई-मेल बैंक/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं है या फिजिकल कापी की मांग की है):

(i) **आरम्भिक पासवर्ड वार्षिक साधारण बैठक की उपस्थिति पर्ची के नीचे उपलब्ध है:**

(ii) वोट करने के लिए, उपर्युक्त मद क्रमांक (ii) से (xii) का पालन करें.

vi. किसी प्रकार की शंका होने की दशा में www.evoting.nsdl.com में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग मैनुअल में देखा जा सकता है या टोलफ्री नं.: 1800-222-990 पर संपर्क किया जा सकता है.

vii. रिमोट वोटिंग के लिए यदि आप नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आप वोट करने के लिए अपना विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड/ पिन का प्रयोग कर सकते हैं.

viii. यूजर प्रोफाइल विवरण के फोलियो में आप अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं, जिनका उपयोग ई-वोटिंग प्रोसेस से संबंधित भविष्य के संवादों के लिए किया जा सकता है.

ix. यदि कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद, बैंक के शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तारीख अर्थात 19 जून 2015 को शेयरधारक रहता है, वह evoting@nsdl.co.in या investorservices@unionbankofindia.com या ubiinvestors@dfssl.com से लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.

तथापि, यदि आप नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो वोट करने के लिए आप अपने विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'Forgot User Details/ Password' विकल्प से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के टोलफ्री नंबर: 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।

- x. एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ की तारीख को, शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकार्ड है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या वार्षिक साधारण बैठक में बिलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग के लिए पात्र होगा।
- xi. वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, कंपनी सचिव की प्रैक्टिस करने वाले मेसर्स एस एन अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (SNACO) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।
- xii. अध्यक्ष द्वारा जांचकर्ता की सहायता से वार्षिक साधारण बैठक में संकल्पों पर चर्चा के अंत में उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जो इस बैठक में उपस्थित हों, लेकिन उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- xiii. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद ऐसे न्यूनतम दो साक्षियों, जो बैंक में कार्यरत न हों, के समक्ष बैठक में पड़े वोटों की गिनती पहले की जाएगी और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा पड़े वोटों को अन-ब्लाक किया जाएगा तथा बैठक की समाप्ति के बाद तीन दिनों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को लिखित रूप में, प्रस्तुत की जायेगी, जो उस पर काउंटर हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद वोटिंग के परिणामों की घोषणा की जाएगी।
- xiv. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से परिणामों की घोषणा होने के तुरन्त बाद, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) पर रखा जाएगा। ये परिणाम तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज को भेजे जाएंगे।

19. वार्षिक आम बैठक में चुनाव की प्रक्रिया

चुनाव सहित एजेंडा के मदों पर वोटिंग, ई-वोटिंग के साथ-साथ मतदान द्वारा की जायेगी। जिन लोग ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग किया है, वे वार्षिक साधारण बैठक के दिन समारोह स्थल पर बैठक में भाग लेने व मतदान के लिए हकदार होंगे।

इस संबंध में बैठक के अध्यक्ष द्वारा घोषणा के तुरन्त बाद मतपत्र जारी कर दिया जाएगा, जो **दोपहर 1.00 बजे** तक जारी रहेगा। इस उद्देश्य के लिए स्थापित काउंटरों पर मतपत्र शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/अधिकृत

प्रतिनिधियों को प्रवेश पास-सह मतपत्र पास के सौपने पर, जो नोटिस के साथ या पंजीकरण के समय जारी किया गया था, निर्गत किया जाएगा।

20. ई-वोटिंग व चुनावों के परिणाम :

ई-वोटिंग व चुनावों के समेकित परिणाम बैठक के अंत में घोषित किये जाएंगे और इसे बैंक की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

21. मतदान के पर्यवेक्षक :

जैसाकि ई-वोटिंग के लिए पहले ही संकेत किया जा चुका है कि कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस कर रहे मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (एसएनएसीओ), एजेंडा आइटम नंबर 1-4 के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वे बैठक के दौरान होने वाले मतदान में पर्यवेक्षक के साथ साथ दूसरे शेयरधारक के रूप में भी कार्य करेंगे।

चुनाव के लिए मतदान बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी, एसएनएसीओ (स्वतंत्र सलाहकार व सर्वेक्षक) व केन्द्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, जो एक आब्जर्वर व दूसरे पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेगा, की देखरेख में आयोजित किया जाएगा।

व्याख्यात्मक विवरण

1. एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के द्वारा पूंजी का निर्गम :

बॉसल-III अधिनियम की अपेक्षानुसार बैंक के लिए 31 मार्च, 2016 तक कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी1) रूप में न्यूनतम 5.5%, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के रूप में 0.625%, इक्विटी पूंजी टियर 1 के रूप में 7.625% और समस्त सीआरएआर के रूप में 9.625% की प्राप्ति करनी है। बॉसल-III की अपेक्षाओं के अनुपालन, बैंक के भविष्य की विस्तार योजनाओं और तदनुसार पूंजी की आवश्यकता के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने रु3700 करोड़ (रु. त्रैस हजार सात सौ करोड़) की इक्विटी पूंजी जुटाने का फैसला किया है, जो सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किये जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू), और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/या सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जायेगा।

बैंक ने पात्र संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी) के द्वारा ₹ 1386 करोड़ (रु. एक हजार तीन सौ छियासी करोड़ मात्र) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त की है, जो कि 26 जून, 2015 तक वैध है। तथापि, प्रतिकूल बाजारी स्थितियों के कारण इसे अभी तक बढ़ाया नहीं जा सका है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि रु

पर उल्लेख किया गया है, अब इक्विटी पूंजी को ₹ 3700 करोड़ (रु. तीन हजार सात सौ करोड़) तक बढ़ाने की योजना है।

एक या अधिक चरणों में, ऐसे समय या समयों पर, ऐसी कीमत या कीमतों पर और इस प्रकार के निवेशकों को, जैसाकि उल्लिखित है, बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से जैसा उचित समझे, इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बोर्ड को अधिकृत करने हेतु विशेष संकल्प चाहता है। इक्विटी शेयर जारी करने के लिए विस्तृत नियम और शर्तें बोर्ड द्वारा मर्चेन्ट बैंकरों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श से मौजूदा बाजार की परिस्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करके बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इस विशेष प्रस्ताव का उद्देश्य बोर्ड को यह अधिकार देना है कि वह ऐसे समय या समयों पर एक या अधिक बार में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा उन निवेशकों, जिनका उल्लेख यहां है तथा जिन्हें बोर्ड अपने सम्पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे, को इक्विटी शेयर जारी करे। इक्विटी शेयरों का निर्गम कब और कितनी बार किया जाय, इससे संबंधित विस्तृत शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण बोर्ड द्वारा व्यापारिक बैंकरों, लीड मैनेजरों, सलाहकारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाय, से विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा।

उपर्युक्त के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के माध्यम से जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों के मामले में यह सुनिश्चित किया जायेगा क:-

- i. सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII और/ या अन्य लागू विनियमों के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्यन की संबंधित तिथि वह तिथि होगी, जिस तिथि को अधिनियम की धारा 81(1ए) एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों तथा लागू अन्य नियमों, कानूनों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल/ या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत समिति अपनी बैठक में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है।
- ii. चूँकि प्रस्ताव का मूल्य बाद में ही निर्धारित किया जा सकता है, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है। तथापि यह आईसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 समय-समय पर यथा संशोधित एवं लागू या अपेक्षित अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमों/ सहमतियों के अनुसार ही होगा।
- iii. पूर्णतः चुकता शेयरों का निर्गम एवं आवंटन केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही सेबी(आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार किया जायेगा तथा आबंटन का कार्य इस संकल्प के पारित होने के 12 महीनों के अंदर कर लिया जायेगा।
- iv. प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत शर्तों एवं नियमों का निर्धारण बोर्ड द्वारा सलाहकारों, लीड मैनेजरों, अभिगोपकों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी

या प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाय, से विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा।

- v. अधि आबंटन, प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार यदि कोई हों, सहित इस प्रकार प्राप्त कुल राशि, पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार बैंक के नेटवर्थ के पाँच गुने से अधिक नहीं होगी।
- vi. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के तहत समय- समय पर प्राप्त अनुमति को छोड़कर, आबंटन की तिथि से 1 वर्ष तक प्रतिभूतियां विक्रय/ अंतरण योग्य नहीं होंगी।
- vii. आवंटित किये गये इक्विटी शेयर लाभांश सहित हर प्रकार से वर्तमान इक्विटी शेयरों के समकक्ष मान्य होंगे।

आपके निदेशकगण इस एजेंडा की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैठक की कार्यसूची से किसी भी निदेशक का कोई व्यक्तिगत संबंध या हित नहीं है।

2. शेयरधारकों के निदेशकों की नियुक्ति:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा (9)(3)(i) के अनुसार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से हमारे बैंक ने तीन निदेशकों यथा श्री दीपांकर चटर्जी, डॉ रवींद्रराय एच ढोलकिया, श्री गोपाल कृष्ण लाठ का चुनाव किया है, जिन्होंने 27 जून, 2012 को कार्यभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 26 जून, 2015 को समाप्त हो रहा है।

उपर्युक्त रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से निदेशक मंडल वार्षिक साधारण बैठक में एक एजेंडा के रूप में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव का प्रस्ताव करता है।

तदनुसार सभी शेयरधारक विभिन्न संबंधित अधिनियमों/ योजनाओं/ विनियमों/ अधिसूचनाओं/ केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों, संबंधित उद्घरणों/ भागों, जिन्हें यहाँ पुनः प्रतिरूपित किया गया है, की व्यवस्थाओं के अनुसार अपना नामांकन भेजने के लिए हकदार हैं। तीनों निदेशकों का चुनाव या तो शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकन की जांच और बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उनके फिट और उचित स्थिति के निर्धारण या वार्षिक साधारण बैठक में अनुवर्ती चुनाव के बाद किया जाएगा। इस प्रकार चयनित निदेशक 27 जून, 2015 से कार्यभार ग्रहण करेगा और पदभार ग्रहण करने से तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहेगा।

ए. कानूनी प्रावधान

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/ विनियमों/ योजनाओं/ अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं :

अधिनियम/योजना/ विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5(एनई) धारा16 (1) धारा20	- सारभूत हित - सामान्य निदेशकों को निषेध - किसी निदेशक को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम दिये जाने पर प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए)(ए) से (सी) धारा 9(3) (एए) व धारा9(3एबी) धारा9(3बी) धारा13(2)	- मतदान अधिकार पर प्रतिबंध - शेयर धारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या - कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान - कोई व्यक्ति निदेशक चुने जाने के लिये उस समय तक योग्य नहीं होगा यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रेक रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य ऐसे मानदंडों पर खरा (योग्य एवं उपयुक्त) नहीं उतरता - धारा 9 (3ए) व धारा 9 (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले चुने गये निदेशकों को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार - गोपनीयता व निष्ठा का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड9(4) खंड10 खंड11 खंड11ए खंड11बी खंड12(8)	- चुने गये निदेशकों का कार्यकाल - बैंक के निदेशक चुने जाने की अपात्रताएं - निदेशक पद खाली होना - चुने गये निदेशक को हटाया जाना. - चुने गये निदेशक की रिक्ति को भरा जाना - अपने हित वाली कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों के अपने हितों का प्रकटन
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक) विनियम, 1998 (2009 तक 'संशोधित')	विनियम10 विनियम61 विनियम63 विनियम64 विनियम65 विनियम66 विनियम67 विनियम68 विनियम69 विनियम70	- संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग - आम बैठक में वोट डालना - आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक - शेयर धारकों की सूची - चुनाव के लिये उम्मीदवारों का नामांकन - नामांकन की जांच - चुनावी विवाद - वोट देने के अधिकारों का निश्चय - विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान - परोक्षी

अधिनियम/योजना/ विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 व 47/29.39. 001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडीबीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एए) और धारा9 (3एबी) के अनुसार	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के लिये चुने गये निदेशकों के लिये योग्य एवं उपयुक्त का मानदंड
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ प्रभाग द्वारा जारी पत्र संदर्भ एफ. क्रमांक 16/83/2013 बीओ. आई, दिनांक 03 सितंबर, 2013 और केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 25मार्च, 2015 को जारी निर्धारित मानदंड.		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड
भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 01जुलाई, 2015		निदेशकों के संबंधियों को ऋण व अग्रिम देना

शेयर धारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/ नियमन के साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी क्र. बीसी क्र.46 और 47/ 29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11.2007 और क्रमांक डीबीओडी क्र.बीसी क्र.95/ 29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011 व भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबंधित उद्घरण बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर डाल दिये गये हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंपनी सचिव को उनके मुख्य कार्यालय में नामांकन फार्म जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात **11 जून, 2015** तक या उससे पूर्व अनुरोध प्राप्त होने पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल द्वारा भी भेज दिया जाएगा.

बी. चुनाव में भागीदारी

जैसाकि पहले संकेत दिया गया है कि केन्द्र सरकार के शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा शेयरधारक/ हिताधिकारी स्वामी के रूप में शेयरधारकों के रजिस्टर में निर्धारित तिथि अर्थात **शुक्रवार 15 मई, 2015** को दर्ज हैं, वे निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने अर्थात मनोनीत होने, चुनाव लड़ने व वोट डालने के लिए पात्र होंगे.

सी. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यता

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने का इच्छुक है, तो उसे-

ए. निम्नलिखित में से कम से कम एक या अधिक मामलों का विशेष ज्ञान अथवा प्रयोगात्मक अनुभव होना चाहिए:

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. विशेष जानकारी से संबंधित कोई अन्य मामला और जिसका व्यवहारिक रूप से अनुभव किया गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से बैंकों के लिए उपयोगी हो।

बी. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व ; अथवा

सी. कृषकों, कामगारों एवं काश्तकारों के हित का प्रतिनिधित्व

अधिनियम की धारा 9 (3ए) एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के संदर्भ में बैंक का शेयरधारक होने के नाते प्रतिभागी, जो बैंक का निदेशक बनना चाहता हो, को “उपयुक्त एवं समुचित” स्थिति का होना चाहिए।

पुनः, चुने गए निदेशक को अनुबंध के विलेख को निष्पादित करना चाहिए एवं इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

डी. बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अयोग्यता

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के वाक्य खंड 10 के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होगा :

- ए) यदि वह कभी दिवालिया हुआ हो अथवा भुगतान रोकता हो अथवा उसके लेनदारों के साथ संयोजित हुआ हो ; अथवा
- बी) यदि वह कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का रहा हो और ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो; अथवा
- सी) यदि उसे कभी किसी नैतिक पतन वाले अपराध के लिए फौजदारी न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया हो; अथवा
- डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959

की धारा 3 के अन्तर्गत वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक एवं अधिनियम की धारा 9 उपधारा (3) के वाक्य खंड (e) एवं (f) के अन्तर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशकों को छोड़कर, किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो।

(बी) यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना क्रमांक: डीबीओडी.सं.बीसी.सं. 46/29.39.001/ 2007-08 एवं डीबीओडी सं.47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा “उपयुक्त एवं नियमित” न पाया जाए।

(सी) यदि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के पद हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा न करता हो।

ई. अंशधारकों की सूची

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बेटक) विनियम 1998 यथा संशोधित के नियमन 64 के अनुसार शेयरधारकों की सूची की प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात् सीडी अथवा ऐसे ही किसी अन्य रूप में) बैंक के प्रधान कार्यालय में 15 मई, 2015 से शेयरधारकों द्वारा ‘यूनियन बैंक ऑफ इंडिया’ के पक्ष में अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर के माध्यम से ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) के भुगतान पर क्रय हेतु उपलब्ध होगी। उक्त सूची को क्रय करने के इच्छुक प्रतिभागियों को कम्पनी सचिव, निवेश सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021 को इस वचन के साथ अनुरोध पत्र देना होगा कि सूची का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जाएगा एवं इसका उपयोग अन्य किसी उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।

एफ. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों के अवलोकन हेतु शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्य दिवसों (रविवार एवं बैंक अवकाशों को छोड़कर) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार को प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक एवं शनिवार को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा; ताकि चुनाव के उद्देश्य से शेयरधारकों के रजिस्टर से किसी भाग की जानकारी को वे प्राप्त कर सकें।

यदि कोई शेयरधारक चयनित/ जानकारी के भाग की प्रति अथवा कम्प्यूटर प्रिंट चाहता है तो ₹ 5/- प्रति 1000 शब्द की दर से अथवा चाही गयी प्रति के भाग के आधार पर भुगतान करने पर उसे दिया जाएगा।

जी. चुनाव के लिए प्रतिभागी का नामांकन :

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन एवं अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी.बीसी.सं.95 / 29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के साथ पठित डीबीओडी सं. बीसी.सं.46 एवं 47/ 29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के विनियम 65 एवं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2013, संदर्भ सं.16/83/2013-BO.I तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ केन्द्र सरकार द्वारा 25 मार्च, 2015 को जारी

पत्र द्वारा निर्धारित मानदंड (भारत सरकार के दिशानिर्देश) एवं विभिन्न अधिनियमों, दिशानिर्देशों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में किसी प्रतिभागी का नामांकन स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि :

- ए) चुनाव में प्रतिभागिता हेतु गणना के लिए निर्धारित तारीख यथा शुक्रवार, दिनांक 15 मई, 2015 को उसके पास बैंक के 100 (एक सौ) से कम शेयर न हों तथा बैठक की तारीख तक एवं यदि वह चुनाव जीत जाता/जाती है, तो उसके बाद अपने कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर रखने का वचन दे.
- बी) **नामांकन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख यथा गुरुवार दिनांक 11 जून, 2015** को वह अधिनियम/ योजना/ नियमन/ भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाओं/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निदेशक होने के अयोग्य न किया गया हो.
- सी) अधिनियम के अन्तर्गत निदेशक का चुनाव करने हेतु पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत अधिकृत एटार्नी द्वारा किया गया हस्ताक्षरित, लिखित नामांकन, बशर्ते कि यदि वह शेयरधारक, निदेशकों द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत गठित कोई कंपनी है, तो जिस बैठक में इस पास किया गया है, तो उस प्रस्ताव की उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में कम्पनी सचिव, यूनिन बैंक ऑफ इंडिया के पते पर प्रेषित किया जाएगा एवं यह प्रति इस कम्पनी की ओर से नामांकन के लिए मानी जाएगी.
- डी) अंशधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन प्रतिभागी द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एशोरेस के पंजीयक अथवा उप-पंजीयक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, कि वह नामांकन स्वीकार करता/ करती है एवं चुनाव लड़ना चाहता/ चाहती है और यह कि वह या तो अधिनियम अथवा नियमन अधिनियम या योजना या नियमनों अथवा भारत सरकार द्वारा लागू दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निदेशक होने के अयोग्य नहीं है, जिसके साथ विधिवत हस्ताक्षरित अपना व्यक्तिगत बायोडाटा एवं घोषणा पत्र इस घोषणा के साथ देना होगा कि उसके द्वारा दिया गया विवरण उसकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूरी तरह से सही है और यह वचन देता/देती है कि ऐसी कोई भी घटना, जो प्रासंगिक है, बैंक को शीघ्र से शीघ्र अवगत करायेगा/ करायेगी.
- ई) अधिनियम द्वारा निर्धारित नामांकन पत्र एवं घोषणा पत्र का प्रारूप इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है. (प्रारूप का नमूना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है)
- एफ) वह निदेशक के रूप में चयन हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा यूनिन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) नियमन 1998 (इसके पश्चात 'नियमन' के रूप में संदर्भित) एवं

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना क्रमांक डीबीओडीसं.बीसी. क्रमांक.46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर कार्यालयीन निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा 25 मार्च, 2015 को जारी पत्र द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं इस संबंध में समय समय पर जारी अन्य दिशानिर्देशों के अन्तर्गत वह अयोग्य नहीं है.

एच. नामांकन पत्र का प्रस्तुतिकरण :

केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक अंशधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों पर निम्नलिखित दस्तावेज मुहरबंद लिफाफे में **कम्पनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनिन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, 400021** को वार्षिक साधारण बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् गुरुवार, **दिनांक 11 जून, 2015 को बैंक की कार्यावधि समाप्ति समय शाम 5.00 बजे** अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए:

- ए) विधिवत् रूप से भरा घोषणा पत्र;
- बी) चुनाव में प्रतिभागिता हेतु पात्र कम से कम सौ शेयरधारकों से वैध नामांकन पत्र;
- सी) रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रारूपों में व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा पत्र एवं वचन पत्र संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों जैसे स्वयं द्वारा सत्यापित बायोडाटा की प्रतियां, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अनुभव आदि सहित.
- डी) उक्त नामांकन पत्र एवं अन्य दस्तावेज पूरी तरह से भरे होने चाहिए. चूक होने पर नामांकन निरस्त हो सकता है.

आई. नामांकनों की संवीक्षा एवं निदेशकों का चुनाव :

- ए) नामांकनों की संवीक्षा **शुक्रवार दिनांक 12 जून, 2015** अर्थात् नामांकन प्राप्त होने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख के बाद के पहले कार्यदिवस को की जाएगी एवं यदि कोई भी नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो कारणों को रिकार्ड करते हुए उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा.
- बी) नामांकनों की संवीक्षा बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा भी 'योग्य एवं उपयुक्त' पर 01 नवम्बर, 2007 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर की जायेगी. भारत सरकार के विचार से प्रतिभागी के योग्य एवं उपयुक्त होने को निर्धारित करते समय नामांकन समिति, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशकों के रूप में विचारार्थ 25 मार्च, 2015 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को भी ध्यान में रखेगी.
- सी) यदि तीन रिक्तियों पर चुनाव हेतु केवल तीन ही वैध नामांकन पाये जाते हैं, इस प्रकार नामांकित प्रतिभागी को चुना हुआ मान लिया जाएगा एवं उसका नाम व पता प्रकाशित कर दिया जाएगा. इस

प्रकार की स्थिति में अथवा किसी भी नामांकन के वैध न पाए जाने पर वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यसूची की मद संख्या 4 पर कार्यवाही नहीं होगी. नये चुने गए निदेशक 27 जून, 2015 से कार्यभार संभालेंगे.

डी) यदि तीन से अधिक नामांकन वैध पाए जाते हैं तो प्रतिभागियों के नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे एवं चुनाव कराए जाएंगे तथा ई-मतदान एवं बैठक में मतदान के सकल योग के आधार पर सबसे अधिक मत पाने वाले प्रतिभागी को चुना हुआ माना जाएगा और उसका नाम घोषित कर दिया जाएगा तथा समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा.

जे. उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई प्रतिभागी अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह बैंक की कार्यावधि अर्थात् **शनिवार, दिनांक 20 जून, 2015 को दोपहर 12.00 बजे** तक या उससे पूर्व कभी भी बैंक के कम्पनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, 400021 के पते पर पत्र प्रेषित कर अथवा 022-22025238 नम्बर पर फैक्स भेजकर अथवा investorservices@unionbankofindia.com पर हस्ताक्षरित व स्कैन किये हुए पत्र को भेजकर ऐसा कर सकता है.

के. विवाद

यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बेटर्क) नियमन, 1998 यथा संशोधित के नियमन 67 के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा.

एल. सारांश

जैसाकि नोटिस में पहले ही कहीं उल्लेख किया गया है कि लागू अधिनियम/ योजना/ नियमनों/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों का सारांश बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर शेयरधारकों की सुविधा के लिए अपलोड है. चुनाव लड़ने वाले शेयरधारक यदि चाहते हैं, तो इसके लिए बैंक के कम्पनी सचिव को डाक द्वारा अथवा investorservices@unionbankofindia.com पर ई-मेल द्वारा भी लिख सकते हैं एवं बैंक उन्हें इसे प्रदान करेगा.

एम. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक एवं ऐसे निदेशक, जो अपना नामांकन फाइल करते हैं, उन्हें उक्त कारोबारी मदों से संबंधित अथवा संबद्ध माना जाएगा.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रतिवारी.:

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2015

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2014-15 का "लेखापरीक्षित तुलनपत्र", "लाभ एवं हानि खाता", "नकद प्रवाह विवरण" और "प्रबंधकीय चर्चा व विश्लेषण" पर रिपोर्ट सहित आपके बैंक की 96वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष है. कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एवं कारोबारी दायित्व रिपोर्ट भी वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 का एक भाग है.

1. वित्तीय विशेषताएं

1.1. संतुलित विकास, लाभप्रदता और अग्रसक्रिय जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की दिशा में रणनीति ने आपके बैंक को निर्धारित वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की है, इससे भविष्य में अधिक लाभदायक प्रगति के लिए बैंक का कारोबारी आधार मजबूत हुआ है.

तालिका 1: आय विवरण				
(₹ करोड.)				
विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
ब्याज आय	32084	29349	2735	9.3
ब्याज व्यय	23640	21470	2170	10.1
शुद्ध ब्याज आय	8444	7879	565	7.2
अन्य आय	3523	2822	701	24.8
जिसमें कोर फीस आधारित आय	1872	1635	237	14.5
कुल आय	35607	32171	3436	10.7
परिचालन व्यय	6144	5483	661	12.1
जिसमें स्थापना व्यय	3786	3308	478	14.4
परिचालन लाभ	5823	5218	605	11.6
प्रावधान	4042	3522	520	14.8
शुद्ध लाभ	1782	1696	86	5.1
प्रति शेयर आय (₹)	28.1	28	0.1	0.2

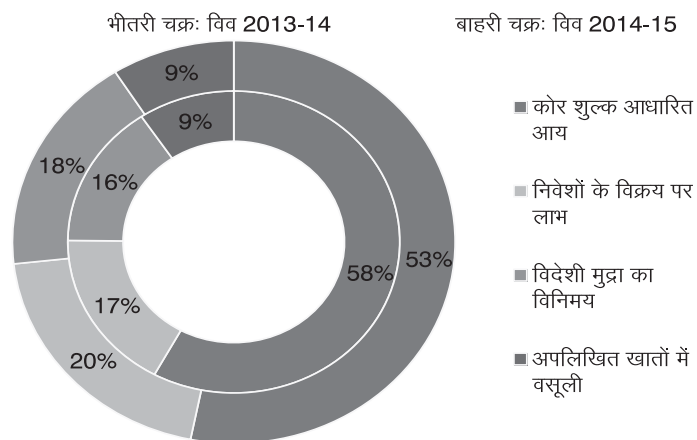
1.2. पूंजी संरक्षण और संवर्धन की रणनीति के अनुसार, बैंक अपने परिचालनों से अधिक लाभ अर्जन के प्रयास कर रहा है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय 10.7 प्रतिशत बढ़कर ₹ 35,607 करोड़ रही है. ब्याज आय 9.3 प्रतिशत बढ़कर ₹ 32,084 करोड़ रही है और निवेशों पर ब्याज आय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

1.3. मार्च 31, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का ब्याज व्यय ₹ 23,640 करोड़ रहा है. बैंक का परिचालन व्यय धीमी गति से बढ़ा है, जो पिछले वर्ष के 21.5 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 12.1 प्रतिशत है.

2. गैर ब्याज आय

अपने परिचालन व्ययों को अधिक कवर करने के लिए, आपके बैंक ने वैकल्पिक आय स्रोतों के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए कई पहल किये हैं जिसके परिणामस्वरूप, बैंक का गैर ब्याज आय, वर्ष 2013-14 के ₹ 2,822 करोड़ से 24.8 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 3,523 हो गया है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में फीस आधारित आय, विशेष ध्यान देने वाले मदों में एक रहा है. इसका परिणाम यह रहा है कि कोर फीस आधारित आय 14.5 प्रतिशत बढ़कर ₹1,872 करोड़ हो गई, जिसमें कमीशन तथा विनिमय, विदेशी विनिमय आय और प्रोसेसिंग प्रभार में वृद्धि मुख्य हैं. ट्रेजरी परिचालनों से आय में भी 44.7 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹1,334 करोड़ का योगदान रहा है जिसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निवेशों की बिक्री से ₹709 करोड़ का लाभ शामिल है. आपके बैंक द्वारा आर्स्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयासों के कारण, बैंक ने दुगुना से अधिक नकद वसूली की है. बट्टा में डाले गये खातों में भी यही जोर दिया गया, जिससे वर्ष के दौरान 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

चार्ट 1: गैर ब्याज आय की संरचना



3. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

3.1. प्रावधान एवं आकस्मिकताओं के लिए आवंटन, वित्त वर्ष 2013-14 के ₹3,522 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 4,042 करोड़ किया गया.

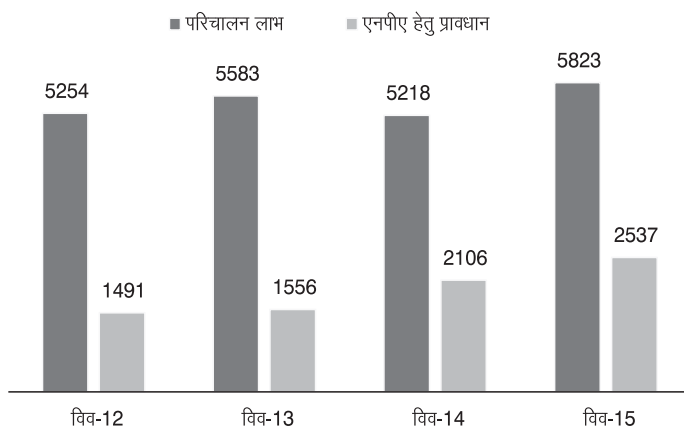
3.2. गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान, विगत वर्ष के ₹ 2,106 करोड़ की तुलना में 2014-15 के दौरान ₹ 2,537 करोड़ रहा. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, विगत वर्ष के ₹ 310 करोड़ की तुलना में ₹ 246 करोड़ किया गया.

4. लाभप्रदता एवं उत्पादकता

4.1. बैंक का परिचालन लाभ, वित्त वर्ष 2013-14 के ₹5,218 करोड़ से वर्ष 2014-15 के दौरान 11.6 प्रतिशत बढ़कर ₹ 5,823 करोड़ हो गया.

4.2. वित्त वर्ष 2013-14 में बैंक का परिचालन लाभ के साथ प्रावधानों का अनुपात 40.4 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 में 43.5 प्रतिशत है।

चार्ट 2: परिचालन लाभ और प्रावधानों की गति



4.3. आनुपातिक स्तर से अधिक प्रावधान होने के बावजूद, वित्त वर्ष 2014-15 हेतु बैंक का शुद्ध लाभ 5.0 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,782 करोड़ हुआ है जो वित्त वर्ष 2013-14 को ₹1,696 करोड़ था।

4.4. बैंक का ध्यान केन्द्रित करने वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है आस्ति की गुणवत्ता में सुधार लाना, क्योंकि आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट हमारे लाभों में हो रही कमी के कारणों में से एक है, खराब आस्तियों के लिए उच्च प्रावधान, गत वर्षों के शुद्ध लाभ को विपरीत स्तर से प्रभावित कर रहे थे। आपके बैंक ने स्लिपेज की पुनर्संरचना तथा बेहतर वसूली पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 31, 2015 को कुल वसूली में सुधार होकर ₹ 3,060 करोड़ रहा, जिसमें नकद वसूली ₹ 1,537 करोड़ थी जो मार्च 31, 2014 को ₹ 765 करोड़ थी, इस प्रकार वर्ष के दौरान 100.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 31, 2015 को स्लिपेज को भी ₹ 6,527 करोड़ पर रोका जा सका है, इसलिए एनपीए सकल अग्रिमों का 4.96 प्रतिशत रहा।

4.5. मार्च 31, 2015 को आपके बैंक की उत्पादकता के मुख्य अनुपात निम्नानुसार हैं:

तालिका 2: उत्पादकता अनुपात			
मानदंड	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2013-14	वार्षिक वृद्धि (%)
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (₹करोड़)	14.5	13.8	5.1
प्रति शाखा औसत कारोबार (₹करोड़)	125.8	120.2	4.7
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹लाख)	5.0	5.0	0.0
प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹लाख)	43.7	43.8	-0.23

5. वृद्धि विश्लेषण

5.1. आपके बैंक द्वारा, निधियों की लागत के दबाव को सहन करने के लिए, अग्रसक्रिय गतिशील स्थूल आर्थिक उपाय अपनाये गये हैं। इस संविभाग को पुनः संतुलित कर और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पर ध्यान केन्द्रित करते

हुए, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिमों पर आय 10.4 प्रतिशत रखा जा सका है। हालांकि, अग्रिमों पर आय में वृद्धि नहीं है, जोखिम भारित अग्रिम और सकल अग्रिम का अनुपात मार्च 31, 2015 को कम होकर 75.7 प्रतिशत हुआ है जोकि मार्च 31, 2014 को 77.4 प्रतिशत था। मार्च 2015 के लिए जोखिम भारित आस्तियों की वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत की कम दर रखने में बैंक सक्षम रहा है, जोकि मार्च 2014 में 12.4 प्रतिशत था।

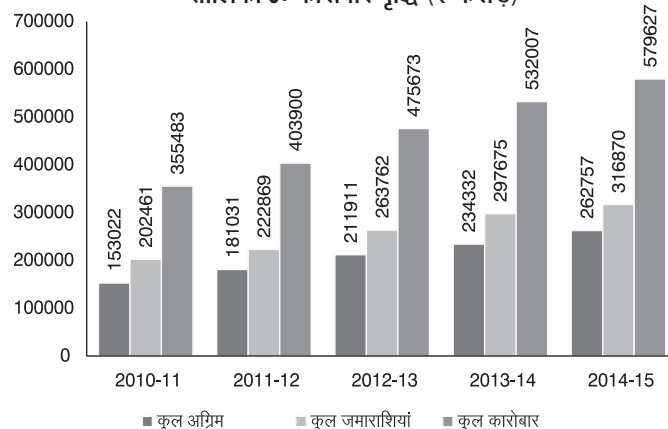
5.2. जमाओं की लागत में सुधार हुआ है, जो मार्च 2014 में 7.4 प्रतिशत से मार्च 2015 में 7.3 प्रतिशत हुआ, जिसके मुख्य कारक हैं - उच्च लागत जमाओं में कमी, बचत जमा में 9.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में समग्र स्तर से ब्याज दरों में नरमी।

तालिका 3: स्प्रेड

मानदंड	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2013-14	वास्तविक	वृद्धि %
औसत कार्यकारी निधियां	361392	328022	33370	10.2
कुल ब्याज आय	32084	29349	2735	9.3
कुल ब्याज व्यय	23640	21470	2170	10.1
शुद्ध ब्याज आय	8444	7879	565	7.2
शुद्ध ब्याज आय (%)	2.3	2.4	-10 bps	-
अग्रिमों पर आय (%)	10.4	10.5	-10 bps	-
जमाओं की लागत (%)	7.3	7.4	-10 bps	-
निधियों पर आय (%)	8.9	9.0	-10 bps	-
निधियों की लागत (%)	6.5	6.5	-	-
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.5	2.6	-10 bps	-

6. कारोबार

तालिका 3: कारोबार वृद्धि (₹ करोड़)



6.1 उत्कृष्ट ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक द्वारा नए ग्राहक बनाने, विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखने के साथ ही साथ मजबूत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की अवधारणा की वजह से बैंक का कुल संमिश्र कारोबार ₹47,620 करोड़ बढ़कर, मार्च 31, 2015 को ₹5,79,627 करोड़ हो गया जो कि मार्च 31, 2014 को ₹5,32,007 करोड़ था। कुल जमाओं

की राशि पिछले वर्ष के ₹2,97,675 करोड़ से 6.4 प्रतिशत बढ़कर मार्च 31, 2015 को ₹3,16,870 करोड़ हो गई है। वर्ष के दौरान, आपके बैंक की कुल जमा में कासा की राशि बढ़कर 29.2 प्रतिशत रही है। इसके साथ ही साथ, आपके बैंक ने उच्च लागत वाली जमाएं, मार्च 31, 2014 के कुल जमाओं के 12.6 प्रतिशत से घटाकर मार्च 31, 2015 को 5.8 प्रतिशत किया है।

- 6.2 वित्तीय वर्ष 2014-15, कृषि एवं संबद्ध गतिविधि क्षेत्र को छोड़कर, बैंकिंग उद्योग में अग्रिम की वृद्धि धीमी रही है, जिससे कई कारक प्रभावित हुए हैं जैसे -निधियों के वैकल्पिक स्रोत, मांग में कमी के कारण जोखिम पर प्रतिकूल असर और बैंक द्वारा अपने तुलनपत्र में सुधार आदि। ऋण संविभाग में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह मार्च 31, 2014 के ₹2,34,332 करोड़ से बढ़कर मार्च 31, 2015 में ₹2,62,757 करोड़ हो गई। बैंक के अग्रिम में यह वृद्धि, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्रों अर्थात् खुदरा, कृषि तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों, जिन्हें हम रेम क्षेत्र के नाम से जानते हैं, में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। मार्च 31, 2015 को हमारे घरेलू अग्रिम में रेम क्षेत्र 48.9 प्रतिशत है जो कि मार्च 31, 2014 में 44.3 प्रतिशत था।

7. लाभांश

- 7.1 बैंक के कुल कार्यनिष्पादन के परिप्रेक्ष्य में और शेयरधारकों को नकद लाभांश से पुरस्कृत करने के उद्देश्य से, भावी प्रगति हेतु स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाये रखने के लिए पूंजी लाभ के भाग के रूप में रखते हुए, निदेशक मंडल ने ₹ 10 के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक ईक्विटी शेयर के लिए ₹ 6 के अन्तिम लाभांश की संस्तुति की है, जो पिछले वर्ष में घोषित ₹ 4 प्रति ईक्विटी शेयर की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। लाभांश भुगतान अनुपात (लाभांश कर को छोड़कर) विगत वर्ष के 14.9 प्रतिशत की तुलना से अधिक 21.4 प्रतिशत आया है।

8. शेयरहोल्डरों को प्रतिफल

- 8.1 आपके बैंक की शुद्ध सम्पत्ति वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, 7.8 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹18,312 करोड़ हो गई है जो पिछले वर्ष ₹16,979 करोड़ थी। इस प्रकार, प्रति शेयर पुस्त मूल्य मार्च 2015 में ₹288.0 हो गया जो मार्च 2014 में ₹269.4 था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ईक्विटी पर प्रतिफल 9.7 प्रतिशत रहा और प्रतिशेयर अर्जन ₹28.1 रहा।

9. क्रेडिट रेटिंग

- 9.1 बैंक की टियर I एवं टियर II पूंजी इंस्ट्रुमेंट्स अंकों के लिए विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा, समय से वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के संबंध में सुरक्षा के लिए उच्चतम डिग्री पर रेटिंग दी गयी है और इन इंस्ट्रुमेंट्स से ऋण जोखिम न्यूनतम होती है।

तालिका 4: रेटिंग				
रेटिंग एजेंसी	शाश्वत बांड	उच्चतर टियर II बांड	न्यूनतम टियर II बांड	टियर II (बेसल III के अनुक्रम में)
क्रिसिल	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA
इकारा	ICRA AA	-	ICRA AA+	-
केयर	CARE AA+	CARE AAA	CARE AAA	-
इंडिया रेटिंग	AA(Ind)	AA(Ind)	AA+(Ind)	-
ब्रिकवर्क	BWR AAA	BWR AAA	BWR AAA	-

- 9.2. क्रेडिट रेटिंग जारीकर्ता अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने बैंक के दीर्घ कालिक क्रेडिट रेटिंग जारीकर्ता को पुनः स्थापित किया है, जो देश की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग ग्रेड के बराबर है। स्टैंडर्ड एंड पूर्स की रेटिंग 'BBB-' है जबकि मूडीज़ द्वारा बैंक की रेटिंग 'Baa3' है। इन रेटिंग से यह ज्ञात होता है कि बैंक के पास अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता है। अप्रैल 2015 में, मूडीस इनवेस्टर्स सर्विसेस ने जहां बैंक की दीर्घकालिक रेटिंग को बरकरार रखा है वहीं बैंक के लिए आउटलुक में परिवर्तन कर 'स्टेबल' से 'पोजिटिव' किया है। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान स्टैंडर्ड एंड पूर्स द्वारा आपके बैंक के आउटलुक में सुधार करते हुए 'निगेटिव' से 'स्टेबल' किया है।

10. पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

- 10.1. बेसल III मानदंडों के अनुसार, मार्च 31, 2015 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.22 प्रतिशत रहा। बैंक की कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी1I) पूंजी मार्च 31, 2015 को बढ़कर 7.24 प्रतिशत हो गई, जो 5.5 प्रतिशत के न्यूनतम नियामक आवश्यकता से काफी अधिक है। मार्च 31, 2015 को, टियर - I, 7.5 प्रतिशत एवं टियर - II, सीएआर 2.72 प्रतिशत रही।

तालिका 5: पूंजी पर्याप्तता अनुपात		
बासेल III		
मानदंड	वित्तवर्ष 2014-15	वित्तवर्ष 2013-14
कुल जोखिम भारित आस्तियां	2,53,162	2,29,207
कुल पूंजीगत निधियां	25,885	24,751
सीईटी 1 पूंजी	18,320	16,465
टियर 1 पूंजी	18,992	17,272
सीआरएआर	10.22%	10.80%
सीईटी 1	7.24%	7.18%
टियर 1	7.50%	7.54%
टियर 2	2.72%	3.26%

- 10.2. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार द्वारा धारित स्थायी गैर संचयी प्रिफरेंशियल शेयरों (पीएनसीपीएस) का रूपांतरण

भारत सरकार द्वारा धारित ₹111 करोड़ के स्थायी गैर संचयी प्रिफरेंशियल शेयरों को स्मांतरित करने के बाद, आपके बैंक ने प्राथमिकता के आधार पर, ₹10 वाले 54,72,563 (चौवन लाख बहत्तर हजार पांच सौ तिरसठ) ईक्विटी शेयर, ₹192.83 के प्रीमियम पर आबंटन किया। इसके परिणामस्वरूप, बैंक में सरकार की शेयर होल्डिंग 60.13 प्रतिशत से बढ़कर 60.47 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, बैंक की अभिदत्त ईक्विटी पूंजी ₹630 करोड़ से बढ़कर ₹636 करोड़ हो गई जबकि ₹105.5 करोड़ शेयर प्रीमियम निधियों में जोड़ा गया है।

11. ब्रांड रेटिंग

- 11.1. ब्रांड रेटिंग एक विश्लेषण है जो यह दर्शाता है कि विभिन्न मानदंडों में किस प्रकार अपने प्रतिस्पर्धी की तुलना में आपका निष्पादन रहा है। विश्व की प्रमुख ब्रांड मूल्यांकन सलाहकार, ब्रांड फाइनेंस पीएलसी के अनुसार

आपके बैंक की ब्रांड वेल्थ में अच्छा सुधार हुआ है। वर्ष 2015 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के बीच, ब्रांड में 34% वृद्धि से 'AA' की रेटिंग के बाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 11वें स्थान पर रखा गया है।

तालिका 6: ब्रांड रेटिंग		
विवरण	2015	2014
ब्रांड रेटिंग (वैश्विक)	274	312
ब्रांड वेल्थ (\$ मिलियन)	430	321
ब्रांड रेटिंग	AA	A+

स्रोत : ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500, फरवरी 2015

12. पुरस्कार एवं उपाधियाँ

- 12.1. वर्ष के दौरान, आपके बैंक को विभिन्न कार्यक्षेत्रों में, विशेषकर मानव संसाधन, डिजिटल बैंकिंग तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में की गयी पहल के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं
- 12.2. बैंक को 'मानव संसाधन उत्कृष्टता' तथा प्रशिक्षण प्रणाली के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड, 'गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड' लगातार चौथी बार प्राप्त हुआ है।
- 12.3. आपके बैंक को भारतीय बैंक संघ के तकनीकी अवार्ड के तहत 'सर्वोत्तम भुगतान पहल' पुरस्कार और 'उन्नत ग्राहक अनुभव' में सर्वोत्तम पहल के लिए संयुक्त विजेता अवार्ड मिला है। 'टेबुलस बैंकिंग' पहल के लिए आईडीसी इनसाइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- 12.4. आई.एम.पी.एस. प्लेटफॉर्म पर अधिकतम संख्या में संयवहारों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच अधिकतम स्ने कार्ड जारी करने के लिए, ए.टी.एम. में वेल्थ एडेड सेवाओं की पहल के लिए बैंक को एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- 12.5. वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, 'वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली द्वारा वैश्विक सम्मेलन' में बैंक को तीन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा स्कॉच कंसलटेंसी द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन संवर्ग में प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है।
- 12.6. बैंक को, चेम्बर ऑफ इंडिया माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस द्वारा आयोजित एमएसएमई बैंकिंग एक्सलेंस अवार्ड - 2014 के तहत 'बड़े बैंकों के लिए सर्वोत्तम एमएसएमई बैंक अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। आपके बैंक ने 'आउटलुक मनी अवार्ड्स 2014' में 'बेस्ट एजुकेशन लोन प्रोवाइडर' का पुरस्कार जीता है।
- 12.7. आपका बैंक राजभाषा के स्तर में हिन्दी के प्रयोग को सक्रियता से बढ़ाता है और इन प्रयासों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड (2013-14 में प्रथम) तथा राष्ट्रपति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

13. निदेशक

- 13.1 वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्न परिवर्तन हुए हैं
- 13.1.1 श्री किशोर खरात को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3

(ए) के अन्तर्गत मार्च 10, 2015 को कार्यपालक निदेशक के रूप में बोर्ड में नामित किया गया जिन्होंने श्री एस.के.जैन का स्थान लिया, जो मई 31, 2014 को अपना कार्यकाल समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो गये थे।

- 13.1.2 श्री मिहिर कुमार, वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक हैं, को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (बी) के अन्तर्गत नवम्बर 25, 2014 को, मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के स्थान पर, गैर पूर्ण कालिक निदेशक नामित किया गया।

- 13.1.3 डॉ.अतुल अग्रवाल, अंशकालिक नॉन-ऑफिशियल निदेशक ने, निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल सितम्बर 21, 2014 को पूरा किया।

- 13.1.4 श्री बी.एन. भट्टाचार्य ने मई 03, 2014 को अधिकारी नामित निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। साथ ही, श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक का त्यागपत्र भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांकित अप्रैल 30, 2014 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

- 13.2 नये निदेशकों का स्वागत करते समय, बोर्ड ने मोहम्मद मुस्तफा, डॉ. अतुल अग्रवाल, श्री बी.एन. भट्टाचार्य एवं श्री एन. शंकर द्वारा दी गयी मूल्यवान सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

14. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

- 14.1 मार्च 31, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को बनाये जाने के संबंध में निदेशकों द्वारा निम्न बातों की पुष्टि की गई:
- 14.1.1 लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है एवं निर्धारित लेखा मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- 14.1.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित लेखा नीति का पूर्ण पालन किया गया है।
- 14.1.3. तार्किक एवं विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमानों का इस प्रकार उपयोग किया गया कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के क्रिया कलापों एवं मार्च 31, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक लाभ सही व उचित रहें..
- 14.1.4 भारत में बैंकों में लागू विधि के प्रावधानों के अनुस्र पर्याप्त लेखा रिकार्ड के रखरखाव में उचित पर्याप्त सावधानी रखी गयी, और
- 14.1.5. निरन्तर प्रक्रिया के अनुसार खाते तैयार किये गये हैं।

15. कार्पोरेट गवर्नेंस :

- 15.1. बैंक का निदेशक मंडल कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में दी गयी है। वर्ष 2014-15 की कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर कोई लेखा परीक्षा परिवर्तन नहीं है।

16. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

- 16.1 आपका बैंक समाज को लिए योगदान के द्वारा, अपनी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए समर्पित है। इस क्षेत्र में आपके बैंक ने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के पहल के विस्तार के लिए 'यूनियन बैंक सोशल

फाउंडेशन ट्रस्ट' का गठन किया है। इस ट्रस्ट के माध्यम से, विभिन्न विकासात्मक कार्यों के द्वारा बैंक जन सशक्तीकरण के कार्य कर रही है।

16.2 कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के दौरान, बैंक द्वारा कई आर्थिक-सामाजिक समस्याओं का निराकरण भी कर रही है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा, बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, कुछ गांवों को चिन्हित कर रही है और उन क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। बैंक ने पूरे देश में 201 ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। प्रत्येक ग्रामीण ज्ञान केन्द्र द्वारा विभिन्न विकास एजेंसियों / सरकारी विभागों के साथ समन्वय कर समग्र विकास में सहायता की जा रही है। इसके अलावा, कृषकों को कृषि के नवीनतम उपायों, तकनीकों, उर्वरकों के सही प्रयोग, कीटनाशकों आदि की जानकारी भी दी जा रही है।

16.3. आपके बैंक ने पूरे देश में 14 ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी) एवं 24 वित्तीय साक्षरता व ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) स्थापित किये हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से वर्ष के दौरान 345 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें 9862 लोग प्रशिक्षित हुए एवं 6172 लाभार्थियों ने अर्थपूर्ण रोजगार स्थापित किया है। आपका बैंक, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिया ग्राम जयनगर में शाखा खोलने वाला पहला बैंक है और यह शाखा पूरी तरह सौर ऊर्जा पर कार्य कर रही है।

16.4 वर्ष 2014.15 के दौरान, बैंक ने दान के रूप में कुल ₹20.6 करोड़ खर्च किया है। इसमें ₹2.6 करोड़ की वह राशि शामिल है, जो जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई है।

17. आभार

17.1. निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग और समर्थन के लिये आभारी है। बोर्ड अपने माननीय शेयरधारकों, ग्राहकों एवं अन्य स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिये स्टाफ-सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से,

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 21.05.2015

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था :

1.1. वर्ष 2014 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था निम्न मुद्रास्फीति और स्थिरता के बीच फंसी रही। उदाहरणार्थ, यूरो जोन को अपस्फीति के जोखिम से निजात दिलाने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने मुद्रा सुलभता के एक अन्य प्रयास के रूप में मार्च 2015 से प्रति माह £ 60 बिलियन की प्रतिभूतियाँ खरीदने की घोषणा की, जो सितंबर 2016 तक जारी रहनी हैं, इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में £ 1.1 ट्रिलियन से अधिक की वृद्धि अनुमानित है। वित्त वर्ष 2014-15 के उत्तरार्ध में विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं की ओर, बैंकों से शैडो बैंकों की ओर तथा सम्पन्नता (ऋण शोधन सक्षमता) से बाजार तरलता की ओर जोखिम के शिफ्ट होने से वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम बढ़ी। तेल तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम गिरने से अवस्फीतिक कारक सुदृढ़ हुए। जून 2014 से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आयी तथा वर्ष के अंत तक गिरकर ये आधे से भी कम अर्थात प्रति बैरल 115 अमरीकी डालर से घटकर 50 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गई। यद्यपि कि इससे तेल तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने वाले देशों को लाभ मिला, किंतु दूसरी ओर इससे कुछ निर्यातक देशों तथा तेल क्षेत्र में वित्तीय जोखिम में बढ़त हुई। परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति की अपेक्षाओं तथा दीर्घ कालिक बांड से प्राप्त आय में गिरावट आई। इस बीच, 2015 के अंत में अमरीकी नीतिगत दरों के बढ़ने की प्रत्याशा में अमरीकी डॉलर तेजी से मजबूत हुआ है। उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाएं इन वैश्विक प्रतिकूल प्रवृत्तियों से प्रभावित हुई हैं तथा उनको अपेक्षाकृत अधिक जोखिम का सामना करना पड़ा है; क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बड़ी मात्रा में उधार लेने वाली कंपनियों के तुलन-पत्र पर इनसे दबाव बढ़ा है।

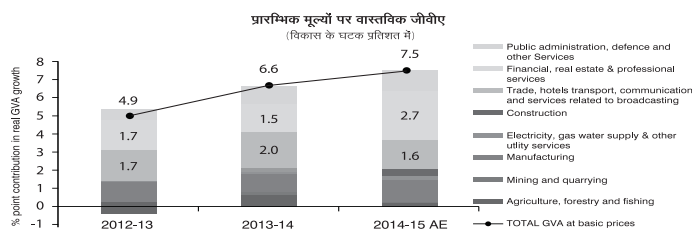
1.2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) के नवीनतम प्रकाशन में वर्ष 2015 तथा 2016 के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास की दर क्रमशः 3.5 प्रतिशत तथा 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। ऐसा चीन, रूस, यूरो क्षेत्र, जापान तथा तेल के दामों में हुई कमी के कारण कुछ बड़े तेल-निर्यातक देशों में आर्थिक गतिविधियां कमजोर रहने के कारण है। संयुक्त राज्य अमरीका ही अकेली ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने विकास के अनुमानों को बढ़ाया है। यूएस फेडरल रिजर्व का अनुमान है कि आने वाली तिमाहियों में वास्तविक गतिविधियों का विस्तार उनकी संभावनाओं से अधिक व्यापक होगा, जिसके कारण रोजगार की दर में बढ़ोत्तरी तथा बेरोजगारी की दरों में कमी आयेगी।

2. घरेलू अर्थव्यवस्था

2.1 भारत, 2.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ पिछले वर्ष की अपनी स्थिति से बिल्कुल अलग रूप में खड़ा है। विकास दर बढ़ रही है, राजकोषीय एवं चालू खाता संतुलित हैं, विनिमय दरें स्थिर हैं तथा सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्रास्फीति घटकर लगभग स्थिरता की स्थिति में आ गई है।

2.2 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा नये आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार जारी जीडीपी के अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक जीडीपी की विकास दर (बाजार मूल्यों पर) 6.9 प्रतिशत रही, जो पूर्व आधार वर्ष 2004-05 पर आधारित अनुमान के अनुसार 5.0 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त सीएसओ ने फरवरी 2015 में जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2014-15 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.4 प्रतिशत होने की आशा व्यक्त की है।

चार्ट 4 - सकल घरेलू उत्पाद में वर्गवार योगदान

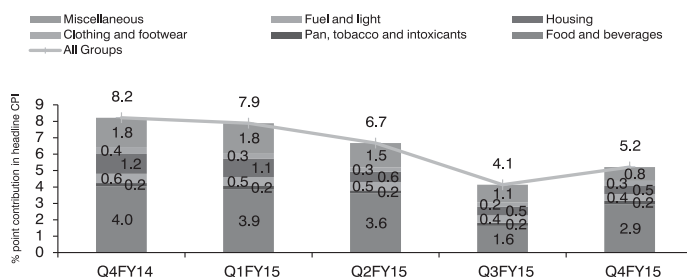


जी वी ए- ग्रास वैल्यू एडेड

2.3. मुद्रास्फीति

अर्थव्यवस्था में मांग की कमजोर स्थिति, मुद्रा के स्थिरीकरण, उपभोक्ता वस्तुओं (विशेषकर कच्चे माल) के दामों में कमी, ग्रामीण मजदूरी एवं खाद्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में धीमी वृद्धि तथा खाद्य संवितरण के बेहतर प्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था पर अवस्फीति के कारकों का दबाव पड़ा है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अप्रैल- मार्च, 2014-15 में (-)2.3 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.00 प्रतिशत थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा स्तर की मुद्रास्फीति मार्च 2014 के 8.2 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2015 में 5.2 प्रतिशत रही। खाद्य एवं इंधन मदों को छोड़कर अर्थात कोर सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च 2015 में 4.1 प्रतिशत रही, जो मार्च 2014 में 8.0 प्रतिशत थी।

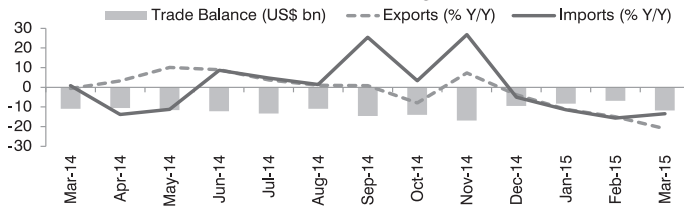
चार्ट 5 - सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान



2.4. बाहरी क्षेत्र:

2.4.1 वर्ष 2014-15 के दौरान भारत का व्यापारिक माल का निर्यात 310.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 प्रतिशत कम है; जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान आयात 447.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.7 प्रतिशत कम है। इस प्रकार वर्ष 2014-15 के दौरान व्यापारिक घाटा 137.0 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा, जो वर्ष 2013-14 के व्यापारिक घाटे 135.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है। निर्यात की मात्रा के अधिक होने के बावजूद कमजोर बाहरी मांग की स्थितियों के बीच निर्यातकों द्वारा दामों की वसूली में कमी आई। वास्तविक अर्थों में भारतीय रुपये के मजबूत होने के साथ उन निर्यातकों के निर्यात मार्जिन दबाव में रहे, जिनके पास पर्याप्त आयात नहीं था।

चार्ट-6- व्यापारिक वृद्धि

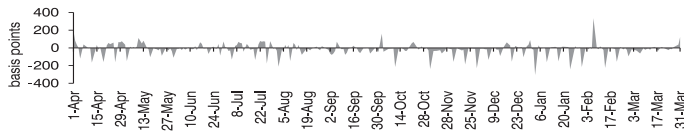


2.4.2. भारत के आयात संबंधी फॉरेक्स कवर के 9 माह से अधिक होने तथा चालू खाते का घाटा जीडीपी के 2 प्रतिशत से नीचे रहने के कारण भारतीय मुद्रा अपेक्षाकृत अधिक स्थिर हुई है. वर्ष 2014-15 के अंत में रुपया 4.1 प्रतिशत की वार्षिक हानि के साथ 62.6/ प्रति अमरीकी डॉलर के मूल्य पर रहा, जबकि यह नुकसान वर्ष 2013-14 के दौरान 10.5 प्रतिशत था. फिर भी, वास्तविक अर्थों में रुपया व्यापारिक पक्षों के सापेक्ष मुद्रास्फीतिक अंतरों के कारण मार्च 2014 के अपने स्तर से अपेक्षाकृत सुदृढ़ हुआ.

2.5. तरलता संबंधी स्थितियाँ:

ढाँचागत तथा मौसमी घटकों एवं बैंकों के जमा संग्रहण से ऋण वितरण को गति मिलने के कारण अक्टूबर 2014 से मुद्रा बाजार में तरलता की स्थिति में सुधार हुआ. सरकारी व्ययों/ अंतरणों ने भी बाजार की तरलता के सुधार में योगदान दिया. नीतिगत रेपो दरों में दो बार हुई कटौती के साथ मौद्रिक नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष 2014-15 की अंतिम तिमाही में ब्याज दरों में और कमी आई. इसका प्रभाव, अंतिम तिमाही में भारत औसत कॉल दरों के रेपो दरों के आस-पास बने रहने के रूप में दिखाई दिया.

चार्ट-7: रेपो दर पर कॉल रेट का स्प्रेड



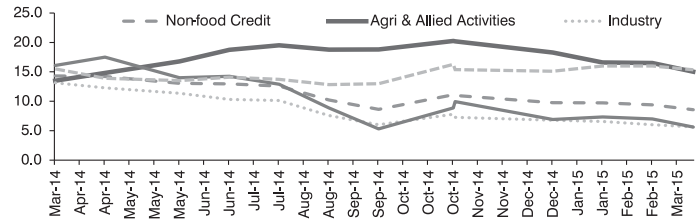
2.6. बैंकिंग समग्र :

2.6.1 20 मार्च 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमाराशियों तथा अग्रिमों में क्रमशः 11.4 प्रतिशत तथा 9.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई.सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश 13.2 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा. इन बैंकों का अग्रिम-जमा अनुपात 76.5 प्रतिशत रहा.

2.6.2 2014-15 की अवधि के दौरान गैर-खाद्य बैंक अग्रिम 8.6 प्रतिशत बढ़ा, जो पिछले वर्ष की इस अवधि में 14.3 प्रतिशत बढ़ा था. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित अग्रिमों में वर्ष 2013-14 के दौरान हुई 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान 15.0 प्रतिशत की वृद्धि रही. उद्योगों को दिये गये अग्रिमों में वर्ष 2013-14 के 13.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम अर्थात केवल 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई. निर्माण को छोड़कर उद्योग क्षेत्र के सभी प्रमुख उप-क्षेत्रों के अग्रिमों में गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली. सेवा क्षेत्र के अग्रिमों में वर्ष 2013-14 के दौरान हुई 16.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष के दौरान केवल 5.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई तथा इसमें भी लगभग सभी उपक्षेत्रों में गिरावट नोट की गई. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्तीयन में वर्ष 2013-14 के 13.2 प्रतिशत की तुलना में केवल 6.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई. वैयक्तिक

ऋणों में पिछले वर्ष हुई 15.5 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष चालू वर्ष में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

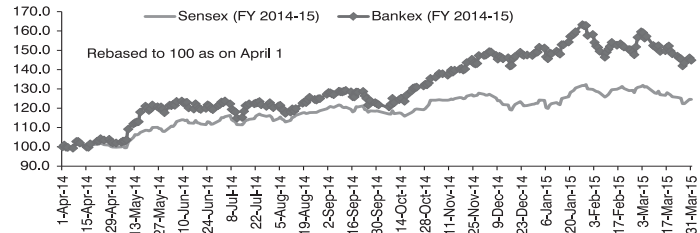
चार्ट 8: बैंक अग्रिमों का क्षेत्रवार विनियोजन



2.7. बाजार

2.7.1. भारतीय बाजार में बहुत बड़ी उछाल आई तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बेंचमार्क सेंसेक्स में 24.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जो वित्तीय वर्ष 2009-10 से लेकर अब तक की सर्वाधिक बढ़ोत्तरी है, जबकि निफ्टी भी 26.7 प्रतिशत बढ़ा. इस बीच बैंकिंग क्षेत्र के सूचकांक- बैंकेक्स में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 43.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. यदि मार्च 2015 में हुई हानि पर ध्यान न दें,तो भारतीय इक्विटी भी सुदृढ़ हो गई है. मूलभूत तथा अंतर्देशीय उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों के सापेक्ष भारतीय सूचकांक, मुख्यतः आकर्षक मूल्यांकनों के साथ विश्व भर में बेहतर कार्यनिष्पादन के रूप में जाने गये. अमरीकी ब्याज दर चक्र की अनुमानित विपरीत गति के सापेक्ष पूर्व के भयों के कारण उत्पन्न निराशाजनक स्थिति, यूनान की अनिश्चितता तथा यूक्रेन एवं मध्य-पूर्व के भौगोलिक-राजनैतिक संकटों के कारण जनवरी-मार्च 2015 के दौरान इन लाभों में कुछ कमी आई.

चार्ट-9: बाजार कार्यनिष्पादन



वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक का कार्यनिष्पादन

3. कार्यनिष्पादन दर्शन के रूप में एचडीआर फ्रेमवर्क:-

आपका बैंक विकास के अगले पायदान के लिए तीन स्तंभों पर विश्वास करता है.ये स्तंभ हैं एचडीआर- मानव संसाधन, डिजिटल बैंकिंग एवं जोखिम प्रबंधन. एचडीआर न केवल उत्कृष्ट ग्राहक सेवा की नींव मजबूत करेगा, बल्कि अच्छे नियोजक के ब्रांड की छवि को भी सुदृढ़ बनायेगा.

3.1. **मानव संसाधन-** पहला स्तंभ बैंक परिचालनों में कार्यरत हमारे स्टाफ को सशक्त बनाने से संबंधित है. आपका बैंक ऐसी प्रणालियों को मजबूत बनायेगा, जिनसे समूचे बैंक में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों के कौशल और अंतर्दृष्टि का सही उपयोग हो सकेगा. इससे नये विचार आयेंगे तथा उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण में सहायता मिलेगी. आपका बैंक अपने कर्मचारियों के कौशल को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये इस प्रकार प्रशिक्षण में निवेश करेगा, जो प्रासंगिक, प्रभावी तथा परिणामोन्मुख हो. बैंक, कार्यनिष्पादन प्रबंधन सिस्टम को और अधिक मजबूत बनायेगा, जो अच्छे कार्य-निष्पादन को रेखांकित करने में सक्षम

होगा तथा कर्मचारियों के करियर को आगे बढ़ाने हेतु अवसरों का निर्माण करेगा, प्रोत्साहन देगा और बेहतर नियोजन देगा।

3.2. **डिजिटल तकनीक का विस्तार-** आज ग्राहकों को किये जाने वाले भुगतानों का एक बड़ा भाग ई-सैवी बैंकों द्वारा ही संपादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी बैंक द्वारा किये गये संव्यवहारों की संख्या, जमाराशियों में उसके बाजार अंश का निर्धारण करेगी। इसी सोच के तहत, बैंक स्वचालित रूप से संपादित होने वाले संव्यवहारों को, जो मोबाइल तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से स्वयमेव संपादित होते हैं, पर जोर देगा। तकनीकी इंटरफेस के बेहतर उपयोग से शाखाएं स्वयं को बिक्री-केंद्रों के रूप में बेहतर रूप से जान सकेंगी।

3.3. **जोखिम प्रबंधन-** बैंक में जोखिम प्रबंधन से संबंधित सुदृढ़ परंपरा है, जिसे और भी मजबूत बनाया जायेगा। आपका बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित अपने दृष्टिकोण को तकनीक की सहायता से और सुदृढ़ बनायेगा, जिसमें ऋण-प्रवर्तन, अभिगोपन, केवाईसी तथा एएमएल दिशानिर्देशों के संकलन एवं अनुश्रवण सहित बैंकिंग के लगभग सभी पहलू शामिल होंगे। इससे हमारे सभी उत्पादों तथा सेवाओं पर जोखिम के संबंध में ध्यान केंद्रित होगा और हम अपनी गतिविधियों के दौरान किसी प्रकार के जोखिम की संभावना से बचे रहेंगे।

4. संसाधन प्रबंधन

4.1. बैंक की वैश्विक जमाराशियां 31 मार्च, 2014 के ₹ 2,97,676 करोड़ की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2015 को ₹ 3,16,870 करोड़ हो गईं। इस प्रकार यह वृद्धि ₹ 19,194 करोड़ की रही। कासा संविभाग 31 मार्च, 2014 के ₹ 87,801 करोड़ की तुलना में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2015 को ₹ 92,651 करोड़ रहा। कुल जमाराशियों में कासा का शेयर 29.2 प्रतिशत रहा।

4.2. जमाराशियों में समग्र वृद्धि की तुलना में बचत बैंक जमाराशियों में वृद्धि अधिक रही। बैंक की बचत बैंक जमाराशियाँ 31 मार्च, 2014 के ₹ 65098 करोड़ से 9.9 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2015 को ₹ 71558 करोड़ हो गईं।

सारणी 7: संसाधन संग्रहण				
(₹ करोड़ में)				
पैरामीटर	वि. व. 2015	वि. व. 2014	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
कुल जमाराशियाँ	316870	297676	19194	6.5
कासा जमाराशियाँ	92650	87801	4849	5.5
-बचत बैंक जमाराशियाँ	71558	65098	6460	9.9
सावधि जमाराशियाँ	224220	209875	14345	6.8

4.3 बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान 113 लाख नये कासा खाते खोले। साथ ही, अपने वर्तमान ग्राहकों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बैंक ने 13 लाख निक्रिय खातों को सक्रिय किया।

4.4 ग्राहक-सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान टेबुलस बैंकिंग की शुरुआत की। यह टेबलेट आधारित लेखा प्रणाली है, जिसमें खाता खोलने के लिए बैंक का स्टाफ व्यक्ति के पास स्वयं जाता है। बैंक ने वर्ष के दौरान टेबलेट बैंकिंग के द्वारा 35000 खाते खोले, जो वर्तमान में देश के 9 शहरों में सक्रिय हैं।

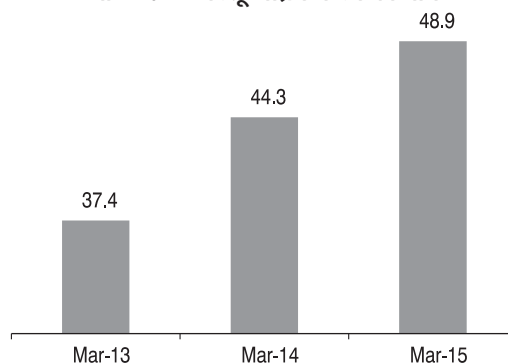
4.5 वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक उच्च लागत जमाराशियों में कमी लाने में भी सफल रहा। मार्च 2015 के अंत तक कुल जमाराशियों में उच्च लागत वाली जमाराशियों का प्रतिशत 5.8 रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 12.6 प्रतिशत था।

5. अग्रिम प्रबंधन:

5.1. बैंक का सकल अग्रिम, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 12.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2015 को ₹ 2,62,757 करोड़ हो गया। खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र, जिसे रैम के नाम से जानते हैं, की ओर बैंक ने अपना ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में स्थिर और निरंतर वृद्धि के साथ साथ रोजगार, निर्यात और समग्र वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। 31 मार्च, 2015 को घरेलू अग्रिम में इन क्षेत्रों का योगदान 48.9 प्रतिशत रहा, जो 31 मार्च, 2014 के 44.3 प्रतिशत से अधिक है।

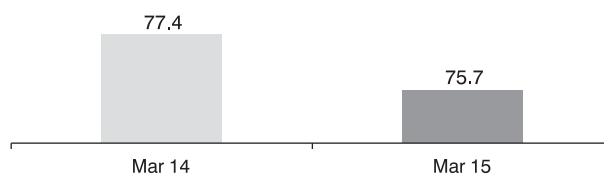
सारणी 8: अग्रिम				
(₹ करोड़ में)				
पैरामीटर	वि. व. 2015	वि. व. 2014	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
सकल अग्रिम	262757	234332	28425	12.1
खुदरा अग्रिम	31658	24931	6727	27.0
कृषि अग्रिम	31574	25614	5960	23.3
एमएसएमई अग्रिम	54755	45372	9383	20.7
रैम क्षेत्र	117987	95917	22070	23.0

चार्ट-10 - घरेलू अग्रिम में रैम का भाग



5.2. एमएसएमई (सरल) तथा खुदरा ऋणों (यूएलपी) के लिए केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र खोले गये हैं। इनके साथ ही साख सूचना रिपोर्टों के उपयोग ने बैंक की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, रैम क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने से विविधीकृत जोखिम के कारण कम हो जाता है। अतः इस क्षेत्र के ऋणों में जोखिम भार कम होने के कारण पूँजी के संरक्षण में भी सहायता मिली है। अतः बैंक के सकल अग्रिमों में जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (आर डब्ल्यू ए) घटकर मार्च 2015 में 75.7 प्रतिशत हो गया, जो कि मार्च 2014 में 77.4 प्रतिशत था। इससे पूँजी की खपत कम हुई। रैम क्षेत्र पर ध्यान के संकेंद्रण से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण वितरण लक्ष्य को पूरा करने में भी सुविधा हुई है।

चार्ट-11 - सकल अग्रिमों तथा जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (आरडब्ल्यूए)

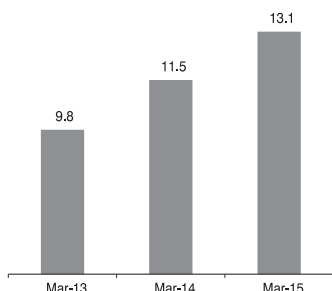


6. खुदरा अग्रिम:

- 6.1. बैंक का खुदरा अग्रिम 27.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2014 के ₹ 24931 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2015 को ₹ 31658 करोड़ हो गया। घरेलू अग्रिमों में खुदरा ऋण का हिस्सा 31 मार्च, 2014 के 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2015 को 13.1 प्रतिशत हो गया। खुदरा ऋण संविभाग का और अधिक विविधीकरण हुआ, जिससे कुल खुदरा ऋणों में आवास ऋण का भाग मार्च 2014 के 61.9 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2015 में 59.3 प्रतिशत हो गया है। खुदरा संविभाग के जिस क्षेत्र की ओर झुकाव बढ़ा है, वह बंधक ऋण (मॉर्टेज लोन) है, जो सुरक्षित तथा अपेक्षाकृत अधिक आय प्रदान करने वाला क्षेत्र है।

सारणी 9 : खुदरा ऋण				
(₹ करोड़ में)				
योजनाएं	वि. व 2015	वि. व 2014	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
आवास ऋण	18783	15424	3359	21.8
ऑटो ऋण	2642	2199	443	20.1
शिक्षा ऋण	2482	2219	262	11.8
मॉर्टेज ऋण	5390	3732	1658	44.4
अन्य	2361	1357	1003	73.9
कुल खुदरा ऋण	31658	24932	6726	27.0

चार्ट-12 - घरेलू अग्रिमों के सापेक्ष खुदरा अग्रिमों का प्रतिशत



यूनियन आवास योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा स्मार्ट सेव योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में उधारकर्ता को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह आवास ऋण खाते में अतिरिक्त जमा की गई राशि किसी भी समय निकाल सके। इससे खाते में अधिक राशि रखने वाले ऋणी खाते में ब्याज कम लगने से बचत का लाभ भी उठा सकते हैं तथा तरलता भी बनी रहती है।

7. कृषि

- 7.1. कृषि क्षेत्र ऋण, बैंक के लिए एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। कृषि अग्रिमों पर जोर देने के कारण वर्ष के दौरान कृषि अग्रिमों में 23.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 5960 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। 31 मार्च, 2015 को बैंक का कृषि अग्रिम ₹ 31574 करोड़ रहा, जिसके तहत 21.7 लाख उधारकर्ताओं को कवर किया गया। प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में 26.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई, जो बैंक के एएनबीसी का 11.9 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2014-15

के दौरान विशेष कृषि ऋण योजना के तहत कुल ₹ 18990 करोड़ का संवितरण किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 2.9 लाख नये किसानों को बैंक से ऋण प्रदान किया गया तथा 2.6 लाख अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड आबंटित करते हुये ₹ 3481 करोड़ के ऋण आबंटित किये गये। 31 मार्च 2015 तक 4.23 लाख पात्र किसानों में से 86.3 प्रतिशत अर्थात् 3.7 लाख किसानों को एटीएम युक्त किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये।

8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम:

- 8.1. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने एमएसएमई के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की और ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गये उत्पादों के लिए इस क्षेत्र के ग्राहकों को निर्धारित समय में बिना परेशानी के, उचित दर पर ऋण प्रदान किया। एमएसएमई ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बैंक का देशभर में बड़ा नेटवर्क है। इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए आपके बैंक के पास एमएसएमई ऋण प्रदान करने हेतु 700 समर्पित कारोबार बैंकिंग शाखाएं (बीबीबी) हैं और एमएसएमई ऋणों के शीघ्र मूल्यांकन और मंजूरी हेतु 20 सरल (केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र) हैं। ये कारोबार बैंकिंग शाखाएं और सरल देश के एमएसएमई कारोबार की दृष्टि से संभावना वाले केन्द्रों में स्थापित किए गये हैं, ताकि एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों में तेजी आए और ऋणों की मंजूरी पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। परिणामस्वरूप बैंक का एमएसएमई संविभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर 20.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 54,755 करोड़ हो गया। बैंक के घरेलू अग्रिमों में एमएसएमई का हिस्सा 23.1 प्रतिशत रहा।
- 8.2. कुल एमएसएमई संविभाग का 73.10 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्यम का है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आपके बैंक ने सूक्ष्म उद्यमों के खातों को कैनवास करने हेतु पिछले वर्ष देश की सभी शाखाओं में बड़े ऋण अभियानों का भी आयोजन किया। 31 मार्च 2015 को एमएसएमई संविभाग ₹ 40031 करोड़ रहा, जो 22.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- 8.3. आपके बैंक द्वारा एमएसएमई को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से उपर्युक्त अवधि में सिरैमिक/ विट्रोफाइड टाइल्स(राजकोट), फुटवियर निर्माता(कोडीकोड), वाणिज्यिक व्यापारियों (बीजापुर), कपास/ मूंगफली व्यापारियों/ प्रोसेसर (राजकोट) तथा गेहूं की आटा मिलों (चंडीगढ़) नामक पांच क्लस्टर विशेष योजनाएं प्रारंभ की गईं। इस प्रकार बैंक वर्तमान में एमएसएमई ग्राहकों को 43 ग्राहक- संकेंद्रित योजनाएं उपलब्ध करा रहा है।
- ## 9. कार्पोरेट अग्रिम
- 9.1. आपके बैंक ने बड़े पैमाने की सेवाओं तथा विनिर्माण उद्योगों को निरंतर सहयोग दिया है; क्योंकि राष्ट्र-निर्माण में इनकी अलग भूमिका होती है। तथापि, एमएसएमई के विपरीत, लार्ज कॉरपोरेट की अपनी अलग आवश्यकताएं होती हैं, जिनको ध्यान में रखकर बैंक ने अलग से लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल बनाया है, जिसके अंतर्गत देशभर में कुल 9 विशिष्ट शाखाएं हैं, जो इससे संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इन शाखाओं को औद्योगिक वित्त शाखाएं कहा जाता है।
- 9.2. तथापि, चूँकि लार्ज कार्पोरेट्स के लिए निर्धारित सीमा ₹ 200 करोड़ से अधिक है, अतः देश भर की अन्य शाखाओं से प्राप्त आधारभूत संरचना से संबंधित प्रस्ताव, उनके समूह खाते सहित, चाहे वे एक या एकाधिक खातों से संबंधित हों, को लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल द्वारा ही प्रसंस्कृत किया जाता है।

सारणी 10: मध्यम एवं लार्ज कार्पोरेट अग्रिम				
(₹ करोड़ में)				
विवरण	वि. व 2015	वि. व 2014	वृद्धि	
			वास्तविक	%
मध्यम एवं लार्ज कार्पोरेट अग्रिम	120471	116175	4296	3.7
जिसमें आईएफबी के अग्रिम	78719	73496	5223	7.1

10. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

- 10.1. बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न लक्ष्यों को तदनुसार महत्व देने के लिये पहले की भाँति ही प्रतिबद्ध है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम 9.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2015 को ₹ 87387 करोड़ हो गये, जो बैंक के समायोजित शुद्ध अग्रिमों(एएनबीसी) का 40.00 प्रतिशत है।

सारणी 11 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम*				
(₹ करोड़ में)				
योजनायें	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2014	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	%
समायोजित शुद्ध बैंक अग्रिम (ए एन बी सी)	218562	197646	20916	10.6
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	87387	79869	7518	9.4
ए एन बी सी में उपर्युक्त का %	40.0	40.4	-40 बीपीएस	
कृषि	35175	28769	6406	22.3
ए एन बी सी में उपर्युक्त का %	16.1	14.6	153 बीपीएस	
प्रत्यक्ष कृषि	25340	19875	5465	27.5
ए एन बी सी में उपर्युक्त का %	11.6	10.1	153 बीपीएस	

*आरआईडीएफ रकम सहित

10.2. विशिष्ट क्षेत्रों को अग्रिम

- 10.2.1 **महिला लाभार्थी-** महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए बैंक, महिलाओं को ऋण प्रदान कर रहा है। बैंक ने 31, मार्च, 2015 तक 9.3 लाख महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की तथा महिला लाभार्थियों को बकाया ऋण ₹ 11657 करोड़ से बढ़कर ₹ 14262 करोड़ हो गया, जो भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एएनबीसी के 5 के प्रतिशत के बेंचमार्क के सापेक्ष 6.5 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में संलग्न महिला उद्यमियों हेतु 'यूनियन नारी शक्ति' नामक नई योजना प्रारम्भ की है। इस योजना में कम ब्याज पर एमएसई ऋण दिये जाते हैं, जिनमें प्रोसेसिंग शुल्क शून्य है तथा ₹ 1.00 करोड़ तक के अग्रिम पर कोई कोलैटरल भी नहीं है।

- 10.2.2 **अल्पसंख्यक समुदाय :** अल्प संख्यकों के कल्याण के भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों, जैसे सिक्ख, मुस्लिम, इसाई, जोरोस्ट्रीयन, बौद्ध तथा जैन आदि को वित्त पोषण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने अल्प संख्यक समुदाय के ऋणियों को ₹ 2202 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे अग्रिमों की इस मद में 26.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को कुल बकाया ऋण ₹ 10482 करोड़ हो गया।

- 10.2.3. **कमजोर वर्ग :** बैंक, समाज के कमजोर वर्गों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। कमजोर वर्ग को बैंक वित्त की राशि 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 20334 करोड़ से बढ़कर ₹ 23069 करोड़ हो गयी है, जो एएनबीसी के 10.6 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत के बेंचमार्क से अधिक है।

10.3. स्वयं सहायता समूह :

- 10.3.1. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सूक्ष्म वित्त की योजना, गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा उनकी साख को बनाने का एक प्रभावी साधन है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 40111 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा 27485 स्वयं सहायता समूहों को ऋण संबद्ध किया गया। 31 मार्च, 2015 को स्वयं सहायता समूहों की बकाया राशि ₹ 1707 करोड़ रही।

- 10.3.2. महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा उनको वित्त प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार महिला सशक्तीकरण के लिए बैंक द्वारा देश के 4 जिलों-रीवा, सीधी, चंदौली तथा जौनपुर में महिला स्वयं सहायता समूह योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

- 10.3.3. बैंक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) योजना के अधीन 150 जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज अनुदान योजना भी चलाई जा रही है।

10.4. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरसेटी)

- 10.4.1. ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या के निदान की दृष्टि से बैंक ने उन 14 जिलों में आरसेटी की स्थापना की है, जहां यह अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान इन आरसेटी ने 345 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 9862 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से 6172 व्यक्ति लाभकारी कारोबार कर रहे हैं। इस प्रकार सेटलमेंट दर 62.6 प्रतिशत है।

- 10.4.2. कुल 14 आर-सेटी में से 10 आर-सेटी को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान 'एए' ग्रेड तथा 4 आर-सेटी को 'एबी' ग्रेड प्रदान किया गया है।

10.5. अग्रणी बैंक योजना:

- 10.5.1. आपका बैंक 4 राज्यों में फैले 14 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है।

तालिका 12 : अग्रणी जिला योजना के तहत स्थिति		
क्रमांक	राज्य	जिले
1	बिहार	खगड़िया, समस्तीपुर
2	केरल	एर्णाकुलम, इडुक्की
3	मध्य प्रदेश	रीवा, सीधी एवं सिंगरौली
4	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, वाराणसी

- 10.5.2. इन अग्रणी जिलों में बैंक की 634 शाखाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इन जिलों में बैंक की जमाराशियां बढ़कर ₹ 31126 करोड़ तथा अग्रिम ₹ 10760 करोड़ हो गयी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में जमाराशियां ₹ 25977 करोड़ तथा अग्रिम ₹ 8914 करोड़ रहे।

11. वित्तीय समावेशन

- 11.1. बैंक ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में लगातार और स्थाई प्रगति की है। बैंक के पास ₹ 1235.4 करोड़ की राशि के 231.6 लाख वित्तीय समावेशन के खाते (बीसी मॉडल शाखा विहीन खातों को मिलाकर) हैं। इनमें से 45.9 लाख खाते प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान खोले गये हैं। प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत आपके बैंक को 5407 ग्रामीण उप-सेवा क्षेत्र (एसएसए) आवंटित किये गये थे, जिनमें कुल 18396 गाँव शामिल हैं।

सारणी 13: प्रधान-मंत्री जन-धन-योजना (PMJDY) के अंतर्गत प्रगति	
पैरामीटर	बैंक की उपलब्धि
कवर किये गये गाँवों की संख्या	18396
उप-सेवा क्षेत्र	5407
शहरी वार्ड	2581
31 मार्च 2015 तक खोले गये खातों की संख्या	46 लाख
जमाराशियाँ	₹ 348 करोड़
जारी किये गये रुपये कार्ड	45 लाख
आधार सीडिंग	12 लाख

11.2. सूक्ष्म ऋण

- 11.2.1. बीसी मॉडल तथा जेएलजी/ एसएचजी के अंतर्गत बैंक द्वारा ₹ 1956.7 करोड़ के सूक्ष्म ऋण बांटे गये हैं। मार्च 2015 को सूक्ष्म ऋणों की बकाया राशि ₹ 971.8 करोड़ रही।

- 11.2.2. बी सी मॉडल के तहत बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूहों को वित्तीय सहायता हेतु दो उत्पाद प्रारंभ किये गये हैं, जो बिना अतिदेय के/ नाममात्र के अतिदेय के साथ सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

ए) **श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (एसकेडीआरडीपी), स्वयं सहायता समूह:-** श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (एसकेडीआरडीपी) के अंतर्गत 70,905 समूहों को कुल ₹ 1344.47 करोड़ का संवितरण किया गया है। मार्च 2015 को उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत ₹ 816.8 करोड़ की बकाया राशि थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई अतिदेय नहीं था, जो इन खातों में 100 प्रतिशत वसूली की ओर संकेत करता है।

ब) **प्रगति (महिला संयुक्त देयता समूह):** यह योजना फीनों के सहयोग से परिचालित की जा रही है। बैंक द्वारा ₹ 651.2 करोड़ के ऋण 1,03,122 महिला जेएलजी को संवितरित किये गये हैं, जिनमें 31 मार्च 2015 को ₹ 155.0 करोड़ बकाया था, जिसमें से ₹ 0.4 करोड़ अतिदेय था। फीनों के द्वारा 99 प्रतिशत वसूली का आश्वासन दिया जाता है।

11.3. सूक्ष्म विप्रेषण

- 11.3.1. सूक्ष्म ऋण परियोजना के अंतर्गत बैंक द्वारा 15.80 लाख खाते बायोमेट्रिक कार्ड तथा मोबाइल प्लेटफॉर्म पर खोले गये हैं। मार्च 2015 की अवधि के दौरान बैंक द्वारा ₹ 26.08 करोड़ की राशि के कुल 1.60 लाख विप्रेषण संव्यवहार किये गये।

11.4. एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल):

- 11.4.1. भारत सरकार द्वारा पूरे देश में एलपीजी लाभार्थियों के खातों में अनुदान की राशि सीधे जमा किया जाना लागू किया गया है। यह योजना हमारे

अग्रणी जिलों - केरल के एर्णाकुलम तथा इडुक्की में 01 सितम्बर, 2013 से तथा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 01 जनवरी, 2014 से लागू की गई है। 15 नवंबर 2014 से सरकार ने 54 नये जिलों में तथा 01 जनवरी 2015 से पूरे देश में गैस सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा कराना शुरू कर दिया है।

11.5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

- 11.5.1. प्रथम चरण के तहत 43 जिलों में दिनांक 01 जनवरी, 2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लागू किया गया था और दिनांक 01 जुलाई, 2013 से इसे 78 अतिरिक्त जिलों में बढ़ाया गया। इनमें से 113 जिलों में आपके बैंक की उपस्थिति है। डीबीटीएल तथा डीबीटी संव्यवहारों की स्थिति निम्नानुसार है।

सारणी 14: डी बी टी तथा डी बी टी एल की स्थिति						
अवधि	यूनियन बैंक की शाखाओं द्वारा किये गये संव्यवहार			अन्य बैंकों से प्राप्त धनराशि		
	प्रायोजक बैंक के रूप में प्राप्त कुल रिकार्ड	राशि लाख रुपये में	सफलता रिकार्ड	राशि लाख रुपये में	लक्ष्य बैंक के रूप में प्राप्त रिकार्ड	राशि लाख रुपये में
वि. व. 2014-2015	18,133	387.38	15,106	307.36	4707045	16,348.27

11.6. वित्तीय साक्षरता पहल :

- 11.6.1. बैंक ने अब तक 26 वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) खोले हैं। बैंक के सभी 14 अग्रणी जिलों में तथा केरल राज्य के अन्य जिलों में इन एफएलसीसी द्वारा 40113 व्यक्तियों को परामर्श दी गई तथा 2168 ग्रामीण शिविरों का आयोजन वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिये किया गया। 17589 लोगों ने इस परामर्श के बाद बैंक में खाते खोले हैं।

- 11.6.2. वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन, प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खोलने, एनपीए खातों में वसूली करने तथा सामान्य नये खाते खोलने के लिये ग्रामीण शाखाओं में गुरुवार को गैर-कार्य दिवस मनाया गया।

- 11.6.3. इस दिशा में बैंक द्वारा 1 जनवरी 2015 को एक अनूठा प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय महिला सूक्ष्म वित्तीय विद्यालय (आईएसएमएफडब्ल्यू) के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 60 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बैंक द्वारा 15000 प्रतिभागियों, जिनमें 80 प्रतिशत महिलायें थीं, को वित्तीय साक्षरता प्रदान की गई तथा प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत लिंकेज, लाभ, अधिकार आदि से संबंधित जानकारी दी गई। प्रत्येक शिविर में लगभग 250-300 महिलायें थीं और इन शिविरों की अवधि 4 घंटे की थी। प्रशिक्षण तथा प्रतिभागिता हेतु अपनाये गये उपकरणों में फिल्में, नाटक, वीडियो, पोस्टर सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न आदि शामिल थे। प्रतिभागियों को कुछ हैंड आउट भी दिये गये।

11.7. यूनियन आदर्श ग्राम योजना :

- 11.7.1. यूनियन आदर्श ग्राम योजना के तहत पूरे देश में 210 गांवों को उनके संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अंगीकृत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य हमारी ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी शाखाओं के कमांड एरिया में आने वाले पिछड़े गांवों को अंगीकृत करना एवं इन गांवों का समेकित विकास कर जिले में मॉडल गांव बनाना है। बैंक की सहभागिता

के माध्यम से केन्द्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारी निकायों के विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इन गतिविधियों में प्रत्येक यूएजी में पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक समुदाय/ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की 5 जरूरतमंद तथा होनहार लड़कियों को अंगीकृत कर 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, सभी ग्रामवासियों को पीने के पानी तथा सफाई की सुविधा उपलब्ध कराना, गांवों को शत प्रतिशत बैंकिंग व्यवहार वाले गांवों के रूप में विकसित करना तथा सभी घरों का बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज के जरिये वित्तीय समावेशन, शौचालयों की व्यवस्था, स्कूलों में वॉटर फिल्टर व विद्युत पंखे तथा बस स्टॉप पर शेड व बैठने की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

11.8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी):

11.8.1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी) वाराणसी को प्रायोजित किया गया है। इसकी 415 सीबीएस शाखाओं का नेटवर्क पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों यथा वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, भदोही तथा अंबेडकर नगर को कवर करता है।

11.8.2. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान केजीएसजीबी का कुल कारोबार 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुये ₹ 9803 करोड़ हो गया। इसकी जमा राशियां ₹ 7641 करोड़ रही, जिसमें 61 प्रतिशत कासा है। अग्रिम ₹ 2,162 करोड़ रहा, जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम का अंशदान 80 प्रतिशत रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र का अंशदान 51.0 प्रतिशत है।

11.8.3. तकनीकी क्षेत्र में भी केजीएसजीबी निरंतर प्रगति कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 18 नए एटीएम लगाये गये, इस प्रकार एक बोलते एटीएम सहित कुल एटीएम की संख्या 41 हो गई है। केजीएसजीबी ने किसानों के लाभ के एटीएम युक्त किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किये हैं। त्वरित सेवा के लिये आरटीजीएस/ एनईएफटी सेवा तथा डिजिटल अथारिटी चेक प्रणाली प्रारम्भ की गई है। केजीएसजीबी जल्द ही मोबाइल बैंकिंग भी प्रारम्भ करने जा रहा है। बैंक द्वारा वर्तमान में नियमित संव्यवहारों के लिए एसएमएस एलर्ट तथा एसएमएस बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रही है।

12. ट्रेजरी

12.1. ट्रेजरी अनुभाग में घरेलू ट्रेजरी कार्य, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य, स्थायी आय, डेरीवेटिव उत्पाद, इक्विटी एवं अन्य प्रकार के वैकल्पिक आस्ति संबंधी कार्य होते हैं। नवीनतम डीलिंग रूम के साथ सुसज्जित ट्रेजरी पूरे भारत में फैले हुए अपने ग्राहकों को सभी प्रकार की ट्रेजरी सुविधाएं प्रदान करती है।

12.2. बैंक का सकल निवेश पोर्टफोलियो मार्च, 2015 को ₹ 94497 करोड़ रहा, जो मार्च, 2014 को ₹ 94,169 करोड़ था। निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों में किए गये निवेश, राज्य विकास ऋण और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिये अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश तथा इक्विटी शेयर, कार्पोरेट डिबेंचर, पीएसयू बांड, वाणिज्यिक पेपर्स, जमा प्रमाणपत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश जैसे नॉन-एसएलआर निवेश शामिल हैं।

12.3. निवेश पर औसत आय 31 मार्च, 2014 के 7.54 प्रतिशत के पेटे 31 मार्च, 2015 को 7.56 प्रतिशत रही। प्रतिभूतियों के ब्याज से औसत आय विगत वर्ष के 7.85 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2015 में 7.89 प्रतिशत रही। वित्त

वर्ष 2014-15 के दौरान, निवेश के विक्रय पर लाभ एवं विनिमय की आय क्रमशः ₹ 709 करोड़ एवं ₹ 625 करोड़ रही, जो पिछले के दौरान क्रमशः ₹ 486 करोड़ एवं ₹ 436 करोड़ थी।

13. घरेलू विदेशी कारोबार एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग :

13.1. घरेलू कारोबार : निर्यात ऋण 31 मार्च, 2014 के ₹ 10041 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2015 को ₹ 9982 करोड़ रहा। व्यापार वित्त एवं अधिकाधिक ग्राहकों को स्थानीय तौर पर विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान 3 शाखाओं को अधिकृत विक्रेता शाखाओं के रूप में वर्गीकृत किया। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक द्वारा ऐसी 6 अन्य शाखाएं वर्गीकृत की जानी प्रस्तावित हैं। दिल्ली के ओवरसीज केन्द्र पर एनआरआई ग्राहकों को स्थानीय स्तर से फॉरेक्स संबंधी जानकारी देने के लिए एनआरआई कक्ष स्थापित किया गया है। वर्ष के दौरान बैंक की एनआरआई जमा राशि 14.7 प्रतिशत की दर से बढ़कर 31 मार्च, 2014 के ₹ 15899 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2015 को ₹ 18237 करोड़ हो गई।

13.2. विदेशी कारोबार : हांगकांग, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर (डीआईएफसी), दुबई एवं एंटवर्प (बेल्जियम) शाखाओं के जरिये बैंक का कुल विदेशी कारोबार 11.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2015 को 4189 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

तालिका 15: विदेशी परिचालन				
(राशि यूएसडी मिलियन में)				
विवरण	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2014	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	प्रतिशत
विदेशी जमा राशि	742	812	-70	-8.6
विदेशी अग्रिम	3447	2935	512	17.4
कुल विदेशी कारोबार	4189	3747	442	11.8

13.3. वर्ष के दौरान बैंक ने एंटवर्प (बेल्जियम) में 1 शाखा एवं लंदन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लंदन नामक ओवरसीज सहायक कम्पनी का परिचालन प्रारंभ किया। एंटवर्प शाखा का कुल कारोबार 200 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक तथा शुद्ध लाभ 0.7 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा। लंदन स्थित सहायक कम्पनी ने भी 120 मिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबारी स्तर पार कर लिया है। इसका परिचालन लाभ 2.3 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा है। शंघाई (चीन), आबूधाबी (यूएई), बीजिंग (चीन), सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में बैंक के 4 प्रतिनिधि कार्यालय स्थित हैं।

14. आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन:

14.1. बैंकिंग उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। पिछला वित्तीय वर्ष आस्ति गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश मुद्दे क्लियरेंस तथा अनुमोदन से संबंधित थे। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता संबंधी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ सितंबर 2014 में इनके सकल अग्रिमों का 4.5 प्रतिशत थीं, जबकि यह ऑक्टोबर मार्च 2014 में 4.1 प्रतिशत था। शुद्ध अग्रिमों के पेटे शुद्ध गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात भी सितंबर 2014 में बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2014 में 2.2 प्रतिशत था।

14.2. चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद आपका बैंक स्लिपेज को रोकने तथा नियमित एवं गहन अनुश्रवण के बल पर वसूली बढ़ाने के कारण गैर-निष्पादक आस्तियों को कम करने में सफल रहा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने ₹ 1537 करोड़ की वसूली की तथा ₹ 592 करोड़ के

खातों का अपग्रेडेशन किया। 31 मार्च 2015 को बैंक की सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ, सकल अग्रिमों का 4.96 प्रतिशत रही, जो 31 मार्च 2014 में 4.08 प्रतिशत थीं। शुद्ध गैर-निष्पादक आस्तियाँ, शुद्ध अग्रिमों का 2.71 प्रतिशत रही, जो कि 31 मार्च 2014 को 2.33 प्रतिशत थीं। प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च 2014 के 59.89 प्रतिशत के सापेक्ष 31 मार्च 2015 को 59.23 प्रतिशत रहा।

- 14.3. यद्यपि कि आस्ति गुणवत्ता सदैव गंभीर मामला रहा है, तथापि बैंक ने 2014-15 के उत्तरार्ध में अच्छी प्रगति की है। लगातार दूसरी तिमाही में विचलन (स्लिपेज) कम हुआ है।

सारणी 16: एनपीए में विचलन	
(₹ करोड़ में)	
व्योरे	वित्त वर्ष 2014-15
प्रारम्भिक सकल एनपीए	9564
बढ़ोत्तरी	6527
घटाये, आई कमी	3060
(I) उन्नयन	592
(II) वसूली	1537
(III) बट्टा खाता	931
अंतिम सकल एनपीए	13031
शुद्ध एनपीए	
- प्रारम्भिक	5340
- अंतिम	6919

- 14.4. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आपके बैंक ने सरफेसिया (SARFAESIA), 2002 के अंतर्गत ₹ 2340 करोड़ के बकाया वाले 2905 चूककर्ता ऋणियों को नोटिस जारी किया तथा ₹ 703 करोड़ की उनसे वसूली की गई। ऋण वसूली प्राधिकरण के माध्यम से ₹ 217 करोड़ वसूल किये गये हैं। बैंक की विशेष वसूली योजना के तहत एकमुश्त वसूली समझौते से ₹ 103 करोड़ तथा विशेष वसूली समझौते से ₹ 560 करोड़ की वसूली की गई है।

15. खातों का पुनर्गठन

- 15.1. मानक पुनर्गठित अग्रिमों के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को बकाया राशि ₹ 13658 करोड़ थी, जो दिनांक 31 मार्च, 2014 को ₹ 12353 करोड़ थी। बैंक की पुनर्गठित आस्तियों का एक बड़ा भाग स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्डों तथा कुछ स्टाल्ड प्रोजेक्टों का है।

सारणी 17: श्रेणीवार मानक पुनर्गठित आस्तियाँ				
क्र.	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)	मानक पुनर्गठित आस्तियों का %	सकल ऋणों का %
1	बकाया मानक पुनर्गठित आस्तियाँ	13,658	100	5.2
	जिनमें से			
a.	-एस ई बी	5663	41.5	2.2
b.	-स्टाल्ड प्रोजेक्ट	2082	15.2	0.8

16. **चैनलों का विकल्प:** डिजिटल बैंकिंग की ओर :

वर्ष के दौरान डिजिटल बैंकिंग से संबंधित मुख्य पहल :

- 16.1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकाधिक अवसरों के सृजन तथा तकनीक आधारित वित्तीय सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता कराने के माध्यम से देश की चहुमुखी प्रगति हेतु प्रयासरत है। आपका बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं और बदलते हुये परिचालनात्मक वातावरण के अनुरूप खुद को बदल रहा है।
- 16.2. सूचना प्रौद्योगिकी के कारण बैंकिंग उद्योग का ढाँचा लगातार बदल रहा है। कुछ वर्ष पहले 100 प्रतिशत सीबीएस शाखाओं वाला पहला बैंक बनने के साथ ही वर्तमान में टैबुलस बैंकिंग प्रारंभ करने की दिशा में हमने फिर इतिहास दुहराया है। उपर्युक्त प्रयासों के अलावा बैंक ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी की है। आपका बैंक आज टेक्नो-सैवी बैंक के रूप में जाना जाता है।

16.3. नये कदम:

- 16.3.1. **टैबुलस बैंकिंग:** वर्ष के दौरान बैंक द्वारा टैबुलस बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलने का कार्य प्रारंभ किया गया। टैबुलस बैंकिंग, बैंक में खाता खोलने का एक नया तरीका है, जिससे कोई ग्राहक अपने स्थान (घर/ कार्यालय) से ही खाता खोल सकता है। वर्तमान में अपना बैंक 9 केंद्रों- अहमदाबाद, बेंगलुरु चेन्नै, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई तथा पुणे में टैबुलस बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसे चरणबद्ध तरीके से देश के अन्य केंद्रों पर भी लागू किया जायेगा। टैबुलस बैंकिंग के माध्यम से वर्ष के दौरान हमने 35000 अतिरिक्त खाते खोले हैं।

- 16.3.2. **एमटीएनएल के उपभोक्ताओं के लिये किसी भी बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा से लैंडलाइन बिल का भुगतान-** 13 अक्टूबर 2014 को बैंक द्वारा एमटीएनएल के उपभोक्ताओं के लिये “मोबाइल बैंकिंग द्वारा बिल भुगतान” की योजना प्रारंभ की गई। यूनियन बैंक, बैंकिंग उद्योग में मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पुश आधारित आईएमपीएस सेवा (तुरंत भुगतान सेवा) प्रारंभ करने वाला पहला बैंक है। इस सुविधा के अंतर्गत एमटीएनएल के उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान किसी भी बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। यूनियन बैंक द्वारा एमटीएनएल को मोबाइल नंबर के रूप में 9969009700 तथा मोबाइल मनी आईडेंटिफायर नंबर के रूप में 9026263 आबंटित किया गया है। ग्राहक द्वारा भुगतान किये जाने वाले बिल का लैंड-लाइन नंबर, बिल की राशि, मोबाइल मनी आईडेंटिफायर नंबर तथा मोबाइल नंबर टाइप किया जाना होता है। एमटीएनएल सर्वर पर डाटा की पुष्टि रियल टाइम में की जाती है तथा ग्राहक का खाता तत्काल डेबिट किया जाता है और एमटीएनएल के खाते में रकम जमा कर दी जाती है। इस संव्यवहार के लिये ग्राहक को स्वचालित एसएमएस प्राप्त होता है।

- 16.3.3. **आईआरसीटीसी यूनियन बैंक प्री-पेड कार्ड-** आपके बैंक में आईआरसीटीसी के साथ समन्वय के द्वारा आईआरसीटीसी प्री-पेड कार्ड का शुभारंभ दिनांक 24.03.2015 को माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु के कर कमलों से किया गया। बैंकिंग उद्योग में यह पहला प्रयास है, जब ग्राहक को भौतिक तथा वर्चुअल दोनों रूपों में कार्ड जारी किया जा रहा है। इस कार्ड का उपयोग करके ग्राहक रेलवे की वेबसाइट से सीट आरक्षित करवा सकते हैं। प्रत्येक संव्यवहार के लिए कार्ड धारक को रिवाइड पाईट मिलते हैं, जिसे रिडीम किया जा सकता है। इसके अलावा कार्डधारक एनपीसीआई से ₹ 1.00 लाख का दुर्घटना बीमा भी पाता है। कार्ड को

रिचार्ज करने की सुविधा 24x7 यूनियन बैंक तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चूँकि यह प्लेटफार्म लीज्ड लाइन पर है, अतः संव्यवहार की गति डेबिट/ क्रेडिट कार्ड से अधिक होती है।

16.3.4. **रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड-** 19 मार्च, 2015 को बैंक ने अपने उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के लिये रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड प्रारंभ किया। यह कार्ड एनपीसीआई के रुपे प्लेटफार्म पर आधारित वैयक्तिक फोटो डेबिट कार्ड है। कार्ड के ग्राहक को ₹ 40000/- तक की राशि एटीएम से निकालने तथा ऑनलाइन संव्यवहारों सहित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से ₹ 60000 तक की खरीददारी के साथ प्रति दिन ₹ 1.00 लाख की सीमा तक लेनदेन करने की अनुमति है। यह कार्ड के ग्राहक को एनपीसीआई से ₹ 2.00 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराता है।

16.4. आपके बैंक द्वारा ग्राहकों को वैकल्पिक चैनल के चुनाव की सुविधा दी जाती है। इनमें पारम्परिक शाखा नेटवर्क, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के साथ ही साथ काल सेंटर की सुविधा शामिल है।

16.5. भारत में आपके बैंक का बेहतर शाखा नेटवर्क है। वर्ष के दौरान 211 नई खुली शाखाओं के साथ देश में शाखाओं की कुल संख्या 4078 हो गई है।

चार्ट 13: अखिल भारतीय उपस्थिति



देश में शाखाएँ (4,078) # एटीएम (7,020)

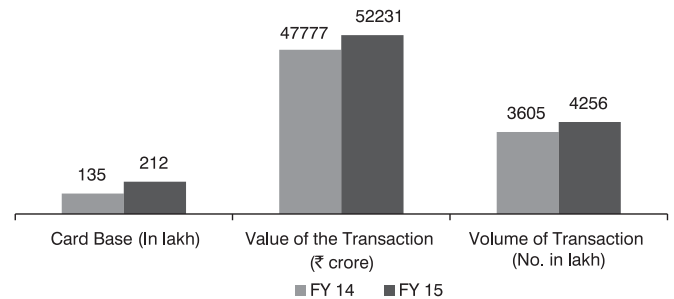
16.6. वर्ष के दौरान 591 अतिरिक्त एटीएम खोले गये हैं। इस प्रकार एटीएम नेटवर्क पिछले वर्ष के 6429 से बढ़कर 31 मार्च, 2015 को 7020 हो गया है। शाखाओं के साथ एटीएम का अनुपात 31 मार्च, 2015 को बढ़कर 1.72 हो गया, जो कि 31 मार्च, 2014 को 1.66 था। पिछले वर्ष प्रारम्भ किये गये बोलते एटीएम की संख्या भी मार्च 2015 के अन्त तक 1706 हो गई है।

सारणी 18: नेटवर्क		
	मार्च 2015	मार्च 2014
कुल शाखायें	4081	3871
-समुद्रपारीय शाखायें	3	2
एटीएम	7020	6429
-बोलते एटीएम	1706	1066
एटीएम और शाखा का अनुपात	1.72	1.66

16.7. **एटीएम और कार्ड:** 31 मार्च, 2015 को पूरे देश में आपके बैंक के 7020 एटीएम तथा 211लाख डेबिट कार्ड धारकों का विशाल नेटवर्क है। बैंक द्वारा एनईएफटी, आईएमपीएस, एटीएम द्वारा कार्ड से कार्ड को अंतरण जैसे कई प्रेषण उत्पाद उपलब्ध कराये जा रहे हैं। बैंक ने अपने वर्तमान

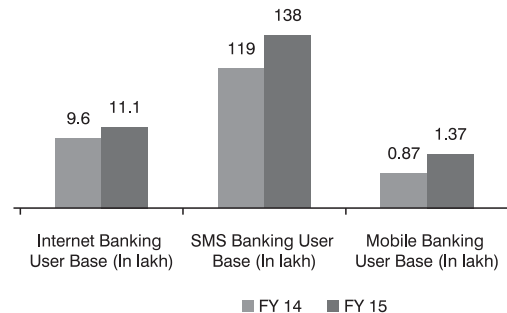
वीसा क्रेडिट कार्ड के लिए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड प्रारम्भ किया है तथा डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए निष्ठा कार्यक्रम लागू किया है। ग्राहक, बिक्री केन्द्र व ई-कामर्स आउटलेट्स में बैंक के डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर अपने सभी संव्यवहारों में रिबार्ड अंक जीतने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

चार्ट 14: कार्ड का आधार तथा कार्ड के माध्यम से कारोबार

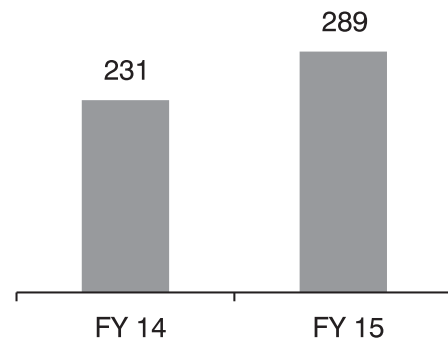


16.8. **इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग-** बैंक ने आईफोन/ आईपैड प्रयोक्ताओं के लिए मोबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन की शुरुआत की है। आईएमपीएस सेवा, जो ग्राहकों को तत्काल आधार पर मोबाइल के जरिये अंतर्बैंक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है, अब सभी तीनों चैनलों यथा एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग पर उपलब्ध है। आईएमपीएस पी 2 ए (व्यक्ति से खाते में) अंतरण, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल एप्लिकेशन, दोनों से ही अब सुलभ है। इसके अतिरिक्त कॉलेज/ विश्वविद्यालय पोर्टल पर शुल्क जमा करने के लिए बैंक ने भुगतान गेटवे साल्यूशन भी उपलब्ध कराया है।

चार्ट 15: वैकल्पिक चैनलों का उपभोक्ता आधार



चार्ट 16: वैकल्पिक चैनल से आय (₹ करोड़ में)



17. संयवहार बैंकिंग :

17.1. **करेंसी चेस्ट** : इस समय बैंक के पास 66 करेंसी चेस्ट हैं तथा 13 करेंसी चेस्ट खोलने की प्रक्रिया चल रही है। आपके बैंक ने औसतन प्रतिदिन 30 लाख एवं अधिक की नकदी प्राप्ति वाली 1619 शाखाओं में नोट सार्टिंग मशीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बैंक ने देश भर में विभिन्न शाखाओं में 61 क्वायन वेंडिंग मशीनें (सीवीएम) स्थापित किये हैं।

17.2. **नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस)** : नकद प्राप्ति एवं भुगतान के तहत आपका बैंक न्यूनतम लागत पर त्वरित गति तथा कस्टमाइज्ड एमआईएस की सहायता से ग्राहकों की विशिष्ट कार्पोरेट अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है। सीएमएस विभाग ने विभिन्न सीएमएस उत्पादों के तहत 115 नये कनेक्शन प्राप्त किये हैं और वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 29.8 करोड़ की आय प्राप्त की है। सीएमएस भुगतान हब के अंतर्गत प्रति माह औसतन ₹ 740 करोड़ के 5 लाख भुगतान किये जा रहे हैं, जिसमें केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के वेतन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) भुगतान एवं जीवन निर्वाह मजदूरी अध्यादेश (एलडब्ल्यूओ) के भुगतान शामिल हैं। 8 राज्यों में इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सभी भुगतान सीएमएस द्वारा किये जाते हैं, जिनसे बैंक को पर्याप्त शुल्क और तरलता प्राप्त होती है। लायंस क्लब इंटरनेशनल, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आदि के आवक एनईएफटी/ आरटीजीएस के लिये वर्चुअल खाता सेवाएं उपलब्ध कराने से बैंक को मूल्यवर्धित कासा राशि प्राप्त हुई है। आपके बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में सीएमसी संग्रहण के तहत नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएस) भी शुरू किया है।

17.3. **मर्चेन्ट बैंकिंग** : बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पब्लिक इश्यू में आवेदन करने के लिए असबा (अप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लाकड एमाउंट) सुविधा भी उपलब्ध करायी है तथा आवेदक एवं उसके ब्यौरे के पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की है। बैंक ने वाणिज्यिक बैंकर तथा निर्गम गतिविधियों के लिए बैंकर के रूप में स्थायी पंजीकरण प्राप्त किया है तथा कार्पोरेट ग्राहकों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के भुगतान एवं वसूली कार्यों को अंजाम दे रहा है।

18. तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण :

18.1. आपका बैंक अपने तृतीय पक्ष उत्पादों को अपनी शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध कराता है। बैंक अपने संयुक्त उपक्रम स्टार यूनियन दायची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बीमा उत्पादों को अपने ग्राहकों को सुलभ कराता है। गैर बीमा उत्पादों के लिए बैंक ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य बीमा के लिये आपके बैंक ने रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर उत्पाद शुरू किये हैं। बैंक अपनी सहायक कंपनी, यूनियन केबीसी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के एजेंट के रूप में अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड उत्पाद भी उपलब्ध करा रहा है। बीमा एवं म्यूचुअल फंड उत्पादों के विक्रय से बैंक को ₹ 42.39 करोड़ की कमीशन आय प्राप्त हुई।

19. सूचना प्रौद्योगिकी :

19.1. सूचना प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषण के कारण बैंकिंग उद्योग में अनेक परिवर्तन आये हैं, जिसके कारण बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं तथा सरल संयवहार उपलब्ध कराने में सफल हुआ है। इस वर्ष भी आपके बैंक ने तकनीक आधारित उत्पादों को क्रियान्वित किया है।

19.2. बैंक ने बैंकिंग प्रक्रियाओं को नये तरीके से डिज़ाइन एवं पुनर्परिभाषित किया है और अपने ग्राहकों को नवोन्मेषी उत्पाद, शाखा नेटवर्क, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, चेक ट्रंक्शन सिस्टम तथा कॉल सेंटर के माध्यम से लगातार उपलब्ध करा रहा है। बैंक द्वारा अत्यधिक प्रभावशाली लैस सिस्टम प्रारंभ किया गया है, जो ऋणों के त्वरित प्रसंस्करण को निर्धारित अवधि तथा सिबिल के साथ तत्काल डाटा का एकीकरण करके करता है। इससे ग्राहकों की साख का बेहतर तरीके से मूल्यांकन हो सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन संयवहारों को पूरा करने के लिये वित्तीय समावेशन गेटवे तैयार किया है। यह गेट वे एनपीसीआई के माध्यम से बैंक के सीबीएस, वित्तीय समावेशन के विभिन्न वेंडरों, यूआईडीआई, अंतर बैंक संयवहारों तथा एड्डीएस सहित सभी वित्तीय संयवहारों को संभव बनाता है। इसके अलावा, विभिन्न तकनीकों तथा प्रणालियों के एकीकरण जैसे- बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये कियोस्क बैंकिंग, ई-केवाईसी, जनसांख्यिकीय सत्यापन आदि भी कार्यान्वित किये गये हैं। वृहद् तकनीकी ढाँचे ने बैंक (बचत खाता, सूक्ष्म ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधा, आधार सीडिंग, गैस उपभोक्ता की आईडी की लिंकिंग, एपीबीएस के द्वारा डीबीटी/ डीबीटीएल संबंधी भुगतान, सरकार के बीमा तथा पेंशन उत्पादों को वित्तीय समावेशन वाले ग्राहकों तक पहुँचाने में सफल बनाया है। आधार मैपिंग को सत्यापित करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में आधार-लुक-अप की सुविधा दी है।

19.3. भुगतान तकनीक में आटोमेशन, डिजिटाइजेशन, गतिशीलता, केन्द्रीयकरण तथा नवोन्मेष का लाभ उठाने के लिए आपके बैंक ने अनेक कदम उठाये हैं। टैबुलेस बैंकिंग, जो टैबलेट आधारित खाता खोलने की सुविधा है, की शुरुआत कर बैंक ने खाता खोलने की प्रक्रिया को ग्राहक के द्वार तक पहुँचा दिया है। आपके बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का नवोन्मेषण जारी है तथा कार्ड से कार्ड में अंतरण, कार्ड रहित नकद जमा, ऑन लाइन एफडी, आईएमपीएस (तुरंत भुगतान सेवा), ई-नकदी विप्रेषण, एसएमएस द्वारा डेबिट कार्ड ब्लाक करना, एसएमएस आधारित पूल सेवा के लिए वर्चुअल मोबाइल नंबर, ई-लॉबी आदि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण तथा हरित पहल के रूप में आपके बैंक ने कागज रहित केवाईसी सत्यापन हेतु ई-केवाईसी साल्युशन सुविधा उपलब्ध करायी है, जिसमें कागजी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है तथा प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन के साथ-साथ यह सुरक्षित, प्रामाणिक तथा विश्वसनीय है।

19.4. आपके बैंक ने सही निर्णयन हेतु समुन्नत डैशबोर्ड तथा एकीकृत शिकायत प्रबंधन, सेवा अनुरोध प्रबंधन और विक्रय प्रबंधन आदि सुविधाओं के साथ ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) अप्लीकेशन से युक्त इंटरप्राइज डाटा वेयरहाउसिंग प्रक्रिया को शुरू किया है। इससे बैंक को पूर्वानुमान के आधार पर कार्यनीति से संबंधित निर्णय लेने, लाभप्रदता विश्लेषण, पूर्वानुमानित माडलिंग, ग्राहकों के वर्गीकरण, धोखाधड़ी की खोज, स्ट्रेस टेस्टिंग तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन में सहायता मिलेगी। आपके बैंक ने एक सुपरिभाषित सूचना सुरक्षा नीति लागू की है तथा ग्राहक डाटा और बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिये सुरक्षा उपायों को लागू किया है। आपके बैंक का डाटा सेंटर तथा डीआर साइट आईएसओ 27001:2005 से प्रमाणित है तथा बैंक की सूचना सुरक्षा को बढ़ाने के एक प्रयास के रूप में सूचना सुरक्षा प्रणाली को आईएसओ 27001:2013 के मानकों के अनुरूप अद्यतन किया जा रहा है।

20. जोखिम प्रबंधन

20.1. जोखिम प्रबंधन के प्रति बैंक का सार्थक दृष्टिकोण है। इसके जोखिम दर्शन में जोखिम प्रवृत्तियों तथा विनियामक ढांचे दायरे के अंतर्गत एक स्वस्थ संविभाग बनाना एवं उसका रखरखाव करना शामिल है। बैंक यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करता है कि कारोबारी कार्य तथा जोखिम प्रबंधन कार्य के संयोजन से शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि हो तथा उपलब्ध पूंजी का अधिकतम उपयोग हो सके।

20.2. बैंक में जोखिम प्रबंधन, शीर्ष स्तर पर जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति के जरिये बोर्ड द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है, जो विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन हेतु उच्च कार्यपालकों की परिचालन स्तरीय समितियों द्वारा समर्थित है।

20.3. बैंक, समुचित नीतियों, संगठनात्मक ढांचे, जोखिम मापन तकनीकों, पर्याप्त पद्धतियों, प्रणालियों, अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग तंत्र के जरिये ऋण, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम का निवारण करता है। बैंक में एक सुस्पष्ट जोखिम नीति विद्यमान है तथा स्वतंत्र जोखिम कार्य यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने जोखिम क्षमता ढांचे के अंतर्गत कार्य करे।

20.4. ऋण जोखिम प्रबंधन

20.4.1. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक में ऋण जोखिम कार्य का पर्यवेक्षण करती है। बैंक के पास पहचान, मापन, अनुश्रवण व ऋण जोखिम एक्सपोजर के नियंत्रण हेतु सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम निर्धारण प्रणाली है। ऋण जोखिम नीतियां, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, विवेकपूर्ण ऋण सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित प्राइसिंग, संविभाग प्रबंधन आदि ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न साधन हैं। क्रेडिट रेटिंग टीम भी क्रेडिट रेटिंग एवं पूंजी गणना में शामिल है।

20.5. क्रेडिट रेटिंग एवं अनुमोदन

20.5.1. बैंक का संपूर्ण ऋण संविभाग आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के अधधीन है। खुदरा ऋणों हेतु आंतरिक रेटिंग मॉडल एवं स्कोरिंग मॉडल उपलब्ध है। कॉर्पोरेट एक्सपोजर के विभिन्न वर्गों के ऋण जोखिम आकलन हेतु अलग-अलग मॉडल उपलब्ध हैं। रेटिंग गुणवत्ता में सुधार, मजबूत रेटिंग डाटाबेस बनाने तथा रेटिंग माडलों के बेहतर प्रशासन हेतु केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीकृत रेटिंग पूल स्थापित है। केन्द्रीकृत रेटिंग पूल, शाखा स्तर पर तैयार किये गये कॉर्पोरेट लेनदारों की रेटिंग के निर्धारण एवं अंतिम रूप देने का कार्य करता है। बैंक की क्रेडिट रेटिंग व्यापक रेटिंग प्रमाणीकरण तंत्र के अधधीन है।

20.5.2. सभी अग्रिमों हेतु बैंक की मानकीकृत एवं पूर्ण परिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया है। ऋण अनुमोदन करने हेतु समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है एवं विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियां कार्यरत हैं।

20.6. पूंजी संगणना

20.6.1. बैंक ने बासल II के अधीन मार्च 2009 से नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया है। ऋण जोखिम हेतु बैंक ने मानक प्रणाली को अपनाया है एवं ऋण जोखिम के उन्नत अप्रोच की न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ आगे की ओर अग्रसर है। आईआरबी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक पूंजी आकलन साल्युशन लागू किया जा रहा है एवं एफआईआरबी की ओर माइग्रेशन का प्रोजेक्ट भी बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ऋण जोखिम घटकों यथा चूक की संभावना (पीडी), हानि जनित चूक (एलजीडी), एक्सपोजर चूक (ईएडी) और परिपक्वता (एम) की गणना

करने के लिए बैंक ने आवश्यक फ्रेमवर्क तैयार किया है और डाटा के समेकन की प्रक्रिया जारी है।

20.6.2. बैंक द्वारा लेनदारों, समूहों, क्षेत्रों, खुदरा योजनाओं, उद्योग, भूगोल आदि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पोर्टफोलियों का निरंतर अनुश्रवण किया जाता है एवं ऋण की गुणवत्ता में सुधार और जोखिम प्रोफाइल बनाने पर निरंतर जोर रहता है, जो लेनदार, उत्पाद, उद्योग व भौगोलिक स्थिति विशेष के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है।

20.7. बाजार जोखिम प्रबंधन :

20.7.1. आस्ति देयता प्रबंधन नीति, ट्रेजरी नीति एवं बाजार जोखिम नीति प्रबंधन वर्ग के लिए बैंकिंग एवं ट्रेडिंग कारोबार में बाजार जोखिम का निवारण करने में सहायक होती है। बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) की है। अर्जन परिप्रेक्ष्य एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य से इसका मुख्य जोर मूल्य संवर्धन पर है। बैंकिंग एवं ट्रेडिंग कारोबार में बाजार जोखिम का प्रबंधन क्रमशः एएलएम डेस्क एवं ट्रेजरी मिड आफिस द्वारा किया जाता है। आस्ति देयता समिति की नियमित बैठकें होती हैं, जिनमें विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा, संमिश्र, अवधि, मूल्य एवं संरचना के बारे में निर्णय लिया जाता है। यह मुख्यतः तरलता व ब्याज दर जोखिम की पहचान, मापन, अनुश्रवण और प्रबंधन करती है। बैंक सक्रिय तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है, दबावग्रस्त परिदृश्य परिकल्पित करता है तथा आकस्मिक तरलता योजना रखता है। बैंक के पास ट्रेजरी में एक स्वतंत्र मिड आफिस कार्यरत है, जो जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करता है। यह ऑफिस एक्सपोजर विश्लेषण, निर्धारित ऋण सीमा अनुश्रवण तथा जोखिम संवेदशील मानदंडों यथा जोखिम पर मूल्य, पीवी01, अवधि, विफलीकरण अवधि आदि से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करता है।

20.7.2. वर्तमान में, बाजार जोखिम का आकलन, मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली (एसएमएम) द्वारा किया जाता है। बैंक ने जोखिम मूल्य (वीएआर) के आकलन हेतु एक साल्युशन कार्यान्वित किया है एवं बाजार जोखिम हेतु उन्नत अप्रोच के तहत आंतरिक मॉडल अप्रोच (आईएमए) की ओर जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन दिया है

20.8. परिचालन जोखिम प्रबंधन :

20.8.1. परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु प्राथमिक रूप में व्यापक प्रणाली और प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखापरीक्षा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है। परिचालन जोखिम की जांच और समाधान के लिए सभी नये उत्पादों को नव-उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होता है। विद्यमान उत्पादों में अन्तर तथा आउटसोर्सिंग गतिविधियों में जोखिम की भी समीक्षा की जाती है। बैंक ने विगत नौ वर्षों के दौरान हुई परिचालनगत हानियों से संबंधित आंकड़ों का समेकन किया है तथा सुधारात्मक कदम उठाने हेतु उनका विश्लेषण किया जाता है; ताकि आगे ऐसी हानियों की पुनरावृत्ति न हो। जोखिम एवं नियंत्रित स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) सर्वेक्षण करने एवं मुख्य जोखिम सूचक का पता लगाने हेतु भी प्रक्रिया शुरु की गई है।

20.8.2. परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी आकलन हेतु वर्तमान में बैंक द्वारा मूल संकेतक अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। परिचालन जोखिम हेतु बैंक को समानांतर आधार पर 'मानकीकृत अप्रोच (टीएसए)' को भी कार्यान्वित करने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक से मिली है। एएमए की

ओर माइग्रेशन हेतु बैंक द्वारा बाहरी सलाहकार के मार्गदर्शन में ओआरएम प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है। परिचालन जोखिम के लिए उन्नत अप्रोच के तहत पूंजी संगणना हेतु भी एक साल्युशन लागू किया जा रहा है।

20.8.3. बैंक ने अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस के उपाय के रूप में प्रकटन नीति बनायी है। कारोबार बाधा एवं सिस्टम विफलता के प्रतिकूल प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) के महत्व को समझते हुए बैंक द्वारा कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की गयी है, जिसमें हानिकारक वातावरण में अपने स्टाफ, आस्तियों और ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए विस्तृत खाका तैयार किया गया है।

20.8.4. बॉसल II मानदंडों के अनुपालन हेतु बैंक ने एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएपी) लागू की है, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। इससे बैंक आंतरिक दृष्टि से उन जोखिमों, जो पिलर I में या तो शामिल ही नहीं थीं, या पर्याप्त रूप में शामिल नहीं थीं, का पता लगाने एवं मूल्यांकन करने एवं साथ ही सामान्य तथा तनावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों के प्रबंधन हेतु समुचित रणनीति बनाने में सक्षम हो सका है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यापक तनावग्रस्त जांच फ्रेमवर्क भी लागू किया गया है, जो अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाक्रमों में बैंक के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की सक्षमता का आकलन करने में सहायक है।

20.9. निष्पादन मूल्यांकन एवं लाभप्रदता प्रबंधन

20.9.1. अपनी निष्पादन निर्धारण प्रणाली विकसित करने के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच हमारा बैंक अग्रणी है। बैंक ने एक सुदृढ़ और वैज्ञानिक निधि अंतरण मूल्य प्रणाली यथा मैचड फंड ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम जनित प्रणाली, मूल्य अंतरण व्यवस्था को बहुत ही छोटे स्तर जैसे खाता स्तर पर भी अंतरण प्राइसिंग में समर्थ बनाती है तथा अंतरण दर, बाजार दर से जुड़ी होती है। यह प्रणाली ब्याज दर जोखिम को केन्द्रीय फंडिंग यूनिट (सीएफयू) में केन्द्रीकृत करने में सहायक होती है, जहां उसका बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। बैंक ने लागत व आय निर्धारण हेतु भी मॉड्यूल लागू किये हैं, जिससे विभिन्न व्यावसायिक पहलुओं को नापा जा सके। यह भविष्य में जोखिम आधारित निष्पादन मूल्यांकन में सहायक होगी।

20.10. बॉसल III का कार्यान्वयन :

20.10.1. बासल-III मानकों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता के आंतरिक निर्धारण, तरलता तथा लिवरेज अनुपातों को बैंक द्वारा सक्रियता से संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2010 से बासल-III दिशानिर्देशों के प्रभावों को जानने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये जा रहे मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन में बैंक की प्रतिभागिता रही है। बासल -III के तहत प्रकटन मानदंडों का पालन भी किया जा रहा है। बैंक की पूंजी, बासल-III अपेक्षाओं के अनुरूप है, जो न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक है। बासल-III दिशानिर्देशों के अनुसार, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया भी अपनाई जाती है तथा पूंजी बढ़ाने के उपायों का मूल्यांकन व तदनुसार योजना बनायी गयी है।

20.11. समूह जोखिम प्रबंधन :

20.11.1. बैंक, विविधीकृत वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, प्रतिभूति एवं पूंजी बाजार, बीमा एवं खुदरा आस्ति आदि के कारोबार कार्य में शामिल है। बैंक द्वारा

सामान्य तथा तनावग्रस्त स्थितियों में अपने समूह प्रतिष्ठानों, आंतरिक नियंत्रणों, निवारण उपायों तथा पूंजी संगणना में जोखिमों के आकलन हेतु एक प्रतिष्ठित बाहरी सलाहकार के सहयोग से व्यवस्थित नीति/ फ्रेमवर्क लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बैंक, अपनी समूह जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से उद्यमवार अप्रोच लागू करने की ओर अग्रसर है; ताकि जोखिम के प्रमुख पहलुओं, जो सभी कारोबार समूहों को प्रभावित करते हैं, की ओर ध्यान दिया जा सके।

20.12. अपने ग्राहक को जाने- धन शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल)

20.12.1. केवाईसी-एएमएल (अपने ग्राहक को जाने- धन शोधन निवारण) अनुपालन को मजबूत करने के लिए बैंक द्वारा स्थानीय भाषाओं में नोटिस जारी करने, स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने, खाता खोलने के फार्म में ग्राहक प्रोफाइल संबंधी अतिरिक्त विशेषताओं को शामिल करने जैसे अनेक उपाय किये गये हैं। केवाईसी- एएमएल पर विशेष प्रशिक्षण सत्र एवं कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं तथा पूरे देश में सभी स्टाफ सदस्यों को केवाईसी- एएमएल के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक सत्र रखा जा रहा है। जाली नोटों की पहचान तथा समय से रिपोर्टिंग के प्रति शाखाओं को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। संदिग्ध लेनदेनों की पहचान हेतु एलर्ट जारी करने तथा नियामक प्राधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत करने हेतु बैंक ने धनशोधन निवारण साफ्टवेयर कार्यान्वित किया है। केवाईसी-एएमएल के अनुपालन में सुधार हेतु बैंक द्वारा निरंतर जोर दिया जा रहा है।

20.13. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन:

20.13.1. धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण हेतु बैंक द्वारा धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति लागू की गई है। धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए कदम उठाने हेतु फील्ड कार्यकर्ताओं को भी संवेदनशील बनाया जा रहा है। कृत धोखाधड़ी/धोखाधड़ी के प्रयास में अपनायी गई कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु धोखाधड़ी समीक्षा समिति की नियमित बैठकें होती हैं तथा संबंधित वर्टिकल के माध्यम से फील्ड कार्यकर्ताओं को सुधारात्मक उपाय सुझाये जाते हैं।

20.14. सूचना तकनीक जोखिम :

20.14.1. बैंक ने भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा नीति अपनायी है। सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सूचना एवं सूचना सिस्टम की गोपनीयता, शुद्धता एवं सही उपलब्धता की दृष्टि से इनको अनधिकृत एक्सेस, उपयोग, प्रकटन, व्यतिक्रम, संशोधन तथा विनाश से बचाया जा सके।

20.14.2. बैंक की नाजुक कारोबारी आस्तियों की सुरक्षा हेतु बैंक द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र लागू किया गया है। विभिन्न आक्रमणों एवं खतरों से बचाव हेतु सेक्युरिटी आपरेशन सेंटर (एसओसी) द्वारा 24x7x365 के अनुसार सूचना तंत्र का अनुश्रवण किया जाता है। कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) के कार्यान्वयन के रूप में नियमित रूप से आपदा बचाव मुहिम (डीआरडी) चलायी जाती है।

20.14.3. प्रभावी सूचना सुरक्षा गवर्नेंस की प्राप्ति हेतु बैंक ने अपने डाटा सेंटर तथा आपदा बचाव स्थल हेतु आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम (आईएसएमएस) लागू किया है।

20.14.4. बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों, तृतीय पक्ष विक्रेताओं तथा ठेकेदारों के लिए नियमित रूप से सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं और सूचना सुरक्षा संबंधी सावधानियां ग्राहकों को भी बराबर प्रदान की जाती हैं.

21. अनुपालन कार्य:

21.1. बैंक में एक मजबूत अनुपालन नीति विद्यमान है तथा इसकी दस्तावेजीकृत सुस्पष्ट अनुपालन नीति में बैंक के अनुपालन सिद्धांत का उल्लेख किया गया है. अनुपालन कार्य के अंतर्गत संपूर्ण बैंक में विनियम अनुपालन, सांविधिक अनुपालन, स्व-नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित/ प्रस्तावित उचित व्यवहार संहिता एवं अन्य संहिताओं से संबंधित अनुपालन, सरकारी नीतियों, बैंक की आंतरिक नीतियों एवं धन शोधन तथा अवैध गतिविधियों के निधिकरण पर रोक संबंधी अनुपालन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

21.2. अनुपालन नीति की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है. बैंक में प्रत्येक स्तर पर अनुपालन कार्य के संबंध में भूमिका एवं जिम्मेदारी का सुस्पष्ट उल्लेख किया गया है. विनियामक और सांविधिक अनुपालन विषयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वप्रमाणन प्रक्रिया, जिसमें शाखाओं द्वारा उच्च कार्यालयों को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है, विद्यमान है. स्वप्रमाणन की यही प्रणाली केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत सभी वर्टिकलों के लिए भी है. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति को मासिक/ त्रैमासिक अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक/ वित्त मंत्रालय/ सेबी से प्राप्त प्रमुख आदेशों एवं उनकी अनुपालना की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है. बैंक के लिए विभिन्न अनुपालन विषयों पर एक व्यापक डाटाबेस विकसित किया जा रहा है.

22. मानव संसाधन प्रबंधन

22.1. आपके बैंक ने कर्मचारी अनुकूल दृष्टिकोण के साथ ग्राहक संकेन्द्रित संगठन बनाने की दिशा में अपनी यात्रा प्रारम्भ की है. संसाधनों के प्रभावी उपयोग, सचेत जनबल प्रबंधन तथा समेकित उत्तम व्यवहार एवं प्रणाली के माध्यम से बैंक ने संगठन की क्षमता के सुधार पर अत्यन्त जोर दिया है. बैंक ने रोजगार में प्रतिस्पर्धी स्थिति उपलब्ध कराने, लिंग समानता एवं संतुलन के साथ कार्य परिवेश को सुखद बनाने, व्यावसायिक विकास के अवसरों, कार्य-जीवन में संतुलन तथा एक पारिवारिक मित्रवत वातावरण उपलब्ध कराने के साथ पसंद का नियोक्ता बनने का प्रयास किया है .

22.2. **जनबल क्षमता:** 31 मार्च 2015 को बैंक का कुल जनबल 35514 रहा, जिसका संवर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार है.

सारिणी 21: कर्मचारियों के संवर्ग				
संवर्ग	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ	कुल
कुल कर्मचारी	18290	11731	5493	35514
जिनमें से				
अनुसूचित जाति (एससी)	3129	2495	2058	7682
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	1290	697	480	2467
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	4210	2954	1365	8529
मेमो मर्दे				
- अपंग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)	239	192	89	520
- भूतपूर्व सैनिक	184	844	667	1695
- महिलाएं	3836	3269	785	7890
- अल्प संख्यक समुदाय	1461	1019	431	2911

22.3. भर्ती एवं पदोन्नति :

22.3.1. वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 3,822 कर्मचारियों, जिसमें 885 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 552 विशेषीकृत अधिकारी, 2,299 लिपिक स्टाफ तथा 86 अधीनस्थ स्टाफ शामिल हैं, की भर्ती की है. इन भर्तियों से कमचारी की औसत आयु 40 वर्ष से नीचे आने से आपका बैंक एक युवा बैंक हो गया है. वर्ष के दौरान 1,396 अधिकारी/ कर्मचारी अगले ऊंचे ग्रेड में प्रोन्नत किए गए .

22.4. आरक्षण नीति

22.4.1. आपके बैंक में भारत सरकार की आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन किया जाता है. विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में आरक्षण के रोस्टर को भर्ती वर्ष 2013 तक अद्यतन कर लिया गया है तथा बैंक एवं वित्त मंत्रालय के मुख्य सम्पर्क अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जा चुका है. विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की समस्त शिकायतों के निवारण एवं उनसे मधुर संबंध बनाने के साथ ही उनको करियर में प्रगति के लिए सहायता करने के भी प्रयास किए गए हैं.

22.5. नीतियां एवं योजनाएं :

22.5.1. संगठन की अपेक्षाओं के अनुकूल बैंक की भर्ती एवं प्रशिक्षण नीति में आवश्यकता आधारित संशोधन किए गए हैं.

22.5.2. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार परिवार अनुकूल कल्याणकारी उपाय के रूप में बैंक द्वारा 05 अगस्त, 2014 से 'अनुकम्पा पर आधारित नियुक्ति योजना' लागू की गयी है, जिससे योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के आश्रित परिवार सदस्य लाभान्वित होंगे.

22.6. प्रशिक्षण :

22.6.1. सौंपे गए कार्य के बेहतरीन निष्पादन हेतु बैंक ने अपने मानव संसाधन के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, जिससे कौशल के अन्तर एवं नेतृत्व क्षमता में कमी को कम किया जा सका है. नये भर्ती स्टाफ को प्रभावी प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करना एवं तदनुसार बैंक के उद्देश्य के अनुरूप नई प्रशिक्षण नीति तैयार करना वित्त वर्ष 2014-15 की प्रशिक्षण प्रणाली के कुछ प्रमुख कार्य हैं. स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर वर्ष के दौरान आयोजित 1032 कार्यक्रमों में कुल 35651 प्रतिभागियों ने समुचित प्रशिक्षण प्राप्त किया. बैंक द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी) के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान 57 कार्यशालाएं, 286 स्थानीय कार्यक्रम एवं 2 ऋण कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसके अतिरिक्त 321 अधिकारी बाहरी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में नामांकित किए गए.

22.7. कार्य-निष्पादन प्रबंधन :

22.7.1. कारोबारी मोर्चे पर उत्कृष्टता की प्राप्ति को जारी रखने के उद्देश्य से आपके बैंक ने अपने मानव संसाधन की संवृद्धि एवं विकास के लिये संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है. इसे बैंक के कोर मूल्यों एवं कार्यनीति के लक्ष्यों को समय से, पारदर्शी रूप में एवं सही प्रकार से जोड़ते हुए कार्यनिष्पादन प्रबंधन सिस्टम (पीएमएस) को नये कलेवर में प्रस्तुत किया गया है. इस सिस्टम को सामयिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 2015-16 में और व्यवस्थित किया जायेगा.

22.7.2. **कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन :** कार्य में उत्कृष्टता के विकास हेतु बैंक द्वारा वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई एवं 2358 कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन के लिए तथा 492 शाखाओं, 7 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 1 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय को टीम के कार्यनिष्पादन के लिए कुल ₹ 980.59 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी।

22.7.3. **स्टाफ सुविधाएं :** वर्ष के दौरान, कर्मचारी मित्रवत उपाय के रूप में कुछ स्टाफ सुविधाएं जैसे आवास ऋण, फर्नीचर ऋण एवं अवार्ड स्टाफ को समाचार पत्र आदि सुविधा प्रारम्भ की गई/ अधिक आकर्षक बनायी गयी।

22.7.4. **सीमांत सेवा लाभ:** कर्मचारियों/ अधिकारियों की सेवा समाप्ति पर बैंक ने प्रचलित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार सभी सीमांत देयों जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन, अवकाश नकदीकरण, मृत्यु राहत, गुप्त ग्रेच्युटी आदि, जो भी रहे हों, का तुरंत निपटान करने की परम्परा जारी रखी है।

22.7.5. **स्टाफ कल्याण :** अपने कर्मचारियों की आंकाक्षाओं को पूरा करने एवं प्रक्रिया में उनकी सहभागिता व प्रभावकारिता में सुधार के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष के दौरान कर्मचारी अनुकूल स्टाफ कल्याण की कई योजनाओं में सुधार किए एवं अधिकतम अनुमत राशि ₹ 25.00 करोड़ के उपयोग के प्रयास किए गए।

22.7.6. **कर्मचारी सुझाव :** कर्मचारियों को शीर्ष प्रबंधन से संवाद करने एवं उत्पादों, प्रक्रियाओं, ग्राहक सेवा आदि के विषय में और बेहतर हेतु अपने मूल्यवान विचार/ तर्क/ सुझाव प्रदान करने हेतु प्रेरित करने व अपनत्व की भावना लाने हेतु बैंक ने अपनी मेलिंग प्रणाली में 'इनोवेशन' नामक एक ईमेल लिंक उपलब्ध कराया है। प्राप्त सुझावों को केन्द्रीय कार्यालय की वरिष्ठ समिति द्वारा देखा जाता है /विश्लेषित किया जाता है तथा सबसे अच्छे सुझाव की प्रशंसा की जाती है। साथ ही बैंक में उसके कार्यान्वयन का प्रयास किया जाता है। इस चैनल के माध्यम से स्टाफ- प्रबंधन संबंधों को और मधुर बनाने का प्रयास किया जाता है।

23. औद्योगिक संबंध :

प्रमुख श्रम संघों के साथ निरंतर संवाद तथा सभी विवादास्पद मामलों के समाधान के कारण बैंक के औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं। अनुशासनिक कार्रवाई के मामले अत्यंत न्यायपूर्ण ढंग से तथा मानवीय दृष्टिकोण के साथ शीघ्रता से निपटारे गये हैं।

24. सुरक्षा :

आलोच्य वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक ने सुरक्षा की मूलभूत संरचना को मजबूत करके, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके और शाखाओं के सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु व्यापक सुरक्षा निरीक्षण करके बैंक में सुरक्षा के स्तर में वृद्धि करने के लिए संगठित प्रयास किए हैं। सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 1806 शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था को प्रमुखता से लागू करने के लिए 211 और शाखाओं में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) सिस्टम और एन्टी बर्गलरी अलार्म सिस्टम स्थापित किये गये। स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सुरक्षा एवं आग-सुरक्षा पर जोर दिया गया और इस हेतु सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 1175 शाखाओं में सुरक्षा एवं आग से बचाव पर लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 674 सुरक्षा प्रहरियों ने पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें वास्तविक फायरिंग अभ्यास भी कराया गया। शाखाओं एवं कार्यालयों में सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा पर्यवेक्षण बढ़ाने की दृष्टि से 38

अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की गई तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में उन्हें पदस्थ किया गया।

25. राजभाषा कार्यान्वयन :

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये, जैसे 'ग्राहक सेवा- विविध आयाम' नामक हिन्दी पुस्तक का प्रकाशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना पर 'कल्पवृक्ष' नामक हिन्दी कॉमिक का प्रकाशन, कार्यपालकों एवं स्टाफ सदस्यों को उनके दैनिक कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रेरित करने के लिए राजभाषा एवं बैंकिंग पर ऑन लाइन हिन्दी प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकिंग के प्रति जागरूकता लाने के लिए हिन्दी में 7 कार्टून फिल्मों यथा 'खुशहाली', 'आत्मनिर्भरता', 'सुरक्षित भविष्य', 'मैं हूँ ना', 'सच्चा साथी', 'बंदा हाजिर है' एवं 'कल्पवृक्ष' का निर्माण किया गया। एमआईएस माड्यूल का द्विभाषीकरण एवं यूनियन चेतना में हिन्दी का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया गया। वेतनमान -V एवं उससे ऊपर के कार्यपालकों हेतु 10 जनवरी, 2015 को विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुम्बई में पदस्थ हमारे बैंक के 117 कार्यपालकों ने भाग लिया।

26. आंतरिक लेखा परीक्षा :

26.1. वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा जारी दिशानिर्देशों और जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के अनुसार आपके बैंक ने 2013-15 के लिये सुसंगत आंतरिक लेखा परीक्षा नीति एवं समवर्ती लेखा परीक्षा नीति लागू की है। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) नीति को संशोधित किया गया। वर्ष के दौरान परामर्शदाता की सेवाएं लेते हुए प्रबंधन लेखा परीक्षा प्रणाली को भी जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के अनुरूप संशोधित किया गया है, ताकि प्रबंधन लेखा परीक्षा हेतु संशोधित एवं बेहतर प्रणाली कार्यान्वित की जा सके।

26.2. वर्ष 2014-15 के दौरान 3481 शाखाओं की ऑडिट की गई। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने वाली 91 शाखाओं, 128 करेंसी चेस्टों तथा 62 क्षेत्रीय कार्यालयों, 10 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों, केंद्रीय कार्यालय के 12 विभागों तथा 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मैनेजमेंट ऑडिट भी किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा कार्यालयों ने ₹ 129.2 करोड़ के आय क्षरण की पहचान की; तथा समय से वसूली कार्रवाई के चलते मार्च 2015 के अंत में ₹ 17.2 करोड़ का आयक्षरण रहा। वर्ष 2013-14 में उच्च जोखिम नियंत्रण वाली 15 शाखाओं के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में यह संख्या घटकर केवल 1 रह गई। लम्बित विशेष रिपोर्टों की संख्या में भी काफी कमी आई है।

26.3. वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें हुईं। इसके द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्टों का अवलोकन किया गया और परिचालन दक्षता में सुधार करने और सिस्टम तथा नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने पर सुझाव दिये गये।

26.4. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप समवर्ती लेखा परीक्षा द्वारा निरंतरता के आधार पर बैंक की 50 प्रतिशत जमाराशियों, 50 प्रतिशत अग्रिमों तथा अन्य जोखिम एक्सपोजरों को कवर करना है। मार्च 2015 के अंत तक आपके बैंक की 58 प्रतिशत जमाराशियों और 81 प्रतिशत अग्रिमों की समवर्ती लेखापरीक्षा की गयी। वर्तमान में 746 शाखाएं समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन हैं; साथ ही ट्रेजरी कार्यकलाप तथा डाटा सेंटर जैसे अन्य वर्टिकलों/ विभागों को भी समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन लाया गया है।

- 26.5. बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर तकनीक को अपनाया गया है और हमारी कारोबारी रणनीति/लक्ष्यों के लिये कई सूचना प्रणालियों को अपलोड किया गया है। संवेदनशील सूचना प्रणाली की विभिन्न खतरों से सुरक्षा के लिये बैंक की आईएस ऑडिट टीम के द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान सभी सूचना प्रणालियों की लेखा परीक्षा की गयी। आईएस आडिट को आंशिक तौर पर आउटसोर्स किया गया तथा शेष सिस्टम की लेखा परीक्षा, बैंक की आईएस लेखापरीक्षा टीम द्वारा की गयी। आंकड़ों की सत्यता और विश्वसनीयता तथा उपयोगकर्ताओं को बिना किसी बाधा के प्रणाली की सुलभता सुनिश्चित करने के लिये बैंक द्वारा लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों का अनुपालन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान जहां कारोबार संमिश्र पर आधारित कुछ क्रिटिकल शाखाओं की आईएस लेखापरीक्षा, बैंक की आईएस आडिट टीम द्वारा की गयी, वहीं बैंक की शेष शाखाओं का आईएस आडिट आंतरिक लेखा परीक्षा टीमों द्वारा किया गया।
- 26.6. मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने 2 टियर ऑफ साइट अनुश्रवण ढांचा अर्थात केंद्रीय ऑफ साइट अनुश्रवण कक्ष और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय अनुश्रवण कक्ष की स्थापना की है। ओएमसी शाखाओं में लेनदेन के समय किसी चूक, विचलन और कमी पर तत्काल चेतावनी देगी। तदनुसार ओएमसी द्वारा संदिग्ध/ अनियमित लेनदेनों का पता लगाने के लिये चेतावनियों का दैनिक आधार पर विश्लेषण किया जाता है तथा समय से इनके परिशोधन के लिये शाखाओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। आपके बैंक ने केंद्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर जेनरेट एलर्टों की रिपोर्टिंग एवं उनके अनुश्रवण पर नजर रखने हेतु ओएमसी एलर्ट अनुश्रवण प्रणाली पर एक नया पैकेज आरंभ किया है
- 27. सतर्कता**
- 27.1. संस्था में उत्कृष्टता लाने के लिये सतर्कता एक आवश्यक साधन है, क्योंकि यह अनुशासन और परिचालन सुरक्षा के साथ नैतिक वातावरण के सृजन में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका निभाता है। बैंक में परिचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत एवं सुव्यवस्थित सतर्कता प्रणाली विद्यमान है। बैंक में सतर्कता व्यवस्था का उद्देश्य बुनियादी स्तर पर बैंक के दैनिक कार्यकलापों में पद्धतियों एवं कार्य प्रणालियों के सटीक अनुपालन हेतु सतर्कता व जागरूकता का भाव उत्पन्न करना तथा प्रणालीगत कमजोरियां दूर करने हेतु उत्प्रेरक का कार्य करते हुए कारोबार संवृद्धि में योगदान करना है।
- 27.2. बैंक में सतर्कता मामलों के निस्तारण का औसत समय दिसंबर, 2013 के 19.5 माह से घटकर चालू वर्ष के दौरान 9 माह से भी कम हो गया है। निरंतरता के आधार पर सतर्कता कार्यों की शीघ्र पूर्ति से परिचालन स्तरों पर निर्णय लेने से आत्मविश्वास बढ़ा है। क्षेत्रकर्मियों में प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली के बारे में आवश्यक जागरूकता पैदा करने तथा गैर-अनुपालन की खामियों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों के क्षेत्रकर्मियों के साथ 766 संवादात्मक सतर्कता निवारक सत्र आयोजित किये गये।
- 27.3. सतर्कता को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु यह सभी स्टेकधारकों की एक सामूहिक गतिविधि है, जिसके लिए कई पहल की गई हैं। शाखाओं/ अन्य संस्थानों में निवारक सतर्कता समिति (पीवीसी) गठित हैं, जो नियंत्रक द्वारा पर्यवेक्षण तथा अंचल में सतर्कता कार्य की समीक्षा करती है। धोखाधड़ियों हेतु सजगता/ उनके विफलीकरण/ पहचान हेतु स्टाफ के प्रोत्साहन के लिए सतर्कता अवार्ड योजना आरंभ की गयी है। बैंक वास्तविक व्हिसल ब्लोअरों की पहचान करती है तथा पदोन्नति एवं पदस्थियों के समय उन्हें उचित महत्व देती है।
- 27.4. बैंक द्वारा क्षेत्र कर्मियों के सुलभ संदर्भ हेतु सतर्कता पोर्टल के प्रचार प्रसार तथा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विडियों काफैंसिंग के जरिये उनके ज्ञान/ कौशल में वृद्धि हेतु प्रभावी प्रयास किया जा रहा है। बैंक ने यूनियन विजिल पोर्टल (ई-विजिल), एक 'हरित पहल' के रूप में आरंभ किया है, जो सतर्कता प्रशासन तथा सतर्कता प्रक्रिया के त्वरित समापन हेतु समग्र समाधान उपलब्ध कराएगा।
- 28. परिदृश्य**
- 28.1. निवेश में सुधार तथा निम्न मुद्रास्फीतिक माहौल के बीच उपभोग में वृद्धि, बाह्य क्षेत्र की सुस्त चाल तथा ब्याज दरों में नरमी के कारण वर्ष 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 में जीडीपी में अनुमानित 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में जीडीपी में 8% वृद्धि की आशा की जाती है। तथापि, इस परिदृश्य में अनेकों जोखिम, जैसे निजी क्षेत्र के भारी ऋण-दबावग्रस्त तुलन पत्र से विस्तार में बाधा, पूंजी की कमी से जूझ रहे बैंकों द्वारा ऋण विस्तार में संकोच, प्रतिकूल मानसून व्यवहार, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के कमजोर निर्यात में धीमी प्रगति तथा यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि किये जाने से वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता एवं उतार-चढ़ाव की स्थिति आदि जोखिमों विद्यमान हैं। भारत, वैश्विक कमजोरी से अलग नहीं है; तथापि घरेलू मांग के बल पर मध्यम अवधि में विकास में तेजी की प्रवल संभावनाएं हैं।
- 28.2. आपका बैंक, अर्थव्यवस्था में उच्चावचन (टर्नअराउंड) से लाभ उठाने के लिए तैयार है। उच्च विकास दर की प्राप्ति हेतु बैंक द्वारा समुचित कदम उठाये जा रहे हैं; ताकि सभी स्टेकधारकों के अल्पकालिक उद्देश्यों के साथ- साथ दीर्घकालिक अपेक्षाएं पूरी हो सकें। मध्यम अवधि में बैंक के विकास का प्रमुख आधार इसका एचडीआर (मानव संसाधन, डिजिटल बैंकिंग तथा जोखिम प्रबंधन) फ्रेमवर्क होगा और इस तरह आगे आपका बैंक अपने प्रोसेस डिजाइन, विक्रय क्षमता में सुधार, विश्लेषण प्रक्रिया के सृजन तथा प्रबंधकीय क्षमता पर जोर और डिजिटल चैनलों की सदृढ़ता में और सुधार हेतु सतत प्रयासरत रहेगा। वस्तुतः बदलते परिवेश में आपका बैंक अपने को सक्षम बनाये रखने हेतु निरंतर पुनर्स्थापन एवं रूपांतरण कर रहा है। प्रगति में तेजी हेतु बैंक ने 'कार्यकुशलता संवर्धन- आय अर्जन' को अपना घोष वाक्य बनाया है। अपने सभी स्टेकधारकों के मूल्य संबर्धन हेतु बैंक सदैव प्रयासरत रहेगा।

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

- 1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस की परिपाटी रही है। शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है।
- 1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनके लिए संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कार्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है।

2. बोर्ड

- 2.1 बोर्ड का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 4 पूर्णकालिक निदेशक यथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और तीन कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त 8 अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गए श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं वृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- 2.2 बोर्ड के उत्तरदायित्व में नीति निर्माण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा और बैंक के विभिन्न क्षेत्र कर्मियों को प्रदत्त शक्तियों से अधिक के मामलों में मंजूरी प्रदान करना और नियंत्रण करना सम्मिलित है। बोर्ड ने विभिन्न समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। बोर्ड और समितियों की बैठक आवधिक अंतराल पर होती है।

3. बोर्ड / समिति की बैठकें और कार्यवाहियां

3.1 कार्यसूची मदों का निर्धारण और क्रमांकन

बोर्ड / समिति के सभी सदस्यों को बैठकों की सूचना पहले ही दे दी जाती है। बैठकें पूर्व निर्धारित कार्यसूची के अनुसार संपन्न होती हैं। बैठक से पहले कार्यसूची और व्याख्यात्मक नोट उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

3.2 सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना

कार्यसूची की सभी मदें विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण होती हैं, जिससे सदस्य व्यापक समीक्षा कर उचित निर्णय ले सकें।

3.3 कार्यवाही के कार्यवृत्त रिकार्ड करना

बोर्ड / समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सम्बंधित कार्यवृत्त पुस्तिका में रिकार्ड किये जाते हैं। श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के आधार पर सभी कार्यसूची मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।

बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त बही में प्रविष्ट की जाती है।

3.4 अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया

बैंक के पास, बैठक के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई, बोर्ड और समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया हेतु प्रभावी प्रणाली मौजूद है। पिछली बैठक(कों) में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट/पिछली बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड / समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.5 अनुपालन

बोर्ड द्वारा अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि सभी लागू होने वाले विधिक प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

3.6 कार्पोरेट गवर्नेंस संहिता

उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है। यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है। इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- बोर्ड एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन एवं अनुश्रवण कार्यप्रणाली
- शेयरधारकों एवं ग्राहकों के साथ संबंध
- व्यापक स्तर पर सार्वजनिक प्रकटन
- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और;
- अन्य विधिक मामले जैसे आचार संहिता, इनसाइडर ट्रेडिंग, कार्मिक मामले, सतर्कता आदि।

3.7 बोर्ड बैठकें

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों को 18 बोर्ड बैठकें संपन्न हुईं -

17 अप्रैल, 2014	01 नवंबर, 2014
7 मई, 2014	11 नवंबर, 2014
8 मई, 2014	5 दिसम्बर, 2014
31 मई, 2014	5 जनवरी, 2015
26 जून, 2014	27 जनवरी, 2015
31 जुलाई, 2014	28 जनवरी, 2015
1 अगस्त, 2014	26 फरवरी 2015
20 सितंबर, 2014	15 मार्च, 2015
31 अक्टूबर, 2014	16 मार्च, 2015

वर्ष के दौरान हुई बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, बोर्ड समितियों की संख्या, जिनके कि वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों/ निगमों, जिनमें वे शेयरधारक एवं निदेशक हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

निदेशकों एवं वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बैठकों के ब्यौरे

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	बोर्ड की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक (31.03.2015)
श्री अरुण तिवारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक)	01.07.57, 57 वर्ष	एम.एससी (केमिस्ट्री)	18	18	सीएसी-1, एमसीएम, एमसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, डीपीसी(वी), एससीएमएफ, एसटीसीबी, सी एससीबी, एचआर, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	4
श्री एस. के. जैन कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)#	05.05.54 60 वर्ष	बीएससी (आनर्स), एमए (अर्थ), सीएआईआईबी	4	4	सीएसी-1, एमसीबीएसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, एसआर सी, एससीएमएफ, एसटीसीबी, सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	लागू नहीं
श्री के. सुब्रमण्यम कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	15.07.55 59 वर्ष	बी काम (आनर्स), सीएआईआईबी(I)	18	18	सीएसी-1, एमसीबी, एसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, एसआर सी, एससीएमएफ, एसटीसीबी, सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	2
श्री राकेश सेठी कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	28.06.56 58 वर्ष	बी काम, एलएलबी, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट	18	18	सीएसी-1, एमसीबी, एसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, एसआर सी, एससीएमएफ, एसटीसीबी, सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	1
श्री किशोर खरात कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) \$	04.09.58 56 वर्ष	बी काम एन्ड एलएलबी	2	2	सीएसी-1, एमसीबी, एसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, एसआर सी, एससीएमएफ, एसटीसीबी, सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	बोर्ड की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक (31.03.2015)
मोहम्मद मुस्तफा भारत सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक) #	15.08.68 46 वर्ष	परास्नातक, एमए (फिलॉसफी), आईएसएस	11	4	एसीबी, डीपीसी, एनसीबी, एचआर, आरएमसी, एससीआर एन्ड एलएम, सीएससीबी, एससीएमएफ, आरसीबी	शून्य	लागू नहीं
श्री मिहिर कुमार भारत सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक) \$	01.04.70 45 वर्ष	बी ए (आनर्स) एन्ड एलएलबी	7	3	एसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, डीपीसी, एससीएमएफ, सीएससीबी, आरसीबी, एनसीबी, एचआर, आरएमसी	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल भारिबैं नामिती (गैर कार्यपालक)	21.01.59 56 वर्ष	एमबीए एन्ड सीआईआईबी	18	16	एमसीबी, एसीबी, डीपीसी, आरसीबी	शून्य	शून्य
श्री जगमोहन शर्मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट निदेशक (गैर-कार्यपालक)	29.10.49 65 वर्ष	बी काम (आनर्स), एन्ड एफसीए	18	18	एसीबी, एसआरसी	शून्य	शून्य
श्री बी. एन. भट्टाचारजी अधिकारी कर्मचारी (गैर कार्यपालक) #	31.05.54 60 वर्ष	बी. ए.एन्ड एलएलबी-I	1	1	शून्य	19	लागू नहीं
श्री एन. शंकर वर्कमैन कर्मचारी (गैर-कार्यपालक) #	20.05.58 56 वर्ष	बीएससी, आईसीडब्ल्यूए	1	1	एसआरसी	शून्य	लागू नहीं
डा. अतुल अग्रवाल अंश कालिक गैर सरकारी (गैर कार्यपालक) #	02.08.60 54 वर्ष	बी काम, एलएलबी, एफसीए.,आईएसए (आईसीआई) एन्ड पीएचडी	8	4	एससीबी, एसीबी, एसआरसी,सीएससीबी, आईटी, आरसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, पीएसबी द्वारा ईएसवी	100	लागू नहीं
श्री श्रीकांत मिश्रा अंश कालिक गैर सरकारी (गैर कार्यपालक)	8.03.55 60 वर्ष	बी कॉम.एन्ड सीए	18	15	एनसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, एमसीबी, आईटी, सीएससीबी	शून्य	शून्य
सुश्री अनुसुइया शर्मा अंश कालिक गैर सरकारी (गैर कार्यपालक)	15.06.48 66 वर्ष	एमए,बीएड एन्ड एलएलबी	18	18	एमसीबी, एसआरसी, एनसीबी, सीएससीबी	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	बोर्ड की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक (31.03.2015)
श्री डी. चटर्जी शेयर धारक (गैर कार्यपालक) @	23.08.48 66 वर्ष	बी.काम.(आनर्स)एन्ड सीए	18	15	एमसीबी, एसीबी, सीएससीबी, आरसीबी, एससीआर एन्ड एएलएम, आईटी, एसआरसी	200	12
डा. आर. एच. ढोलकिया शेयर धारक (गैर कार्यपालक)	02.04.53 61 वर्ष	अर्थशास्त्र में पीएचडी	18	16	एमसीबी, एचआर, सीएससीबी, एससीआर एन्ड एएलएम	200	3
श्री जी. के. लाठ शेयर धारक (गैर कार्यपालक)	20.08.52 62 वर्ष	बी.काम.एन्ड एफसीए	18	13	एमसीबी, सीएससीबी, एससीएमएफ, एसीबी, एससीआर एन्ड एएलएम, आरसीबी	100	शून्य

\$-नये शामिल किये गये निदेशक

1. श्री मिहिर कुमार को भारत सरकार द्वारा 25.11.2014 से मोहम्मद मुस्तफा के स्थान पर बोर्ड में नामांकित किया गया।
2. श्री किशोर खरात को भारत सरकार द्वारा 10.03.2015 से बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नामांकित किया गया है।
@-बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष
#-जिन निदेशकों ने अपना कार्यकाल पूरा किया
1. श्री बी एन भट्टाचारजी का कार्यकाल 03.05.2014 को पूरा हुआ।
2. श्री एन. शंकर ने 27.02.2014 से त्यागपत्र दिया तथा भारत सरकार की अधिसूचना 30.04.2014 को प्राप्त हुई.
3. श्री एस.के. जैन 31.05.2014 को सेवानिवृत्त हुए .
4. डा. अतुल अग्रवाल का कार्यकाल 21.09.2014 को पूरा हुआ.

सीएसी	- साख अनुमोदन समिति
एमसीबी	- बोर्ड की प्रबंध समिति
एसीबी	- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
एससीआर एवं एएलएम	- जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति
एसआरसी	- बोर्ड के हितधारकों की संबंध समिति
डीपीसी	- निदेशकों की पदोन्नति समिति
डीपीसी(वी)	- निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता
एसटीसीबी	- बोर्ड की शेयर अंतरण समिति
एससीएमएफ	- ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति
सीएससीबी	- बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
आरसीबी	- बोर्ड की पारिश्रमिक समिति
एनसीबी	- बोर्ड की नामांकन समिति
एचआर	- बोर्ड की मानव संसाधन उपसमिति
आईटी	- बोर्ड की आइटी रणनीति समिति
आरएमसी	- वसूली प्रबंधन हेतु बोर्ड की समिति
पीएसबी द्वारा ईएसवी	- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयर धारकों का चुनाव.

3.8 निदेशकों की समिति सदस्यता

श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक,सदस्य/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति बैंक के बाहर निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति या निवेशकों की संबंध समितियों की सदस्यता रखते हैं / के अध्यक्ष हैं

-यूनियन केबीसी एएमसी प्रा.लि.-सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

श्री डी. चैटर्जी, निदेशक बैंक के बाहर निम्न लेखापरीक्षा समिति और निवेशकों की संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता रखते हैं

1. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इन्डस्ट्रीज लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति.
2. वेस्ट बंगाल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.- अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति.
3. वेस्ट बंगाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लि.- अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति.
4. पियरलेस फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.- अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
5. टीआरएफ .लि.- अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति एवं सदस्य निवेशकों की संबंध समिति
6. टेक्समैको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
7. दि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

डा. आर. एच. ढोलकिया, निदेशक, बैंक के बाहर निम्न लेखापरीक्षा समिति और निवेशकों की संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता रखते हैं

1. अडानी इन्टरप्राइजेज लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
2. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. - अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

3.9 निदेशकों का आपसी संबंध

कोई भी निदेशक आपस में रिश्तेदार नहीं हैं.

3.10 वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :-

31 मार्च 2014 के उपरांत बोर्ड में सम्मिलित निदेशकों की प्रोफाइल

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य क. में निदेशक पद
श्री किशोर खरात	56	श्री किशोर खरात ने 10 मार्च, 2015 को बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभाला है। श्री खरात ने बैंक आफ बडौदा में तीन दशक से अधिक के अपने बैंकिंग कैरियर में, वैविध्यपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है जिसमें भारत तथा विदेश में ऋण प्रशासन, विदेशी व्यवसाय, सूचना तकनीक एवं सामान्य प्रशासन शामिल है। श्री खरात ने ट्रिनिडाड एन्ड टुबैगो, वेस्ट इन्डीज में बैंक ऑफ बडौदा की एक विदेशी सहायक कम्पनी स्थापित की तथा तीन वर्ष से अधिक समय तक प्रबंध निदेशक के रूप में इसके प्रमुख रहे। वह इंडिया ट्रिनिडाड एन्ड टुबैगो चैम्बर ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज के संस्थापक सदस्य थे। विदेश में उनका अन्य उत्तरदायित्व शरजाह (यूएई) में था। उनकी अन्तिम पदस्थी महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन के रूप में थी जहां देश के समावेशी विकास में बैंक तथा भारत सरकार, दोनों को वित्तीय समावेशन में आगे ले जाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। बैंक के कारपोरेट कार्यालय में वह कारपोरेट क्रेडिट कार्य भी संभाल रहे थे तथा वह कारपोरेट वित्त सेवायें विभाग, हैदराबाद के प्रमुख भी थे।	10.03.2015	30.09.2018	-
श्री मिहिर कुमार	45	श्री मिहिर कुमार को 25 नवम्बर, 2014 से सरकार के नामित निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया है। श्री मिहिर कुमार ने 1997 में रक्षा लेखा सेवा (IDAS) में कार्य ग्रहण किया। ग्यारह वर्ष से अधिक के अपने सेवा कैरियर में श्री मिहिर कुमार ने भुगतान, लेखा तथा सशस्त्र सेनाओं के वित्तीय परामर्श से संबंधित कई दायित्व संभाले। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के मोनक (MONUC) में वह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारतीय शांति ब्रिगेड के प्रथम वित्त अधिकारी थे। श्री कुमार आईडीएस एकेडमी-नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेन्स फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट, पुणे में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण थे। वह ₹ 50000 करोड़ के रक्षा बजट वाले सभी रक्षा, विदेशी, तेल एवं अन्य केन्द्रीय खरीद मर्दों के लेखा परीक्षा एवं भुगतान के द्वितीय कमान्ड थे। 25 अक्टूबर, 2012 से, वह वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में एक निदेशक हैं।	25.11.2014	अगले अनुदेशों तक	-

3.11 वार्षिक साधारण बैठक:

शेयर धारकों की बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक दि. 27 जून, 2014 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1.	श्री अरुण तिवारी	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री के. सुब्रमण्यम	-	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राकेश सेठी	-	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जग मोहन शर्मा	-	निदेशक - सनदी लेखाकार
5.	श्री दीपांकर चटर्जी	-	शेयरधारक निदेशक एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

4. बोर्ड की समितियां

4.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

4.1.1 संघटन:

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्र. एफ.क्र. 13/1/2006 BO.I दिनांक 10.06.2014 के अनुसार किया गया है, जिसमें 6 निदेशक यथा - कार्यपालक निदेशक(2), भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामित और 2 शेयरधारक निदेशक जिनमें से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री दीपांकर चटर्जी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.1.2 कार्य

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं-

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक / बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।
2. एसीबी बैंक की आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। इसके द्वारा विशेष स्तर से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है-
 - अंतर शाखा समायोजन खाते
 - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो।
 - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
 - धोखाधड़ी।
 - हाउसकीपिंग से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र।
3. एसीबी भारिबैं के अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालना अधिकारी से छमाही रिपोर्ट और लिस्टिंग तथा अन्य सेबी दिशानिर्देशों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है।
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम स्तर प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है।
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीतियां और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है।
6. इसके साथ ही साथ, एसीबी प्रत्येक वर्ष व्हिसल ब्लोअर हेतु अपनायी गई नीति की भी समीक्षा करती है।
7. बैंक की सभी वित्तीय नीतियों की समीक्षा।
8. प्रबंधन के फैसले की कार्रवाई के आधार पर प्रमुख लेखा प्रविष्टियों की समीक्षा।
9. ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में परिवर्तन यदि कोई हो तो।
10. लेखा मानकों के कारण लेखा परीक्षा, अनुपालन से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजन।

11. भावी मुद्दों का अनुमान।

12. जमाकर्ताओं, शेयरधारकों (डिवीडेन्ड) और लेनदारों के भुगतान में चूक (जहां भुगतान में विलंब हुआ है)।

4.1.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति

2014-15 में समिति की 11 बैठक हुईं जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही :-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. अतुल अग्रवाल , समिति के अध्यक्ष	3	2
श्री दीपांकर चैटर्जी, समिति के अध्यक्ष	8	8
श्री एस.के.जैन, का.नि.	2	2
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	11	11
श्री राकेश सेठी, का.नि.	11	11
श्री किशोर खरात, का.नि.	1	1
मोहम्मद मुस्मफा, सरकार द्वारा नामित	7	2
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित	4	2
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित	11	10
श्री जगमोहन शर्मा, सीए निदेशक श्रेणी	3	3
श्री जी.के.लाठ, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	8	5

4.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

4.2.1. संघटन:

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बैंकिंग प्रभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना) 1970/80 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी, 2007 और उसके बाद उनकी अधिसूचना क्रमांक 13/1/2006 BO-I दिनांक 14.01.2015 के द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा अब प्रबंधन समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक/कों, रिजर्व बैंक के नामित तीन निदेशक, केन्द्र सरकार द्वारा धारा 9(3)(जी) के अंतर्गत नामित तीन और गैर-कार्यकारी निदेशक समित के सदस्य के स्तर में शामिल हैं और बोर्ड द्वारा धारा 9(3)(ई),(एफ),(एच) एवं (आई) के अंतर्गत रोटेशन के आधार पर प्रत्येक छः माह के लिए बोर्ड द्वारा नामित तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैठक की अध्यक्षता करते हैं।

4.2.2. कार्य

बोर्ड ने प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौता/ बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्तावों, राजस्व एवं पूंजीगत

व्ययों का अनुमोदन, परिसर अधिग्रहण और किराये पर लेना, निवेश और दान आदि पर विचार करने के लिए किया है।

4.2.3 एम सी बी बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रबंधन समिति की 26 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही :-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, समिति के अध्यक्ष	26	26
श्री एस.के.जैन, का.नि.	4	4
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	26	26
श्री राकेश सेठी, का.नि.	26	22
श्री किशोर खरात, का.नि.	2	2
श्री दीपक सिंघल, भारिबै नामित निदेशक	26	25
श्री जगमोहन शर्मा, सीए निदेशक श्रेणी	20	20
डा. अतुल अग्रवाल, गैर सरकारी निदेशक	7	5
श्री आर. एच.ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	13	10
श्री जी.के.लाठ, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	13	12
श्री डी.चटर्जी, शेयर धारक निदेशक	13	12
श्री एस.के.मिश्रा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	13	8
सुश्री अनुसुईया शर्मा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	14	14

4.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एण्ड एएलएम)

4.3.1. संघटन:

इस समिति में बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य यथा : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित सदस्य तथा चार अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

4.3.2 कार्य:

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड की जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है, यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करती है।

4.3.3. एससीआर एवं एएलएम बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2014-15 में समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री एस.के.जैन, का.नि.	4	4
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4
श्री राकेश सेठी, का.नि.	4	4
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित	2	1
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित	2	0
डा. अतुल अग्रवाल, अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशक	1	0
श्री एस.के.मिश्रा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	4	3
श्री डी.चटर्जी, शेयर धारक निदेशक	4	2
श्री आर. एच.ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	4	3
श्री जी.के.लाठ, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	2	1

4.4 बोर्ड की शेयरधारकों / निवेशकों की समिति (एसआरसी)

4.4.1 संघटन:

सूचियन करार के खंड 49(VIII) (ई) (4) में संशोधनों के अनुक्रम में, बोर्ड की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति को दिनांक 05.01.2015 से हितधारकों की संबंध समिति के रूप में पुनः नामांकित किया गया है। समिति में कार्यपालक निदेशक तथा तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। श्री जगमोहन शर्मा, गैर-कार्यकारी निदेशक (सीए श्रेणी) समिति के अध्यक्ष हैं।

4.4.2 कार्य

सूचियन करार के खंड 49 के अनुक्रम में, बोर्ड द्वारा शेयरधारकों/निवेशकों की शेयर अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश आदि की अप्राप्ति संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु हितधारकों की संबंध समिति का गठन किया गया है।

4.4.3 एसआरसी में उपस्थिति

2014-15 वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डा. अतुल अग्रवाल, समिति के अध्यक्ष	2	1
श्री जगमोहन शर्मा, समिति के अध्यक्ष	2	2
श्री एस.के. जैन, का.नि.	1	1
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4
श्री राकेश सेठी, का.नि.	4	4
श्री किशोर खरात, का.नि.	1	1
श्री डी. चटर्जी, शेयर धारक निदेशक	4	3
सुश्री अनुसुईया शर्मा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	4	4

31.3.2014 और 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त, उत्तरित और लंबित शिकायतों की तुलनात्मक सारणी निम्न प्रकार है :-

विवरण		31.03.2015 को समाप्त वि. वर्ष के लिए	31.03.2014 को समाप्त वि. वर्ष के लिए
ए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	-शून्य-	-शून्य-
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या	766	1377
सी	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निपटाई गई शिकायतों की संख्या	766	1377
डी	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	-शून्य-	-शून्य-

सुश्री नेहा अग्रवाल, कंपनी सचिव को निवेशकों की शिकायतों के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है.

4.5 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

4.5.1 संघटन:

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं / अथवा कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधक / उप महाप्रबंधक (एमडीओ) और मुख्य विधि अधिकारी शामिल हैं.

4.5.2 कार्य:

बैंक में शेयरों के शीघ्रतापूर्वक अंतरण के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की गयी है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

4.5.3 एसटीसीबी में उपस्थिति:

वर्ष के दौरान, समिति की अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 46 बैठकें आयोजित की गयीं.

4.6 ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी वाले मामलों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीएमएफ)

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक आरबीआई / 2004.15.डीबीएस.एफजीवी (एफ) नं.1004/23.04.01 ए / 2003-04, दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, हाऊसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्रों इत्यादि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. समिति से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. तथापि बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण करना जारी रखेगी.

4.6.1 संघटन:

यह विशेष समिति, बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिजर्व बैंक नामिती को छोड़कर बोर्ड के दो अन्य सदस्य

4.6.2 कार्य

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को दूर किया जा सके और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय किये जा सकें.
- धोखाधड़ी का पता लगाने और / या उच्च प्रबंधन या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों का पता लगाया जा सके.
- सीबीआई / पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण किया जा सके.
- सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है तथा स्टाफ संबंधी कार्रवाई यदि कोई है तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी रक्षात्मक कार्रवाई के प्रभाव की समीक्षा की जा सके.

- धोखाधड़ी निरोधक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू किये जा सकें.

4.6.3 एससीएमएफ में उपस्थिति:

वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री एस.के.जैन, का.नि.	1	1
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4
श्री राकेश सेठी, का.नि.	4	4
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित	2	0
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित	2	1
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	4	4

4.7 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है. समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक, डीबीओडी के दिनांक 14 अगस्त 2004 के परिपत्र के संदर्भ में किया गया है.

4.7.1 संघटन:

समिति में दस सदस्य निम्नानुसार हैं:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- ग्राहकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक
- तीन गैर कार्यपालक निदेशक
- सरकार द्वारा नामित निदेशक - स्थायी सदस्य
- विशेष आमंत्रित के रूप में ग्राहकों के दो प्रतिनिधि

4.7.2 कार्य:

यह समिति निम्नलिखित कार्य करती है

- सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सुझाव देना.
- मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना.
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करके संस्तुति करना.

4.7.3 सीएससीबी में उपस्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री एस.के.जैन, का.नि.	1	1
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4
श्री राकेश सेठी, का.नि.	4	4
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित	2	0
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित	2	1
डा.अतुल अग्रवाल, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	1	0
श्री एस.के.मिश्रा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	4	3
सुश्री अनुसुईया शर्मा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	2	2
डा. आर. एच.ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	4	4
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	4	2
श्री दीपांकर चटर्जी, शेयर धारक निदेशक	4	3

4.8 निदेशकों को पारिश्रमिक समिति(आरसीबी)

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने अपने संप्रेषण एफ नं. 20/1/2005-बीओ.। दिनांक 09 मार्च, 2007 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना की घोषणा की है. भारत सरकार के संप्रेषण के अनुसार बोर्ड की एक उपसमिति बनाई गई है जिसे “पारिश्रमिक समिति” कहा गया है

4.8.1 संघटन:

- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

4.8.2 कार्य

भारत सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना.

4.8.3 आरसीबी में उपस्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान इस समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें उपस्थिति का ब्योरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या (25.07.14)	बैठकों में उपस्थिति (25.07.14)	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या (26.02.15)	बैठकों में उपस्थिति (26.02.15)
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक, समिति के अध्यक्ष	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, समिति के अध्यक्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित निदेशक	1	1	1	1
डा. अतुल अग्रवाल, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डी. चॅटर्जी, शेयरधारक निदेशक	1	0	1	1
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	0	0	1	1

4.9 बोर्ड की नामांकन समिति (एनसीबी)

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 (वर्ष 2006 में संशोधित किए अनुसार) की धारा 9 की उप-धाराएं (3ए) एवं (3एबी) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट “योग्य एवं उपयुक्त” मानदंड निर्धारित किए हैं. भारिबैं ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए “योग्य एवं उपयुक्त” मानदंडों पर क्र.डीबीओडी क्र.बीसी.क्र. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक के साथ पढे गये परिपत्र डीबीओडी क्र. बीसी क्र. 46 तथा डीबीओडी सं.बीसी नं. 47/29.39.001/2007-08 दोनों दिनांक 01 नवंबर, 2007 जारी किया है.

आगे, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन क्र.16/83/2013-BO.I दिनांक 03.09.2013 के माध्यम से ने अपेक्षा व्यक्त की है कि अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों की स्थिति को शेयरधारक निदेशक के चयन हेतु “योग्य एवं उपयुक्त” को रखे जाने के संबंध में दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2011 को ध्यान में रखा जाय. उपरोक्त दिशानिर्देशों को अधिसूचना एफ क्र. 16/51/2012-BO.I दिनांक 28.04.2015 के द्वारा पुनःसंशोधित किया गया है.

बैंकों से अपेक्षा है कि वे अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत वर्तमान चयनित निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण के लिए

समुचित सावधानी की प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन करें. तदनुसार, बैंक ने निदेशकों की नामांकन समिति का गठन किया है.

4.9.1 संघटन:

- तीन गैर-कार्यपालक निदेशक
- भारिबैं के पत्र क्र.12558/08.21.006/2010-11 दिनांक 08.02.2011 के अनुसार भारिबैं का नामित निदेशक इस समिति से संबंधित नहीं हो सकता.

4.9.2 कार्य

- समुचित सावधानी के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित निदेशक की “योग्य एवं उपयुक्त” स्थिति की जांच करना.
- यह देखना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) क्षेत्र एवं विशेषज्ञता का अनुभव (iii) ट्रैक रिकॉर्ड एवं सत्यनिष्ठा का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में रुकावट तो पैदा नहीं करता है. इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार / नियामक एजेंसी से उम्मीदवार के बारे में प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी.
- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर, यह समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या न करने का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों से संदर्भ (हवाले) प्राप्त करें ताकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

4.9.3 एनसीबी में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2014-15 के दौरान एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
मोहम्मद मुस्तफा, समिति के अध्यक्ष	1	1
श्री श्रीकान्त मिश्रा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1
सुश्री अनुसुईया शर्मा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1

4.10 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

4.10.1 संघटन :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

4.10.2 कार्य

यह समिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन ग्रेड स्केल VII में चयन / अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है।

4.10.3 डीपीसी में उपस्थिति

वर्ष 2014-15 में समिति की एक बार बैठक हुई जिसमें उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी , अध्यक्ष	1	1
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित निदेशक	1	1

4.11 निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता

4.11.1 संघटन:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

इसके अतिरिक्त, कार्यपालक निदेशक भी इन बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहते हैं।

4.11.2 कार्य

यह समिति तिमाही आधार पर सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा करती है।

4.11.3 डीपीसी - सतर्कता/गैर-सतर्कता में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2013-14 के दौरान 3 बैठकें संपन्न हुई, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी , अध्यक्ष	3	3
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित निदेशक	3	3

4.12 बोर्ड की एचआर उप समिति

4.12.1 संघटन

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक तथा कोई दो निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं।

4.12.2 कार्य

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन हेतु पर्यवेक्षण और समीक्षा:

1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति.
 - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
 - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
 - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
 - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुसूच एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
 - पुरस्कार व प्रोत्साहन
 - पदोन्नति
 - तैनाती
4. प्रशिक्षण
 - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
 - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण /पुनश्चर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

4.12.3 बोर्ड की एचआर उप समिति की उपस्थिति

वर्ष 2014-15 में समिति की 4 बैठकें हुई जिनमें उपस्थिति इस प्रकार थी:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी , समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री एस.के. जैन, का.नि.	1	1
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	2
श्री राकेश सेठी, का.नि.	4	4
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1
डा. आर. एच. ढोलकिया, शेरधर निदेशक	4	4

4.13 बोर्ड की आईटी रणनीति समिति

आईटी सुशासन उपायों के अंश के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की रणनीति से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है।

4.13.1 संघटन

समिति में होंगे

- कार्यपालक निदेशकगण
- दो स्वतंत्र निदेशक जिनमें एक समिति का अध्यक्ष होगा।
- बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी - (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख महा प्रबंधक)

4.13.2 कार्य

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है।
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है।
- सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी के निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहे और बजट स्वीकार करने योग्य हो।
- रणनीति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना।
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना।
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदा.जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोतों के बारे में)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आय से अधिकतम लाभ मिलता हो।
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पर्यवेक्षण

और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन है।

- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना

4.13.3 बोर्ड की आईटी रणनीति बैठक में उपस्थिति

2014-2015 के दौरान समिति की 5 बैठकों की गई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डा.अतुल अग्रवाल, समिति के अध्यक्ष	3	3
श्री श्रीकान्त मिश्रा, समिति के अध्यक्ष	2	2
श्री एस के जैन, कानि	2	2
श्री के. सुब्रमण्यम, कानि	5	5
श्री राकेश सेठी, कानि	5	5
श्री किशोर खरात, कानि	1	1
श्री डी चटर्जी, शेयरधारक निदेशक	5	5

4.14 अंशधारक निदेशकों के चुनाव के लिए बोर्ड की समिति - सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा मतदान (पीएसबी द्वारा एसबी)

भारत सरकार, जो बड़ी अंशधारक है, चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है क्योंकि वित्त मंत्रालय के पत्र क्रमांक 16/11/2012-BO-1 दिनांकित 03 अप्रैल, 2012 द्वारा जारी नोटीफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है। अतः मंत्रालय ने बैंकों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में बोर्ड की समिति गठित करने की सलाह दी है। आगे सूचित किया जाता है कि समिति में सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक नहीं रहेंगे।

4.14.1 संघटन:

समिति के संगठन में :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य सदस्य

4.14.2 कार्य

संदर्भ की शर्तें शिक्षा, अनुभव, प्रोफाईल एवं पृष्ठभूमि सहित सभी तथ्यों पर विचार किया जाएगा एवं प्रतिभागियों के चुनाव में निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही, पीएसबी के अंशधारक निदेशक के चुनाव के मामले में विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

4.14.3 अंशधारक निदेशकों के चुनाव के लिए बोर्ड की समिति की बैठकों में उपस्थिति - सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा मतदान.

आवश्यकता के अनुसार बैठक आयोजित की जाएगी. चूंकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही अतः वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

4.15 वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसी)

27.11.2012 को भारत सरकार के उक्त विषयक पत्र क्रमांक F.No.7/112/2012-BOA दिनांकित 21 नवम्बर, 2012 के अनुसार वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तरीय उप समिति का गठन किया गया.

यह भी सूचित किया गया कि नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को बोर्ड स्तरीय उप समिति का गठन करना चाहिए जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं भारत सरकार नामित निदेशक होंगे एवं यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

4.15.1 संघटन:

समिति के संगठन में :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- भारत सरकार नामित निदेशक

4.15.2 कार्य

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करना.

4.15.3 वसूली प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थिति

2014-2015 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं और निम्नानुसार उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी , समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री एस.के.जैन, का. नि.	1	1
श्री के. सुब्रमण्यम, का. नि.	4	2
श्री राकेश सेठी, का. नि.	4	3
श्री किशोर खरात, का.नि.	1	1
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2

4.16 ऋण अनुमोदन समिति - I (सीएसी-I)

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन क्रमांक SO.2736(E) दिनांकित 5 दिसम्बर, 2011 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24.01.2012 को आयोजित बोर्ड की बैठक में केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर ऋण अनुमोदन समिति के गठन का अनुमोदन किया गया. सीएसी (ऋण अनुमोदन समिति - I) का परिचालन अप्रैल, 2012 से प्रभावी हुआ.

4.16.1 संघटन:

सीएसी का संगठन निम्नानुसार है:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अनिवार्य रूप से)
- कार्यपालक निदेशकगण (अनिवार्य रूप से कम से कम एक)
- महाप्रबंधक - ऋण
- महाप्रबंधक - वित्तीय आयोजना एवं निवेशक संबंध (सीएफओ)
- महाप्रबंधक - जोखिम प्रबंधन (अनिवार्य रूप से)

4.16.2 कार्य

- निधि आधारित/गैर निधि आधारित ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत करना
- ऋण समझौता/अपलिखित प्रस्ताव

4.16.3 ऋण अनुमोदन समिति - I की बैठक में उपस्थिति

2014-2015 के दौरान समिति की 34 बैठकें आयोजित की गईं और निम्नानुसार उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी , समिति के अध्यक्ष	34	34
श्री एस.के.जैन, का.नि.	6	5
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	34	28
श्री राकेश सेठी, का.नि.	34	29
श्री किशोर खरात, का.नि.	3	3
पदवार उपस्थिति		
महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)	34	29
सीएफओ	34	30
महाप्रबंधक (ऋण)	34	34

5. साधारण सभा की बैठकें:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान
असाधारण सामान्य बैठक	20 मार्च, 2012 प्रातः 11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	26 जून, 2012 प्रातः 10.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 जून, 2012 दोपहर 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	16 मार्च, 2013 प्रातः 10.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 जून, 2013 दोपहर 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	14 दिसम्बर, 2013 प्रातः 10.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	27 जून, 2014 प्रातः 11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.

सामान्य बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत विशेष संकल्पों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

5.1 20 मार्च, 2012 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक.

विशेष संकल्प:

- क) सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 1,43,11,631 (एक करोड़ तैंतालीस लाख ग्यारह हजार छ सौ इकतीस) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 248.05 की दर से कुल मिलाकर ₹ 355 करोड़ (तीन सौ पचपन करोड़ मात्र) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना और
- ख) सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 2,62,16,620 (दो करोड़ बासठ लाख सोलह

हजार छ सौ बीस) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 248.05 की दर से कुल मिलाकर ₹ 650.30 करोड़ (छः सौ पचास करोड़ तीस लाख मात्र) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की विभिन्न योजनाओं को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना. उक्त संकल्प के अनुक्रम में बैंक को केवल एलआईसी से आवेदन राशि प्राप्त हुई थी तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को 30 मार्च, 2012 को 2,62,16,620 शेयर जारी तथा आबंटित किये गये हैं.

5.2 16 मार्च, 2013 को हुई असाधारण सामान्य बैठक .

विशेष संकल्प:

1. भारत सरकार को वरीयता आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 4,62,45,174 (चार करोड़ बासठ लाख पैतालीस हजार एक सौ चौहत्तर) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 240.89 की दर से कुल मिलाकर ₹ 1,114 करोड़ (एक हजार एक सौ चौदह करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना.

2. अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII के तहत अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के द्वारा आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के स्म में परिभाषितों को बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी तथा आबंटन करना है, भले ही वे बैंक के शेयर धारक हों या नहीं, जैसा भी लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार बोर्ड के विवेकानुसार निर्णय लेकर अनुमति दी जाती है. यह राशि एक या अधिक बार में समग्र रूप से ₹ 1386 करोड़ (₹ एक हजार तीन सौ छियासी करोड़) से अधिक न हो, बोर्ड के विवेकानुसार ऐसे शर्तों और निबंधनों के अधीन निवेशकों के संवर्ग के लिए निर्धारित, बाजार में प्रचलित दशा तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा जहां भी आवश्यक हो लीड प्रबंधकों और /या अंडरराइटर्स और/या सलाहकारों की सलाह लेकर प्रीमियम के साथ मूल्य का निधारण किया गया हो.

उपर्युक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार से बैंक को आवेदन राशि प्राप्त हुई तथा 4,62,45,174 शेयर जारी किये गये तथा दिनांक 21 मार्च, 2013 को भारत सरकार को अंशों का आबंटन किया गया.

दूसरा संकल्प, इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक क्यू.आई.पी. के माध्यम से पूंजी वृद्धि के लिए लिया गया जो बैंक के हित में होगा. इस प्रकार से की गई पूंजी वृद्धि से प्राप्त निधियों का प्रयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने और बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा. इस संकल्प के तहत बैंक ने अब तक कोई पूंजी प्राप्त नहीं की है.

5.3 14 दिसम्बर, 2013 को हुई असाधारण सामान्य बैठक.

विशेष संकल्प:

1. भारत सरकार को वरीयता आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

क) सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 3,35,12,064 (तीन करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार चौंसठ) इक्विटी शेयर प्रीमियम ₹ 139.20 के साथ ₹ 149.20 पर कुल मिलाकर ₹ 500 करोड़ (₹ पांच सौ करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना.

ख) ₹10/- प्रत्येक वाले 74,39,678 (चौहत्तर लाख उनतालीस हजार छै सौ अठहत्तर) ₹ 139.20 प्रीमियम के साथ ₹ 149.20 परिवर्तन मूल्य पर सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार परिवर्तन के द्वारा कुल ₹ 111 करोड़ (₹ एक सौ ग्यारह करोड़) के 11.10 करोड़ पी.एन.सी.पी.शेयर्स को परिवर्तन के द्वारा भारत सरकार को वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना.

2. अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII के तहत अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के द्वारा आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के रूप में परिभाषितों को बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी तथा आबंटन करना हैं, भले ही वे बैंक के शेयर धारक हों या नहीं, जैसा भी लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार बोर्ड के विवेकानुसार निर्णय लेकर अनुमति दी जाती है. यह राशि एक या अधिक बार में समग्र रूप से ₹ 1386 करोड़ (₹ एक हजार तीन सौ छियासी करोड़) से अधिक न हो, बोर्ड के विवेकानुसार ऐसे शर्तों और निबंधनों के अधीन निवेशकों के संवर्ग के लिए निर्धारित, बाजार में प्रचलित दशा तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा जहां भी आवश्यक हो लीड प्रबंधकों और/या अंडरराइटर्स और/या सलाहकारों की सलाह लेकर प्रीमियम के साथ मूल्य का निधारण किया गया हो.

उपर्युक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार से बैंक को आवेदन राशि प्राप्त हुई तथा 3,35,12,064 शेयर जारी किये गये तथा दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 को भारत सरकार को अंशों का आबंटन किया गया.

पी. एन. सी. पी. शेयर्स के परिवर्तन के लिए भारत सरकार से बैंक को दिनांक 27 जून, 2014 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक तक अनुमोदन नहीं मिला था अतएव पी.एन.सी.पी.शेयर्स के वरीयता के आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों में स्रजन,निर्गम,एवं आबंटन हेतु उक्त बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन लिया गया था.

दूसरा संकल्प, इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक क्यू.आई.पी. के माध्यम से पूंजी वृद्धि के लिए लिया गया जो बैंक के हित में होगा. इस प्रकार से की गई पूंजी वृद्धि से प्राप्त निधियों का

प्रयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने और बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा. इस संकल्प के तहत बैंक ने अब तक कोई पूंजी प्राप्त नहीं की है.

5.4 27 जून, 2014 को हुई वार्षिक सामान्य बैठक

विशेष संकल्प:

1. भारत सरकार को वरीयता आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 5472563 (चौवन लाख बहत्तर हजार पांच सौ तिरसठ) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 192.83 की प्रीमियम सहित ₹ 202.83 की दर से ₹ 111 करोड़ (₹ एक सौ ग्यारह करोड़) के कुल 11.10 पीएनपीसी शेयरों को परिवर्तन के द्वारा वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना.

2. अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII के तहत अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के द्वारा आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के रूप में परिभाषितों को बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी तथा आबंटन करना हैं, भले ही वे बैंक के शेयर धारक हों या नहीं, जैसा भी लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार बोर्ड के विवेकानुसार निर्णय लेकर अनुमति दी जाती है. यह राशि एक या अधिक बार में समग्र रूप से ₹ 1386 करोड़ (₹ एक हजार तीन सौ छियासी करोड़) से अधिक न हो, बोर्ड के विवेकानुसार ऐसे शर्तों और निबंधनों के अधीन निवेशकों के संवर्ग के लिए निर्धारित, बाजार में प्रचलित दशा तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा जहां भी आवश्यक हो लीड प्रबंधकों और/या अंडरराइटर्स और/या सलाहकारों की सलाह लेकर प्रीमियम के साथ मूल्य का निधारण किया गया हो.

दिनांक 12.09.2014 के उपर्युक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार से बैंक को आवेदन राशि प्राप्त हुई तथा 54,72,563(चौवन लाख बहत्तर हजार पांच सौ तिरसठ) शेयर ₹ 192.83 की प्रीमियम सहित ₹ 202.83 की दर से ₹ 111 करोड़ (₹ एक सौ ग्यारह करोड़) के कुल 11.10 पीएनपीसी शेयरों का परिवर्तन के द्वारा भारत सरकार को अंशों का आबंटन किया गया

दूसरा संकल्प, इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक क्यू.आई.पी. के माध्यम से पूंजी वृद्धि के लिए लिया गया जो बैंक के हित में होगा. इस प्रकार से की गई पूंजी वृद्धि से प्राप्त निधियों का प्रयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने और बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा. इस संकल्प के तहत बैंक ने अब तक कोई पूंजी प्राप्त नहीं की है.

6. प्रकटन:

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं

विविध प्रावधान) योजना 1970 द्वारा नियंत्रित है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कार्पोरेट निकाय (अर्थात् प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां आदि) हैं, सूची समझौते का खंड 49 उस सीमा तक ही लागू होगा कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सूचीकरण समझौते के खंड 49 की सभी प्रयोज्य अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है। उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है। खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं।

i. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं।

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा व्यय और विराम व्ययों सहित पारिश्रमिक का निर्धारण भारिबैं की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17(1)/16(1) की शर्तों के अनुसार किया जाता:

1. बैठक में भाग लेने की फीस (अधिसूचना क्र.15/1/2011-B.O.I दि. 18/10/2011):

बोर्ड की बैठकें - ₹ 10,000/- प्रति बैठक.
समिति की बैठकें - ₹ 5,000/- प्रति बैठक.

2. यात्रा एवं विराम भत्ता:

अपने लिये पात्र फीस के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को खंड 17(2)/16(2) की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा।

ii. महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक सम्बन्धों का प्रकटन

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए अपने प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, अपनी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जिसका टकराव बैंक के हितों से होता हो। वर्ष के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशक और बैंक के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हुआ।

iii. सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम

आलोच्य वर्ष में बैंक ने ₹ 10/- मूल्य के 5472563 (चौवन लाख बहत्तर हजार पांच सौ तिरसठ) शेयर ₹ 202.83 (प्रति इक्विटी शेयर ₹ 192.83 प्रीमियम सहित) भारत सरकार को परिवर्तन के आधार पर आवंटित ₹ 111 करोड़ (₹ एक सौ ग्यारह करोड़) के कुल 11.10 पीएनपीसी शेयरों का परिवर्तन के द्वारा भारत सरकार को अंशों का आबंटन किया गया। परिणामस्वरूप, सरकार की अंशधारिता

60.13% से बढ़ कर 60.47% हो गयी है.. परिवर्तन के उपरान्त, बैंक की चुकता पूंजी ₹ 630.31 से बढ़ कर ₹ 635.78 करोड़ हो गयी है। परिवर्तन का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात विशेष कर सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात को सुदृढ़ करने के लिये पूंजी में वृद्धि करना था।

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र (टियर I एवं टियर II पूंजी) की प्रकृति के असुरक्षित अपरिवर्तनीय बांड जारी किये हैं। इससे संबंधित सूचना रिपोर्ट के पैरा 8.1 में दी गयी।

iv. दंड एवं आक्षेप

गत 3 वर्ष के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

v. गुप्त सूचना नीति

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है। लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है।

vi. महत्वपूर्ण सब्सिडियरी निर्धारण की नीति

सूचीयन करार के खंड 49 (V) (डी) के अनुपालन में बैंक ने महत्वपूर्ण सब्सिडियरी निर्धारण की नीति निरूपित की है तथा इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है।

<http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/MaterialSubsidiaryPolicy.pdf>

vii. संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरूपित की गयी है। इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है।

<http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/RelatedPartyTransactionPolicy.pdf>

vi. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

7. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाये जाते हैं। इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8. शेयरधारकों की सूचना

- 8.1 बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है -

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532477
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	UNIONBANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान शेयर बाजारों को 30 अप्रैल, 2015 से पूर्व कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर प्रोमीसरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं। 31 मार्च 2015 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

शृंखला	मात्रा (₹ करोड़ में)	आबंटन की तारीख	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन नं.
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	आईएनई 692A09076
VIII- नियत	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	आईएनई 692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	आईएनई 692A09100
X-प्रथम खंड	300	10.10.2006	स्थाई	9.45 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 9.95	आईएनई 692A09118
X- द्वितीय खंड अपर टीयर -II	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95 10 वर्ष के उपरांत 9.45	आईएनई 692A09126
XI- लोअर टियर II प्रथम खंड	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35	आईएनई 692A09134
XI- द्वितीय खंड	200	12.12.2007	स्थाई	9.90 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 10.40	आईएनई 692A09142
XII स्थाई	200	09.09.2008	स्थाई	11.15 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 11.65 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09159
XII लोअर टियर II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	आईएनई 692A09167
XII लोअर टियर II	200	23.12.2008	23.12.2008	9.50	आईएनई 692A09175
XII लोअर टियर II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	आईएनई 692A09183
XII स्थाई	140	30.03.2009	स्थाई	9.10 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 9.60 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09191
XIV-ए स्थाई	200	16.06.2009	स्थाई	8.85 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 9.35 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09209
XIV- बी अपर टियर II	500	25.06.2009	15 वर्ष 25.06.2024	8.65 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 9.15 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09217
XIV-सी अपर टियर II	500	27.01.2010	15 वर्ष 27.01.2025	8.55 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 9.05 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09225
XV-ए अपर टियर II	500	28.06.2010	15 वर्ष 28.06.2025	8.48 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 8.98 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09233
XVI- बी लोअर टियर II	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90	आईएनई 692A09241
XVII-ए	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80	आईएनई 692A09266
कुल	8540				

ये सभी बांड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 2015-16 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान 30 अप्रैल, 2015 से पूर्व कर दिया है।

8.3 लाभांश

बैंक के बोर्ड ने 12 मई, 2015 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कुल 60% अर्थात् ₹ 6/- प्रति शेयर लाभांश की संस्तुति की है।

8.4 वार्षिक साधारण बैठक और वित्तीय कैलेंडर के ब्यौरे

8.4.1 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	12 मई, 2015
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	दि. 26 जून, 2015 को प्रातः 11.00 बजे रामा एंड सुन्दरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020.
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	29 मई 2015 को या उसके पूर्व
बहिषों के बंद रहने की तिथि	20 जून, 2015 से 26 जून, 2015
लाभांश के भुगतान की तिथि	6 जुलाई, 2015

8.4.2 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2015 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	01 अगस्त, 2015
30 सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	31 अक्टूबर, 2015
31 दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	28 जनवरी, 2016
31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	12 मई, 2016

8.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक के सभी शेयरों का अंतरण उचित दस्तावेजों के साथ इनके दाखिल किये जाने के 15 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। हितधारकों की शिकायतों के निवारण के अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए बैंक ने हितधारकों की संबंध समिति तथा शेयर अंतरण एवं अन्य मामलों पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है।

बैंक ने शेयर निर्गम से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरों, लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करने, शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण की प्रक्रिया करने के लिये अधिदेश सहित मेसर्स डाटा मैटिक्स फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड को अपना पंजीयक एवं अन्तरण एजेंट नियुक्त किया है। निवेशक अन्तरण विलेख/अनुरोध/शिकायत पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के नीचे दिये गये पते पर दर्ज करा सकते हैं।

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है। शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कम्पनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं। सूचीबद्धता करार के खण्ड 47 (एफ) के अनुसार नामित ई-मेल आई डी investorservices@unionbankofindia.com हैं।

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

डाटा मैटिक्स फाइनेशियल सर्विसेज लि.
प्लॉट नं बी-5 पार्ट बी, क्रॉस लेन,
एमआईडीसी, मरोल,
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 093.
फोन -(022) 66712151-60
फैक्स -(022) 28213404
ई-मेल: ubiinvestors@dfssl.com

निवेशक सेवाएं प्रभाग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.
फोन -(022) 2289 6643/36
फैक्स -(022) 22025238
ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.com

बैंक ने अपने वेबसाइट पर निवेशक सेवाएं जैसे ब्यौरे के परिवर्तन, डुप्लीकेट शेयर/लाभांश वारंट के अंतरण/प्रेषण/जारी करने के संबंध में अक्सर पूछे गए प्रश्नों की सूची दी है। इस कार्यप्रणाली और प्रलेखीकरण को आसानी से समझने के लिए इसको देखा जा सकता है।

8.5.1 अन्य सूचनाएं

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है।

इस साल भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया :

- छमाही कार्यनिष्पादन
- कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी पहल के अनुसूच कारपोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण अनुकूल पहल कार्यान्वित करना .

8.6 शेयरों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डीमैट स्म में ही होता है। बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों को डीमैट करने का करार किया है। बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित ISIN कोड, INE 692 A01016 है।

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक स्म में धारित शेयर धारक अपने हित में अपने शेयरों को डीमैट कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने / खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे। इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयर का व्यापार केवल डीमैट के स्म में ही किया जा सकता है। इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगी। 31.03.2015 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक स्म में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:-

	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	61,774	1,37,02,216	2.15
डीमैट			
एनएसडीएल	1,04,436	22,16,30,983	34.86
सीडीएसएल	68,704	40,04,45,637	62.99
कुल	2,34,914	63,57,78,836	100.00

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट/कंपनी सेक्रेटरी ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया। शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बही के अद्यतनीकरण / रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रोसेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान होता है।

8.7 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा / यूनियन बैंक के खाते में सीधे जमा

नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच)अन्तर बैंक, उच्च मूल्य,इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार के लिये वेब आधारित सल्यूशन है तथा इसका

उपयोग थोक में अनुदान, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के संवितरण के लिये किया जा सकता है। बैंक द्वारा शेयरधारकों को एनएसीएच की सेवायें संबंधित शेयरधारक के खाते में जमा प्राप्त करने के लिये प्रदान की जाती हैं।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने लाभांश की रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित तरीका भी अपनाया है -

ऐसे शेयरधारकों, जिनके खाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं, के खाते में सीधे जमा के द्वारा लाभांश का भुगतान करना।

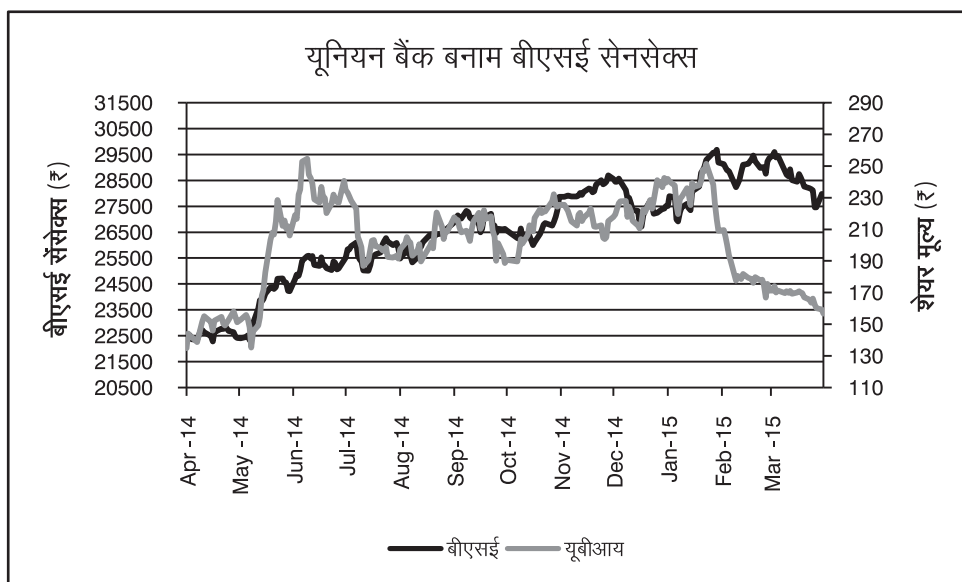
लाभांश में डेट फार्म हमारी वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है और इस वार्षिक रिपोर्ट में भी संलग्न किया गया है।

लाभांश की राशि उनके खातों में आसानी से जमा करने के लिए, अंशधारकों से निवेदन है कि सही तथा पूरा खाता नंबर, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) जैसा भी मामला हो, के पास अद्यतन करवा लें। सही और पूरा खाता नंबर उपलब्ध न होने की दशा में, अंशधारक द्वारा उपलब्ध करवाए गये खाता क्रमांक को प्रिंट कर भौतिक लाभांश वारंट जारी करना होता है।

8.8 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेनसेक्स	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल, 14	160.45	133.00	1,14,91,057	160.60	132.55	10,05,12,515	22939.31	22197.51
मई, 14	238.00	132.30	2,18,00,756	238.00	132.40	16,51,52,665	25375.63	22277.04
जून, 14	259.60	206.90	1,45,56,221	259.65	206.50	11,89,69,197	25725.12	24270.20
जुलाई, 14	244.20	181.80	1,13,98,167	243.90	181.45	9,41,84,208	26300.17	24892.00
अगस्त, 14	224.65	185.80	1,25,54,941	224.75	185.60	10,64,57,875	26674.38	25232.82
सितम्बर, 14	225.25	182.30	1,25,00,740	225.30	182.40	9,71,58,451	27354.99	26220.49
अक्टूबर, 14	233.70	185.50	1,01,26,659	233.80	185.35	750,06,606	27894.32	25910.77
नवम्बर, 14	228.70	200.15	96,43,371	228.90	200.10	6,84,66,323	28822.37	27739.56
दिसम्बर, 14	243.90	204.15	1,61,63,936	243.80	204.00	10,87,05,541	28809.64	26469.42
जनवरी, 15	253.50	206.05	1,02,33,377	253.50	205.95	8,54,36,414	29844.16	26776.12
फरवरी, 15	214.15	165.60	1,64,85,609	253.50	205.95	8,54,36,414	29560.32	28044.49
मार्च, 15	182.15	154.35	1,19,63,958	183.00	154.10	6,45,80,106	30024.74	27248.45
31.03.2015 को अन्तिम मूल्य	₹ 156.70			₹ 156.50				
बाजार पूंजीकरण	₹ 9962.65 crore			₹ 9949.94 crore				

* Source-NSE/BSE Website (www.nseindia.com/www.bseindia.com)



8.9 शेयरधारिता का वितरण

सरकार की शेयरधारिता 38.44 करोड़ शेयरों की है, जो ₹ 635.78 करोड़ की कुल जारी पूंजी में ₹ 384.44 करोड़ है। दिनांक 31.3.2014 तथा 31.3.2015 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है:

	यथा 31/03/2015				यथा 31/03/2014			
शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %
500 तक	210801	89.74	29770207	4.68	213156	89.20	30611515	4.86
501 से 1000	17863	7.60	12061635	1.90	18899	7.91	12771381	2.03
1001 से 2000	4036	1.72	5664760	0.89	4296	1.80	6052568	0.96
2001 से 3000	879	0.37	2198122	0.35	1015	0.42	2545714	0.40
3001 से 4000	328	0.14	1174881	0.18	387	0.17	1373764	0.22
4001 से 5000	179	0.08	829214	0.13	246	0.10	1145975	0.18
5001 से 10000	338	0.14	2448183	0.39	415	0.17	2946654	0.47
10001 से अधिक	490	0.21	581631834	91.48	544	0.23	572858702	90.88
कुल	234914	100.00	635778836	100.00	238958	100.00	630306273	100.00

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10/- है.

8.10 शेयरधारिता का पैटर्न

दिनांक 31.3.2014 तथा 31.03.2015 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा:-

	यथा 31/03/2015		यथा 31/03/2014	
शेयरधारक की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	38,44,44,316	60.47	37,89,71,753	60.13
अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/एनआरआई)	5,54,14,933	8.72	5,41,30,826	8.59
बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कं.	7,38,22,366	11.61	7,02,67,222	11.15
म्युचुअल फंड / यूटीआई	4,22,85,093	6.65	3,45,05,926	5.47
देशी कंपनियां/निजी निगमित निकाय/ट्रस्ट	2,33,89,452	3.68	3,31,54,868	5.26
निवासी भारतीय	5,64,22,676	8.87	5,92,75,678	9.40
कुल	63,57,78,836	100.00	63,03,06,273	100.00

बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2015 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का %
1	भारत के राष्ट्रपति	384444316	60.47
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	68222093	10.73
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- खाता एचडीएफसी मिड-कैप ऑपारचुनिटीज फंड	20572658	3.24
4	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	7234026	1.14
5	गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल	7049911	1.11
6	आईसीआई प्रुडेन्शियल बैलेन्सड एडवान्टेज फंड	5786256	0.91
7	यूटीआई मिड-कैप फंड	4082357	0.64
8	कैलिफोर्निया पब्लिक इम्प्लाइज रिटायरमेन्ट सिस्टम मैनेज्ड बाई ऐरोस्ट्रीट कैपिटल, एल.पी.	3919034	0.62
9	डीएसपी ब्लैकरॉक इंडिया टी.आई.जी.ई.आर. फंड	2937238	0.46
10	मैक्वायर इमर्जिंग मार्केट्स एशियन ट्रेडिंग पीटीई. लि.	2932000	0.46
	कुल	507179889	79.78

8.11 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का %	दावा करने की अंतिम तिथि
लाभांश 2007-08	40%	08.08.2015
लाभांश 2008-09	50%	02.08.2016
लाभांश 2009-10	55%	09.08.2017
लाभांश 2010-11	80%	08.08.2018
लाभांश 2011-12	80%	06.08.2019
लाभांश 2012-13	80%	06.08.2020
अंतरिम लाभांश 2013-14	27%	14.02.2021
अंतिम लाभांश 2013-14	13%	08.07.2021

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश प्राप्त नहीं किये हों अथवा उनके दावे न किये हों, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्राप्त बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

8.12 अदावाकृत शेयर:

ए) डीमैट रूप में

सूचीयन करार के खंड 5 ए -II अर्थात् अदावाकृत शेयरों के लिए एकसमान पद्धति, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2014 को शेष	233	28781
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2015 को डीमैट उचंत खाते में शेष	233	28781

ऊपर बताए गए 28781 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

बी) भौतिक रूप में :

सूचीयन करार के खंड 5 ए -II अर्थात् अदावाकृत भौतिक शेयरों के लिए एकसमान पद्धति, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2014 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2015 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

9. सूचीबद्ध करार की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1.	बोर्ड एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी.	बोर्ड के अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यपालक निदेशक हैं. अतः यह खंड लागू नहीं होता है; क्योंकि यह एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के रखरखाव से संबंधित है.
2.	शेयरधारकों के अधिकार विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	अनुपालन किया गया है.
3.	लेखापरीक्षा में कमियां कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. अतः इसका अनुपालन हुआ है.
4.	अध्यक्ष एवं सीईओ के अलग-अलग पद कम्पनी द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ नियुक्त किया जा सकता है .	लागू नहीं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं.	आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है.

10. आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा अपने सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2015

संदर्भ : लिस्टिंग करार के खण्ड 49 के तहत प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

- [ए] हमने वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
- (i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो.
 - (ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इनमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया गया है.
- [बी] हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.
- [सी] हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किये गये या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.
- [डी] हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है.
- (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन.
 - (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और
 - (iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(मयंक मेहता)

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.

दिनांक : 12 मई, 2015

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त बैंक के सूचीकरण करार के वाक्यखंड 49 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है..

कॉर्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा अभिमत है.

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है.

हमारा कथन है कि शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गये रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लम्बित नहीं है.

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या.000980सी

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई

कृते जी.पी. कापड़िया एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 104768डब्ल्यू

(बिपुल रस्तोगी)
भागीदार (एम.संख्या.072318)

(एच. के. दत्ता)
भागीदार (एम.संख्या.012208)

(निमेश भिमानी)
भागीदार (एम.संख्या.030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000497एन

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या.103142डब्ल्यू

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 004201एस

(अरविन्द जैन)
भागीदार (एम.संख्या 097549)

(तनसुखलाल छेड़ा)
भागीदार (एम.संख्या 047157)

(एस. श्रीधर)
भागीदार (एम.संख्या 025504)

स्थान : मुम्बई
तारीख : 12 मई, 2015

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

- हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के संलग्न वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण खाता नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 19 शाखाओं, 1 ट्रेजरी शाखा और 18 क्षेत्रीय कार्यालयों, 29 कार्यालयों/केंद्रों एवं शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3 विदेशी शाखाओं सहित 1738 शाखाओं तथा 47 सेवा शाखाओं के विवरण शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षण हेतु शाखाएं एवं अन्य अंकेक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण हेतु शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र और लाभ हानि लेखों में उन 2324 शाखाओं और 72 कार्यालयों/केंद्रों के विवरणों का भी समावेश है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गयी है। लेखापरीक्षा न की गयी इन शाखाओं के अग्रिम बैंक के अग्रिमों के 5.77%, जमाराशियां बैंक की जमाराशियों की 20.98%, कुल ब्याज आय 4.20% और कुल ब्याज व्यय 19.60% हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- इन वित्तीय विवरणों को बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसूचि तैयार करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल हैं, जो धोखाधड़ी या त्रुटि वश सारवान गलती से रहित हों।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारा दायित्व अपने लेखापरीक्षण के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण, इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये आयोजित और संपन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का सारवान गलत कथन नहीं है।
- लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलतकथन की जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है। इन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा डिजाइन करने के लिये बैंक की तैयारी और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। किसी भी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है।
- हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा सम्मति का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है।

सम्मति

- हमें प्राप्त सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शित है, हमारे मत के अनुसार :
 - तुलन पत्र और उसके नोट सभी आवश्यक विवरण वाला एक संपूर्ण और सही तुलनपत्र है जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बैंक के यथा 31 मार्च 2015 कार्यकलापों का सही और उचित चित्र सामने लाने के लिये उचित प्रकार से बनाया गया है।
 - लाभ हानि खाते और उसके नोट जिस वर्ष के खाते हैं, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए उस वर्ष का सही लाभ दर्शाते हैं और
 - नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाता है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः 'ए' और 'बी' फार्मों में तैयार किए गए हैं।
- ऊपर पैरा 1 से 5 में दी गयी लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - हमने वे सभी जानकारीयां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
 - हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत किए गए हैं।

(सी) बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त प्रविवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

9. हमारे मत से तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुस्र हैं.

कृते वी. रोहतगी एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या.000980सी

कृते जे. गुप्ता एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई

कृते जी.पी. कापड़िया एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 104768डब्ल्यू

(बिपुल रस्तोगी)

भागीदार (एम.संख्या.072318)

(एच. के. दत्ता)

भागीदार (एम.संख्या.012208)

(निमेश भिमानी)

भागीदार (एम.संख्या.030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 000497एन

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या.103142डब्ल्यू

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 004201एस

(अरविन्द जैन)

भागीदार(एम.संख्या 097549)

(तनसुखलाल छेड़ा)

भागीदार (एम.संख्या 047157)

(एस. श्रीधर)

भागीदार (एम.संख्या 025504)

स्थान : मुम्बई

तारीख : 12 मई, 2015

31 मार्च 2015 का तुलन-पत्र

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	यथा 31.3.2015	यथा 31.3.2014
पूँजी और देयतायें			
पूँजी	1	6,35,77,88	7,41,30,63
आरक्षित और अधिशेष	2	1,91,25,10,31	1,77,34,05,16
जमाराशियां	3	31,68,69,91,72	29,76,75,63,97
उधार	4	3,53,59,98,16	2,93,16,61,77
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	96,25,15,00	83,13,28,70
जोड़		38,16,15,93,07	35,37,80,90,23
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष	6	1,50,63,07,83	1,84,19,67,74
बैंकों में जमाशेष और मांग अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7	73,14,94,36	46,53,19,47
निवेश	8	9,40,92,98,35	9,37,23,18,39
अग्रिम	9	25,56,54,56,54	22,91,04,42,66
अचल आस्तियां	10	26,81,95,32	26,08,46,85
अन्य आस्तियां	11	68,08,40,67	52,71,95,12
जोड़		38,16,15,93,07	35,37,80,90,23
संभाव्य देयतायें	12	34,91,05,32,69	19,55,24,16,41
संग्रहण के लिये बिल		1,37,00,54,08	1,24,75,70,66
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं

(नितेश रंजन) उप महाप्रबंधक	(मयंक मेहता) महाप्रबंधक	(किशोर खरात) कार्यपालक निदेशक	(राकेश सेठी) कार्यपालक निदेशक	(के सुब्रह्मण्यम) कार्यपालक निदेशक	(अरुण तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मिहिर कुमार) निदेशक	(दीपक सिंघल) निदेशक	(जगमोहन शर्मा) निदेशक	(एस के मिश्रा) निदेशक	(सुश्री अनुसुइया शर्मा) निदेशक	
(डा. आर एच डोलकिया) निदेशक	(जी के लाठ) निदेशक	(डी. चटर्जी) निदेशक			

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 000980सी
(बिपुल रस्तोगी)
भागीदार (एम. नं. 072318)

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 000497 एन
(अरविंद जैन)
भागीदार (एम. नं- 097549)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 12.05.2015

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई
(एच. के. दत्ता)
भागीदार (एम.संख्या.012208)

कृते जी बी सी ए एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 103142 डब्ल्यू
(तनसुखलाल छेड़ा)
भागीदार (एम. नं. 047157)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या.104768 डब्ल्यू
(निमेश भिमानी)
भागीदार (एम. नं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 004201 एस
(एस. श्रीधर)
भागीदार (एम. नं- 025504)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	3,20,83,96,21	2,93,49,39,42
अन्य आय	14	35,23,00,22	28,21,54,04
कुल		3,56,06,96,43	3,21,70,93,46
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	2,36,40,06,56	2,14,70,06,91
परिचालन व्यय	16	61,43,42,88	54,82,76,05
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		40,41,83,04	35,21,90,17
कुल		3,38,25,32,48	3,04,74,73,13
III. वर्ष का शुद्ध लाभ		17,81,63,95	16,96,20,33
जोड़ें: आगे लाया गया लाभ		41,02	40,74
कुल		17,82,04,97	16,96,61,07
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित को अंतरण		5,34,50,00	5,08,86,10
पूँजी आरक्षित को अंतरण		26,99,74	17,18,09
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		5,55,97,00	6,85,50,00
प्रस्तावित लाभांश		3,81,46,73	2,52,12,26
पी एन सी पी एस पर डिवीडेंड हेतु प्रावधान		5,28,35	9,99,00
लाभांश कर		77,41,53	44,54,60
विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा 36(I)(viii)]		2,00,00,00	1,78,00,00
लाभ व हानि लेखे में शेष		41,62	41,02
कुल		17,82,04,97	16,96,61,07
प्रति शेयर आय(बेसिक एवं डाईल्यूटेड)		28.05	27.99

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(नितेश रंजन) उप महाप्रबंधक	(मयंक मेहता) महाप्रबंधक	(किशोर खरात) कार्यपालक निदेशक	(राकेश सेठी) कार्यपालक निदेशक	(के सुब्रह्मण्यम) कार्यपालक निदेशक	(अरुण तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मिहिर कुमार) निदेशक	(दीपक सिंघल) निदेशक	(जगमोहन शर्मा) निदेशक	(एस के मिश्रा) निदेशक	(सुश्री अनुसुइया शर्मा) निदेशक	
(डा. आर एच ढोलकिया) निदेशक	(जी के लाठ) निदेशक	(डी. चटर्जी) निदेशक			

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 000980सी
(बिपुल रस्तोगी)
भागीदार (एम. नं. 072318)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 000497 एन
(अरविंद जैन)
भागीदार (एम. नं- 097549)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 12.05.2015

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई
(एच. के. दत्ता)
भागीदार (एम.संख्या.012208)

कृते जी बी सी ए एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 103142 डब्ल्यू
(तनसुखलाल छेड़ा)
भागीदार (एम. नं. 047157)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या.104768 डब्ल्यू
(निमेश भिमानी)
भागीदार (एम. नं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 004201 एस
(एस. श्रीधर)
भागीदार (एम. नं- 025504)

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.3.2015	यथा 31.3.2014
अनुसूची 1 - पूंजी:		
I. प्राधिकृत :		
₹ 10 प्रति शेयर की दर से 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	30,00,00,00	30,00,00,00
II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त:		
i. ₹ 10 प्रति शेयर की दर से 38,44,44,316 इक्विटी शेयर		
केंद्रीय सरकार द्वारा धारित	3,84,44,43	3,78,97,18
(पिछले वर्ष 37,89,71,753 इक्विटी शेयर)		
ii. ₹ 10 प्रति शेयर की दर से 25,13,34,520 शेयर जनता द्वारा धारित	2,51,33,45	2,51,33,45
III. शास्वत गैर संचयी अधिमानी शेयर	0	1,11,00,00
कुल	6,35,77,88	7,41,30,63
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां & अधिशेष :		
I. सांविधिक आरक्षित :		
तुलन पत्र के अनुसार	55,91,86,10	50,83,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि	5,34,50,00	5,08,86,10
II. पूंजी आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	7,76,25,39	7,59,07,31
वर्ष के दौरान वृद्धि	26,99,74	17,18,09
III. शेयर प्रीमियम :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	33,51,70,50	28,85,86,87
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,05,41,64	4,65,83,63
IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	14,59,33,73	14,95,75,77
वर्ष के दौरान कमी	34,63,22	36,42,04
V. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :		
i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	42,08,91,00	42,44,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि	5,55,97,00	6,85,50,00
वर्ष के दौरान कमी	0	7,20,59,00
कुल	47,64,88,00	42,08,91,00
ii) विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	22,98,00,00	21,20,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,00,00,00	1,78,00,00
	24,98,00,00	22,98,00,00
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	47,57,41	28,77
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,79,40	47,28,64
कुल	50,36,81	47,57,41
VI. लाभ-हानि खाते में शेष		
लाभ-हानि खाते में शेष	41,62	41,02
कुल	1,91,25,10,31	1,77,34,05,16

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.3.2015	यथा 31.3.2014
अनुसूची 3 - जमाराशियां :		
I. मांग जमाराशि		
i) बैंकों से	6,10,07,08	7,89,93,59
ii) अन्यो से	2,04,82,41,46	2,19,12,90,72
II. बचत बैंक जमाराशियां	7,15,58,05,17	6,50,97,70,53
III. मियादी जमाराशियां		
i) बैंकों से	1,30,22,83,78	1,12,40,93,11
ii) अन्यो से	21,11,96,54,23	19,86,34,16,02
कुल	31,68,69,91,72	29,76,75,63,97
भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	31,22,30,23,90	29,28,11,73,73
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	46,39,67,82	48,63,90,24
कुल	31,68,69,91,72	29,76,75,63,97
अनुसूची 4 - उधार :		
ए) उधार : पूंजी लिखत		
I. शाश्वत बांड	10,40,00,00	10,40,00,00
II. अपर टियर II पूंजी	22,50,00,00	22,50,00,00
III. लोअर टियर II पूंजी	52,50,00,00	52,50,00,00
बी) भारत में उधार		
I. भारतीय रिज़र्व बैंक	0	15,25,00,00
II. अन्य बैंक	7,00,00,00	0
III. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियां	44,95,07,39	12,92,91,41
सी) भारत से बाहर उधार	2,16,24,90,77	1,79,58,70,36
कुल	3,53,59,98,16	2,93,16,61,77
प्रतिभूत उधार	33,72,28,20	1,33,66,22
अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान :		
I. देय बिल	11,67,92,29	13,56,01,38
II. उपचित ब्याज	9,21,03,19	8,84,53,91
III. आस्थगित कर देयताएँ	4,52,23,52	6,79,33,51
IV. अन्य(प्रावधान सहित)	70,83,96,00	53,93,39,90
कुल	96,25,15,00	83,13,28,70
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष:		
I. धारित नकदी		
(इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं)	10,06,93,07	7,84,65,44
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाशेष		
चालू खाते में	1,40,56,14,76	1,76,35,02,30
कुल	1,50,63,07,83	1,84,19,67,74

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.3.2015	यथा 31.3.2014
अनुसूची 7-बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
I. भारत स्थित बैंकों के पास जमाशेष		
i) ए) चालू खातों में	2,08,30,05	44,15,82
बी) अन्य जमाखातों में	16,66,60,98	8,82,94,51
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
- बैंकों के साथ	0	0
	18,74,91,03	9,27,10,33
I. भारत से बाहर जमाशेष		
i) ए) चालू खातों में	2,68,92,55	6,87,47,89
बी) अन्य जमाखातों में	51,71,10,78	30,38,61,25
	54,40,03,33	37,26,09,14
कुल	73,14,94,36	46,53,19,47
अनुसूची 8 - निवेश :		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	7,26,85,31,29	6,97,47,18,65
ii) शेयर	9,58,05,08	9,75,35,04
iii) डिबेंचर एवं बॉण्ड	82,40,46,48	1,15,65,47,76
iv) सहायक एवं संयुक्त उद्यम	1,29,43,76	3,74,71,26
v) अन्य		
- वाणिज्यिक पत्र	0	2,07,57,28
- जमा प्रमाणपत्र	0	4,15,08,98
- म्युचुअल फंड	9,22,10,38	9,83,20,77
- आरआईडीएफ	96,31,25,45	90,99,40,86
- आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	5,98,22,60	1,49,71,73
	1,11,51,58,43	1,08,54,99,61
कुल	9,31,64,85,03	9,35,17,72,33
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां(स्थानीय प्राधिकारियों सहित.)	3,06,81,23	0
ii) शेयर	40,32	40,32
iii) अन्य निवेश (बॉण्ड)	3,75,64,26	2,05,05,74
iv) सब्सिडियरीज और संयुक्त स्कंध	2,45,27,50	0
	9,28,13,31	2,05,46,06
कुल	9,40,92,98,34	9,37,23,18,39
III. i) भारत में निवेश		
सकल मूल्य	9,35,69,37,23	9,39,63,70,76
मूल्यहास हेतु प्रावधान	4,04,52,19	4,45,98,43
निवल मूल्य	9,31,64,85,04	9,35,17,72,33
ii) भारत के बाहर निवेश		
सकल मूल्य/निवल मूल्य	9,28,13,31	2,05,46,06
कुल	9,40,92,98,35	9,37,23,18,39

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.3.2015	यथा 31.3.2014
अनुसूची 9 - अग्रिम		
I. i) खरीदे और भुनाये गये बिल	78,16,22,46	53,24,84,83
ii) नकद साख,ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	12,08,00,09,60	11,08,32,52,73
iii) मीयादी ऋण	12,70,38,24,48	11,29,47,05,10
कुल	25,56,54,56,54	22,91,04,42,66
II. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	20,77,13,22,99	19,21,66,12,17
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	1,56,40,53,05	1,14,99,70,46
iii) अप्रतिभूत	3,23,00,80,50	2,54,38,60,03
कुल	25,56,54,56,54	22,91,04,42,66
ए. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	8,58,55,17,72	6,96,54,20,70
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	1,35,00,91,37	1,52,83,77,83
iii) बैंक	44,54,32,26	54,96,29,30
iv) अन्य	13,05,37,50,49	12,12,95,44,14
कुल	23,43,47,91,84	21,17,29,71,97
बी. भारत से बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	51,33,78,55	52,81,53,83
ii) अन्यो से देय		
ए) खरीदे एवं भुनाये गये बिल	34,07,80,03	6,04,55,84
बी) सिंडीकेट ऋण	8,32,98,36	90,69,87,64
सी) अन्य	1,19,32,07,76	24,18,63,38
कुल	2,13,06,64,70	1,73,74,70,69
कुल	25,56,54,56,54	22,91,04,42,66

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

ए. मूर्त अस्तियां			
I. परिसर			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	23,65,21,96	23,22,51,75	
वर्ष के दौरान वृद्धि	52,60,50	42,70,21	
	24,17,82,46	23,65,21,96	
घटाये: आज की तारीख तक अवमूल्यन	5,99,72,44	18,18,10,02	5,45,64,01
			18,19,57,95
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	85,06	11,53,81	
वर्ष के दौरान वृद्धि	46,57,56	50,63,21	
वर्ष के दौरान कमी	43,29,00	4,13,62	61,31,96
			85,06

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.3.2015		यथा 31.3.2014	
III. भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	49,82,97		13,40,97	
वर्ष के दौरान वृद्धि	11,83,87		36,42,00	
	61,66,84		49,82,97	
घटायें: वर्ष के दौरान कमी	3,04,84	58,62,00	2,45,32	47,37,65
IV. अन्य अचल संपत्तियां				
(फर्नीचर एवं फिक्सचर के साथ)				
ए) पट्टे पर दी गई संपत्तियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	26,53,52		26,53,52	
	26,53,52		26,53,52	
घटायें आज की तारीख तक अवमूल्यन	26,53,52		26,53,52	
	0		0	
बी) अन्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	18,60,96,29		16,26,23,28	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,64,25,78		2,60,09,46	
	21,25,22,07		18,86,32,74	
वर्ष के दौरान कमी	50,66,37		25,36,44	
	20,74,55,70		18,60,96,30	
घटायें आज की तारीख तक अवमूल्यन	12,97,88,34		11,57,81,44	
	7,76,67,36	7,76,67,36	7,03,14,86	7,03,14,86
बी. अमूर्त अस्तियां				
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,64,04,60		1,24,15,63	
वर्ष के दौरान वृद्धि	11,30,62		39,88,97	
	1,75,35,22		1,64,04,60	
आज की तारीख तक परिशोधन	1,50,92,90	24,42,32	1,26,53,27	37,51,33
कुल		26,81,95,32		26,08,46,85

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां:

I. अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)	15,73,74,40	11,31,85,79
II. उपचित ब्याज	23,82,34,96	23,76,24,82
III. प्रदत्त / स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का शुद्ध)	0	0
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	1,85,77	2,61,32
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	3,90	3,89
VI. अन्य	28,50,41,64	17,61,19,30
कुल	68,08,40,67	52,71,95,12

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.3.2015	यथा 31.3.2014
अनुसूची 12 - संभाव्य देयतायें :		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	35,92,85,82	35,99,15,76
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिये देयतायें	59,20	59,20
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयतायें	29,61,70,42,69	14,82,33,21,11
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटिया		
i) भारत में	2,27,16,05,69	2,26,25,73,05
ii) भारत से बाहर	3,63,18,51	2,27,63,79,30
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य देय बाध्यतायें	2,50,41,15,21	2,03,60,00,04
VI. अन्य मदें, जिनके लिये बैंक संभाव्य रूप से उत्तरदायी है		
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	6,10,70,00	5,67,41,00
ii) डी ई ए एफ योजना - 2014 को अंतरित राशि	6,10,35,57	0
	12,21,05,57	5,67,41,00
कुल	34,91,05,32,69	19,55,24,16,41

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूचियाँ

(000' को छोड़कर)

	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	2,39,77,25,12	2,17,40,35,58
II. निवेशों पर आय	76,68,86,96	72,70,45,32
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	1,90,04,77	1,78,53,25
IV. अन्य	2,47,79,36	1,60,05,27
कुल	3,20,83,96,21	2,93,49,39,42
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	3,90,87,31	4,46,99,42
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ - निवल	7,08,73,96	4,85,72,00
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ - निवल	-39,45	2,57,53
IV. विनिमय संव्यवहारों से लाभ - निवल	9,71,34,04	7,43,60,62
V. विविध आय	14,52,44,36	11,42,64,47
कुल	35,23,00,22	28,21,54,04
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज:		
I. जमाराशियों पर ब्याज	2,16,24,86,49	1,98,39,25,14
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	6,06,33,17	5,31,32,90
III. अन्य	14,08,86,90	10,99,48,87
कुल	2,36,40,06,56	2,14,70,06,91
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किये गये भुगतान और उनके लिये प्रावधान	37,85,51,55	33,07,76,76
II. किराया , कर और प्रकाश	4,27,23,54	3,81,38,03
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	51,98,69	45,26,84
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	63,18,63	55,29,08
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	2,20,81,18	1,93,77,95
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	1,48,13	1,51,34
VII. प्रबंध/कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	59,23	56,71
VIII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	34,34,84	32,91,96
IX. विधि प्रभार	18,55,90	16,08,87
X. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	65,40,78	70,91,43
XI. मरम्मत और रखरखाव	1,04,27,43	94,46,02
XII. बीमा	3,07,92,36	2,83,45,07
XIII. अन्य खर्च	10,62,10,62	9,99,35,99
कुल	61,43,42,88	54,82,76,05

वर्ष 2014-2015 के लेखों की अनुसूचियां

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. लेखा पद्धति

बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय विवरण बनाए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए प्रयुक्त बैंक की लेखांकन तथा रिपोर्टिंग नीतियों में, जहाँ तक लागू हो, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखांकन तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों का पालन किया गया है।

2. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण और युतिसंगत हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है जिसके परिणाम ज्ञात/सारवान हैं।

3. राजस्व की पहचान:

- अन्यथा उल्लेखित न हो, तब तक आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।
- गैर निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है। वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में, विगत वर्ष लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है।
- अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है
 - ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।
 - शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर, प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।
- जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहीं लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।

4. नकद प्रवाह विवरण

नकद तथा नकदतुल्य मद के अंतर्गत नकद शेष, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग या अल्प सूचना की राशियों को शामिल किया गया है।

5. निवेश :

- बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारूप ए की अपेक्षाओं के अनुरूप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :
 - सरकारी प्रतिभूतियां
 - अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - शेयर
 - ऋणपत्र एवं बांड
 - अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं एफ) अन्य निवेशबैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुनः निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यथा:
 - परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
 - बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और
 - व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)
- मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं :
 - "परिपक्वता तक धारित" में निवेश की गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर।

अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है।
 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है
 - अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी हास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है।
- बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध हास, लाभ-हानि खाते में प्रभावित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है।

ii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

i.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार
ii.	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफ आई एम एम डी ए) के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्ति के आधार पर.
iii.	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो, तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर. दोनों नहीं होने पर रु1/- प्रति कंपनी के अनुसार.
iv.	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
v.	ऋण पत्र/बांडस	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
vi.	म्युचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii.	राजकोषीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
viii.	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ.
ix.	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

iv) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

- विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी से परिपक्वता तक धारित में शिफ्टिंग की तारीख को बही मूल्य या बाजार मूल्य, दोनों में जो भी कम हो पर. यदि कोई मूल्यहास है तो उसका पूरा प्रावधान किया गया है.

- परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में

➤ यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर

➤ यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.

- विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास/प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

viii) भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है.

डेरिवेटिव संविदा

वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाई गई है. सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

i) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं.

ii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडआई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

6. अग्रिम :

i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है.

ii) अग्रिमों में हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सीजीएफटी/ईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

- iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को अन्य देयताओं और प्रावधानों में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है।

7 अचल आस्तियां और मूल्यहास

- i) परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यहास और क्षतियों की राशि (यदि कोई हो) समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है। आस्ति की खरीद मूल्य में व्यापारिक बट्टा तथा छूट को घटाकर, पात्र ऋण राशि प्राप्त करने और आस्ति के प्रयोग में लाने तक के व्ययों को शामिल किया जाता है। इसके बाद आस्ति पर किए गए उन्हें व्ययों को पूंजीकृत किया जाता है जिनसे आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है। पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा हास की राशि को उसमें से घटाई जाती है।
- ii) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर, अमूर्त आस्तियों में शामिल किया गया है। कम्प्यूटर्स तथा सॉफ्टवेयर पर मूल्यहास, कम्प्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं तथा भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एटीएम पर 33.33% की दर से सीधे मूल्यहास लगाया गया है।
- iii) अचल आस्तियों के मूल्यहास का प्रावधान घटती शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है।

	आस्तियों का प्रकार	मूल्य हास की दर
I	परिसर	5%
II	अन्य अचल आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10%
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/स्ट्रॉंग स्म आदि	15%
	- परिवहन वाहन	20%
	- यू पी एस. उपकरण	33.33%
III	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर.

- iv) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यहास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है
- v) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यहास संमिश्र लागत पर लगाया गया है
- vi) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है।
- vii) पट्टे पर ली गयी आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाई गई हैं।

8. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है। किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है। क्षरण हानि उस समय मानी जाती है जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है। उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है। क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है। लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती।

9. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग के लिए, बैंक की अपनी अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है। प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

10. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

विदेशी मुद्रा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन तथा इनसे हुए लाभों / हानियों का लेखांकन.

- i) वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है।
- ii) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है।
- iii) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है। फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- iv) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी हैं।
- v) भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन इकाई माना गया है।

11 गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

विदेशी शाखाओं से संबंधित निम्न मदों को, गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

i) राजस्व पहचान

आय एवं व्यय की पहचान / लेखांकन, संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार किए गए हैं।

ii) आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि का प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि के प्रावधान, संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी अधिक हो, उस राशि प्रावधान किया गया है।

iii) अचल आस्तियां और मूल्यहास

ए) अचल आस्तियों का लेखांकन, परंपरागत लागत पर किया गया है।

बी) अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों में लागू कानूनों के अनुसार किया गया है।

iv) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार की तथा आकस्मिक देयताएं) को वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद दरों पर परिवर्तित किया गया है।

v) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर, फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है।

vi) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते " विदेशी मुद्रा परिवर्तन निधि " में संचित रखा गया है।

12 कर्मचारी लाभ :

भविष्य निधि के स्ल में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है। अंशदान देय होने पर, भविष्य निधि अंशदान की राशि, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है। भविष्य निधि में देय अंशदान के अतिरिक्त, बैंक का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

ग्रेजुटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान परिभाषिक दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर, वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है।

दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कार्मिकों के लिए, परिभाषित 'अंशदायी योजना' नामक नई पेंशन योजना है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा बैंक की देयता केवल उस सीमित अंशदान तक होती है। इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया जाता है।

विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन, संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार किया जाता है।

13. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक (गौण) कारोबार खंड के स्ल में मान्यता प्राप्त है।

कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है

(क) ट्रेजरी परिचालन,

(ख) कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

(ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और

(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन.

14. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर की गयी आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है। बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है। अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी जाती है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर डायल्युटेड अर्जन की गणना के लिए, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान संभावित बढ़ते शेयरों या परिवर्तित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है।

16 करायान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया गया है। कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह समुचित निश्चितता न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी। अनवशेषित मूल्यहास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में, वास्तविक निश्चितता होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है।

17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के मापन के लिये ठोस स्तर के प्राक्कलन के आधार पर प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है। यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की गयी है न ही उन्हें प्रकट किया गया है आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें प्रकट किया गया है

18. शेयर निर्गम व्यय

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं।

अनुसूची 18 : लेखों पर नोट्स:

बहियों का मिलान, अंतर शाखा / बैंक संव्यवहारों का समाधान:

उच्चत खतों, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर - शाखा / कार्यालय खतों में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य निरंतर आधार पर जारी है।

इनका अंतिम समाधान यदि कोई लंबित है तो प्रबंधन के विचार से बहियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1. बहियों का मिलान, अंतर शाखा / बैंक संव्यवहारों का समाधान :

उच्चत खतों, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर - शाखा / कार्यालय खतों में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य निरंतर आधार पर जारी है।

इनका अंतिम समाधान यदि कोई लंबित है तो प्रबंधन के विचार से बहियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. निवेश

- परिपक्वता के लिए धारित संवर्ग की प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ की राशि ₹ 58.43 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 37.18 करोड़) को पहले लाभ-हानि खाते में लिया गया और उसके पश्चात ₹ 27.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 17.18 करोड़) की राशि को पूंजी आरक्षित निधि खाते में अंतरित किया गया।
- परिपक्वता के लिए धारित संवर्ग के संबंध में महत्वपूर्ण लेखा नीति 5(ii)(ए) में उल्लेख के अनुसार वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अर्जन लागत का आधिक्य ₹ 124.07 करोड़ रहा (पिछले वर्ष ₹ 115.68 करोड़)
- शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर्स तथा इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फण्ड / वेंचर केपिटल फण्ड में किया गया निवेश और शेयर के पेटे अग्रिम कुल ₹ 1200.93 करोड़ रहा (पिछले वर्ष ₹ 1251.84 करोड़)

3. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है।

3.1 ए. पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहा है। बेसल III के 31 मार्च, 2019 तक कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशा निर्देशों में दी गयी है। दिशा निर्देशों के अनुसार, टायर I। पूंजी को कॉमन इक्विटी टायर (सीईटी I) एवं अतिरिक्त टायर I बनाया है।

बेसल III के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2015 तक पूंजी को जोखिम भारत आरित अनुपात सीईटी I के न्यूनतम 5% के साथ (सीआरएआर) के 9% एवं न्यूनतम टायर I सीआरएआर के 7% के स्तर पर लाना आवश्यक है।

फ्रेमवर्क के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना निम्नानुसार है:

अ . क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i)	सामान्य इक्विटी टायर-I पूंजी अनुपात (सीईटी I) (%)	शून्य	शून्य
	बेसल II	7.24	7.18
	बेसल III		
ii)	टायर - I पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	7.60	8.13
	बेसल III	7.50	7.54
iii)	टायर II पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	3.14	3.76
	बेसल III	2.72	3.26
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)		
	बेसल II	10.74	11.89
	बेसल III	10.22	10.80
v)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (%)	60.47	60.13
vi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	5.47	33.51
vii)	उगाही गई अतिरिक्त टायर - I पूंजी की राशि (₹ करोड़ में)	-	-
Viii)	उगाही गई टायर - 2 पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	-	2000
	इसमें से ऋण पूंजी लिखत: (₹ करोड़ में)	-	2000

वर्ष के दौरान, बैंक ने 27 जून, 2014 को वार्षिक सामान्य बैठक में शेयर धारकों द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार भारत सरकार के पास रखे हुए ₹ 111 करोड़ की राशि के सम्पूर्ण परपेकचुअल संचयी प्रिफरेंस शेयर (पीएनसीपीएस) को परिवर्तित करते हुए भारत सरकार को परिवर्तन मूल्य ₹ 202.83 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 192.83 प्रति शेयर प्रीमियम के साथ) पर 54,72,563 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर पर जारी किए . परिणामस्वरूप सरकार शेयर धारिता 60.13% से 60.47% तक बढ़ गई।

3.2 बी. निवेश

बैंक निवेश का विवरण एवं बैंक निवेश पर मूल्यहस संचरण के लिए किए गए प्रावधान का विवरण निम्न है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1	निवेशों का मूल्य		
i)	निवेशों का सकल मूल्य	94497.50	94169.09
	(ए) भारत में	93569.37	93963.63
	(बी) भारत के बाहर	928.13	205.46

	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
ii)	मूल्यहास का प्रावधान	404.52	446.58
	(ए) भारत में	404.52	445.98
	(बी) भारत के बाहर	-	0.60
iii)	निवेशों का निवल मूल्य	94092.98	93722.11
	(ए) भारत में	93164.85	93517.25
	(बी) भारत के बाहर	928.13	204.86
2	निवेश पर मूल्यहास के पेटे किए गए प्रावधानों का संचरण		
i)	आरंभिक शेष	446.58	358.13
ii)	जोडा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	291.52	437.56
iii)	घटाया: वर्ष के दौरान राइट - आफ / राइट बैक किया गया आधिक्य प्रावधान	333.58	349.11
iv)	अंतिम शेष	404.52	446.58

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, एकमुश्त उपाय के रूप में, बैंक ने एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों की ₹ 2256 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 10378.02 करोड़) की प्रतिभूतियां अन्तर्गत करी. ऐसी प्रतिभूतियों के अन्तरण में बैंक को ₹ 38.82 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 109.97 करोड़) की हानि हुई.

3.2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के अन्तर्गत बेची गयी एवं खरीदी गयी प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के न्यूनतम बकाया	वर्ष के अधिकतम बकाया	वर्ष के औसत दैनिक बकाया	दिनांक 31.03.2015 को बकाया
ए	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	5.00 (5.00)	9848.80 (2330.76)	3096.93 (46.33)	9848.80 (0.00)
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
बी	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	5.00 (5.00)	5824.78 (4127.43)	1190.23 (356.34)	-
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

3.2.2 गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर - एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की मात्रा	निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियां	गैर - निर्धारित प्रतिभूतियां	गैर सूची बद्ध प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	पी एस यू	3744.38 (3915.17)	2918.22 (2681.08)	-	0.58 (0.58)	0.58 (0.58)
ii)	वित्तीय संस्थाएं	11387.54 (12622.42)	9962.04 (10133.17)	-	-	-
iii)	बैंक	455.62 (1178.93)	421.62 (653.75)	-	-	- (2.00)
iv)	निजी कार्पोरेट	3646.75 (4798.79)	2184.17 (2468.42)	165.04 (229.02)	15.65 (1.13)	153.49 (24.85)
v)	सहायक कम्पनियां / संयुक्त उद्यम *	358.75 (358.75)	358.75 (358.75)	-	-	-
vi)	अन्य	1520.74 (1264.72)	946.85 (616.84)	-	- (14.52)	- (14.52)
vii)	मूल्यहास हेतु किया गया प्रावधान	(-404.52) (-383.79)	-	-	-	-
	योग	20709.26 (23754.99)	16791.65 (16912.01)	165.04 (229.02)	16.23 (16.23)	154.07 (41.95)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
शेयर	958.05	975.35
ऋण पत्र व बाण्ड्स	8240.47	11565.48
सहायक कम्पनियां / संयुक्त उद्यम	358.75	358.75
अन्य	11151.99	10855.40
योग	20709.26	23754.98

*तुलन पत्र की अनुसूची 8 में सहायक एवं संयुक्त उद्यम में ₹ 15.96 करोड़ के निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शेयरों में किया गया बैंक का निवेश शामिल है. जो कि एसएलआर निवेश है.

ii. गैर - निष्पादक गैर - एसएलआर निवेश

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में सकल गैर निष्पादनीय निवेशों में चलन निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
आरंभिक शेष	218.86	47.63
वर्ष के दौरान वृद्धि	50.93	179.47
वर्ष के दौरान कमी	66.77	8.24
अंतिम शेष	203.02	218.86
कुल धारित प्रावधान	115.04	74.04

3.2.3 एचटीएम संवर्ग से / को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक का एचटीएम श्रेणी से विक्रय या उसमें अंतरण नहीं किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा निदेशक मण्डल की अनुमति से एक बार एचटीएम श्रेणी से/ को कुल ₹ 4,980.29 (विगत वर्ष ₹ 6226.45 करोड़) और ₹ 4,804.15 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 6244.78 करोड़) क्रमशः अंकित मूल्य और बही मूल्य की प्रतिभूतियों का अंतरण किया है। भारिबै के एचटीएम श्रेणी में इसकी कुल एसएलआर प्रतिभूतियों उनके एनडीटीएल को दूसरे पक्ष के अन्तिम शुक्रवार यथा 10 जनवरी, 2015 से 23.50 प्रतिशत, 19 सितम्बर, 2015 को 22.00 प्रतिशत कि स्तर से कम करने हेतु बैंकों को जारी दिशानिर्देशों क्रमांक आरबीआई/2014-15/254 बीडीओडीबीपी.बीसी.42/21.04.141/2014-15 दिनांकित 07 अक्टूबर, 2014 के अनुपालन में 6 जनवरी, 2015 बैंक ने कुल ₹ 3,074.75 करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 5297.00) और ₹ 3,010.07 करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 5338.26 करोड़) अंकित मूल्य एवं बही मूल्य क्रमशः की प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने भारिबै को पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी में किसी भी प्रतिभूति का विक्रय नहीं किया। (विगत वर्ष ₹ 1447.26 करोड़) (बही मूल्य)

भारिबै के उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार हांगकांग शाखा ने ₹ 61.57 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 11.98 करोड़) एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित किए।

3.3 डेरीवेटिव्स

3.3.1 वायदा दर अनुबंध/ ब्याज दर स्वेप

(₹ करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i)	स्वेप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	13150.07	10514.54
ii)	अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानि	4.10	7.89
iii)	स्वेप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वेप से आयी क्रेडिट जोखिम का सकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वेप बही का उचित मूल्य	-3.66	-11.62

नोट:

- टायर - II बाण्डस की हेजिंग के लिए भारतीय रुपयों में ब्याज दर स्वेप को शामिल किया गया है।
- बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है।
- हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित उपचय के आधार पर है।

IV. यूएसडी हेतु ब्याज दर स्वेप को बैंक द्वारा चार शृंखलाओं में एमटीएन वर्धन पर लिया गया है।

V. बैंक द्वारा एमटीएन वर्धन हेतु क्रास करंसी स्वेप देय और प्राप्य है।

3.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव :

(₹ करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i)	वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत - वार) ए) ब्याज दर फ्यूचर्स क्रय विक्रय	7030.52 6987.92	3105.06 2205.50
ii)	31 मार्च 2015 को बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत - वार)	शून्य	शून्य
iii)	(लिखत - वार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई कल्पित मूल राशि	शून्य	शून्य
iv)	(लिखत - वार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

हेजिंग डील्स पर आईआरएस डील्स का एमटीएन + उपाजित ब्याज

3.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

ए. गुणात्मक प्रकटन

ए) भारिबै के दिशानिर्देशों के अधीन बैंक दो समूहों में संव्यवहार करता है।

i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार

ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वेप, क्रास करंसी स्वेप और करंसी आप्शन में संव्यवहार करता है।

एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह में बैंक करंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में कारोबार करती है। बैंक भारिबै की अनुमति से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी), यूनाईटेड स्टॉक एक्सचेंज (यूएसई), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं मैक्स स्टॉक एक्सचेंज (मैक्स-एसएक्स) का उनकी करंसी डेरीवेटिव में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है। बैंक ने इन बाजारों (एक्सचेंजों) में वायदा मुद्रा में स्वामित्व ट्रेडिंग के साथ ही साथ ग्राहक की ओर से ट्रेडिंग करता है। बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक आफिस परिचालनों के लिए

आवश्यक मूलभूत संरचना का भी गठन किया है। इन बाजारों (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ दैनिक संव्यवहार (मार्क टू मार्क) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप निपटाए जाते हैं। बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है।

ट्रेडिंग/ मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलन पत्र की हेजिंग और लागू विनियमों के अंतर्गत अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है। प्रोप्राइटी ट्रेडिंग / मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वेप, करैसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है। जबकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर - ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं। किन्तु इससे बैंक की जोखिम भी बढ़ जाती है। बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी है।

ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हे आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है।

- I) फ्रंट आफिस - डीलिंग रूम, बैंक की नीति और भारिबै के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है।
- II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन
- III) बैंक आफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन .

मिड आफिस ट्रेडिंग बही में लेनदेनो तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन प्रभाग के ध्यान में लाता है। मिड आफिस एमटीएम के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेनदेनो के लिए वित्तीय जोखिमों को आंकता है और आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक बाजार पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है।

ए) कार्पोरेट ग्राहकों के मामले में लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पालिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं तथा आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं। बैंक ने ऋण निवेश (एक्सपोजर) के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है।

बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार , प्रचलन की गुंजाइश, अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ, अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन

पोजीशन सीमा, डील साइज लिमिट और स्टाप लास लिमिट और प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी लिमिटों का भी उल्लेख है।

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है। ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती है। जोखिम मानदण्डों यथा पीवी 01 , स्टाप लास, प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर के लिए है। आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है। और उल्लंघन, यदि कोई है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर आप्शन डेरीवेटिव संविदाओं से कुल पी वी 01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25 % के अंदर रहे।

सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेनदेनों का भी प्रयोग करता है। बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है। हेज लेनदेनों को नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। और इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकलित कल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है। हेज प्रभावित वह डिग्री है जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मर्दों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है। हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय- समय पर की जाती है।

डी) हेज / अन हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकार्ड किया जाता है। हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है। सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क टू मार्केट किए जाते हैं। और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकार्ड की जाती है।

आप्शन कान्ट्रेक्ट के मामले में आय की पहचान , प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय- समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है।

क्रेडिट जोखिम के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंको और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है। बैंक प्रतिपक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए आवधिक अंतराल पर करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है। डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपास्थिक / मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं। अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

ग्राहक से संबंधित डेरिवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है.

बी. मात्रात्मक प्रकटन

(₹ करोड में)

		31.03.2015	
क्र.	विवरण	करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव (काल्पनिक मूल राशि)		
ए.	हेजिंग के लिए	2062.50 (2074.73)	9162.57 (6689.80)
बी.	ट्रेडिंग के लिए	634.62 (148.56)	1925.00 (1750.00)
ii)	मार्केट टू मार्केट पोजीशन (1)		
ए.	आस्तियां (+)	शून्य (131.07)	4.10 (8.72)
बी.	देयताएं (-)	-1.26 (-3.05)	-8.30 (-21.55)
iii)	ऋण एक्सपोजर (2)	12.69 (4.53)	19.60 (19.9)
iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित असर (100*पीवी01)		
ए.	हेजिंग डेरिवेटिव पर	शून्य (शून्य)	0.37 (2.47)
बी.	ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	शून्य (शून्य)	7.92 (3.63)
v)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01		
ए.	अधिकतम		
	ए. हेजिंग पर	शून्य (शून्य)	2.78 (7.03)
	बी. ट्रेडिंग पर	शून्य (शून्य)	24.78 (5.47)
बी.	न्यूनतम		
	ए. हेजिंग पर	शून्य	0.17 (1.73)
	बी. ट्रेडिंग पर	शून्य (शून्य)	0.01 (0.06)

* ब्याज दर डेरिवेटिव के क्रेडिट एक्सपोजर में हेजिंग डील पर एक्सपोजर भी शामिल है .

3.4 आस्ति गुणवत्ता :

3.4.1 गैर निष्पादक आस्तियां

सकल गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए), शुद्ध एनपीए एवं प्रावधानों के संचरण का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड में)

क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i)	निवल अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	2.71	2.33
ii)	एनपीए का संचरण (सकल)		
	(ए) आरंभिक शेष	9563.74	6313.83
	(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	5666.26	5459.44
	(सी) वर्तमान एनपीए के शेष में वृद्धि	-	19.49
	उप - योग (ए)	15230.00	11792.76
	(डी) घटाया :-		
	(i) अपग्रेडेशन	138.11	551.01
	(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)		
	(iii) तकनीकी / प्रुडेंशियल राइट-ऑफ	1130.31	765.44
	(iv) राइट-ऑफ उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त	861.06	841.72
	उप - योग (बी)	69.65	70.85
	(ई) अंतिम शेष (ए - बी)	2199.13	2229.02
		13030.87	9563.74
iii)	एनपीए का संचरण (निवल)		
	(ए) आरंभिक शेष	5340.25	3353.37
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि	2910.10	3273.26
	(सी) वर्ष के दौरान कमी	1331.38	1286.38
	(डी) अंतिम शेष	6918.97	5340.25
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचरण		
	(ए) प्रारंभिक शेष	4223.49	2960.46
	(बी) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	2756.16	2205.67
	(सी) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ / राइट बैंक	867.75	942.64
	(डी) अंतिम शेष	6111.90	4223.49

इन प्रावधानों में एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऐसे पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य हास के प्रावधान को शामिल किया गया है.

एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रारंभिक और अंतिम शेष में दावाकृत खातों में प्राप्त/ वसूली इसीजोसी दावा राशि को शामिल किया गया है और क्रमशः ₹ 59.28 करोड (पिछले वर्ष ₹ 65.58 करोड) तथा ₹ 1.14 करोड (पिछले वर्ष ₹ 33.09 करोड) की राशि को समायोजन हेतु लंबित रखा गया है.

3.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर प्रक्रिया के अन्तर्गत						एसएमई ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अन्तर्गत				
	परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण		मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	योग	
1	विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 यथा 1 अप्रैल 2014 को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े)											
			उधारकर्ताओं की संख्या	22 (44)	7 (3)	2 (7)	0 (0)	31 (54)	88 (1203)	103 (301)	8838 (9760)	340 (396)	9369 (11660)
			बकाया राशि	2631.49 (3146.25)	635.01 (51.06)	39.79 (298.07)	0.00 (0.00)	3306.29 (3495.38)	908.23 (2025.67)	222.82 (283.28)	393.04 (220.93)	40.64 (6.71)	1564.73 (2536.59)
			उस पर प्रावधान	353.74 (585.34)	94.42 (10.78)	9.72 (39.63)	0.00 (0.00)	457.88 (635.75)	41.70 (62.79)	9.57 (9.14)	13.27 (6.68)	1.98 (0.50)	66.52 (79.11)
2		वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	16 (15)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	16 (15)	668 (25)	6 (0)	3 (0)	0 (0)	677 (25)
			बकाया राशि	1723.19 (2564.44)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1723.19 (2564.44)	453.14 (296.50)	0.05 (0.00)	0.02 (0.00)	0.00 (0.00)	453.21 (296.5)
			उस पर प्रावधान	195.80 (288.15)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	195.80 (288.15)	21.67 (3.99)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	21.67 (3.99)
			उधारकर्ताओं की संख्या	1 (2)				1 (2)	5 (51)				5 (51)
3		वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	बकाया राशि	76.76 (105.69)				76.76 (105.69)	13.35 (29.62)				13.35 (29.62)
			उस पर प्रावधान	0.00 (14.13)				0.00 (14.13)	2.00 (0.29)				2.00 (0.29)
			उधारकर्ताओं की संख्या	12 (16)				12 (16)	52 (55)				52 (55)
			बकाया राशि	959.41 (1544.16)				959.41 (1544.16)	217.54 (459.02)				217.54 (459.02)
4		वित्त वर्ष 2014-15 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित अग्रिम जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इस लिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2015-16 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना आवश्यक नहीं है.	उस पर प्रावधान	61.34 (357.21)				61.34 (357.21)	15.29 (6.69)			15.29 (6.69)	
			उधारकर्ताओं की संख्या		6 (8)	0 (2)	0 (0)	6 (7)		66 (93)	0 (113)	0 (3)	66 (209)
			बकाया राशि		646.26 (708.59)	0.00 (175.15)	0.00 (0.00)	646.26 (679.78)		413.79 (171.07)	0.00 (79.00)	0.00 (0.01)	413.79 (250.08)
			उस पर प्रावधान		93.88 (76.46)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	93.88 (76.46)		19.42 (5.43)	0.00 (1.02)	0.00 (0.00)	19.42 (6.45)
5		वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	0 (0)	0 (0)	1 (3)	0 (0)	1 (3)	0 (0)	8 (1)	0 (0)	8 (1)	
			बकाया राशि	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	103.75 (81.36)	0.00 (0.00)	103.75 (81.36)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	163.97 (18.27)	0.00 (0.00)	163.97 (18.27)
			उधारकर्ताओं की संख्या	27 (22)	13 (7)	3 (2)	0 (0)	43 (31)	571 (88)	118 (103)	7517 (8838)	318 (340)	8524 (9369)
			बकाया राशि	3859.57 (2631.49)	1435.14 (635.01)	204.20 (39.79)	0.00 (0.00)	5498.91 (3306.29)	788.73 (908.23)	517.23 (222.82)	236.17 (393.04)	40.32 (40.64)	1582.45 (1564.73)
6		वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइटआफ	उस पर प्रावधान	361.73 (353.74)	171.13 (94.42)	43.83 (9.72)	0.00 (0.00)	576.69 (457.88)	32.97 (41.70)	26.50 (9.57)	2.17 (1.98)	76.02 (66.52)	
			बकाया राशि										
			उधारकर्ताओं की संख्या										
			उस पर प्रावधान										
7		वित्तीय वर्ष 2014-15 के 31 मार्च 2015 को पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या										
			बकाया राशि										
			उधारकर्ताओं की संख्या										
			उस पर प्रावधान										

3.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण

क्र.	पुनर्गठन का प्रकार		अन्य				योग			
	परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण	विवरण	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अव-मानक	संदिग्ध
1	वित्तीय वर्ष 2014-15 यथा 1 अप्रैल 2014 को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	575 (16474)	757 (2031)	28292 (31236)	1341 (1393)	30965 (51134)	681 (17721)	867 (2335)	37132 (41003)
		बकाया राशि	8813.13 (4575.07)	1071.16 (425.78)	651.63 (564.91)	25.76 (27.98)	10561.68 (5593.74)	12352.85 (9746.99)	1928.99 (760.12)	1084.46 (1083.91)
		उस पर प्रावधान	238.59 (174.67)	17.43 (5.96)	28.73 (29.43)	1.65 (0.79)	286.4 (210.85)	634.03 (822.80)	121.42 (25.88)	51.72 (75.74)
2		उधारकर्ताओं की संख्या	10766 (58)	35 (2)	14 (0)	0 (0)	10815 (60)	11450 (94)	41 (4)	17 (0)
	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान नई पुनर्संरचना	बकाया राशि	2825.23 (1931.40)	1.08 (345.02)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	2826.39 (2276.42)	5001.56 (4688.54)	1.13 (448.82)	0.10 (0.00)
		उस पर प्रावधान	180.43 (88.71)	0.03 (7.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	180.46 (95.96)	397.90 (380.85)	0.03 (7.25)	0.00 (0.00)
3		उधारकर्ताओं की संख्या	176 (609)				176 (609)	182 (662)		
		बकाया राशि	7.24 (165.20)				7.24 (165.20)	97.35 (300.51)		
	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.33 (3.71)				0.33 (3.71)	2.33 (18.13)		
		बकाया राशि	372 (239)				372 (239)	436 (310)		
4		उधारकर्ताओं की संख्या	1797.59 (896.95)				1797.59 (896.95)	2974.54 (2878.20)		
		बकाया राशि	43.15 (20.79)				43.15 (20.79)	119.78 (384.69)		
5	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	519 (1002)	0 (5)	0 (1)	0 (1)	519 (1007)	591 (1103)	0 (120)	0 (4)
		बकाया राशि	299.48 (1147.24)	0.00 (0.24)	0.00 (0.01)	0.00 (0.01)	299.48 (1108.30)	1359.53 (2026.90)	0.00 (254.39)	0.00 (0.02)
		उस पर प्रावधान	14.10 (25.68)	0.00 (0.02)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	14.10 (25.70)	127.40 (107.57)	0.00 (1.04)	0.00 (0.00)
6		उधारकर्ताओं की संख्या	0 (0)	0 (0)	2 (3)	0 (0)	2 (3)	0 (0)	0 (0)	11 (7)
	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइटआफ	बकाया राशि	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	64.46 (42.87)	0.00 (0.00)	64.46 (42.87)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	332.18 (142.50)
7		उधारकर्ताओं की संख्या	9428 (575)	926 (757)	23785 (28292)	1215 (1341)	35354 (30965)	10026 (681)	1057 (867)	31305 (37132)
		बकाया राशि	9009.95 (8813.13)	1453.56 (1071.16)	557.19 (651.63)	25.64 (25.76)	11046.34 (10561.68)	13658.25 (12352.85)	3405.93 (1928.99)	997.56 (1084.46)
		उस पर प्रावधान	205.43 (238.59)	33.3 (17.43)	23.72 (28.73)	1.67 (1.65)	264.12 (286.40)	600.13 (634.03)	230.93 (121.42)	81.93 (51.72)

3.4.3 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड में)

क्र	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i)	खातों की संख्या	9	21
ii)	एससी / आरसी कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर)		
	ए) एनपीए खाता	40.69	107.08
	बी) अपलिखित खाता	शून्य	शून्य
	सी) एसएमए खाते	326.52	शून्य
iii)	कुल प्रतिफल		
	ए) एनपीए खाता	81.20	133.50
	बी) अपलिखित खाता	234.23	82.00
	सी) एसएमए खाते	326.52	शून्य
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय / हानि		
	ए) एनपीए खाता	40.51	26.42
	बी) अपलिखित खाता	234.23	82.00
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य

3.4.4 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड में)

क्र	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य
2	क. इसमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

क्र	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्तियां	शून्य	शून्य

ग. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बहीमूल्य

(₹ करोड में)

विवरण	एनपीए हेतु सुरक्षित बैंक द्वारा मौलिक रुप से बेचा गया		एनपीए हेतु सुरक्षित बैंक/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग द्वारा मौलिक रुप से बेचा गया		योग	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बहीमूल्य	196.54	117.94	-	-	196.54	117.94

विवरण	एसएमए हेतु सुरक्षित बैंक द्वारा मौलिक रुप से बेचा गया		एसएमए हेतु सुरक्षित बैंक/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग द्वारा मौलिक रुप से बेचा गया		योग	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बहीमूल्य	257.82	-	-	-	257.82	-

3.4.5 मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.3.2014
मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	239.81	309.92

बैंक द्वारा मानक परिसम्पत्तियों हेतु रखा प्रावधान 31 मार्च, 2015 को ₹ 1613.36 करोड़ है. (विगत वर्ष में ₹ 1325.20)

3.5 कारोबार अनुपात

क्र	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i)	कार्यकारी निधियों में ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	8.88	8.95
ii)	कार्यकारी निधियों में गैर-ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	0.97	0.86
iii)	कार्यकारी निधियों में परिचालन लाभ के रूप में प्रतिशत	1.61	1.59
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.49	0.52
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (₹ करोड में)	14.46	13.76
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड में)	0.05	0.05

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन

जमा राशि, उधारी, अग्रिमों एवं निवेश में परिपक्वता विधि यथा 31 मार्च, 2015 निम्न पर आधारित है :

- एएलएम पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश
- आस्ति एवं देयताओं का व्यावहारिक अध्ययन जिसमें निहित विकल्प के लिए कोई निश्चित परिपक्वता नहीं है.
- तुलन पत्र में विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयतायें

(₹ करोड में)

	जमाराशियां	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	1090.96 (4422.70)	2032.03 (3574.93)	3219.48 (575.88)	705.05 (1518.61)	1932.81 (2214.45)	2330.95 (2859.23)
2-7 दिन	3698.22 (12511.58)	2786.50 (2174.00)	650.33 (671.12)	2253.62 (1012.75)	271.88 (430.51)	1137.13 (1138.54)
8-14 दिन	4455.91 (3554.37)	3362.06 (2427.83)	0.00 (325.04)	1466.68 (3183.47)	1184.23 (384.37)	1155.27 (3386.21)
15 - 28 दिन	4890.86 (4853.29)	7549.93 (9606.22)	0.00 (644.74)	1174.29 (2557.37)	976.63 (2952.45)	1393.55 (3110.56)
29 दिन से 3 माह	27002.47 (28471.88)	23736.91 (25077.87)	2615.00 (1188.88)	3297.34 (2529.14)	8571.45 (9425.43)	4171.40 (3975.83)
3 माह से अधिक 6 माह तक	21174.15 (18630.60)	16766.13 (13965.30)	2605.63 (530.26)	6169.52 (6114.87)	6281.27 (8821.84)	5052.41 (7465.00)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	50651.85 (34476.62)	28994.80 (43415.89)	2823.40 (4816.82)	3757.49 (2238.85)	4117.85 (2306.56)	7468.37 (4671.26)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	52004.79 (60539.79)	119855.99 (82746.74)	8346.60 (16971.24)	3489.88 (2577.84)	5099.95 (3853.48)	8514.91 (5289.63)
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	27572.41 (21755.62)	26783.47 (26127.42)	27061.17 (22269.23)	6816.12 (1463.73)	5874.32 (468.47)	5954.59 (924.45)
5 वर्ष से अधिक	124328.30 (108459.18)	23786.75 (19988.22)	46771.37 (45729.97)	6229.99 (6090.00)	2090.73 (92.27)	730.85 (446.63)
योग	316869.92 (297675.63)	255654.57 (229104.43)	94092.98 (93723.19)	35359.98 (29316.62)	36401.12 (30949.83)	37909.44 (33267.33)

नोट: कोष्ठक में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं.

3.7 एकपोजर्स

3.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र में एकपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र	संवर्ग	31.03.2015	31.03.2014
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
i)	आवासीय बंधक - - इसमें से वैयक्तिक गृह निर्माण ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने योग्य है.	25879.22 11290.15	20492.14 11689.98
ii)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट -	4980.33	5370.03
iii)	बंधक समर्थित / प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एकसपोजर - ए. आवासीय बी. वाणिज्यिक रियल इस्टेट.	- -	- -
बी)	अप्रत्यक्ष एकसपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एकसपोजर	8666.32	7565.63
	रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एकसपोजर	39525.87	33427.80

3.7.2 पूँजी बाजार में एकसपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र	संवर्ग	31.03.2015	31.03.2014
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	683.91	772.49
ii)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	1.55	9.42
iii)	किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	1.88	1.98
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांड्स / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है.	71.34	60.11
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	491.70	580.01
vi)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	313.00	6.62
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	-	-
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	-	-
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	11.97	-
x)	वेंचर पूंजी निधियों के सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएंगे और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. **	517.02	479.35
	पूँजी बाजार में कुल एकसपोजर	2092.37	1909.98

** 2014-15 के लिए 168.79 करोड़ की वेंचर पूंजी अनाहरित पूंजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं. (विगत वर्ष ₹ 144.02 करोड़).

3.7.3 जोखिम संवर्गवार कंट्री एक्सपोजर

(₹ करोड में)

जोखिम संवर्ग	(निवल) एक्सपोजर यथा 31.03.2015	(निवल) एक्सपोजर यथा 31.03.2014	प्रावधान यथा 31.03.2015	प्रावधान यथा 31.03.2014
अपर्याप्त	12909.19	5264.53	शून्य	शून्य
न्यून	3837.78	2259.37	शून्य	शून्य
सामान्य	672.70	546.82	शून्य	शून्य
उच्च	0.20	7.31	शून्य	शून्य
अत्यधिक उच्च	264.92	203.14	शून्य	शून्य
सीमित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आफ - क्रेडिट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	17684.79	8281.17	शून्य	शून्य

कंट्री जोखिम नीति 2013-14 के अनुसार, बैंक ने भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए इसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण तथा हांगकांग, दुबई शाखा एवं भारत में ट्रेड एक्सपोजर के अलावा अन्य के लिए एस एण्ड पी रेटिंग का उपयोग किया गया है. कंट्री जोखिम नीति 2014-15 के अनुसार बैंक ने भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए और अन्य एक्सपोजर के अतिरिक्त, हांगकांग, दुबई एवं एंटवर्प शाखा के लिए इसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग किया है. इसीजीसी द्वारा जारी नवीनतम कंट्री जोखिम वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सीमा आबंटन के उद्देश्य हेतु आधार होगा. तथापि, गैर ट्रेड एवं विदेशी शाखाओं के संव्यवहारों के लिए उप सीमा निर्धारित की जाएगी जो कुल सीमा की 20% होगी.

विभिन्न देशों पर लिए गए एक्सपोजर बैंक की पूंजी निधि के आधार पर निर्धारित सीमा के भीतर है. अतः कुल परिसम्पत्तियों के 1% के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कंट्री जोखिम हेतु प्रावधान अपेक्षित नहीं है.

3.7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता (एसबीएल), समूह उधारकर्ता (जीबीएल) को दी गई सीमा से अधिक का ब्यौरा:

(₹ करोड में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की सीमा (₹)	कुल एक्सपोजर (₹)	पूंजी निधि का % एक्सपोजर	31.03.15 की स्थिति	पूंजी निधि के % की स्थिति
1	व्यक्तिगत उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	समूह उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3.7.5 बेजमानती अग्रिम :

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाईसेंस, अथारिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

3.8 भारिबैं द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : ₹ 3.53 लाख, (विगत वर्ष ₹ 13.25 लाख)

4 लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं, जिसमें भारिबैं ने "खाते के नोट" के लिए प्रकटन मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं.

4.1 राजस्व पहचान (ए एस 9)

सार्थक लेखा नीति की अनुसूची 17 की लेखा नीति क्रमांक 3(iii) के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर पहचान की गई है. तथापि इस प्रकार की आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

4.2 कर्मचारी लाभ (ए एस 15)

4.2.1 परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना :

परिभाषित लाभ के दायित्वों के वर्तमान मूल्य, योजना आस्तियों के उचित मूल्य एवं अन्य पेंशन/ग्रेच्युटी लाभों के वर्तमान मूल्य के संचरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड में)

	विवरण	31.03.2015		31.03.2014	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
i)	लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाला टेबल :				
	वर्ष के आरंभ में देयता	1060.13	6683.81	1000.86	5991.02
	ब्याज लागत	95.66	616.32	82.64	509.62
	चालू सेवा लागत	45.13	190.73	44.92	194.81
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	-160.00	-452.00	-147.18	-380.68
	बीमांकिक (अर्जन) / बाध्यताओं पर हानि	47.24	1179.57	78.89	369.04
	वर्ष के अंत में देयताएं	1088.16	8218.43	1060.13	6683.81
ii)	योजना आस्तियों के उचित मूल्य का टेबल:				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1081.23	6104.73	1037.22	4774.08
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	96.74	630.38	87.02	522.50
	अंशदान	208.00	1367.00	124.17	1422.06
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	-160.00	-452.00	-147.18	-380.68
	प्लान आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	38.03	210.89	-20.00	-233.23
	वर्ष के अंत में प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	1264.00	7861.00	1081.23	6104.73
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन / (हानि)	-9.21	-968.68	-98.90	-602.28
iii)	संक्रमणकालीन देयता की पहचान:				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:				
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	96.74	630.38	87.02	522.50
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	38.03	210.89	-20.00	-233.23
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	134.77	841.27	67.02	289.27
v)	आय विवरण में पहचाने गए व्यय				
	वर्तमान सेवा लागत	45.13	190.73	44.92	194.81
	ब्याज लागत	95.66	616.32	82.64	509.62
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-96.74	-630.38	-87.02	-522.50
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	65.00	338.00	65.00	338.00
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक लाभ या हानि	9.21	968.68	98.90	602.28
	लाभ हानि खाते में पहचाने गए व्यय	118.26	1483.35	204.43	1122.20

	विवरण	31.03.2015		31.03.2014	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
vi)	तुलन पत्र समाधान: प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन-पत्र में चिन्हित निवल राशि) उपरोक्तानुसार व्यय अन्य कंपनियों से अंतरित (निवल) अन्य कंपनियों को अंतरित (निवल) नियोक्ता का अंशदान तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	-86.10 118.26 शून्य शून्य -208.00 -175.84	241.08 1483.35 शून्य शून्य -1367.00 357.43	-166.36 204.43 शून्य शून्य -124.17 -86.10	540.94 1122.20 शून्य शून्य -1422.06 241.08
vii)	अन्य ब्यौरे: ग्रेच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से देय है, बशर्ते अधिकतम राशि ₹ 10,00,000.00 या बैंक की योजना के अनुसार हो. वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/ हानि की गणना की गई है वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रैक्टिस के अनुसार है. सदस्यों की संख्या वेतन प्रति माह अगले वर्ष के लिए अंशदान	 35646 135.34 शून्य	 21337 97.37 315.48	 33945 126.03 शून्य	 23163 98.59 319.43
viii)	आस्तियों का संवर्ग भारत सरकार की आस्तियां कार्पोरेट बांड विशेष जमा योजना राज्य सरकार संपत्ति अन्य बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां योग	146.02 385.01 शून्य 434.50 शून्य 40.47 258.00 1264.00	473.14 1879.80 शून्य 2390.20 शून्य 214.74 2903.12 7861.00	151.48 337.99 शून्य 357.44 शून्य 24.96 209.36 1081.23	473.15 1584.16 शून्य 2011.48 शून्य 28.60 2007.33 6104.73
ix)	मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%) पिछली डिस्काउंट दर पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर पिछली वेतन वृद्धि पिछली एट्रीशन दर चालू डिस्काउंट दर चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर चालू वेतन वृद्धि चालू एट्रीशन दर	9.33 8.00 5.00 2.00 7.99 8.70 5.00 2.00	9.27 8.70 5.00 2.00 7.95 8.70 5.00 2.00	8.50 8.00 4.00 2.00 9.33 8.00 5.00 2.00	8.50 8.70 4.00 2.00 9.27 8.70 5.00 2.00

योजना में अधिशेष/ कमी :	ग्रेच्युटी योजना				
तुलन पत्र में चिन्हित राशि	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
वर्ष के अंत में देयता	1088.16	1060.13	1000.86	990.55	894.93
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1264.00	1081.23	1037.22	861.28	873.05
अंतर	175.84	21.10	36.36	-129.27	-21.88
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	-	65.00	130.00	195.00	260.00
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	175.84	86.10	166.36	65.73	238.12

तुलन पत्र में चिन्हित राशि	ग्रेच्युटी योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
योजनागत देयता (लाभ) / हानि	-21.18	123.74	21.60	95.09	145.69
योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	38.03	-20.00	-24.43	-0.80	-4.15

योजना में अधिशेष/कमी:	पेंशन				
तुलन पत्र में चिन्हित राशि	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
वर्ष के अंत में देयताएं	8218.43	6683.81	5991.02	5259.03	4771.82
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	7861.00	6104.73	4774.08	4020.00	2513.69
अंतर	-357.43	-579.08	-1216.94	-1239.03	-2258.13
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	-	338.00	761.00	1014.17	1352.17
पहचानी नहीं गई परिवर्तन देयता - अंतिम शेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	-357.43	-241.08	-455.94	-224.86	-905.96

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	पेंशन				
अनुभव समायोजन	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	731.44	661.38	251.18	511.13	367.19
योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	210.89	-233.23	-103.10	-145.15	-15.87

4.2.2 परिभाषित अंशदान योजना:

बैंक द्वारा अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है जो कि दिनांक 01 अगस्त, 2010 अथवा उसके पश्चात बैंक में कार्यग्रहण करने वाले से सभी संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकारी के अधीन किया जा रहा है। एनपीएस के लिए नेशनल सिक्यूरिटीस डीपाजिटरी लिमिटेड को केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा ₹ 42.44 करोड (पिछले वर्ष ₹ 28.55 करोड) का अंशदान किया गया।

4.2.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

4.2.3.1 वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.15	31.03.14
1.	पेंशन	1483	1122
2.	अवकाश नकदीकरण	68	43
3.	अवकाश यात्रा रियायत	9	शून्य
4.	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

4.3 क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

4.3.2 कारोबार क्षेत्र:

(₹ करोड़ में)

	कारोबार क्षेत्र	स्टैण्डअलोन				
		तिमाही समाप्ति			वर्ष समाप्ति	
		(अंकेक्षित)	(समीक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	
		31.03.2015	31.12.2014	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व					
1	ट्रेजरी परिचालन	2624.40	2401.08	2105.58	9457.35	8515.80
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	2550.30	2895.85	2708.39	10096.56	9034.75
3	कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	4121.28	3547.65	3538.74	15733.95	14301.05
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	98.76	85.18	94.24	342.36	331.29
5	गैर निर्धारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	9394.74	8929.76	8446.95	35630.22	32182.89
	घटाया: अंतर क्षेत्रवार राजस्व	11.03	8.76	2.00	23.26	11.96
	कुल राजस्व	9383.71	8921	8444.95	35606.96	32170.93
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम					
1	ट्रेजरी परिचालन	641.87	557.80	325.65	1902.99	1145.60
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	575.20	323.04	220.81	1216.99	845.64
3	कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	-624.56	-309.02	-192.98	-503.19	-85.49
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	49.84	41.60	45.77	166.59	163.14
5	गैर निर्धारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर पूर्व कुल लाभ	642.35	613.42	399.25	2783.38	2068.89
(सी)	आयकर	198.58	311.00	-179.66	1001.74	372.69
(डी)	शुद्ध लाभ	443.77	302.42	578.91	1781.64	1696.20
(ई)	क्षेत्रवार आस्तियां					
1	ट्रेजरी परिचालन	113440.55	120613.24	118208.15	113440.55	118208.15
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	107285.95	102894.66	87088.32	107285.95	87088.32
3	कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	156474.27	145815.77	147776.85	156474.27	147776.85
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गैर निर्धारित	4415.16	2456.00	707.58	4415.16	707.58
	योग	381615.93	371779.67	353780.90	381615.93	353780.90
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं					
1	ट्रेजरी परिचालन	107654.06	113784.75	111101.08	107654.06	111101.08
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	102760.57	97955.25	82315.90	102760.57	82315.90
3	कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	149874.09	138815.95	139678.71	149874.09	139678.71
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गैर निर्धारित	1565.18	1431.85	2209.85	1565.18	2209.85
6	पूंजी, प्रारक्षित एवं अधिशेष	19762.03	19791.87	18475.36	19762.03	18475.36
	योग	381615.93	371779.67	353780.90	381615.93	353780.90

टिप्पणियां

- बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेजरी, रिटेल, कार्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है . उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एएस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर (एएस) 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत है. अतः बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
- सीधे तौर पर आवंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिये गये हैं.

4.4 संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस -18)

ए. संबंधित पार्टियों की सूची

ए) समनुषंगी :

- यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि.
- यूनियन बैंक आफ इंडिया (यूके) लिमि.

बी) संयुक्त उद्यम :

- स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

सी) एसोसिएट :

- बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2014-15 के दौरान सेवा ग्रहण करने/सेवानिवृत्त होने वाले
श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक	लागू नहीं
श्री के. सुब्रमण्यम	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री एस. के जैन	कार्यपालक निदेशक	31.05.2014 को सेवा निवृत्त
श्री राकेश सेठी	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री किशोर खरात	कार्यपालक निदेशक	10.03.2015 को सेवा ग्रहण

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए

एएस - 18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यमी" हैं के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस - 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और उनके रिश्तेदार भी शामिल है, को प्रकटित नहीं किया गया है.

4.4.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.20	#0.23
कार्यपालक निदेशक	0.39	#0.50
योग	0.59	0.73

पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई क्रमशः ₹ 0.06 करोड व ₹ 0.08 करोड की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है

4.5 प्रति शेयर अर्जन (एएस -20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड पोर्टेशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गयी है. .

प्रति शेयर अर्जन की गणना नीचे दी गयी है :

क्र	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस (₹)	28.05	27.99
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड में)	1776.36	1696.20
iii	इक्विटी शेयरों की भारित औसत (संख्या करोड में)	63.33	60.59
iv	प्रति शेयर नामिनल मूल्य (₹)	10.00	10.00

4.6 आस्थगित कर (एस-22)

(₹ करोड में)

क्र	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	234.25	276.42
2	कर्मचारी लाभ	328.89	325.83
3	पूर्व वर्षों में दावित, वर्ष के दौरान विक्रित निवेशों पर मूल्यहास	15.73	3.83
4	अवकाश नकदीकरण	57.93	34.82
5	अन्य प्रावधानों के कारण	477.18	212.65
	योग	1113.98	853.55
	आस्थगित कर देयताएं		
1	निवेशों के मूल्य में हास हेतु प्रावधान	66.15	52.06
2	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	35.68	32.28
3	अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	641.15	667.46
4	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	823.24	781.09
	योग	1566.22	1532.89
	शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	शून्य	शून्य
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	452.24	679.34

4.6.1 प्रत्यक्ष कर के लिए प्रावधान

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर और वेल्थ टैक्स देयता सहित)	1001.74	623.76

4.7 आस्तियों की हानि (मानक लेखा-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो।

- 4.8 आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची -12 के क्र. (i) से (vi) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय / विवेचन / न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है।

5. अतिरिक्त प्रकटन

5.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(₹ करोड में)

लाभ हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप	31.03.2015	31.03.2014
निवेश पर मूल्य हास हेतु प्रावधान / (रिवर्सल)	-37.62	87.85
एनपीए के लिए प्रावधान	2536.67	2106.17
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	239.81	308.87
आयकर (आईटी)सम्पत्ति कर/ आस्थगित कर देयता (डीटीएल) के लिए शुद्ध प्रावधान	1001.74	370.79
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :		
- शिफ्टिंग हानि	38.82	109.97
- अग्रिमों का पुनर्गठन	127.11	254.69
- अन्य	135.30	283.56
योग	4041.83	3521.90

01 नवम्बर, 2012 से प्रभावी होने वाले प्रस्तावित वेतन संशोधन के लम्बित समझौते के लिए ₹ 464 करोड़ का प्रावधान यथा 31 मार्च, 2015 को किया गया है जिसमें चालू वर्ष के दौरान का ₹ 209 करोड़ शामिल है।

5.2 काउंटर साइक्लीकल प्राविजनिंग बफर / फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i)	प्रारंभिक शेष यथा 01.04.2014	511.21	763.00
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	75.18	शून्य
iii)	लेखावर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	293.19	251.79
iv)	अंतिम शेष	293.20	511.21

भारिबै की अनुमति से उनके द्वारा जारी परिपत्र क्र डीबीआर/बीपी/बीसी/79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च 2015 के अनुसार बैंक द्वारा अपने 50% फ्लोटिंग प्रावधान 31 दिसम्बर, 2014 तक उपयोग किया गया है। तदनुसार गैर निष्पादक आस्तियों के विशेष प्रावधान के लिए ₹ 511.21 करोड़ के रखे फ्लोटिंग प्रावधान से ₹ 293.195 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

5.3 आरक्षिती से आहरण

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा आरक्षिती से कोई भी आहरण नहीं किया गया (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़)

5.4 शिकायतों का प्रकटन

ए. ग्राहक शिकायतें

क्र	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(ए)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	778	1478
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	121000	121546
(सी)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	121442	122246
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	336	778

बी. बैंक द्वारा जारी एटीएम कार्ड के संबंध में शिकायत

क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(ए)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	553	560
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	90898	93163
(सी)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	91248	93170
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	203	553

उक्त के अलावा उन शिकायतों का ब्यौरा जो विशेष रूप से अन्य बैंकों से संबद्ध हैं

क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(ए)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	334	389
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	40448	62839
(सी)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	40584	62894
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	198	334

सी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(ए)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	-	1
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	15	9
(सी)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	12	10
(डी)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	3*	शून्य

* 1) सावधि जमा राशियों के भुगतान के लिए डिप्टी गवर्नर, भारिबै से अपील.

2) अन्य बैंकों में हमारे ग्राहकों द्वारा एटीएम लेनदेनों से संबंधित दो निर्णय कार्यान्वयन हेतु लम्बित हैं.

5.5 जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटन

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	4078.00	3815.51
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट	11381.00	12890.41
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट	11757.09	12627.92
वर्ष के अन्त में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	3701.91	4078.00

5.6 कवरेज अनुपात का प्रावधान (पीसीआर)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
कवरेज अनुपात का प्रावधान (%)	59.23	59.98

5.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार का प्रकटन

बैंक एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड में)

क्र	आय का स्वरूप	31.03.2015	31.03.2014
	जीवन बीमा पालिसी	30.68	29.37
	गैर -जीवन बीमा पालिसी	6.97	7.29
	अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य

5.8 जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर एवं एनपीए का केन्द्रीकरण

5.8.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	35722.00	40722.39
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	11.27%	13.68%

5.8.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 सबसे बड़े अग्रिम खातों को दिए गए कुल अग्रिम	27825.86	20379.68
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	8.35%	8.69%

5.8.3 एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	57375.79	56738.15
बैंक के कुल ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोजर में 20 बड़े ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	13.29%	24.19

5.8.4 एनपीए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	1482.44	1159.49

5.9 सेक्टरवार अग्रिम

(₹ करोड में)

क्र.	सेक्टर	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2014-15)			विगत वर्ष (वित्त वर्ष 2013-14)		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का प्रतिशत
ए	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	30297	1374	4.54	25614	1550	6.05
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र उद्योग को ऋण	15998	1250	7.81	13402	753	5.62
3	सेवाएं	16837	916	5.44	19220	881	4.58
4	वैयक्तिक ऋण	14392	466	3.24	13603	305	2.25
	उप योग (ए)	77524	4006	5.17	71840	3490	4.86
बी	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	3665	156	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	81575	5458	6.69	88389	3915	4.43
3	सेवाएं	85212	3207	3.76	62661	1812	2.89
4	वैयक्तिक ऋण	14781	204	1.38	11442	347	3.03
	उप-योग (बी)	185233	9025	4.87	162492	6074	3.74
	योग(ए+बी)	262757	13031	4.96	234332	9564	4.08

उप क्षेत्र जहां वित्त वर्ष 2014-15 में बकाया कुल अग्रिम से बकाया अग्रिम 10% अधिक रहा, निम्नानुसार है:

क्र.	उप क्षेत्र	क्षेत्र	बकाया	क्षेत्र में कुल अग्रिम से %
1	अनाज उगाना	कृषि	6392	18.82
2	स्टोरेज एवं मार्केट यार्ड	कृषि	4213	12.4
3	विद्युत का संग्रह एवं वितरण	उद्योग	8220	10.8
4	विद्युत जनरेशन	उद्योग	13659	17.94
5	एनबीएफसी - सामान्य उद्देश्य ऋण	सेवा	13920	13.64
6	अन्य सभी ऋण एनईसी	वैयक्तिक	3450	11.85
7	स्टाफ के अतिरिक्त आवास ऋण	वैयक्तिक	18069	62.04

5.10 एनपीए का संचरण

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1 अप्रैल 2014 को सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	9563.74	6313.83
वर्ष के दौरान जोड़े गये (नये) एनपीए	5666.26	5459.44
वर्तमान एनपीए में वृद्धि	--	19.49
उप जोड़ (ए)	15230.00	11792.76
घटाएं:		
(i) उन्नयन	138.11	551.01
(ii) वसूली (उन्नत खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	1130.31	765.44
(iii) अपलेखन	930.71	912.57
उप योग (बी)	2199.13	2229.02
31 मार्च 2015 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	13030.87	9563.74

(₹ करोड में)

स्टॉक का तकनीकी अपलेखन

क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i)	तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलिखित खातों का प्रारम्भिक शेष	3664.81	3,325.68
ii)	जोड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन	861.06	841.72
iii)	उप-योग (ए)	4525.87	4167.40
iv)	घटाया : पूर्व में खातों में किए गए तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन में वर्ष के दौरान वसूली (बी)	585.67	502.59
v)	अन्तिम शेष(ए-बी)	3940.20	3664.81

5.11 ओवरसीज आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
कुल आस्तियां	27195.96	22005.13
कुल एनपीए	469.63	421.68
कुल राजस्व	919.99	724.91

5.12 तुलन पत्र के अलावा प्रायोजित एस पी वी:

5.13 अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं :

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
पेंशन		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	338.00	338.00
बी) आगे ले जाया गया	-	338.00
ग्रेच्युटी		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	65.00	65.00
बी) आगे ले जाया गया	-	65.00

5.14 क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप्स :

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप संव्यवहार नहीं किया।

5.15 इंद्रा गुप एक्सपोजर

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015
इंद्रा गुप एक्सपोजर की कुल राशि	121885.55
20 बड़े इंद्रा गुप एक्सपोजर्स की कुल राशि	45217.42
बैंक के कुल ऋणियों / ग्राहकों के इंद्रा गुप एक्सपोजर में 20 बड़े ऋणियों / ग्राहकों के इंद्रा गुप एक्सपोजर का प्रतिशत	28.23%
इंद्रा गुप एक्सपोजर पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई.	शून्य

5.16 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि(डीईएफ) में अन्तरण

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
डीईएफ को अन्तरित राशि का प्रारम्भिक शेष	शून्य	शून्य
जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएफ में अन्तरित की गयी राशि	620.58	शून्य
घटाया : डीईएफ द्वारा दावे के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि	10.22	शून्य
डीईएफ को अन्तरित राशि का अन्तिम शेष	610.36	शून्य

5.17 अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने वर्ष 2014-15 के लिए अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर एक नीति अनुमोदित की है. बैंक नीति बनाते समय फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी

मुद्रा एक्सपोजर से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को जोड़कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है. यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोजर के लिए मार्च, 2015 तिमाही में ₹ 24.98 करोड़ का वृद्धि संबंधी प्रावधान बनाया गया.

6 तरलता कवरेज अनुपात(एलसीआर)

गुणात्मक प्रकटन

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर का भारमुक्त उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है ताकि भारिबैं द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के समय में नकदी में परिवर्तित किया जा सके .

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है. .

एलसीआर = एचक्यूएलए / 30 दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह

कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए एलसीआर के लिए न्यूनतम आवश्यकता भारिबैं द्वारा 60% निर्धारित की गयी है. एलसीआर बैंक के घरेलू एवं विदेशी परिचालनों में लागू है.

एचक्यूएलए:

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पर्शिक के रूप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है. उन्हें भार रहित अर्थात विधिक, नियामक अथवा परिचालनात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए . ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती हैं जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं.

एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर 1 आस्तियां, एवं बी) स्तर 2 आस्तियां होती हैं . स्तर 2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुनः दो भाग स्तर 2ए आस्तियां एवं स्तर 2बी आस्तियां में विभाजित किया जाता है..

स्तर 1

स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रूप से सीआरआर का आधिक्य, एसएलआर का आधिक्य, एमएसएफ (एनडीटीएल का 2%) एवं सी आर में कमी (एनडीटीएल का 5%) सहित नकदी शामिल होता है.

स्तर 2ए आस्तियां

स्तर 2ए आस्ति में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की जाती है. स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा जारी न गयी 20% जोखिम भारित प्रतिभूतियां, बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा जारी न किए गए एए- अथवा उससे ऊपर रेटेड कारपोरेट बॉन्ड, एवं एए- अथवा उससे ऊपर रेटिंग वाले वाणिज्यिक पेपर शामिल होती हैं.

स्तर 2 बी आस्तियां

स्तर 2बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की जाती है. स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होती हैं. स्तर 2बी आस्तियां मुख्य रूप से 20% से अधिक परन्तु 50% से कम जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां अर्थात बीबीबी- क्रेडिट रेटिंग से नीचे न हो एवं बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा इक्विटी शेयर जारी एवं इंडेक्स कम्पानेंट न किए गए हों, होती हैं.

बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त :

सभी तीन महिनों के लिए अर्थात जनवरी से मार्च, 15, बैंक का एलसीआर 2015 के कैलेंडर वर्ष की नियामक आवश्यकता के लिए निर्धारित न्यूनतम 60% से अधिक रहा. बाजार एवं बैंक की सामान्य तरलता पर आधारित बैंक के आन्तरिक तरलता का एलसीआर स्तर तिमाही के दौरान परिवर्तित होता रहा.

एचक्यूएलए:

बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां हैं जिससे कि उसका एलसीआर नियामक द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक है. स्तर 1आस्ति एचक्यूएलए का मुख्य चालक है जिसका बैंक के कुल एचक्यूएलए में लगभग 89% योगदान है.

बहिर्प्रवाह एवं अंतर्प्रवाह :

जमाराशियां बैंक की निधियों का मुख्य स्रोत हैं जो कुल देयताओं का लगभग 83% हैं. बैंक का एक्सपोजर मुख्यतः भारतीय रुपये में है.

6.1 प्रकटन प्रारूप

(₹ करोड में)

एलसीआर प्रकटन यथा 31 मार्च, 2015			
		कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां(एचक्यूएलए)	40632.79	39740.55
नकद बहिर्प्रवाह			
2	खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमा राशियां, जिसमें से	162121.38	14462.12
	(i) स्थायी जमा राशियां	35000.26	1750.01
	(ii) कम स्थायी जमा राशियां	127121.11	12712.11
3	बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से	46017.22	24170.10
	(i) परिचालनात्मक जमा राशियां (सभी काउंटर पार्टियां)	7431.32	1857.83
	(ii) गैर-परिचालनात्मक जमा राशियां (सभी काउंटर पार्टियां)	27122.72	10849.09
	(iii) बेजमानती ऋण	11463.18	11463.18
4	जमानती थोक निधियां	8398.86	3822.07
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	13605.29	3003.57
	(i) डिरेक्टिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	7.15	7.15
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह	0.00	0.00
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	13598.14	2996.42
6	अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता	734.18	734.18
7	अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता	34152.40	1707.62
8	कुल नकद बहिर्प्रवाह	265029.33	47899.67
	नकद अंतर्प्रवाह		
9	जमानती अग्रिम(उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	294.42	0.00
10	पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	1955.01	1955.01
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह	17754.21	10351.12
12	कुल नकद बहिर्प्रवाह	20003.63	12306.13
			कुल समायोजित मूल्य
21	कुल एचक्यूएलए		39740.55
22	कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह		35593.54
23	तरलता कवरेज अनुपात (%)		111.65%

31 मार्च, 2015 को तरलता कवरेज अनुपात 111.65% है.

7 अचल आस्तियां :

- ए) बैंक द्वारा धारित ₹ 11.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 49.35 करोड़) की ह्रासित मूल्य की 5 (पिछले वर्ष 9) अचल संपत्तियों के संबंध में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है
- बी) भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 को किया गया था, जिसे 30 नवंबर 2007 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर फिर से पुनर्मूल्यांकित किया गया था. इन पुनर्मूल्यांकनों से हुई मूल्य में वृद्धि अर्थात् दिनांक 31.03.1995 के अनुसार ₹ 456.59 करोड़ की रकम और 30.11.2007 के अनुसार ₹ 1290.68 करोड़ की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती में जमा किया गया है और उस पर आरोपित ₹ 34.62 करोड़ के मूल्यहास (पिछले वर्ष ₹ 10.22 करोड़) को उसमें से घटाया गया है.
- 8 चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है एवं लेखा नीति (एएस 5 के अनुसार) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया. (ए.एस. 24 के अनुसार).
9. जहां - कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 तक के हस्ताक्षरकर्ता

उक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं

(नितेश रंजन) उप महाप्रबंधक	(मयंक मेहता) महाप्रबंधक	(किशोर खरात) कार्यपालक निदेशक	(राकेश सेठी) कार्यपालक निदेशक	(के सुब्रह्मण्यम) कार्यपालक निदेशक	(अरुण तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मिहिर कुमार) निदेशक	(दीपक सिंघल) निदेशक	(जगमोहन शर्मा) निदेशक	(एस के मिश्रा) निदेशक	(सुश्री अनुसुइया शर्मा) निदेशक	
(डा. आर एच ढोलकिया) निदेशक	(जी के लाठ) निदेशक	(डी. चटर्जी) निदेशक			

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 000980सी
(बिपुल रस्तोगी)
भागीदार (एम. नं. 072318)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 000497 एन
(अरविंद जैन)
भागीदार (एम. नं. 097549)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 12.05.2015

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई
(एच. के. दत्ता)
भागीदार (एम.संख्या.012208)

कृते जी बी सी ए एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 103142 डब्ल्यू
(तनसुखलाल छेड़ा)
भागीदार (एम. नं. 047157)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या.104768 डब्ल्यू
(निमेश भिमानी)
भागीदार (एम. नं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 004201 एस
(एस. श्रीधर)
भागीदार (एम. नं. 025504)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2015	समाप्त वर्ष 31.03.2014
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	कर से पहले निवल लाभ / (हानि)	278,338	206,889
	के लिए समायोजन		
	अचल आस्तियों पर मूल्य हास	22,081	19,378
	निवेश आस्तियों पर मूल्य हास	120	19,783
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	266,378	236,086
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	33,386	58,114
	अन्य प्रावधान	4,125	939
	अचल आस्तियों की बिक्री अथवा निपटान पर लाभ / (हानि)	39	(258)
	स्टाफ संबंधी व्यय हेतु प्रावधान	28,518	23,587
	उप योग	632,985	564,518
	निम्न के लिए समायोजन		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	1,919,428	3,391,407
	उधार में वृद्धि / (कमी)	237,716	34,650
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	1,332	38,053
	निवेश में वृद्धि / (कमी)	(37,100)	(1,309,057)
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(2,921,392)	(2,336,311)
	अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी)	(153,894)	(76,019)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल रिफंड)	(59,023)	(75,483)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	379,948	231,757
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	अचल आस्तियों की खरीद	(25,897)	(36,869)
	अचल आस्तियों की बिक्री	416	1,126
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(25,481)	(35,743)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	परपेचुअल गैर संचयी प्रिफरेंस शेयरों का कनवर्जन	(11,100)	0
	पीएन सीपीएस कन्वर्जन के पेटे जारी इकिवटी शेयर	547	3,352
	प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम (निवल शेयर जारी व्यय)	10,542	46,583
	आईपीडीआई, गौण बांड और अपर टायर II बांड पीएनसीपीएस जारी करने से आगम	366,621	517,283
	लाभांश का भुगतान (अंतरिम और अंतिम लाभांश कर सहित)	(30,666)	(76,984)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	335,944	490,234
	नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	(69,485)	686,248
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,307,287	1,621,039
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	2,237,802	2,307,287

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2015	समाप्त वर्ष 31.03.2014
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,841,968	1,076,292
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	465,319	544,747
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,307,287	1,621,039
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,506,308	1,841,968
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	731,494	465,319
	वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समकक्ष	2,237,802	2,307,287

(किशोर खरात)
कार्यपालक निदेशक

(राकेश सेठी)
कार्यपालक निदेशक

(के. सुब्रह्मण्यम)
कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षकों ने 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 12 मई, 2015 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है।

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या.000980सी

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई

कृते जी.पी. कापड़िया एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 104768डब्ल्यू

(बिपुल रस्तोगी)
भागीदार (एम.संख्या.072318)

(एच. के. दत्ता)
भागीदार (एम.संख्या.012208)

(निमेश भिमानी)
भागीदार (एम.संख्या.030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000497एन

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या.103142डब्ल्यू

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 004201एस

(अरविन्द जैन)
भागीदार(एम.संख्या 097549)

(तनसुखलाल छेड़ा)
भागीदार (एम.संख्या 047157)

(एस. श्रीधर)
भागीदार (एम.संख्या 025504)

स्थान : मुम्बई

तारीख : 12 मई, 2015

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल :

- हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक), इसकी सहायक कम्पनी, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रम (समूह) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस), जिसमें 31 मार्च, 2015 का समेकित तुलन पत्र, एवं इसी वर्ष की समाप्ति पर समेकित लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, एवं महत्वपूर्ण खाता नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का लेखा परीक्षण किया है जिसमें शामिल है :

- 6 (छः) संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा बैंक के लेखापरीक्षित लेखे ,
- अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित तीन सहायक कम्पनी, एक एसोसिएट और एक संयुक्त उपक्रम के लेखे .

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है जो भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसूच बैंक के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाहों की सही एवं न्यायोचित स्थिति प्रकट करते हों. इसमें वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल हैं, जो धोखाधड़ी या त्रुटि वश सारवान गलती से रहित हों.

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है. हमने अपनी लेखा परीक्षा इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये आयोजित और संपन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का सारवान गलत कथन नहीं है.
- किसी भी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है. प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलतकथन की जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है. इन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा डिजाइन करने के लिये बैंक की तैयारी और समेकित वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर, न कि बैंक के आन्तरिक नियंत्रण की प्रभाविकता पर सम्मति प्रकट करने के उद्देश्य से, विचार करता है. किसी भी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त

होने का मूल्यांकन तथा समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है.

- हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखापरीक्षा साक्ष्य , हमारी लेखापरीक्षा सम्मति का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

सम्मति

- हमारे मत एवं हमारी उत्तम सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं समूह के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा पद्धति के अनुकूल सही एवं न्यायोचित स्थिति देते हैं :

ए. यथा 31 मार्च, 2015 को बैंक के क्रिया कलापों के समेकित तुलन पत्र के संबंध में

बी. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के संबंध में, एवं

सी. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाहों के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में .

अन्य मामले

- वित्तीय विवरण जिनका लेखा परीक्षण हमने नहीं किया है :

- दो घरेलू सहायक कम्पनी, जिनके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2015 को कुल सम्पत्ति ₹ 22.35 करोड़, उसी तारीख को कुल राजस्व ₹ 13.10 करोड़ एवं उसी वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह राशि ₹ 8.21 करोड़ परिलक्षित होता है.
- एक संयुक्त उपक्रम, जिसके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2015 को कुल सम्पत्ति ₹ 5,739.55 करोड़, उसी तारीख को कुल राजस्व ₹ 2,052.32 करोड़ एवं उसी वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह राशि ₹ 20.59 करोड़ परिलक्षित होता है एवं
- एक एसोसिएट, जिसके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2015 को कुल सम्पत्ति ₹ 8,647.28 करोड़, उसी तारीख को कुल राजस्व ₹ 689.17 करोड़ एवं उसी वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह राशि ₹ 26.01 करोड़ परिलक्षित होता है एवं
- एक अन्तर्राष्ट्रीय सहायक कम्पनी, जिसके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2015 को कुल सम्पत्ति ₹ 842.83 करोड़, उसी तारीख को कुल राजस्व ₹ 12.01 करोड़ एवं उसी वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह राशि ₹ 18.80 करोड़ परिलक्षित होता है. उक्त सहायक

कम्पनी के वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण संबंधित स्थानीय सामान्य स्तर से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है. इन वित्तीय विवरणों को प्रबंधन द्वारा भारतीय जीएएपी की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया गया है.

इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है, एवं हमारा मत अन्य पूरी तरह से लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है. इस मामले में हमारा मत योग्य नहीं है.

कृते वी. रोहतगी एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या.000980सी

कृते जे. गुप्ता एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई

कृते जी.पी. कापड़िया एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 104768डब्ल्यू

(बिपुल रस्तोगी)

भागीदार (एम.संख्या.072318)

(एच. के. दत्ता)

भागीदार (एम.संख्या.012208)

(निमेश भिमानी)

भागीदार (एम.संख्या.030547)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 000497एन

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या.103142डब्ल्यू

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 004201एस

(संजीव नारायण)

भागीदार(एम.संख्या 084205)

(तनसुखलाल छेडा)

भागीदार (एम.संख्या 047157)

(एस. श्रीधर)

भागीदार (एम.संख्या 025504)

स्थान : मुम्बई

तारीख : 21 मई, 2015

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च 2015 के अनुसार

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	यथा 31.03.2015	यथा 31.03.2014
पूँजी एवं दायित्व			
पूँजी	1	6,357,788	7,413,063
आरक्षित एवं आधिक्य	2	192,633,863	180,040,107
अल्पमत हिस्सेदारी	2ए	88,081	191,687
जमाराशियां	3	3,174,503,424	2,976,510,614
उधार	4	351,679,979	293,162,277
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	110,426,365	92,826,851
कुल		3,835,689,500	3,550,144,600
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	150,638,683	184,199,793
बैंक में जमा शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	75,391,395	49,006,588
निवेश	8	954,494,080	946,363,538
अग्रिम	9	2,559,211,167	2,291,046,698
अचल अस्तियां	10	26,944,294	26,233,935
अन्य आस्तियां	11	69,009,881	53,294,048
कुल		3,835,689,500	3,550,144,600
संभाव्य देयतायें	12	3,491,053,269	1,955,241,641
संग्रहण के लिये बिल		137,005,408	124,757,066
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

(विवेक कामत)	(मयंक मेहता)	(किशोर खरात)	(राकेश सेठी)	(के सुब्रह्मण्यम)	(अरुण तिवारी)
उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मिहिर कुमार)	(दीपक सिंघल)	(जगमोहन शर्मा)	(एस के मिश्रा)	(सुश्री अनुसुइया शर्मा)	
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	
(डा. आर एच ढोलकिया)	(जी के लाठ)	(डी. चटर्जी)			
निदेशक	निदेशक	निदेशक			

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या. 000980सी
 (बिपुल रस्तोगी)
 भागीदार (एम. नं. 072318)

कृते अधिनी एंड एसोसिएट्स
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या. 000497 एन
 (संजीव नारायण)
 भागीदार (एम. नं. 084205)

स्थान: मुंबई
 दिनांक: 21.05.2015

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई
 (एच. के. दत्ता)
 भागीदार (एम.संख्या.012208)

कृते जी बी सी ए एंड एसोसिएट्स
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या 103142 डब्ल्यू
 (तनसुखलाल छेड़ा)
 भागीदार (एम. नं. 047157)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या.104768 डब्ल्यू
 (निमेश भिमानी)
 भागीदार (एम. नं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या 004201 एस
 (एस. श्रीधर)
 भागीदार (एम. नं. 025504)

समेकित लाभ हानि लेखा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	321,642,796	293,935,340
अन्य आय	14	39,571,167	31,407,328
कुल		361,213,963	325,342,668
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	236,395,474	214,667,236
परिचालन व्यय	16	66,832,739	58,760,832
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		40,411,169	35,219,017
कुल		343,639,382	308,647,085
III. वर्ष का शुद्ध ब्याज		17,574,581	16,695,583
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ		4,102	4,074
कुल		17,578,683	16,699,657
लाभ / हानि में असोसिएट का हिस्सा		134,173	171,703
अल्पसंख्यक शेयर धारकों का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ / हानि		17,712,856	16,871,360
घटाया अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा		(103,606)	(106,196)
समूह का आगे लाया गया समेकित लाभ / हानि		17,609,250	16,765,164
IV. विनियोजन			
कानूनी आरक्षित को अंतरण		5,345,000	5,088,610
पूंजी आरक्षित को अंतरण		269,974	171,809
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		5,348,453	6,654,058
प्रस्तावित लाभांश		3,814,673	2,521,225
लाभांश कर		774,153	445,460
प्रतिलिखित गत वर्ष का लाभांश कर		0	0
विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा36(i)(viii)]		2,000,000	1,780,000
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन आरक्षित में अंतरण			0
पीएनसीपीएस पर लाभांश के लिए प्रावधान		52,835	99,900
लाभ व हानि लेखे में शेष		4,162	4,102
कुल		17,609,250	16,765,164
प्रति शेयर आय(बेसिक एवं डाईल्यूटेड)		27.67	27.56

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखे का एक अभिन्न अंग हैं

(विवेक कामत)	(मयंक मेहता)	(किशोर खरात)	(राकेश सेठी)	(के सुब्रह्मण्यम)	(अरुण तिवारी)
उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मिहिर कुमार)	(दीपक सिंघल)	(जगमोहन शर्मा)	(एस के मिश्रा)	(सुश्री अनुसुइया शर्मा)	
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	
(डा. आर एच ढोलकिया)	(जी के लाठ)	(डी. चटर्जी)			
निदेशक	निदेशक	निदेशक			

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते वी. रोहतगी एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या. 000980सी

(बिपुल रस्तोगी)

भागीदार (एम. नं. 072318)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या. 000497 एन

(संजीव नारायण)

भागीदार (एम. नं. 084205)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 21.05.2015

कृते जे. गुप्ता एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई

(एच. के. दत्ता)

भागीदार (एम.संख्या.012208)

कृते जी बी सी ए एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 103142 डब्ल्यू

(तनसुखलाल छेड़ा)

भागीदार (एम. नं. 047157)

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या.104768 डब्ल्यू

(निमेश भिमानी)

भागीदार (एम. नं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 004201 एस

(एस. श्रीधर)

भागीदार (एम. नं. 025504)

31 मार्च 2015 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

यथा 31.03.2015

यथा 31.03.2014

अनुसूची 1 - पूंजी :

I. प्राधिकृत :			
i. ₹10/- प्रति शेयर की दर से 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	30,000,000		30,000,000
II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :			
i. ₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 384,444,316. इक्विटी शेयर प्रत्येक, केंद्रीय सरकार द्वारा धारित (गत वर्ष 378,971,753 इक्विटी शेयर)	3,844,443		3,789,718
ii. ₹ 10/- प्रति शेयर की दर से इक्विटी शेयर 251,334,520 प्रत्येक, जनता द्वारा धारित (गत वर्ष इक्विटी शेयर 251,334,520)	2,513,345		2,513,345
III. शास्वत गैर संचयी अधिमानी शेयर	-		1,110,000
कुल	6,357,788		7,413,063

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां & अधिशेष :

I. कानूनी आरक्षित :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	55,918,610		50,830,000	
वर्ष के दौरान वृद्धि	5,345,000	61,263,610	5,088,610	55,918,610
II. ए) पूंजी आरक्षित :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	7,762,539		7,590,730	
वर्ष के दौरान वृद्धि	269,974	8,032,513	171,809	7,762,539
II. बी) समेकन पर पूंजी आरक्षित	569,500		2,130,058	
III. शेयर प्रीमियम :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	33,517,050		28,858,687	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,054,164	34,571,214	4,658,363	33,517,050
IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	14,593,373		14,957,577	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	346,322	14,247,051	364,204	14,593,373
V. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :				
i) राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	41,140,348		43,210,476	
वर्ष के दौरान वृद्धि	7,274,533		5,135,772	
वर्ष के दौरान कमी	-		7,205,900	
	48,414,882		41,140,348	
ii) विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	22,980,000		21,200,000	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,000,000		1,780,000	
	24,980,000		22,980,000	
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	475,741		2,877	
वर्ष के दौरान वृद्धि	75,190		472,864	
वर्ष के दौरान कमी	-			
कुल	550,931	73,945,813	475,741	64,596,089
VI. लाम-हानि खाते में शेष				
लाम-हानि खाते में शेष		4,162		4,102
कुल		192,633,863		180,040,107

31 मार्च 2015 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

यथा 31.03.2015

यथा 31.03.2014

अनुसूची 2 ए- अल्पमत शेयर :

मुख्य अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तारीख को अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा	588,245	588,245
बाद में हुई वृद्धि / कमी	(500,164)	(396,558)
तुलन पत्र की तारीख को अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा	88,081	191,687

अनुसूची 3 - जमाराशियां :

भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां

I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	6,100,708		7,899,358	
ii) अन्यो से	204,955,728	211,056,436	219,072,883	226,972,241
II. बचत बैंक जमाराशियां		715,652,242		650,977,053
III. मियादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	133,037,078		112,409,311	
ii) अन्यो से	2,114,757,668	2,247,794,746	1,986,152,009	2,098,561,320
कुल		3,174,503,424		2,976,510,614

भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां	3,122,122,534	2,927,871,590
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	52,380,890	48,639,024
कुल	3,174,503,424	2,976,510,614

अनुसूची 4 - उधार :

ए) उधार : पूंजी लिखत				
i. शाश्वत बांड	10,396,100		10,396,100	
ii. अपर टियर II बांड	22,500,000		22,500,000	
iii. टियर II बांड	52,500,000	85,396,100	52,500,000	85,396,100
बी) भारत में उधार				
i. भारतीय रिजर्व बैंक	-		15,250,000	
ii. अन्य बैंक	7,000,000		-	
iii. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियां	44,950,739	51,950,739	12,929,141	28,179,141
सी) भारत से बाहर उधार		214,333,140		179,587,036
कुल		351,679,979		293,162,277
प्रतिभूत उधार		33,722,820		1,339,121

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान :

I. देय बिल	11,679,229	13,560,138
II. उपचित ब्याज	9,201,276	8,841,308
VI. आस्थगित कर देयताएँ	4,522,352	6,796,082
VII. अन्य(प्रावधान सहित)	85,023,508	63,629,323
कुल	110,426,365	92,826,851

31 मार्च 2015 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	यथा 31.03.2015	यथा 31.03.2014
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमाशेष :		
I. धारित नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं)	10,077,207	7,849,563
II. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमाशेष चालू खाते में	140,561,476	176,350,230
कुल	150,638,683	184,199,793
अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
I. भारत स्थित बैंकों के पास जमाशेष		
i) ए) चालू खातों में	2,168,137	668,272
बी) अन्य जमाखातों में	16,666,098	8,829,451
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	0
	18,834,235	9,497,723
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	2,908,581	6,874,789
ii) अन्य जमाखातों में	53,648,578	32,634,076
	56,557,159	39,508,865
कुल	75,391,395	49,006,588
अनुसूची 8 - निवेश :		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	730,659,115	699,319,716
ii) अन्य अनुमोदित अनुभूतियां	1,615,851	528,253
iii) शेयर	14,310,398	13,559,518
iv) डिबेंचर एवं बाँड	83,941,182	116,990,507
v) सहायक एवं संयुक्त उद्यम	1,996,942	1,356,364
vi) अन्य		
- वाणिज्यिक पत्र	-	3,910,991
- अन्य	2,068,785	5,924,293
- म्युचुअल फंड	9,237,688	10,228,032
- आरआईडीएफ	96,312,545	90,994,086
- आर्गिल की प्रतिभूति रसीद	5,982,260	1,497,172
	946,124,766	944,308,932
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां(स्थानीय प्राधिकारियों सहित.)	3,693,134	0
i) शेयर	4,032	4,032
iii) अन्य निवेश (बाँड)	4,672,148	2,050,574
	8,369,314	2,054,606
कुल	954,494,080	946,363,538
III. i) भारत में निवेश		
सकल मूल्य	947,717,235	948,768,776
मूल्यहास हेतु प्रावधान	4,045,219	4,459,844
निवल मूल्य	943,672,016	944,308,932
ii) भारत के बाहर निवेश		
सकल मूल्य	10,822,064	2,054,606
मूल्यहास हेतु प्रावधान	0	0
निवल मूल्य	10,822,064	2,054,606
कुल	954,494,080	946,363,538

31 मार्च 2015 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		(000' को छोड़कर)	
		यथा 31.03.2015	यथा 31.03.2014
अनुसूची 9 - अग्रिम			
I.	i) खरीदे और भुनाये गये बिल	78,162,246	53,248,483
	ii) नकद साख,ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	1,210,474,383	1,108,325,273
	iii) मीयादी ऋण	1,270,574,538	1,129,472,941
	कुल	2,559,211,167	2,291,046,697
II.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	2,077,324,389	1,921,663,649
	ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	156,405,305	114,997,046
	iii) अप्रतिभूत	325,481,473	254,386,003
	कुल	2,559,211,167	2,291,046,698
ए.	भारत में अग्रिम		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	858,551,772	650,858,380
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	135,009,137	168,922,543
	iii) बैंक	42,627,289	38,923,363
	iv) अन्य	1,305,394,050	1,261,376,025
	कुल	2,341,582,248	2,120,080,311
बी.	भारत से बाहर अग्रिम		
	i) बैंकों से देय	55,858,266	51,202,064
	ii) अन्य से देय		
	ए) खरीदे और भुनाये गये बिल	34,078,003	-
	बी) सिंडीकेट किए गए ऋण	8,329,836	-
	सी) अन्य	119,362,814	119,764,323
	कुल	217,628,920	170,966,387
	कुल	2,559,211,167	2,291,046,698

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

ए.	मूर्त अस्तियां			
I.	परिसर			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/	23,690,115	23,225,175	
	मूल्यांकन पर			
	वर्ष के दौरान वृद्धि	526,050	464,940	
		24,216,165	23,690,115	
	वर्ष के दौरान कमी	-	-	
	घटायें: आज की तारीख तक अवमूल्यन	6,005,220	18,210,945	5,456,401
				18,233,714
II.	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	10,792	128,716	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	467,144	505,433	
	वर्ष के दौरान कमी	435,044	42,892	623,357
				10,792
III.	भूमि			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	498,297	134,097	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	118,387	364,200	
	वर्ष के दौरान कमी	-	-	
		616,684	498,297	
	घटायें: आज की तारीख तक अवमूल्यन	30,484	586,200	24,532
				473,765

31 मार्च 2015 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

यथा 31.3.2015

यथा 31.3.2014

IV. अन्य अचल संपत्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर के साथ)				
ए) पट्टे पर दी गई संपत्तियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	265,352		265,352	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	265,352		265,352	
घटायें आज की तारीख तक अवमूल्यन	265,352	-	265,352	-
बी) अन्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत /	18,786,943		16,401,818	
मूल्यांकन पर				
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,652,049		2,698,282	
	21,438,992		19,100,100	
वर्ष के दौरान कमी	508,366		313,157	
	20,930,626		18,786,943	
घटायें आज की तारीख तक अवमूल्यन	13,103,742	7,826,884	11,658,624	7,128,319
बी. अमूर्त अस्तियां				
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,773,971		1,348,053	
वर्ष के दौरान वृद्धि	132,321		425,918	
	1,906,292		1,773,971	
आज की तारीख तक परिशोधन	1,628,919	277,373	1,352,599	421,372
कुल		26,944,294		26,233,935

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :

I. अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)	15,737,440	11,318,579
II. उपचित ब्याज	23,974,899	23,857,768
III. प्रदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	1,525	1,567
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	18,577	26,133
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	390	390
VI. आस्थगित कर आस्तियां	30,548	14,739
VII. अन्य	29,246,502	18,074,872
कुल	69,009,881	53,294,048

अनुसूची 12 - संभाव्य देयतायें :

I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के स्म में स्वीकार नहीं किया गया है	35,928,582	35,991,576
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिये देयतायें	5,920	5,920
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयतायें	2,961,704,269	1,482,332,111
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
i) भारत में	227,160,569	226,257,305
ii) भारत से बाहर	3,631,851	1,380,625
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यतायें	250,411,521	203,600,004
VI. अन्य मदें, जिनके लिये बैंक आकस्मिक स्म से उत्तरदायी है	-	-
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	6,107,000	5,674,100
ii) डीईएलएफ योजना 2014 में अंतरित की गई राशि	6,103,557	-
कुल	3,491,053,269	1,955,241,641

31 मार्च 2015 के समेकित लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	239,825,748	217,403,558
II. निवेशों पर आय	77,427,928	73,145,930
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	1,911,185	1,785,325
IV. अन्य	2,477,936	1,600,527
कुल	321,642,796	293,935,340
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	3,815,068	4,386,965
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ-निवल	8,617,440	5,166,623
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ-निवल	-3,945	25,104
IV. विनिमय संव्यवहारों से लाभ-निवल	9,716,749	7,436,062
VI. विविध आय	17,425,856	14,392,574
कुल	39,571,167	31,407,328
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज:		
I. जमाराशियों पर ब्याज	216,239,949	198,359,404
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	6,067,181	5,313,290
III. अन्य	14,088,345	10,994,542
कुल	236,395,474	214,667,236
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किये गये भुगतान और उनके लिये प्रावधान	38,446,334	33,476,519
II. किराया, कर और प्रकाश	4,382,198	3,881,200
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	526,666	458,937
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	712,013	624,418
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	2,251,171	1,978,831
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	37,769	16,304
VII. प्रबंध/कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	5,923	5,671
VIII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	349,003	330,403
IX. विधि प्रभार	224,426	177,855
X. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	669,206	723,818
XI. मरम्मत और रखरखाव	1,066,229	953,854
XII. बीमा	2,767,377	2,775,528
XIII. अन्य खर्च	15,394,423	13,357,394
कुल	66,832,739	58,760,732

वर्ष 2014-2015 के लिए लेखों की अनुसूचियां (समेकित)

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1 लेखा पद्धति

बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण बनाए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए प्रयुक्त बैंक की लेखांकन तथा रिपोर्टिंग नीतियों में, जहाँ तक लागू हो, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, (भारतीय जीएएपी) भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों का पालन किया गया है।

2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में आकलन व अनुमान की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है जिसके परिणाम ज्ञात/सारवान हैं।

3 समेकन का आधार

3.1 निम्न के आधार पर समूह का सी एफ एस (जिसमें 3 सहायक, 1 एसोसिएट व 1 संयुक्त उपक्रम शामिल है) बनाया गया :

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (मूल) के अंकेक्षित वित्तीय विवरण
- अंतर -समूह / संयुक्त उपक्रमों को हटाने के बाद, परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की प्रत्येक मद का, आईसीएआई द्वारा जारी मानक लेखांकन - 21 के अनुसार, उनके संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा अंकेक्षित, सहायकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अप्राप्त लाभ/ हानि “समेकित वित्तीय विवरणों” का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ समूहन,
- आईसीएआई द्वारा जारी मानक लेखांकन - 23 के अनुसार “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट” में निवेश हेतु लेखांकन के आधार पर इक्विटी पद्धति के अंतर्गत “एसोसिएट” में निवेश हेतु लेखांकन
- संयुक्त उपक्रम का समेकन - “आईसीएआई द्वारा जारी मानक लेखांकन - 27” के अनुसार संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का आनुपातिक समेकन.

3.2 प्रबंधन के विचार से जहां सहायकों व संयुक्त उपक्रम द्वारा यूनिकार्म लेखांकन नीति का अनुपालन नहीं किया गया सीएफएस में आवश्यक समायोजन नहीं किया गया: कथित समायोजन की प्रकृति महत्वपूर्ण नहीं है।

3.3 सहायकों में समूह का अपना निवेश व सहायकों में समूह का इक्विटी का भाग के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी रिजर्व के रूप में पहचाना गया है।

3.4 समेकित सहायकों के शुद्ध परिसम्पत्तियों में अल्प संख्यक हित शामिल हैं।

- सहायक में निवेश की तिथि पर माइनारिटी में इक्विटी एट्रीब्यूटेबल की राशि.
- जबसे मूल संस्था व सहायक का संबंध अस्तित्व में आया है राजस्व रिजर्व / हानि एवं इक्विटी में गतिविधियों का माइनॉरिटी अंश.

4 राजस्व की पहचान:

4.1 बैंकिंग स्थिति

- अन्यथा उल्लेखित न हो, तब तक आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।
- गैर निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है। वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में, विगत वर्ष लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है।
- अर्जित बैंक कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों (एसडीवी) का किराया और बायोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
- “परिपक्वता तक धारित” (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:
 - ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।
 - शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर, प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।
- जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहीं लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।

4.2 गैर - बैंकिंग संस्थाएं

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (सेवा कर के बाद निवल) जब देय है तब आय के रूप में पहचाना गया है। लिंकड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की गई तब प्रीमियम के रूप में पहचाना गया है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रूप में लिया गया है। कालातीत पालिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में पहचाना गया है, जब पालिसियां बहाल हुई हैं। पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रूप में तब परिवर्तित किया गया है, जब पुनर्बीमा के रूप में परिवर्तित हुआ है।

ii) लिंकड फण्ड से आय

लिंकड फण्ड से आय में प्रीमियम आवंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन प्रभार आदि शामिल हैं जिसे जारी पालिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंकड कोष से वसूल किया गया है।

iii) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते अथवा पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है। पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है।

iv) प्रदत्त लाभ (दावों सहित):

पॉलिसी लाभ सहित प्रदत्त लाभ एवं दावा निपटान लागतें, यदि कोई हों, मृत्यु, अनुवृद्धि एवं अभ्यर्पण दावे सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिए जाते हैं। उत्तरजीविता लाभ दावे और परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं। सम्बद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत आहरण एवं अभ्यर्पण संबंधित स्कीमों में तब हिसाब में लिए जाते हैं जब सहयोगी इकाइयां रद्द हो जाती हैं। दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों के अनुसार उसी अवधि में हिसाब में ली जाती हैं।

v) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत वह लागत है जिसमें घटना - बढ़ना जारी रहता है और प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित है और उसी अवधि में खर्च किए गए जिस अवधि से संबंधित है।

vi) जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता

स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूरिस ऑफ इंडिया के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनकी प्रीमियम बंद हो चुकी है लेकिन देयता अस्तित्व में है नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में अनार्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा पता लगाया गया है।

आस्ति प्रबंधन

- निवेश प्रबंधन शुल्क को सेवा कर के साथ उपचय आधार पर म्यूचुअल फण्ड योजना (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों का प्रतिशत के रूप में इस प्रकार पहचान की गई कि यह सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
- निवेश सलाहकारी शुल्क को ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर पहचान की गई है।
- ब्याज आय को समय अनुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर पहचान की गई है
- लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया है।

5. निवेश

- बैंकिंग विनियम, अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म - ए की आवश्यकताओं के अनुपालन में निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:
 - सरकारी प्रतिभूतियां
 - अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - शेयर्स
 - ऋण पत्र व बाण्ड्स

ई) सहायक कम्पनियों व संयुक्त उपक्रमों में निवेश और

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश संविभाग को भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, यथा:

ए) परिपक्वता हेतु रखी गई (एचटीएम)

बी) विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस)

सी) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)

- भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य से निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:

- “एचटीएम” में रखी गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत से अधिक को परिपक्वता मूल्य की शेष अवधि में परिशोधित किया गया है और छूट के मामले में : इसे आय के रूप में नहीं लिया गया है।
 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश को संवहन लागत पर मूल्यांकित किया गया है।
 - सहायक कम्पनियों व संयुक्त उपक्रमों में निवेश को संवहन लागत पर मूल्यांकित किया गया है
- “एएफएस” व “एचएफटी” श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों को वर्गीकरण वार व स्क्रिप वार मूल्यांकन किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में मूल्य हास, यदि कोई है तो इसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि मूल्य वृद्धि, यदि कोई है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।
 - प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया:

i	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए)
ii	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड्स	एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर उपयुक्त आय
iii	इक्विटी शेयर्स	बाजार दर के अनुसार, यदि उल्लेख किया गया है, अन्यथा नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र (1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार. इन दोनों के नहीं होने पर प्रति कम्पनी ₹ 1/-
iv	प्रिफरेंस शेयर्स	बाजार दर के अनुसार, यदि उल्लेख किया गया है, अथवा एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता आधारित उपयुक्त आय पर जो शोधन मूल्य से अधिक न हो.
v	ऋण पत्र / बॉण्ड्स	बाजार दर के अनुसार, यदि उल्लेख किया गया है, अन्यथा एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता आधारित उपयुक्त आय पर ,

vi	म्युचुअल फण्ड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज के कोटेशन के अनुसार, यदि उल्लेख किया गया है, उल्लेख नहीं की गई यूनिट के मामले में, संबंधित एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार, लेकिन जहां नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य उपलब्ध नहीं है तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी)
vii	ट्रेजरी बिल्स / जमाराशि प्रमाणपत्र / कॉमर्शियल पेपर्स	संवहन लागत पर
viii	वेंचर कैपिटल फण्डस (वीसीएफ)	घोषित एनएवी अथवा अंकेक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार ब्रेक एनएवी. यदि एनएवी / अंकेक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होते हैं तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ.
ix	प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कम्पनी द्वारा घोषित एनएवी पर

- iii) अंतर बैंक रेपो/ रिवर्स रेपो संव्यवहारों की भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की गई है.
- iv) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :
 - विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी से परिपक्वता तक धारित में शिफ्टिंग की तारीख को बही मूल्य या बाजार मूल्य, दोनों में जो भी कम हो पर. यदि कोई मूल्यहास है तो उसका पूरा प्रावधान किया गया है.
 - परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में
 - यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर
 - यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.
 - विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.
- v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास/प्रावधान किया गया है.
- vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक “धारित श्रेणी के निवेश” की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.
- vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

viii) भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा “निपटान तारीख” का पालन किया जाता है.

सी. डेरिवेटिव संविदा

वित्तीय विवरणों में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वेप उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वेप नामित आस्ति अथवा देयता के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है स्वेप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वेप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

- i) ट्रेडिंग स्वेप संव्यवहार वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर चिन्हित किये गए हैं.
- ii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडरई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

6 अग्रिम :

- i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है.
- ii) अग्रिमों में ऋण विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठित अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों के संबंध में सीजीएफटी/ईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.
- iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को अन्य देयताओं और प्रावधानों में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल एनपीए व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है.

7 अचल आस्तियां और मूल्यहास

- i) परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यहास और क्षतियों की राशि (यदि कोई हो) समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. आस्ति की खरीद मूल्य में व्यापारिक बट्टा तथा छूट को घटाकर, पात्र ऋण राशि प्राप्त करने और आस्ति के प्रयोग में लाने तक के व्ययों को शामिल किया जाता है. इसके बाद आस्ति पर किए गए उन व्ययों को पूंजीकृत किया जाता है जिनसे आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा हास की राशि को उसमें से घटाई जाती है.

- ii) अचल आस्तियों के मूल्यहास का प्रावधान घटती शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है:

	आस्तियों का प्रकार	मूल्य हास की दर
I.	परिसर	5 %
II.	अन्य अचल आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10 %
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/स्ट्रांग स्म आदि	15 %
	- परिवहन वाहन	20 %
	- यू पी एस. उपकरण	33.33 %
III.	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर.

- iii) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर, अमूर्त आस्तियों में शामिल किया गया है. कम्प्यूटर्स तथा सॉफ्टवेयर्स पर मूल्यहास, कम्प्यूटर हार्डवेयर और एटीएम पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार 33.33% की दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर मूल्यहास लगाया गया है.
- iv) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से मूल्यहास लगाया गया है.
- v) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यहास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.
- vi) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है.
- vii) पट्टा आस्ति पर ह्रास एवं पट्टे पर ली गयी भूमि सुधार को पट्टे की मूल अवधि के संदर्भ में निर्धारित दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर ह्रास लगाया जाता है.
- viii) भारत के बाहर अचल सम्पत्तियों पर और सहायक / एसोसिएट की अचल सम्पत्तियों पर मूल्य हास नियामक अपेक्षाओं / अथवा संबंधित देश/ उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार उपलब्ध कराया गया.

8 आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारणों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद

आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. तथापि रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती.

9 प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

अग्रिमों व निवेश हेतु प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग के लिए, बैंक की अपनी नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

10 विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

विदेशी मुद्रा स्थिति तथा इनसे हुए लाभ / हानियों का पुनर्मूल्यांकन:

- वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है.
- आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.
- वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.
- गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी हैं.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को, एकीकृत परिचालन इकाई माना गया है.

11 गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

विदेशी शाखाओं को गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है :

- राजस्व पहचान
आय एवं व्यय की पहचान / लेखांकन, संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार किए गए हैं
- आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि का प्रावधान
आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि के प्रावधान, संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी अधिक हो, किया गया है.
- अचल आस्तियां और मूल्यहास
ए) अचल आस्तियों का लेखांकन, परंपरागत लागत पर किया गया है.
बी) अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों में लागू कानूनों के अनुसार किया गया है.

- iv) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) को वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- v) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर, फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है।
- vi) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते “विदेशी मुद्रा परिवर्तन निधि” में संचित रखा गया है।

12 कर्मचारी लाभ :

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है। अंशदान देय होने पर, भविष्य निधि अंशदान की राशि, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है। भविष्य निधि में देय अंशदान के अतिरिक्त, बैंक का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

ग्रेज्युटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान पारिभाषिक दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर, वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है।

दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कार्मिकों के लिए, परिभाषित ‘अंशदायी योजना’ नामक नई पेंशन योजना है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा बैंक की देयता केवल उस सीमित अंशदान तक होती है। इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया जाता है।

विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन, संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार किया जाता है।

13 खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कारोबार खंड को (क) ट्रेजरी परिचालन, (बी) कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

14 लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया लीज भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है। बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली

गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है। अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी जाती है।

15 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

डायल्युटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य डायल्युशन को प्रतिबिंबित करता है इसकी गणना वर्ष के दौरान जारी शेयरों या परिवर्तित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर पर डायल्युटेड आय की गणना इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है।

16 कराधान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया गया है वर्तमान कर को कर योग्य आय पर लागू कर दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर देयताओं एवं जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह “समुचित निश्चितता” न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी। अनवशोषित मूल्यहास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में, “वास्तविक निश्चितता” होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है।

17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के मापन के लिये ठोस स्तर के प्राक्कलन के आधार पर प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की गयी है न ही उन्हें प्रकट किया गया है। आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें प्रकट किया गया है।

18 शेयर निर्गम व्यय

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं।

अनुसूची 18 : लेखों पर नोट्स :

- बैंक (पेरेंट) के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरण समेकित किये गये हैं उनका विवरण निम्नानुसार है:

सहायक कम्पनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2015 को बैंक (पेरेंट) के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कम्पनी प्रा.लि.	भारत	51%
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	भारत	51%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लि.	यूनाइटेड किंगडम	100%

- समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित संयुक्त उपक्रमों के विवरण इस प्रकार हैं :

संयुक्त उपक्रमों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. (गैर बैंकिंग))	भारत	26%

- समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित एसोसिएट के विवरण इस प्रकार हैं :

एसोसिएटों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		
i) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	भारत	35%

- सहायक कम्पनियों, संयुक्त उपक्रमों और एसोसिएटों के वित्तीय विवरण समेकन के लिये उपयोग किये गये हैं, वे उसी अवधि के लिये तैयार किये गये हैं जिस अवधि यथा, 31 मार्च 2015, के वित्तीय विवरण बैंक (पेरेंट) के हैं.

- देशी एसोसिएट/सहायक कम्पनियों के मामले में, पेरेंट बैंक और एसोसिएट/सहायक कम्पनियों द्वारा अपनाई गई अलग अलग लेखांकन नीतियों के कारण किये जाने वाले समायोजन, एसोसिएट/सहायक कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर नहीं किये गये हैं क्योंकि राशियां बहुत कम हैं.

- समेकित वित्तीय विवरण, स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., केबीसी असेट मैनेजमेंट, यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा.लि., यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लि. और काशी गोमती संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है.

- उचत खाता. विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है और यह सतत जारी है.

प्रबंधन के विचार से अंतिम समाधान के लंबित रहने का लेखों पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव उल्लेखनीय नहीं है.

8 आयकर

पेरेंट बैंक मानता है कि इसके खातों में आयकर के लिये किया गया प्रावधान पर्याप्त है.

9 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार हैं :

9.1 ए. पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहा है. बेसल III के 31 मार्च, 2019 तक कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशा निर्देशों में दी गयी है. दिशा निर्देशों के अनुसार, टायर I पूंजी को कॉमन इक्विटी टायर (सीईटी I) एवं अतिरिक्त टायर I बनाना है.

बेसल III के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2015 तक पूंजी को जोखिम भारित आस्ति अनुपात न्यूनतम सीईटी-I 5.5 % के साथ, (सीआरएआर) के 9% एवं न्यूनतम टायर I सीआरएआर के 7% के स्तर पर लाना आवश्यक है.

फ्रेमवर्क के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना निम्नानुसार है :

क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i)	सामान्य इक्विटी टायर-I पूंजी अनुपात (सीईटी I) (%)		
	बेसल II	शून्य	शून्य
	बेसल III	7.26	7.28
ii)	टायर - I पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	7.66	8.18
	बेसल III	7.53	7.64
iii)	टायर II पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	3.18	3.74
	बेसल III	2.71	3.25
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)		
	बेसल II	10.83	11.92
	बेसल III	10.24	10.89
v)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (%)	60.47	60.13
vi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	5.47	33.51
vii)	उगाही गई अतिरिक्त टायर - I पूंजी की राशि (₹ करोड़ में)	--	--
viii)	उगाही गई टायर - 2 पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	--	2000
	इसमें से ऋण पूंजी लिखत: (₹ करोड़ में)	--	2000

9.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों और आकस्मिकताओं का ब्रेकअप	31.03.2015	31.03.2014
निवेश पर मूल्यहास के लिये प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि)	-37.62	87.85
एनपीए के लिये प्रावधान	2536.67	2106.17
मानक आस्तियों के लिये प्रावधान	239.81	308.87
आयकर (आईटी) के लिये प्रावधान	1001.74	370.79
आस्थगित कर देयता (डीटीएल)		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं :		
- शिफ्टिंग हानि	38.82	109.97
- पुनर्संचित अग्रिम	127.11	254.69
- अन्य	135.30	283.56
योग	4041.83	3521.90

01 नवम्बर, 2012 से प्रभावी होने वाले प्रस्तावित वेतन संशोधन के लम्बित समझौते के लिए ₹ 464 करोड़ का प्रावधान यथा 31 मार्च, 2015 को किया गया है जिसमें वर्ष के दौरान का ₹ 209 करोड़ शामिल है।

9.3 काउंटर साईविलकल प्रोविजनिंग बफर/फ्लोटिंग प्रावधान(पेरेंट बैंक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
01.04.2014 को प्रारंभिक शेष	511.21	763.00
लेखा वर्ष में किया गया अतिरिक्त प्रावधान	75.18	शून्य
लेखा वर्ष में ड्रॉडाउन की गई राशि	293.19	251.79
31.03.2015 को लेखा बंदी शेष	293.20	511.21

भारिबै की अनुमति से उनके द्वारा जारी परिपत्र क्र डीबीआर/बीपी/बीसी/79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च 2015 के अनुसार बैंक द्वारा अपने 50% फ्लोटिंग प्रावधान 31 दिसम्बर, 2014 तक उपयोग किया गया है। तदनुसार गैर निष्पादक आस्तियों के विशेष प्रावधान के लिए ₹ 511.21 करोड़ के रखे फ्लोटिंग प्रावधान से ₹ 293.19 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

10 लेखामानक 15 - कर्मचारी लाभ(पेरेंट बैंक)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2015		31.03.2014	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
i)	लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शानेवाली सारिणी :				
	वर्ष के प्रारंभ में देयता	1060.13	6683.81	1000.86	5991.02
	ब्याज लागत	95.66	616.32	82.64	509.62
	चालू सेवा लागत	45.13	190.73	44.92	194.81
	पिछली सेवा लागत(परिशोधित निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कम्पनी से अंतरित देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कम्पनी को अंतरित देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	-160.00	-452.00	-147.18	-380.68
	बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन) / हानि	47.24	1179.57	78.89	369.04
	वर्ष के अंत में देयताएं	1088.16	8218.43	1060.13	6683.81

विवरण		31.03.2015		31.03.2014	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
ii)	योजना अस्तियों के उचित मूल्य की सारिणी : वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ अंशदान अन्य कम्पनियों से अंतरित अन्य कम्पनियों को अंतरित प्रदत्त लाभ योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि) वर्ष के अंता में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	1081.23 96.74 208.00 शून्य शून्य -160.00 38.03 1264.00 -9.21	6104.73 630.38 1367.00 शून्य शून्य -452.00 210.89 7861.00 -968.68	1037.22 87.02 124.17 शून्य शून्य -147.18 -20.00 1081.23 -98.90	4774.08 522.50 1422.06 शून्य शून्य -380.68 -233.23 6104.73 -602.28
iii)	संक्रमणकालीन देयताओं की पहचान : प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयताएं वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयताएं वर्ष के अंत में संक्रमणकालीन देयताएं	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
iv)	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ : योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	96.74 38.03 134.77	630.38 210.89 841.27	87.02 -20.00 67.02	522.50 -233.23 289.27
v)	आय विवरण में पहचाने गये व्यय : चालू सेवा लागत ब्याज लागत योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ पहचाने गये गत सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधित) पहचाने गये गत सेवा लागत (निहित लाभ) संक्रमण देयता की पहचान बीमांकिक लाभ या हानि लाभ हानि खाते में पहचाने गए व्यय	45.13 95.66 -96.74 65.00 शून्य शून्य 9.21 118.26	190.73 616.32 -630.38 338.00 शून्य शून्य 968.68 1483.35	44.92 82.64 -87.02 65.00 शून्य शून्य 98.90 204.43	194.81 509.62 -522.50 338.00 शून्य शून्य 602.28 1122.20
vi)	तुलन पत्र समाधान : प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन पत्र में चिन्हित निवल राशि) उपर्युक्त अनुसार व्यय अन्य कम्पनियों से अंतरण (शुद्ध) अन्य कम्पनियों को अंतरित (शुद्ध) नियोक्ता का अंशदान तुलन पत्र में चिन्हित राशि	-86.10 118.26 शून्य शून्य -208.00 -175.84	241.08 1483.35 शून्य शून्य -1367.00 357.43	-166.36 204.43 शून्य शून्य -124.17 -86.10	540.94 1122.20 शून्य शून्य -1,422.06 241.08

विवरण		31.03.2015		31.03.2014	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
vii)	अन्य विवरण : उपदान सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये 15 दिन के वेतन की दर पर देय है बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 10,00,000/- या बैंक की योजना के अनुसार हो. चालू वर्ष में लेखांकित बीमांकिक लाभ / हानि कम्पनी की सलाह पर वेतन बढ़ौतरी की गई जो कि कर्मचारियों की पदन्नति और मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक व्यवहार के अनुरूप है. सदस्यों की संख्या वेतन प्रति माह अगले वर्ष के लिये अंशदान	 35646 135.34 शून्य	 21337 97.37 315.48	 33945 126.03 शून्य	 23163 98.59 319.43
viii)	आस्तियों का संवर्ग : भारत सरकार आस्तियां कॉर्पोरेट बांड विशेष जमा योजना राज्य सरकार. संपत्ति अन्य बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां योग	 146.02 385.01 शून्य 434.50 शून्य 40.47 258.00 1264.00	 473.14 1879.80 शून्य 2390.20 शून्य 214.74 2903.12 7861.00	 151.48 337.99 शून्य 357.44 शून्य 24.96 209.36 1081.23	 473.15 1584.16 शून्य 2011.48 शून्य 28.60 2007.33 6104.73
ix)	मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग पिछली डिस्काउंट दर पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर पिछली वेतन वृद्धि पिछली एट्रीशन दर चालू डिस्काउंट दर चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर चालू वेतन वृद्धि चालू एट्रीशन दर	 9.33 8.00 5.00 2.00 7.99 8.70 5.00 2.00	 9.27 8.70 5.00 2.00 7.95 8.70 5.00 2.00	 8.50 8.00 4.00 2.00 9.33 8.00 5.00 2.00	 8.50 8.70 4.00 2.00 9.27 8.70 5.00 2.00

योजना मे अधिशेष/ कमी:	ग्रेच्युटी योजना				
	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि					
वर्ष के अंत मे देयताएं	1088.16	1060.13	1000.86	990.55	894.93
वर्ष के अंत मे योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1264.00	1081.23	1037.22	861.28	873.05
अंतर	175.84	21.10	36.36	-129.27	-21.88
पहचानी नही गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	65.00	130.00	195.00	260.00
पहचानी नही गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र मे पहचान की गई राशि	175.84	86.10	166.36	65.73	238.12

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	ग्रेच्युटी योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
योजना देयता पर (लाभ) / हानि	-21.18	123.74	21.60	95.09	145.69
याजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ	38.03	-20.00	-24.43	-0.80	-4.15

योजना में अधिशेष/ कमी:	पेंशन				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
वर्ष के अंत में देयता	8218.43	6683.81	5991.02	5259.03	4771.82
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7861.00	6104.73	4774.08	4020.00	2513.69
अंतर	-357.43	-579.08	-1216.94	-1239.03	-2258.13
पहचानी न गयी गत सेवा लागत	शून्य	338.00	761.00	1014.17	1352.17
पहचानी न गयी संक्रमण देयता राशि जिसकी तुलन पत्र में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई है	-357.43	-241.08	-455.94	-224.86	-905.96

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन				
अनुभव समायोजन	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
योजना देयता पर (लाभ) / हानि	731.44	661.38	251.18	511.13	367.19
याजना अस्तियों पर (हानि) / लाभ	210.89	-233.23	-103.10	-145.15	-15.87

10.1 वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिये किये गये प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड में)

क्रम	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.2015	31.03.2014
1.	पेंशन	1483	1122
2.	अवकाश नकदीकरण	68	43
3.	अवकाश किराया रियायत	9	शून्य
4.	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं : (पैरेंट बैंक)

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
पेंशन		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	338.00	338.00
बी) आगे ले जाया गया	-	338.00
ग्रेच्युटी		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	65.00	65.00
बी) आगे ले जाया गया	-	65.00

11 लेखा मानक 17 के अनुसार क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

11.1 क्षेत्रवार कारोबार:

(₹ करोड में)

क्षेत्रवार कारोबार		स्टैंडअलोन					समेकित	
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(समीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		(लेखापरीक्षित)	
		31.03.15	31.12.14	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व							
1	ट्रेजरी परिचालन	2624.40	2401.08	2105.58	9457.35	8515.80	9457.35	8515.80
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	2550.30	2895.85	2708.39	10096.56	9034.75	10096.56	9034.75
3	कोर्पोरेट / थोक बैंकिंग	4121.28	3547.65	3538.74	15733.95	14301.05	15733.95	14301.05
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	98.76	85.18	94.24	342.36	331.29	342.36	331.29
5	गैर निर्धारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.44	363.33
	योग	9394.74	8929.76	8446.95	35630.22	32182.89	36144.66	32546.22
	अंतर क्षेत्र राजस्व घटाये	11.03	8.76	2.00	23.26	11.96	23.26	11.96
	कुल राजस्व	9383.71	8921.00	8444.95	35606.96	32170.93	36121.40	32534.26
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम							
1	ट्रेजरी परिचालन	641.87	557.80	325.65	1902.99	1145.60	1902.99	1145.60
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	575.20	323.04	220.81	1216.99	845.64	1216.99	845.64
3	कोर्पोरेट / थोक बैंकिंग	-624.56	-309.02	-192.98	-503.19	-85.49	-503.19	-85.49
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	49.84	41.60	45.77	166.59	163.14	166.59	163.14
5	गैर निर्धारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.92	-26.64
	कर से पूर्व कुल लाभ	642.35	613.42	399.25	2783.38	2068.89	2757.46	2042.25
(सी)	आयकर	198.58	311.00	-179.66	1001.74	372.69	1000.00	372.69
(डी)	शुद्ध लाभ	443.77	302.42	578.91	1781.64	1696.20	1757.46	1669.56
(ई)	क्षेत्रवार अस्तित्वां							
1	ट्रेजरी परिचालन	113440.55	120613.24	118208.15	113440.55	118208.15	113440.55	118208.15
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	107285.95	102894.66	87088.32	107285.95	87088.32	107285.95	87088.32
3	कोर्पोरेट / थोक बैंकिंग	156474.27	145815.77	147776.85	156474.27	147776.85	156474.27	147776.85
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5	अनाबंटित आस्तित्वां	4415.16	2456.00	707.58	4415.16	707.58	6368.18	1941.14
	योग	381615.93	371779.67	353780.90	381615.93	353780.90	383568.95	355014.46
(एफ)	ट्रेजरी परिचालन							
1	खुदरा बैंकिंग परिचालन	107654.06	113784.75	111101.08	107654.06	111101.08	107654.06	111101.08
2	कोर्पोरेट / थोक बैंकिंग	102760.57	97955.25	82315.90	102760.57	82315.90	102760.57	82315.90

क्षेत्रवार कारोबार		स्टैंडअलोन					समेकित	
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(समीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		(लेखापरीक्षित)	
		31.03.15	31.12.14	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
3	कोर्पोरेट / थोक बैंकिंग	149874.09	138815.95	139678.71	149874.09	139678.71	149874.09	139678.71
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5	गैर निर्धारित	1565.18	1431.85	2209.85	1565.18	2209.85	3381.06	3173.45
6	पूँजी, आरक्षित एवं अधिशेष	19762.03	19791.87	18475.36	19762.03	18475.36	19899.17	18745.32
	योग	381615.93	371779.67	353780.90	381615.93	353780.90	383568.95	355014.46

टिप्पणियाँ

- बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेजरी, रिटेल, कार्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है . उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एएस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, (एएस) 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत है. अतः बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
- सीधे तौर पर आबंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियाँ और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिये गये हैं.

12 लेखा मानक-18 संबंधित पार्टियों का प्रकटन (पेरेट बैंक)

12.1 संबंधित पार्टियों की सूची

ए) संयुक्त उपक्रम

- स्टार यूनियन दार्ज-ची लाईफ इंश्योरेंस कं.

बी) एसोसिएट

- काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक

सी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2014-15 के दौरान सेवा ग्रहण करने/सेवानिवृत्त होने वाले
श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक	लागू नहीं
श्री के. सुब्रमण्यम	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री एस. के जैन	कार्यपालक निदेशक	31.05.14 को सेवा निवृत्त
श्री राकेश सेठी	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री किशोर खरात	कार्यपालक निदेशक	10.03.15 को सेवा ग्रहण

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए

एएस - 18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो 'राज्य नियंत्रित उद्यमी' हैं के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस - 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, को प्रकटित नहीं किया गया है

12.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	0.20	#0.23
कार्यपालक निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	0.39	#0.50
योग	0.59	0.73

पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई क्रमशः 0.06 करोड व रु. 0.08 करोड की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है।

13 प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

बैंक ने बेसिक आय प्रति इक्विटी शेयर 'इक्विटी प्रति शेयर' पर लेखा मानक 20 के अनुसार रिपोर्ट किया है। बेसिक आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के दौरान कर उपरान्त शुद्ध लाभ को बकाया भारित औसत शेयरों की संख्या से विभाजित कर की जाती है।

क्र	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस (₹)	27.67	27.56
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड में)	1752.18	1669.56
iii	इक्विटी शेयरों की भारित औसत (संख्या करोड में)	63.33	60.59
iv	प्रति शेयर नामिनल मूल्य (₹)	10.00	10.00

14 आस्थगित कर (एस 22)

(₹ करोड में)

क्र.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	234.25	276.42
2	कर्मचारी लाभ	328.89	325.83
3	पूर्व वर्षों में दावित, वर्ष के दौरान विक्रित निवेशों पर मूल्यहास	15.73	3.83
4	अवकाश नकदीकरण	57.93	34.82
5	अन्य प्रावधानों के कारण	477.18	212.65
6	असमान्य हानि और कर जमाएं	3.05	1.98
	योग	1117.03	855.53
	आस्थगित कर देयताएं		
1	निवेशों के मूल्य में हास हेतु प्रावधान	66.15	52.06
2	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	35.68	33.05
3	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	641.15	667.46
4	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	823.24	781.09
	योग	1566.22	1533.66
	शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां		-
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	449.19	678.13

14.1 प्रत्यक्ष कर के लिए प्रावधान:

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर और वेल्थ टैक्स देयताओं सहित)	1001.74	623.76

15 जहां - कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुन व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

(विवेक कामत) उप महाप्रबंधक (मिहिर कुमार) निदेशक (डा. आर एच ढोलकिया) निदेशक	(मयंक मेहता) महाप्रबंधक (दीपक सिंघल) निदेशक (जी के लाठ) निदेशक	(किशोर खरात) कार्यपालक निदेशक (जगमोहन शर्मा) निदेशक (डी. चटर्जी) निदेशक	(राकेश सेठी) कार्यपालक निदेशक (एस के मिश्रा) निदेशक	(के सुब्रह्मण्यम) कार्यपालक निदेशक (सुश्री अनुसुइया शर्मा) निदेशक	(अरुण तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 000980सी
(बिपुल रस्तोगी)
भागीदार (एम. नं. 072318)

कृते अश्वनी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 000497 एन
(संजीव नारायण)
भागीदार (एम. न. 084205)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 21.05.2015

कृते जे. गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई
(एच. के. दत्ता)
भागीदार (एम.संख्या.012208)

कृते जी बी सी ए एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 103142 डब्ल्यू
(तनसुखलाल छेड़ा)
भागीदार (एम. न. 047157)

कृते जी. पी, कापड़िया एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या.104768 डब्ल्यू
(निमेश भिमानी)
भागीदार (एम. न. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 004201 एस
(एस. श्रीधर)
भागीदार (एम. न. 025504)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

क्र.सं	विवरण	(₹ लाख में)	
		समाप्त वर्ष 31.03.2015	समाप्त वर्ष 31.03.2014
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	कर से पहले निवल लाभ / (हानि)	275,746	204,064
	के लिए समायोजन		
	अचल आस्तियों पर मूल्य हास	22,512	19,788
	निवेश आस्तियों पर मूल्य हास	120	19,783
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	266,378	236,086
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	33,490	58,114
	अन्य प्रावधान	4,125	939
	अचल आस्तियों की बिक्री अथवा निपटान पर लाभ / (हानि)	39	(251)
	स्टाफ संबंधी व्यय हेतु प्रावधान	28,518	23,587
	उप योग	630,928	562,109
	निम्न के लिए समायोजन		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	1,979,928	3,396,951
	उधार में वृद्धि / (कमी)	237,716	34,650
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	46,142	41,370
	निवेश में (वृद्धि) / कमी	(81,426)	(1,302,587)
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(2,948,023)	(2,336,310)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(160,612)	(63,675)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	(59,023)	(75,499)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	(354,370)	257,009
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	अचल आस्तियों की खरीद	(34,610)	(38,014)
	अचल आस्तियों की बिक्री	433	1,715
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(34,177)	(36,299)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	परपेचुअल गैर संचयी प्रिफरेंस शेयरों का कनवर्जन	(11,100)	0
	वीएनसीपीएस के कनवर्शन के पेटे जारी इक्विटी शेयर	547	3,352
	प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम (शेयर निर्गम व्यय को घटाकर)	10,542	46,583
	आईपीडीआई, गौण बांड और अपर टायर II बांड जारी करने से आगम	347,461	517,283
	लाभांश का भुगतान (अंतरिम और अंतिम लाभांश कर सहित)	(30,666)	(76,984)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	316,784	490,235
	नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	(71,763)	710,944
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,332,064	1,621,120
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	2,260,301	2,332,064

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2015	समाप्त वर्ष 31.03.2014
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,841,998	1,076,322
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	490,066	544,798
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,332,064	1,621,120
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,506,387	1,841,998
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	753,914	490,066
	वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समकक्ष	2,260,301	2,332,064

(किशोर खरात)

कार्यपालक निदेशक

(राकेश सेठी)

कार्यपालक निदेशक

(के. सुब्रह्मण्यम)

कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षकों ने 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 21 मई, 2015 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुसम है।

कृते वी. रोहतगी एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या.000980सी

कृते जे. गुप्ता एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 314010ई

कृते जी.पी. कापड़िया एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 104768डब्ल्यू

(बिपुल रस्तोगी)

भागीदार (एम.संख्या.072318)

(एच. के. दत्ता)

भागीदार (एम.संख्या.012208)

(निमेश भिमानी)

भागीदार (एम.संख्या.030547)

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 000497एन

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या.103142डब्ल्यू

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 004201एस

(संजीव नारायण)

भागीदार (एम.संख्या 084205)

(तनसुखलाल छेडा)

भागीदार (एम.संख्या 047157)

(एस. श्रीधर)

भागीदार (एम.संख्या 025504)

स्थान : मुंबई

तारीख : 21 मई, 2015

जोखिम प्रबंधन

पूंजी नियमन बेसल III के अंतर्गत प्रकटन - पिलर III

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल III, पूंजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2014 के अनुसार बैंकों के लिए बेसल III, पूंजी अपेक्षाओं के तहत पिलर III प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किये गये हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं

http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Basel-III_Disclosures_mar15.pdf

वर्ष 2014-15 की कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुभाग-ए- कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी. मुंबई स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन् 1921 में किया गया था. पिछले 95 वर्षों में बैंक ने लगातार तेजी से वृद्धि और विकास किया है जो इस बात का प्रतीक है कि बैंक द्वारा बिना अवसर गंवाये विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन किया जाता है. उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देते समय बैंक का ध्यान कारोबारी गुणात्मक विकास पर केंद्रित रहता है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आस्ति गुणवत्ता कमजोर न हो. इससे मुख्य कारोबारी पैरामीटरों पर बैंक का कार्यनिष्पादन वर्ष-दर-वर्ष बेहतर होता रहा है. इस समय बैंक की कुल 4078 घरेलू व 3 विदेशी शाखाएं हैं जो पिछले वर्ष के 3869 से अधिक हैं. बैंक के ए टी एम की संख्या 7020, गत वर्ष के 6429 से अधिक है. डी आई एफ सी दुबई, हांग-कांग व अंतर्वर्ष में बैंक की तीन अंतरराष्ट्रीय पूर्ण विकसित शाखायें हैं और शंघाई, बीजिंग, अबुधाबी तथा सिडनी में स्थित 4 प्रतिनिधि कार्यालय हैं. बैंक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमि. के माध्यम से यूके में परिचालन करती है. बैंक में कुल स्टाफ संख्या 35514 है जो बैंक के मूल्यों और व्यवसाय को ध्यान में रखते हुये कार्यरत हैं.

बैंक प्राथमिक रूप से अपने ग्राहकों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवायें प्रदान कर रहा है और बैंक के अधिकांश उत्पाद एवं सेवाएं मुख्यतः तीन श्रेणियों में वर्गीकृत हैं-

1. जमा राशियां
2. ऋण एवं अग्रिम तथा
3. विप्रेषण एवं संग्रहण

बैंक की गतिविधियां सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक गतिविधियां) 2008 समूह के - वित्तीय एवं बीमा गतिविधियां के गतिविधि कोड -6419 के अंतर्गत आती हैं. तकनीक को अपनाने में बैंक अग्रणी रहा है तथा इसकी शत-प्रतिशत शाखायें कम्प्यूटराइज्ड हैं. बैंक ने सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्यूशन लागू किया है तथा नेटवर्किंग के माध्यम से शाखाओं को आपस में जोड़ रखा है. बैंक का शत-प्रतिशत कारोबार कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत है.

बैंक के बारे में अन्य उपयोगी जानकारी निम्नानुसार है-

कम्पनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सी आई एन)	लागू नहीं
पंजीकृत पता	यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021.
वेबसाइट	http://www.unionbankofindia.co.in
ई-मेल आई डी	busresponsehead@unionbankofindia.com
वित्तीय वर्ष	2014 - 15

अनुभाग बी- कम्पनी के वित्तीय ब्यौरे

रिपोर्टिंग वर्ष के बैंक के वित्तीय ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

पेड अप कैपिटल (भारतीय रुपये में)	636 करोड़
कुल जमा राशियां (भारतीय रुपये में)	316870 करोड़
सकल अग्रिम (भारतीय रुपये में)	262757 करोड़
कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपये में)	1782 करोड़
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय (भारतीय रुपये में)	13.25 करोड़
कर पश्चात प्राप्त लाभ में से सी एस आर पर खर्च का प्रतिशत %	0.743

राजभाषा शील्ड



माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से वर्ष 2012-13 का इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) प्राप्त करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी.

आई बी ए बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार



यूनियन बैंक को आईबीए से तीन टेक्नोलॉजी अवार्ड प्राप्त हुए हैं. मुम्बई में दिनांक 11.02.2015 को आईबीए द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी, कार्यपालक निदेशकगण श्री के सुब्रहमण्यम और श्री राकेश सेठी, महा प्रबंधक (पीबीओडी एवं एसीएनआईडी) श्री देबज्योति गुप्ता और महा प्रबंधक (आईटी) श्री अजीत कुमार रथ द्वारा ये पुरस्कार पद्म विभूषण डॉ. रघुनाथ मशेलकर तथा पद्म विभूषण श्री अनिल काकोडकर से प्राप्त किये गये.

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा अपने कारोबारी मॉडल में सामाजिक एवं सामुदायिक विकास हेतु विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है. बैंक द्वारा **यूनियन बैंक सामाजिक फाउंडेशन** नामक ट्रस्ट की स्थापना की गई है जो कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों को संचालित करता है. इस ट्रस्ट के माध्यम से बैंक विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों से लोगों को सक्षम बना रहा है.

बैंक ने सीएसआर में वर्ष 2014-15 के दौरान कुल रुपये 13.25 करोड़ खर्च किये हैं. इनमें से कुछ प्रयास पर्यावरण संरक्षण तथा स्थायी विकास से संबंधित थे. यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि बैंक ने सी एस आर के अपने खर्चों का 31.02% पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के गांवों में सोलर लाइटों तथा चेन्नै में बधिर बच्चों के स्कूल को प्रदान करने में खर्च किये हैं.

रिपोर्टिंग वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा सी एस आर के अंतर्गत किये गये कुछ चुनिंदा प्रयासों में यह भी शामिल हैं:

2014-15 के दौरान नई पहल

- 0 यूनियन आदर्श ग्राम योजना में कम्प्यूटर लैब की स्थापना.
- 0 रानीपेट में मोबाईल क्लीनिक उपलब्ध कराना.
- 0 मानसिक रूप से प्रभावित बच्चों के स्कूल के लिये अपेक्षित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना.
- 0 बेंगलुरु में वृद्धाश्रम के लिये वाहन का दान.
- 0 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के स्कूलों को बसों का दान.
- 0 वाराणसी के निकट एक गाँव में सार्वजनिक शौचालय तथा पानी की टंकी का प्रावधान.
- 0 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गांवों में 100 हैंडपंपों का दान.
- 0 जयपुर के निकट के गांव के एक स्कूल में वाटर फिल्टर का दान.
- 0 आजमगढ़ के जुदाखुर्द के एक स्कूल में शौचालय सुविधायें.
- 0 छात्राओं को 600 लालटेन का दान
- 0 विकलांगों को जयपुर फुट, केलिपर्स व ट्राइसिकल दान की गई.



अनुभाग सी- अन्य ब्यौरे

बैंक की दो सबसीडियरी हैं-(यूनियन के बी सी आरिस्ट प्रबंधन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड तथा यूनियन के बी सी ट्रस्टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड). बैंक का एक संयुक्त उपक्रम (स्टार यूनियन दाई-ईची लाईफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड) है तथा एक सहयोगी - (काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक) है. बैंक की सबसीडियरी व साथ ही इसके भागीदार जिम्मेदारीपूर्वक कारोबार करती हैं. बैंक अपनी सबसीडियरी तथा कारोबारी भागीदारों को कारोबारी उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु यथावश्यक ज्ञान तथा सहयोग प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है.

अनुभाग डी- बी आर संबंधी सूचना

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी गवर्नेंस

कारोबार दायित्व से संबंधित नीति / नीतियों की अनुपालना हेतु जिम्मेदार निदेशक

डी आई एन नंबर	06576376
नाम	श्री के सुब्रह्मण्यम
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

कारोबारी उत्तरदायित्व के प्रमुख के ब्यौरे:

डी आई एन नंबर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
नाम	श्री देबज्योति गुप्ता
पदनाम	महाप्रबंधक, वैयक्तिक बैंकिंग एवं परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई.
दूरभाष	022-22896600
ई मेल आई डी	dgupta@unionbankofindia.com

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट के बारे में:

बी आर रिपोर्ट प्रकाशित करने का यूनियन बैंक का यह तीसरा वर्ष है. चूंकि यह एक विनियामक आवश्यकता है, अतः इसे हर वर्ष वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रकाशित किया जायेगा. वर्तमान समय में बैंक के बी आर संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन स्थायी विकास तथा सी एस आर समिति द्वारा किया जाता है जिसकी बैठक तिमाही आधार पर आयोजित होती है. तथापि आगे से, कार्यनिष्पादन के बाहरी मूल्यांकन हेतु यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी को सौंपा जायेगा जो आवधिक अंतराल पर अपना कार्य करेगी.

बैंक की बी आर रिपोर्ट हमारी वेबसाइट (<http://www.unionbankofindia.co.in>) पर निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है-

Home Page>About Us>Sustainable development

सिद्धांतवार (एन वी जी के अनुसार) बी आर पॉलिसी/पॉलिसियां (जवाब - हां/ नहीं)

क्र.	प्रश्न	राष्ट्रीय एच्छिक दिशानिर्देश के सिद्धांत (एन वी जी)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्या सिद्धांत/तों हेतु आपकी कोई पॉलिसी/ पॉलिसियां है ?	जी हां								
2	क्या पॉलिसी संबंधित स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार की जाती है ?	जी हाँ								
3	क्या आपकी पॉलिसी किन्हीं राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं ? यदि हाँ तो विनिर्दिष्ट करें (50 शब्द)	जी हाँ, बैंक की स्थायी विकास एवं सी एस आर नीति, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कारोबारी सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों के संबंध में जारी किये गये राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर आधारित है.								
4	क्या नीति का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है ? यदि हाँ तो क्या यह प्रबंध निदेशक/स्वामी/सी ई ओ/ सक्षम निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है ?	जी हाँ, स्थायी विकास एवं सी एस आर नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है.								
5	नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिये क्या निदेशक मंडल की कोई समिति/निदेशक या कोई अधिकारी है ?	जी हाँ								
6	इस नीति को ऑनलाईन देखने के लिये लिंक बतायें	Home Page>About Us>Sustainable development								
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों में परिचालित किया गया है ?	जी हाँ, पॉलिसी वेब साइट पर अपलोड की गई है. तथापि पॉलिसी के संबंध में जागरूकता लाने के लिये भविष्य में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे.								
8	क्या पॉलिसी लागू करने के लिये इन-हाउस व्यवस्था है ?	जी हाँ								
9	क्या बैंक में स्टेकहोल्डरों की पॉलिसी संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु कोई प्रणाली है ?	जी हां								
10	क्या पॉलिसी के क्रियान्वयन के संबंध में बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन करवाया गया है ?	वर्तमान समय में बैंक के बी आर संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एसडी तथा सी एस आर समिति द्वारा किया जाता है जिसकी बैठक तिमाही अंतराल पर आयोजित होती है. किंतु आगे से, कार्यनिष्पादन के बाहरी मूल्यांकन हेतु यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी को सौंपा जायेगा जो आवधिक अंतराल पर अपना कार्य करेगी.								

अनुभाग ई - सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूनियन बैंक) सामाजिक उत्तरदायित्व के तौर पर अपने कारोबार का परिचालन एवं विकास करने हेतु प्रतिबद्ध है. बैंक का मानना है कि जो कारोबार, नागरिकों के प्रत्यक्ष मुद्दों एवं पर्यावरण आवश्यकताओं दोनों से सरोकार रखेगा, दीर्घावधि में वही कारोबार समृद्धि करेगा.

यूबीआई विजन की मूल धारणा है कि इसके अपने कारोबार में वृद्धि हो, जबकि पर्यावरण प्रभावित न हो व सकारात्मक सामाजिक प्रभाव में वृद्धि हो. यूबीआई विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से इसे पूरा करने हेतु वचनबद्ध है.

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित, कारोबार के सामाजिक, पर्यावरणीय व आर्थिक उत्तरदायित्व (एनवीजी) पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश तथा गतिविधियां, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध की गई हैं.

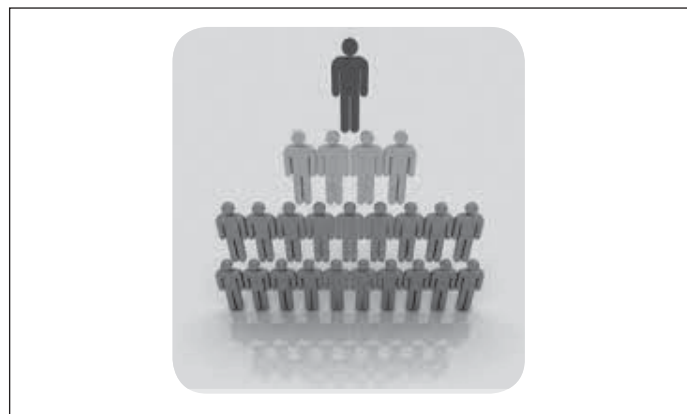
जन समूह के अपने स्वास्थ्य व रहन-सहन की स्थिति में सुधार, पर्यावरणीय फुटप्रिन्ट्स को कम करना व कारोबार में वृद्धि के साथ जन समूह के जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि करना यूनियन बैंक का लक्ष्य है.

एनवीजी में दिए अनुसार प्रत्येक नौ सिद्धांतों के अंतर्गत बैंक द्वारा की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है.

सिद्धांत 1- सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस

यूनियन बैंक को अपने कुशल गवर्नेंस पर गर्व है जो कि इसके संस्थापकों की दूर दृष्टि व वास्तव में बाद के नेतृत्वकर्ताओं, जिन्होंने इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए इन वर्षों में यूनियन बैंक को बैंकिंग उद्योग में अग्रणी बनाया है. बैंक की कार्रवाई मूल्यों व सिद्धांतों के आधार पर नियंत्रित होती है, जिसे बैंक के भीतर सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा सुदृढ़ बनाया जाता है. यूनियन बैंक अपने कार्यों को नैतिक लागू विधान और सही तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार दृढ़ कंपनी प्रशासन के अनुपालन में अग्रणी है.

कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रति बैंक का नजरिया सिद्धांतों पर आधारित है. इस कारण से ही बैंक वह सुदृढ़ तथा प्रभावी गवर्नेंस सुनिश्चित कर पाता है जिसे निवेशकों द्वारा भी आदर की दृष्टि से देखा जाता है. कार्पोरेट गवर्नेंस हेतु बैंक के निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन हेतु बैंक द्वारा एक आचार संहिता भी उपलब्ध कराई गई है.



यह संहिता उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है जिनसे मार्गदर्शित होकर बैंक अपने बहुसंयोजक स्टेकहोल्डरों, सरकार, मीडिया, विनियामक एजेंसियों तथा उस हर घटक के साथ, जिससे बैंक जुड़ा हुआ है, के साथ अपना दैनंदिन कारोबार करता है. यह संहिता इस बात को दर्शाती है कि बैंक आम जनता के धन का मात्र ट्रस्टी एवं अभिरक्षक है तथा अपने ऊपर किये जाने वाले जनता के विश्वास एवं सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करता है और बैंक को भविष्य में भी जनता का यह विश्वास तथा भरोसा बनाये रखना होगा.

यह संहिता निम्नलिखित अपेक्षाएँ और आशाएँ करती है-

- वैयक्तिक एवं व्यवसायिक संबंधों के बीच में होने वाले वास्तविक एवं प्रत्यक्ष परस्पर विरोधों को पारदर्शी नैतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हल करने के दौरान ईमानदारी व नैतिकता के उच्चतम सिद्धांतों का अनुपालन.

- सरकार तथा विनियामक एजेंसियों के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों में पूर्ण, निष्पक्ष, परिशुद्ध, तर्कसंगत, समयबद्ध तथा अर्थपूर्ण घोषणा.
- अपने ऊपर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन.
- बैंक की आस्तियों और संसाधनों के दुरुपयोग एवं त्रुटिपूर्ण उपयोग को रोकना.
- बैंक के भीतर तथा बाहर उच्चस्तरीय गोपनीयता एवं सद्व्यवहार.

कारोबारी सिद्धांतों की संहिता बैंक के मूल्यों का अभिवर्धित अंश है जो कारोबारी परिचालनों के दौरान बैंक की कारोबार संबंधी नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह संहिता उन मानकों का भी निर्धारण करती है जो बैंक पर लागू विधिक अपेक्षाओं से संबंधित होते हैं तथा साथ ही कुछ ऐसे मामलों से संबंधित मानकों का भी निर्धारण करती है जो बैंक के कार्यक्षेत्र से बाहर होते हैं.

बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है. बैंक के सभी अधिकारी / कर्मचारियों पर निम्नलिखित नीतियां लागू हैं-

- यूनिन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (व्यवहार) विनियम 1976.
- यूनिन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976.
- द्विपक्षीय समझौता/भारतीय बैंक संघ के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रबंधन तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनों/अधिकारी संघों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त नोट
- स्थायी विकास एवं कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति.

विगत वर्षों के दौरान बैंक को इसकी अच्छी कार्पोरेट नीतियों के लिये बहुत सारे प्रतिष्ठा-पत्र एवं सम्मान मिले हैं.

सिद्धांत 2- स्थायी उत्पाद एवं सेवायें

यूनिन बैंक का मुख्य लक्ष्य ग्राहकों को ऐसे उत्पाद और सेवायें प्रदान करना है जो मौजूदा मूलभूत ढांचे में ही नवोन्मेषण का पुट लिये हुये हों एवं जो ग्राहकों को प्रासंगिक लगे, पर्यावरण के लिए कम से कम हानिकारक हों तथा जिनसे अधिकतम आर्थिक एवं सामाजिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके.



बैंक की कारोबारी नीतियां चयनित क्षेत्रों में बैंक के कारोबार को संगठित करने, कोर एवं खुदरा कारोबार पर केंद्रित करने, सार्थक वित्तीय समावेशन हेतु प्रयास करने, प्रणालियों और नियंत्रण को मजबूत बनाने की ओर केंद्रित हैं. नयी तकनीक के साथ अपने ग्राहकों तक पहुंच के नये तरीके इजाजत करना तथा ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाना- आदि बैंक की वरीयतायें हैं जिन पर प्रमुख रूप से बैंक द्वारा जोर दिया जा रहा है. देश के विकास के भागीदार के रूप में, बैंक अर्थव्यवस्था के सभी बड़े-छोटे संघटकों, एम एस एम ई, निर्यात, व्यापार, कृषि,

मूलभूत ढांचे या वैयक्तिक संवर्ग आदि- विभिन्न क्षेत्रों को उनकी आवश्यकतानुसार अग्रिम प्रदान करता है. बैंक वित्तीय वंचन से प्रभावित संवर्गों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाने के लिये सार्थक प्रयास करने में अग्रणी रहा है. बैंक द्वारा किये इन प्रयासों को बैंक की वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

मोबाईल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने में यूनिन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक रहा है. इस सुविधा से बैंक के ग्राहक चलते-चलते भी निधियों का अंतरण कर सकते हैं. यह समय की बचत के साथ-साथ निधियों के अंतरण की लागत को भी कम करता है. बैंक द्वारा कुछ ऐसे नवोन्मेषी उत्पाद भी लाये गये हैं जो विकलांगों के लिये तो लाभदायक हैं ही किंतु पर्यावरण संरक्षण तथा समाज की भलाई से भी जुड़े हैं. इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

1. **विशिष्ट रूप से सक्षम लोगों के लिये ए टी एम- बैंक** द्वारा इस प्रकार के 1706 ए टी एम लगाये गये हैं. इनमें से कुछ का प्रयोग तो व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले विकलांग व्यक्ति भी कर सकते हैं.
2. बैंक देश में **बोलते ए टी एम** लगाने में अग्रणी रहा है. ये ए टी एम दृष्टि बाधित व्यक्तियों को आवाज के द्वारा निर्देशित कर संव्यवहार करने में सक्षम बनाता है इसीलिये इन एटीएमों को **बोलते एटीएम** कहा जाता है. इस ए टी एम का डिजाइन इस प्रकार का होता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी व्हील चेयर पर अंदर जाकर अपने संव्यवहार कर सकता है.
3. कृषि तथा सहायक गतिविधियों के लिये ऊर्जा के नवीकरण हेतु कृषि उपकरण खरीदने हेतु कृषकों को ऋण देना: वाटर पंप से वाटर पंपिंग करने हेतु सोलर ऊर्जा के उपयोग के लिये सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाने, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिटों में उपयोग हेतु सोलर वाटर हीटर्स को यथावश्यक एक्सेसरीज के साथ लगाने, कम डी सी लोड तथा एल ई डी लाइटों के लिये सोलर लाइटिंग सिस्टम लगाने के लिये कृषकों को ऋण देना.
4. पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमैट्रिक ए टी एम की स्थापना.
5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सभी उत्पाद एवं सेवायें उपलब्ध कराना.
6. ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों, सेवाओं तथा योजनाओं का कार्यान्वयन.

बैंक के ए टी एम केवल नकदी देने की मशीनें ही नहीं हैं बल्कि ये निधि विप्रेषण का कार्य भी करते हैं जैसे एन ई एफ टी, आई एम पी एस तथा यूनिन ई-कैश जो मोबाईल आधारित उत्पाद है और जो मोबाईल ऑथेंटिकेशन के आधार पर ए टी एम से नकदी आहरण करने में सक्षम बनाता है.

पुराने रिकार्ड के कागजों के पुराना होने पर उसे छिद्रयुक्त करने के बाद रिसाईक्लिंग के लिये भेजने हेतु बैंक की एक सुनियोजित नीति है.

उपरोक्त प्रक्रिया में रिसाईक्लिंग तथा निकलने वाले कूड़े का प्रतिशत 10% से अधिक है. बैंक अपने उपभोग के लिये यथासंभव स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ही सामान खरीदता है. सूक्ष्म एवं छोटे व्यवसायियों के प्रति बैंक प्रतिबद्ध है तथा इस प्रतिबद्धता के फलस्वरूप बैंक इस संवर्ग के उन सूक्ष्म एवं छोटे व्यवसायियों पर भरोसा करता है ताकि संबंधित वेंडर सरलतापूर्वक तथा शीघ्रता से अपने दैनिक बैंकिंग संव्यवहारों हेतु तथा इकाई की आर्थिक तंगी के दौरान बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकें.

सिद्धांत 3- कर्मचारी कल्याण

स्थाई तथा लाभप्रद वृद्धि उसी संस्था द्वारा प्राप्त की जा सकती है जहाँ कार्यनिष्पादन को मूल्यों के साथ जोड़ा जाता हो. बैंक उन कर्मचारियों से भरी-पुरी एक दक्ष तथा बहुमुखी संस्था है जिसके कर्मचारी जब अच्छा करते हैं तो उसमें कल्याण की भावना भी सन्निहित होती है.



नेता ही नेताओं के निर्माता

बैंक प्रतिभा के संपोषण तथा नेतृत्व-निर्माण के सिद्धांत पर इस विश्वास के साथ कार्य करता है कि 'नेता ही नेताओं के निर्माता' होते हैं। बैंक नेतृत्व विकास के कार्य को कुछ ही लोगों तक सीमित रखने या फिर किसी जिम्मेदारी की तरह निभाने के बजाये समूचे बैंक में नेतृत्व के गुणों का प्रसार करता है।

प्रशिक्षित, अभिप्रेरित तथा उत्पादक कर्मचारी ही बैंक की सबसे बड़ी आस्ति है। इसे ही ध्यान में रखते हुये बैंक ने उद्योग की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाते हुये कारोबारी तथा मानव संसाधन रणनीतियों के समामेलन से एच आर ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा अपनी विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुव्यवस्थित किया गया, जॉब-क्लैरिटी के साथ हरेक की भूमिका को परिभाषित एवं कलमबंद किया गया। इसे फीडबैक की सुविधा के साथ इंटरनेट पर अपलोड भी किया गया है। एच आर द्वारा निम्नलिखित का कार्यान्वयन किया गया है-

1. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक पारदर्शी तथा उद्देश्यपूर्ण परफॉर्मन्स मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस)।
2. एक नये तकनीकी मोड्यूल **यूनियन परिवार** के रूप में मूल्यांकन प्रणाली के एकीकरण एवं ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण हेतु विकसित किया गया। जनबल आयोजना को वैज्ञानिक तरीके से संगणित करके इस आवश्यकता का आकलन किया गया।
3. बैंक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार आयोजना पर भी अमल किया जा रहा है तथा नेतृत्व की शृंखला को जारी रखने के लिये भी प्रयासरत है।

सेवा-काल में कार्य-संतुलन

यूनियन बैंक कर्मचारियों के सेवा-कालीन जीवन को बेहतर बनाने संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। बैंक में आकर्षक पदोन्नति नीति है जिसमें योग्य कर्मचारियों के आगे बढ़ने के लिये बैंक की फास्ट ट्रैक प्रमोशन पॉलिसी भी शामिल है। इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को विस्तृत अनुभव उपलब्ध कराना तथा पदोन्नति के माध्यम से अभिप्रेरित करना एवं बैंक में कर्मचारियों का कैरियर आगे बढ़ाना है।

बैंक अपने स्टाफ को ऐसी सुविधायें तथा लाभ भी प्रदान करता है जिससे वे अपने कार्य तथा जीवन में संतुलन बनाये रख सकें। स्टाफ की चिकित्सकीय आवश्यकताओं का ध्यान रखने के उद्देश्य से बैंक द्वारा देश भर में कई अस्पतालों से टाई-अप योजना के माध्यम से अस्पतालीकरण की योजना लागू की गई है। इन अस्पतालों में स्टाफ भर्ती हो सकते हैं तथा अपना इलाज करा सकते हैं। इस चिकित्सा का बिल सीधे बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है। यदि बिल स्टाफ की पात्रता से अधिक होता है तो उसकी वसूली बाद में उससे की जाती है। तथापि स्टाफ एक्स-ग्रेसिया भुगतान के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। बैंक की 24 कल्याणकारी योजनायें हैं जिन्हें पांच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: कैंटीन सब्सिडी, शिक्षा, चिकित्सा और अस्पतालीकरण, सेवानिवृत्त स्टाफ तथा अन्य कल्याणकारी उपाय।

स्टाफ के लिये अन्य उपायों में स्वास्थ्य शिविर, बैंक के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, हिन्दी दिवस का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन, गणतंत्र दिवस का आयोजन तथा स्टाफ एवं उनके बच्चों की उत्कृष्टता को पहचानने और स्वीकारने के लिये खेल, शिक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सम्मान-पहचान आदि तथा सिल्वर जुबली अवार्ड्स आदि शामिल हैं। 31 मार्च 2015 को बैंक की कुल स्टाफ संख्या 35514 थी जिसमें से 7890 महिलायें तथा 523 विकलांग स्टाफ थे। इस वर्ष के दौरान बैंक द्वारा संविदा के आधार पर 25 कस्टमर रिलेशनशिप कार्यपालकों को शामिल किया गया है।

मानवाधिकारों के लिये आदर

बैंक अपने कारोबार तथा प्रभाव क्षेत्र में मानवाधिकारों का समादर तथा उनके अनुसार कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है। बैंक ने "कार्यस्थल पर यौन शोषण निवारण समिति" का भी गठन किया है तथा किसी भी प्रकार की संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिये पर्याप्त, शिकायत निवारण प्रणाली को अपनाया है। बैंक अपने स्टाफ द्वारा समूह/एसोसियेशन बनाने के अधिकारों का आदर करता है ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठा सकें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कल्याण:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के लिये बैंक द्वारा महा प्रबंधक पद के वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क अधिकारी बनाया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ यह संपर्क अधिकारी तिमाही आधार पर बैठक करता है तथा उनके कल्याण से संबंधित समस्याओं को हल करता है।

औद्योगिक स्तर पर वेतन समझौता

वेतन संबंधी वार्तालाप बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा मान्यताप्राप्त यूनियनों/एसोसियेशनों के साथ सामूहिक समझौते के माध्यम से उचित मांगों को स्वीकार किया जाता है। यह वेतन पुनरीक्षण 5 वर्षों तक मान्य होता है।

प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों के कौशल का विकास

प्रशिक्षण कार्य को बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा समग्र रूप से सारे बैंक के प्रति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व एवं संपूर्ण प्रतिबद्धता के रूप में माना जाता है ताकि बैंक के विभिन्न चैनलों द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा से संबंधित तथा इसके कर्मचारियों की आवश्यकतायें पूरी कर सके। एक ज्ञानार्जन करने वाली संस्था के रूप में बैंक समसामयिक जानकारी को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, कौशल को बढ़ाने तथा पुनरीक्षित करने के प्रयास करता है तथा अभिवृत्तियों में सुधार करता है। बैंक का प्रशिक्षण मिशन है- व्यक्ति तथा बैंक दोनों के विकास के लिये निरंतर सीखने की कला को बढ़ावा देना। बैंक का प्रयास है कि "उत्कृष्टता के लिये प्रशिक्षण दिया जाये और उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जाए"।

स्टाफ को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना तथा उक्त प्रशिक्षण का संस्थागत आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिटाना बैंक के प्रशिक्षण तंत्र की एक विशेषता है। हाउस-कीपिंग स्टाफ से लेकर उच्च कार्यपालक तक के स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण कर उसे पूरा किया जाता है। अपने स्टाफ सदस्यों को मौलिक कार्यों में कुशल बनाने तथा वैयक्तिक जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारी रखने में सक्षम बनाने का सुनिश्चय करने हेतु बैंक प्रतिबद्ध है। किसी भी कर्मचारी के पूरे कार्यकाल में- संस्था में प्रवेश से लेकर सेवानिवृत्ति तक- प्रशिक्षण का कार्य बैंक की सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था बेंगलुरु तथा देशभर में फैले 7 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों-अलुवा, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, गुडगाँव, लखनऊ तथा पवई(मुंबई) में स्थित स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है। संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार नयी मांगों को पूरा करने के लिये क्षेत्रीय स्तरों में भी लोकेशनल प्रोग्राम आयोजित किये जाते हैं। स्टाफ को अद्यतन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बाहरी और आंतरिक संकाय सदस्यों की व्यवस्था भी की जाती है। पात्र मामलों में स्टाफ सदस्यों को विदेशों में भी प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

वर्ष 1997 में बैंक द्वारा अपने प्रशिक्षण तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिये विदेशी सलाहकारी कंपनियों की मदद से अपने प्रशिक्षण-तंत्र में नई तकनीकों को शामिल किया। अब यह मानक बन गई है तथा प्रशिक्षण तंत्र द्वारा नवोन्मेषी तकनीक को अपनाये जाने से देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से पुरस्कार और सम्मान हमारे प्रशिक्षण तंत्र को प्राप्त हो रहे हैं जिनमें से देश भर में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी शामिल है। यह हमारे बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण तंत्र के लिये वर्ष 1998, 2005, 2007, 2013-14 और 2014-15 में लगातार प्राप्त हुआ है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान इन आठों प्रशिक्षण केंद्रों में कुल 31340 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये जिनमें से 26704 पुरुष तथा 4636 महिलायें थीं।

नियुक्तियों के समान अवसर

पर्यवेक्षकीय स्टाफ/अधिकारियों तथा प्रबंधवर्गीय स्टाफ की रिक्तियों की पहचान तथा उन्हें भरने हेतु विभिन्न स्तरों पर भर्ती के प्राधिकारों के संबंध में सुस्पष्ट दिशानिर्देश हैं। कुशल तथा अकुशल स्टाफ की भर्तियों के लिये योग्यताक्रम को आधार बनाकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। बैंक अपना ध्यान लिंग-वैविध्य की ओर भी केंद्रित करता है।

सुरक्षित कार्यस्थल

अपने कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक में यौन-उत्पीड़न-के रोकथाम हेतु नीति है तथा संबंधित मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाती है। यौन-उत्पीड़न के मामलों पर यौन-उत्पीड़न-रोधी नीति तथा प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। बैंक तथा इसकी अनुषंगी सबसीडियरीज के सभी स्टाफ सदस्यों को कार्य-स्थल पर यौन-उत्पीड़न-रोकथाम के संबंध में विविध पहलुओं से ई-मेल तथा संप्रेषण के अन्य माध्यमों से विधिवत अवगत कराया जाता है।

संगठन, प्रतिभागिता तथा सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता

बैंक कर्मचारियों के संगठित होने तथा सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने हेतु स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुश्रवण करता है। लिपिकों तथा स्टाफ सदस्यों के अधिकारी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु सुस्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रिया है।

बैंक की मानवाधिकार से संबंधित प्रक्रियायें, बैंक-कर्मचारियों को विधि-सम्मत तरीकों से, संगठन एवं सामूहिक सौदेबाजी हेतु कर्मचारियों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती हैं।

शिकायत-निवारण

बैंक के अपने परिचालनों तथा इसके कारोबारी-भागीदारों में बाल श्रम, बाध्यकारी श्रम, पक्षपातयुक्त भर्ती तथा यौन-उत्पीड़न से संबंधित स्पष्ट दिशानिर्देश हैं।

बैंक की प्रणालियाँ इस प्रकार के मामलों की रिपोर्टिंग हेतु फोरम उपलब्ध कराती हैं। बैंक द्वारा इस हेतु ई-मेल पते की सुविधा दी गई है जहाँ इस प्रकार की शिकायतें प्रेषित की जा सकती हैं। शिकायती की गोपनीयता बनाई रखी जाती है। बैंक द्वारा इस आशय से संबंधित प्रक्रियायें और प्रणालियाँ बनाई गई हैं कि इस प्रकार के मामलों में शिकायती को प्रताड़ित न किया जा सके और दोषी न माना जा सके।

यौन-उत्पीड़न सहित सभी शिकायतें बैंक की नीतियों के अनुसार प्रसंस्कृत की जाती हैं। बाल-श्रम, जबरन श्रम अनेच्छिक श्रम तथा पक्षपातपूर्ण भर्तियों से संबंधित कोई भी शिकायत रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 4-स्टेकहोल्डर्स से संपर्क

यूनियन बैंक के लिये स्टेक-होल्डर-प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा हम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाते हैं तथा कारोबार में सफल हो पाते हैं। ग्राहक, शेयरहोल्डर, निवेशक, कर्मचारी, मीडिया तथा एन जी ओ आदि वे स्टेक-होल्डर समूह हैं जिनसे बैंक सक्रियतापूर्वक संबंध बनाये रखता है।

बैंक अपने स्टेकहोल्डर को उस व्यक्ति के रूप में देखता है जो बैंक के परिचालनों से प्रभावित होता है या बैंक के परिचालनों को प्रभावित करता है। इस प्रभाव के कारण ही कोई स्टेकहोल्डर 'प्राइमरी', 'सेकेंडरी' या 'की' स्टेकहोल्डर कहलाता है।



'प्राइमरी' स्टेकहोल्डर्स में स्टाफ और ग्राहक आदि शामिल होते हैं किंतु प्राइमरी स्टेकहोल्डर्स का इन दोनों ही श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है। 'सेकेंडरी' स्टेकहोल्डर्स में स्थानीय कम्युनिटीज, आपूर्तिकर्ता, एन जी ओ, इंडस्ट्री एसोसियेशन आदि शामिल होते हैं किंतु यह श्रेणी भी यहीं तक सीमित नहीं है। 'की' स्टेकहोल्डर में शेयरधारक, प्रोमोटर तथा विनियामक इकाईयां शामिल होती हैं। बैंक विभिन्न संप्रेषण माध्यमों से अपने सभी स्टेक होल्डर्स से औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों से संपर्क में रहता है।

बैंक द्वारा कुछ स्टेकहोल्डर्स की वंचित, असुरक्षित या मार्जिनल के रूप में पहचान की गयी है तथा बैंक उन्हें विशेष उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। स्टेकहोल्डर्स के ऐसे समूह में कुछ कृषि-संबंधी ग्राहक, एम एस एम ई ग्राहक, स्वयं सहायता समूह, अल्पसंख्यक समूह, शहरी श्रमिक तथा फेरीवाले, पिछड़े गाँवों में रहने वाले ग्रामीण आदि हैं किंतु ऐसे स्टेकहोल्डर्स की संख्या इन्हीं श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के सभी स्टेकहोल्डर्स के लिये बैंक विशिष्ट उत्पाद/सेवायें और योजनायें उपलब्ध कराता है जिनके विवरण बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बैंक के प्रमुख स्टेकहोल्डर निम्नानुसार हैं-

ग्राहक

बैंक का ध्यान अपने सभी संपर्क साधनों पर उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर केंद्रित रहता है फिर वह चाहे शाखा हो, ए टी एम हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो या फिर कॉल सेंटर हो। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बैंक ने निम्नलिखित उपाय किये हैं-

- ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिये उनके साथ लगातार संपर्क स्थापित करते हुए बैंक द्वारा ग्राहक संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है।
- शिकायतियों को प्रचारकों में परिवर्तित करने के लिये स्टाफ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
- ग्राहकों को प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अपने नये उत्पादों और सेवाओं के बारे में शिक्षित करना। विगत हाल ही में बैंक को शाखा संप्रेषण तथा विपणन के लिये **ए बी सी आई (एसोसियेशन ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया)** पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- ग्राहकों की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिये 24x7 कॉल सेंटर की स्थापना।
- शाखा, क्षेत्रीय तथा कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर ग्राहक बैठकें आयोजित करना। इस मंच का उपयोग बैंक ग्राहकों को अपने उत्पादों/सेवाओं की जानकारी देने, **के वाई सी** जैसे नये पहलुओं पर चर्चा करने, इंटरनेट बैंकिंग करते समय सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिये करता है। ऐसी बैठकों में बैंक के तिमाही कार्यनिष्पादन की जानकारी भी ग्राहकों को दी जाती है।
- बैंक द्वारा ग्राहकों की जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिये कस्टमर केयर युनिट की स्थापना की है। यह युनिट बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिये प्रणालीबद्ध तरीके से फीडबैक का विश्लेषण भी करती है। इससे इंटरनेट बैंकिंग तथा ए टी एम के पिन की अप्राप्ति संबंधी शिकायतों में बहुत कमी आई है। कस्टमर केयर युनिट शिकायतों के निस्तारण के संबंध में ग्राहक की संतुष्टि का स्तर भी जांचती है।

- “यूनियन एक्सपीरियंस”: बैंक की 4000 से अधिक शाखायें ग्राहक संपर्क का मुख्य केंद्र हैं। ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिये बैंक ने रूपांतरण की एक प्रक्रिया शुरू की है तथा बैंक की 310 शाखायें यूनियन एक्सपीरियंस के मॉडल में रूपांतरित की गयी हैं। इस मॉडल में फ्रंट लाईन स्टाफ केवल ग्राहकों की क्वेरी/आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। इस फ्रंट लाईन स्टाफ को समर्पित परिचालन कक्ष का सपोर्ट मिलता है जो सभी लेनदेन का कार्य करता है। इन शाखाओं के स्टाफ को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप तत्काल और त्वरित वित्तीय समाधान प्रस्तुत करवाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

कर्मचारी

- बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य आन्तरिक सम्प्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम बनी हुई है जो स्टाफ सदस्यों के बीच जानकारीयों प्रदान करने के साथ साथ उन्हें कर्तव्यों, निष्ठा एवं सृजनात्मकता हेतु प्रेरित करने का उद्देश्य पूरा कर रही है। यूनियन धारा लगातार एसोसियेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन (एबीसीआई) का पुरस्कार जीत रही है। यूनियन धारा ने वर्ष 2012-13 के लिए सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का पुरस्कार प्राप्त किया है।
- बैंक के अपने आन्तरिक पोर्टल में सभी नीतियां, दिशा निर्देश, कोड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सम्प्रेषण उपलब्ध होते हैं जिन्हें सभी कर्मचारी आसानी से देख सकते हैं।
- सीएमडी/ईडी/महाप्रबंधक क्षेत्र/शाखाओं का आवधिक निरीक्षण करते हैं।
- पूरे देश के कर्मचारियों के फीडबैक प्राप्त करने के लिए innovation@unionbankofindia.com के नाम से बैंक की एक ऑन लाईन प्रणाली है। उत्पादों के विकास/संशोधन, प्रक्रिया एवं सेवाओं के संबंध में कर्मचारियों के प्राप्त सुझावों को एकत्र किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है एवं उन पर विचार किया जाता है।

निवेशक

- बैंक प्रत्येक तिमाही के अपने कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें संक्षिप्त तुलन पत्र के साथ प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराती है।
- बैंक अपने अंशधारकों को बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में अर्धवार्षिक आधार पर सूचित करता है।
- बैंक विश्लेषकों एवं निवेशकों की तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करता है।

समाज

- बैंक सरकार एवं अन्य समान बैंकों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखता है एवं भारत में बैंकिंग उद्योग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न नीति निर्माण के लिए एवं उद्योग स्तर के मामलों में सक्रियता से भाग लेती है।
- बैंक ने 150 गाँवों को आदर्श गाँव बनाने हेतु गोद लिया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक आवधिक रूप से इन गाँवों का दौरा करते हैं तथा ग्रामीणों के साथ चर्चा करके इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाने का सुनिश्चय करते हैं।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रयासों को सराहा गया है तथा बैंक को वर्ष 2010-11, 2012-13 तथा 2013-14 हेतु प्रतिष्ठित इंदिरा गाँधी राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत किया गया है। **खुदरा बैंकिंग** पर हिन्दी पुस्तक का प्रकाशन, हिंदी में कॉमिक, ए टी एम पर मैं हूँ न, हिंदी

में एटीएम रसीदों की प्रिंटिंग और वित्तीय समावेशन पर प्रस्तावित एनीमेशन फिल्म का निर्माण कुछ ऐसे उपाय हैं जो बैंक द्वारा बड़ी संख्या के हिन्दी भाषी कृषकों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिये किये गये हैं।

बैंक की वेबसाइट भी सभी स्टेकहोल्डरों के साथ संप्रेषण का एक जरिया है।

सिद्धांत 5- मानवाधिकारों का सम्मान

यूनियन बैंक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को मानता है एवं उनका स्पष्ट पालन करता है एवं मानव अधिकारों एवं कर्मचारियों के हितों में ईमानदारी, समग्रता एवं खुले रूप में कार्यान्वित करता है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, बैंक केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों द्वारा मानवाधिकारों के बारे में जारी दिशानिर्देशों, अनुदेशों, निदेशों का न केवल अक्षरशः पालन करता है बल्कि व्यवहार में भी उन्हें अपनाता है।

बैंक की एस डी और सी एस आर नीति यह दर्शाती है कि बैंक मानवाधिकारों का आदर करेगा तथा इनके बारे में स्टेक होल्डरों के बीच सामान्य जागरूकता को बढ़ायेगा। बैंक अपने कारोबारी भागीदारों के अलावा आपूर्तिकर्ताओं, बिजनेस कॉरिसपोंडेंस आदि से अपेक्षा रखता है कि वे भी अपने कर्मचारियों के मानवाधिकारों का सम्मान करें तथा उनके उल्लंघन से बचें। बैंक द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

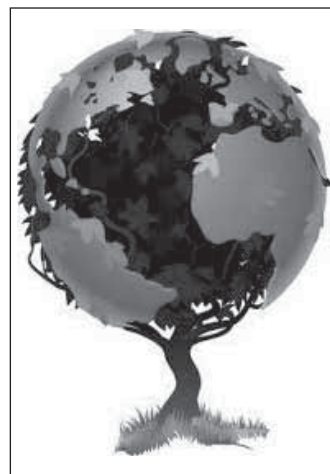


सिद्धांत 6- पर्यावरण पर प्रभाव

बैंक एक जिम्मेदार कारपोरेट संस्था होने के नाते समाज एवं पर्यावरण के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति सजग है एवं इसके कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिये बैंक द्वारा लेड वाली प्रकाश व्यवस्था, एयरकंडीशनरों में पर्यावरण के संरक्षण वाली गैस का उपयोग, कम ऊर्जा की खपत करने वाले एयर कंडीशनरों का उपयोग, नयी परियोजनाओं में सौर ऊर्जा जैसे गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि अनेक कदम उठाये गये हैं।

हालांकि अंतिम रूप से हुये लाभ की गणना अभी नहीं की जा सकी है किंतु ऊर्जा संबंधी बिलों में उक्त प्रयासों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन प्रयासों को आगे भी लगातार जारी रखा जायेगा।

बैंक सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से ए टी एम, बैंक में ऊष्मा संबंधी आवश्यकताओं के लिये तथा प्रशिक्षण केंद्रों में कर रहा है। बैंक परिसरों में लगी प्रकाश-व्यवस्थाएँ तथा एयर कंडीशनर ऊर्जा की बचत के लिये स्टार रेटेड हैं।

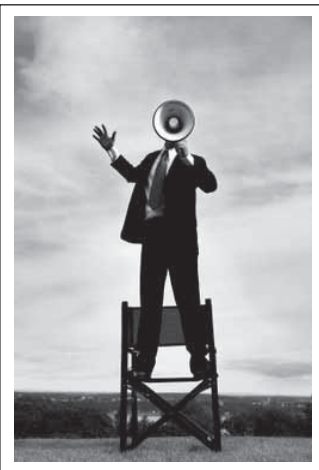


एयर कंडीशनरों में उपयोग की जाने वाली रेफ्रीजरेंट गैस (आर-407 सी) कार्बन के उत्सर्जन को कम करती है. बैंक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उठाये गये कुछ अन्य कदम निम्नानुसार हैं-

- ऊर्जा की बचत वाले सी एफ एल तथा लेड फिटिंग्स, लेड साईनेज.
- बैंक परिसर में वर्षा के जल का भंडारण, जो भूजल के स्तर को बढ़ाता और उसका संरक्षण करता है.
- सभी उपकरणों में बिजली के समान प्रवाह के लिये **बसबार ट्रकिंग सिस्टम** जैसे कफायती एवं सुरक्षित प्रणाली का उपयोग. अभी हाल ही में बैंक द्वारा केंद्रीय कार्यालय परिसर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नवीकरण किया गया है और नये **बसबार ट्रकिंग सिस्टम** को लगाया गया है. हर मंजिल के बिजली आपूर्ति को मापा गया तथा **बेस्ट** से प्राप्त बिल के साथ उसकी तुलना की गई. ऊर्जा के उपभोग पर कुल बचत 14.21 प्रतिशत हुई जबकि बिजली के बिल में पिछले वर्ष की तुलना में 12.63 प्रतिशत की कमी आई.
- प्रौद्योगिकी केंद्र, पवई परिसर स्थित डाटा सेंटर पर लगे बिजली के उपकरण तथा एयर कंडीशनर बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण हैं. सूक्ष्म एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक कूलिंग तकनीक पर आधारित हैं तथा इको-फ्रेंडली गैस से युक्त हैं. दूसरी ओर यू पी एस/केबिनो/ बैटरी रूम को ठंडा करने के लिये वैरियेंट रेफ्रीजेंट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है. बिजली की कुल बचत 7 प्रतिशत हुई तथा ऊर्जा के बिल में 6 प्रतिशत की कमी आई.
- प्रकाश पर नियंत्रण के लिये केबिनो में ऑक्ज्यूपेंसी सेन्सर लगाये गये हैं.
- “ग्रीन बिल्डिंग” के माध्यम से दिन के समय सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया गया है.

सिद्धांत 7- सार्वजनिक कल्याण

यूनियन बैंक की कारोबारी इको-प्रणाली एवं समुदायों में सकारात्मक प्रभाव लाने के उद्देश्य से सक्रियता से पक्षपोषण करने की परम्परा रही है. यूनियन बैंक की यह सक्रिय वकालत केवल सरकार से लॉबी करने एवं उद्योग के लिए कुछ लाभ प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि समाज में बड़े पैमाने पर लाभ के लिए भी वकालत करने की कुछ अच्छी परम्पराएं रही है.



ग्राहक सेवा में सुधार के दृष्टिकोण से बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा अन्य इकाईयों की समितियों पर नामित किये जाते हैं. बैंक वित्त एवं उद्योग से संबंधित ट्रेड चैम्बर एवं एसोसियेशन का सदस्य है. ट्रेड चैम्बर तथा इंडस्ट्री एसोसियेशनों के मंच से ही बैंक आम जनता के लिये सार्वजनिक नीतियों की वकालत करता है. इन अधिकारियों के साथ बैंक अन्य

चैनलों से भी संपर्क में रहता है तथा कानून तथा विनियमन संबंधी उन आम नीतियों को आकार देने का प्रयास करता है जो इसके कारोबार तथा कर्मचारियों से जुड़ी होती हैं. नीति निर्माण के मामले में बैंक वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है . बैंक निम्नलिखित वित्तीय तथा औद्योगिक व्यापार चैम्बरों/संघों का सदस्य है

- भारतीय बैंक संघ(आई बी ए)
- इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स (आई आई बी एफ)
- द एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री(एसोचैम)
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री(एफ आई सी सी आई)
- कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी आई आई)
- बी सी एस बी आई

सिद्धांत 8- समग्र विकास

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो कमजोर वर्गों तथा कम आय वाले वर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पर्याप्त अग्रिम सुविधायें उनके द्वारा वहन की जा सकने वाली लागत पर मुख्य वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध कराती है. बैंक ने वर्ष 2013-16 तक वित्तीय समावेशन के लिये तीन वर्षों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना तैयार की है जिसका विज़न है- वंचितों तक उचित लागत पर “निरन्तर प्रक्रिया के तहत” वित्तीय सेवायें पहुंचाना तथा औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के लाभ से वंचित लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना.



31 मार्च 2015 तक बैंक ने वित्तीय समावेशन से संबंधित निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कर लीं है:

- बैंक ने 6630 बिजनेस कॉरिसपोंडेंट की नियुक्ति करके इस मॉडल के द्वारा 18396 बैंकिंग से वंचित/ न्यूनतम बैंकिंग सुविधाओं से युक्त गाँवों तक अपनी पहुंच बनाई है.
- बिजनेस कॉरिसपोंडेंट मॉडल के द्वारा बायोमैट्रिक कार्ड के माध्यम से 134 लाख वित्तीय समावेशन ग्राहकों के खाते खोले गये हैं तथा इन ग्राहकों से बैंक ने ₹ 282.31 करोड़ की जमाराशियां जुटाई हैं.
- ग्रामीण एवं शहरी निर्धन वर्गों को आकस्मिक अग्रिम के रूप में सूक्ष्म ऋण की उपलब्धता से आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करना. बैंक बहुत कम प्रीमियम पर माइक्रो बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराता है.

- बैंक ने बायोमेट्रिक कार्ड आधारित सूक्ष्म ऋण उत्पाद “प्रगति” महिलाओं के ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के लिये जारी किया है. वर्ष के दौरान इस योजना में 37341 महिला लाभार्थियों को कुल ₹ 267.08 करोड़ के ऋण वितरित किये. योजनान्तर्गत 31.03.2015 को वर्तमान बकाया ₹ 154.95 करोड़ था और अतिदेय ₹ 0.35 करोड़ रहा.
- बैंक का टाई-अप श्री क्षेत्र धर्मस्थल रूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नामक एन जी ओ से है जो स्व सहायता समूहों को वित्तीयन करता है. स्वयं सहायता समूह रोजगार के सृजन तथा ग्रामीणों की आय हेतु मुख्य रूप से कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न रहते हैं. वर्ष के दौरान ₹ 591.24 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को वितरित किये गये थे. वर्तमान में इस मद में बकाया शेष ₹ 816.82 करोड़ है. यह प्रोजेक्ट बेलगाम, बेंगलुरु मेंगलोर तथा कोझीकोड़ क्षेत्रों में कार्यान्वित है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 31 मई, 2014 को “टेबुलस बैंकिंग” का शुभारम्भ : ग्राहक सेवा उत्कृष्ट परियोजना “नवनिर्माण” के अन्तर्गत यह एक टेबलेट आधारित बचत बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया है. वर्तमान में, बैंक द्वारा यह सुविधा 9 स्थानों पर दी जा रही है यथा अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, मुम्बई एवं नई दिल्ली. इसे चरणबद्ध तरीके से दूसरे स्थानों पर ले जाया जाएगा. इस अवसर श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने कहा कि “टेबुलस बैंकिंग” भविष्य की डोरस्टेप बैंकिंग है एवं सबसे बड़े स्टेक होल्डर, ग्राहक के साथ संबंध प्रबंधन का सबसे बड़ा औजार है.



“टेबुलस बैंकिंग” के शुभारंभ के अवसर पर चित्र में (बायें से दायें) श्री जगमोहन शर्मा एवं श्रीमती अनुसइया शर्मा, निदेशक, श्री एस के जैन, कार्यपालक निदेशक, श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री के सुब्रह्मण्यम एवं श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक एवं श्री दीपक सिंघल एवं श्री जी के लाठ, निदेशक

- उद्यमियों को व्यावसायिक आधार पर पॉलीहाऊस सहित टिस्सू कल्चर इकाई की स्थापना के लिए **यूनियन बायो-टेक** के नाम से यूनियन बैंक ने नया उत्पाद प्रारम्भ किया है.

- **नारी शक्ति** महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता के लिए यूनियन बैंक द्वारा प्रारम्भ की गयी एक नई पहल है. महिलाएं एमएसई ऋण प्राप्त कर सकती हैं एवं विशेष सुविधा का लाभ उठा सकती हैं.



आईआरसीटीसी यूनियन बैंक प्रिपेड कार्ड: आईआरसीटीसी के साथ हाथ मिलाते हुए आईआरसीटीसी यूनियन बैंक रुपे कार्ड प्रारम्भ किया गया. उद्योग में अपने प्रकार का यह पहला प्रिपेड कार्ड है जो परोक्ष एवं भौतिक कार्ड, दोनों ही रूप में, दो कार्यों के लिए ग्राहकों को जारी किया गया है :

- 0 आंशिक केवाईसी के साथ रु10,000 की सीमा लोड की जाती है.
- 0 पूर्ण केवाईसी पर रु50,000 की सीमा लोड की जाती है.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी की उपस्थिति में माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा आईआरसीटीसी यूनियन बैंक प्रिपेड कार्ड का शुभारंभ करते हुए

कार्डधारक कार्ड का उपयोग कर आईआरसीटीसी की वेबसाइट से रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं. प्रत्येक टिकट के लेनदेन पर कार्डधारक को रिवाइड प्वाइंट प्राप्त होते हैं जिनका शोधन कराया जा सकता है. कार्डधारक एनपीसीआई से रु 1.00 लाख के दुर्घटना बीमा सुविधा के लिए भी पात्र है .

रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड :

बैंक ने अपने हाई नेटवर्थ ग्राहकों के लिए रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी जारी किया है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान कारपोरेशन (एनपीसीआई) के रुपे प्लेटफार्म

पर यह एक व्यक्तिगत फोटो डेबिट कार्ड है। रु1.00 लाख प्रति दिन की कुल सीमा के साथ इस कार्ड से ग्राहक एटीएम से रु40,000 तक की राशि नकद आहरित कर सकते हैं एवं रु60,000 तक ऑन लाईन खरीददारी सहित दुकानों से भी खरीददारी कर सकते हैं। प्लेटिनम डेबिट कार्ड में एनपीसीआई से रु2.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी उपलब्ध है।



श्री के सुब्रह्मण्यम, श्री राकेश सेठी, श्री किशोर खरात, कार्यपालक निदेशक यूनियन बैंक रुपे प्लेटिनम कार्ड जारी करते हुए। साथ में हैं महा प्रबंधक (एसीएनआईडी) श्री देबज्योति गुप्ता



रुपे कार्ड राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी यूनियन बैंक के महा प्रबंधक श्री एस के सांगर को पुरस्कृत करते हुए।

वित्तीय साक्षरता :

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं के बारे में ग्राहकों में जागरूकता लाने के लिये वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 8 वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले गये। इस प्रकार बैंक के एफ एल सी की संख्या कुल मिलाकर 24 हो गई। ये केंद्र वंचित लोगों को उन वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराते हैं जो बैंक द्वारा उन्हें दी जा सकती है। वित्त वर्ष 2013-14 से बैंक की ग्रामीण शाखायें अपने सेवा क्षेत्रों में माह में एक बार वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करती हैं। बैंक के 202 ग्राम ज्ञान केंद्र हैं जो बैंकिंग उत्पादों तथा कृषि संबंधी गतिविधियों की जानकारी देते हैं।

यूनियन आदर्श ग्राम योजना:

देश के प्रति कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के तहत अपनी प्रतिबद्धता के रूप में बैंक ने “यूनियन आदर्श ग्राम योजना” प्रारंभ की है। इस योजना के तहत इस वर्ष देश भर में 60 गांवों को उनके सर्वांगीण विकास हेतु गोद लिया गया है। इस योजना में अबतक ऐसे गांवों की संख्या 210 हो गई है।

5 श्रेणियों में बैंक द्वारा सीएसआर गतिविधियां की गयी:

स्वास्थ्य :

उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं

- उत्तराखंड के पहाड़ी एवं पहुंच से दूर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बैंक की मोबाईल वैन के माध्यम से चिकित्सा सुविधा पहुंचाई गयी जिसमें 23 गांवों के 12000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। 2014 में प्रारम्भ की गयी यह योजना अब भी जारी है।



- ग्लोबल कैंसर कंसर्न, गुडगांव के साथ मिलकर कैंसर की जांच एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 5 शहरों कोट्टायम, भोपाल, कोलकाता, पटना एवं बैंगलोर शहर के 2500 से अधिक रोगी लाभान्वित हुए। यह परियोजना अब भी जारी है।



- हेमोफिला समिति के साथ साझेदारी में बैंक 2014 से प्रारम्भ होकर 2016 तक चलने वाली योजना के तहत 13 ग्रामीण रोगियों को औषधि, खाने एवं अस्पताल के संबंध में सहयोग प्रदान करने की प्रक्रिया में है .



शिक्षा

- मंगन सरकारी हाई स्कूल मंगन, जिला सिविकम उत्तर में कम्प्यूटर लैब लगवाई गयी जिसके माध्यम से आस पास के गांव के 600 आदिवासी विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
- कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, वाराणसी में शिक्षा में सहयोग हेतु 600 बालिका विद्यार्थियों को सोलर लालटेन प्रदान कर उन्हें बाधारहित पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया।



- अक्षयपात्र फाउंडेशन के माध्यम से बेंगलूर, मैंगलूर, हैदराबाद एवं हुबली के सरकारी स्कूलों में दोपहर के खाने के वितरण के लिए 4 पारम्परिक खाने की वैन प्रदान की गयीं ताकि बच्चों में शिक्षा के लिए निरन्तरता बनी रहे एवं ड्राप-आउट कम हो। गर्म एवं साफ-सफाई से बने खाने से 20000 बच्चे लाभान्वित हुए जिससे इन स्थानों के स्कूलों में ड्राप-आउट में काफी हद तक कमी आयी।

विशेष योग्यता के लिए सहयोग

- देश भर के मंद दृष्टि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2014 में मित्रज्योति बेंगलूर के माध्यम से डिजिटल आडियो बुक (50000 पृष्ठ) सीडी के फार्म में प्रकाशन को प्रायोजित किया गया। इस कदम से देश के विभिन्न भागों में 59 संस्थान एवं 9000 लोग लाभान्वित हुए। इसे दूसरे वर्ष भी जारी रखा गया है एवं 56000 पृष्ठ सीडी के रूप में प्रकाशन का लक्ष्य है।
- स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, (अब एडाप्ट), मुम्बई के सहयोग से मंदबुद्धि एवं स्वलीन बच्चे जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, उनकी एवं उनके प्रशिक्षकों को भी सहायता के लिए अडाप्ट होम में 2 एलीवेटर लगावाए गए ताकि प्रशिक्षण एवं इलाज के दौरान जमीन पर आसानी से चल सकें।

- औरंगाबाद(महाराष्ट्र) में मानसिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए स्कूल की सहायता हेतु स्वयंसिद्धा एनजीओ के साथ साझेदारी में 25 विशेष विद्यार्थियों की एक वर्ष फीस, खाना, रहना, फिजीयोथेरेपी की लागत, वोकेशनल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की जांच एवं मनोरंजन को प्रायोजित किया गया।
- विवेक सिंह स्पेशल स्कूल, औरंगाबाद में कम आय वर्ग के 62 विशेष बच्चों को शिक्षा हेतु प्रायोजिकता की गयी।
- उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उत्तरांचल में ब्रेल बुक प्रोडक्शन केन्द्रों की स्थापना को प्रायोजित किया गया।
- उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा के 10 स्थानों में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को निःशुल्क शिविर लगाकर कृत्रिम अंग, कैलपर्ज एवं ट्राईसिकल का वितरण किया गया।

व्यवसायिक मार्गदर्शन

- सिलीगुड़ी एवं तिरुपति में व्यवसायिक कार्यक्रमों जैसे सिलाई, प्लम्बिंग एवं ब्यूटी केयर को प्रायोजित किया गया।
- भुवनेश्वर में मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए लांड्री की इकाई उपलब्ध करायी गयी।



- सफाई विद्यालय अहमदाबाद की मरम्मत एवं रिनोवेशन का कार्य, गुजरात हरिजन सेवक संघ, अहमदाबाद के साथ मिलकर एवं सफाई कर्मचारियों को साफ सफाई के नये तरीकों, सफाई के रखरखाव, स्वास्थ्य, सैनिटेशन के लिए प्रशिक्षण कार्य, लोगों में जागरूकता, एससी/एसटी एवं पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया गया। लगभग 1000 विद्यार्थी (70% महिलाएं) प्रति वर्ष प्रशिक्षित किये जाते हैं।

महिला सशक्तिकरण

- शिक्षा तथा वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग के लिए आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क हॉस्टल आदि कार्यों में प्रायोजित किया गया।



पर्यावरण/ग्रामीण विकास

- गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों तथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगलुरु की ग्रामीण जनता को लक्ष्य में रखते हुए सोलर लाइट, सोलर स्टोव, ट्यूबवेल, सार्वजनिक शौचालय के साथ ही साथ स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत का प्रावधान.



सामुदायिक विकास

- रामकृष्ण मिशन की सहायता से दिल्ली में निराश्रित लोगों की सहायता के लिए रात के शेल्टर का निर्माण, जिससे सैकड़ों निराश्रित लोगों को लाभ हुआ है.



परियोजनाएं जिनका कार्य प्रगति पर है

- प्रधान मंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 अग्रणी जिलों में बैंक द्वारा गोद लिये गये 273 ग्रामीण स्कूलों में शौचालय का प्रावधान.

- शौचालयों, सोलार लेम्प, हैंड पम्पस् तथा स्कूलों में बैंच प्रदान कर वाराणसी और जौनपुर के स्कूलों में शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग.

अग्रणी बैंक योजना:

बैंक देश के चार राज्यों में स्थित 14 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है. इन जिलों में बैंक न केवल लगातार अपनी शाखाएं बढ़ा रहा है और सामान्य बैंकिंग गतिविधियां कर रहा है बल्कि स्थानीय सरकारों के साथ जिला अग्रिम योजना के लिए भी काम करता है. इससे जिला अग्रिम योजना तथा अन्य सरकारी योजनाओं के अनुश्रवण में सहायता मिलती है. बैंक के 14 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र भी हैं जहां ग्रामीण युवाओं को सूक्ष्म उद्योगों को चलाने के लिये प्रशिक्षण तथा कौशल अद्यतनीकरण के कार्यक्रम चलाये जाते हैं. बैंक चार चयनित पिछड़े जिलों में महिला सशक्तीकरण हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को भी सहायता दे रहा है.

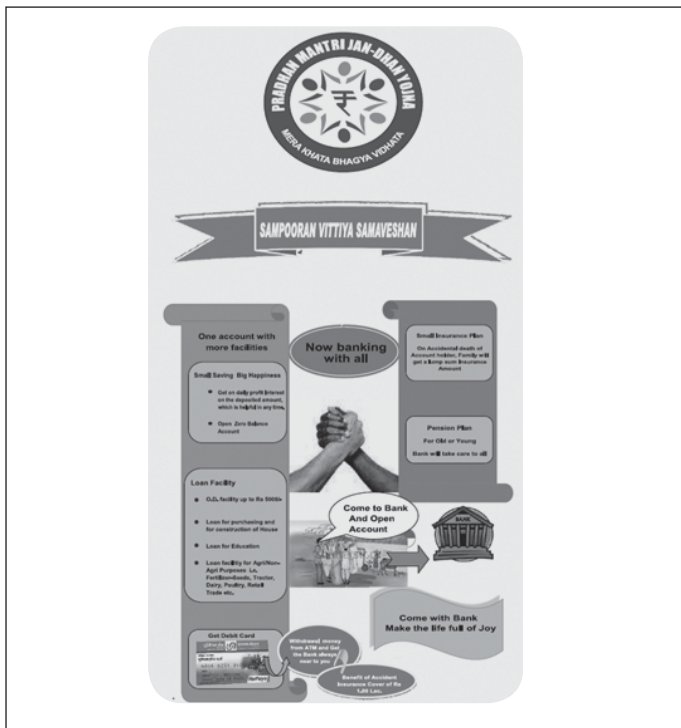


प्रधान मंत्री जन धन योजना

देश में सभी परिवारों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना - प्रधान मंत्री जन धन योजना के प्रथम चरण को अगस्त 2014 में आरम्भ किया है. इस योजना में जो छः स्तम्भ शामिल हैं, वे हैं: सबकी पहुंच, ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ बेसिक बैंकिंग खाता, दुर्घटना बीमा और रुपये डेबिट कार्ड, वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट गारंटी निधि, सूक्ष्म वित्त और अन्त में असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना. इन स्तम्भों को दो चरणों में लागू किया जाना है.

प्रथम चरण दिनांक 28 अगस्त, 2014 को आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य बचत, प्रेषण के लिए बेसिक बैंकिंग खाता खोलते हुए रु 1.00 लाख के दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपये डेबिट कार्ड की सुविधा देते हुए सभी लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना हैं. इसमें वित्तीय साक्षरता को भी शामिल किया गया है.

योजना आरम्भ होने के दिन ही अर्थात दिनांक 28 अगस्त, 2014 को हमने 5 लाख खाते खोलने का लक्ष्य रखा. इस लक्ष्य के पेटे 8.96 लाख खाते खोले गये.



- 1) रुपये कार्ड का प्रयोग और लाभ
- 2) आधार कार्ड लिंकेज और लाभ
- 3) प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत बीमा का लिंकेज
- 4) ऋण एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधा
- 5) बचत, उधार और उच्च लागत वाले ऋणों पर जानकारीयां
- 6) मोबाइल बैंकिंग और तकनीक का प्रयोग

प्रत्येक शिविर में करीब 250 से 300 महिलाओं ने भाग लिया तथा प्रत्येक शिविर की अवधि लगभग 4 घंटे की थी। सहभागिता और प्रशिक्षणों में जिन साधनों और उपायों को शामिल किया गया था, उनमें वीडियो, फिल्म, नाटक, पोस्टर, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आदि थे और इनका संचालन इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमन के प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया गया था। प्रतिभागियों को कुछ हैंडबुक भी प्रदान किये गये थे।



इन शिविरों में हमारे अपने स्टाफ के अलावा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों जैसे एमएलए/एमपी तथा अन्य सम्माननीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था। जयनगर, जिला वाराणसी में 17 जनवरी, 2015 को आयोजित एक शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक की भूतपूर्व उप गवर्नर, श्रीमती शामला गोपीनाथ ने भी भाग लिया था। दिनांक 02 फरवरी, 2015 को जलालपुर, जिला जौनपुर में आयोजित शिविर में श्री मनोज सिन्हा माननीय रेल्वे राज्यमंत्री, श्री के पी सिंह माननीय संसद सदस्य और हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री के सुब्रह्मण्यम ने भाग लिया था।

प्रधान मंत्री जन धन योजना का चरण II

प्रधान मंत्री जन धन योजना के दूसरे चरण में निम्न कार्य शामिल हैं

- पिछले छः माह में बचत/ अग्रिम में संतोषजनक निष्पादन के बाद ₹ 5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- सूक्ष्म - बीमा
बैंक ने ओवरड्राफ्ट योजना आरम्भ कर दी है।
माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट घोषणा के अनुसार, बैंक द्वारा निम्न तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से, गरीबों और सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए सूक्ष्म बीमा और पेंशन प्रदान किया जाएगा।
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना : 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, बहुत कम प्रीमियम ₹ 12.00 प्रतिवर्ष पर, ₹ 2.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवर करेगा।

Protect your family with Insurance

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

- Life Insurance coverage of Rs 2 lakhs
- Insurance premium Rs. 330/- only
- Age 18-50 years. (Renewable every year upto 55 years)

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

- Accidental Insurance coverage of Rs. 2 lakhs
- Insurance premium Rs. 1/- only
- Age 18-70 years. (Renew every year upto 70 years)

Insurance Period - 1st June to 31st May.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Good people to bank with

Contact nearest Union Bank Branch, Field Business Correspondent, Insurance Company

Helpline Nos. : 1800 22 2244 (toll free no.) | www.unionbankofindia.co.in

प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत हमारे कार्य निष्पादन के मुख्य तत्व

1	कवर किये गये कुल गांव	18396
2	उप सेवा क्षेत्र (एसएसए)	5407
3	शहरी वार्डस्	2581
4	सर्वे किये गये कुल परिवार	72.34 लाख
5	जिनमें - ए. ग्रामीण परिवार	45.54 लाख
6	बी. शहरी परिवार :	26.80 लाख
31 मार्च, 2015 का कार्य निष्पादन		
7	31 मार्च, 2015 तक खोले गये खाते	45.97 लाख
8	31 मार्च, 2015 तक जारी रुपये कार्ड	44.86 लाख
9	31 मार्च, 2015 को खातों में शेष राशि	352.39 करोड

वित्तीय साक्षरता:

हम अपने 26 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से प्रधान मंत्री जन धन योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं। हमने कॉमिक पुस्तकों के साथ ही साथ पोस्टर तथा अन्य पठन सामग्री का प्रकाशन किया है।

इस क्षेत्र में हमारे बैंक ने 01 जनवरी, 2015 को एक अनोखी पहल आरम्भ की है और इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमन (ISMW) के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वित्तीय साक्षरता पर 60 शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों में 80% महिलाओं के साथ, करीब 15000 प्रतिभागियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान कर प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत लिंकेज, लाभ और पात्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इन शिविरों में हमने, प्रधान मंत्री जन धन योजना के बारे में निम्न जानकारीयां प्रदान की है:

- **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :** यह योजना प्राकृतिक या दुर्घटना से मौत की जोखिम के लिए ₹ 2.00 लाख का बीमा कवर करता है। इसमें वार्षिक प्रीमियम ₹ 330.00 होगा। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है।
- **अटल पेंशन योजना :** यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को निर्धारित पेंशन प्रदान करती है, जो अंशदान की राशि और अवधि के आधार पर होती है।

ये योजनाएं वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान लागू की जाएंगी।

एल.पी.जी. के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

भारत सरकार पूरे देश के 289 जिलों में एल.पी.जी.लाभार्थियों के खातों में अनुदान को सीधे जमा कर रही है। यह योजना बैंक के अग्रणी जिलों, केरल में एर्णाकुलम तथा इडुक्की में दिनांक 01.09.2013 से तथा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दिनांक 01.01.2014 से लागू की जा रही है और इसमें 31.03.2015 तक प्रगति निम्नानुसार है

अवधि	आधार के माध्यम से खातों में एल.पी.जी. अनुदान जमा	
	संव्यवहारों की संख्या	राशि लाख में (रु.)
जनवरी-15	1,379,933	5,757.33
फरवरी-15	1,418,691	4,147.47
मार्च-15	1,505,971	4,233.40
कुल	4,304,595	14,138.20

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का संवितरण:

सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को प्रथम चरण में दिनांक 01 जनवरी, 2013 से 43 जिलों में लागू किया गया था और दूसरे चरण में दिनांक 01 जुलाई, 2013 से 78 अन्य जिलों को शामिल कर कुल 111 जिलों में लागू किया गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, प्रायोजित बैंक की हैसियत से बैंक ने 18,185 खातों में

₹ 272.89 लाख प्रेषित किया है। गंतव्य बैंक के रूप में बैंक ने विभिन्न शाखाओं में 21,74,880 लाभार्थी खातों में ₹ 14,275.70 लाख प्राप्त किया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, प्रायोजित बैंक की हैसियत से बैंक ने 18,133 खातों में ₹ 387.38 लाख प्रेषित किया है। गंतव्य बैंक के रूप में बैंक ने विभिन्न शाखाओं में 43,31,948 लाभार्थी खातों में ₹ 16,230.15 लाख प्राप्त किया है।

अवधि	यूनियन बैंक शाखाओं से आरम्भ संव्यवहार				अन्य बैंकों से जमा प्राप्त	
	संयोजक बैंक के रूप में प्राप्त कुल रिकार्ड	राशि लाख में (रु)	सफल रिकार्ड	राशि लाख में (रु)	गंतव्य बैंक के रूप में प्राप्त रिकार्ड	राशि लाख में (रु)
वित्तीय वर्ष 2012- 13	19,523	67.32	18,351	51.26	12,902	176.90
वित्तीय वर्ष 2013-14	18,185	272.89	13,431	173.07	2,174,880	14,275.70
वित्तीय वर्ष 2014-15	18,133	387.38	15,106	307.36	4,331,948	16,230.15
कुल	55,841	727.59	46,888	531.69	4,344,850	30,682.75

वर्ष के दौरान नये प्रयास : 2014-15

वित्तीय रूप से वंचित लोगों के लिये उनके घर पर बैंकिंग उपलब्ध कराये जाने के लिये बैंक ने इस वर्ष दो नये उत्पाद शुरू किये हैं-

1. **मोबाईल वैन बैंकिंग-** विभिन्न राज्यों के सुदूर गाँवों में लोगों के घरों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिये बैंक द्वारा 20 मोबाईल वैन का अनुमोदन किया गया। बैंक द्वारा अगले वित्त वर्ष में इन मोबाईल वैनों को चालू कर दिया जायेगा।
2. **केयोस्क बैंकिंग-** बैंक द्वारा सी एस सी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ विभिन्न स्थानों पर कियोस्क बैंकिंग प्रारंभ करने के लिये एक समझौता किया गया है। इस योजना में, गाँवों के इन कियोस्कों पर, जो पहले से ही राज्य तथा केंद्र सरकारों को सुविधायें दे रहे हैं जैसे बिजली बिलों का भुगतान, संपत्ति कर का भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों को जारी करने, भू/राजस्व के रिकार्ड को जारी करने आदि की सुविधाएं दे रहे हैं, वे खाता खोलने, खातों में नकदी जमा करने और आहरण तथा अन्य मौलिक बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। फिलहाल यह परियोजना पायलट बेसिस पर आंध्र प्रदेश तथा केरल राज्यों में चलाई जा रही है किंतु यह आगे अन्य केंद्रों में भी प्रारंभ की जायेगी।

सिद्धांत 9- ग्राहक केंद्रीकरण

बैंक बी सी एस बी आई द्वारा निर्देशित मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करता है तथा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, अपनी सारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता रखता है तथा ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली अपनाता है। इस मद में बैंक के कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं-



विश्वस्तरीय ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना -

ग्राहक शिकायतों को प्रभावी और समय पर निवारण तथा ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख एजेंसी, ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सेवा केन्द्र की संरचना:

बैंक में ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है

1. आवेदनों पर त्वरित, विश्वसनीय और बिना किसी अवरोध के प्रतिक्रिया हेतु.
2. निवेदनों और शिकायतों के मूल कारणों का समाधान - बैंक को लगातार प्राप्त होने वाले आवेदनों और शिकायतों की संख्या को कम करने के लिए उन्नत प्रक्रिया अपनाना.
3. ग्राहक के अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचनाएं जनरेट करना.

ग्राहक-सेवा में उत्कृष्टता लाने के प्रयास:

1. ग्राहक सेवा पर केंद्रित **यूनियन एक्सपीरियंस** के ब्रांड-नाम से नया शाखा मॉडल लाया गया. यूनियन एक्सपीरियंस शाखाओं में ग्राहक सुलभ वातावरण और उनके अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए इन शाखाओं के स्टाफ को विभिन्न प्रशिक्षण

कार्यक्रमों के द्वारा नयी भूमिकाएं दी गयी हैं. समग्र रूप से इन शाखाओं का उद्देश्य, सम्पूर्ण बैंकिंग संबंध स्थापित करना है.

2. कॉल-सेंटर, ए टी एम तथा अन्य वैकल्पिक चैनलों को व्यवस्थित करना: बैंक के ए टी एम न केवल नकदी प्रदान करते हैं बल्कि एनईएफटी, आईएमपीएस के माध्यम से प्रेषण की सुविधा मुहैया कराते हैं. एनईएफटी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश, आयकर भुगतान तथा मोबाईल टॉप-अप जैसे अन्य उत्पाद की सुविधा भी है. इस प्रकार ये अधिकतम सेवा सुविधा का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम हैं. इसीलिये इन्हें संपूर्ण ए टी एम का नाम दिया गया है. आज बैंक के 7020 ए टी एम हैं जिनमें से 1706 बोलते ए टी एम हैं जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं.
3. गैर-ग्राहक संबंधी देयता गतिविधियों का नेशनल प्रोसेसिंग सेंटरों पर केंद्रीयकरण.
4. शिकायत निस्तारण प्रणाली को अधिक ग्राहकोन्मुख बनाने के लिये बैंक ने आंतरिक बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की है जो ग्राहकों की उन शिकायतों के निस्तारण संबंधी कार्यवाही करते हैं जो 30 दिनों तक लंबित रह जाती हैं, इसके अलावा वे मामले भी देखते हैं, जिनमें बैंक द्वारा लिये गये निर्णय से ग्राहक संतुष्ट नहीं होते हैं.

अनुभाग एफ : पुरस्कार और सराहना

इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड:

- 'ख' भाषिक क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में वर्ष 2013-14 हेतु प्रथम पुरस्कार
- वर्ष 2012 - 13 के लिए द्वितीय पुरस्कार



माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी से वर्ष 2013-14 का इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड (प्रथम) पुरस्कार ग्रहण करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री के. सुब्रह्मण्यम. साथ में हैं - माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राज्य मंत्री श्री के रिजिजू तथा संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्रीमती पूनम जुनेजा.

एनपीसीआई पुरस्कार (2014)

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मोबाईल के माध्यम से ग्राहकों को निधि अंतरण करने के लिए आईएमपीएस प्लैटफॉर्म पर सर्वाधिक लेनदेन हेतु एक्सीलेंस अवार्ड.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में "सर्वाधिक रुपये कार्ड जारी करनेवाला बैंक" के लिए एक्सीलेंस अवार्ड.
- एटीएमएस में मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए विशेष इनोवेटिव अवार्ड. एटीएमएस में मूल्य वर्धित सेवा में एटीएम - एनईएफटी / आईएमपीएस/ ई कैश के माध्यम से प्रेषण, एटीएम के माध्यम से आधार नंबर लिंकेज और कार्ड से कार्ड अंतरण शामिल है.



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में "सर्वाधिक रुपये कार्ड जारी करनेवाला बैंक" का एनपीसीआई एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ

"एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड - 2014"

- "बड़े बैंकों के लिए सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक" - विजेता; और
- "टेकसेवी के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक" - रनर अप



माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र से एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करते हुए श्री आर.के.चौधरी, क्षेमप्र दिल्ली.

"आशीर्वाद" - (विख्यात साहित्यिक संस्था)

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वर्ष 2013-14 हेतु राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार
- शैलजा नायर फाउंडेशन द्वारा आईसीई अवार्ड 2014
- बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा को विशेष ज्यूरी अवार्ड
- महाराष्ट्र एसएलबीसी
- राज्य में राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन पर द्वितीय पुरस्कार
- गुजरात एसएलबीसी
- राज्य में राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन पर तृतीय पुरस्कार
- एबीसीआई अवार्ड
- 27.02.2015 को 'एबीसीआई' से बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा को सर्वश्रेष्ठ द्विभाषिक पत्रिका, सर्वोत्तम डिजाइन, भाषा फीचर और विशेष कॉलम हेतु 7 पुरस्कार



एबीसीआई अवार्ड प्राप्त करते हुए श्री बी.पी. डिमरी, महा प्रबंधक

वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली (एफआईपीएस)

19 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में संपन्न वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली द्वारा आयोजित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में तीन पुरस्कार

- “वित्तीय समावेशन टेक्नॉलॉजी इनीशियेटिव अवार्ड”
- “टैब्यूलस बैंकिंग - टैबलेट आधारित बचत खाता खोलने की प्रक्रिया” और
- “केन्द्रीय विद्यालय फी भुगतान”



एफआईपीएस अवार्ड कार्यक्रम में सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी के साथ महा प्रबंधक श्रीमती आभा आनंद

एक्सप्रेस टेक्नॉलॉजी सिनेट 2014 अवार्ड

- 13 सितंबर 2014 को क्वालालंपुर, मलेशिया में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क अप टाईम में “एक्सप्रेस अप टाईम चैंपियन अवार्ड”



“एक्सप्रेस अप टाईम चैंपियन अवार्ड” प्राप्त करते हुए महा प्रबंधक श्री अजीत रथ

स्कोच

- स्कोच कन्सलटैंसी द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन श्रेणी में प्लेटिनम अवार्ड

वित्तीय समावेशन और डीपनिंग अवार्ड 2014

- स्ट्रेटेजी, इनोवेशन अथवा टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से वित्तीय समावेशन, वित्तीय डीपनिंग, ग्राहक सेवा अथवा आर्थिक मूल्य वर्धन और डेमॉन्स्ट्रेटेड बिजनेस सक्सेस में उल्लेखनीय योगदान हेतु.

स्कोच रेनैसंस अवार्ड, 2014

- वर्ष के दौरान कार्पोरेट सामाजिक दायित्व क्षेत्र में चलाये जा रहे गतिविधियों के लिए, कार्पोरेट्स, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के संगठनों, बैंकों, बीमा कंपनियों (निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों), राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों, उपक्रमों के बीच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

को स्कोच रेनैसंस अवार्ड, 2014 से सम्मानित किया गया है. बैंक को यह सम्मान, स्वास्थ्य सेवा, अक्षमता क्षेत्र, ग्रामीण विकास, बालिका तथा महिला सशक्तीकरण जैसे सभी प्रमुख संवर्गों में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रदान किया गया है.



सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी से श्री विनोद राय और श्री समीर कोचर की उपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से स्कोच अवार्ड प्राप्त करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री के सुब्रहमण्यम.

ई इंडिया

- ई इंडिया - द्वारा 15 नवंबर, 2014 को आयोजित समारोह में वित्तीय समावेशन में टेक्नॉलॉजी इनिशियेटिव हेतु ई इंडिया अवार्ड

आईडीसी इनसाईट अवार्ड

- 12 और 13 दिसंबर को हैदराबाद इंटरनैशनल कनवेंशन सेंटर, हैदराबाद में आयोजित समारोह में “टैब्यूलस बैंकिंग हेतु आईडीसी इनसाईट” अवार्ड



आईडीसी इनसाईट अवार्ड प्राप्त करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री के सुब्रहमण्यम

एसीआई इनोवेशन अवार्ड

- एसीआई वर्ल्ड वाईड द्वारा आयोजित समारोह में इनोवेशन श्रेणी में हमारे बैंक को विनर अवार्ड.

महाराष्ट्र राज्य राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्कार 2015

- सिंधुदुर्ग जिले में एसएचजी और उनके क्रेडिट लिंकेज के उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन हेतु पुरस्कार.

आऊटलुक मनी 2014

- सर्वोत्तम एज्यूकेशन ऋण प्रोवायडर हेतु



भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा से “सर्वोत्तम एज्यूकेशन ऋण प्रोवायडर” का आऊटलुक मनी पुरस्कार प्राप्त करते हुए महा प्रबंधक श्री एस.के.सिंह

यूनियन बैंक को बी.एफ.एस.आई.(बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं तथा बीमा, मुम्बई) अवार्ड

बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं तथा बीमा, मुम्बई द्वारा "स्वास्थ्य सेवा और प्रतिरोधक बीमारियों" संवर्ग में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वाहन के लिए यूनियन बैंक को रनर-अप पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार, बी.एफ.एस.आई. विजन मेगजीन, मुम्बई द्वारा उनके नॉलेज पार्टनर अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेस तथा उनके चैनल पार्टनर ब्लूमबर्ग टीवी के सहयोग से केवल बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए अगस्त 2014 में प्रारम्भ किया गया है।

रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड 2012 - 13

- 'ख' भाषिक क्षेत्र में द्वितीय
- 'क' भाषिक क्षेत्र में तृतीय
- 'ग' भाषिक क्षेत्र में प्रोत्साहन
- द्विभाषिक गृह पत्रिका की श्रेणी में बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा को प्रथम पुरस्कार



भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री एस. एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्रीमती हेमलता राजन, महा प्रबंधक(कार्मिक), श्री अरुण श्रीवास्तव, उप महा प्रबंधक (राजभाषा)

गोल्डन पीकॉक अवार्ड

- नैशनल ट्रेनिंग अवार्ड - 2014
- एचआर एक्सलेंस
- नैशनल ट्रेनिंग अवार्ड - 2015



माननीय बरोनेस वर्मा, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड क्लायमेट चेंज, यूके सरकार, ले. जनरल जे. एस अहलुवालिया, पीवीएसएम (सेवानिवृत्त) और श्रीमती राजश्री बिड़ला और श्री एस. चक्रवर्ती की उपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी और श्रीमती हेमलता राजन गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्राप्त करते हुए। चित्र में श्री एच.एन. सक्सेना और श्री आर.आर. मोहंती, उप महा प्रबंधक दिखाई दे रहे हैं।

निम्नलिखित श्रेणी में आईबीए टेक्नालॉजी अवार्ड - 2014-15

विजेता - सर्वोत्तम भुगतान पहल: इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से छोटी राशि के प्रेषण और एलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में ठोस वृद्धि में सार्थक मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में ध्यान केन्द्रित करते हुए अपने समग्र भुगतान की रणनीति के लिए।

संयुक्त विजेता - ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम पहल : प्रत्येक ग्राहक संवर्ग के लिए विस्तृत विभाजित और अलग-अलग सेवा रणनीति के क्षेत्र में। एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली तथा केन्द्रायकृत ग्राहक प्रबंधन प्रणाली और ग्राहक 360 दृष्टि।

प्रथम रनर-अप - वर्ष का तकनीकी बैंक : सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति योजना में दीर्घकालिक और अल्पकालिक कारोबारी उद्देश्यों, विस्तार योजनाएं, उत्पाद विकास जैसे कारकों, संगठनात्मक प्रतिमान और इनमें परिवर्तनों, तकनीकी विकास, कारोबारी प्रक्रिया पुनर्गठन, प्रक्रिया उन्नयन, स्टाफिंग, इन-सोर्सिंग या आउट-सोर्सिंग, ठोस नीतियां और व्यवहार, निष्पादन बढ़ाने के लिए वर्कफ्लो आधारित प्रणाली शामिल हैं।

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars % (In Percentage)	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
1	Interest Income/Average Working Funds (AWF)	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88
2	Interest Expenses/AWF	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54
3	Interest Spread/AWF	3.03	3.05	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40	2.34
4	Non-Interest Income/AWF	0.63	0.75	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97
5	Operating Expenses/AWF	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67	1.70
6	Cost Income Ratio	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24	51.34
7	Gross (Operating) Profit/AWF	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61
8	Net Profit/AWF	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49
9	Return on Net Worth	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73
10	Return on Terminal Assets	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47
11	Return on Average Assets	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49
12	Yield on Advances	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42
13	Cost of Deposits	4.75	5.23	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31
14	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76
15	Credit - Deposit Ratio	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65
16	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51
17	Capital Adequacy Ratio (Basel II)	11.41	12.80	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45	11.89	10.74
	Tier I	7.32	7.79	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37	8.23	8.13	7.60
	Tier II	4.09	5.01	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48	3.22	3.76	3.14
18	Capital Adequacy Ratio (Basel III)	-	-	-	-	-	-	-	-	10.80	10.22
	Tier I									7.54	7.50
	Tier II									3.26	2.72

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
1	Employees (Number)	25421	25969	25722	27510	27772	27746	30838	31798	33806	35514
2	Branches (Number)	2082	2206	2361	2558	2805	3016	3201	3511	3871	4081
3	Business per Employee (₹ in Crore) *	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76	14.46
4	Gross Profit per Employee (₹ in Lacs)	5.77	7.70	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44	16.40
5	Net Profit per Employee (₹ in Lacs)	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02	5.02
6	Business per branch (₹ in Crore) *	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16	125.80
7	Gross Profit per branch (₹ in Crore)	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43
8	Net Profit per branch (₹ in Crore)	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44
9	Earnings per Share (in Rupees)	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05
10	Book Value per Share (in Rupees)	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01

Note : * Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	:	Fornightly average of total assets
Average Deposits	:	Fornightly average of total deposits
Average Advances	:	Fornightly average of total advances
Average Business	:	Total average deposits and average advances
Average Investments	:	Fornightly average of total investments
Interest Income/AWF	:	Total interest income divided by AWF
Interest Expenses/AWF	:	Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread/AWF	:	Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income/AWF	:	Total Non interest income divided by AWF
Operating Expenses	:	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Cost Income Ratio	:	Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Net Profit/AWF	:	Net Profit divided by AWF
Return on Net Worth	:	Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets)
Return on Assets	:	Net Profit / Total Assets
Return on Average Assets	:	Net Profit / AWF
Yield on Advances	:	Interest Earned on Advances / Average Advances
Cost of Deposits	:	Interest paid on deposits divided by average deposits
Dividend Payout Ratio	:	Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax)
Credit Deposit Ratio	:	Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	:	Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits
Business per employee	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of employees
Gross Profit per Employee	:	Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	:	Net Profit / Total No. of Employees
Business per Branch	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of branches
Gross Profit per Branch	:	Gross Profit / No. of Branches
Net Profit per Branch	:	Net Profit / No. of Branches
Earning per Share	:	Net Profit divided by equity share capital
Book Value per share	:	Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity share capital

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Thirteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Union Bank of India will be held on Friday, 26th June 2015 at 11.00 A.M. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 to transact the following:

Ordinary Business:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2014-15.

Special Business:

Item No. 3

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 (Scheme) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto ₹ 3700 crore (Rupees Three Thousand Seven Hundred Crore Only) (including premium, if any) which together with the existing Paid-up Equity

share capital of ₹ 635.78 crore (Rupees Six Hundred Thirty Five Crore and Seventy Eight Lakhs Only) will be within ₹ 3000 Crore (Rupees Three Thousand Crore Only), being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutional Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock

Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

- A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution.”
- B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects *paripassu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board

be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman, Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

Item No. 4

To elect **THREE** Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred as “the Regulation Act”), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos. DBOD No. BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 1st, 2007 read with Notification No. DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated May 23rd, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “RBI Notification”) and Letter No. F.No.16/83/2013-BO.I dated September 9th, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on March 25th, 2015 (hereinafter referred as “GOI Guidelines”) and AFTER ELECTION pass the following resolution:-

“RESOLVED THAT _____, _____ and _____ elected as Directors from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification, GOI Guidelines, be and are hereby appointed as Directors of the Bank to assume office from 27th June, 2015 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption of office as Directors”.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date : 12th May, 2015

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business agenda 3 and 4 of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the bank) to attend and vote instead of himself/

herself and the proxy need not be a shareholder of the bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed in the Annual Report.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of the Bank addressed to **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021**, not less than four days before the date of meeting i.e. **on or before the closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, 20th June 2015** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. **on or before the closing hours of the Bank i.e. 2.00 p.m. on Saturday, 20th June 2015**.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-Cum Ballot Paper Pass is also dispatched along with this Report, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the poll to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders/ Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be. The portion of Attendance Slip is to be surrendered at the time of entry to the venue of the AGM and portion of Entry Pass-Cum-Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

5. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 20th June 2015 to Friday 26th June 2015 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the

shareholders' entitlement to dividend for the year 2014-15, if declared at the Annual General Meeting.

6. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 26th June 2015 and in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership (BenPos) as per details to be furnished by the depositories as at the end of business hours on 19th June, 2015 and the dividend shall be paid by 6th July, 2015.

7. LODGMENTS FOR TRANSFERS

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent for effecting the transfer.

8. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS / DIRECT CREDIT TO UNION BANK ACCOUNT / NATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE CREDIT (NACH)

The Bank will credit the dividend amounts to the Bank accounts of the shareholders through Direct Credit to Union Bank Account / National Automated Clearing House Credit facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt credit of the dividend amounts through Direct Credit to Union Bank Account / NACH. The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to/ with the Investor Services Division of the Bank or to/with the Registrar & Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (10) below on or before 22nd June, 2015.

The Bank will issue dividend warrants if and only if, necessary information required for making payment in electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants.

The Format for providing Bank details is annexed to this report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

9. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or Bank's Investors' Services Division for issue of the duplicate dividend warrant. Requisite format of Indemnity Bond is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205(C) of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2006-07 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2007-08, the Shareholders may visit Bank's website "www.unionbankofindia.co.in"

10. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS/BANK ACCOUNT MANDATE

- a) The Bank for payment of dividend will use the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to Send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address:
Datamatics Financial Services Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East), Mumbai – 400 093
- c) Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- d) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id

number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

11. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Registrar & Transfer Agent of the Bank – Datamatics Financial Services Ltd., immediately of:

- The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

12. CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., for consolidation into a single folio.

13. COPIES OF ANNUAL REPORT

Please note that copies of the Annual Report- 2014-15 in physical form is dispatched using the services of Indian Post/Courier to those Shareholders who have not registered their email IDs with the Bank and in soft copy by email to those shareholders who have registered their email ids with the Bank. The Annual Report is also hosted on the website of the Bank. The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

14. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in **excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Regulations, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified Date i.e. 15th May, 2015 (for election of shareholders) and Cut-Off Date i.e. 19th June, 2015 (for other business)**, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

15. INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

16. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

17. SPECIFIED AND CUT OFF DATE

a) SPECIFIED-DATE FOR ELECTION

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, **Friday, 15th May 2015** is fixed as Specified Date for the purpose of determining the shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest and Vote for the Election** of THREE directors representing the shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

b) CUT-OFF DATE FOR E-VOTING AND POLL AT THE AGM

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the shareholders in respect of **agenda items no. 1, 2 & 3** shall be reckoned as on **Friday, 19th June 2015**.

18. E-VOTING

- In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Bank is pleased to provide shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

- iv. **The remote e-voting period commences on 23rd June, 2015 (9:00 am) and ends on 25th June, 2015 (5:00 pm).** During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified Date of 15th May, 2015 (for election of Shareholders' Directors) and Cut-Off Date of 19th June, 2015 (for other matters), may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- v. The process and manner for remote e-voting are as under:
- (a) In case a shareholder receives an email from NSDL [for shareholders whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s)] :
- Open email and open PDF file viz; "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. **The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting.** Please note that the password is an initial password.
 - Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
 - Click on Shareholder - Login
 - Put user ID and password as initial password/ PIN noted in step (i) above. Click Login.
 - Password change menu appears Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 - Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
 - Select "EVEN" of "**Union Bank of India**".
 - Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
 - Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
 - Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
 - Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
 - Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to snv@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- (b) In case a shareholder receives physical copy of the Notice of AGM (for shareholders whose email IDs are not registered with the Bank/Depository Participants(s) or requesting physical copy) :
- Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the AGM :**
 - Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.
- vi. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.
- vii. **If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.**
- viii. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s) related to e-voting process.
- ix. Any person, who acquires shares of the Bank and become shareholder of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 19th June, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at - evoting@nsdl.co.in or investorservices@unionbankofindia.com or ubiinvestors@dfssl.com.
- However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
- x. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- xi. M/s. S N Ananthasubramanian & Co. (SNACO) Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- xii. The Chairman shall, at the AGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those shareholders who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

xiii. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make, not later than three days of the conclusion of the AGM, a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

xiv. The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

19. POLL PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items including Election shall be done by e-voting as well as by Poll. Those who do not exercise the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the Poll to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting.

Ballot Papers will be issued immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue **upto 1.00 p.m.** Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Entry Pass-Cum-Ballot Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration.

20. RESULTS OF E-VOTING AND POLL

The consolidated results of e-Voting and Poll will be announced at the end of the Meeting and also hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and NSDL.

21. SCRUTINIZERS AT POLL

As already indicated for E-Voting, M/s. S N Ananthasubramanian & Co. (SNACO) Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of Agenda Items No. 1-4. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder at the Poll to be conducted at the Meeting.

The Poll on the Election shall be conducted under the supervision of Chief Returning Officer appointed by the Bank, SNACO (Independent Consultant & Scrutinizer) and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer and second Scrutinizer.

EXPLANATORY STATEMENT

1. ISSUE OF CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS/QIP ETC.

The Basel III regulations require that the Bank should maintain a minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% in the form equity capital, Tier 1 ratio of 7.625% and overall

CRAR of 9.625% by March 31, 2016. To comply with the Basel III requirement, future expansion plans of the Bank and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

Based on the growth estimates your Directors have decided to raise equity capital up to ₹ 3700 crore (Rupees Three Thousands and Seven Hundreds Crore) including capital infusion by the Government and the Bank may use equity capital raising options such as through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or any other mode(s) subject to approval by Government and other regulatory authorities and in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Bank had the shareholders' approval for raising equity capital up to ₹ 1386 crore (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six Crore Only) through qualified institutional placements (QIP), which is valid up to June 26, 2015. However, due to unfavorable market conditions the same could not be raised till now. Keeping in view the future requirements, now it has been planned to raise equity capital up to ₹ 3700 crore (Rupees Three Thousand Seven Hundred Crore Only) as indicated above.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches as such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutional Placements, it will be ensured that:

- i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorised committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval in terms of Section 81(1A) and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of

Undertakings) Act, 1970/1980 and the Bank's (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

- iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;
- iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- v. The total amount raised in such manner, including the overallotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.
- vii. The equity shares allotted, shall rank *paripassu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are personally concerned or interested in this agenda of the meeting.

2. APPOINTMENT OF SHAREHOLDERS' DIRECTORS

In terms of Section (9)(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, your Bank had elected three Directors viz. Shri Dipankar Chatterji, Dr. Ravindrarai H. Dholakia, Shri Gopal Krishan Lath, from amongst the shareholders other than Central Government, who assumed charge on 27th June, 2012 and their term ends on 26th June, 2015.

With a view to fill in the vacancies as aforesaid, the Board of Directors propose to conduct an election of shareholder Directors as one of the agenda items at the AGM.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations/ Notification / Directions from the Central Government, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder. Three directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or

subsequent election at the Annual General Meeting. A Director so elected shall assume office from 27th June 2015 and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	- Substantial Interest - Prohibition of Common Directors - Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA)& Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	- Restriction on voting rights - No. of directors to be elected by the shareholders - Special knowledge in certain fields - No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. - Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. - Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	- Term of office of elected directors - Disqualifications from being elected as a Director of the Bank - Vacation of office of Director - Removal from office of an elected Director - Filling of casual vacancy in the office of an elected Director - Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended upto 2009)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	- Exercise of rights of joint holders - Voting at General Meetings - Directors to be elected at General Meetings - List of Shareholders - Nomination of candidates for election - Scrutiny of nominations - Election disputes - Determination of voting rights - Voting by duly authorized representative - Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non-official director in Public Sector Banks issued on March 25 th , 2015.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1 st July 2014		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines is hosted on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Union Bank of India at their Head Office on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **11th June 2015**.

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date i.e., on Friday, 15th May 2015** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote in**

election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

C. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall -

- have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - agriculture and rural economy
 - banking
 - co-operation
 - economics
 - finance
 - law
 - small scale industry
 - any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

B. represents the interest of depositors; or

C. represents the interest of farmers, workers and artisans

In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

D. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

- (B) If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India -DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.
- (C) If he is not found to be satisfying the criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks.

E. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at the Head Office of the Bank from 15th May 2015 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹ 50,000/ (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank in favor of "Union Bank of India" payable at Mumbai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

F. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e Monday to Friday between 11.00 a.m. to 4 p.m and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of ₹ 5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

G. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks issued on March 25th, 2015 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts, Guidelines, Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a) He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday 15th May 2015 being the Specified Date of reckoning for participation in the election and undertakes to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

- b) As on **Thursday, 11th June 2015 being the last date for receipt of nomination**, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications/GOI Guidelines.
- c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Union Bank of India and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- d) The valid nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (biodata) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) The nomination form and declaration form as prescribed by the Regulation are annexed to this report (The forms are also available on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in)
- f) He / She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification No. DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India and Criteria laid down by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks issued on March 25th, 2015 or such other directives as may be issued from time to time from being elected as a director.

H. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021** on any working day not

less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e., on or before closing hours of the bank at **5.00 p.m., on Thursday, 11th June 2015**:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Valid Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the report together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.,
- d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which the nominations are liable to be rejected.

I. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) Nominations shall be scrutinized on **Friday, 12th June 2015**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- b) Nominations shall also be subject to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India. In terms of advice of GOI, the Nomination Committee may also keep in mind the Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks as issued by Ministry of Finance, Government of India on March 25, 2015 while determination of the Fit & Proper Status of Candidates.
- c) If there are only upto three valid nominations for three vacancies to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event or in case no nomination is found valid, the Agenda Item No. 4 at the AGM will not be conducted. The newly elected directors will assume office from 27th June, 2015.
- d) If there are more than three valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate

polling the majority of the votes i.e. aggregate of e-voting and Poll at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

J. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. **on or before 12.00 noon on Saturday, 20th June 2015** by sending a letter addressed to Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 or sending Fax at 022-22025238 or scanned and signed letter over e-mail at "investorservices@unionbankofindia.com".

K. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

L. EXTRACTS

As already mentioned elsewhere in the notice, extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website www.unionbankofindia.co.in for the benefit of the shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may also write to the Company Secretary of the Bank by post or email on investorservices@unionbankofindia.com and the Bank will provide the same.

M. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date : 12th May, 2015

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Board of Directors is pleased to present the 96th Annual Report of the Bank for the Financial Year 2014-15 together with the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The 'Corporate Governance Report' and 'Business Responsibility Report' also form part of the Annual Report 2014-15.

1. Financial Highlights

- 1.1. Strategic approach towards balanced growth, profitability and proactive risk management has helped your Bank in achieving the targeted growth, thereby strengthening the Bank's business base for a more profitable growth in future.

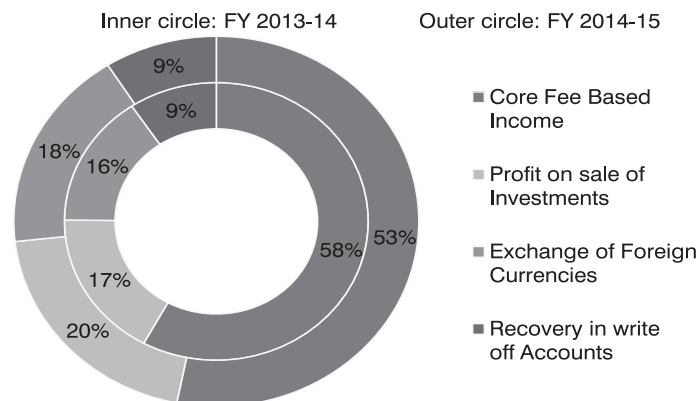
Table 1: Income Statement				
₹ crore				
Particulars	FY 2014-15	FY 2013-14	Annual Growth	
			Absolute	%
Interest Income	32084	29349	2735	9.3
Interest Expended	23640	21470	2170	10.1
Net Interest Income	8444	7879	565	7.2
Other Income	3523	2822	701	24.8
w/w Core fee based income	1872	1635	237	14.5
Total Income	35607	32171	3436	10.7
Operating Expenses	6144	5483	661	12.1
w/w Establishment Expenses	3786	3308	478	14.4
Operating Profit	5823	5218	605	11.6
Provisions	4042	3522	520	14.8
Net Profit	1782	1696	86	5.1
Earnings Per Share (₹)	28.1	28.0	0.1	0.2

- 1.2. As per the capital conservation and augmentative strategy, the Bank strives to generate higher profits from its operations. The total income of the Bank increased by 10.7 per cent to ₹ 35,607 crore during the financial year. The interest income grew by 9.3 per cent to ₹ 32,084 crore and the interest income on investments grew by 5.5 per cent.
- 1.3. The interest expenses of the Bank stood at ₹ 23,640 crore for the year ended March 31, 2015. Operating expenses of the Bank increased at a decelerated rate of 12.1 per cent as against a growth rate of 21.5 per cent registered last year.

2. Non Interest Income

For enhancing its coverage of operating expenses, your Bank has undertaken several initiatives to boost income through alternative revenue streams which resulted in an increase of 24.8 per cent in Non Interest income of the Bank to ₹ 3,523 crore for the year 2014-15 compared to ₹ 2,822 crore for 2013-14. Fee based income has been one of the focus areas of the Bank for FY 2014-15; and it increased by 14.5 per cent to ₹ 1,872 crore mainly due to increase in commission & exchange, forex income and processing charges. The income from treasury operations also contributed with a growth rate of 44.7 per cent and stood at ₹ 1,334 crore, within which the profit of ₹ 709 crore was on sale of investment for FY 2014-15. Due to your Bank's continuous efforts to improve the asset quality, the Bank has more than doubled in terms of cash recovery. The same thrust was also seen in recovery in written-off accounts which increased by 19.7 per cent during the year.

Chart 1: Composition of Non Interest Income



3. Provisions and Contingencies

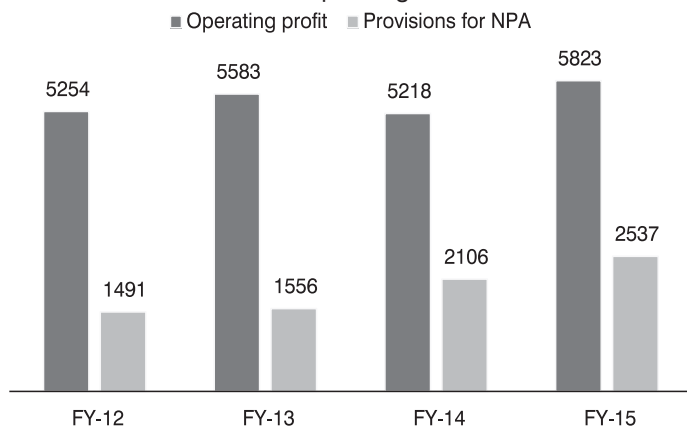
- 3.1. The allocations for provisions and contingencies for the year 2014-15 amounted to ₹ 4,042 crore compared to ₹ 3,522 crore in FY 2013-14.
- 3.2. The provisions for non-performing assets stood at ₹ 2,537 crore during 2014-15 compared to ₹ 2106 crore in the previous year. The provision for standard assets was ₹ 246 crore compared to ₹ 310 crore in the previous year.

4. Profitability & Productivity

- 4.1. The operating profit of your Bank increased by 11.6 per cent during the year and reached ₹ 5,823 crore for FY 2014-15 compared to ₹ 5,218 crore for FY 2013-14.

- 4.2. The Bank's provisions to operating profit ratio at 43.6 per cent for FY 2014-15 as against 40.4 per cent for FY 2013-14.

Chart 2: Movement of Operating Profit and Provisions



- 4.3. Even after a proportionately higher increase in provisions, the net profit of the Bank increased by 5.0 per cent and reached ₹ 1782 crore for FY 2014-15 compared to ₹ 1696 crore for FY 2013-14.
- 4.4. Reviving the asset quality has been another focus area of the Bank as one of the causes of declining profits is the deteriorating asset quality. The higher amount of provisions against bad assets has adversely affected the net profits in the past. Your Bank laid special attention on restricting slippages and better recovery, as a result of which the total recovery improved to ₹ 3,060 crore within which the cash recoveries stood at ₹ 1,537 crore as on March 31, 2015 as against ₹ 765 crore as on March 31, 2014, registering a growth of 100.9 per cent during the year. The slippages were also restricted to ₹ 6,527 crore as of March 31, 2015; thus, the gross NPA stood at 4.96 per cent of gross advances.
- 4.5. The following are the key productivity ratios of your Bank as on March 31, 2015.

Table 2: Productivity Ratios

Parameters	FY 2014-15	FY 2013-14	Annual Growth %
Average Business Per Employee (₹ crore)	14.5	13.8	5.1
Average Business Per Branch (₹ crore)	125.8	120.2	4.7
Net Profit Per Employee (₹ lakh)	5.0	5.0	0.0
Net Profit per Branch (₹ lakh)	43.7	43.8	-0.23

5. Spread Analysis

- 5.1. Your Bank took a pro-active stance in the dynamic macro-economic setting to withstand the pressure on the cost of funds. By rebalancing the portfolio and focusing on risk return trade off, the yield on advances were maintained at 10.4 per cent for FY 2014-15. Though there was no momentum on increase in yield on advances, the

advances risk weighted assets to gross advances ratio came down to 75.7 per cent as on March 31, 2015 as against 77.4 per cent as on March 31, 2014. Also the Bank was able to restrict the growth in risk weighted assets at a slower pace of 10.5 per cent for March 2015 compared to growth of 12.1 per cent registered by advances for March 2014.

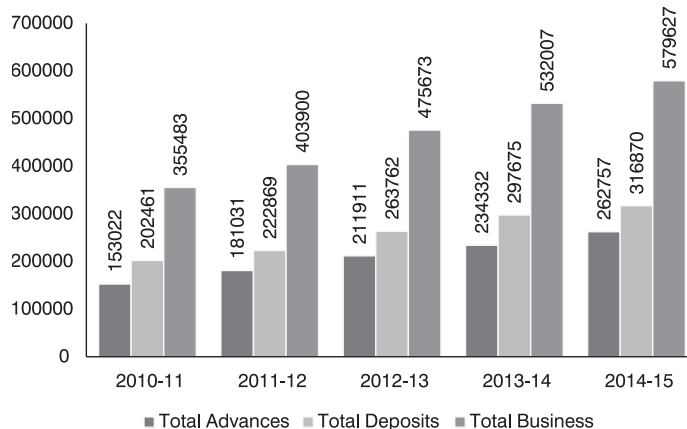
- 5.2. The cost of deposits improved to 7.3 per cent for March 2015 as against 7.4 per cent for March 2014 and was mainly driven by the reduction in high cost deposits, a 9.9 per cent annual growth in saving deposits and an overall softening of interest rates in the domestic economy.

Table 3: Spreads

Parameters	FY 2014-15	FY 2013-14	Growth	
			Absolute	%
Average Working Funds	361392	328022	33370	10.2
Total Interest Income	32084	29349	2735	9.3
Total Interest Expenditure	23640	21470	2170	10.1
Net Interest Income	8444	7879	565	7.2
Net Interest Income (%)	2.3	2.4	-10 bps	-
Yield on Advances (%)	10.4	10.5	-10 bps	-
Cost of Deposits (%)	7.3	7.4	-10 bps	-
Yield on Funds (%)	8.9	9.0	-10 bps	-
Cost of Funds (%)	6.5	6.5	-	-
Net Interest Margin (%)	2.5	2.6	-10 bps	-

6. Business

Chart 3: Business Growth (₹ crore)



- 6.1. Your Bank's approach towards customer acquisition and retention along with a robust human resources management system for ensuring excellence in customer services has resulted in increase in Bank's total business mix by ₹ 47,620 crore to ₹ 5,79,627 crore as on March 31, 2015 from ₹ 5,32,007 crore as on March 31, 2014. Total deposits increased to ₹ 3,16,870 crore, as of March 31, 2015 from

₹ 2,97,675 crore in the previous year, recording an annual growth of 6.4 per cent. During the year, your Bank adjusted the deposit mix by enhancing the CASA at 29.2 per cent of total deposits. Along with this, your Bank also reduced the share of high cost deposits in total deposits from 12.6 per cent as on March 31, 2014 to 5.8 per cent as on March 31, 2015.

- 6.2. For FY 2014-15, the banking industry witnessed a decelerated credit growth barring the agriculture and allied activities sector, which reflected a combination of factors such as alternative sources of funding, slack in demand as also an element of risk aversion and balance sheet repair on part of the banks. The credit portfolio registered growth of 12.1 per cent and stood at ₹ 2,62,757 crore as on March 31, 2015 as against ₹ 2,34,332 crore as on March 31, 2014. The credit growth was mainly attributable to a 23 per cent annual growth registered in the productive sectors of the economy i.e. retail, agriculture and micro, small & medium enterprises (MSME) sectors, which we termed as RAM sectors, thus increasing the share of RAM sectors in domestic advances to 48.9 per cent as on March 31, 2015 compared to 44.3 per cent as on March 31, 2014.

7. Dividend

- 7.1. In view of overall performance of the Bank and the objective of rewarding shareholders with cash dividends along with ploughing back a part of profit to maintain a healthy capital adequacy ratio (CAR) to support future growth, the Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 6 per equity share of face value of ₹ 10 each which is 50 per cent higher than dividend of ₹ 4 per equity share declared for the previous year. The dividend payout ratio (excluding dividend tax) comes to 21.4 per cent, higher than 14.9 per cent in the previous year.

8. Shareholders' Return

- 8.1. Your Bank's net worth improved by 7.8 per cent to ₹ 18,312 crore during FY 2014-15 from ₹ 16,979 crore in the previous year. Thus, the Book value per share increased to ₹ 288.0 for March 2015 from ₹ 269.4 for March 2014. The Return on Equity stood at 9.7 per cent and the Earnings per share stood at ₹ 28.1 for FY 2014-15.

9. Credit Rating

- 9.1. The ratings given by various credit rating agencies for the Bank's Tier-1 & Tier-2 capital instruments point to the highest degree of safety regarding timely servicing of financial obligations and that these instruments carry lowest credit risk.

Table 4: Rating

Rating Agency	Perpetual Bonds	Upper Tier-2 Bonds	Lower Tier-2 Bonds	Tier-2 (Basel III compliant)
CRISIL	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA	CRISIL AAA
ICRA	ICRA AA	-	ICRA AA+	-
CARE	CARE AA+	CARE AAA	CARE AAA	-
India Ratings	AA (Ind)	AA (Ind)	AA+ (Ind)	-
Brickwork	BWR AAA	BWR AAA	BWR AAA	-

- 9.2. **Issuer Credit Ratings:** International credit rating agencies re-affirmed the Bank's long-term issuer credit rating, which are equivalent to country's sovereign rating grade. Standard & Poor's assigns rating of 'BBB-' while Moody's rating for the Bank is 'Baa3'. These ratings denote that the Bank has adequate capacity to meet its financial commitments. In April 2015, Moody's Investors Services while retaining the long-term ratings of the Bank changed the outlook from 'stable' to 'positive' for your Bank. Similarly, Standard & Poor's upgraded your Bank's outlook from 'negative' to 'stable' during FY 2014-15.

10. Capital Adequacy Ratio

- 10.1. Capital Adequacy Ratio (CAR), as per Basel III norms, stood at 10.22 per cent as on March 31, 2015. Common Equity Tier-1 (CET 1) capital of the Bank improved to 7.24 per cent as on March 31, 2015, which is well above regulatory minimum requirement of 5.5 per cent. Tier-1 CAR stood at 7.50 per cent and Tier-2 at 2.72 per cent as on March 31, 2015.

Table 5: Capital Adequacy Ratios

Basel III		
Parameters	FY 2014-15	FY 2013-14
Total Risk Weighted Assets	2,53,162	2,29,207
Total Capital Funds	25,885	24,751
CET 1 Capital	18,320	16,465
Tier 1 Capital	18,992	17,272
CRAR	10.22%	10.80%
CET 1	7.24%	7.18%
Tier 1	7.50%	7.54%
Tier 2	2.72%	3.26%

- 10.2. **Conversion of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) held by the Government of India into equity shares during FY 2014-15:** Your Bank allotted, on preferential basis, 54,72,563 (Fifty four lakh seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 192.83 to the Government of India after converting ₹ 111 crore of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) previously held by the Government of India. Consequently, the Government's shareholding in the Bank increased from 60.13 per cent to 60.47 per cent. Also, Bank's paid-up equity capital increased to ₹ 636 crore from ₹ 630 crore while ₹ 105.5 crore was added to share premium reserves.

11. Brand Rating

- 11.1. Brand rating is a breakdown of how the brand performed on various metrics of brand strength and benchmarked against its competitor. According to Brand Finance Plc, world's leading brand valuation consultancy, brand value of your Bank improved significantly. Among the Scheduled Commercial Banks, Union Bank of India ranked 11th after an increase of 34 per cent in its brand value for 2015 with a Brand rating of 'AA'.

Table 6: Brand Rating

Particulars	2015	2014
Brand Ranking (Global)	274	312
Brand Value (\$ millions)	430	321
Brand Rating	AA	A+

Source: Brand Finance Banking 500, February 2015

12. Awards & Accolades

- 12.1. Your Bank received wide recognition and several awards for its performance and initiatives in multiple domains, particularly human resources, digital banking and financial inclusion.
- 12.2. The Bank won the prestigious Golden Peacock Award for “HR Excellence” and the training system was conferred with the “Golden Peacock National Training Award” for the fourth time in a row.
- 12.3. Your Bank won the Indian Banks’ Association’s (IBA) Technology Award under ‘Best Payment Initiatives’ category and was the joint winner of Best Initiative to ‘Enhance Customer Experience’. The “Tabulous Banking” initiative was recognized by the IDC Insights award.
- 12.4. The Bank has also received awards from NPCI (National Payments Corporation of India) for maximum number of transactions on IMPS Platform, one of the highest RuPay cards issuing banks among Public Sector Banks, Innovation of Value-added Services in ATMs.
- 12.5. In the area of financial inclusion, the Bank received three awards at the ‘Global Conference by Financial Inclusion & Payment Systems’, and a Platinum award for Financial Inclusion category conducted by SKOCH Consultancy.
- 12.6. The Bank was also recognized as “Best MSME Bank Award for Large Bank” under MSME Banking Excellence Award – 2014 conducted by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises. Your Bank has won “Best Education Loan Provider” award at “Outlook Money Awards 2014”
- 12.7. Your Bank actively promotes the usage of Hindi as official language and such efforts were recognized by awards like, Indira Gandhi Rajbhasha Shield (1st Prize; 2013-14), and, the Rashtrapati Puraskar.

13. Directors

- 13.1. The following changes took place in the Board of Directors of your Bank during the Financial Year 2014-15:
- 13.1.1. Shri Kishor Kharat was nominated on the Board by the Government under sub-section 3 (a) of section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 on March 10, 2015 as the Executive Director in place of Shri S. K. Jain, whose term ended by superannuation on May 31, 2014.
- 13.1.2. Shri Mihir Kumar, presently Director in Department of Financial Services, Ministry of Finance was nominated by the Government as a non-whole time director under

sub section 3 (b) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. November 25, 2014 in place of Mohammad Mustafa, Joint Secretary, Dept. of Financial Services, Ministry of Finance.

- 13.1.3. Dr. Atul Agarwal, Part time Non-Official Director completed his term as Director on September 21, 2014.
- 13.1.4. Shri B.N. Bhattacharjee, Officer Nominee Director has completed his term as Director on May 3, 2014. Further, Shri N. Shankar, Workmen Employee Director’s resignation has been accepted by Govt. vide its letter dated April 30, 2014.
- 13.2. While welcoming all the new Directors, the Board places on record the valuable services rendered by Mohammad Mustafa, Dr. Atul Agarwal, Shri B. N. Bhattacharjee and Shri N.Shankar.

14. Directors’ Responsibility Statement

- 14.1. The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2015:
- 14.1.1. The applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from prescribed accounting standards.
- 14.1.2. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- 14.1.3. Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of Bank for the year ended on March 31, 2015.
- 14.1.4. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India and,
- 14.1.5. The accounts have been prepared on going concern basis.

15. Corporate Governance

- 15.1. The Board of the Bank is committed to adopt good corporate governance practices in letter and spirit. A detailed report on corporate governance is given in a separate section of the Annual Report. The corporate governance report for financial year 2014-15 has no audit qualifications.

16. Corporate Social Responsibility (CSR)

- 16.1. Your Bank is committed to its Corporate Social Responsibility by contributing to the society. In this endeavour, Bank has set up the ‘Union Bank Social Foundation’, a Trust established for spearheading your Bank’s CSR initiatives. Through the trust, the Bank is engaged in empowering people through various developmental initiatives.
- 16.2. Also, while discharging the corporate social responsibilities; the Bank makes a conscious effort to address some of the socio-economic deprivations. This is done by identifying the villages for extending banking facilities and thus improving the quality of life there. The Bank has set up

201 Village Knowledge Centres (VKCs) across the country. Each VKC assists in overall development of Village by coordinating with various developmental agencies / government departments and disseminate knowledge to farmers about latest developments in methods of cultivation, technologies, proper use of fertilizers, pesticides, etc.

16.3. Your Bank patronizes 14 Rural Self Employment Training Institutes (R-SETIs) and 24 Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCCs) across the country. During the year, 345 training programmes were conducted through these facilities, under which 9,862 persons received training and 6,172 beneficiaries have been settled with gainful employment. Your Bank was the first to open a branch at Jayapur, the village adopted by Prime Minister of India and the branch is functioning exclusively with solar power.

16.4. During the year 2014-15, Bank spent a total of ₹ 20.6 crore by way of donation. This included ₹ 2.6 crore under the Prime Minister's Relief Fund for helping the flood affected state of Jammu & Kashmir.

17. Acknowledgement

17.1. The Board places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Central Vigilance Commission and other institutions for the valuable guidance and support received from them. The Board also acknowledges the unstinted support of the financial institutions, correspondent banks, valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders. The Board also expresses its deep appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff in the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,

(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Dated: 21st May, 2015

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Global Economy

1.1. Global economy remained mired in concerns of stagnation and low inflation in 2014. Euro zone, for instance, witnessed another round of easing to obviate deflation risks as the European Central Bank announced monthly purchases of £60 billion worth securities, beginning March 2015 which could well be carried till September 2016; effectively a stimulus of over £1.1 trillion. Global financial stability risks increased in second half of the financial year (FY) 2014-15, with risks shifting from advanced economies to emerging market economies (EMEs), from banks to shadow banks, and from solvency to market liquidity risks. Disinflationary forces strengthened as oil and commodity prices dropped. Crude oil prices began a sharp decline since June 2014 and more than halved by the year end (from US\$ 115 per barrel to below US\$ 50 per barrel). Although it benefited commodity and oil importing countries, it increased financial risks in some exporting countries and in the oil sector. As a result of these developments, inflation expectations and long-term bond yields have fallen. Meanwhile, expectations of the U.S. policy rates rising in late 2015 have sparked rapid appreciation of the US Dollar. The EMEs are caught in these global cross-currents and face higher risks, as companies that borrowed heavily in international markets could face balance sheet strains.

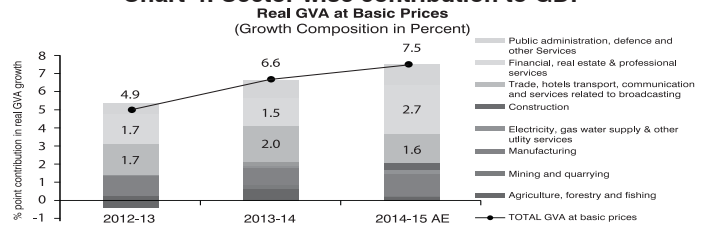
1.2. The International Monetary Fund (IMF), in its latest update of World Economic Outlook (WEO), expects global growth to be 3.5 per cent and 3.7 per cent in 2015 and 2016 respectively. It is because of weakening growth prospects in China, Russia, the euro area, and Japan as well as weaker activity in some major oil exporting countries because of the sharp drop in oil prices. The United States is the only major economy for which the IMF has raised its growth projection. The US Federal Reserve anticipate that real activity is likely to expand somewhat faster than its potential in coming quarters, thereby promoting further gains in employment and declines in the unemployment rate.

2. Domestic Economy

2.1. India, with a GDP of US\$ 2.1 trillion, however, stands a marked contrast to its own reflection a year ago. Growth has been rising, fiscal and current account balances moderate, exchange rate stable and most importantly inflation has been brought down to levels conducive to macro stability.

2.2. According to the new 2011-12 base year series of GDP estimates released by the Central Statistics Office (CSO), growth in real GDP (at market prices) in fiscal year (FY) 2013-14 stood at 6.9 per cent as against earlier estimates of 5.0 per cent based on the 2004-05 base year. Further, the CSO has projected India's GDP rising to 7.4 per cent in the FY 2014-15 in its advance estimates (AE) released in February 2015.

Chart-4: Sector wise contribution to GDP

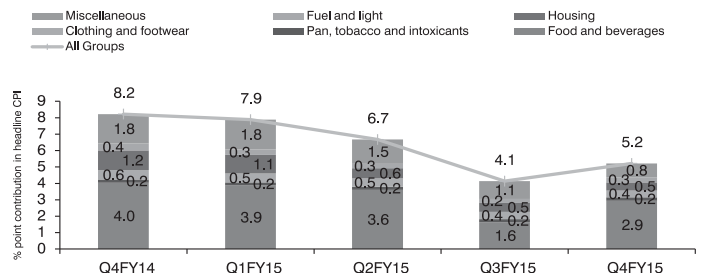


GVA=Gross Value Added

2.3. Inflation

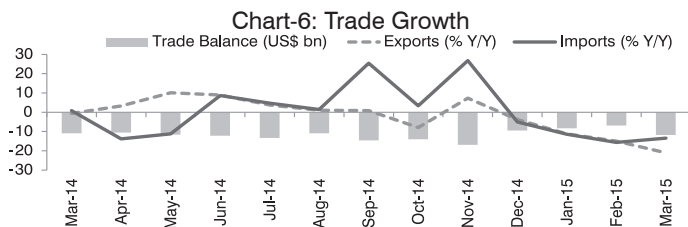
Weak demand conditions in economy, stabilizing currency, decline in commodity prices, particularly of crude, slower increase in rural wages as also minimum support price (MSP) of food crops, and better food distribution management have brought disinflationary pressures in economy. Wholesale price index (WPI) based build up inflation rate in Apr-Mar, FY 2014-15 was (-) 2.3 per cent compared to a build up rate of 6.0 per cent in the corresponding period of the previous year. Retail level inflation, as measured by consumer price index (CPI) noted at 5.2 per cent in March 2015, lower than 8.2 per cent in March 2014. The CPI excluding food & fuel items, i.e. Core CPI inflation remained at 4.1 per cent in March 2015 as against 8.0 per cent in March 2014.

Chart-5: Contribution in CPI Inflation



2.4. External Sector

2.4.1. India's merchandise exports stood US\$ 310.5 billion during FY 2014-15, registering a contraction of 2.5 per cent over the same period last year, while imports was US\$ 447.5 billion registering a contraction of 0.7 per cent thus leaving a trade deficit of US\$ 137.0 billion in FY 2014-15 which was higher than the deficit of US\$ 135.8 billion during FY 2013-14. Amid fragile external demand conditions price realizations by exporters have been eroded, despite export volumes going up. With the Indian rupee gaining in real effective terms, export margins are coming under pressure for those exporters without substantial imported inputs.

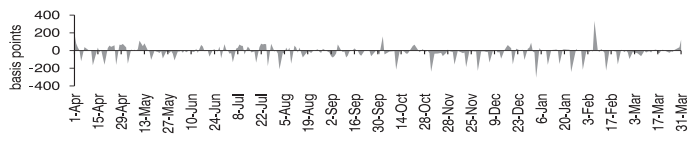


2.4.2. With India's forex cover to imports rising to above 9 months and current account deficit staying below 2 per cent of GDP, Indian currency has turned more stable. Rupee ended the FY 2014-15 at 62.6/US\$ with 4.1 per cent annual loss in value against US\$ following 10.5 per cent annual loss it incurred in FY 2013-14. In real effective terms, however, the rupee appreciated over its level at the end of March 2014 on account of persisting inflation differentials vis-à-vis trading partners.

2.5. Liquidity Conditions

In the money markets, liquidity situation eased considerably since October 2014 due to structural and seasonal factors, including deposit mobilization by banks outpacing credit growth. The expenditure/transfers by the government also helped in improving the market liquidity. The shift in the monetary policy stance steered by two cuts in the policy repo rate enabled interest rates to ease further during the last quarter of FY 2014-15. It reflected in the weighted average call rates to remain close to the repo rate during the quarter.

Chart-7: Call rate spread over Repo rate



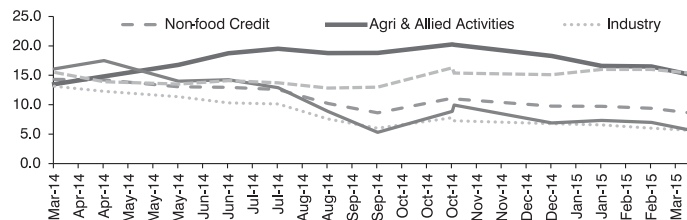
2.6. Banking Aggregates

2.6.1. As on March 20, 2015, scheduled commercial banks' (SCBs) deposits and advances grew by 11.4 per cent and 9.5 per cent respectively on annual basis. SCBs' investment in SLR securities noted 13.2 per cent annual growth. Credit-Deposit Ratio for the SCBs stood at 76.5 per cent.

2.6.2. Non-food bank credit increased by 8.6 per cent during the above period of 2014-15 as compared with an increase of 14.3 per cent during corresponding period of 2013-14. Credit to agriculture and allied activities increased by 15.0 per cent during 2014-15, as compared with 13.5 per cent increase during 2013-14. Credit to industry increased by 5.6 per cent down from an increase of 13.1 per cent during 2013-14. Deceleration in credit growth to industry was observed in all major sub-sectors, barring construction. Credit to the services sector increased by 5.6 per cent lower than the increase of 16.1 per cent during 2013-14, with deceleration observed in all major sub-sectors. Credit to NBFCs increased by 6.4 per cent during 2014-15 as compared with an increase of 13.2 per cent during the previous year. Personal loans increased by 15.4 per

cent as compared with increase of 15.5 per cent during 2013-14.

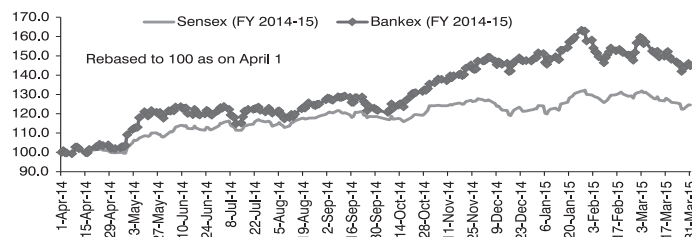
Chart-8: Sectoral Deployment of Bank Credit



2.7. Markets

2.7.1. Indian markets had a great run as benchmark Sensex gained 24.9 per cent in FY 2014-15, its best since FY 2009-10, while the Nifty rose 26.7 per cent. Banking sector index, Bankex, meanwhile, noted 43.2 per cent gains in FY 2014-15. If not for the losses in March 2015, Indian equities would have ended even stronger. Indian indices were among the better performing in the world, with significantly attractive valuations relative to fundamentals and the cross-country EME experience. Some of these gains were spared during January-March 2015 by pessimism triggered by fears of earlier than expected reversal in the US interest rate cycle, uncertainty relating to Greece and geo-political tensions in the Ukraine and the Middle East.

Chart-9: Market Performance



Performance of the Bank during FY 2014-15

3. HDR Framework as performance philosophy

Your Bank believes in three pillars that would define its position in the next stage of growth. These are H.D.R - Human Resources, Digital Banking and Risk Management. The HDR Framework would strengthen foundation of customer service excellence as well as good employer brand.

3.1. Human Resources: The first pillar is related to empowering our people across the operational networks. Your Bank will strengthen systems that would harness the skills and insights of people throughout the Bank; that would spark new ideas and enable simplification of processes and deliverables. Your Bank will invest in training and re-skilling of its employees in a manner which is relevant, efficient and result-oriented. The Bank will strengthen performance management system that clearly distinguishes a good performance and creates further opportunities for the individuals in career progression, incentive, placement, etc.

3.2. Digital Deepening: Today, e-savvy banks take greater share of payments made by customer. Going forward, the number of transactions facilitated by a bank will determine its market share in deposits. The Bank will endeavour to promote self-initiated transactions through Mobile and Internet Banking. With enhanced usage of techno interfaces, the Branches may re-invent themselves as sales-driven centres.

3.3. Risk Management: Your Bank has strong risk management practices which will be further strengthened. Your Bank will leverage technology to empower the process of risk philosophy in the Bank, covering all facets of banking covering loan origination, underwriting, collection & monitoring adherence to KYC-AML guidelines. This will also encompass deliverables for a risk-return trade-off in all our activities.

4. Resources Management

4.1. The global deposit of the Bank increased by 6.5 per cent from ₹ 2,97,676 crore as on March 31, 2014 to ₹ 3,16,870 crore as on March 31, 2015 showing an absolute accretion of ₹ 19,194 crore. CASA portfolio increased by ₹ 4,849 crore from ₹ 87,801 crore as on March 31, 2014 to ₹ 92,651 crore as on March 31, 2015 showing a growth of 5.5 per cent. The share of CASA to total deposit stood at 29.2 per cent.

4.2. The growth of SB deposits remained better than overall growth in deposits. SB deposits of the Bank increased to ₹ 71,558 crore as on March 31, 2015 from ₹ 65,098 crore as on March 31, 2014, witnessing growth of 9.9 per cent.

Table 7: Resource Mobilization				
(₹ crore)				
Parameter	FY 2015	FY 2014	Annual Growth	
			Absolute	%
Total Deposit	316870	297676	19194	6.5
CASA Deposit	92650	87801	4849	5.5
-Savings Deposits	71558	65098	6460	9.9
Term Deposit	224220	209875	14345	6.8

4.3. The Bank added 113 lakh CASA accounts during FY 2014-15. In addition, for strengthening existing relationship with customers, the Bank also activated 13 lakh dormant accounts.

4.4. The Bank launched Tabulous Banking during FY 2014-15, for enhancing customer convenience. This is tablet-based account opening system where staff of the Bank visits the place of individual for opening accounts. The Bank opened 35,000 accounts through Tabulous Banking currently active in 9 cities.

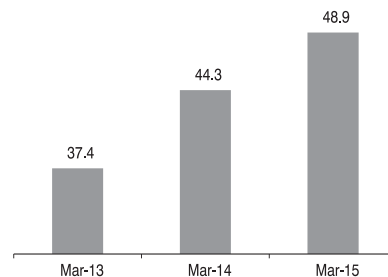
4.5. Moreover, the Bank was able to reduce high cost deposits during FY 2014-15. At the end of March 2015, share of high cost deposits in total deposits stood at 5.8 per cent compared to 12.6 per cent in the corresponding period previous year.

5. Credit Management

5.1. Gross advances of the Bank increased to ₹ 2,62,757 crore as of March 31, 2015, recording annual growth of 12.1 per cent during FY 2014-15. The Bank has focus on retail, agriculture and MSME sectors, which we call 'RAM' sectors as these provide stable and consistent growth opportunities for the economy. These sectors contribute significant share in employment, exports and overall growth, too. RAM sectors now contribute 48.9 per cent of domestic advances as on March 31, 2015, higher than 44.3 per cent as on March 31, 2014.

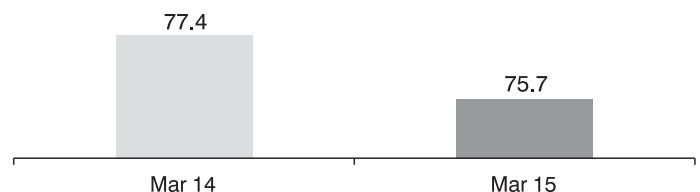
Table 8: Advances				
(₹ crore)				
Parameter	FY 2015	FY 2014	Annual Growth	
			Absolute	%
Gross Advances	262757	234332	28425	12.1
Retail Advances	31658	24931	6727	27.0
Agriculture Advances	31574	25614	5960	23.3
MSME Advances	54755	45372	9383	20.7
RAM sectors	117987	95917	22070	23.0

Chart- 10:RAM share to Domestic Advances



5.2. Centralized Processing Centres for MSMEs (SARALs) and Retail loans (ULPs) along with usage of credit information reports facilitated significant improvement in underwriting capabilities of the Bank. Further, the focus on RAM segment facilitated in diversifying the risks, while loans to these sectors generally carry lower risk weights, thereby also facilitating capital conservation. As a result, ratio of advances risk weighted assets (RWA) to gross advances of the Bank declined to 75.7 per cent as of March 2015 compared to 77.4 per cent in March 2014, leading to lower burn of capital. The RAM focus also boosts the objective of meeting priority sector lending targets.

Chart-11: Advances RWA to Gross Advances (%)

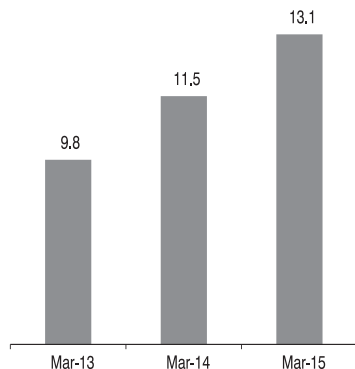


6. Retail Lending

6.1. Retail lending portfolio saw an impressive growth of 27.0 per cent during the year, from ₹ 24,931 crore as on March 31, 2014 to ₹ 31,658 crore as on March 31, 2015. Retail loans as per cent to domestic advances increased from 11.5 per cent as on March 31, 2014 to 13.1 per cent as on March 31, 2015. The retail portfolio diversified further as share of home loans reduced in total retail loans to 59.3 per cent from 61.9 per cent as on March 31, 2014. The shift towards other segment of retail was mainly mortgage loan which is secured and high yielding.

Table 9: Retail Loans				
(₹ crore)				
Schemes	FY 2015	FY 2014	Annual Growth	
			Absolute	%
Home Loans	18783	15424	3359	21.8
Auto Loans	2642	2199	443	20.1
Education Loans	2482	2219	262	11.8
Mortgage Loans	5390	3732	1658	44.4
Others	2361	1357	1003	73.9
Total Retail Loans	31658	24932	6726	27.0

Chart- 12: Retail Advances as % to Domestic Advances



The Bank introduced 'Smart Save' variant under Union Home scheme, wherein the borrower can withdraw an amount to the extent of over flow in the housing loan account facilitating saving in interest rate for borrower having surplus funds without loss of liquidity.

7. Agriculture

7.1. Agriculture is one of the thrust areas for the Bank. With focus on credit delivery to agriculture, agriculture advances increased by ₹ 5,960 crore, registering a growth of 23.3 per cent. As on March 31, 2015, agricultural advances stood at ₹ 31,574 crore covering 21.7 lakh borrowers. Direct agriculture advances recorded a growth of 26.9 per cent constituting 11.9 per cent of ANBC. During FY 2014-15, total disbursement of ₹ 18,990 crore was made under special

agriculture credit plan (SACP) registering an increase of 14.8 per cent over FY 2013-14. During the financial year, 2.9 lakh new farmers were extended finance by the Bank and 2.6 lakh additional kisan credit cards were issued with credit facility of over ₹ 3,481 crore. 86.3 per cent out of 4.23 lakh eligible farmers, i.e. 3.7 lakh farmers were issued ATM enabled KCC as on March 2015.

8. Micro, Small & Medium Enterprises

8.1. During the year, your Bank has ensured increased in the base of MSME clientele and hassle-free flow of credit to this sector by assuring quick turnaround time (TAT), credit delivery at affordable prices and customized products as per the requirements of the clients. While the Bank has large network for reaching out to MSME clientele across the country, in order to have special focus, your Bank has 700 dedicated business banking branches (BBBs) for credit delivery to MSMEs and 20 SARALs (Central Processing Centres) for speedy appraisal and sanction of MSME loans. These BBBs & SARALs have been established in potential centres across the country, so as to accelerate delivery of credit to MSMEs and for quicker decisions on sanction of loans to MSMEs. Your Bank's MSME portfolio stood at ₹ 54,755 crore registering an annual growth of 20.7 per cent at the end of the FY 2014-15. The share of the MSME lending constituted 23.1 per cent of the Bank's domestic advances.

8.2. Micro & Small Enterprises constitute 73.1 per cent of the total MSME portfolio. During the Financial Year 2014-15 your Bank has also conducted a series of mega credit campaigns for canvassing accounts of micro enterprises across all the branches in the country during the last fiscal. MSE portfolio stood at ₹ 40,031 crore, as on March 31, 2015, registering a growth of 22.7 per cent.

8.3. Your Bank has also formulated five cluster specific schemes for financing Ceramic / Vitrified Tiles (Rajkot), Footwear Manufacturer (Kozhikode), Merchant Traders (Bijapur), Cotton/Groundnut Traders/Processors (Rajkot), and Wheat Flour Mills (Chandigarh) during the period to boost up exposure under MSME segments. With this, the Bank now offers 43 client specific schemes to its MSME customers.

9. Corporate Credit

9.1. Your Bank has always supported the growth of large scale service & manufacturing enterprises which have nation-building roles. However, large corporate, unlike MSME have differing needs and therefore, the Bank has a dedicated large corporate vertical under which there are 9 specialized branches across the country for catering to their needs. These are called 'Industrial Finance Branches'.

9.2. However, corporates having threshold limits of above ₹ 200 crore and all Infrastructure proposals of borrowers of any other branch across the country, including their group accounts irrespective of number of accounts, are under purview of large corporate vertical.

Table 10: Mid and Large Corporate Advances				
(₹ crore)				
Particulars	FY 2015	FY 2014	Growth	
			Absolute	%
Mid & Large Corporate Advances	120471	116175	4296	3.7
w/w IFB Advances	78719	73496	5223	7.1

10. Priority Sectors

10.1. The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities. Priority sector advances registered a growth of 9.4 per cent and stood at ₹ 87,387 crore as on March 31, 2015 constituting 40.0 per cent of the adjusted net bank credit (ANBC).

Table 11 : Priority Sector Lending*				
(₹ crore)				
Schemes	FY 2015	FY 2014	Annual Growth	
			Absolute	%
Adjusted Net Bank Credit	218562	197646	20916	10.6
Priority Sector	87387	79869	7518	9.4
As % to ANBC	40.0	40.4	-40 bps	
Agriculture	35175	28769	6406	22.3
As % to ANBC	16.1	14.6	153 bps	
Direct Agriculture	25340	19875	5465	27.5
As % to ANBC	11.6	10.1	153 bps	

* Including RIDF amount

10.2. Lending to Specific sectors

10.2.1. Women Beneficiaries: With a view to promote entrepreneurs among the women and to make them self sufficient, your Bank encourages credit to women entrepreneurs. As of March 31, 2015, the Bank has financed 9.3 lakh women beneficiaries. Total outstanding loans to women beneficiaries have improved from ₹ 11,657 crore to ₹ 14,262 crore i.e. 6.5 per cent of ANBC against benchmark of 5.0 per cent set by Gol/RBI. During the FY 2014-15, the Bank has launched a new scheme named as "Union Nari Shakti" for women entrepreneurs engaged in any kind of activity coming under the Micro & Small Enterprise (MSE). The scheme featured low interest MSE loan with zero processing fee and no collateral of loan up to ₹ 1 crore.

10.2.2. Minority Communities: In line with Government of India directives on welfare of minority communities, your Bank is extending finance to the minority communities such as Sikhs, Muslims, Christians, Zoroastrians, Buddhists and Jains. During FY 2014-15, the Bank has recorded growth of ₹ 2,202 crore to minority community borrowers, registering a growth of 26.6 per cent to record an outstanding of ₹ 10,482 crore.

10.2.3. Weaker Sections: Your Bank has been actively participating in financing for weaker sections of the society. The Bank's finance to weaker section has improved from

₹ 20,334 crore to ₹ 23,069 crore, registering a growth of 13.5 per cent to reach a level of 10.6 per cent of ANBC against benchmark of 10.0 per cent set by Gol/RBI.

10.3. Self Help Groups

10.3.1. The scheme of micro credit through Self Help Groups (SHGs) is an effective instrument providing assistance to the poor by creating self employment opportunities and making them credit worthy. During the year, the Bank has formed 40,111 SHGs and credit linked 27,485 SHGs. As of March 2015, outstanding loans to SHGs stood at ₹ 1,707 crore.

10.3.2. Considering the role played by SHGs in empowerment of women, the Bank is focusing on formation and financing of women SHGs (WSHGs). As per the directives of the Ministry of Finance, the Bank is implementing the WSHG scheme for women empowerment in 4 identified districts of the country viz. Rewa, Sidhi, Chandauli & Jaunpur.

10.3.3. The Bank is also implementing the interest subvention scheme under national rural livelihood mission (NRLM) for the benefit of Women Self Help Groups in 150 identified Districts.

10.4. Rural Self Employment Training Institute (RSETI)

10.4.1. With the aim of mitigating the unemployment problem among the rural youth, the Bank has established 14 RSETIs in as many districts where the Bank has lead bank responsibility. During FY 2014-15, these RSETIs conducted 345 training programmes and imparted training to 9862 candidates. Out of the above trained candidates, 6172 candidates have been settled with gainful employment with a settlement rate of 62.6 per cent.

10.4.2. As per assessment of the Ministry of Rural Development, out of 14 RSETIs, 10 RSETIs received "AA" grade while 4 RSETIs received "AB" grade during the FY 2013-14.

10.5. Lead Bank Scheme

10.5.1. Your Bank has the lead bank responsibility in 14 districts spread over 4 states as given below:

Table 12: Position under Lead Bank Scheme		
S. No.	State	District
1	Bihar	Khagaria and Samastipur
2	Kerala	Ernakulam and Idukki
3	Madhya Pradesh	Rewa, Sidhi and Singrauli
4	Uttar Pradesh	Azamgarh, Bhadohi, Chandauli, Ghazipur Jaunpur, Mau, and Varanasi

10.5.2. The Bank has a network of 634 branches in these lead districts. In FY 2014-15, the Bank's deposits in these districts increased to ₹ 31,126 crore and advances to ₹ 10,760 crore as against level of ₹ 25,977 crore & ₹ 8,914 crore under deposits and advances respectively in the previous year.

11. Financial Inclusion

11.1. The Bank made continuous and sustainable progress in the areas of financial inclusion. The Bank has 231.6 lakh FI accounts (including BC model branchless accounts) with deposit of ₹ 1,235.4 crore, out of which 45.9 lakh accounts were opened under Pradhan Mantra Jan Dhan Yojana (PMJDY) during FY 2014-15. Under PMJDY, your Bank was allotted 5,407 rural sub-service areas (SSAs) comprising 18,396 villages.

Table 13: Progress under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)	
Parameters	Achievements of the Bank
Villages covered	18396
Sub Service Areas	5407
Urban Wards	2581
Accounts opened till March 31, 2015	₹ 46 lakh
Deposits	₹ 348 crore
RuPay Cards issued	45 lakh
Aadhaar Seeding	12 lakh

11.2. Micro-loans

11.2.1. The Bank has disbursed Micro Loans of ₹ 1,956.7 crore under BC Model to JLGs/SHGs. Total Micro loans outstanding as of March 2015 are ₹ 971.8 crore.

11.2.2. Under BC Model, the Bank has devised two products for lending to Self-Help Groups and Joint Liability Groups and are successfully implemented with no/meagre overdue.

- Shree Kshetra Dharmashtala Rural Development Project (SKDRDP), SHG Groups:** Under Shree Kshetra Dharmashtala Rural Development Project (SKDRDP), 70,905 groups have been linked with total disbursements of ₹ 1,344.47 crore. As on March 31, 2015, outstanding is ₹ 816.8 crore with no overdue as SKDRDP provides 100 per cent loan recovery assurance.
- Pragati: (Women JLG Groups):** This scheme is operational with support of FINO. The Bank has extended loans of ₹ 651.2 crore to 1,03,122 women JLGs wherein outstanding as on March 31, 2015 is ₹ 155.0 crore out of which ₹ 0.4 crore is overdue. FINO provides 99 per cent loan recovery assurance.

11.3. Micro-Remittances

11.3.1. The Bank has opened 15.80 lakh accounts over biometric cards and on mobile platform under the Micro Remittance Project. During March 2015, 1.60 lakh number of transactions of remittances amounting to ₹ 26.08 crore were handled.

11.4. Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL)

11.4.1. Government of India is implementing direct credit of subsidy in the accounts of LPG beneficiaries. The scheme is also being implemented in lead districts of the Bank viz: Ernakulam and Idukki in Kerala with effect from September

01, 2013 and Rewa in Madhya Pradesh with effect from January 01, 2014. The Government has now again started crediting DBTL Gas Subsidy directly in the Bank accounts in 54 Districts from November, 15, 2014 and pan India from January 01, 2015.

11.5. Direct Benefit Transfer (DBT)

11.5.1. Government of India has started implementing direct benefit transfer (DBT) in 43 districts from January 01, 2013 and extended it to 78 more districts from July 01, 2013. Your Bank has presence in 113 districts. The transactions for DBT and DBTL are as under.

Table 14: Progress of DBT and DBTL						
Period	Transaction Initiated at Union Bank branches received from other banks				Credit	
	Total Records received as Sponsor Bank	Amt in lakh ₹	Success Records	Amt in lakh ₹	Records received as Destination Bank	Amt in lakh ₹
FY 2014-2015	18,133	387.38	15,106	307.36	4707045	16,348.27

11.6. Financial Literacy Initiatives

11.6.1. Your Bank has so far established 26 Financial Literacy & Counselling Centres (FLCCs). All in our 14 lead districts and other districts of Kerala through these FLCCs 40,113 individuals have been counselled in 2,168 village camps organised to create awareness about financial literacy and banking services amongst rural folk. 17,589 persons were brought to banking fold by opening their accounts.

11.6.2. The Bank also implemented Thursday as non public working day for rural branches for organising financial literacy camps, follow-up and recovery in NPA accounts, follow-up of other accounts including opening of accounts under PMJDY etc.

11.6.3. The Bank has launched a unique initiative in this direction on January 01, 2015 and conducted 60 financial literacy camps in eastern Uttar Pradesh in collaboration with Indian School of Micro Finance for Women (ISMFW). In these camps, the Bank provided financial literacy to around 15,000 participants of which 80 per cent were women and to spread the awareness on linkages, benefits and entitlements under PMJDY. Each camp had participation of about 250-300 women and the duration of each camp was about 4 hours. The participatory tools and training aids included videos, films, plays, posters, FAQs etc. and were conducted by trained personnel of ISMW. The participants were also provided some handbooks.

11.7. Union Adarsh Gram Yojana

11.7.1. Your Bank has adopted 210 villages under Union Adarsh Gram Yojna (UAGY) for overall development of the villages. The objective of scheme is to adopt backward villages coming under the command area of our rural and semi-urban branches and to develop these villages in integrated manner as a model village in the district. The scheme extends to several activities through involvement of the Bank in various social economic

development programmes launched by the Central & State Governments and Local self Government bodies. These activities include adoption of five girl children in each of the UAGs to help a needy and meritorious girl child from backward class/minority community/BPL family with financial aid for completing studies till standard XII, making available drinking water and sanitation facilities to all the residents, financial inclusion for all by making the villages 100 per cent banking habit village & credit linkage of all the households with the Bank, provision of toilets, water filter and electrical fans in schools and construction of bus stand shed and seating arrangement.

11.8. Regional Rural Banks (RRBs)

11.8.1. Your Bank sponsors Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi. It has network of 415 CBS Branches, spread over 8 districts of eastern U.P. namely, Varanasi, Azamgarh, Jaunpur, Ghazipur, Chandauli, Mau, Bhadohi and Ambedkar Nagar.

11.8.2. Business of KGSGB has increased to ₹ 9,803 crore with a growth of 8.4 per cent during FY 2014-15. Deposit stood at ₹ 7,641 crore with 61 per cent as CASA deposits. Advances stood at ₹ 2,162 crore, out of which priority sector advances contributes 80.0 per cent, while agriculture advances contributed 51.0 per cent.

11.8.3. KGSGB Bank is continuously progressing in adoption of the technology. During FY 2014-15, additional 18 ATMs have been installed, taking the tally to 41 ATMs, including a talking ATM. The RRB has introduced ATM enabled KCC for the benefit of farmers. RTGS/NEFT service and Digital Authority Cheque system have also been introduced to facilitate faster service delivery. KGSGB is also in the process of introducing Mobile Banking shortly. At present, SMS alert for regular transactions and SMS banking facility are being provided.

12. Treasury

12.1. The treasury division handles domestic treasury operations, forex operations, fixed income, derivative products, equity and other alternate asset classes. Treasury is equipped with a state-of-the-art dealing room with all facilities to extend all types of treasury services to its clients spread across the country.

12.2. The gross investment portfolio of the Bank stood at ₹ 94,497 crore as of March 2015 as against ₹ 94,169 crore as of March 2014. The investment portfolio comprises investments made in government securities, state development loans and other approved securities for maintenance of statutory liquidity ratio (SLR) and non-SLR investments like equity shares, corporate debentures, PSU bonds, commercial papers, certificate of deposits, mutual funds, venture capital funds, subsidiaries and joint ventures.

12.3. The average yield on investment, as of March 2015 was 7.56 per cent against 7.54 per cent as of March 2014. Average yield on interest bearing securities as of March 2015 was 7.89 per cent against 7.85 per cent for the last year. During FY 2014-15, profits on sale of investment

and exchange earnings were ₹ 709 crore and ₹ 625 crore respectively, compared to ₹ 486 crore and ₹ 436 crore respectively during the previous year.

13. Domestic Foreign Business & International Banking

13.1. Domestic Business: The export credit stood at ₹ 9,982 crore as on March 31, 2015 compared to ₹ 10,041 crore as on March 31, 2014. The Bank has categorized three branches as authorised forex dealing branches for undertaking trade finance business during 2014-15 and proposes to categorize six branches during 2015-16 to make forex services accessible locally to more customers. Your Bank opened one NRI cell at overseas branch, Delhi to cater to the NRI customers in Delhi zone. The Bank's NRI deposits increased to ₹ 18,237 crore as on March 31, 2015 from ₹ 15,899 crore as on March 31, 2014 registering an annual growth of 14.7 per cent.

13.2. Overseas Business: The total business of the Bank from overseas operations at Hong Kong, Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and Antwerp, Belgium branches increased by 11.8 per cent over the year to US\$ 4,189 million as on March 31, 2015.

Table 15: Overseas Operations

(Amount in US\$ million)				
Particulars	FY 2015	FY 2014	Annual Growth	
			Absolute	per cent
Overseas Deposits	742	812	-70	-8.6
Overseas Advances	3447	2935	512	17.4
Total Overseas Business	4189	3747	442	11.8

13.3. During the year the Bank opened an overseas Branch at Antwerp in Belgium and operationalized overseas subsidiary named Union Bank of India (UK), London. The branch at Antwerp has crossed a business level of US\$ 200 million with a net profit of US\$ 0.7 million. The subsidiary at London has also crossed a business level of US\$ 120 million with an operating profit of US\$ 2.3 million. Your Bank has four representative offices at Shanghai (China), Abu Dhabi (UAE), Beijing (China) and Sydney (Australia).

14. Asset Quality Management

14.1. Banking sector is a mirror image of the economy. The previous financial year was challenging year in terms of maintaining asset quality as most of the issues were related to clearances and approvals. As per the financial stability report of RBI, the gross non-performing advances (GNPAs) of SCBs as a percentage of the total gross advances increased to 4.5 per cent in September 2014 from 4.1 per cent in March 2014. The net non-performing advances (NNPAs) as a percentage of total net advances also increased to 2.5 per cent in September 2014 from 2.2 per cent in March 2014.

14.2. Despite the challenging environment, your Bank could curtail the level of NPA on account of focus on restricting slippages and increasing recoveries through regular and

effective follow-up. As a result, during the FY 2014-15, your Bank made cash recovery of ₹ 1,537 crore in addition to upgradation of accounts to the tune of ₹ 592 crore. GNPA's as a ratio of gross advances stood at 4.96 per cent as of March 31, 2015 as against 4.08 per cent as of March 31, 2014. Net NPA to net advances ratio stood at 2.71 per cent as against 2.33 per cent as of March 31, 2014. Provision coverage ratio stood at 59.23 per cent as of March 31, 2015 as against 59.89 per cent as of March 31, 2014.

- 14.3. While asset quality remained a major area of concern, the Bank made significant progress in the second half of the financial year 2014-15. Slippages declined for second consecutive quarter.

Table 16: Movement of NPA	
(₹ crore)	
Particulars	FY 2014-15
Gross NPAs (Opening)	9564
Additions	6527
Less, Reductions	3060
(I) Upgradation	592
(II) Recoveries	1537
(III) Write-off	931
Gross NPAs (Closing)	13031
Net NPAs	
-Opening	5340
-Closing	6919

- 14.4. During FY 2014-15, the Bank issued notices to 2905 customers under the SARFAESI Act, 2002 with aggregate amount of ₹ 2,340 crore and was able to recover ₹ 703 crore under the act during FY 2014-15. The Bank was also able to recover ₹ 217 crore through Debt recovery tribunals. Through the special schemes of your Bank, recovery was ₹103 crore and ₹560 crore under one time settlement schemes and special settlement schemes respectively.

15. Restructured Accounts

- 15.1. Amount outstanding under standard restructured advances as of March 31, 2015 was ₹ 13,658 crore compared to ₹ 12,353 crore as on March 31, 2014. The major parts of restructured assets in the Bank are loans to select State Electricity Boards (SEBs) and exposure to some stalled projects.

Table 17: Sector-wise Standard Restructured Assets				
S. No.	Sector	Amt (₹ crore)	% to Standard Restructured Assets	% to Gross Loan
1	Outstanding Standard Restructured Assets	13,658	100	5.2
	W/w			
a.	-SEBs	5663	41.5	2.2
b.	-Stalled projects	2082	15.2	0.8

16. Choice of Channels: Migration towards Digital Banking
Key Digital Banking Initiatives during the year:

16.1. Union Bank of India is vibrant in contributing to multifarious growth of the country by creating more opportunities and increasing penetration of technology driven financial services. Your Bank has been re-engineering itself with the changing dynamics of the needs of our customers and operating environment.

16.2. The structure of the industry is evolving with continuous developments in Information Technology. After becoming a first nationalized bank in implementing 100 per cent Core Banking Solutions (CBS) few years back, today history is repeated in the areas of Tabulous Banking. Along with the above initiatives, the Bank has undergone significant developments in providing electronic services via various delivery channels. Your Bank is now recognized more as technology driven bank.

16.3. New Initiatives

16.3.1. Tabulous Banking: The Bank has launched account opening through Tabulous Banking during the year. Tabulous banking is a novel way of opening a Bank account which enables a potential customer to open an account from the convenience of his or her home/office. At present, the Bank is providing this facility at 9 locations: Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Mumbai and Pune. This facility will be rolled to other locations in a phased manner. Through Tabulous banking, the Bank opened more than 35,000 accounts during the year.

16.3.2. Landline Bill Payment Service through any bank Mobile Banking application" for MTNL Subscribers: The Bank launched "bill payment service through mobile banking" for MTNL subscribers on October 13, 2014. Union Bank of India is the first Bank in the Industry to launch landline bill payment service through mobile banking using push based IMPS (Immediate Payment Service). Under this facility, subscribers of MTNL having mobile banking application of any bank can pay their bill using their respective bank's mobile banking application. Union Bank has allotted 9969009700 as the mobile number and 9026263 as the MMID (Mobile Money Identifier) for MTNL. A customer has to type mobile number and MMID of MTNL along with the bill amount and landline number for which payment is being made. There is real time validation of the data with the MTNL server and immediately account of customer gets debited and bill collection amount of MTNL gets credited. Customer gets an auto SMS for the transactions.

16.3.3. IRCTC Union Bank Prepaid Card: Your Bank, in association with IRCTC, launched IRCTC Union Bank RuPay Prepaid Card at the hands of Hon'ble Minister for Railways, Shri Suresh Prabhakar Prabhu on March 24, 2015. The Prepaid card is the first of its kind in the industry where both virtual as well as physical cards are being issued to the customer. Cardholders can book railway tickets at IRCTC website using the card. For every ticketing transaction there is a reward point to the cardholder which

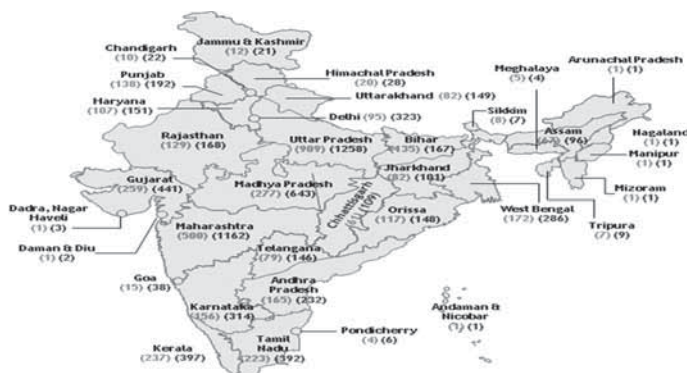
can be redeemed. Also the cardholder is eligible for a personal accident insurance cover of ₹ 1 lakh from NPCI. There is a facility of 24x7 reloading of the card both from Union Bank website and IRCTC website. The speed of transactions is faster compared to debit/credit card as the platform is on leased line.

16.3.4. RuPay Platinum Debit Card: The Bank has launched RuPay platinum debit card for its High Net Worth customers on March 19, 2015. This is a personalized photo debit card on RuPay platform of National Payment Corporation of India (NPCI). The card will allow the customers a higher cash withdrawal limit of ₹ 40,000 at ATMs and higher shopping limits at merchant locations, including online transactions of ₹ 60,000 with total limit of ₹ 1 lakh per day. The platinum debit card provides personalized accident insurance cover from NPCI for a sum of ₹ 2 lakh.

16.4. Your Bank offers a choice of channels to customers. These include traditional branch network, ATMs, mobile banking, internet banking as well as call centre.

16.5. Your Bank has a well spread network of branches in India. During the year number of domestic branches increased by 211 to 4,078 branches.

Chart 13: Pan India Presence



#Domestic Branches (4,078) # ATMS (7,020)

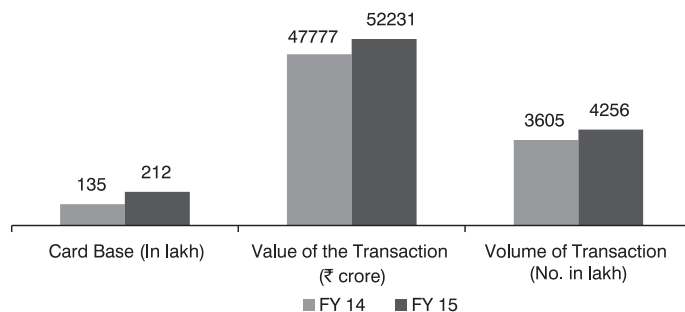
16.6. 591 ATMs were opened during the year thus increasing the ATM network to 7,020 as on March 31, 2015, from 6,429 ATMs in the previous year. The ratio of ATM to branches further improved to 1.72 as of March 31, 2015 from 1.66 as on March 31, 2014. The network of talking ATMs has increased to 1,706 as of end March 2015.

Table 18: Network		
	March 2015	March 2014
Total Branches	4081	3871
-Overseas Branches	3	2
ATMs	7020	6429
-Talking ATMs	1706	1066
ATM to branch ratio	1.72	1.66

16.7. ATMs and Cards: Your Bank has a wide network of 7020 ATMs pan India and 211 lakh Debit cards as on March 31, 2015. The Bank is providing series of remittance products

such as NEFT, IMPS, card-to-card transfer on ATM. The Bank has also introduced Platinum credit card to its existing VISA credit card variants and implemented loyalty programme for debit and credit card holders. Customer can enjoy the privilege of earning reward points on all transactions made through the Bank's debit & credit cards at POS and E-commerce outlets.

Chart 14: Card Base and Transaction through Cards



16.8. Internet and Mobile Banking: The Bank has launched mobile banking application for Android/iPhone /iPad users. The IMPS service that enables customers to make inter-bank fund transfers through mobile on real time basis is now available on all three channels viz. ATM, mobile banking and internet banking. The IMPS P2A (person to account) transfer through both internet banking and mobile application has also been enabled. Also, the Bank has implemented payment gateway solutions on college/university portals to collect fee payments.

Chart 15: User Base of Alternative Channel

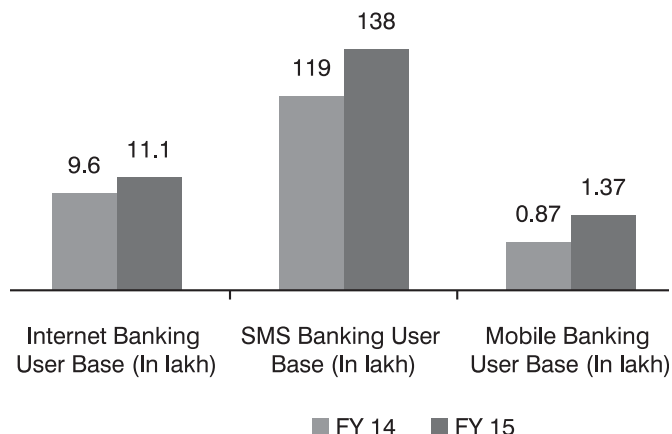
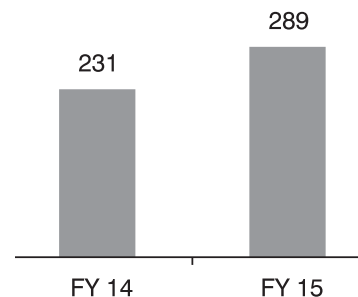


Chart 16: Income from Alternative Channels (₹ crore)



17. Transaction Banking

17.1. Currency Chest: At present, the Bank has 66 Currency Chests and is in the process of establishing 13 more currency chests. Your Bank has completed the exercise of providing Note Sorting Machines to 1619 branches having average receipts of more than ₹ 30 lakh per day. The Bank has also installed 61 Coin Vending Machines (CVMs) in various branches across the country.

17.2. Cash Management Services (CMS): Your Bank caters to the specific corporate requirement of receivables & payables management at a high speed, with minimal cost, supported by a customised MIS. The CMS division mobilized 115 new connections under various CMS products and earned a total income of ₹ 29.8 crore during FY 2014-15. CMS payment hub carried out 5 lakh payments per month worth ₹ 740 crore on an average, which includes entire salary payment of Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, NREGA payments, and payments of labour welfare offices. All Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) payments under Enterprise Resource Planning (ERP), for 8 states are carried out by CMS providing us with considerable float and fees. The virtual account services for catering inward NEFT/RTGS done for Lions Club International, Delhi Development Authority (DDA), etc has added valuable CASA to the Bank. Your Bank has launched National Automated Clearing House (NACH) services as part of CMS collections as a sponsor bank on a business model.

17.3. Merchant Banking: The Bank has made available ASBA (application supported by blocked amount) facility for applying in Public Issues through internet banking and also extended the facility of registration of applicant and their details. Your Bank obtained the permanent registration for merchant banker and banker to issue activities and has been handling of payment and collection assignments of corporate clients/PSUs.

18. Third Party Product Distribution

18.1. Your Bank also distributes “third party products” through its branches. The Bank offers to its customers life insurance products of its joint venture, Star Union Dai-ichi Life Insurance Company. For non-life insurance products, the Bank has a tie-up with New India Assurance Co. Ltd. Similarly, for Health Insurance, the Bank has distribution tie-up with Religare Health Insurance Co Ltd. Bank also offers mutual fund products to its customers as an agent of its subsidiary, Union KBC Asset Management Company Limited. The Commission income earned by the Bank from sale of Insurance & Mutual Funds during the year stood at ₹ 42.39 crore.

19. Information Technology

19.1. Information Technology in banking sector has brought lot of innovation which has resulted in facilitating your Bank's customers for better services and ease of use. This year also your Bank has implemented various technology-led projects.

19.2. The Bank has re-defined and re-engineered the banking processes and has put a ceaseless endeavour to ensure sophisticated services to customers with the continuous product and services innovation through Branch Network, ATMs, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Cheque Truncation System and Call Centre. The Bank has a robust lending automation system (LAS) for faster processing of loan with shorter turnaround time with real-time integration of customer data with CIBIL for better credit assessment of customers. In order to provide Banking services to unprivileged customers under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), your Bank has introduced FI gateway to handle FI transactions under single roof by integrating with the Bank CBS, multiple FI vendors system and UIDAI through NPCI for AEPS transactions including interbank transactions. Further, integration of different technologies & systems viz. eKYC, demographic verification, Kiosk banking with FI Gateway for providing banking services has also implemented. This robust technology infrastructure, enabled Bank to extend various schemes (saving bank, micro loan, overdraft facility, Aadhaar seeding, gas consumer ID linking, DBT/DBTL payments through APBS and insurance & pension products of Government) to serve FI customers. Your Bank has also enabled Aadhaar look up facility across all branches to view and verify Aadhaar mapping.

19.3. Your Bank has rolled out various initiatives to leverage automation, digitization, mobility, centralization and innovations in payments technology. Tabulous Banking, a tablet based extension of mobility for account opening facility has been deployed to enable the centralization of account opening process at the customer door step. Your Bank continue to innovate electronic channels and extended the banking facility such as card-to-card transfer, cardless cash deposit, online FD, IMPS (Immediate Payment Services), eCash remittance, blocking of debit card using SMS, Virtual Mobile number for SMS based pull services, e-Lobbies. In order to protect the environment and go green initiative, your Bank has enabled e-KYC solution to enable paperless KYC verification thereby dispensing the need of physical document verification along with enhanced security, authenticity and credibility along with digitization of the processes.

19.4. Your Bank is implementing enterprise data warehousing (EDW) with enhanced dashboards for decision making and customer relationship management (CRM) application with integrated complaint management, service request management and sales management, etc. This will enable the Bank to take strategic decisions through forecasting, profitability analysis, predictive modelling, customer segmentation, fraud detection, stress-testing and portfolio management. Your Bank has put in place well defined information security policy and implemented security measures to protect the Bank's assets and customer data. As a part of enhancing the information security of the Bank, your Bank data centre and DR Site is ISO27001:2005 and in the process of up-gradation of the information security standard to ISO 27001:2013.

20. Risk Management

20.1. Your Bank has a proactive approach towards risk management. Its risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. The Bank constantly endeavours to ensure that business function partners with the risk management function to enhance shareholder value and ensure judicious use of available capital.

20.2. Risk management is a Board driven function in the Bank with the supervisory committee of Board of Directors on risk management and ALM at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks.

20.3. The Bank addresses credit, market and operational risk through appropriate policies, organisation structure, risk management techniques, adequate systems, procedures, monitoring and reporting mechanisms. It has a well defined risk appetite statement and the independent risk function ensures that the Bank operates within its risk appetite framework.

20.4. Credit Risk Management

20.4.1. Credit Risk Management Committee (CRMC) oversees the credit risk function in the Bank. The Bank has strong credit appraisal and risk assessment practices in place for identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures. Credit risk policies, credit approving authority, prudential exposures limits, risk rating system, risk based pricing, portfolio management are the various instruments for management of credit risk. Credit risk team is also involved with credit rating and capital computation.

20.5. Credit Rating and Approval

20.5.1. Entire credit portfolio of the Bank is subject to internal credit rating. It has comprehensive internal rating models and scoring models for retail exposures. For corporate exposures there are separate models for credit risk assessment for different exposure segments. A centralized rating pool is also set up at central office to improve the rating quality, create a robust rating database and for better administration of rating models. Centralized rating pool is involved in validation and finalization of credit rating of the corporate borrowers which is initiated at the branch level. Credit ratings of the Bank are subject to comprehensive rating validation framework.

20.5.2. Your Bank has a standardized and well-defined approval process for all advances. It adopts a committee approach for credit sanctions and has credit approval committees at various levels.

20.6. Capital Calculation

20.6.1. The Bank has adopted standardized approach for credit risk and is gearing up towards complying with the minimum requirements set out for advanced approaches for credit risk. A capital calculation solution meeting IRB requirements is under implementation and the project for migration to FIRB is being implemented by the Bank with the guidance of a reputed external consultant. In order to

estimate credit risk components viz. probability of default (PD), loss given default (LGD), exposure at default (EAD) & maturity (M), the Bank has already put in place necessary frameworks and the process of accumulating data is on.

20.6.2. It continuously monitors portfolio concentrations by borrower, groups, sectors, retail schemes, industry, geography, etc and constantly strives to improve credit quality and maintain a risk profile that is diverse in terms of borrowers, products, industry types and geography.

20.7. Market Risk Management

20.7.1. Asset liability management policy, treasury policy and market risk policy aid the management in mitigation of market risk in the banking and trading books. Overall responsibility of managing the market risk lies with the asset liability committee (ALCO). The fundamental focus is to add value both from the earnings perspective and from the economic value perspective. The ALM desk and mid office of treasury manage the market risk in the banking and trading books respectively. The ALCO meets regularly and decides on the size, mix, tenor, pricing and composition of various assets and liabilities. It primarily does identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. The Bank ensures proactive liquidity management, develops stress-scenarios and also has a contingency liquidity plan in place. The Bank has an independent mid office positioned in treasury which reports to risk management. It ensures compliance in terms of exposure analysis, limit monitoring and calculation of risk sensitive parameters like value at risk, PV01, duration, defeasance period, etc.

20.7.2. Currently, market risk capital is computed under the standardized measurement method (SMM). Your Bank has implemented a solution for computation of value at risk (VaR) and also submitted its application to the Reserve Bank of India to migrate to the internal models approach (IMA) under the advanced approaches for market risk.

20.8. Operational Risk Management

20.8.1. Comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing operational risk. The Bank has in place a Board approved operational risk management policy based on Reserve Bank of India guidelines. All new products introduced by the Bank pass through a new product approval process to identify and address operational risk issues. Variations in existing products as well as risks in outsourcing activities are also reviewed. The Bank has compiled data relating to operational losses incurred during the last nine years and it is analysed for taking corrective measures so that these losses do not recur. Process has also been put in place to conduct risk and control self-assessment (RCSA) surveys and identify key risk indicators.

20.8.2. The Bank is currently following the basic indicator approach for capital computation under operational risk. The Bank has received approval from RBI for adoption

of “the standardized approach (TSA)” for operational risk on parallel run basis. ORM project for migration to AMA is being implemented by the Bank with guidance from external Consultant. A solution is also under implementation for capital computation under advanced approaches for operational risk.

20.8.3. As a good corporate governance measure, your Bank has formulated a disclosure policy to have greater transparency in its working. Recognizing the importance of business continuity planning (BCP), for minimizing the adverse effects of business disruption and system failure, the Bank has also put in place a BCP policy which provides a blueprint detailing a wide range of responses under disruptive environment to protect interest of its staff, customers and assets.

20.8.4. To comply with the Basel Pillar II norms, your Bank has put in place a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). It enables the Bank to internally assess and quantify the risks, which are either not captured or adequately captured under Pillar I, and also develop appropriate strategies to manage risks under normal and stress conditions. A comprehensive stress-testing framework as per the latest Reserve Bank of India guidelines has also been deployed, which helps to assess the strength of its risk management framework under exceptional, but plausible events. The framework facilitates appropriate strategies to be put in place in the event of any adverse circumstances.

20.9. Performance Evaluation and Profitability Management

20.9.1. The Bank has been forerunner among public sector banks in enhancing its performance evaluation system. It has implemented a robust and scientific fund transfer pricing system i.e. matched fund transfer pricing (MFTP). This system driven transfer pricing mechanism enables transfer pricing at the most granular level i.e. at account level and the transfer rates are also linked to market rates. This system facilitates centralization of interest rate risk at the central funding unit (CFU), where it can be better managed. Your Bank has also implemented a module for cost and income allocation which will enable measurement of profitability under various business dimensions. This would pave the way for risk based performance measurement in future.

20.10. Implementation of Basel – III

20.10.1. The Bank has been proactively conducting internal assessment of adequacy of capital, liquidity ratios and leverage ratios in accordance with Basel-III standards. It has been participating in the quantitative impact study (QIS) carried out by RBI to assess the impact of Basel-III guidelines since 2010. The disclosure norms under Basel-III are also being complied with. Your Bank’s capital position is in compliance with Basel-III expectations, well above the minimum requirements. Projections of capital adequacy as per Basel-III guidelines are also carried out as a part of internal capital adequacy assessment process (ICAAP) and avenues for capital raising are also evaluated and planned.

20.11. Group Risk Management

20.11.1. The Bank participates in diversified financial services like banking, securities and capital markets, insurance and retail asset businesses. The Bank is in the process of putting in place a framework / policy for assessment of risks in its group entities, internal controls and mitigation measures, and capital assessment, under normal and stressed conditions with the assistance of a reputed external Consultant. The Bank through its group risk management policy, aims to achieve an enterprise-wide approach to ensure that key aspects of risk that have a group-wide impact are considered in its conduct of business.

20.12. KYC-AML

20.12.1. The Bank has taken various measures to strengthen know your customers-anti money laundering (KYC-AML) compliance like issuing notices in vernacular languages, advertisements in local newspapers, incorporation of additional features for customer profiling in the account opening form etc. Special training sessions / workshops on KYC-AML are conducted and one session on KYC-AML introduced in all internal trainings to sensitize all staff across the Bank. Sensitisation programmes are also conducted for branches to ensure timely detection and reporting of counterfeit currency notes. Your Bank has implemented a money laundering software to generate alerts to facilitate detection of suspicious transactions and submission of various reports to regulatory authorities. The Bank continuously strives to improve the compliance on KYC-AML.

20.13. Fraud Risk Management

20.13.1. The Bank has adopted a fraud risk management policy for the reporting and monitoring of fraud cases. Field functionaries are also sensitized about the steps to be taken to prevent frauds. Fraud review council meeting is conducted for analyzing the modus operandi adopted in frauds/attempted frauds and corrective actions are suggested to the field functionaries through concerned verticals.

20.14. Information Technology Risk

20.14.1. The Bank has implemented an information security policy, which is in line with RBI and GoI guidelines. Information security policy (ISP) ensures that information and information systems are protected from unauthorised access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction in order to provide confidentiality, integrity, and availability.

20.14.2. Your Bank has implemented multi-layered security architecture to protect the Bank’s critical business assets. The Bank has put in place security operations centre (SOC) for 24x7x365 monitoring of information infrastructure from various attacks and threats. Disaster recovery drills are conducted regularly as part of implementation of business continuity plan (BCP).

20.14.3. The Bank has implemented ISO 27001 information security management system (ISMS) framework for data centre and disaster recovery site to achieve effective information security governance.

20.14.4. Your Bank conducts regular information security awareness programmes for employees, third party vendors, contractors and information security precautions are communicated to the customers also.

21. Compliance Function

21.1. A robust compliance system is in place with a well documented compliance policy that outlines the compliance philosophy of the Bank. The focus of compliance function is on bank-wide adherence to regulation compliance, statutory compliance, compliance with fair practice codes and other codes prescribed/ suggested by self regulatory organisations, government policies, the Bank's internal policies and prevention of money laundering and funding of illegal activities.

21.2. The compliance policy is reviewed annually. The role & responsibility as regards compliance function is clearly defined for every tier in the Bank. A well established reporting system also exists to ensure compliance of regulatory and statutory compliance through self certification process by which compliance certificate is submitted by branches to the higher offices. This system is also in place for verticals in central office. The audit committee of the Board and the Board are appraised at monthly/quarterly intervals about important communications received from RBI/MOF/SEBI etc & status of compliance thereon. A comprehensive database on various compliance related issues is being developed.

22. Human Resources Management

22.1. Your Bank continued its journey towards becoming a customer-centric organisation with an employee-friendly approach. The Bank lays great stress on improving organisation efficiency, through effective harnessing of resources, careful workforce management and integration of best practices & systems. The Bank has been endeavouring to provide competitive conditions of employment, conducive work environment including gender equality and balance, opportunities for professional development, work-life balance and a family-friendly living environment ultimately becoming an employer of Choice.

22.2. Manpower Strength: The total Manpower of the Bank as on March 31, 2015 stood at 35514. The following are the details of category of employees.

Table 21: Category of Employees

Category	Officers	Clerks	Sub-staff	Total
Total Employees,	18290	11731	5493	35514
Of which				
Scheduled Castes (SCs)	3129	2495	2058	7682
Scheduled Tribes (STs)	1290	697	480	2467
Other Backward Classes (OBCs)	4210	2954	1365	8529
Memo Items:				
-Persons with Disability (PWD)	239	192	89	520
-Ex-Servicemen	184	844	667	1695
-Women	3836	3269	785	7890
-Minority Communities	1461	1019	431	2911

22.3. Recruitments & Promotion

22.3.1. The Bank recruited 3,822 employees comprising 885 probationary officers, 552 specialist officers, 2,299 clerks and 86 subordinate staff during 2014-15. With these recruitments, your Bank has become younger with average age of employee coming down to 40 years. During the year, 1,396 officers/employees were elevated to next higher grade.

22.4. Reservation policy

22.4.1. Your Bank continued to implement the Government of India's Reservation Policy in letter and spirit. The reservation rosters reflecting the representations of various reserved categories has been updated upto the recruitment year 2013 and inspected by the chief liaison officer in the Bank as well as in the Ministry of Finance. Efforts were continued to be made to resolve all the grievances of the various reserved categories and to maintain a cordial relations with them as also to assist in their career progression.

22.5. Policies and Schemes

22.5.1. To match with the organisational requirements, need-based amendments were carried out in the Bank's recruitment and training policies.

22.5.2. As a family-friendly welfare measure, a revised 'scheme of appointment on compassionate grounds' based on the directives of the Government of India, was adopted by the Bank, with effect from August 05, 2014, which will be beneficial to a dependant family member of the employees covered under the scheme.

22.6. Training

22.6.1. Investing in the development of the human assets of the Bank through relevant learning to enable optimal level of performance in their assigned duties, thereby reducing the skill gaps and filling up leadership spaces. Providing of effective induction training for the newly recruited staff members and formulation of a new Training Policy in accordance with the Bank's objectives, are some of the highlights of the performance of our Training System during FY 2014-15. A total number of 35,651 participants received relevant training programmes during the year through 1,032 programmes both at the Staff Training College and at various Staff Training Centres. During the year 57 Workshops, 286 Locational Programmes and 2 Credit programmes for the officials of the Kashi Gombi Samyut Gramin Bank (KGSGB), a Bank sponsored RRB. Besides this, 321 officials were nominated to programmes at reputed external training institutes.

22.7. Performance Management

22.7.1. Your Bank has been relentlessly striving to incorporate a balanced approach to attain growth and development thereby leveraging its human assets in order to achieve continuous excellence on the Business front. A complete revamping of the performance management system (PMS) has been undertaken by establishing clear links with the Bank's core values and strategic goals in a timely, transparent and fair manner. This system is expected to further stabilize in 2015-16 with a focus on time-line discipline.

22.7.2. Performance-Linked-Incentives: During the year, performance-linked- incentives for promoting excellence in workplace was disbursed to 2358 employees for their individual performances and to 492 branches, 7 regional offices and 1 Field General Manager's office for team performances, totalling ₹ 980.59 lakh.

22.7.3. Staff Facilities: During the year, certain staff facilities like staff housing loan, furniture loan and newspaper subscription to award staff etc., were introduced / made more attractive as an employee-friendly measure.

22.7.4. Terminal Benefits: The Bank continued to settle all the terminal dues like provident fund, gratuity, pension, leave encashment, death relief, group gratuity, etc., as the case maybe, in respect of the employees / officers immediately after their cessation of service in the Bank, as per the rules and procedures in force.

22.7.5. Staff Welfare: With an objective to meet the aspirations of our employees and in the process improve their involvement and efficiency, improvements were made in many of the employee-friendly staff welfare schemes during the year and efforts were made to utilise the maximum permissible amount of ₹ 25.00 crore.

22.7.6. Employee Suggestions: Through "Innovations", the Bank has provided a dedicated email link in its mailing system to motivate and create a sense of belongingness in the employees to encourage them to freely communicate with the top management and give their valuable ideas / views / suggestions for the betterment of the Bank in its product profile, procedures, customer service, etc. The suggestions received from them is screened / analyzed by a committee of senior executives at central office and the best suggestion is appreciated and efforts are also made to implement them in the Bank. Through this channel, an effort has been made to enhance the staff management relations.

23. Industrial Relations

The industrial relations scenario in the Bank continued to be cordial on account of the constant dialogue held with the majority trade unions and resolving all the contentious issues. Cases involving disciplinary matter were disposed of speedily in the most judicious manner with a human face.

24. Security

During the year under review, concerted efforts were made to enhance the level of security in the Bank by strengthening the security infrastructure, imparting training and carrying out extensive security inspections to improve the Security Standard of the branches. Security arrangements in 1806 branches were inspected by the Security Officers. As part of our thrust to add electronic surveillance, closed circuit television (CCTV) systems and anti-burglary alarm systems were installed in 211 additional branches. Emphasis was laid on security awareness among the staff members and accordingly short training capsules on 'security and fire safety' were conducted by the security officers in 1175 branches. 674 armed guards underwent refresher training

programmes, which included live firing practice. In order to enhance security supervision and ensure security compliance in branches and offices, 38 additional Security Officers were recruited and deployed at Regional Offices.

25. Official Language Implementation

During the year, your Bank took various measures to promote use of Official Language, like publication of Hindi book on "Grahak Sewa-Vividh Aayam", publication of comics in Hindi, "Kalpavriksh" on PM Jan Dhan Yojana, organising online Hindi competition on rajbhasha and banking for executives and staff members respectively to motivate them to use Official Language in their routine activities, production of 7 cartoon films in Hindi titled 'Khushhali', 'Aatmanirbharta', 'Surakshit Bhavishya', 'Main Hun Na', 'Sachcha Sathi', 'Banda Hazir Hai' and 'Kalpavriksh' to create banking awareness amongst children specially in rural areas. Ensured bilingualisation of MIS module as also implementation of Hindi in Union Chetna. The Bank also organised World Hindi Day on January 10, 2015 for executives in scale-V and above which was attended by 117 executives posted in Mumbai.

26. Internal Audit

26.1. In terms of the guidelines issued by the Ministry of Finance (MoF) and requirements on risk-based internal audit, your Bank has put in place a well defined internal audit policy and concurrent audit policy for 2013-15. Considering the needs, the risk based internal audit (RBIA) Policy was modified. During the year, management audit system was also aligned to the risk based internal audit by availing services of consultant for implementation of improved/ better system of management audit.

26.2. During the year 2014-15, audit of 3481 branches were conducted. Besides this, audit of 91 foreign exchange dealing branches, 128 audits of various currency chests, management audit of 62 Regional Offices, 10 Field General Manager's Office, 12 Central Office Departments and 1 RRB were also undertaken. During the year, under review audit offices have detected leakage of income to the tune of ₹ 129.2 crore, however, due to timely recovery action, pending leakage of income as at end March 2015 was only ₹ 17.2 crore. There has also been a considerable decline in number of branches with 'high' Control Risk from 15 during FY 2013-14 to 1 branch in FY 2014-15. There has also been a steep decline in number of pending special reports.

26.3. The audit committee of the Board of Directors met 11 times during the year 2014-15. It perused the audit reports and made suggestions for improving operating efficiency and strengthening the systems and control.

26.4. As per RBI requirements, concurrent audit has to cover not less than 50 per cent of the deposits as well as 50 per cent of advances and other risk exposure of the Bank on an ongoing basis. As of end March 2015, concurrent audit covers 58 per cent of deposits and 81 per cent of advances of the Bank. At present, 746 branches are under concurrent audit and also other verticals/departments like treasury functions, data centre are subjected to concurrent audit.

- 26.5. The Bank has been adopting technology in a big way and installed many information systems to support our business strategy/goals. In order to safeguard the critical information systems from various vulnerabilities, external/internal threats, periodical IS audit of all the information systems of the Bank was carried out for the year 2014-15. The IS Audit was partially outsourced and the remaining system were audited by the Bank's IS audit team. The audit observations raised were duly complied with to ensure confidentiality and integrity of the data and uninterrupted availability of the systems to the users. For the year 2014-15, while the IS audit of some critical branches, selection based on business mix, was conducted by the IS audit team of the Bank as per RBI requirement, the IS audit of the rest of the Bank's branches was conducted by the internal audit teams.
- 26.6. Based on the guidelines of the Ministry, your Bank has put in place a 2-tier offsite monitoring structure viz; central offsite monitoring cell and regional offsite monitoring cells at all Regional Offices. The OMC will give early warning signals on omissions, deviations and lapses with regard to transactions carried out at branches. Accordingly the OMCs are analyzing the alerts on daily basis to find out suspicious/irregularities transactions which are followed up with the branches for timely rectification. Your Bank has introduced a new package on OMC alert monitoring system to keep track of reporting and monitoring of alerts generated at central office and regional office level.
- 27. Vigilance**
- 27.1. Vigilance is an essential tool to bring about excellence in the organisation as it plays an important and positive role in creating an ethical climate with discipline and safety of the operations. A well structured Vigilance system is in place in the Bank, covering all areas of operations and in tune with the guidelines issued by the Central Vigilance Commission. Vigilance set-up in the Bank aspires to inculcate and nurture a sense of alertness and awareness for meticulous compliance with systems and procedures in the daily functioning of the Bank at the grassroot levels and acting as a catalyst for eliminating system weaknesses and thereby partnering with business growth.
- 27.2. Average disposal time of a vigilance case in the Bank has been reduced from 19.5 months as on December, 2013 to less than 9 months during the current Year. Expedient completions of vigilance action on an ongoing basis have improved confidence level in the decision making at the operating levels. 766 interactive preventive vigilance sessions with field functionaries of various offices in the Bank were conducted so as to create necessary awareness of systems and procedures and to sensitize them about the pitfalls of non-compliance during the year 2014-15.
- 27.3. Vigilance is necessarily a group activity of all the stakeholders to make it more effective. Towards this, many enabling initiatives were introduced. Preventive vigilance committees (PVCs) at branches/other outfits are put in place to supervision by the controllers and review vigilance work/ function in the zone. Alertness Award Scheme is instituted for incentivizing staffs for alerting/foiling/detecting Frauds. The Bank recognizes genuine whistle blowers and give due weightages at the time of promotion and placements.
- 27.4. The Bank makes effective interventions for updating knowledge/ skills through regular conduct of training programmes, video conferencing and popularizing vigilance portal as readily available guidance tool for the field functionaries. The Bank has launched union vigil portal (e-Vigil), a 'green initiative' by the Bank to provide end-to-end solution to the vigilance administration and ensuring expeditious completion of vigilance process.
- 28. Outlook**
- 28.1. GDP growth is seen strengthening gradually in FY 2015-16 driven by improving investments, and increasing consumption amid a low inflation environment, low drag-down from external sector, and softer interest rates. Annual GDP growth is thus expected rising to 8.0 per cent in FY 2015-16 from 7.4 per cent growth estimated for FY 2014-15. However, there are several downside risks to this outlook, like debt-heavy balance-sheet structure of private sector could constrain expansion; undercapitalized banks may be hesitant in funding expansion; truant monsoon behaviour; dragged pick-up in advanced economies undermining exports, and the US Fed raising its interest rates could inject volatility and uncertainty in financial markets, etc. India is not decoupled from global weaknesses; however, it has immense potential to revive growth in medium term on strengths of domestic demand.
- 28.2. Your Bank is poised to benefit from the turnaround in the economy. To facilitate higher growth, the Bank is taking significant steps to ensure that short term objectives as well as long term aspirations of all the stakeholders are fulfilled. The HDR framework (Human Resources, Digital Banking and Risk Management) will be key pillars of the Bank's growth in the medium term and thus, the Bank is now engaged in further improving its process design, uplifting sales performance, building analytics & campaign management capabilities and deepening digital channels. In fact the Bank has been continuously reorienting and reinventing to remain relevant in changing times. To build on the momentum, the Bank has declared theme of FY 2014-15 as 'Enhance Earning through Efficiency'. The Bank will continue to add significant value for all its stakeholders.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

- 1.1 Union Bank of India has a tradition of good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.
- 1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding shareholders' wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks of the Bank's business and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

2. BOARD OF DIRECTORS

- 2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. As on 31/03/2015, the Board comprised of four whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and three Executive Directors appointed by the Government of India besides eight part-time Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience, guide the Bank in its progress and achievements in various spheres.
- 2.2 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control & sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries in the Bank. The Board has constituted various sub-committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meets at periodical intervals.

3. BOARD/COMMITTEE MEETINGS AND PROCEEDINGS

3.1 Scheduling and Selection of Agenda Items

All Board/Committee Members are given notice of the meetings in advance. The meetings are governed by structured agenda. The agenda along with the explanatory notes are distributed well in advance.

3.2 Availability of Information to the Members

All items in the agenda are supported by detailed background information to enable the members to make comprehensive review and take informed decisions.

3.3 Recording minutes of the proceedings

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meetings are recorded in the respective minutes book. In keeping with good corporate governance principles, the decisions on all agenda items are arrived by general consensus.

3.4 Follow-up mechanism

The Bank has an effective mechanism for post meeting follow-up, review and reporting process for the actions taken on decisions of the Board and Committees. Action taken report on the decisions/minutes of the previous meeting(s) is placed to the Board/Sub Committee of the Board at the next meeting.

3.5 Compliance

The Board periodically reviews the compliance reports to ensure adherence to all applicable provisions of law, rules and guidelines.

3.6 Code of Corporate Governance

Keeping in view the best practices, the Board has framed a voluntary code of corporate governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like:

- Procedures for Board and its various Committees
- Compliance and monitoring procedures
- Relation with shareholders and customers
- Disclosures to public at large
- Corporate social responsibility and
- Other miscellaneous issues viz. Code of Conduct, Insider Trading, Staff Matters, Vigilance etc.

3.7 Board Meetings

During the year under review 18 Board Meetings were held on the following dates: -

17 th April 2014	1 st November, 2014
7 th May, 2014	11 th November, 2014
8 th May, 2014	5 th December, 2014
31 st May, 2014	5 th January, 2015
26 th June, 2014	27 th January, 2015
31 st July, 2014	28 th January, 2015
1 st August, 2014	26 th February, 2015
20 th September, 2014	15 th March, 2015
31 st October, 2014	16 th March, 2015

The details of attendance of each Director at the Board Meetings, details of other Board Committees where he is a Member during the year, details of shareholding and directorship of other companies/corporations are furnished hereunder: -

Details of Directors and meetings held during 2014-15

Name of the Director & Category	DOB/Age (years)	Qualification	No. of Board meetings held during their tenure	Meetings attended	Member of Board Committees	Share-holding	Other Directorship (as on 31.03.2015)
Shri Arun Tiwari CMD (Executive)	01.07.57 57 years	M. Sc. (Chemistry)	18	18	CAC-I, MCB, SCR & ALM, DPC, DPC(V), SCMF, STCB, CSCB,HR, ESV by PSBs, RMC	Nil	4
Shri S. K. Jain Executive Director (Executive) #	05.05.54 60 years	B.Sc. (Hons), M.A (Eco) & CAIIB	4	4	CAC-I, MCB, ACB, SCR & ALM, SRC, SCMF, STCB,CSCB,HR,IT, ESV by PSBs, RMC	Nil	N.A.
Shri K. Subrahmanyam Executive Director (Executive)	15.07.55 59 years	B.Com.(Hons) & CAIIB (I)	18	18	CAC-I, MCB, ACB, SCR & ALM, SRC, SCMF, STCB,CSCB,HR,IT, ESV by PSBs, RMC	Nil	2
Shri Rakesh Sethi Executive Director (Executive)	28.06.56 58 years	B. Com, LLB & Diploma in Personnel Management	18	18	CAC-I, MCB, ACB, SCR & ALM, SRC, SCMF, STCB,CSCB,HR,IT, ESV by PSBs, RMC	Nil	1
Shri Kishor Kharat Executive Director (Executive) \$	04.09.58 56 years	B. Com & LLB	2	2	CAC-I, MCB, ACB, SCR & ALM, SRC, SCMF, STCB,CSCB,HR,IT, ESV by PSBs, RMC	Nil	Nil
Mohammad Mustafa Government Nominee (Non-Executive) #	15.08.68 46 years	Post Graduation, M. A. (Philosophy) & IAS	11	4	ACB,DPC, NCB, HR, RMC,SCR & ALM, CSCB, SCMF, RCB	Nil	N.A.
Shri Mihir Kumar Government Nominee (Non-Executive) \$	01.04.70 45 years	B.A (Hons.) & LLB	7	3	ACB,SCR & ALM, DPC, SCMF, CSCB, RCB,NCB,HR,RMC	Nil	Nil
Shri Deepak Singhal RBI Nominee (Non-Executive)	21.01.59 56 years	MBA & CAIIB	18	16	MCB,ACB, DPC, RCB	Nil	Nil
Shri Jag Mohan Sharma Chartered Accountant Director (Non-Executive)	29.10.49 65 years	B. Com (Hons.) & FCA	18	18	ACB ,SRC	Nil	Nil

Name of the Director & Category	DOB/Age (years)	Qualification	No. of Board meetings held during their tenure	Meetings attended	Member of Board Committees	Share-holding	Other Directorship (as on 31.03.2015)
Shri B. N. Bhattacharjee Officer Employee (Non-Executive) #	31.05.54 60 years	B.A & LLB-I	1	1	Nil	19	N.A.
Shri N. Shankar Workmen Employee (Non-Executive) #	20.05.58 56 years	B.Sc. & ICWA	1	1	SRC	Nil	N.A.
Dr. Atul Agarwal Part Time Non-Official (Non-Executive) #	02.08.60 54 years	B.Com, LLB, FCA, ISA(ICAI) & Ph.D.	8	4	MCB,ACB, SRC,CSCB,IT, RCB, SCR & ALM,ESV by PSBs	100	N.A.
Shri Shrikant Misra Part Time Non-Official (Non-Executive)	08.03.55 60 years	B. Com & CA	18	15	NCB, SCR & ALM, MCB, IT,CSCB	Nil	Nil
Sushri Anusuiya Sharma Part Time Non-Official (Non-Executive)	15.06.48 66 years	M. A, B.Ed. & LLB	18	18	MCB, SRC,NCB, CSCB	Nil	Nil
Shri D. Chatterji Shareholder (Non-Executive) @	23.08.48 66 years	B.Com.(Hons.) & CA	18	15	MCB, ACB, CSCB, RCB, SCR & ALM, IT, SRC	200	12
Dr. R. H. Dholakia Shareholder (Non-Executive)	02.04.53 61 years	Ph.D in Economics	18	16	MCB,HR, CSCB,SCR & ALM	200	3
Shri G. K. Lath Shareholder (Non-Executive)	20.08.52 62 years	B.Com. & FCA	18	13	MCB,CSCB, SCMF, ACB, SCR & ALM, RCB	100	Nil

\$ -New Directors Inducted

1. Shri Mihir Kumar nominated by Government of India on the Board w.e.f. 25.11.2014 in place of Mohammad Mustafa as Government Nominee Director.
2. Shri Kishor Kharat nominated by Government of India on the Board w.e.f. 10.03.2015 as Executive Director.

@-Chairman of Audit Committee of the Board

#-Directors who completed their tenure

1. Shri B. N. Bhattacharjee term ended on 03.05.2014.
2. Shri N. Shankar resigned w.e.f. 27.02.2014 and GoI notification received on 30.04.2014.
3. Shri S. K. Jain superannuation on 31.05.2014.
4. Dr. Atul Agrawal term ended on 21.09.2014.

CAC	- Credit Approval Committee
MCB	- Management Committee of the Board
ACB	- Audit Committee of the Board
SCR & ALM	- Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management
SRC	- Stakeholders Relationship Committee of the Board
DPC	- Directors' Promotion Committee
DPC (V)	- Directors' Promotion Committee – Vigilance/Non-Vigilance
STCB	- Share Transfer Committee of the Board
SCMF	- Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of ₹ 1 crore and above
CSCB	- Customer Service Committee of the Board
RCB	- Remuneration Committee of the Board
NCB	- Nomination Committee of the Board
HR	- HR Sub Committee of the Board
IT	- IT Strategy Committee of the Board
RMC	- Recovery Management Committee of the Board
ESV by PSBs	- Election of Shareholders Voting by Public Sector Banks.

3.8 Committee Membership of Directors

Shri Rakesh Sethi, Executive Director holds membership/chairmanship of Audit Committee/ Stakeholders Relationship Committee outside the Bank:

- UNION KBC AMC Pvt. Ltd.- Member, Audit Committee

Shri D. Chatterji, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee / Stakeholders Relationship Committee outside the Bank:

1. Hindusthan National Glass & Industries Ltd. - Member, Audit Committee.
2. West Bengal Industrial Development Corporation Ltd.-Chairman, Audit Committee.
3. West Bengal Infrastructure Development Finance Corporation Ltd.-Chairman, Audit Committee.
4. Peerless Financial Services Ltd.- Chairman, Audit Committee.
5. TRF Limited.- Chairman, Audit Committee and Member, Stakeholders Relationship Committee.
6. Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd.- Member, Audit Committee.
7. The Calcutta Stock Exchange Ltd.- Member, Audit Committee.

Dr. R. H. Dholakia, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee / Stakeholders Relationship Committee outside the Bank:

1. Adani Enterprises Ltd. – Member, Audit Committee.
2. Gujarat State Petroleum Corporation Ltd. - Chairman, Audit Committee.

3.9 Inter-se relationship of Directors

None of the Directors are related to each other.

3.10 A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2014-15 is as under:-

Profile of Directors inducted in the Board after March 31, 2014.

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri Kishore Kharat	56	Shri Kishor Kharat has assumed charge as Executive Director of Union Bank of India on 10th March 2015. In his banking career with Bank of Baroda, spanning over more than three decades, Shri Kharat has got varied exposure which includes Credit Administration, Foreign Business, Information Technology and general administration in India as well as overseas. Shri Kharat established a foreign subsidiary of Bank of Baroda in Trinidad & Tobago, West Indies and headed the same as Managing Director for more than three years. He was a founding member in the formation of India Trinidad & Tobago Chambers of Commerce & Industry. His other foreign assignment was at Sharjah (UAE). His last posting was as General Manager, Financial Inclusion Vertical, where he has been the key driver of major FI initiatives for taking forward both the Bank and Government of India commitment to an inclusive growth of the country. He was also looking after the Corporate Credit in the Bank's Corporate Office and also headed Corporate Finance Services, Hyderabad.	10.03.2015	30.09.2018	-
Shri Mihir Kumar	45	Shri Mihir Kumar has been appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 25th November, 2014. Shri Mihir Kumar joined Defence Accounts Service (IDAS) in 1997. In his service career of over seventeen years, Shri Mihir Kumar, has held a number of assignments relating to payment, audit and financial advice of Armed Forces. He was the first Finance Officer of Indian peace keeping Brigade in UN peace keeping force MONUC in Democratic Republic of Congo. Shri Kumar was Joint Director, Training in IDAS Academy-National Academy of Defence Financial Management (NADFM), Pune. He was second in command of the office handling audit and payment of all defence, foreign, oil and other central procurement items involving Defence Budget of about ₹ 50000 Cr. Since 25th October, 2012, he is a Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.	25.11.2014	till further instructions	-

3.11 Annual General Meeting:

The Twelfth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on Friday, 27th June, 2014 where the following directors were present:

1. Shri Arun Tiwari	-	Chairman & Managing Director
2. Shri K. Subrahmanyam	-	Executive Director
3. Shri Rakesh Sethi	-	Executive Director
4. Shri Jag Mohan Sharma	-	Director-Chartered Accountant
5. Shri Dipankar Chatterji	-	Shareholder Director & Chairman, Audit Committee of the Board

4. COMMITTEES OF THE BOARD

4.1 Audit Committee of the Board of Directors (ACB)

4.1.1 Composition:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India and the latest direction received from The Ministry of Finance, Govt. in terms of their letter no. F.No.13/1/2006 BO.I dated 10.06.2014, the Audit Committee of the Board of Directors (ACB) has been constituted with six Directors viz. Executive Directors (2), Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and two Shareholder Directors Shri Dipankar Chatterji, Shareholder Director who is a Chartered Accountant chairs the meetings of the Committee.

4.1.2 Functions

The Audit Committee of the Board reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by RBI. The major functions of ACB are enumerated below:

- ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
- ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e., the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-
 - Inter-branch adjustment accounts
 - Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
 - Arrears in balancing of books at various branches
 - Frauds
 - All other major areas of housekeeping.

- ACB obtains and reviews half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of other guidelines of RBI and quarterly reports on compliance of listing and other SEBI guidelines.
- Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
- ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.
- ACB reviews the mechanism for whistle blower annually.
- Review of all Financial Policies of the Bank.
- Major accounting entries based on exercise of judgment by management.
- Qualifications, if any, in draft Audit Report.
- Significant adjustments arising out of audit, compliance with Accounting Standards.
- Going Concern Assumption.
- Default in payment to depositors, shareholders (dividend) & creditors (Where there is delay in payment.)

4.1.3 Attendance of ACB Meetings

The Committee met 11 times during the year 2014-15 and attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr. Atul Agarwal, Chairman of the Committee	3	2
Shri Dipankar Chatterji, Chairman of the Committee	8	8
Shri S.K.Jain, ED	2	2
Shri K.Subrahmanyam, ED	11	11
Shri Rakesh Sethi, ED	11	11
Shri Kishor Kharat, ED	1	1
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee	7	2
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee	4	2
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee	11	10
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	3	3
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	8	5

4.2 Management Committee of the Board (MCB)

4.2.1 Composition:

Pursuant to the amendments made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division vide Notification dated 19th February, 2007 to the Nationalised Bank's (Management & Miscellaneous Provisions Scheme) 1970/1980 and subsequent amendments resting with their notification no. 13/1/2006 BO-I dated 14.01.2015, the Management Committee of the Board now consists of Chairman & Managing Director, Executive Director/s, RBI Nominee Director, and three other Non-Executive Directors under Section 9(3) (e),(f),(h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

4.2.2. Functions

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

4.2.3. Attendance of MCB Meetings

During the year 2014-15, 26 meetings of Management Committee of the Board were held and attendance details are as under:-

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	26	26
Shri S. K. Jain, ED	4	4
Shri K. Subrahmanyam, ED	26	26
Shri Rakesh Sethi, ED	26	22
Shri Kishor Kharat, ED	2	2
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	26	25
Shri Jagmohan Sharma, C.A Director	20	20
Dr. Atul Agarwal, Part -time Non –Official Director	7	5
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	13	10
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	13	12
Shri D. Chatterji, Shareholder Director	13	12
Shri S. K. Mishra, Part Time Non Official Director	13	8
Sushri Anusuiya Sharma, Part Time Non official Director	14	14

4.3 Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)

4.3.1. Composition:

The Committee consists of the following members of the Board of Directors: Chairman & Managing Director, Executive Directors, Nominee of Government of India and four Non-Executive Directors The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

4.3.2. Functions:

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

4.3.3. Attendance of SCR & ALM Meeting

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	4	4
Shri K. Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	2	1
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominnee Director	2	0
Dr. Atul Agrawal, Part time Non Official Director	1	0
Shri S. K. Mishra, Part Time Non-Official Director	4	3
Shri D. Chatterji, Shareholder Director	4	2
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	4	3
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	2	1

4.4 Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRC)

4.4.1 Composition:

In keeping with the amendment to Clause 49(VIII) (E) (4) of the Listing Agreement, the Shareholders' /Investors' Grievance Committee of the Board is renamed as Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRC) w.e.f 05.01.2015. The Committee consists of Executive Directors and Three Non-Executive Directors The Chairman of the Committee is Shri Jag Mohan Sharma a Non-Executive Director (CA Category).

4.4.2 Functions:

Pursuant to Clause 49 of the Listing Agreement, a Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRC) has been constituted by the Board to look into the redressal of shareholders' and investors' complaints regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends, etc.

4.4.3 Attendance of SRC

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr Atul Agarwal, Chairman of the Committee	2	1
Shri Jag Mohan Sharma, Chairman of the Committee	2	2
Shri S.K.Jain, ED	1	1
Shri K.Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Shri Kishor Kharat, ED	1	1
Shri D. Chatterji, Shareholder Director	4	3
Sushri Anusuiya Sharma, Part time Non Official Director	4	4

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2015 vis-à-vis 31.03.2014 is as under:-

Particulars		For F.Y. ended 31.03.15	For F.Y. ended 31.03.14
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	-NIL-	-NIL-
b.	No. of shareholders complaints received during the year	766	1377
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	766	1377
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	-NIL-	-NIL-

Ms. Neha Agrawal, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

4.5 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

4.5.1 Composition:

The Committee consists of Chairman & Managing Director, Executive Director/s, General Manager/Deputy General Manager (MDO), and Chief Law Officer.

4.5.2 Functions:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

4.5.3 Attendance of STCB:

During the year, the Committee attended to transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc and met 46 times.

4.6 Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of Fraud of ₹ 1.00 crore and above (SCMF)

Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of ₹ 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India vide RBI/2004.15. DBS.FGV (F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14.01.04. At present the Audit Committee of Board of Directors (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow-up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of ₹ 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

4.6.1 Composition:

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors

- Chairman & Managing Director
- Two members from ACB
- Two other members from the Board excluding RBI nominee

4.6.2 Functions:

The major function of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of ₹ 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.

- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

4.6.3 Attendance of SCMF

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	4	4
Shri S. K. Jain, ED	1	1
Shri K. Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	2	0
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	1
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	4	4

4.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB)

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. It was constituted in terms of the Reserve Bank of India, DBOD circular dated 14th August 2004.

4.7.1 Composition:

The Committee Comprises of ten members as under:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- Two Directors representing customer interest.
- Three Non-Executive Directors
- Govt. Nominee Director is a permanent member.
- Two representatives of Customers as special invitees.

4.7.2 Functions

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestions on improving the quality of services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them & to suggest appropriate improvements to facilitate changes on an ongoing basis.

- To review and recommend the policies to the Board annually before the same is placed to the Board for approval.

4.7.3 Attendance of CSCB

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	4	4
Shri S. K. Jain, ED	1	1
Shri K. Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	2	0
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	1
Dr. Atul Agarwal, Part Time Non Official Director	1	0
Shri S. K. Misra, Part Time Non Official Director	4	3
Sushri Anusuiya Sharma, Part Time Non Official Director	2	2
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	4	4
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	4	2
Shri Dipankar Chatterji, Shareholder Director	4	3

4.8 Remuneration Committee of the Board (RCB)

Government of India (GOI) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide their communication F.No. 20/1 /2005-BO.I dated 9th March, 2007 has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed.

4.8.1 Composition:

- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- Two other Directors

4.8.2 Functions:

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned GoI guidelines.

4.8.3 Attendance of RCB

The Committee met twice during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure (25.07.14)	No. of meetings attended (25.07.14)	No. of Meetings held during their tenure (26.02.15)	No. of meetings attended (26.02.15)
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director, Chairman of the Committee	1	1	N.A	N.A
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director, Chairman of the Committee	N.A	N.A	1	1
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	1	1	1	1
Dr. Atul Agarwal, Part Time Non Official Director	1	1	N.A	N.A
Shri D.Chatterji, Shareholder Director	1	0	1	1
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	0	0	1	1

4.9 Nomination Committee of the Board (NCB)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, the Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks vide circulars DBOD No. BC No.46 and DBOD No.BCNo.47/29.39.001/2007-08 both dated 01.11.2007 read with No.DBOD.No.BC. No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011.

Further, Government of India vide Office Memorandum No. 16/83/2013-BO.I dated 03.09.2013 has desired that the Government guidelines dated 01.06.2011 regarding appointment of part-time non-official directors to be kept in mind while carrying out "Fit and Proper" status of candidates for election of shareholder directors. The above guidelines have been further revised vide Notification F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015.

Banks are required to constitute Nomination Committee to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of existing elected directors under Section 9 (3) (i) of the Act. Accordingly, the Bank has formed a Nomination Committee of the Board.

4.9.1 Composition:

- Three Non-Executive Directors
- In terms of RBI letter No.12558/08.21.006/2010-11 dated 08.02.2011 RBI Nominee Directors cannot be associated with this Committee.

4.9.2 Functions:

- To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper' status of the elected Shareholder Directors.

- To ensure whether non adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity, would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the Bank.
- Based on the signed declaration, this Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority/ persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

4.9.3 Attendance of NCB

The Committee met once during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Mohd Mustafa, Chairman of the Committee	1	1
Shri Shrikant Mishra, Part Time Non Official Director	1	1
Sushri Anusuiya Sharma, Part Time Non Official Director	1	1

4.10 Directors Promotion Committee (DPC)

4.10.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

4.10.2 Functions:

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection / non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

4.10.3 Attendance of DPC

The DPC-Promotion Committee met once during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	1	1
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	1	1
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	1	1

4.11 Directors Promotion Committee – Vigilance/Non-vigilance

4.11.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

In addition, the Executive Directors also participate as special invitees in these Committee meetings.

4.11.2 Functions:

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries on a quarterly basis.

4.11.3 Attendance of DPC –Vigilance/Non-vigilance

The Committee has held 3 meetings during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	3	3
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	1	1
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	2
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	3	3

4.12 HR Sub-Committee of the Board

4.12.1 Composition

The Committee consists of Chairman and Managing Director, Executive Directors and any two Directors. In addition, two experts in Human Resources also participate as special invitees.

4.12.2 Functions:

To oversee & review the implementation of following aspects:

- Overall Strategy for the Bank on HR.
 - Overall manpower plan and skills gap identification.
 - Systems, procedures and structures to attract and groom right talent.
- Development of performance management system covering all staff in the Bank
 - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
 - System of providing developmental feedback to all staff.
- Fine tuning of policies on HR in line with Bank's strategy and market realities.
 - Reward and incentives
 - Promotions
 - Deployment

4. Training

- Specialist business skills training
 - General retaining / reorientation for all staff
5. IT automation of all HR related activities

4.12.3 Attendance of HR Sub-Committee of the Board

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-2015 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	4	4
Shri S. K. Jain, ED	1	1
Shri K. Subrahmanyam, ED	4	2
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	2	1
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	1
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	4	4

4.13 IT Strategy Committee of the Board

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board.

4.13.1 Composition

The Committee consists of:

- Executive Directors
- Two Independent Directors- one of whom will be the Chairman of the meeting
- Outside IT Expert
- Chief Information Officer (GM heading the IT function of the Bank)

4.13.2 Functions

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks & benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing & use of IT resources.

- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks & controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance. (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.

4.13.3 Attendance of IT Strategy Committee of the Board

The Committee has held 5 meetings during the year 2014-2015 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr. Atul Agarwal, Chairman of the Committee	3	3
Shri S. K. Misra, Chairman of the Committee	2	2
Shri S. K. Jain, ED	2	2
Shri K. Subrahmanyam, ED	5	5
Shri Rakesh Sethi, ED	5	5
Shri Kishore Kharat, ED	1	1
Shri D. Chatterjee, Shareholder Director	5	5

4.14 Committee of the Board to decide on election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks (ESV by PSBs)

The Government of India who is a major shareholder does not participate in the election process as specified by notification of Ministry of Finance vide its letter No.16/11/2012-BO-I dated 3rd April, 2012. As such the ministry has advised the Banks to constitute a Committee of the Board headed by CMD. The communication further states that the Committee would not include Government or the RBI Nominee Directors

4.14.1 Constitution:

The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors

- Two other members as may be nominated by the Board.

4.14.2 Functions:

Terms of Reference- Consider all factors including qualification, experience, profile and background of various candidates and take decision on supporting the candidates in the election. Furthermore, in case of election of shareholder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account.

4.14.3 Attendance of Committee of the Board to decide on election of Shareholder Directors –Voting by Public Sector Banks.

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2014-15.

4.15 Recovery Management Committee (RMC)

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per GOI communication no. F.No.7/112/2012-BOA dated 21st November, 2012 on the above subject on 27.11.2012.

It has also been stated that Public Sector Banks (PSBs) should constitute a Board level Sub-Committee consisting of CMD, EDs and GOI Nominee Director to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board.

4.15.1 Constitution:

The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Director(s)
- Government of India Nominee Director

4.15.2 Functions:

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

4.15.3 Attendance of Recovery Management Committee

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-2015 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	4	4
Shri S. K. Jain, ED	1	1
Shri K. Subrahmanyam, ED	4	2
Shri Rakesh Sethi, ED	4	3
Shri Kishor Kharat, ED	1	1
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	2	2
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	2

4.16 Credit Approval Committee-I (CAC-I)

As per the provisions contained in Ministry of Finance, Department of Financial Services Gazette Notification No. SO.2736 (E) dated 5th December, 2011 the Board in its meeting held on 24.01.2012 has approved the constitution of Credit Approval Committee at Central Office. CAC - I (Credit Approval Committee-I) is operational with effect from April, 2012.

4.16.1 Constitution:

The composition of CAC-I is as under;

- Chairman & Managing Director (Mandatory)
- Executive Directors (at least one Mandatory)
- General Managers- Credit
- General Manager- Financial Planning & Investors Relations (CFO)
- General Manager -Risk Management (Mandatory)

4.16.2 Functions:

- Sanctioning of Credit proposals, Funded/Non Funded
- Loan Compromise/write off proposals

4.16.3 Attendance of Credit Approval Committee-I

The Committee has held 34 meetings during the year 2014-2015 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	34	34
Shri S. K. Jain, ED	6	5
Shri K. Subrahmanyam, ED	34	28
Shri Rakesh Sethi, ED	34	29
Shri Kishor Kharat, ED	3	3
Attendees by Designation		
GM (RMD)	34	29
CFO	34	30
GMs (Credit)	34	34

5. GENERAL BODY MEETINGS:

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Extraordinary General Meeting	20 th March, 2012 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	26 th June, 2012 at 10.30 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Tenth Annual General Meeting	26 th June, 2012 at 3.30 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	16 th March, 2013 at 10.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Eleventh Annual General Meeting	26 th June, 2013 at 3.30 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	14 th December, 2013 at 10 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Twelfth Annual General Meeting	27 th June, 2014 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

The details of special resolutions placed for approval in the General Meetings are as under:

5.1 Extraordinary General Meeting held on 20th March, 2012

Special resolutions:

- a) to create, offer, issue and allot up to 1,43,11,631 (One Crore Forty Three Lakh Eleven Thousand Six Hundred Thirty One) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 248.05 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹ 355 crore (Rupees Three Hundred Fifty Five Crore Only) on preferential basis to Government of India and
- b) to create, offer, issue and allot up to 2,62,16,620 (Two Crore Sixty Two Lakh Sixteen Thousand Six Hundred Twenty) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 248.05 in accordance with Regulation 76(4) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹ 650.30 crore (Rupees Six Hundred Fifty Crore and Thirty Lakh Only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India and/or various Schemes of Life Insurance Corporation of India (LIC). Pursuant to the above resolution the Bank had received application money only from LIC and 2,62,16,620 shares have been issued and allotted to LIC of India on 30th March, 2012.

5.2 Extraordinary General Meeting held on 16th March, 2013.

Special resolutions:

1. Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GoI)

To create, offer, issue and allot up to 4,62,45,174 (Four Crore Sixty Two Lac Forty Five Thousand One Hundred Seventy Four) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 240.89 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 1,114 crores (Rupees One Thousand One Hundred Fourteen Crore) on preferential basis to Government of India.

2. Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement (QIP)

To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386 crores (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

Pursuant to the above resolutions the Bank has received application money from Gol and 4,62,45,174 (Four crore sixty two lacs forty five thousand one hundred and seventy four) shares have been issued and allotted to Gol on 21st March, 2013.

The Second Resolution was for extending the time for another one year to enable the Bank to raise capital through QIP within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and in such tranche(s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

5.3 Extraordinary General Meeting held on 14th December, 2013.

Special resolutions:

1. Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (Gol)

- To create, offer, issue and allot up to 3,35,12,064 (Three crores thirty five lacs twelve thousand sixty four) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of ₹ 149.20 including premium of ₹ 139.20 determined in accordance

with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 500 crores (Rupees Five Hundred Crore only) on preferential basis to Govt. of India

- To create, offer, issue and allot by conversion of 11.10 crore PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preferential Shares) of ₹ 10 each into 74,39,678 (Seventy four lacs thirty nine thousand six hundred seventy eight) equity shares of ₹ 10/- each at conversion price of ₹ 149.20 including premium of ₹ 139.20 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 111 crores (Rupees One Hundred and Eleven Crore Only) on preferential basis to Government of India.

2. Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement (QIP)

To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386 crores (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

Pursuant to the above resolutions the Bank has received application money from Gol and 3,35,12,064 (Three Crore thirty five lacs twelve thousand and sixty four) equity shares have been issued and allotted to Gol on 21st December, 2013.

For Conversion of PNCPS, the Bank had not received necessary approval from Gol till the AGM held on 27th June, 2014 and hence, approval of shareholders was again sought in the said AGM to create, issue and allot equity shares by conversion of PNCPS on preferential basis to Gol.

The Second Resolution enables the Bank to raise capital through QIP within a period of one year by way of a special resolution authorizing the Board to raise capital by way of QIP to QIBs within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and in such tranche(s) that would be in the interest of the

Bank. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

5.4 Annual General Meeting held on 27th June, 2014

Special resolutions:

1. To Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to the Government of India (GoI)

To create, offer, issue and allot by conversion of 11.10 crore PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preferential Shares) of ₹ 10 /- each into 5472563 (Fifty four lacs seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹ 10/- each at a conversion price of ₹ 202.83 including premium of ₹ 192.83 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating upto ₹ 111 crore (Rupees One Hundred and Eleven Crore Only) on preferential basis to Government of India.

2. To Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement

To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386 crores (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/ or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

Pursuant to the above resolutions on 12.09.2014 the Bank has allotted 54,72,563 (Fifty four lacs seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹10/- each at a conversion Price of ₹202.83 per equity share (including premium of ₹192.83 per equity share) in favour of Government of India by conversion of entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) amounting to ₹111 crore (Rupees one hundred and eleven crore) held by Government of India.

The Second Resolution enables the Bank to raise capital through QIP within a period of one year by way of a special resolution authorizing the Board to raise capital by way of QIP to QIBs within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and

in such tranche(s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

6. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, Clause 49 of the Listing Agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities. Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Clause 49 of the Listing Agreement. Compliance with respect to non-mandatory requirements under the said clause is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the clause are as under:

i. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of travelling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The details of the same are given in the notes to accounts.

Sitting Fees are prescribed in terms of clause 17(1) / 16(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980. Accordingly, Non-Official Directors are entitled for the following facilities and perks:

1. Sitting Fees (Notification No.15/1/2011-B.O.I dt. 18/10/2011):

Board Meetings - ₹ 10,000/- per meeting.
Committee Meetings - ₹ 5,000/- per meeting.

2. Travelling & Halting Allowance:

In addition to fees to which a director is entitled to be paid, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his Travelling & Halting expenses in terms of the provisions of clauses 17(2) / 16(2), if any, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

ii. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that

may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

iii. Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the Bank allotted 54,72,563 (Fifty four lacs seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹ 10/- each at a conversion Price of ₹ 202.83 per equity share (including premium of ₹ 192.83 per equity share) in favour of Government of India by conversion of entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) amounting to ₹ 111 crore (Rupees one hundred and eleven crore) held by Government of India. Consequently, the Government's shareholding has increased from 60.13% to 60.47%. Post conversion, the paid-up capital of the Bank increased to ₹ 635.78 crore from ₹ 630.31 crore.

The conversion was done with the primary objective of augmenting capital for strengthening Capital Adequacy Ratio, particularly Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio.

The Bank has issued Unsecured Non convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II Capital) from time to time. The relevant details are mentioned in para 8.1 of the report.

iv. Penalties or Strictures

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

v. Whistle Blower Policy

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy. The Audit Committee periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee.

vi. Policy for determining Material Subsidiary

In compliance with Clause 49 (V) (D) of the Listing Agreement, the Bank has formulated Policy for determining Material Subsidiary and same can be accessed via following link <http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/MaterialSubsidiaryPolicy.pdf>

vii. Related Party Transaction Policy

The Bank has formulated Related Party Transaction Policy on dealing with Related Party Transactions. The said policy can be accessed via following link <http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/RelatedPartyTransactionPolicy.pdf>

vi. Management Discussion and Analysis

The same has been given separately in the Annual Report.

7. MEANS OF COMMUNICATIONS

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Business Standard (English), Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website - www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, etc. are also simultaneously placed on the Bank's website.

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

- 8.1 The Bank's equity shares are listed on the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

Bombay Stock Exchange Limited (BSE)	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	UNIONBANK-EQ

The Annual Listing Fee for the financial year 2015-16 has been paid to the Stock Exchanges before 30th April, 2015.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on 31.03.2015 are as under:

SERIES	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)	ISIN NO.
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	INE692A09076
VIII-FIXED	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	INE692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	INE692A09100

SERIES	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)	ISIN NO.
X-Ist TRANCHE	300	10.10.2006	PERPETUAL	9.45 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.95 AFTER 10 th YR	INE692A09118
X-IIND TRANCHE UPPER TIER - II	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95 WITH STEP UP TO 9.45 AFTER 10 th YR	INE692A09126
XI-LOWER TIER-II, Ist TRANCHE	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35	INE692A09134
XI-IIInd TRANCHE	200	12.12.2007	PERPETUAL	9.90 UPTO 10YRS STEP UP TO 10.40 AFTER 10 th YR	INE692A09142
XII PERPETUAL	200	09.09.2008	PERPETUAL	11.15 UPTO 10 YRS STEP UP TO 11.65 AFTER 10 th YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09159
XII LOWER TIER II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	INE692A09167
XII LOWER TIER II	200	23.12.2008	23.12.2008	9.50	INE692A09175
XII LOWER TIER II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	INE692A09183
XII PERPETUAL	140	30.03.2009	PERPETUAL	9.10 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.60 AFTER 10 th YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09191
XIV-A PERPETUAL	200	16.06.2009	PERPETUAL	8.85 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.35 AFTER 10 th YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09209
XIV-B UPPER TIER II	500	25.06.2009	15 YEARS 25.06.2024	8.65 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.15 AFTER 10 th YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09217
XIV-C UPPER TIER II	500	27.01.2010	15 YEARS 27.01.2025	8.55 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.05 AFTER 10 th YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09225
XV-A UPPER TIER II	500	28.06.2010	15 YEARS 28.06.2025	8.48 UPTO 10 YRS STEP UP TO 8.98 AFTER 10 th YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09233
XVI-B LOWER TIER II	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90	INE692A09241
XVII-A	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80	INE692A09266
TOTAL	8540				

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2015-16 to the Stock Exchange on or before 30th April 2015.

8.3 Dividend

A dividend of 60% i.e. ₹ 6/- per share has been recommended by the Board of Directors for the financial year 2014-15 in its meeting held on 12th May, 2015.

8.4 Particulars of AGM & Financial Calendar

8.4.1 Particulars of AGM

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	12 th May, 2015
Date, Time & Venue of AGM	26 th June, 2015 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai-400 020.
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before 29 th May, 2015
Dates of Book Closure	20 th June, 2015 to 26 th June, 2015
Date of payment of dividend	6 th July, 2015

8.4.2 Financial Calendar

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2015-16 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2015	By August 01, 2015
For the quarter ending September 30, 2015	By October 31, 2015
For the quarter ending December 31, 2015	By January 28, 2016
For the year ending March 31, 2016	By May 12, 2016

8.5 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfer of shares are duly effected within a period of 15 days from the date of their lodgment with proper documents. The Bank has constituted Stakeholders Relationship Committee to monitor and review the progress in redressal of stakeholders grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and other related matters.

The Bank has appointed **M/s. Datamatics Financial Services Limited** as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend, recording of Shareholders' requests, solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrar & Transfer Agent at the address mentioned below.

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Mumbai. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their complaint/grievances. Designated e-mail ID in terms of clause 47(f) of the listing agreement is **investorservices@unionbankofindia.com**.

Registrar & Transfer Agent

Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Marol,
Andheri (E),
Mumbai-400 093.
Tel-(022) 66712151-60
Fax-(022) 28213404
E-mail: ubiinvestors@dfssl.com

Investor Services Division

Union Bank of India
12th Floor, Central Office,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai-400 021.
Tel-(022) 22896643/36
Fax-(022) 22025238
E-mail: investorservices@unionbankofindia.com

Also, the Bank has placed a list of frequently asked questions (FAQs) about investor services like change of details, transfer/transmission and issue of duplicate shares certificates/dividend warrants on its website, the same can be checked for easy understanding of procedures and documentation.

8.5.1 Other communications

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The set of communication sent this year was focused on following areas:

- Half-yearly performance
- Implementation of Green Initiative in the Corporate Governance initiated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

8.6 Dematerialisation of shares

The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692 A01016**.

Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments. Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31st March, 2015 are as under:-

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	61,774	1,37,02,216	2.15
Demat			
NSDL	1,04,436	22,16,30,983	34.86
CDSL	68,704	40,04,45,637	62.99
Total	2,34,914	63,57,78,836	100.00

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Chartered Accountant / Company Secretary has also conducted reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit no discrepancy

in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

8.7 Electronic Clearing Service / Direct Credit to Union Bank Account

National Automatic Clearing House (NACH) is a web based solution to facilitate interbank, high volume, electronic transactions and can be used for making bulk transactions towards distribution of subsidies, dividends, interest, salary, pension etc. The Bank offers the service of NACH to the shareholders to get credit to the bank account of the shareholder concerned. In the absence of NACH facility, the Bank shall print the Bank Account details, if available, on the payment instruments for distribution of dividend to the investors.

In addition to above, the Bank has also provided facility of credit of dividend amount by way of-

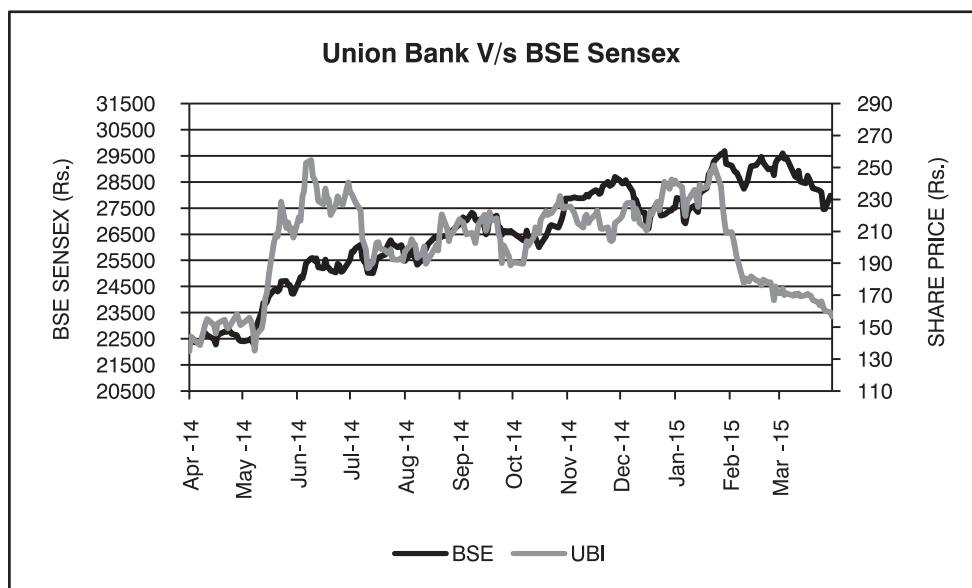
Direct Credit of dividend amount to the account of the shareholders having their account with Union Bank of India.

The dividend mandate form is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in and is also enclosed in this Annual Report as well.

The shareholders are requested to update their correct and complete account number with Registrar & Transfer Agent of the Bank or Depository Participant (DP) as the case may be for smooth credit of dividend amount to their accounts. In case of non availability of correct and complete account number the Bank has to issue physical dividend warrants printing therein account details as provided by the shareholders.

8.8 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges

Months	BSE			NSE			BSE SENSEX	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos)	High	Low
April '14	160.45	133.00	1,14,91,057	160.60	132.55	10,05,12,515	22939.31	22197.51
May '14	238.00	132.30	2,18,00,756	238.00	132.40	16,51,52,665	25375.63	22277.04
June '14	259.60	206.90	1,45,56,221	259.65	206.50	11,89,69,197	25725.12	24270.20
July '14	244.20	181.80	1,13,98,167	243.90	181.45	9,41,84,208	26300.17	24892.00
Aug '14	224.65	185.80	1,25,54,941	224.75	185.60	10,64,57,875	26674.38	25232.82
Sept'14	225.25	182.30	1,25,00,740	225.30	182.40	9,71,58,451	27354.99	26220.49
Oct '14	233.70	185.50	1,01,26,659	233.80	185.35	750,06,606	27894.32	25910.77
Nov '14	228.70	200.15	96,43,371	228.90	200.10	6,84,66,323	28822.37	27739.56
Dec '14	243.90	204.15	1,61,63,936	243.80	204.00	10,87,05,541	28809.64	26469.42
Jan '15	253.50	206.05	1,02,33,377	253.50	205.95	8,54,36,414	29844.16	26776.12
Feb '15	214.15	165.60	1,64,85,609	253.50	205.95	8,54,36,414	29560.32	28044.49
Mar '15	182.15	154.35	1,19,63,958	183.00	154.10	6,45,80,106	30024.74	27248.45
As on 31.03.2015 Closing Price	₹ 156.70			₹ 156.50				
Market Capitalization	₹ 9962.65 crore			₹ 9949.94 crore				



Source-NSE/BSE Website (www.nseindia.com/www.bseindia.com)

8.9 Distribution of Shareholding

The Government's shareholding in the Bank is 38.44 crore shares aggregating to ₹ 384.44 crore in the total issued capital of ₹ 635.78 crore. The distribution of shareholding as of 31/03/2015 and as of 31/3/2014 is as under:

Shareholding	As of 31/03/2015				As of 31/03/2014			
	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
upto 500	210801	89.74	29770207	4.68	213156	89.20	30611515	4.86
501 to 1000	17863	7.60	12061635	1.90	18899	7.91	12771381	2.03
1001 to 2000	4036	1.72	5664760	0.89	4296	1.80	6052568	0.96
2001 to 3000	879	0.37	2198122	0.35	1015	0.42	2545714	0.40
3001 to 4000	328	0.14	1174881	0.18	387	0.17	1373764	0.22
4001 to 5000	179	0.08	829214	0.13	246	0.10	1145975	0.18
5001 to 10000	338	0.14	2448183	0.39	415	0.17	2946654	0.47
10001 & above	490	0.21	581631834	91.48	544	0.23	572858702	90.88
Total	234914	100.00	635778836	100.00	238958	100.00	630306273	100.00

The face value of Bank's share is ₹ 10/-.

8.10 Shareholding pattern

The Shareholding Pattern of the Bank's shares as of 31/03/2015 and as of 31/03/2014 was as follows:-

Category of shareholder	As of 31/03/2015		As of 31/03/2014	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	38,44,44,316	60.47	37,89,71,753	60.13
Non-Residents (FIIs/OCBs / NRIs)	5,54,14,933	8.72	5,41,30,826	8.59
Banks/Financial Institutions/Insurance Cos.	7,38,22,366	11.61	7,02,67,222	11.15
Mutual Funds/UTI	4,22,85,093	6.65	3,45,05,926	5.47
Domestic Companies/ Private Corporate Bodies/ Trusts	2,33,89,452	3.68	3,31,54,868	5.26
Resident Individuals	5,64,22,676	8.87	5,92,75,678	9.40
Total	63,57,78,836	100.00	63,03,06,273	100.00

List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2015 is as follows:

Sr. No.	Name	Shares	% To capital
1	PRESIDENT OF INDIA	384444316	60.47
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	68222093	10.73
3	HDFC TRUSTEE COMPANY LTD - A/C HDFC MID - CAP OPPORTUNITIES FUND	20572658	3.24
4	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	7234026	1.14
5	GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL	7049911	1.11
6	ICICI PRUDENTIAL BALANCED ADVANTAGE FUND	5786256	0.91
7	UTI-MID CAP FUND	4082357	0.64
8	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEE'S RETIREMENT SYSTEM MANAGED BY ARROWSTREET CAPITAL, L.P.	3919034	0.62
9	DSP BLACKROCK INDIA T.I.G.E.R. FUND	2937238	0.46
10	MACQUARIE EMERGING MARKETS ASIAN TRADING PTE. LTD.	2932000	0.46
	TOTAL	507179889	79.78

8.11 Unclaimed /Unpaid Dividend

The amount of dividend remaining unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Thereafter, no claim shall lie against the Bank or the said Fund in respect of dividend amounts that have been transferred to the said Fund. The list of dividends declared so far and the last date for making claim for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Last date for making claim
Dividend for 2007-08	40%	08.08.2015
Dividend for 2008-09	50%	02.08.2016
Dividend for 2009-10	55%	09.08.2017
Dividend for 2010-11	80%	08.08.2018
Dividend for 2011-12	80%	06.08.2019
Dividend for 2012-13	80%	06.08.2020
Interim Dividend 2013-14	27%	14.02.2021
Final Dividend 2013-14	13%	08.07.2021

The shareholders who have not received or claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank (www.unionbankofindia.co.in).

8.12 Unclaimed Shares:**a) In Demat Form:**

As per Clause 5A of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March' 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2014 lying in Demat Suspense Account	233	28781
Shareholders approached for transfer during the financial year 2014-15	Nil	Nil
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2014-15	Nil	Nil
Balance as on 31.03.2015 lying in Demat Suspense Account	233	28781

The voting rights on above mentioned 28,781 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

b) In Physical Form:

As per Clause 5A-II of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares in physical form, the Bank has opened a Unclaimed Suspense Account in March, 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2014 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2014-15	Nil	Nil
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2014-15	Nil	Nil
Balance as on 31.03.2015 lying in Demat Suspense Account	4	600

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

9. EXTENT OF COMPLIANCE WITH NON-MANDATORY REQUIREMENTS OF LISTING AGREEMENT

S.No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1.	Board A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's Office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	The Chairman of the Board is an Executive Director appointed by Govt. of India, hence, the clause is not applicable as it relates to maintenance of office by a non-executive Chairman.
2.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders	Complied with.
3.	Audit Qualifications Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There has been no audit qualification during the year under review, hence complied with.
4.	Separate posts of Chairman and CEO The company may appoint separate persons to the post of Chairman and Managing Director/CEO.	Not applicable. Appointment of Chairman & Managing Director done by Government of India.
5.	Reporting of Internal Auditor The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Flash Reports & Special Reports given by internal auditors are placed in the meeting of Audit Committee.

10. DECLARATION OF CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year 2014-15.

For Union Bank of India

(Arun Tiwari)

Chairman and Managing Director

Place: Mumbai

Date: 12th May, 2015

To
The Board of Directors
Union Bank of India
Mumbai

Re: Certificate Under Clause 49 of the Listing Agreement

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2014-15) and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee –
- (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India

(Mayank Mehta)
General Manager & CFO

For Union Bank of India

(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : 12th May, 2015.

TO THE MEMBERS OF UNION BANK OF INDIA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India for the year ended on 31st March, 2015 as stipulated in Clause – 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchange.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the shareholders/Investors Grievances Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 314010E

FOR G. P. KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.104768W

(BIPUL RASTOGI)
PARTNER (M. NO. 072318)

(H. K. DATTA)
PARTNER (M. NO. 012208)

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER (M. NO. 030547)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000497N

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG NO. 103142W

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 004201S

(ARVIND JAIN)
PARTNER (M. NO. 097549)

(TANSUKHLAL CHHEDA)
PARTNER (M. NO. 047157)

(S. SRIDHAR)
PARTNER (M. NO. 025504)

Place: MUMBAI

Date : 12th May, 2015

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Union Bank Of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Union Bank of India as at 31st March, 2015, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2015, and Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 19 branches, 1 Treasury Branch, 18 Regional offices and 29 offices/centers audited by us and 1738 branches including 3 foreign branches and 47 service branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss are the returns from 2324 branches and 72 offices/centers which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.77 per cent of advances, 20.98 per cent of deposits, 4.20 per cent of interest income and 19.60 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
9. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 314010E

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000497N

(BIPUL RASTOGI)
PARTNER (M. NO. 072318)

(H. K. DATTA)
PARTNER (M. NO. 012208)

(ARVIND JAIN)
PARTNER (M. NO. 097549)

FOR G. P. KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.104768W

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG NO. 103142W

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 004201S

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER (M. NO. 030547)

(TANSUKHLAL CHHEDA)
PARTNER (M. NO. 047157)

(S. SRIDHAR)
PARTNER (M. NO. 025504)

Place: MUMBAI

Date : 12th May, 2015

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

	Schedule	As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
Capital And Liabilities			
Capital	1	6,35,77,88	7,41,30,63
Reserves And Surplus	2	1,91,25,10,31	1,77,34,05,16
Deposits	3	31,68,69,91,72	29,76,75,63,97
Borrowings	4	3,53,59,98,16	2,93,16,61,77
Other Liabilities And Provisions	5	96,25,15,00	83,13,28,70
TOTAL		38,16,15,93,07	35,37,80,90,23
Assets			
Cash And Balances With Reserve Bank Of India	6	1,50,63,07,83	1,84,19,67,74
Balances With Banks And Money At Call And Short Notice	7	73,14,94,36	46,53,19,47
Investments	8	9,40,92,98,35	9,37,23,18,39
Advances	9	25,56,54,56,54	22,91,04,42,66
Fixed Assets	10	26,81,95,32	26,08,46,85
Other Assets	11	68,08,40,67	52,71,95,12
TOTAL		38,16,15,93,07	35,37,80,90,23
Contingent Liabilities			
Bills For Collection	12	34,91,05,32,69	19,55,24,16,41
Significant Accounting Policies	17	1,37,00,54,08	1,24,75,70,66
Notes On Accounts	18		

The Schedules Referred To above form an integral part of the Balance Sheet

(NITESH RANJAN) Dy. General Manager	(MAYANK MEHTA) General Manager	(KISHOR KHARAT) Executive Director	(RAKESH SETHI) Executive Director	(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director	(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director
(MIHIR KUMAR) Director	(DEEPAK SINGHAL) Director	(JAG MOHAN SHARMA) Director	(S. K. MISRA) Director	(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director	
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director	(G. K. LATH) Director	(D. CHATTERJI) Director			

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR V.ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000980C

(BIPUL RASTOGI)
PARTNER (M. NO. 072318)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000497N

(ARVIND JAIN)
PARTNER (M. NO. 097549)

Place : MUMBAI

Date : 12th MAY, 2015.

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER (M. NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 103142W

(TANSUKHLAL CHHEDA)
PARTNER (M. NO. 047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER (M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER (M. NO. 025504)

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)			
	Schedule	Year Ended 31.3.2015	Year Ended 31.3.2014
I. Income			
Interest Earned	13	3,20,83,96,21	2,93,49,39,42
Other Income	14	35,23,00,22	28,21,54,04
TOTAL		3,56,06,96,43	3,21,70,93,46
II. Expenditure			
Interest Expended	15	2,36,40,06,56	2,14,70,06,91
Operating Expenses	16	61,43,42,88	54,82,76,05
Provisions And Contingencies		40,41,83,04	35,21,90,17
TOTAL		3,38,25,32,48	3,04,74,73,13
III. Net Profit For The Year		17,81,63,95	16,96,20,33
Add : Profit Brought Forward		41,02	40,74
TOTAL		17,82,04,97	16,96,61,07
IV. Appropriations			
Transfer To Statutory Reserve		5,34,50,00	5,08,86,10
Transfer To Capital Reserve		26,99,74	17,18,09
Transfer To Revenue And Other Reserves		5,55,97,00	6,85,50,00
Proposed Dividend		3,81,46,73	2,52,12,26
Provision For Div. on PNCPS		5,28,35	9,99,00
Dividend Tax		77,41,53	44,54,60
Transfer To Special Reserve [Sec36(l)(Viii)]		2,00,00,00	1,78,00,00
Balance In Profit And Loss Account		41,62	41,02
TOTAL		17,82,04,97	16,96,61,07
Earnings Per Share (Basic And Diluted)		28.05	27.99

The Schedules referred to above form an Integral part of the Profit and Loss Account

(NITESH RANJAN) Dy. General Manager	(MAYANK MEHTA) General Manager	(KISHOR KHARAT) Executive Director	(RAKESH SETHI) Executive Director	(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director	(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director
(MIHIR KUMAR) Director	(DEEPAK SINGHAL) Director	(JAG MOHAN SHARMA) Director	(S. K. MISRA) Director	(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director	
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director	(G. K. LATH) Director	(D. CHATTERJI) Director			

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR V.ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000980C

(BIPUL RASTOGI)
PARTNER (M. NO. 072318)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000497N

(ARVIND JAIN)
PARTNER (M. NO. 097549)

Place : MUMBAI

Date : 12th MAY, 2015.

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER (M. NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 103142W

(TANSUKHLAL CHHEDA)
PARTNER (M. NO. 047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER (M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER (M. NO. 025504)

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

	As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	30,00,00,00	30,00,00,00
II. Issued, Subscribed & Paid up :		
i. 38,44,44,316 Equity Shares of ₹10 each, held by Central Government (Prev. Year 37,89,71,753 Equity Shares)	3,84,44,43	3,78,97,18
ii. 25,13,34,520 Equity Shares of ₹10 each, held by Public	2,51,33,45	2,51,33,45
III. Perpetual No-Cumulative Pref. Shares	-	1,11,00,00
TOTAL	6,35,77,88	7,41,30,63

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :

I. Statutory Reserve :				
As per last Balance Sheet	55,91,86,10		50,83,00,00	
Addition during the year	5,34,50,00	61,26,36,10	5,08,86,10	55,91,86,10
II. Capital Reserve :				
As per last Balance Sheet	7,76,25,39		7,59,07,31	
Addition during the year	26,99,74	8,03,25,13	17,18,09	7,76,25,40
III. Share Premium :				
As per last Balance Sheet	33,51,70,50		28,85,86,87	
Addition during the year	1,05,41,64	34,57,12,14	4,65,83,63	33,51,70,50
IV. Revaluation Reserve :				
As per last Balance Sheet	14,59,33,73		14,95,75,77	
Deduction during the year	34,63,22	14,24,70,51	36,42,04	14,59,33,73
V. Revenue and other Reserves :				
i) Revenue and other Reserves :				
As per last Balance Sheet	42,08,91,00		42,44,00,00	
Addition during the year	5,55,97,00		6,85,50,00	
Deduction during the year	0		7,20,59,00	
Total	47,64,88,00		42,08,91,00	
ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)				
As per last Balance Sheet	22,98,00,00		21,20,00,00	
Addition during the year	2,00,00,00		1,78,00,00	
	24,98,00,00		22,98,00,00	
iii) Foreign Currency Translation Reserve				
As per last Balance Sheet	47,57,41		28,77	
Addition during the year	2,79,40		47,28,64	
Total	50,36,81	73,13,24,81	47,57,41	65,54,48,41
VI. Balance in Profit and Loss Account				
Balance in Profit and Loss Account	41,62			41,02
TOTAL	1,91,25,10,31			1,77,34,05,16

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

	As on 31.3.2015		As on 31.3.2014	
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :				
I. Demand Deposits				
i) From Banks	6,10,07,08		7,89,93,59	
ii) From Others	2,04,82,41,46	2,10,92,48,54	2,19,12,90,72	2,27,02,84,31
II. Savings Bank Deposits		7,15,58,05,17		6,50,97,70,53
III. Term Deposits				
i) From Banks	1,30,22,83,78		1,12,40,93,11	
ii) From Others	21,11,96,54,23	22,42,19,38,01	19,86,34,16,02	20,98,75,09,13
TOTAL		31,68,69,91,72		29,76,75,63,97
Deposits of branches in India		31,22,30,23,90		29,28,11,73,73
Deposits of branches outside India		46,39,67,82		48,63,90,24
TOTAL		31,68,69,91,72		29,76,75,63,97
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :				
A) Borrowings : Capital Instruments				
I. Perpetual Bonds		10,40,00,00		10,40,00,00
II. Upper Tier II Capital		22,50,00,00		22,50,00,00
III. Lower Tier II Capital		52,50,00,00		52,50,00,00
B) Borrowings in India				
I. Reserve Bank of India		0		15,25,00,00
II. Other Banks	7,00,00,00		0	
III. Other Institutions and agencies	44,95,07,39	51,95,07,39	12,92,91,41	12,92,91,41
C) Borrowings Outside India		2,16,24,90,77		1,79,58,70,36
TOTAL		3,53,59,98,16		2,93,16,61,77
Secured Borrowings		33,72,28,20		1,33,66,22
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :				
I. Bills payable		11,67,92,29		13,56,01,38
II. Interest Accrued		9,21,03,19		8,84,53,91
III. Deferred Tax Liability		4,52,23,52		6,79,33,51
IV. Others(including provisions)		70,83,96,00		53,93,39,90
TOTAL		96,25,15,00		83,13,28,70
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA:				
I. Cash in hand				
(including foreign currency notes)		10,06,93,07		7,84,65,44
II. Balances with Reserve Bank of India				
In current Account		1,40,56,14,76		1,76,35,02,30
TOTAL		1,50,63,07,83		1,84,19,67,74
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :				
I. Balances with banks in India				
i) a) In Current Accounts	2,08,30,05		44,15,82	
b) In Other Deposit Accounts	16,66,60,98		8,82,94,51	
ii) Money at Call and short notice				
-with Banks	0	18,74,91,03	0	9,27,10,33
II. Outside India				
i) In Current Accounts	2,68,92,55		6,87,47,89	
ii) In other Deposit Accounts	51,71,10,78	54,40,03,33	30,38,61,25	37,26,09,14
TOTAL		73,14,94,36		46,53,19,47

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

	As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India		
i) Government Securities	7,26,85,31,29	6,97,47,18,65
ii) Shares	9,58,05,08	9,75,35,04
iii) Debentures and Bonds	82,40,46,48	1,15,65,47,76
iv) Subsidiaries and joint ventures	1,29,43,76	3,74,71,26
v) Others		
- Commercial Paper	0	2,07,57,28
- Certificates of Deposits	0	4,15,08,98
- Mutual Funds	9,22,10,38	9,83,20,77
- R I D F	96,31,25,45	90,99,40,86
- Security Receipt by ARCIL	5,98,22,60	1,49,71,73
TOTAL	9,31,64,85,04	9,35,17,72,33
II. Investments outside India		
i) Govt. Securities (Incl. Local Auth.)	3,06,81,23	0
ii) Shares	40,32	40,32
iii) Other investments (Bonds)	3,75,64,26	2,05,05,74
iv) Subsidiaries and joint ventures	2,45,27,50	0
TOTAL	9,28,13,31	2,05,46,06
TOTAL	9,40,92,98,35	9,37,23,18,39
III. i) Investments in India		
Gross Value	9,35,69,37,23	9,39,63,70,76
Provision for Depreciation	4,04,52,19	4,45,98,43
Net Value	9,31,64,85,04	9,35,17,72,33
ii) Investments outside India		
Gross Value/Net Value	9,28,13,31	2,05,46,06
TOTAL	9,40,92,98,35	9,37,23,18,39
SCHEDULE 9 - ADVANCES		
I. i) Bills purchased and discounted	78,16,22,46	53,24,84,83
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	12,08,00,09,60	11,08,32,52,73
iii) Term Loans	12,70,38,24,48	11,29,47,05,10
TOTAL	25,56,54,56,54	22,91,04,42,66
II. i) Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	20,77,13,22,99	19,21,66,12,17
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	1,56,40,53,05	1,14,99,70,46
iii) Unsecured	3,23,00,80,50	2,54,38,60,03
TOTAL	25,56,54,56,54	22,91,04,42,66
A. Advances in India		
i) Priority Sector	8,58,55,17,72	6,96,54,20,70
ii) Public Sector	1,35,00,91,37	1,52,83,77,83
iii) Banks	44,54,32,26	54,96,29,30
iv) Others	13,05,37,50,49	12,12,95,44,14
TOTAL	23,43,47,91,84	21,17,29,71,97

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

	As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
B. Advances Outside India		
i) Due From Banks	51,33,78,55	52,81,53,83
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased and Discounted	34,07,80,03	6,04,55,84
b) Syndicated loans	8,32,98,36	90,69,87,64
c) Others	1,19,32,07,76	24,18,63,38
	2,13,06,64,70	1,73,74,70,69
TOTAL	25,56,54,56,54	22,91,04,42,66

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

A. TANGIBLE ASSETS

I. Premises

At cost/valuation as per last Balance Sheet	23,65,21,96		23,22,51,75	
Additions during the year	52,60,50		42,70,21	
	24,17,82,46		23,65,21,96	
Less: Depreciation to date	5,99,72,44	18,18,10,02	5,45,64,01	18,19,57,95

II. Capital Work in Progress

At cost as per last Balance Sheet	85,06		11,53,81	
Additions during the year	46,57,56		50,63,21	
Deductions during the year	43,29,00	4,13,62	61,31,96	85,06

III. Land

At cost as per last Balance Sheet	49,82,97		13,40,97	
Additions during the year	11,83,87		36,42,00	
	61,66,84		49,82,97	
Less : Depreciation to date	3,04,84	58,62,00	2,45,32	47,37,65

IV. Other Fixed Assets

(including Furniture and Fixtures)

a) Assets given on lease				
At cost as per last Balance Sheet	26,53,52		26,53,52	
	26,53,52		26,53,52	
Less: Depreciation to date	26,53,52		26,53,52	
	0		0	

b) Others

At cost/valuation as per last Balance Sheet	18,60,96,29		16,26,23,28	
Additions during the year	2,64,25,78		2,60,09,46	
	21,25,22,07		18,86,32,74	
Deductions during the year	50,66,37		25,36,44	
	20,74,55,70		18,60,96,30	
Less: Depreciation to date	12,97,88,34		11,57,81,44	
	7,76,67,36	7,76,67,36	7,03,14,86	7,03,14,86

B. INTANGIBLE ASSETS

Computer Software

At cost as per last Balance Sheet	1,64,04,60		1,24,15,63	
Additions during the year	11,30,62		39,88,97	
	1,75,35,22		1,64,04,60	
Amortisation till date	1,50,92,90	24,42,32	1,26,53,27	37,51,33
TOTAL		26,81,95,32		26,08,46,85

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

		(000' Omitted)
	As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :		
I. Inter-office adjustments (net)	15,73,74,40	11,31,85,79
II. Interest accrued	23,82,34,96	23,76,24,82
III. Tax paid/Tax deducted at source (net of provision)	0	0
IV. Stationery and stamps	1,85,77	2,61,32
V. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	3,90	3,89
VI. Others	28,50,41,64	17,61,19,30
TOTAL	68,08,40,67	52,71,95,12

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :

I. Claims against the bank not acknowledged as debts	35,92,85,82	35,99,15,76
II. Liability for partly paid investments	59,20	59,20
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	29,61,70,42,69	14,82,33,21,11
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
i) In India	2,27,16,05,69	2,26,25,73,05
ii) Outside India	3,63,18,51	2,27,63,79,30
V. Acceptances, endorsements and other obligations	2,50,41,15,21	2,03,60,00,04
VI. Other items for which the bank is contingently liable		
i) Disputed Tax demands under appeals	6,10,70,00	5,67,41,00
ii) Amt. Trfd. to DEAF Scheme 2014	6,10,35,57	0
TOTAL	34,91,05,32,69	19,55,24,16,41

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

	Year Ended 31.3.2015	Year Ended 31.3.2014
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/discount on advances/bills	2,39,77,25,12	2,17,40,35,58
II. Income on investments	76,68,86,96	72,70,45,32
III. Interest on balances with RBI & other inter bank funds	1,90,04,77	1,78,53,25
IV. Others	2,47,79,36	1,60,05,27
TOTAL	3,20,83,96,21	2,93,49,39,42
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	3,90,87,31	4,46,99,42
II. Profit on sale of investments - net	7,08,73,96	4,85,72,00
III. Profit on sale of land, buildings & other assets - net	-39,45	2,57,53
IV. Profit on exchange transactions - net	9,71,34,04	7,43,60,62
V. Miscellaneous Income	14,52,44,36	11,42,64,47
TOTAL	35,23,00,22	28,21,54,04
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on deposits	2,16,24,86,49	1,98,39,25,14
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	6,06,33,17	5,31,32,90
III. Others	14,08,86,90	10,99,48,87
TOTAL	2,36,40,06,56	2,14,70,06,91
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and provisions for employees	37,85,51,55	33,07,76,76
II. Rent, taxes and lighting	4,27,23,54	3,81,38,03
III. Printing and stationery	51,98,69	45,26,84
IV. Advertisement and publicity	63,18,63	55,29,08
V. Depreciation on Bank's property	2,20,81,18	1,93,77,95
VI. Directors' fees, allowances and expenses	1,48,13	1,51,34
VII. Remuneration to Managing/Executive Director	59,23	56,71
VIII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	34,34,84	32,91,96
IX. Law Charges	18,55,90	16,08,87
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	65,40,78	70,91,43
XI. Repairs and maintenance	1,04,27,43	94,46,02
XII. Insurance	3,07,92,36	2,83,45,07
XIII. Other expenditure	10,62,10,62	9,99,35,99
TOTAL	61,43,42,88	54,82,76,05

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2014-2015

SCHEDULE 17- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 Accounting Convention

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India.

2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

3 Revenue Recognition

- i) Income and Expenditure have generally been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- ii) Income on Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.
- iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers, commission on biometric cards, income from Aadhar cards etc. are accounted for on realization basis.
- iv) Income (Other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:
 - a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/ redemption.
 - b) On Zero- coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.
- v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

4 Cash Flow Statements

Cash and Cash equivalents include Cash in hand, Balances with RBI, Balances with other Banks and Money at call and short notice.

5 Investments

- i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

- a) Government Securities
- b) Other Approved Securities
- c) Shares
- d) Debentures & Bonds
- e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures and
- f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,

- a) Held to Maturity (HTM)
- b) Available for Sale (AFS)
- c) Held for Trading (HFT)

- ii) As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

- a) i) Securities held in "HTM" – at acquisition cost.

The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.

- ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

- iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.

Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.

- b) i) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit & Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

- ii) Valuation of securities is arrived at as follows:

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines

iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at ₹ 1/- per Company.
iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines
v	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹ 1/- per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

- iii) Interbank Repo/ Reverse Repo transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.
- iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:
- From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
 - From HTM category to AFS/HFT category,
 - If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost / book value
 - If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

- From AFS to HFT category and vice versa, at book value.
- v) The non-performing investments are identified and depreciation / provision is made as per the extant RBI guidelines.
- vi) Profit / Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit & Loss account. However, in case of profit on sale of investments in “HTM” category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.
- vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.
- viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows ‘Settlement Date’ for accounting of investments transactions.

Derivative Contracts

- i) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing Asset or Liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an Asset or Liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the Asset / Liability.
- ii) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.
- iii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

6 Advances

- i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI.
- ii) Advances are stated net of specific loan loss provisions, Counter cyclical provisioning buffer, Provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in Sundry / claims received from Credit Guarantee Trust Fund (CGTF) / Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.
- iii) The general provision on Standard Advances is held in “Other Liabilities and Provisions” reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

7 Fixed Assets and Depreciation

- i) Premises and Other Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price less trade discounts and rebates, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the Asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.
- ii) Application Software is capitalized and clubbed under Intangible assets. Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer hardware and on ATM is provided on Straight line method at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.
- iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under:

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/ Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- Uninterrupted Power Supply Equipments(UPS)	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

- iv) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.
- v) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.
- vi) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.
- vii) Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

8 Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

9 Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for Advances and Investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the Reserve Bank of India.

10 Transactions involving Foreign Exchange

Revaluation of Foreign Currency position and booking Profits / Losses:

- i) Monetary and Non Monetary Assets and Liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit & Loss Account.
- ii) Income & Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit & Loss account.
- iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.
- v) Representative Offices of the Bank outside India are treated as Integral Operation Unit as per RBI guidelines.

11 Accounting for Non-Integral Foreign operations

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations by:

- i) **Revenue Recognition**
Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.
- ii) **Asset Classification and Loan Loss Provisioning**
Asset classification and loan loss provisioning are made as per the local laws of the respective countries or as per RBI guidelines whichever is higher.
- iii) **Fixed Assets and Depreciation**
 - a) Fixed Assets are accounted for at historical cost.
 - b) Depreciation on Fixed Assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.
- iv) **Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as Contingent Liabilities)** are translated at the closing rates notified by FEDAI at the close of the year.
- v) **Income & Expenditure** are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarters.
- vi) **All resulting exchange differences** are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

12 Employee Benefits

Retirement benefit in the form of Provident Fund is a defined contribution scheme. The contributions to the Provident Fund are charged to the Profit & Loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation other than the contribution payable to the Provident Fund.

Gratuity liability, Pension Fund and provision towards Leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss account.

Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulations of the respective countries.

13 Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business segments are classified into

- (a) Treasury Operation,
- (b) Corporate and Wholesale Banking,
- (c) Retail Banking Operation and
- (d) Other Banking Operations.

14 Lease Transactions

Lease payments for Assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease/rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15 Earning per Share

Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity share holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year end.

16 Taxation

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

18 Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2014-2015

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS:

1. BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS

Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

2. INVESTMENTS

- Profit of ₹ 58.43 crore (previous year ₹ 37.18 crore) on sale of “Held to Maturity” category securities have been taken to the Profit and Loss account initially and thereafter an amount of ₹ 27.00 crores (previous year ₹ 17.18 crore) has been appropriated to Capital Reserve net of taxes.
- In respect of “Held to Maturity” category, as stated in Significant Accounting Policy No.5 (ii) (a), the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹ 124.07 crore (previous year ₹ 115.68 crore).
- Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹ 1,200.93 crore (previous year ₹ 1,251.84 crore).

3. DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

3.1 A. CAPITAL

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2019. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 9% with minimum CET I of 5.5% and minimum Tier I CRAR OF 7% as at March 31, 2015.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%)		
	Basel II	Nil	Nil
	Basel III	7.24	7.18
ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	Basel II	7.60	8.13
	Basel III	7.50	7.54

Sr. No	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	Basel II	3.14	3.76
	Basel III	2.72	3.26
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	Basel II	10.74	11.89
	Basel III	10.22	10.80
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	60.47	60.13
vi)	Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore)	5.47	33.51
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore)	--	--
Viii)	Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore)	--	2000
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	--	2000

During the year, the Bank has allotted 54, 72,563 equity shares of ₹10/- each at a conversion price of ₹202.83 per equity share (including premium of ₹192.83 per equity share) to Government of India as approved by shareholders in Annual General Meeting dated 27th June, 2014, by conversion of entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) amounting to ₹111 crore held by the Government of India. Consequently the Government share holding has increased from 60.13% to 60.47%.

3.2 B. INVESTMENTS

The detail of Investments and the Movement of provision held towards depreciation on investments of the Bank is given below:

(₹ in crore)			
	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1	Value of Investments		
	i) Gross Value of Investments	94497.50	94169.09
	(a) In India	93569.37	93963.63
	(b) Outside India	928.13	205.46
	ii) Provisions for Depreciation	404.52	446.58
	(a) In India	404.52	445.98
	(b) Outside India	-	0.60
	iii) Net Value of Investments	94092.98	93722.11
	(a) In India	93164.85	93517.25
	(b) Outside India	928.13	204.86
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i) Opening balance	446.58	358.13

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
ii)	Add: Provisions made during the year	291.52	437.56
iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	333.58	349.11
iv)	Closing balance	404.52	446.58

During the FY 2014-15, as an one time measure, the Bank had transferred Statutory Liquidity Ratio (SLR) securities from AFS category to HTM category for ₹ 2256 crore (previous year ₹ 10378.02 crores). The Bank has booked a loss of ₹ 38.82 crore (previous year ₹ 109.97 crores) on the transfer of such securities.

3.2.1 REPO Transactions (In face value terms)

The details of securities sold and purchased under repo and reverse repo transactions respectively is given below:

(₹ in crore)

		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2015
A	Securities sold under Repo				
i)	Government securities	5.00 (5.00)	9848.80 (2330.76)	3096.93 (46.33)	9848.80 (0.00)
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-
B	Securities purchased under Reverse Repo				
i)	Government securities	5.00 (5.00)	5824.78 (4127.43)	1190.23 (356.34)	-
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-

3.2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i. Issuer composition of Non SLR Investments

The issuer composition of investments in securities, other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of Below Investment Grade Securities	Extent of Unrated Securities	Extent of Unlisted Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	3744.38 (3915.17)	2918.22 (2681.08)	-	0.58 (0.58)	0.58 (0.58)
ii)	FIs	11387.54 (12622.42)	9962.04 (10133.17)	-	-	-
iii)	Banks	455.62 (1178.93)	421.62 (653.75)	-	-	- (2.00)

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of Below Investment Grade Securities	Extent of Unrated Securities	Extent of Unlisted Securities
iv)	Private Corporate	3646.75 (4798.79)	2184.17 (2468.42)	165.04 (229.02)	15.65 (1.13)	153.49 (24.85)
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures*	358.75 (358.75)	358.75 (358.75)	-	-	-
vi)	Others	1520.74 (1264.72)	946.85 (616.84)	-	- (14.52)	- (14.52)
vii)	Provision held towards depreciation	-404.52 (-383.79)	-	-	-	-
	Total	20709.26 (23754.99)	16791.65 (16912.01)	165.04 (229.02)	16.23 (16.23)	154.07 (41.95)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Shares	958.05	975.35
Debentures and Bonds	8240.47	11565.48
Subsidiaries and Joint Ventures	358.75	358.75
Others	11151.99	10855.40
TOTAL	20709.26	23754.98

* Investment of ₹ 15.96 crores in Subsidiaries and Joint Ventures in Schedule 8 to Balance Sheet includes Banks investment in shares of Regional Rural Banks which are classified under SLR investments.

ii. Non performing Non-SLR investments

The movement in gross non performing investments in securities other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance	218.86	47.63
Additions during the year	50.93	179.47
Reductions during the year	66.77	8.24
Closing balance	203.02	218.86
Total provisions held	115.04	74.04

3.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category

The Bank has not made sale and transfer to/from HTM category during the financial year 2014-15 exceeding 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. During the year 2014-15, the Bank had carried out one time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors aggregating ₹ 4,980.29 crore (previous year ₹ 6226.45 crore) and ₹ 4,804.15 crore (previous year ₹ 6244.78 crore),

being face value and book value respectively. In order to comply to the Reserve Bank of India Circular no. RBI/2014-15/254 BDOD.No.BP.BC.42/21.04.141/2014-15 dated October 7, 2014 directing banks to reduce its total SLR securities held in the HTM category to below 23.50 per cent with effect from January 10, 2015, 23.00 per cent with effect from April 4, 2015, 22.50 per cent with effect from July 11, 2015 and 22.00 per cent with effect from September 19, 2015 of their NDTL as on the last Friday of the second preceding fortnight, the Bank on January 6, 2015, transferred securities from HTM to AFS Category aggregating ₹ 3,074.75 crore (previous year ₹ 5297.00 crore) and ₹ 3,010.07 crore (previous year ₹ 5338.26 crore), being face value and book value respectively. The Bank has not sold any securities to Reserve Bank of India under pre announced OMO auctions during the FY 2014-15, (previous year ₹ 1447.26 crore) (book value).

Hong Kong branch has transferred an amount of ₹ 61.57 crores from HTM category to AFS category (previous year ₹ 11.98 crore)

3.3 Derivatives

3.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	The notional principal of swap agreements	13150.07	10514.54
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	4.10	7.89
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book	-3.66	-11.62

Note:

- I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Tier II Bonds.
- II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.
- III. All underlying for hedge transactions are on accrual basis.
- IV. Interest rate swap for USD was taken on MTN raised by the bank in four tranches.
- V. Cross Currency Swap Payables and Receivables for MTN raised by the Bank.

3.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) A) Interest Rate Futures Buy Sell	7030.52 6987.92	3105.06 2205.50
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2015 (instrument-wise)	Nil	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

MTM of IRS deals plus interest accrued on hedging deals.

3.3.3 Disclosures on risk exposures in derivatives

A. QUALITATIVE DISCLOSURE

- a) The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

i) Over the Counter Derivatives

ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives Group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is trading & clearing member with four Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), United Stock Exchange (USE), Bombay Stock exchange (BSE) & MCX Stock Exchange (MCX-SX), on their Currency Derivative segment as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading as well as trading on behalf of its customers in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators. The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own

balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

- I) Front Office - Dealing Room. Ensures Compliance with trade origination requirements as per the Bank's policy and RBI guidelines.
- II) Mid-Office - Risk Management, Accounting Policies and Management
- III) Back Office - Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk Management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

- a) In case of corporate clients, transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The Bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.
- b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits, stop loss limits and counterparty exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits.

These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

- c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.
- d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are Mark to Market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to Counterparty banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty Banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the Bank does not carry any market risk.

B. QUANTITATIVE DISCLOSURES

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2015	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
a	For hedging	2062.50 (2074.73)	9162.57 (6689.80)
b	For trading	634.62 (148.56)	1925.00 (1750.00)
ii)	Marked to Market Positions (1)		
a	Asset (+)	Nil (131.07)	4.10 (8.72)
b	Liability (-)	-1.26 (-3.05)	-8.30 (-21.55)
iii)	Credit Exposure (2)	12.69 (4.53)	19.60 (19.90)
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
a	On hedging derivatives	Nil (Nil)	0.37 (2.47)
b	On trading derivatives	Nil (Nil)	7.92 (3.63)
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
A	Maximum		
	a. On hedging	Nil (Nil)	2.78 (7.03)
	b. On trading	Nil (Nil)	24.78 (5.47)
B	Minimum		
	a. On hedging	Nil (Nil)	0.17 (1.73)
	b. On trading	Nil (Nil)	0.01 (0.06)

*Credit exposure of interest rate derivative also includes the exposure on Hedging deals.

3.4 Asset Quality

3.4.1 Non Performing Assets

The details of movement of gross non performing assets (NPAs), net NPAs and provisions are given below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	2.71	2.33
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
(a)	Opening balance	9563.74	6313.83
(b)	Additions (Fresh NPAs) during the year	5666.26	5459.44
(c)	Increase in balance of existing NPA	-	19.49
	Sub-total (A)	15230.00	11792.76
(d)	Less:-		
(i)	Up-gradations	138.11	551.01
(ii)	Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1130.31	765.44
(iii)	Technical/Prudential Write-offs	861.06	841.72
(iv)	Write-offs other than (iii) above	69.65	70.85
	Sub-total (B)	2199.13	2229.02
(e)	Closing balance (A-B)	13030.87	9563.74
iii)	Movement of NPAs (Net)		
(a)	Opening Balance	5340.25	3353.37
(b)	Additions during the year	2910.10	3273.26
(c)	Reduction during the year	1331.38	1286.38
(d)	Closing Balance	6918.97	5340.25
iv)	Movement of provisions for NPAs		
(a)	Opening balance	4223.49	2960.46
(b)	Provisions made during the year	2756.16	2205.67
(c)	Write-off/write-back of excess Provisions	867.75	942.64
(d)	Closing balance	6111.90	4223.49

Provision includes provision in lieu of diminution in fair value of restructured advances classified as NPAs.

Opening and closing balances of provision for NPAs also include ECGC claims received/recoveries in suit filed accounts and held pending adjustment of ₹ 59.28 crore (Previous Year ₹ 65.58 crore) and ₹ 1.14crore (Previous Year ₹33.09 crore) respectively.

3.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)

Sr. No.		Type of Restructuring	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism				
Asset Classification												
Details												
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY 2014 -15 (Opening Figures)	No.of Borrowers	22 (44)	7 (3)	2 (7)	0 (0)	31 (54)	88 (1203)	103 (301)	8838 (9760)	340 (396)	9369 (11660)
	Amount Outstanding	2631.49 (3146.25)	635.01 (51.06)	39.79 (298.07)	0.00 (0.00)	3306.29 (3495.38)	908.23 (2025.67)	222.82 (283.28)	393.04 (220.93)	40.64 (6.71)	1564.73 (2536.59)	
	Provision there on	353.74 (585.34)	94.42 (10.78)	9.72 (39.63)	0.00 (0.00)	457.88 (635.75)	41.70 (62.79)	9.57 (9.14)	13.27 (6.68)	1.98 (0.50)	66.52 (79.11)	
	No.of Borrowers	16 (15)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	16 (15)	668 (25)	6 (0)	3 (0)	0 (0)	677 (25)	
2	Fresh Restructuring during the year 2014-15	Amount Outstanding	1723.19 (2564.44)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1723.19 (2564.44)	453.14 (296.50)	0.05 (0.00)	0.02 (0.00)	0.00 (0.00)	453.21 (296.5)
	Provision there on	195.80 (288.15)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	195.80 (288.15)	21.67 (3.99)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	21.67 (3.99)	
	No. of Borrowers	1 (2)				1 (2)	5 (51)				5 (51)	
	Amount Outstanding	76.76 (105.69)				76.76 (105.69)	13.35 (29.62)				13.35 (29.62)	
3	Upgradations to restructured standard category during the year 2014-15	Provision there on	0.00 (14.13)				0.00 (14.13)	2.00 (0.29)				2.00 (0.29)
	No.of Borrowers	12 (16)				12 (16)	52 (55)				52 (55)	
	Amount Outstanding	959.41 (1544.16)				959.41 (1544.16)	217.54 (459.02)				217.54 (459.02)	
	Provision there on	61.34 (357.21)				61.34 (357.21)	15.29 (6.69)				15.29 (6.69)	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2014-15 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2015-16	No.of Borrowers		6 (8)	0 (2)	0 (0)	6 (7)		66 (93)	0 (113)	0 (3)	66 (209)
	Amount Outstanding		646.26 (708.59)	0.00 (175.15)	0.00 (0.00)	646.26 (679.78)		413.79 (171.07)	0.00 (79.00)	0.00 (0.01)	413.79 (250.08)	
	Provision there on		93.88 (76.46)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	93.88 (76.46)		19.42 (5.43)	0.00 (1.02)	0.00 (0.00)	19.42 (6.45)	
	No.of Borrowers	0 (0)	0 (0)	1 (3)	0 (0)	1 (3)	0 (0)	0 (0)	8 (1)	0 (0)	8 (1)	
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2014-2015	Amount Outstanding		0.00 (0.00)	103.75 (81.36)	0.00 (0.00)	103.75 (81.36)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	163.97 (18.27)	0.00 (0.00)	163.97 (18.27)
	No.of Borrowers	27 (22)	13 (7)	3 (2)	0 (0)	43 (31)	571 (88)	118 (103)	7517 (8838)	318 (340)	8524 (9369)	
	Amount Outstanding	3859.57 (2631.49)	1435.14 (635.01)	204.20 (39.79)	0.00 (0.00)	5498.91 (3306.29)	788.73 (908.23)	517.23 (222.82)	236.17 (393.04)	40.32 (40.64)	1582.45 (1564.73)	
	Provision there on	361.73 (353.74)	171.13 (94.42)	43.83 (9.72)	0.00 (0.00)	576.69 (457.88)	32.97 (41.70)	26.50 (9.57)	14.38 (13.27)	2.17 (1.98)	76.02 (66.52)	

3.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)

Sr. No.	Type of Restructuring	Others					Total					
		Asset Classification	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
		Details										
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY 2014 -15 (Opening Figures)	No. of Borrowers	575 (16474)	757 (2031)	28292 (31236)	1341 (1393)	30965 (51134)	681 (17721)	867 (2335)	37132 (41003)	1681 (1789)	40361 (62848)
		Amount Outstanding	8813.13 (4575.07)	1071.16 (425.78)	651.63 (564.91)	25.76 (27.98)	10561.68 (5593.74)	12352.85 (9746.99)	1928.99 (760.12)	1084.46 (1083.91)	66.40 (34.69)	15432.70 (11625.71)
		Provision there on	238.59 (174.67)	17.43 (5.96)	28.73 (29.43)	1.65 (0.79)	286.4 (210.85)	634.03 (822.80)	121.42 (25.88)	51.72 (75.74)	3.63 (1.29)	810.80 (925.71)
		No. of Borrowers	10766 (58)	35 (2)	14 (0)	0 (0)	10815 (60)	11450 (94)	41 (4)	17 (0)	0 (0)	11508 (98)
2	Fresh Restructuring during the year 2014-15	Amount Outstanding	2825.23 (1931.40)	1.08 (345.02)	0.08 (0.00)	0.00 (0.00)	2826.39 (2276.42)	5001.56 (4688.54)	1.13 (448.82)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	5002.79 (5137.36)
		Provision there on	180.43 (88.71)	0.03 (7.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	180.46 (95.96)	397.90 (380.85)	0.03 (7.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	397.93 (388.10)
		No. of Borrowers	176 (609)				176 (609)	182 (662)				182 (662)
		Amount Outstanding	7.24 (165.20)				7.24 (165.20)	97.35 (300.51)				97.35 (300.51)
3	Upgradations to restructured standard category during the year 2014-15	Provision there on	0.33 (3.71)				0.33 (3.71)	2.33 (18.13)				2.33 (18.13)
		No. of Borrowers	372 (239)				372 (239)	436 (310)				436 (310)
		Amount Outstanding	1797.59 (896.95)				1797.59 (896.95)	2974.54 (2878.20)				2974.54 (2878.20)
		Provision there on	43.15 (20.79)				43.15 (20.79)	119.78 (384.69)				119.78 (384.69)
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2014-15 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2015-16											
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2014-2015	No. of Borrowers		519 (1002)	0 (5)	0 (1)	519 (1007)		591 (1103)	0 (120)	0 (4)	591 (1227)
		Amount Outstanding		299.48 (1147.24)	0.00 (0.24)	0.00 (0.01)	299.48 (1108.30)		1359.53 (2026.90)	0.00 (254.39)	0.00 (0.02)	1359.53 (2281.31)
		Provision there on		14.10 (25.68)	0.00 (0.02)	0.00 (0.00)	14.10 (25.70)		127.40 (107.57)	0.00 (1.04)	0.00 (0.00)	127.40 (108.61)
		No. of Borrowers	0 (0)	0 (0)	2 (3)	0 (0)	2 (3)	0 (0)	0 (0)	11 (7)	0 (0)	11 (7)
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2014-2015	Amount Outstanding	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	64.46 (42.87)	0.00 (0.00)	64.46 (42.87)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	332.18 (142.50)	0.00 (0.00)	332.18 (142.50)
		No. of Borrowers	9428 (575)	926 (757)	23785 (28292)	1215 (1341)	35354 (30965)	10026 (681)	1057 (867)	31305 (37132)	1533 (1681)	43921 (40361)
		Amount Outstanding	9009.95 (8813.13)	1453.56 (1071.16)	557.19 (651.63)	25.64 (25.76)	11046.34 (10561.68)	13658.25 (12352.85)	3405.93 (1928.99)	997.56 (1084.46)	65.96 (66.40)	18127.70 (15432.70)
		Provision there on	205.43 (238.59)	33.3 (17.43)	23.72 (28.73)	1.67 (1.65)	264.12 (286.40)	600.13 (634.03)	230.93 (121.42)	81.93 (51.72)	3.84 (3.63)	916.83 (810.80)
7	Restructured Accounts as on March 31 of FY 2014-15 (Closing Figures)											

3.4.3 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	No. of accounts	9	21
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC		
a)	NPA Accounts	40.69	107.08
b)	Written-off accounts	Nil	Nil
c)	SMA accounts	326.52	Nil
iii)	Aggregate consideration		
a)	NPA Accounts	81.20	133.50
b)	Written-off accounts	234.23	82.00
c)	SMA accounts	326.52	Nil
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year.	Nil	Nil
v)	Aggregate gain / (loss) over net book value.		
a)	NPA Accounts	40.51	26.42
b)	Written-off accounts	234.23	82.00
c)	SMA accounts	Nil	Nil

3.4.4 Details of non performing financial assets purchased / sold

A. Details of non performing financial assets purchased

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1	a. No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a. Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non performing financial assets sold

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

C. Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking		Total	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Book Value of Investments in Security Receipts	196.54	117.94	--	--	196.54	117.94

Particulars	Backed by SMA sold by the bank as underlying		Backed by SMA sold by other banks/ financial institutions/ non banking		Total	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Book Value of Investments in Security Receipts	257.82	--	--	--	257.82	--

3.4.5 Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.3.2014
Provision towards Standard Assets	239.81	309.92

The provision on Standard Assets held by the Bank as on 31st March, 2015 is ₹ 1613.36 crore (previous year ₹ 1325.20)

3.5 Business Ratios

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	8.88	8.95
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.97	0.86
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.61	1.59
iv)	Return on Assets	0.49	0.52
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	14.46	13.76
vi)	Profit per employee (₹ in crore)	0.05	0.05

3.6 Asset Liability Management

The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2015 is based on the following:

- RBI Guidelines on ALM
- Behavioral studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality.
- Foreign Currency On-balance sheet Assets & Liabilities.

(₹ in crore)

	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency assets	Foreign Currency liabilities
Day 1	1090.96 (4422.70)	2032.03 (3574.93)	3219.48 (575.88)	705.05 (1518.61)	1932.81 (2214.45)	2330.95 (2859.23)
2-7 days	3698.22 (12511.58)	2786.50 (2174.00)	650.33 (671.12)	2253.62 (1012.75)	271.88 (430.51)	1137.13 (1138.54)
8-14 days	4455.91 (3554.37)	3362.06 (2427.83)	0.00 (325.04)	1466.68 (3183.47)	1184.23 (384.37)	1155.27 (3386.21)
15 to 28 days	4890.86 (4853.29)	7549.93 (9606.22)	0.00 (644.74)	1174.29 (2557.37)	976.63 (2952.45)	1393.55 (3110.56)
29 days to 3 months	27002.47 (28471.88)	23736.91 (25077.87)	2615.00 (1188.88)	3297.34 (2529.14)	8571.45 (9425.43)	4171.40 (3975.83)
Over 3 months & up to 6 months	21174.15 (18630.60)	16766.13 (13965.30)	2605.63 (530.26)	6169.52 (6114.87)	6281.27 (8821.84)	5052.41 (7465.00)
Over 6 months & up to 1 year	50651.85 (34476.62)	28994.80 (43415.89)	2823.40 (4816.82)	3757.49 (2238.85)	4117.85 (2306.56)	7468.37 (4671.26)
Over 1 year & up to 3 years	52004.79 (60539.79)	119855.99 (82746.74)	8346.60 (16971.24)	3489.88 (2577.84)	5099.95 (3853.48)	8514.91 (5289.63)
Over 3 years & up to 5 years	27572.41 (21755.62)	26783.47 (26127.42)	27061.17 (22269.23)	6816.12 (1463.73)	5874.32 (468.47)	5954.59 (924.45)
Over 5 years	124328.30 (108459.18)	23786.75 (19988.22)	46771.37 (45729.97)	6229.99 (6090.00)	2090.73 (92.27)	730.85 (446.63)
Total	316869.92 (297675.63)	255654.57 229104.43)	94092.98 (93723.19)	35359.98 (29316.62)	36401.12 (30949.83)	37909.44 (33267.33)

NOTE: Previous year figures have been mentioned in brackets

3.7 Exposures**3.7.1 Exposure to Real Estate Sector**

(₹ in crore)

Sr. No.	Category	31.03.2015	31.03.2014
a)	Direct exposure		
i)	Residential Mortgages - Of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector.	25879.22 11290.15	20492.14 11689.98
ii)	Commercial Real Estate -	4980.33	5370.03
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	-- --	-- --
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	8666.32	7565.63
	Total Exposure to Real Estate Sector	39525.87	33427.80

3.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	683.91	772.49
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	1.55	9.42
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	1.88	1.98
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	71.34	60.11
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	491.70	580.01
vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	313.00	6.62
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	-	-
viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	-	-
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	11.97	-
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckon for compliance with the capital market exposure.**	517.02	479.35
	Total exposure to Capital Market	2092.37	1909.98

** Including undrawn capital commitments of venture capital amounting ₹168.79 crore for 2014-15 (Previous year ₹ 144.02 crore).

3.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Net Exposure 31.03.2015	Net Exposure 31.03.2014	Provision held 31.03.2015	Provision held 31.03.2014
Insignificant	12909.19	5264.53	Nil	Nil
Low	3837.78	2259.37	Nil	Nil
Moderate	672.70	546.82	Nil	Nil
High	0.20	7.31	Nil	Nil
Very High	264.92	203.14	Nil	Nil
Restricted	Nil	Nil	Nil	Nil
Off-credit	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	17684.79	8281.17	Nil	Nil

The Bank had used ECGC Country Risk classification for the Trade Exposure in India and S&P rating for Hong Kong and Dubai Branch & other than Trade Exposure in India, as per Country Risk Policy 2013-14. The Bank has used ECGC Country Risk classification for the Trade Exposure and other than Trade exposure in India, Hong Kong, Dubai and Antwerp branch, as per Country Risk Policy 2014-15. The latest country risk classification published by ECGC will be the base for the purpose of limit allocation for the year 2014-15. However, sub limits will be fixed within the same for non trade and foreign branches related transaction which will be 20% of the total limit.

The exposures taken on various countries are well within the limits allocated to them based on Bank's capital funds. Hence, the provisioning for country-risk is not required as per prevailing guidelines of 1% of total assets.

3.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

(₹ in crore)

Sr. No	Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.15	Position as % of Capital Fund
1.	Single Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2.	Group Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

3.7.5 Unsecured Advances:

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority etc.	Nil	Nil
Estimated value of such intangible collateral securities	Nil	Nil

3.8 Disclosure of Penalties imposed by RBI : ₹ 3.53 lacs, (previous year ₹ 13.25 lacs)

4 Disclosure Requirements as per Accounting Standards where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Account.

4.1 Revenue Recognition (AS 9)

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy no.3 (iii) of Schedule 17 of Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

4.2 Employee Benefits (AS 15)

4.2.1 Defined Benefit Plans – Employee's Pension Plan and Gratuity Plan:

The movement of the present value of the defined benefit obligation, fair value of plan assets and other details for Pension / Gratuity benefits is given below:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2015		31.03.2014	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	Table showing change in Defined Benefit Obligation :				
	Liability at the beginning of the year	1060.13	6683.81	1000.86	5991.02
	Interest Cost	95.66	616.32	82.64	509.62
	Current Service Cost	45.13	190.73	44.92	194.81
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	-160	-452	-147.18	-380.68
	Actuarial (gain) / loss on obligations	47.24	1179.57	78.89	369.04
	Liability at the end of the year	1088.16	8218.43	1060.13	6683.81
ii)	Table of Fair value of Plan Assets:				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1081.23	6104.73	1037.22	4774.08
	Expected return on Plan Assets	96.74	630.38	87.02	522.50
	Contributions	208.00	1367.00	124.17	1422.06
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	-160.00	-452.00	-147.18	-380.68
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	38.03	210.89	-20.00	-233.23
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1264.00	7861.00	1081.23	6104.73
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	-9.21	-968.68	-98.90	-602.28

	Particulars	31.03.2015		31.03.2014	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
iii)	Recognition of Transitional Liability :				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	Actual return on Plan Assets :				
	Expected Return on Plan Assets	96.74	630.38	87.02	522.50
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	38.03	210.89	-20.00	-233.23
	Actual return on Plan Assets	134.77	841.27	67.02	289.27
v)	Expenses recognized in the Income Statement:				
	Current Service Cost	45.13	90.73	44.92	194.81
	Interest Cost	95.66	616.32	82.64	509.62
	Expected Return on Plan Assets	-96.74	-630.38	-87.02	-522.50
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	65.00	338.00	65.00	338.00
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial Gain or Loss	9.21	968.68	98.90	602.28
	Expenses Recognized in P & L	118.26	1483.35	204.43	1122.20
vi)	Balance Sheet Reconciliation:				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	-86.10	241.08	-166.36	540.94
	Expenses as above	118.26	1483.35	204.43	1122.20
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	-208.00	-1367.00	-124.17	-1422.06
	Amount recognized in Balance Sheet	-175.84	357.43	-86.10	241.08
vii)	Other Details :				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10, 00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	35646	21337	33945	23163
	Salary Per Month	135.34	97.37	126.03	98.59
	Contribution for next year	Nil	315.48	Nil	319.43
viii)	Category of assets:				
	Government of India Assets	146.02	473.14	151.48	473.15
	Corporate Bonds	385.01	1879.80	337.99	1584.16
	Special Deposits Scheme	Nil	Nil	Nil	Nil
	State Govt.	434.50	2390.20	357.44	2011.48
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	40.47	214.74	24.96	28.60
	Insurer Managed Funds	258.00	2903.12	209.36	2007.33
	Total	1264.00	7861.00	1081.23	6104.73

	Particulars	31.03.2015		31.03.2014	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
ix)	Principal actuarial assumption used (%)				
	Discount Rate Prev.	9.33	9.27	8.50	8.50
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00	8.70	8.00	8.70
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	4.00	4.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	7.99	7.95	9.33	9.27
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.70	8.70	8.00	8.70
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
Liability at the end of the year	1088.16	1060.13	1000.86	990.55	894.93
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1264.00	1081.23	1037.22	861.28	873.05
Difference	175.84	21.10	36.36	-129.27	-21.88
Unrecognized Past Service Cost	-	65.00	130.00	195.00	260.00
Unrecognized Transition Liability	-	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	175.84	86.10	166.36	65.73	238.12

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
Experience Adjustment	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
On plan liability (Gain) / Loss	-21.18	123.74	21.60	95.09	145.69
On plan Assets (Loss) / Gain	38.03	-20.00	-24.43	-0.80	-4.15

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
Liability at the end of the year	8218.43	6683.81	5991.02	5259.03	4771.82
Fair value of Plan Assets at the end of the year	7861.00	6104.73	4774.08	4020.00	2513.69
Difference	-357.43	-579.08	-1216.94	-1239.03	-2258.13
Unrecognized Past Service Cost	-	338.00	761.00	1014.17	1352.17
Unrecognized Transition Liability... Closing Balance	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	-357.43	-241.08	-455.94	-224.86	-905.96

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension				
Experience Adjustment	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
On plan liability (Gain) / Loss	731.44	661.38	251.18	511.13	367.19
On plan Assets (Loss) / Gain	210.89	-233.23	-103.10	-145.15	-15.87

4.2.2 Defined Contribution Plan:

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after August 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2014-15, the Bank has contributed ₹ 42.44 crore (Previous Year ₹ 28.55 crore).

4.2.3 Other Long Term Employee Benefits:

4.2.3.1 Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.15	31.03.14
1.	Pension	1483	1122
2.	Leave Encashment	68	43
3.	Leave Travel Concession	9	Nil
4.	Sick Leave	Nil	Nil

4.3 SEGMENT REPORTING (AS-17)

4.3.1 Business Segments:

(₹ in Crore)

Business Segment		Standalone				
		Quarter ended			Year ended	
		(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)	
		31.03.2015	31.12.2014	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
(a)	Segment Revenue					
1	Treasury Operations	2624.40	2401.08	2105.58	9457.35	8515.80
2	Retail Banking Operations	2550.30	2895.85	2708.39	10096.56	9034.75
3	Corporate /Wholesale Banking	4121.28	3547.65	3538.74	15733.95	14301.05
4	Other Banking Operations	98.76	85.18	94.24	342.36	331.29
5	Unallocated	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	9394.74	8929.76	8446.95	35630.22	32182.89
	Less Inter-segment Revenue	11.03	8.76	2.00	23.26	11.96
	Total Revenue	9383.71	8921.00	8444.95	35606.96	32170.93
(b)	Segment Results					
1	Treasury Operations	641.87	557.80	325.65	1902.99	1145.60
2	Retail Banking Operations	575.20	323.04	220.81	1216.99	845.64
3	Corporate /Wholesale Banking	-624.56	-309.02	-192.98	-503.19	-85.49
4	Other Banking Operations	49.84	41.60	45.77	166.59	163.14
5	Unallocated	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Profit Before Tax	642.35	613.42	399.25	2783.38	2068.89
(c)	Income Tax	198.58	311.00	-179.66	1001.74	372.69
(d)	Net Profit	443.77	302.42	578.91	1781.64	1696.20
(e)	Segment Assets					
1	Treasury Operations	113440.55	120613.24	118208.15	113440.55	118208.15
2	Retail Banking Operations	107285.95	102894.66	87088.32	107285.95	87088.32
3	Corporate/Wholesale Banking	156474.27	145815.77	147776.85	156474.27	147776.85
4	Other Banking Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Unallocated Assets	4415.16	2456.00	707.58	4415.16	707.58
	Total	381615.93	371779.67	353780.90	381615.93	353780.90
(f)	Segment Liabilities					
1	Treasury Operations	107654.06	113784.75	111101.08	107654.06	111101.08
2	Retail Banking Operations	102760.57	97955.25	82315.90	102760.57	82315.90
3	Corporate /Wholesale Banking	149874.09	138815.95	139678.71	149874.09	139678.71
4	Other Banking Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Unallocated Liabilities	1565.18	1431.85	2209.85	1565.18	2209.85
6	Capital, Reserves & Surplus	19762.03	19791.87	18475.36	19762.03	18475.36
	Total	381615.93	371779.67	353780.90	381615.93	353780.90

Notes:

1. The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with segment reporting AS-17, after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits. Hence, the bank has only one reportable geographical segment.
2. Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.

4.4 Related Party Disclosures (AS-18)

A. List of Related Parties

a) Subsidiaries

- Union KBC AMC Pvt. Ltd.
- Union KBC Trustee Company Private Ltd.
- Union Bank of India (UK) Ltd.

b) Joint Venture

- Star Union Dai-ichi Life Insurance Co.

c) Associate

- Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank

d) Key Management Personnel

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2014-15
Shri Arun Tiwari	Chairman & Managing Director	NA
Shri K. Subrahmanyam	Executive Director	NA
Shri S. K. Jain	Executive Director	Cessation on 31.05.2014
Shri Rakesh Sethi	Executive Director	NA
Shri Kishor Kharat	Executive Director	Joined on 10.03.2015

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

4.4.1 Key Management Personnel – Remuneration paid.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Chairman and Managing Director	0.20	#0.23
Executive Directors	0.39	#0.50
Total	0.59	0.73

includes performance linked incentives of ₹ 0.06 crore and ₹ 0.08 crore paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank respectively.

4.5 Earnings per Share (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i	Basic and Diluted EPS (₹)	28.05	27.99
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (₹ in crore)	1776.36	1696.20
iii	Weighted Average number of equity shares (No. in crore)	63.33	60.59
iv	Nominal value per share (₹)	10.00	10.00

4.6 Deferred Tax (AS-22)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	234.25	276.42
2	Employee Benefits	328.89	325.83
3	Depreciation on investments claimed in earlier years sold during the year	15.73	3.83
4	Leave Encashment	57.93	34.82
5	On account of other provisions	477.18	212.65
	Total	1113.98	853.55
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of Investments	66.15	52.06
2	Depreciation on Fixed Assets	35.68	32.28
3	Accrued interest on securities	641.15	667.46
4	Special Reserves u/s 36(i) (viii)	823.24	781.09
	Total	1566.22	1532.89
	Net Deferred Tax Asset	Nil	Nil
	Net Deferred Tax Liability	452.24	679.34

4.6.1 Provisions for Direct Tax

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provision for Income Tax (Including Deferred tax and Wealth tax liability)	1001.74	623.76

4.7 Impairment of Asset (AS-28)

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

- 4.8 Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(i) to (vi) are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

5 Additional Disclosures

5.1 Provisions and Contingencies

(₹ In crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss	31.03.2015	31.03.2014
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	-37.62	87.85
Provision towards NPA	2536.67	2106.17
Provision towards Standard Assets	239.81	308.87
Net Provision made towards Income Tax (IT)/Wealth Tax/ Deferred tax liability (DTL)	1001.74	370.79
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	38.82	109.97
- Restructured Advances	127.11	254.69
- Others	135.30	283.56
TOTAL	4041.83	3521.90

Towards the proposed wage revision effective from 1st November, 2012 pending settlement, an adhoc provision of ₹ 464 crore is held as on 31st March, 2015, which includes ₹ 209 crore provided during the current year.

5.2 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision

(₹ In crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Opening Balance as on 01.04.2014	511.21	763.00
ii)	Additional provisions made during the accounting year	75.18	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	293.19	251.79
iv)	Closing balance	293.20	511.21

Pursuant to RBI circular DBR.No.BP.BC.79/21.04.048/2014-15 dated 30th March 2015; Bank has utilized 50% of its floating provision held as at 31st December 2014. Accordingly, an amount of ₹ 293.195 crore out of floating provision of ₹ 511.21 crore held has been utilized towards specific provisions for non performing assets.

5.3 Draw Down from Reserves

Bank has not made any draw down during the year 2014-15 (previous year ₹ 0.03 crore).

5.4 Disclosure of complaints

A Customer Complaints

Sr. No	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	778	1478
(b)	No. of complaints received during the year	121000	121546
(c)	No. of complaints redressed during the year	121442	122246
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	336	778

B Complaints pertaining to ATM card issued by the Bank

Sr. No	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	553	560
(b)	No. of complaints received during the year	90898	93163
(c)	No. of complaints redressed during the year	91248	93170
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	203	553

Out of the above, details of complaints specifically attributable to acquiring bank:

Sr. No	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	334	389
(b)	No. of complaints received during the year	40448	62839
(c)	No. of complaints redressed during the year	40584	62894
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	198	334

C Awards passed by the Banking Ombudsman

Sr. No	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	-	1
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	15	9
(c)	No. of Awards implemented during the year	12	10
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	3*	Nil

*1) Appeal with Dy. Governor, RBI for payment proceeds of Term Deposits.

2) Two awards pertaining to ATM transactions of our customers with other banks are pending to be implemented.

5.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoCs) issued

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Letter of Comfort outstanding at beginning of the year	4078.00	3815.51
Add : Issued during the year	11381.00	12890.41
Less : Expired during the year.	11757.09	12627.92
Outstanding at the end of the year	3701.91	4078.00

5.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provision Coverage ratio (%)	59.23	59.98

5.7 Disclosure of – Bancassurance Business

The breakup of income derived from bancassurance business is given here below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	31.03.2015	31.03.2014
1.	Life Insurance Policies	30.68	29.37
2.	Non Life Insurance Policies	6.97	7.29
3.	Others (specify)	Nil	Nil

5.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

5.8.1 Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Deposits of twenty largest depositors	35722.00	40722.39
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	11.27%	13.68%

5.8.2 Concentration of Advances

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Advances of twenty largest borrowers	27825.86	20379.68
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank.	8.35%	8.69%

5.8.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposures of twenty largest borrowers/customers	57375.79	56738.15
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers.	13.29%	24.19

5.8.4 Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposures to top four NPA accounts	1482.44	1159.49

5.9 Sector-wise Advances

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	Current Year (FY 2014-15)			Previous Year (FY 2013-14)		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	30297	1374	4.54	25614	1550	6.05
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	15998	1250	7.81	13402	753	5.62
3	Services	16837	916	5.44	19220	881	4.58
4	Personal loans	14392	466	3.24	13603	305	2.25
	Sub-total (A)	77524	4006	5.17	71840	3490	4.86
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	3665	156	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	81575	5458	6.69	88389	3915	4.43
3	Services	85212	3207	3.76	62661	1812	2.89
4	Personal loans	14781	204	1.38	11442	347	3.03
	Sub-total (B)	185233	9025	4.87	162492	6074	3.74
	Total (A+B)	262757	13031	4.96	234332	9564	4.08

Sub sectors where the outstanding advance exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector for the FY 2014-15 are as under:

Sr. No.	Sub sector	Sector	Outstanding	% to Total advance in sector
1	Growing of cereals	Agriculture	6392	18.82
2	Storage & market yards	Agriculture	4213	12.4
3	Collection & distribution of electricity	Industry	8220	10.8
4	Generation of electricity	Industry	13659	17.94
5	NBFC - General Purpose loan	Service	13920	13.64
6	All other loan NEC	Personal	3450	11.85
7	Housing loan other than staff	Personal	18069	62.04

5.10 Movement of NPA

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Gross NPA as on 1 st April 2014 (Opening Balance)	9563.74	6313.83
Additions (Fresh NPAs) during the year	5666.26	5459.44
Increase in balance of existing NPA	--	19.49
Sub-total (A)	15230.00	11792.76
Less:-		
(i) Up-gradations	138.11	551.01
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1130.31	765.44
(iii) Write-Offs	930.71	912.57
Sub-total (B)	2199.13	2229.02
Gross NPA as on 31st March 2015 (closing balance) (A-B)	13030.87	9563.74

Stock of Technical Write-offs

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts	3664.81	3,325.68
ii)	Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	861.06	841.72
iii)	Sub-total (A)	4525.87	4167.40
iv)	Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	585.67	502.59
v)	Closing balance (A-B)	3940.20	3664.81

5.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Assets	27195.96	22005.13
Total NPAs	469.63	421.68
Total Revenue	919.99	724.91

5.12 No Off – balance Sheet SPVs sponsored.

5.13 Unamortized Pension and Gratuity Liabilities

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Pension		
a) Charged to Profit & Loss account	338.00	338.00
b) Carried forward	-	338.00
Gratuity		
a) Charged to Profit & Loss account	65.00	65.00
b) Carried forward	-	65.00

5.14 Credit Default Swaps:

The Bank had not entered into any Credit Default Swap transactions during the financial year 2014-15.

5.15 Intra Group Exposures

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015
Total amount of Intra group exposure	121885.55
Total amount of Top 20 Intra group exposure	45217.42
Percentage of Intra group exposure to Total exposure of the Bank on borrowers/customers	28.23%
Details of breach of limits on Intra group exposure and regulatory action thereon	Nil

5.16 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance amounts transferred to DEAF	Nil	Nil
Add: Amount transferred to DEAF during the Year	620.58	Nil
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	10.22	Nil
Closing balance of Amount transferred to DEAF	610.36	Nil

5.17 Un-hedged Foreign Currency Exposure

Bank has an approved Policy on Un-hedged Foreign Currency Exposure for 2014-15. The Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market while framing the policy and accordingly, has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of un-hedged foreign currency exposure and accordingly has put in place risk mitigation measures by incorporating additional loan pricing framework. Incremental provision made for exposures to entities with UFCE for March, 2015 quarter is ₹ 24.98 crores.

6 Liquidity Coverage Ratios (LCR)

Qualitative Disclosure

LCR aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI.

LCR is the ratio of HQLA to Net Cash Outflow.

$LCR = \frac{HQLA}{Net\ Cash\ Outflows\ over\ 30\ days}$

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 60% for the calendar year 2015. LCR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations.

HQLA:

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

HQLA is categorized into two a) Level 1 Assets, and b) Level 2 Assets. Level 2 Assets are also sub divided into Level 2A Assets & Level 2B Assets based on Liquidity & Price Volatility.

Level 1

Levels 1 Asset mainly comprise Cash including excess CRR, Excess SLR, MSF (2% of NDTL) & FALLCR (5% of NDTL).

Level 2A Assets

15% haircut is applied on current market value of Level 2A asset. Level 2A assets mainly comprise Securities with 20% risk weight not issued by a bank/financial institution/NBFC, Corporate bonds, not issued by bank/financial institution/NBFC, rated AA- or above and Commercial Papers with rating AA- or above.

Level 2B Assets

50% haircut is applied on current market value of Level 2B asset. Level 2B assets comprise not more than 15% of the total stock of HQLA. Level 2B assets mainly comprise Securities with risk weights higher than 20% but not higher than 50%, i.e., with credit rating not lower than BBB- and

Equity Shares not issued by bank/financial institution/NBFC and index component.

Brief about LCR of the Bank:

For all three months, i.e., January to March'15, Bank's LCR has been more than the minimum 60% regulatory requirement for 2015 Calendar year. Based on the general liquidity in the market as well as Bank's internal liquidity status the LCR of the Bank varied during the quarter.

HQLA:

Bank is having sufficient High Quality Liquid Assets so as to maintain LCR above regulatory prescription. Level 1 asset is the main driver of HQLA, contributing around 89% in the Total HQLA of the Bank.

Outflows & Inflows:

Deposits are the main source of funds for the Bank comprising around 83% of total liabilities. Bank's exposure is mainly in Indian rupee.

6.1 Disclosure format

(₹ in Crore)

LCR Disclosure as of 31 st March 2015			
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
HIGH QUALITY LIQUID ASSETS			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	40632.79	39740.55
CASH OUTFLOWS			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	162121.38	14462.12
(i)	Stable deposits	35000.26	1750.01
(ii)	Less stable deposits	127121.11	12712.11
3	Unsecured wholesale funding, of which:	46017.22	24170.10
(i)	Operational deposits (all counterparties)	7431.32	1857.83
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	27122.72	10849.09
(iii)	Unsecured debt	11463.18	11463.18
4	Secured wholesale funding	8398.86	3822.07
5	Additional requirements, of which	13605.29	3003.57
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	7.15	7.15
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	13598.14	2996.42

(₹ in Crore)

7 FIXED ASSETS

- a) Documentation formalities are yet to be completed in respect of five (P.Y. nine) immovable properties held by the Bank at written down value of ₹ 11.17 crores (P.Y. ₹ 49.35 crores.) in respect of which steps have already been initiated.
- b) Land and Buildings revalued as on 31.3.1995 at fair market value as determined by an approved valuer, have further been revalued as on 30.11.2007 at fair market value by approved valuer. The resultant increase in value thereof on such revaluation amounting to ₹ 456.59 crores as on 31.3.1995 and ₹ 1290.68 crores as on 30.11.2007 have been credited to Revaluation Reserve and depreciation amounting to ₹ 34.62 crores (Previous year ₹ 10.22 crores) attributable thereto has been deducted there from.
- 8 During the current year, there is no prior period item and change in accounting policy (as per AS 5) and no discontinued operations (as per AS 24).
- 9 The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

LCR Disclosure as of 31 st March 2015			
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
6	Other contractual funding obligations	734.18	734.18
7	Other contingent funding obligations	34152.40	1707.62
8	TOTAL CASH OUTFLOWS	265029.33	47899.67
CASH INFLOWS			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	294.42	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	1955.01	1955.01
11	Other cash inflows	17754.21	10351.12
12	TOTAL CASH INFLOWS	20003.63	12306.13
			Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		39740.55
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		35593.54
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		111.65%

Liquidity Coverage ratio as of 31st March 2015 is 111.65%**SIGNATORIES TO SCHEDULES 1 TO 18**

(NITESH RANJAN) Dy. General Manager	(MAYANK MEHTA) General Manager	(KISHOR KHARAT) Executive Director	(RAKESH SETHI) Executive Director	(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director	(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director
(MIHIR KUMAR) Director	(DEEPAK SINGHAL) Director	(JAG MOHAN SHARMA) Director	(S. K. MISRA) Director	(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director	
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director		(G. K. LATH) Director	(D. CHATTERJI) Director		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR V.ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000980C

(BIPUL RASTOGI)
PARTNER (M. NO. 072318)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000497W

(ARVIND JAIN)
PARTNER (M. NO. 097549)

Place : MUMBAI

Date : 12th MAY, 2015.

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER (M. NO. 012208)

FOR GBKA & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 103142W

(TANSUKHLAL CHHEDA)
PARTNER (M. NO. 047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER (M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER (M. NO. 025504)

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(₹ in Lacs)

S.NO.	Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Net Profit / (Loss) before Tax	278,338	206,889
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	22,081	19,378
	Depreciation on investments	120	19,783
	Provision for Non performing assets	266,378	236,086
	Provision for standard asset	33,386	58,114
	Other provisions	4,125	939
	Profit / (Loss) on sale or disposal of Fixed Assets	39	(258)
	Provision for Staff related expenditures	28,518	23,587
	Sub Total	632,985	564,518
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	1,919,428	3,391,407
	Increase / (Decrease) in Borrowings	237,716	34,650
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1,332	38,053
	(Increase) / Decrease in Investments	(37,100)	(1,309,057)
	(Increase) / Decrease in Advances	(2,921,392)	(2,336,311)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(153,894)	(76,019)
	Direct taxes paid (net of refund)	(59,023)	(75,483)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(379,948)	231,757
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
	Purchase of Fixed Assets	(25,897)	(36,869)
	Sale of Fixed Assets	416	1,126
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(25,481)	(35,743)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		
	Conversion of perpetual Non-Cumulative Preference Shares	(11,100)	0
	Issue of Equity Shares against conversion of PNCPS	547	3,352
	Security Premium received (net of Share Issue Expenses)	10,542	46,583
	Proceeds from issue of IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds / PNCPS	366,621	517,283
	Payment of Dividend (Interim & Final Including dividend tax)	(30,666)	(76,984)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	335,944	490,234
	Net Increase (decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	(69,485)	686,248
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	2,307,287	1,621,039
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	2,237,802	2,307,287

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(₹ in Lacs)

S.NO.	Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
D	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,841,968	1,076,292
	Balances with banks and Money at call	465,319	544,747
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	2,307,287	1,621,039
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,506,308	1,841,968
	Balances with banks and Money at call	731,494	465,319
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	2,237,802	2,307,287

(KISHOR KHARAT)

Executive Director

(RAKESH SETHI)

Executive Director

(K.SUBRAHMANYAM)

Executive Director

(ARUN TIWARI)

Chairman & Managing Director

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2015. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 12th May, 2015 to the members.

FOR V. ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000980C

(BIPUL RASTOGI)
PARTNER (M. NO. 072318)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000497N

(ARVIND JAIN)
PARTNER (M. NO. 097549)

Place: MUMBAI

Date : 12th May, 2015

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER (M. NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 103142W

(TANSUKHLAL CHHEDA)
PARTNER (M. NO. 047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER (M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER (M. NO. 025504)

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Board of Directors of Union Bank Of India

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements (CFS) of Union Bank of India (the 'Bank'), its subsidiaries, associates and joint ventures (the 'Group'), which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2015, and the consolidated Profit and Loss Account and consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the:

- (i) Accounts of the Bank audited by 6 (six) Joint Auditors,
- (ii) Accounts of the three subsidiaries, one associate and one joint venture audited by other auditors.

Management's responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India and the requirements of Reserve Bank of India (RBI). This includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of reports of the other auditor on the financial statements of the Group as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- a. In the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2015
 - b. In the case of the consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date, and
 - c. In the case of the consolidated Cash Flow Statements, of the cash flows for the year ended on that date.

Other Matter

7. We have not audited the financial statements of:
- (i) two domestic subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of ₹22.35 crore as at March 31, 2015, total revenues of ₹13.10 crore on that date and net cash outflows amounting to ₹8.21 crore for the year then ended; and
 - (ii) a joint venture, whose financial statements reflect total assets of ₹5,739.55 crore as at March 31, 2015, total revenues of ₹2,052.32 crore on that date and net cash outflows amounting to ₹20.59 crore for the year then ended; and
 - (iii) an associate, whose financial statements reflect total assets of ₹8,647.28 crore as at March 31, 2015, total revenues of ₹689.17 crore on that date and net cash inflows amounting to ₹26.01 crore for the year then ended; and

(iv) an international subsidiary, whose financial statements reflect total assets of ₹842.83 crore as on 31st March, 2015 and total revenue of ₹12.01 crore and cash outflows amounting to ₹18.80 crore for the year then ended. The financial statements and other financial information of said subsidiary has been audited by other auditors as per the requirement of respective local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). These financial statements have been converted as per the requirements of Indian GAAP by the management.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

FOR V.ROHATGI & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REGNO.NO.000980C

(BIPUL RASTOGI)

PARTNER (M.NO.072318)

FOR G. P. KAPADIA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REGN.NO.104768W

(NIMESH BHIMANI)

PARTNER (M.NO.030547)

FOR GBCA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REGNO.NO.103142W

(TANSUKHLAL CHHEDA)

PARTNER (M.NO.047157)

FOR J. GUPTA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REGN NO.314010E

(H. K. DATTA)

PARTNER (M.NO. 012208)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REGN.NO.000497N

(SANJEEVA NARAYAN)

PARTNER (M.NO.084205)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REGN NO.004201S

(S. SRIDHAR)

PARTNER (M.NO.025504)

Place: MUMBAI

Date : 21st May, 2015

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

	Schedule	As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
Capital and Liabilities			
Capital	1	6,357,788	7,413,063
Reserves and Surplus	2	192,633,863	180,040,107
Minority Interest	2A	88,081	191,687
Deposits	3	3,174,503,424	2,976,510,614
Borrowings	4	351,679,979	293,162,277
Other Liabilities and Provisions	5	110,426,365	92,826,851
Total		3,835,689,500	3,550,144,600
Assets			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	150,638,683	184,199,793
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	75,391,395	49,006,588
Investments	8	954,494,080	946,363,538
Advances	9	2,559,211,167	2,291,046,698
Fixed Assets	10	26,944,294	26,233,935
Other Assets	11	69,009,881	53,294,048
Total		3,835,689,500	3,550,144,600
Contingent Liabilities			
Bills for Collection	12	3,491,053,269	1,955,241,641
Significant Accounting Policies	17	137,005,408	124,757,066
Notes on Accounts	18		

The Schedules Referred to above form an integral part of the Balance Sheet

(VIVEK KAMATH) Dy. General Manager	(MAYANK MEHTA) General Manager	(KISHOR KHARAT) Executive Director	(RAKESH SETHI) Executive Director	(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director	(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director
(MIHIR KUMAR) Director	(DEEPAK SINGHAL) Director	(JAG MOHAN SHARMA) Director	(S. K. MISRA) Director	(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director	
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director		(G. K. LATH) Director	(D. CHATTERJI) Director		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR V.ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000980C

(BIPUL RASTOGI)
PARTNER (M. NO. 072318)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000497N

(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER (M. NO. 084205)

Place : MUMBAI
Date : 21st MAY, 2015.

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER (M. NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 103142W

(TANSUKHLAL CHHEDA)
PARTNER (M. NO. 047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER (M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER (M. NO. 025504)

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

			(000' Omitted)
	Schedule	Year Ended 31.3.2015	Year Ended 31.3.2014
I. Income			
Interest Earned	13	321,642,796	293,935,340
Other Income	14	39,571,167	31,407,328
Total		361,213,963	325,342,668
II. Expenditure			
Interest Expended	15	236,395,474	214,667,236
Operating Expenses	16	66,832,739	58,760,832
Provisions and Contingencies		40,411,169	35,219,017
Total		343,639,382	308,647,085
III. Net Profit For The Year		17,574,581	16,695,583
Add : Profit Brought Forward		4,102	4,074
Total		17,578,683	16,699,657
Share of Earning/Loss in Associates		134,173	171,703
Consolidated Net Profit/Loss for the year before deducting minorities interest		17,712,856	16,871,360
Less Minorities Interest		(103,606)	(106,196)
Consolidated Net Profit/Loss for the year attributable to the group		17,609,250	16,765,164
IV. Appropriations			
Transfer to Statutory Reserve		5,345,000	5,088,610
Transfer to Capital Reserve		269,974	171,809
Transfer to Revenue And Other Reserves/Adjustments		5,348,453	6,654,058
Proposed Dividend		3,814,673	2,521,225
Dividend Tax		774,153	445,460
Dividend Tax of Previous Year Written Back		0	0
Transfer to Special Reserve [Sec36(I)(Viii)]		2,000,000	1,780,000
Transfer to Foreign Currency Translation Reserve			0
Provision for Div. on PNCPS		52,835	99,900
Balance in Profit and Loss Account		4,162	4,102
Total		17,609,250	16,765,164
Earnings Per Share (Basic and Diluted)		27.67	27.56

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss A/c

(VIVEK KAMATH) Dy. General Manager	(MAYANK MEHTA) General Manager	(KISHOR KHARAT) Executive Director	(RAKESH SETHI) Executive Director	(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director	(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director
(MIHIR KUMAR) Director	(DEEPAK SINGHAL) Director	(JAG MOHAN SHARMA) Director	(S. K. MISRA) Director	(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director	
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director	(G. K. LATH) Director	(D. CHATTERJI) Director			

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR V.ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000980C

(BIPUL RASTOGI)
PARTNER (M. NO. 072318)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000497N

(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER (M. NO. 084205)

Place : MUMBAI
Date : 21st MAY, 2015.

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER (M. NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 103142W

(TANSUKHLAL CHHEDA)
PARTNER (M. NO. 047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER (M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER (M. NO. 025504)

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

		(000' Omitted)	
		As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
SCHEDULE 1 - CAPITAL :			
I. Authorised :			
i. 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	30,000,000		30,000,000
II. Issued, Subscribed & Paid up :			
i. 384,444,316 Equity Shares of ₹10/- each, held by Central Government (P.Y. 378,971,753 Equity Shares)	3,844,443		3,789,718
ii. 251,334,520 Equity Shares of ₹10/- each, held by Public (P.Y. 251,334,520 Equity Shares)	2,513,345		2,513,345
III. Perpetual No-Cumulative Pref. Shares	-		1,110,000
TOTAL	6,357,788		7,413,063
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :			
I. Statutory Reserve :			
As per last Balance Sheet	55,918,610	50,830,000	
Addition during the year	5,345,000	5,088,610	55,918,610
II. A) Capital Reserve :			
As per last Balance Sheet	7,762,539	7,590,730	
Addition during the year	269,974	171,809	7,762,539
II. B) Capital Reserve on Consolidation	569,500	2,130,058	
III. Share Premium :			
As per last Balance Sheet	33,517,050	28,858,687	
Addition during the year	1,054,164	4,658,363	33,517,050
IV. Revaluation Reserve :			
As per last Balance Sheet	14,593,373	14,957,577	
Addition during the year	-	-	
Deduction during the year	346,322	364,204	14,593,373
V. Revenue and other Reserves :			
i) Revenue and other Reserves :			
As per last Balance Sheet	41,140,348	43,210,476	
Addition during the year	7,274,533	5,135,772	
Deduction during the year	-	7,205,900	
	48,414,882	41,140,348	
ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)			
As per last Balance Sheet	22,980,000	21,200,000	
Addition during the year	2,000,000	1,780,000	
	24,980,000	22,980,000	
iii) Foreign Currency Translation Reserve			
As per last Balance Sheet	475,741	2,877	
Addition during the year	75,190	472,864	
Deduction during the year	-		
Total	550,931	475,741	64,596,089
VI. Balance in Profit and Loss Account			
Balance in Profit and Loss Account	4,162		4,102
TOTAL	192,633,863		180,040,107

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

			(000' Omitted)
	As on 31.3.2015		As on 31.3.2014
SCHEDULE 2 A Minority Interest			
Minority Interest at the date on which the present subsidiary relationship came into existence	588,245		588,245
Subsequent increase/decrease	(500,164)		(396,558)
Minority Interest on the date of Balance Sheet	88,081		191,687
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :			
Deposits of Branches in India			
I) Demand Deposits			
i) From Banks	6,100,708	7,899,358	
ii) From Others	204,955,728	219,072,883	226,972,241
II) Savings Bank Deposits	715,652,242		650,977,053
III) Term Deposits			
i) From Banks	133,037,078	112,409,311	
ii) From Others	2,114,757,668	1,986,152,009	2,098,561,320
TOTAL	3,174,503,424		2,976,510,614
Deposits of branches in India	3,122,122,534		2,927,871,590
Deposits of branches outside India	52,380,890		48,639,024
TOTAL	3,174,503,424		2,976,510,614
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :			
A. Borrowings: Capital Instruments			
i. Perpetual Bonds	10,396,100	10,396,100	
ii. Upper Tier II Bonds	22,500,000	22,500,000	
iii. Tier II Bonds	52,500,000	52,500,000	85,396,100
B. Borrowings in India			
i. Reserve Bank of India	-	15,250,000	
ii. Other Banks	7,000,000	-	
iii. Other Institutions and agencies	44,950,739	12,929,141	28,179,141
C. Borrowings Outside India	214,333,140		179,587,036
TOTAL	351,679,979		293,162,277
Secured Borrowings	33,722,820		1,339,121
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :			
I. Bills payable	11,679,229		13,560,138
II. Interest Accrued	9,201,276		8,841,308
III. Deferred Tax Liability	4,522,352		6,796,082
IV. Others(including provisions)	85,023,508		63,629,323
TOTAL	110,426,365		92,826,851

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

	As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :		
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	10,077,207	7,849,563
II. Balances with Reserve Bank of India In Current Account	140,561,476	176,350,230
TOTAL	150,638,683	184,199,793
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :		
I. Balances with banks in India		
i) a) In Current Accounts	2,168,137	668,272
b) In Other Deposit Accounts	16,666,098	8,829,451
ii) Money at call & short notice	0	0
	18,834,235	9,497,723
II. Outside India		
i) In Current Accounts	2,908,581	6,874,789
ii) In other Deposit Accounts	53,648,578	32,634,076
	56,557,159	39,508,865
TOTAL	75,391,395	49,006,588
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India		
i) Government Securities	730,659,115	699,319,716
ii) Other approved securities	1,615,851	528,253
iii) Shares	14,310,398	13,559,518
iv) Debentures and Bonds	83,941,182	116,990,507
v) Subsidiaries and joint ventures	1,996,942	1,356,364
vi) Others		
- Commercial Paper	-	3,910,991
- Others	2,068,785	5,924,293
- Mutual Funds	9,237,688	10,228,032
- R I D F	96,312,545	90,994,086
- Security Receipt by ARCIL	5,982,260	1,497,172
	946,124,766	944,308,932
II. Investments outside India		
i) Govt Securities (incl Local Authorities)	3,693,134	0
ii) Shares	4,032	4,032
iii) Other Investments (Bonds)	4,672,148	2,050,574
	8,369,314	2,054,606
TOTAL	954,494,080	946,363,538
III. i) Investments in India		
Gross Value	947,717,235	948,768,776
Provision for Depreciation	4,045,219	4,459,844
Net Value	943,672,016	944,308,932
ii) Investments outside India		
Gross Value	10,822,064	2,054,606
Provision for Depreciation	0	0
Net Value	10,822,064	2,054,606
TOTAL	954,494,080	946,363,538

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

As on 31.3.2015

As on 31.3.2014

SCHEDULE 9 - ADVANCES

I.	i)	Bills purchased and discounted	78,162,246	53,248,483
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,210,474,383	1,108,325,273
	iii)	Term Loans	1,270,574,538	1,129,472,941
		TOTAL	2,559,211,167	2,291,046,697
II.	i)	Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	2,077,324,389	1,921,663,649
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	156,405,305	114,997,046
	iii)	Unsecured	325,481,473	254,386,003
		TOTAL	2,559,211,167	2,291,046,698
A.		Advances in India		
	i)	Priority Sector	858,551,772	650,858,380
	ii)	Public Sector	135,009,137	168,922,543
	iii)	Banks	42,627,289	38,923,363
	iv)	Others	1,305,394,050	1,261,376,025
		TOTAL	2,341,582,248	2,120,080,311
B.		Advances outside India		
	i)	Due From Banks	55,858,266	51,202,064
	ii)	Due from others		
	a)	Bills Purchased and Discounted	34,078,003	-
	b)	Syndicated loans	8,329,836	-
	c)	Others	119,362,814	119,764,323
		TOTAL	217,628,920	170,966,387
		TOTAL	2,559,211,167	2,291,046,698

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

A. TANGIBLE ASSETS

I.	Premises			
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	23,690,115	23,225,175	
	Additions during the year	526,050	464,940	
		24,216,165	23,690,115	
	Deductions during the year	-	-	
	Less: Depreciation to date	6,005,220	18,210,945	18,233,714
II.	Capital Work in Progress			
	At cost as per last Balance Sheet	10,792	128,716	
	Additions during the year	467,144	505,433	
	Deductions during the year	435,044	623,357	10,792
III.	Land			
	At cost as per last Balance Sheet	498,297	134,097	
	Additions during the year	118,387	364,200	
	Deductions during the year	-	-	
		616,684	498,297	
	Less : Depreciation to date	30,484	586,200	473,765

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

	As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
IV. Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)		
a) Assets given on lease		
At cost as per last Balance Sheet	265,352	265,352
Addition during the year	-	-
Deductions during the year	-	-
	<u>265,352</u>	<u>265,352</u>
Less: Depreciation to date	<u>265,352</u>	<u>265,352</u>
	-	-
b) Others		
At cost/valuation as per last Balance Sheet	18,786,943	16,401,818
Additions during the year	2,652,049	2,698,282
	<u>21,438,992</u>	<u>19,100,100</u>
Deductions during the year	508,366	313,157
	<u>20,930,626</u>	<u>18,786,943</u>
Less: Depreciation to date	<u>13,103,742</u>	<u>11,658,624</u>
	7,826,884	7,128,319
B. INTANGIBLE ASSETS		
Computer Software		
At cost as per last Balance Sheet	1,773,971	1,348,053
Additions during the year	132,321	425,918
	<u>1,906,292</u>	<u>1,773,971</u>
Amortisation till date	<u>1,628,919</u>	<u>1,352,599</u>
	277,373	421,372
TOTAL	<u><u>26,944,294</u></u>	<u><u>26,233,935</u></u>

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :

I. Inter-office adjustments (net)	15,737,440	11,318,579
II. Interest accrued	23,974,899	23,857,768
III. Tax paid/Tax deducted at source	1,525	1,567
IV. Stationery and stamps	18,577	26,133
V. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	390	390
VI. Deferred Tax Assets	30,548	14,739
VII. Others	29,246,502	18,074,872
TOTAL	<u><u>69,009,881</u></u>	<u><u>53,294,048</u></u>

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :

I. Claims against the bank not acknowledged as debts	35,928,582	35,991,576
II. Liability for partly paid investments	5,920	5,920
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,961,704,269	1,482,332,111
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
i) In India	227,160,569	226,257,305
ii) Outside India	3,631,851	1,380,625
V. Acceptances, endorsements and other obligations	250,411,521	203,600,004
VI. Other items for which the bank is contingently liable	-	-
i) Disputed Tax demands under appeals	6,107,000	5,674,100
ii) Amount transferred to DEAF scheme 2014	6,103,557	-
TOTAL	<u><u>3,491,053,269</u></u>	<u><u>1,955,241,641</u></u>

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(000' Omitted)

	Year Ended 31.3.2015	Year Ended 31.3.2014
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/discount on advances/bills	239,825,748	217,403,558
II. Income on investments	77,427,928	73,145,930
III. Interest on balances with RBI & other inter bank funds	1,911,185	1,785,325
IV. Others	2,477,936	1,600,527
TOTAL	321,642,796	293,935,340
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	3,815,068	4,386,965
II. Profit on sale of investments - net	8,617,440	5,166,623
III. Profit on sale of land, buildings & other assets -net	-3,945	25,104
IV. Profit on exchange transactions - net	9,716,749	7,436,062
V. Miscellaneous Income	17,425,856	14,392,574
TOTAL	39,571,167	31,407,328
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on deposits	216,239,949	198,359,404
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowing Inter-bank borrowing	6,067,181	5,313,290
III. Others	14,088,345	10,994,542
TOTAL	236,395,474	214,667,236
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and provisions for employees	38,446,334	33,476,519
II. Rent, taxes and lighting	4,382,198	3,881,200
III. Printing and stationery	526,666	458,937
IV. Advertisement and publicity	712,013	624,418
V. Depreciation on Bank's property	2,251,171	1,978,831
VI. Directors' fees, allowances and expenses	37,769	16,304
VII. Remuneration to Managing / Executive Director	5,923	5,671
VIII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	349,003	330,403
IX. Law Charges	224,426	177,855
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	669,206	723,818
XI. Repairs and maintenance	1,066,229	953,854
XII. Insurance	2,767,377	2,775,528
XIII. Other Expenditure	15,394,423	13,357,394
TOTAL	66,832,739	58,760,732

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2014-2015 (CONSOLIDATED)

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1 Accounting Convention

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India.

2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and the expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

3 Basis of consolidation

3.1 CFS of the Group (comprising of 3 Subsidiaries, 1 Associate and 1 Joint Venture) have been prepared on the basis of:

- i) Audited Financial Statement of Union Bank of India (Parent).
- ii) Line by line aggregation of each item of asset, liabilities, income and expenditure of subsidiaries with the respective items of the parent after eliminating intra group balances/ transactions, unrealized profit/losses based on the data received from the subsidiaries duly audited by their respective auditors as per Accounting Standard – 21 “Consolidated Financial Statements” issued by ICAI.
- iii) Accounting for Investments in ‘Associate’ under the ‘Equity Method’ as per Accounting Standard 23 “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” issued by ICAI.
- iv) Consolidation of Joint Venture – ‘Proportionate Consolidation’ as per Accounting Standard 27 “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” by ICAI.

3.2 Necessary adjustments have not been made in the CFS where uniform accounting policies have not been followed by Subsidiaries and Joint Venture as in the view of the management; the said adjustments are not material in nature.

3.3 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Group’s portion of the equity

of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill / Capital Reserve.

3.4 Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

- i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made and
- ii) The minority share of movements in revenue reserves / loss and equity since the date the parent subsidiary relationship came into existence.

4 Revenue Recognition

4.1 Banking entities

- i) Income and Expenditure have generally been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- ii) Income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.
- iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers (SDV), commission on biometric cards, income from Aadhar cards etc. are accounted for on realization basis.
- iv) Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:
 - a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale / redemption.
 - b) On zero coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.
- v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the same is established.

4.2 Non Banking entities

Life Insurance

i) Premium Income

Premium (net of service tax) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

ii) Income from linked funds

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

iii) Reinsurance Premium

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

iv) Benefits paid (including claims)

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the same period as the related claims.

v) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

vi) Liability for life policies

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business, unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Asset Management

- Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.
- Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.
- Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.
- Dividend income is recognized when right to receive is established.

5 Investments

- In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:
 - Government Securities
 - Other Approved Securities
 - Shares
 - Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

- As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

a) i) Securities held in "HTM" – at acquisition cost.

The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.

Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.

b) i) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification, is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

ii) Valuation of securities is arrived at as follows

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at ₹ 1/- per company.
iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines.
v	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.

vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV).
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost.
viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹ 1/- per VCF.
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies.

iii) Interbank REPO / Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- From AFS / HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
- From HTM category to AFS / HFT category,
- If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
- If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

- From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and depreciation / provision are made as per the extant RBI guidelines.

vi) Profit / Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

c) Derivative Contracts

The Interest Rate Swap which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

i) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

ii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

6 Advances

i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI.

ii) Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer, and provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Fund Trust (CGFT) / Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

iii) The general provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

7 Fixed Assets and Depreciation

i) Premises and other Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price less trade discounts and rebates, eligible borrowing costs and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

ii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management asunder

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipments, Office Appliances and SDV/ Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- Uninterrupted Power Supply Equipments	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

- iii) Application Software is capitalized and clubbed under intangible assets. Depreciation on computers and software forming an integral part of Computer Hardware and on ATM is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33%, as per the guidelines of RBI.
- iv) Depreciation on additions to assets made up to 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.
- v) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.
- vi) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.
- vii) Depreciation on leased assets and leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.
- viii) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries / associates is provided as per regulatory requirements / or prevailing practices of respective country / industry.

8 Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value

after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

9 Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the Reserve Bank of India.

10 Transactions Involving Foreign Exchange

Revaluation of Foreign Currency Position and booking Profits / Losses:

- i) Monetary and Non Monetary assets and liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit and Loss account.
- ii) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.
- iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.
- v) Representative offices of the Bank outside India are treated as Integral Operation Units as per RBI guidelines.

11 Accounting for Non-Integral Foreign Operations

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations.

- i) Revenue Recognition
Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.
- ii) Asset Classification and Loan Loss Provisioning
Asset classification and loan loss provisioning are made as per the local laws of the respective countries or as per RBI guidelines, whichever is higher.
- iii) Fixed Assets and Depreciation
 - a) Fixed Assets are accounted for at historical cost.
 - b) Depreciation on fixed assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.
- iv) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the

closing rates notified by FEDAI at the close of the year.

- v) Income and Expenditure are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarters.
- vi) All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

12 Employee Benefits

Retirement benefits in the form of provident fund are a defined contribution scheme. The contributions to the provident fund are charged to the Profit and Loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation, other than the contribution payable to the provident fund.

Gratuity liability, Pension fund and provision towards leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit and Loss account.

New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010, is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss account.

Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulation of the respective countries.

13 Segment Reporting

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business Segments are classified into (a) Treasury operations, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking operations and (d) Other Banking operations.

14 Lease Transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on

lease/rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent/lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15 Earnings Per Share

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share are calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the year-end.

16 Taxation

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized, when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

18 Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2014-2015 (CONSOLIDATED)

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS

- 1 The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2015
Union KBC Asset Management Company Private Ltd.	India	51%
Union KBC Trustee Company Private Ltd.	India	51%
Union Bank of India UK Ltd.	United Kingdom	100%

- 2 The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd. (Non- Banking)	India	26%

- 3 The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under:

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Regional Rural Bank Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	India	35%

- 4 The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2015.
- 5 In case of Domestic Associate/Subsidiaries, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries have not been carried out on the basis of data provided by associates/ subsidiaries as the amounts being not material.
- 6 The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd., Union KBC Trustee Co. Pvt. Ltd., Union Bank of India UK Ltd. and Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Regional Rural Bank) for the financial year ended 31.03.2015.
- 7 Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

8 INCOME TAX

The Parent Bank considers that provision for Income tax held in its accounts is adequate.

9 DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

9.1 A. Capital

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2019. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 9% with minimum CET I of 5.5% and minimum Tier I CRAR OF 7% as at March 31, 2015.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%)		
	Basel II	Nil	Nil
	Basel III	7.26	7.28
ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	Basel II	7.66	8.18
	Basel III	7.53	7.64
iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	Basel II	3.18	3.74
	Basel III	2.71	3.25
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	Basel II	10.83	11.92
	Basel III	10.24	10.89
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	60.47	60.13
vi)	Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore)	5.47	33.51
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore)	--	--
Viii)	Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore)	--	2000
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	--	2000

9.2 Provisions & Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss	31.03.2015	31.03.2014
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	-37.62	87.85
Provision towards NPA	2536.67	2106.17
Provision towards Standard Assets	239.81	308.87
Provision made towards Income Tax (IT)/ Deferred tax liability (DTL)	1001.74	370.79
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	38.82	109.97
- Restructured Advances	127.11	254.69
- Others	135.30	283.56
TOTAL	4041.83	3521.90

Towards the proposed wage revision effective from 1st November, 2012 pending settlement, an adhoc provision of ₹ 464 crore is held as on 31st March, 2015, which includes ₹ 209 crore provided during the current year.

9.3 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision (Parent Bank)

(₹ in crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Opening Balance as on 01.04.2014	511.21	763.00
Additional provisions made during the accounting year	75.18	Nil
Amount of drawdown made during the accounting year	293.19	251.79
Closing balance as on 31.03.2015	293.20	511.21

Pursuant to RBI circular DBR.No.BPBC.79/21.04.048/2014-15 dated 30th March 2015; Bank has utilized 50% of its floating provision held as at 31st December 2014. Accordingly, an amount of ₹ 293.19 crore out of floating provision of ₹ 511.21 crore held has been utilized towards specific provisions for non performing assets.

10 Employee Benefits (Parent Bank) (AS 15)

(₹ in crore)

Particulars		31.03.2015		31.03.2014	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
	Liability at the beginning of the year	1060.13	6683.81	1000.86	5991.02
	Interest Cost	95.66	616.32	82.64	509.62
	Current Service Cost	45.13	190.73	44.92	194.81
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	-160.00	-452.00	-147.18	-380.68
	Actuarial (gain) / loss on obligations	47.24	1179.57	78.89	369.04
	Liability at the end of the year	1088.16	8218.43	1060.13	6683.81

Particulars		31.03.2015		31.03.2014	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
ii)	Table of Fair value of Plan Assets:				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1081.23	6104.73	1037.22	4774.08
	Expected return on Plan Assets	96.74	630.38	87.02	522.50
	Contributions	208.00	1367.00	124.17	1422.06
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	-160.00	-452.00	-147.18	-380.68
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	38.03	210.89	-20.00	-233.23
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1264.00	7861.00	1081.23	6104.73
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	-9.21	-968.68	-98.90	-602.28
iii)	Recognition of Transitional Liability :				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	Actual return on Plan Assets :				
	Expected Return on Plan Assets	96.74	630.38	87.02	522.50
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	38.03	210.89	-20.00	-233.23
	Actual return on Plan Assets	134.77	841.27	67.02	289.27
v)	Expenses recognized in the Income Statement:				
	Current Service Cost	45.13	190.73	44.92	194.81
	Interest Cost	95.66	616.32	82.64	509.62
	Expected Return on Plan Assets	-96.74	-630.38	-87.02	-522.50
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	65.00	338.00	65.00	338.00
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial Gain or Loss	9.21	968.68	98.90	602.28
	Expenses Recognized in P & L	118.26	1483.35	204.43	1122.20
vi)	Balance Sheet Reconciliation:				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	-86.10	241.08	-166.36	540.94
	Expenses as above	118.26	1483.35	204.43	1122.20
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	-208.00	-1367.00	-124.17	-1,422.06
	Amount recognized in Balance Sheet	-175.84	357.43	-86.10	241.08

Particulars		31.03.2015		31.03.2014	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
vii)	Other Details :				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10,00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	35646	21337	33945	23163
	Salary Per Month	135.34	97.37	126.03	98.59
	Contribution for next year	Nil	315.48	Nil	319.43
viii)	Category of assets:				
	Government of India Assets	146.02	473.14	151.48	473.15
	Corporate Bonds	385.01	1879.80	337.99	1584.16
	Special Deposits Scheme	Nil	Nil	Nil	Nil
	State Govt.	434.50	2390.20	357.44	2011.48
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	40.47	214.74	24.96	28.60
	Insurer Managed Funds	258.00	2903.12	209.36	2007.33
	Total	1264.00	7861.00	1081.23	6104.73
ix)	Principal actuarial assumption used (%)				
	Discount Rate Prev.	9.33	9.27	8.50	8.50
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00	8.70	8.00	8.70
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	4.00	4.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	7.99	7.95	9.33	9.27
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.70	8.70	8.00	8.70
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
Liability at the end of the year	1088.16	1060.13	1000.86	990.55	894.93
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1264.00	1081.23	1037.22	861.28	873.05
Difference	175.84	21.10	36.36	-129.27	-21.88
Unrecognized Past Service Cost	Nil	65.00	130.00	195.00	260.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	175.84	86.10	166.36	65.73	238.12

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
Experience Adjustment					
On plan liability (Gain) / Loss	-21.18	123.74	21.60	95.09	145.69
On plan Assets (Loss) / Gain	38.03	-20.00	-24.43	-0.80	-4.15
Surplus/Deficit in the Plan:	Pension				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
Liability at the end of the year	8218.43	6683.81	5991.02	5259.03	4771.82
Fair value of Plan Assets at the end of the year	7861.00	6104.73	4774.08	4020.00	2513.69
Difference	-357.43	-579.08	-1216.94	-1239.03	-2258.13
Unrecognized Past Service Cost	Nil	338.00	761.00	1014.17	1352.17
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	-357.43	-241.08	-455.94	-224.86	-905.96
Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension				
	31.03.15	31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11
Experience Adjustment					
On plan liability (Gain) / Loss	731.44	661.38	251.18	511.13	367.19
On plan Assets (Loss) / Gain	210.89	-233.23	-103.10	-145.15	-15.87

10.1 Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits for the year ended are as follows

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2015	31.03.2014
1.	Pension	1483	1122
2.	Leave Encashment	68	43
3.	Leave Travel Concession	9	Nil
4.	Sick Leave	Nil	Nil

Unamortized Pension and Gratuity Liabilities (Parent Bank)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Pension		
a) Charged to Profit & Loss account	338.00	338.00
b) Carried forward	-	338.00
Gratuity		
a) Charged to Profit & Loss account	65.00	65.00
b) Carried forward	-	65.00

11 SEGMENT REPORTING (AS 17)

11.1 Business Segments:

(₹ in crores)

Business Segment		Standalone					Consolidated	
		Quarter ended			Year ended		Year ended	
		(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)		(Audited)	
		31.03.15	31.12.14	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
(a)	Segment Revenue							
1	Treasury Operations	2624.40	2401.08	2105.58	9457.35	8515.80	9457.35	8515.80
2	Retail Banking Operations	2550.30	2895.85	2708.39	10096.56	9034.75	10096.56	9034.75
3	Corporate / Wholesale Banking	4121.28	3547.65	3538.74	15733.95	14301.05	15733.95	14301.05
4	Other Banking Operations	98.76	85.18	94.24	342.36	331.29	342.36	331.29
5	Unallocated	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.44	363.33
	Total	9394.74	8929.76	8446.95	35630.22	32182.89	36144.66	32546.22
	Less Inter-segment Revenue	11.03	8.76	2.00	23.26	11.96	23.26	11.96
	Total Revenue	9383.71	8921.00	8444.95	35606.96	32170.93	36121.40	32534.26
(b)	Segment Results							
1	Treasury Operations	641.87	557.80	325.65	1902.99	1145.60	1902.99	1145.60
2	Retail Banking Operations	575.20	323.04	220.81	1216.99	845.64	1216.99	845.64
3	Corporate / Wholesale Banking	-624.56	-309.02	-192.98	-503.19	-85.49	-503.19	-85.49
4	Other Banking Operations	49.84	41.60	45.77	166.59	163.14	166.59	163.14
5	Unallocated	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.92	-26.64
	Total Profit before Tax	642.35	613.42	399.25	2783.38	2068.89	2757.46	2042.25
(c)	Income Tax	198.58	311.00	-179.66	1001.74	372.69	1000.00	372.69
(d)	Net Profit	443.77	302.42	578.91	1781.64	1696.20	1757.46	1669.56
(e)	Segment Assets							
1	Treasury Operations	113440.55	120613.24	118208.15	113440.55	118208.15	113440.55	118208.15
2	Retail Banking Operations	107285.95	102894.66	87088.32	107285.95	87088.32	107285.95	87088.32
3	Corporate / Wholesale Banking	156474.27	145815.77	147776.85	156474.27	147776.85	156474.27	147776.85
4	Other Banking Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5	Unallocated Assets	4415.16	2456.00	707.58	4415.16	707.58	6368.18	1941.14
	Total	381615.93	371779.67	353780.90	381615.93	353780.90	383568.95	355014.46
(f)	Segment Liabilities							
1	Treasury Operations	107654.06	113784.75	111101.08	107654.06	111101.08	107654.06	111101.08
2	Retail Banking Operations	102760.57	97955.25	82315.90	102760.57	82315.90	102760.57	82315.90

Business Segment		Standalone					Consolidated	
		Quarter ended			Year ended		Year ended	
		(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)		(Audited)	
		31.03.15	31.12.14	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
3	Corporate / Wholesale Banking	149874.09	138815.95	139678.71	149874.09	139678.71	149874.09	139678.71
4	Other Banking Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5	Unallocated Liabilities	1565.18	1431.85	2209.85	1565.18	2209.85	3381.06	3173.45
6	Capital, Reserves & Surplus	19762.03	19791.87	18475.36	19762.03	18475.36	19899.17	18745.32
	Total	381615.93	371779.67	353780.90	381615.93	353780.90	383568.95	355014.46

Notes :

- The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with segment reporting AS-17 after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the Bank. The Bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits. Hence, the Bank has only one reportable geographical segment.
- Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.

12 Related Party Disclosures (Parent Bank) (AS 18)

12.1 List of Related Parties

a) Joint Venture

- Star Union Dai-ichi Life Insurance Co.

b) Associate

- Kashi Gomti Samyut Gramin Bank

c) Key Management Personnel

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2014-15
Shri Arun Tiwari	Chairman & Managing Director	NA
Shri K. Subrahmanyam	Executive Director	NA
Shri S. K. Jain	Executive Director	Cessation on 31.05.2014
Shri Rakesh Sethi	Executive Director	NA
Shri Kishor Kharat	Executive Director	Joined on 10.03.2015

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

12.2 Key Management Personnel - Remuneration paid

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Chairman and Managing Director	0.20	#0.23
Executive Directors	0.39	#0.50
Total	0.59	0.73

includes performance linked incentives of ₹0.06 crore and ₹0.08 crore paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank respectively during the previous year.

13 Earnings per Share (AS 20)

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning per Share". Basic Earnings per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Sr No	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i	Basic and Diluted EPS (₹)	27.67	27.56
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (₹ In crore)	1752.18	1669.56
iii	Weighted Average number of equity shares (No. in crore)	63.33	60.59
iv	Nominal value per share (₹)	10.00	10.00

14 Deferred Tax (AS 22)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	234.25	276.42
2	Employee Benefits	328.89	325.83
3	Depreciation on investments claimed in earlier years sold during the year	15.73	3.83
4	Leave Encashment	57.93	34.82
5	On account of other provisions	477.18	212.65
6	On account of unused losses & Tax Credits	3.05	1.98
	Total	1117.03	855.53
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of Investments	66.15	52.06
2	Depreciation on Fixed Assets	35.68	33.05
3	Accrued interest on securities	641.15	667.46
4	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	823.24	781.09
	Total	1566.22	1533.66
	Net Deferred Tax Asset	-	-
	Net Deferred Tax Liability	449.19	678.13

14.1 Provisions for Direct Tax:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provision for Income Tax (Including Deferred tax and Wealth tax liability)	1001.74	623.76

15 The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

(VIVEK KAMATH) Dy. General Manager	(MAYANK MEHTA) General Manager	(KISHOR KHARAT) Executive Director	(RAKESH SETHI) Executive Director	(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director	(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director
(MIHIR KUMAR) Director	(DEEPAK SINGHAL) Director	(JAG MOHAN SHARMA) Director	(S. K. MISRA) Director	(SUSHRI ANUSUIYA SHARMA) Director	
(DR. R. H. DHOLAKIA) Director		(G. K. LATH) Director	(D. CHATTERJI) Director		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR V.ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000980C

(BIPUL RASTOGI)
PARTNER (M. NO. 072318)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 000497N

(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER (M. NO. 084205)

Place : MUMBAI

Date : 21st MAY, 2015.

FOR J. GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 314010E

(H. K. DATTA)
PARTNER (M. NO. 012208)

FOR GBCA & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 103142W

(TANSUKHLAL CHHEDA)
PARTNER (M. NO. 047157)

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER (M.NO.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN. NO. 004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER (M. NO. 025504)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

		(₹ in Lacs)	
Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Net Profit / (Loss) before Tax	275,746	204,064
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	22,512	19,788
	Depreciation on investments	120	19,783
	Provision for Non performing assets	266,378	236,086
	Provision for standard asset	33,490	58,114
	Other provisions	4,125	939
	Profit / (Loss) on sale or disposal of Fixed Assets	39	(251)
	Provision for Staff related expenditures	28,518	23,587
	Sub Total	630,928	562,109
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	1,979,928	3,396,951
	Increase / (Decrease) in Borrowings	237,716	34,650
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	46,142	41,370
	(Increase) / Decrease in Investments	(81,426)	(1,302,587)
	(Increase) / Decrease in Advances	(2,948,023)	(2,336,310)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(160,612)	(63,675)
	Direct taxes paid (net of refund)	(59,023)	(75,499)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(354,370)	257,009
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
	Purchase of Fixed Assets	(34,610)	(38,014)
	Sale of Fixed Assets	433	1,715
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(34,177)	(36,299)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		
	Conversion of perpetual Non-Cumulative Preference Shares	(11,100)	0
	Issue of Equity Shares against conversion of PNCPS	547	3,352
	Security Premium received (net of Share Issue Expenses)	10,542	46,583
	Proceeds from issue of IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds / PNCPS	347,461	517,283
	Payment of Dividend (Interim & Final Including dividend tax)	(30,666)	(76,984)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	316,784	490,235
	Net Increase (decrease) in Cash & Cash Equivalent (A) + (B) + (C)	(71,763)	710,944
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	2,332,064	1,621,120
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	2,260,301	2,332,064

(₹ in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
D	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,841,998	1,076,322
	Balances with banks and Money at call	490,066	544,798
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	2,332,064	1,621,120
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,506,387	1,841,998
	Balances with banks and Money at call	753,914	490,066
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	2,260,301	2,332,064
	(KISHOR KHARAT) Executive Director	(RAKESH SETHI) Executive Director	(K.SUBRAHMANYAM) Executive Director
			(ARUN TIWARI) Chairman & Managing Director

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Consolidated Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2015. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 21st May, 2015 to the members.

For V.ROHATGI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000980C

For J.GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 314010E

For G. P. KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 104768W

(BIPUL RASTOGI)
PARTNER (M. No.072318)

(H.K. DATTA)
PARTNER (M.No.012208)

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER (M.No.030547)

For ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 000497N

For GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 103142W

For SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO. 004201S

(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER (M. No. 084205)

(TANSUKHLAL CHHEDA)
PARTNER (M.No.047157)

(S. SRIDHAR)
PARTNER (M.No.025504)

Place : MUMBAI
Date : 21st May 2015

RISK MANAGEMENT

Disclosures under Basel III Capital Regulations and Pillar III

In accordance with RBI issued Master Circular on Basel III Capital Regulations dated July 1, 2014, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link.

http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Basel-III_Disclosures_mar15.pdf

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2014-15

Section A: General Information about the Company

Union Bank of India was founded on 11th November 1919 and its headquarters in Mumbai, was inaugurated by Mahatma Gandhi, the Father of the nation in the year 1921. The Bank's core values of prudent management without ignoring opportunities is reflected in the fact that the Bank has shown steadfast growth and development during 95 years of its operations. The Bank's focus is on qualitative growth in business while lending to productive sectors and ensuring that asset quality is not impaired. This ensures that the Bank's performance in key business parameters improves year after year. The Bank now has 4078 Domestic and 3 Foreign branches, up from 3869 last year, and 7020 ATMs up from 6429 last year. The Bank has three full-fledged international branches in DIFC Dubai, Hong Kong and Belgium and four representative offices in Shanghai, Beijing, Abu Dhabi and Sydney. The bank operates in the UK through its wholly owned subsidiary Union Bank of India (UK) Ltd. The Bank currently has staff strength of 35514 who adhere to the Bank's values and work towards achieving the Bank's vision.

The Bank is primarily engaged in providing Banking and Financial services to its customers and the majority of the Bank's products and services broadly fall under three categories:

1. Deposits,
2. Loans and Advances and
3. Remittances and Collections

The Bank's activities are covered under the activity code – 6419 under "Group K: Financial and Insurance Activities of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008" published by Ministry of Statistics and Program Implementation. The Bank has been a leader in infusion of technology and all its branches are computerized. The Bank has also introduced Core Banking Solution with connectivity between branches and cent percent of the business of the Bank is under Core Banking Solution.

Other useful information about the Bank is:

Corporate Identity Number (CIN) of the Company:	Not Applicable
Registered Address:	Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021
Website:	http://www.unionbankofindia.co.in
E-mail Id:	busresponsehead@unionbankofindia.com
Financial Year reported:	2014 -15

Section B: Financial Details of the Company

The Bank's financials during the reporting year are as under:

Paid up Capital	INR 636 crores
Total Deposits	INR 316870 crores
Gross Advances	INR 262757 crores
Total profit after taxes	INR 1782 crores
Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR)	INR 13.25 crores
Total Spending on CSR as percentage of profit after tax (%)	0.743

RAJBHASHA SHIELD



Shri Arun Tiwari (CMD) receiving the Indira Gandhi Rajbhasha shield (2nd Prize) for the year 2012-13 from Hon'ble President Shree Pranav Mukharjee in the presence of Shree Rajnath Singh, Hon'ble Union Home Minister.

IBA BANKING TECHNOLOGY AWARDS



Union Bank won three "Technology Awards" from IBA. Bank's Chairman and Managing Director Shri Arun Tiwari, Executive Directors Shri K Subrahmanyam & Shri Rakesh Sethi, Shri Debajyoti Gupta General Manager (PBOD & AC&NID) and General Manager (IT) Shri Ajit Kumar Rath received these awards from Padma Vibhushan Dr. Raghunath Mashelkar and Padma Vibhushan Shri Anil Kakodkar at the award function organized by IBA on 11.02.2015 at Mumbai.

Corporate Social Responsibility:

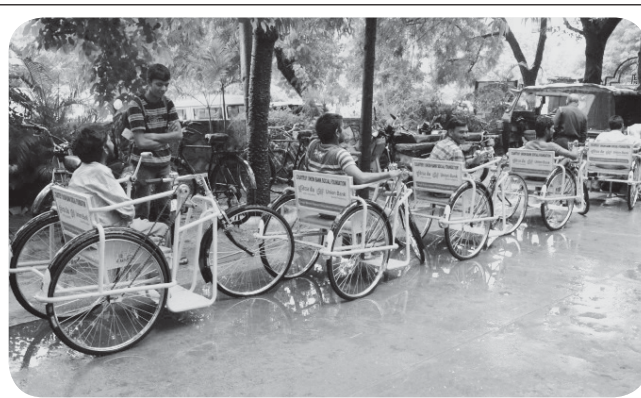
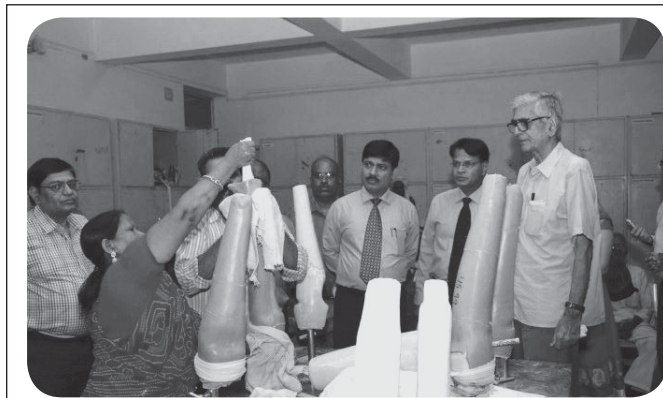
Union Bank of India is committed to the objective of corporate social responsibility (CSR) and integrates it into its business model by creating enablers for social and community development. **The Union Bank Social Foundation**, a trust set up by the Bank is spearheading its CSR initiatives. Through the trust, the Bank is engaged in empowering people through various developmental initiatives.

The Bank's CSR spend in 2014-15 is INR 13.25 crores. Some of the major initiatives undertaken were on environment protection and sustainable development. It is noteworthy that the Bank spent 31.02% of its CSR spend on providing solar lighting to villages in West Bengal and Uttar Pradesh and for a school for hearing impaired children in Chennai.

Some of the other notable projects undertaken by the Bank under CSR in reporting year 2014 – 2015 include:

NEW INITIATIVES IN 2014-2015

- o Setting up a computer lab under Union Adarsh Gram Yojana
- o Providing a mobile clinic in Ranipet
- o Setting up required infrastructure for a school for mentally challenged children
- o Donation of vehicle for old age home in Bangalore
- o Donation of buses to schools for the economically backward children
- o Community toilet and water tank for village near Varanasi
- o 100 hand pumps for villages in Barabanki Dist.(UP)
- o Water filter for village school near Jaipur
- o Sanitation facilities for a school in Judakhurd, Azamgarh
- o Donation of 600 solar lanterns to female students
- o Donation of Jaipur foot-calipers and tricycles to physically challenged



Section C: Other Details

The Bank has two subsidiaries (Union KBC Asset Management Company Private Ltd and Union KBC Trustee Company Ltd), one joint venture (Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd) and one associate (Kashi Gomti Samyukt Gramin Bank). The Bank's subsidiaries as well as its partners conduct their business in a responsible manner. The Bank is committed to providing the necessary knowledge and support to its subsidiaries and business partners regarding business responsibility.

Section D: BR Information

Governance related to Business Responsibility

Director responsible for implementation of the BR policy/policies:

DIN Number	06576376
Name	Shri K. Subrahmanyam
Designation	Executive Director

Details of the BR head:

DIN Number (if applicable)	Not Applicable
Name	Shri Debajyoti Gupta
Designation	General Manager, Personal Banking & Operations Department, Central Office
Telephone number	022-22896600
e-mail id	dgupta@unionbankofindia.com

About Business Responsibility Report

This is the 3rd year that Union Bank is publishing its BR report. As this is a regulatory requirement, it will now be published annually along with the Annual Report. The BR performance of the Bank is currently being evaluated by the Sustainable Development and CSR Committee of the Bank which meets on a quarterly basis. However, henceforth in order to have an external evaluation of the performance, it will be evaluated by an external agency at periodic intervals. The BR report of the Bank can be accessed in our website (<http://www.unionbankofindia.co.in>) at the following link: **Home Page > About Us > Sustainable Development**

Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)

S No.	Questions	Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Do you have a policy/policies for the Principle/s	Yes								
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Yes								
3	Does the policy conform to any National / International standards? If yes specify? (50 words)	Yes, the Bank's Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.								
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by the MD/owner/CEO/ Appropriate director	Yes, the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy has been approved by the Board and signed by the Managing Director.								
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Yes								
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Home Page > About Us > Sustainable Development								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Yes, as the policy is uploaded on the website. However, to further increase awareness of the policy, suitable training programs will be conducted at different levels.								
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Yes								
9	Does the Company have a grievance Redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Yes								
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	At present the SD&CSR Committee of the Bank is monitoring the BR performance of the Bank at quarterly intervals. However, going forward it will also be evaluated by an external agency at periodic intervals								

Section E: Principle-wise Performance

Union Bank of India (Union Bank) is committed to operating and growing its business in a socially responsible way. The Bank is convinced that businesses that address both the direct concerns of citizens and the needs of the environment will prosper over the long term.

This belief is at the core of Union Bank's vision to grow its business, whilst reducing its environmental footprint and increasing its positive social impact. Union Bank is committed to this through the various CSR programs.

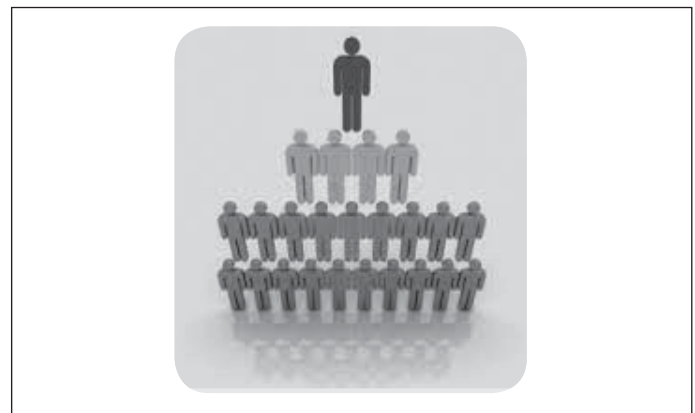
'National Voluntary Guidelines (NVG) on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business' as well as activities notified by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India are listed in Schedule VII of Section 135 of the Companies Act, 2013.

Union Bank's goal is to help people to improve their health and wellbeing, reduce the environmental footprint and enhance the livelihoods of people as the business grows.

The report provides an overview of the activities carried out by the Company under each of the nine principles as outlined in the NVG.

Principle 1 - Sound Corporate Governance

Union Bank takes pride in good governance that dates back to the vision of the founders and of the fact that the subsequent leaders have built on this tradition over the years, making Union Bank one of the leaders in the Banking Sector. The Bank's actions are governed by its values and principles, which are reinforced at all levels of employment within the bank. Union Bank is committed to doing things the right way, so that it is ethical and in compliance with the applicable legislation, thus leading to sound corporate governance.



The Bank follows a principle-based approach towards corporate governance which ensures that the Bank delivers strong and effective governance which is respected by investors. As part of Corporate Governance the Bank has a Code of Conduct for Directors on the Board and its Senior Management. The Code of Conduct attempts to set forth the guiding principles on which the Bank operates and conducts its daily business with its multitudinous stakeholders, government and regulatory agencies, media, and anyone else with whom it is connected. It recognizes that the Bank is a trustee and custodian of public money and in order to fulfill its fiduciary obligations and responsibilities, it has to maintain and continue to enjoy the trust and confidence of public at large.

The Code envisages and expects -

- Adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships.

- Full, fair, accurate, sensible, timely and meaningful disclosures in the periodic reports required to be filed by the Bank with government and regulatory agencies.
- Compliance with applicable laws, rules and regulations.
- Address misuse or misapplication of the Bank's assets and resources.
- Maintain highest level of confidentiality and fair dealing within and outside the Bank.

The Code of Business Principles is an extension of the Bank's values and reflects its commitment to ethical business practices across the operations. The Code also sets standards which not only meet the requirements of applicable legislations but go beyond it in many areas of our functioning.

The Bank also publishes a Corporate Governance Report along with its Annual Report. The following policies are applicable to all the officers/ employees of the Bank:

- The Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976
- The Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976
- The Bipartite Settlement/ Joint Note signed between the Management of various Banks represented by the Indian Banks' Association and the Bank Employees represented by various Employees' Associations/ Officers' Federation
- Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy

The Bank's good corporate practices have won it several laurels and recognition in the past years.

Principle 2 – Sustainable Products and Services

Union Bank's aim is to offer products & services to the customers that are innovative within the given frame work in a way that they become relevant to the customers and have minimum impact on the environment and have maximum economic and social value.



The Bank's business strategies continue to be aimed at consolidating its business in chosen areas, focusing on core & retail business, taking steps for meaningful financial inclusion and strengthening systems & control. The thrust areas include strategic positioning of the Bank, developing new ideas to reach customers with new technology and deepening relations. As a partner in the progress of the country the Bank extends credit

for the requirements of different sectors of economy whether it is big industry or the MSME sector, exports, trade, agriculture, infrastructure or the personal segment. The Bank has been a pioneer in initiating meaningful initiatives for Financial Inclusion catering to the needs of the disadvantaged, the details of which can be found on the Bank's corporate website.

The Bank has the distinction of being the first Public Sector Bank to offer Mobile Banking which provides the customer the convenience of transferring funds even while on the move, thus saving time and money. The bank has developed products especially for persons with disability, and those which are environment friendly for the benefit the society at large. Some of the products catering to customer needs are as follows:

1. **ATMs for Differently Abled:** The Bank has completed installation of 1706 such ATMs and some of them are made available for physically challenged persons using wheel chair.
2. The Bank has pioneered the concept of 'Talking ATMs' in India which enables visually challenged as well as physically challenged persons on wheelchair to handle their transactions on voice guidance and hence these ATMs are called 'Talking ATMs'.
3. **Loans to farmers** for purchase of renewable energy equipment for agriculture and allied activities: Scheme to provide loans to farmers to install solar water pumping systems to harness solar energy for pumping water by water pump, solar water heating systems with necessary accessories for usage in Agro Processing Units and solar lighting systems for operating LED lights and small DC loads.
4. **Bio-Metric ATMs** for the rural population in Punjab.
5. All products and services catering to the needs of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
6. All products, services and schemes falling under Rural and Agri banking.

The Bank's ATMs are not just cash dispensing machines but also offer remittance facilities viz. NEFT through ATM, Interbank Mobile Payment Services (IMPS), and Union e-Cash - a mobile based funds transfer which facilitates the receiver to draw cash from ATM based on mobile authentication.

The Bank has a laid down policy for the disposal of old records after perforation and subsequently sends the same for re-cycling.

The percentage of recycling of product and waste falls in the category of above 10%. The Bank procures most of its consumables through locally based suppliers. The Bank's commitment to small and micro enterprises is enshrined in a code of commitment to this segment which ensures easy, speedy and transparent access to banking services in their daily operations and in times of financial difficulty to the unit.

Principle 3 – Employee Welfare

Sustainable, profitable growth can be achieved only when people work in an organization where performance is aligned with values. The Bank is an agile and diverse organization, with people motivated to doing good while doing well.



LEADERS BUILD LEADERS

Bank follows the principle of nurturing talent and building leaders, through the 'leaders build leaders' philosophy. This ensures that leadership gets ingrained across the Bank, rather than placing it as the responsibility of a function or a few individuals.

Union Bank believes that a trained, motivated and productive workforce is the Bank's biggest asset. Keeping this in view the Bank has initiated HR Transformation process with an objective to align HR strategy with the business strategy by benchmarking and adopting industry best practices. As a result of the transformation exercise, Bank has streamlined various policies, processes & systems and well defined documented roles with job clarity, and uploaded the same on the Intranet with feedback mechanism. HR has implemented the following:

1. Transparent & objective Performance Management System (PMS) incorporating Government of India guidelines on the same.
2. A new IT module (Union Parivaar) was developed to integrate the new appraisal system for its online submission. Manpower Planning was introduced through scientific model & calculator for arriving at the assessment of the manpower requirement.
3. Bank has initiated succession planning for critical roles and is in the process of building a leadership pipeline.

WORK-LIFE BALANCE

There are several initiatives undertaken by the Bank to promote work-life balance for Union Bank employees. The Bank has an attractive Promotion Policy including Fast Track Promotion to take care of meritorious employees. The object of the policy is to provide wide exposure and motivation through the promotion system and ensure career movement for employees in the Bank.

The Bank also provides facilities, benefits and welfare measures to its employees so that they are able to maintain a good work-life balance. The care of the medical requirements of its employees is undertaken through a hospitalization scheme with a tie-up arrangement with many hospitals across the country. Employees can get admission & treatment in these hospitals and the bills are directly settled by the Bank. If the bill amount exceeds the employee's eligibility, it is recovered later from him. However, the employees can also apply for ex-gratia amount in respect of such excess amount. The Bank has 24 welfare schemes grouped under five major categories viz. canteen subsidy, education, medical & hospitalization, retired employees and other welfare measures.

Some of the other measures for the employees include Health Camps, celebrations on Bank's Foundation Day, Hindi Divas, Independence Day, Republic Day, etc., Silver Jubilee Awards and Recognition to employees and their wards for excellence in Education, Sports, Cultural activities etc. As on 31st March 2015, the Bank had a total of 35514 employees, out of which 7890 were women employees and 523 were employees with disabilities. The Bank also engaged 25 Customer Relationship Executives on contractual basis during the reporting year.

Respect for Human Rights

The Bank is committed to respecting and upholding human rights in all areas of its operations and within its sphere of influence. The Bank has established the "Sexual Harassment Redressal Committee at work places" and has put in place adequate grievance redressal mechanism to address any related concerns. The Bank also respects the right of its employees to form groups/associations and collectively voice their concerns.

Welfare of SC/ST Employees

Bank has appointed a senior executive of the rank of General Manager as Liaison Officer for SC/ST welfare. Regular quarterly meetings are held by the Liaison Officer with representatives of the SC/ST Employees Union for resolving issues concerning their welfare.

Industry Level Wage Settlement

Wage negotiations take place between Indian Banks' Association representing the Banks and the recognized Unions/Associations through a process of collective bargaining and negotiated settlement of demands. This wage revision is valid for a period of 5 years.

Training and Employees' Skill Development

Training in Union Bank is a bank-wide responsibility managed with a sense of total commitment by the top management to meet the needs of its multi-channel service outlets and the employees owning it. As a learning organization, the Bank focuses on acquiring contemporary knowledge, continuous re-skilling and up skilling activities and attitudinal improvements. The Training Mission Statement of the Bank is "To promote a culture of continuous learning for the development of the individual and the Bank". The Bank's endeavor is to "train to excel and excel to train".

Providing need-based training to the staff members and matching it with the organizational needs is one of the strong features of Bank's training system. The training needs are assessed and catered for all employee cadres right from house-keeping staff to Top Executives. The Bank is committed to ensure that the staff members are competent in basic work skills and have knowledge of their individual responsibilities. The training needs in the entire organizational life cycle of an employee – from entry to exit – is catered to by the training system with its Apex college at Bangalore and 7 training Centres located across the country at Aluva, Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneswar, Gurgaon, Lucknow and Powai (Mumbai). To meet the emerging demands, programs are conducted at various regional locations depending on the organizational need. With a view to providing up to date training to the staff, a judicious mix of internal and external faculty is engaged. In deserving cases, staff members are also deputed for overseas training.

In the year 1997, The Bank carried out a revamping exercise with the help of some reputed overseas consultants which led to introduction of latest training techniques. These have now been standardized and the innovative practices followed by the training system have resulted in receiving of recognitions and awards from various reputed institutions across the country including Golden Peacock Training National Award for the best training system in India in 1998, 2005, 2007, 2013-14 and 2014-15.

During the financial year 2014-2015 a total number of 31340 personnel were trained in 8 centres out of which 26704 were male employees and 4636 were female employees.

EQUAL OPPORTUNITY OF EMPLOYMENT

For recruitment of management and supervisory staff / officers, clear guidelines exist concerning the identification and authorisation of vacancies to be filled, with appropriate authority levels for these. For recruitment of skilled as well as unskilled staff, the guidelines specify merit-based approach for selection of candidates.

Bank has a sharp focus on gender diversity.

SECURE WORKPLACE

Bank has a policy on affirmative action and a policy on prevention of sexual harassment to ensure a harassment free workspace for its employees. Sexual harassment cases are dealt under the Anti-Sexual harassment Policy & Processes. All employees of Bank and other subsidiaries are sensitized on the various aspects of prevention of sexual harassment at work through e-mailer articles and other means of communication regularly.

FREEDOM OF ASSOCIATION, PARTICIPATION AND COLLECTIVE BARGAINING

Bank follows the principle of freedom of association and right to negotiate. Promotion from workman staff to officer is an inclusive and transparent process.

The human rights practices of the Bank assure respect for the right of employees to freedom of association and recognition of employees' rights to collective bargaining, where allowable by law.

GRIEVANCE REDRESSAL

Bank has clearly spelt out guidelines to prevent use of child labour, forced labour, discriminatory employment and sexual harassment in its own operation as also for its business partners/suppliers.

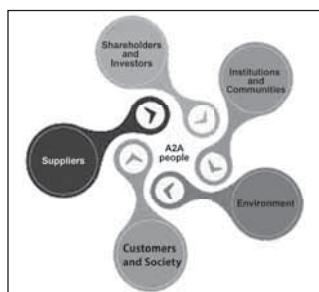
The Bank Policies provide mechanism for reporting of such issues. The Bank has provided a dedicated e-mail address to which all complaints can be sent. The privacy of the complainant is always protected. The Bank has put in place systems and mechanisms to ensure non-retaliation and non-victimization of the complainant.

All complaints, including complaints of sexual harassment received, are dealt as per banking regulations. During the year, there have been no complaints alleging child labour, forced labour, involuntary labour and discriminatory employment.

Principle 4 – Stakeholder Engagement

For Bank, stakeholder management is of vital importance as it helps us to deliver our commitments and succeed as a business. Bank actively engages with stakeholders groups such as customers, shareholders, investors, employees, media and NGOs.

The Bank identifies a stakeholder as somebody who is influenced by the Bank's operations or who influences the Bank's operations. Depending on the extent of influence they are either 'Primary', 'Secondary' or 'Key'.



'Primary' stakeholders of the Bank include, but are not limited to, employees and Customers. 'Secondary' stakeholders include, but are not limited to Local Communities, Suppliers, NGOs, Industry Associations. 'Key' stakeholders include shareholders and promoters' Regulatory bodies etc. The Bank continues to formally or informally engage with almost all of its stakeholders using a host of communication channels.

The Bank has identified some of its stakeholders as disadvantaged, vulnerable or marginalized, and strives to provide special products/ schemes for them. Some of these stakeholder groups include, but are not limited to, Agri customers, MSME customers, Self-help Groups (SHGs), minority groups, urban labour and hawkers, villagers living in backward villages etc. For all such stakeholders, the Bank offers special products, services and schemes, the details of which can be found on the Bank's corporate website.

The Bank's major stakeholders are as follows:

Customers

The focus of the bank is to provide excellent customer service at all touch points of the Bank, whether it is through a Branch, ATM, Internet Banking, Mobile Banking, Call center etc. To continue the aim of achieving excellence in customer service, the Bank has taken the following measures:

- Appointed Customer Relationship Officers, whose mandate is to be in constant touch with customers in order to enhance relationship value
- Training programs for its staff members to help them convert complainants to campaigners.
- Educating customers about various new products and services through campaigns in both the print and electronic media. The Bank has in the past received ABCI (Association of Business Communication of India) award for Marketing and Branch Communication.
- Set up a 24x7 call center to address any queries of the customers.
- Holding quarterly customer meets at the branch, regional and corporate levels. The Bank uses this forum to interact with its customers, provide information on the latest product and service offerings as well as discuss important aspects like 'know your customer' (KYC) compliance, safeguards to be used while using Internet banking and to ensure safe and secure banking. In such meetings, the bank's quarterly performance is also communicated to the customers.
- The Bank has set a dedicated customer care unit which replies to all customer communication and also analyses the feedback for systemic improvements. This has helped bring down the number of complaints regarding non-receipt of PIN generation for Internet Banking, ATM etc. The Customer Care Unit also tracks the satisfaction level of the customer with regard to the resolution of his/her complaint.
- "UnionXperience": The 4,000 plus branches of the bank are the primary point of interaction with the customers. To enhance the customer experience, the Bank has started a transformation journey under the brand name

UnionXperience. So far 310 branches of the Bank have been brought under UnionXperience Model. In this model, the Front line staff is dedicated exclusively to attend Customer's queries / requirements. The Front line staff is supported by a dedicated Operation Cell which carries out all the transactional work. The staff at these specific branches have been trained to interact proactively with the customers and provide financial solutions as per customer specific requirements.

Employees

- The Bank's in-house magazine Union Dhara continues to be an excellent means of internal communication between management and employees with the objective of creating belonging among the staff members and also stimulating their duties, loyalty and creativity. Union Dhara has been consistently winning awards from Association of Business Communicators of India (ABCI). Last year, Union Dhara also bagged the RBI award for the best in house magazine for the year 2012-13.
- The Bank's Intranet portal hosts all internal policies, guidelines, codes, communications from Chairman and Managing Director, which are accessible to all employees.
- CMD/ED/General Managers from Central Office periodically visit the field/branches.
- The Bank has a dedicated online system for obtaining feedback from staff members across the country under the title innovation@unionbankofindia.com. The suggestions received from employees for development/modification in product, process and services are collected, analyzed and considered.

Investors

- The Bank publishes abridged balance sheet along with highlights of performance every quarter in prominent newspapers.
- The Bank also sends a half-yearly communication to the shareholders about the performance of the Bank.
- The Bank holds analysts and investors meet on a quarterly basis.

Society

- The Bank maintains continuous liaison with the Govt. and other peer banks and proactively participates in various policy formulations and industry level issues to improve the functioning of banking industry in India.
- The Bank has adopted 150 Villages to convert them as Adarsh Villages. The Chairman & Managing Director and Executive Directors visit these villages on a periodic basis to interact with the villagers and enhance the effectiveness of the program.

Union Bank of India's various measures to promote the implementation of the Official Language are recognized by it being awarded the prestigious Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the year 2010-11, 2012-13 and 2013-14. The publication of a Hindi book on retail banking, publication of comics in Hindi, 'Main Hoon Na' on ATM, printing of ATM receipts in Hindi, and

the proposed animation film on Financial Inclusion, are some of the measures taken by the Bank to spread the of benefits of banking to the large community of Hindi-speaking farmers and other stakeholders.

The Bank's website is also another tool for effective communication with all the stakeholders.

Principle 5 – Respect for Human Rights

Union Bank upholds the principles of human rights and fair treatment and hence conducts operations with honesty, integrity and openness and with respect for human rights and interests of employees. As a responsible Corporate entity, the Bank not only follows in letter all the guidelines, instructions, directives issued/ notified by the Central / State / Local Government/s or other Statutory Authorities regarding Human Rights but also follows them in spirit.

The Bank's SD&CSR policy states that the Bank will uphold the principles of human rights and increase general awareness of human rights for stakeholders across the value chain. The Bank expects its business partners including suppliers, business correspondents etc., to respect the human rights of their workforce and avoid any violation regarding the same. The Bank did not receive any complaints regarding violation of human rights in this reporting year.

Principle 6 – Impact on Environment

The Bank, as a responsible corporate entity, is aware of its obligations to society and environment and has undertaken several initiatives to reduce its carbon footprint. Constant steps are evolved in reducing the carbon foot prints by utilizing LED lighting fixtures, eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, utilizing energy efficient air-conditioners and non-conventional sources of power like solar energy wherever new projects are initiated. The ultimate gains at present are not measurable. However, the effects are visible in the energy bills, and the endeavor is to rigorously implement steps in reducing the carbon footprint of the Bank.

The Bank is taking steps towards increasing its use of solar energy primarily for ATMs, heating requirements in the Bank as well as in its Training Centers. Air conditioners and lighting



fixtures at use in the Bank's premises are energy efficient and star rated for energy efficiency. The refrigerant gas in the air conditioners(R-407c) used by the Bank reduces its carbon footprint. Some of the other environment friendly measures introduced by the Bank are:

- Installation of energy efficient systems such as CFL fittings and LED fittings, LED signage.
- Rain water harvesting in Bank's building which helps in the conservation and recharging of ground water level.
- Employing Bus Bar trunking system to ensure safe and cost efficient flow of power in all kinds of applications. Recently, the Bank has carried out re-engineering of External Electrical Distribution system of Central Office Building wherein the power supply distribution of floors was done through state of the art Bus Bar Trunking System. The power consumption of each floor was recorded and compared with the bill received from BEST. The overall savings achieved on electrical consumption was 14.21% whereas the electricity bill reduced by 12.63% as compared to the previous one.
- Expansion of Data Centre at Technology Centre, Powai Building wherein the electrical system along with Air-conditioning system installed is having energy saving capabilities. The precision Air-conditioning system is based on Electronic cooling technology and eco-friendly gas whereas the Variable Refrigerant System was incorporated for cooling of UPS/Battery Room. The overall saving achieved in power consumption was 7% and around 6% saving in energy bill.
- Occupancy sensors installed to regulate the lighting in cabins.
- Maximum usage of day light by improvement through some of the 'green building' concepts.

Principle 7 – Advocacy for Public Good

Union Bank practices proactive advocacy with an aim to bring about a positive impact in the business eco-system and communities. Proactive advocacy for Union Bank is not just about lobbying the Government for securing certain benefits for the industry, but is also about advocating certain best practices for the benefit of society at large.

Senior executives of the bank are nominated to various committees of Reserve Bank of India (RBI), IBA and other bodies on improvement in customer service. The Bank is also a member of the financial and industry related trade chambers and associations and through these platforms, such as trade chambers and industry associations the Bank does its advocacy for public policy. The Bank also has a channel of communication with the concerned officials to help shape public policy on laws



and regulations that affect its business and its employees. The focus areas of the Bank for policy advocacy have primarily been Inclusive growth, Financial Inclusion and Financial Literacy. The Bank is a member of the following financial and industry related trade chambers and associations.

- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
- The Associated Chambers of Commerce and Industry (ASSOCHAM)
- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
- Confederation of Indian Industry (CII)
- Banking Codes and Standards Board of India

Principle 8 – Inclusive Growth

RBI defines Financial Inclusion as the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as the weaker sections and low income groups, at an affordable cost, from mainstream financial institutions. The Bank had drawn a three year Financial Inclusion Plan 2013-16 approved by the Board with a Vision "To reach the unreached by extending financial services at an affordable cost on an "ongoing basis", to improve quality of life of those who have been hitherto deprived of financial services from formal Financial Institutions".



As on 31st March, 2015 the Bank has achieved the following as part of its Financial Inclusion initiatives:

- Bank has extended its reach to 18396 unbanked / marginally banked villages by providing basic banking services through Business Correspondent Model by appointing 6630 BCs in these villages;
- 134 Lac FI customer accounts were acquired over biometric cards under Business Correspondent Model and a sum of INR 282.31 crores was mobilized as deposit through these customers;
- Micro-loans were extended as emergency credit and also to promote economic activity among the rural/urban poor. The Bank also provides micro insurance at nominal premium;

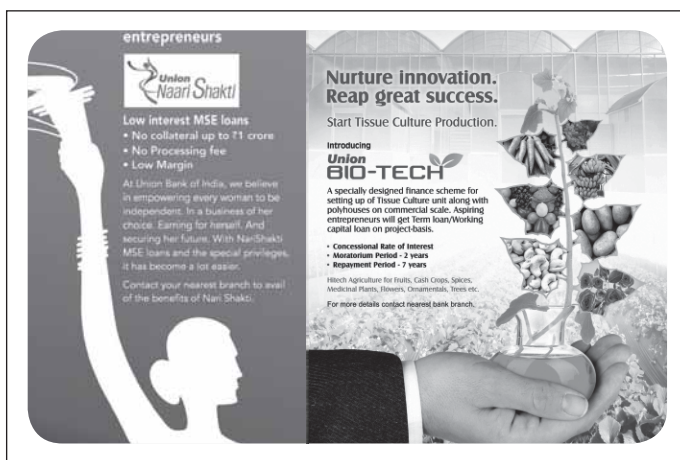
- Bank has launched a specially devised micro-loan product "Pragati" over bio-metric cards, for Joint Liability Groups formed by women. During the year, Bank has disbursed INR 267.08 crores to 37341 women beneficiaries; Present outstanding as on 31.03.2015 under the scheme is INR. 154.95 crores and with an overdue of INR 0.35 crores.
- The Bank has a tie-up with Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP) an NGO for financing of Self Help Group (SHGs). SHGs are primarily engaged in agriculture & various allied activities to generate gainful employment & income for villagers. During the year an amount of INR. 591.24 crores was disbursed to SHGs with present outstanding of INR. 816.82 crores. The project is presently implemented in Belgaum, Bangalore, Mangalore and Kozhikode Regions.
- Union Bank of India launched "Tabulous Banking"** on 31st May 2014: This is a tablet based Savings Bank account opening process under its customer service excellence Project "Navnirman". At present, the Bank is providing this facility at 9 locations - Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Kolkata, Lucknow, Pune, Hyderabad, Mumbai and New Delhi and plans to roll out this facility to other locations in a phased manner. On the occasion of launch Shri Arun Tiwari, Chairman and Managing Director quoted that "Tabulous Banking" is the future of doorstep banking and also a great tool for relationship management with the biggest stake holder, the customer.



Seen in the photograph (L to R) are Shri Jagmohan Sharma, Smt. Anusuiya Sharma, Directors, Shri S K Jain, ED, Shri Arun Tiwari, CMD, Shri K Subrahmanyam and Shri Rakesh Sethi, EDs and Shri Deepak Singhal and Shri G K Lath, Directors at the launch of "Tabulous Banking".

- Union bio-tech** is a new product launched by Union Bank for the benefit of entrepreneurs for setting up of tissue culture unit along with polyhouses on commercial basis.

- Naari Shakti** is a new initiative launched by Union Bank to empower women to become self-sufficient and independent. Women can benefit from the MSE loans and avail the special privileges.



- IRCTC Union Bank Prepaid card:** Union Bank joined hands with IRCTC to launch IRCTC Union Bank RuPay Prepaid Card. The Prepaid card is the first of its kind in the industry where both virtual as well as physical cards are being issued to the customer in two variants:
 - Partial KYC with a loading limit of INR 10,000.
 - Full KYC with a loading limit of INR 50,000.



Launch of IRCTC Union Bank Prepaid Card by Hon'ble Railway Minister Shri Suresh Prabhu in presence of Shri Arun Tiwari, CMD.

Cardholders can book railway tickets at IRCTC website using the card. For every ticketing transaction there is a reward point to the cardholder which can be redeemed. Also the cardholder is eligible for a personal accident insurance cover of INR 1 lac from NPCI.

RuPay Platinum Debit card:

Bank has also launched RuPay Platinum debit card for its High Net Worth customers. This is a personalized photo Debit Card on RuPay platform of National Payment Corporation of India (NPCI). The card will allow the customers for higher cash withdrawal limit

of INR 40, 000 at ATM and higher shopping limits at Merchant locations, including online transactions of INR 60000, with total limit of INR 1 lac per day. The Platinum debit card provides personalized accident insurance cover from NPCI for a sum of INR 2 lacs.



Seen in the picture are Shri K Subrahmanyam, Shri Rakesh Sethi, Shri Kishore Kharat EDs and Shri Debajyoti Gupta GM(ACNID) on the Launch of Union bank Rupay Platinum Debit Card.



President Shri Pranab Mukherjee awarding our FGM Shri SK Sangar on the occasion of dedicating Rupay card to the nation.

Financial Literacy:

To create awareness about the usage/benefits of financial services offered by Bank, 8 Financial Literacy Centers (FLCs) have been opened during the year taking the total FLCs of the Bank to 24. These centers spread awareness among the underprivileged about the financial services that a Bank can provide so as to take an informed decision. From FY 2013-14 the rural branches of the Bank are conducting financial literacy camps in their command area once in a month. The Bank has 202 Village Knowledge Centers (VKC) which disseminate information about banking products as also latest developments in the field of agriculture.

Union Adarsh Gram Yojna (UAGY):

As a part of its commitment to the nation, the Bank launched "Union Adarsh Gram Yojna" under its Corporate Social Responsibility (CSR) project, by adopting 60 villages across the nation this year for their all-round socio-economic development, taking total villages under UAGY to 210.

The CSR activities undertaken by the bank follows 5 major categories:

Health

The various initiatives are

- Provision of healthcare facilities through Bank's mobile vans to flood affected, hilly and inaccessible areas of Uttarakhand thereby providing relief to 23 villages benefitting more than 12000 people. This scheme which was initiated in 2014 is still being continued.



- Cancer screening and awareness programs were undertaken in collaboration with Global Cancer Concern, Gurgaon which benefitted over 2500 patients across 5 cities namely Kottayam, Bhopal, Kolkata, Patna and Bangalore. The project is still underway.



- In partnership with The Haemophilia Society, the Bank is in the process of providing total support in terms of medicines, food and hospitalization of 13 rural patients for 3 years starting from 2014 going on to 2016.



EDUCATION

- Provided support to set up computer labs at Mangan Government High School in Mangan, Sikkim North District through which 600 tribal students in the neighbouring villages benefitted.
- Supporting education at Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, Varanasi by providing solar lanterns to 600 girl students to encourage uninterrupted education for girl child.



- Provided 4 customised food vans through Akshaya Patra Foundation for distribution of mid-day meals to government school children for continuation of education and to reduce drop outs at Bangalore, Mangalore, Hyderabad and Hubli. 20000 children are benefitting through hot & hygienic food substantially reducing the number of school dropouts in these places.

SUPPORT FOR DIFFERENTLY ABLED

- Provided sponsorship through Mitrajyothi, Bangalore for publishing digital audio books in CD form (50000 pages) for the year 2014 catering to visually impaired students throughout the country. Number of beneficiaries: 9000 individuals and 59 institutions in different parts of the country have benefitted from this initiative. This has been carried forward for the second year to achieve a target of publishing 56000 pages in CD form
- Helped install 2 elevators in Adapt Home For Mentally Challenged for spastic and autistic children and also the trainers, to allow easy movement between floors for treatment and training, with the support of the Spastic Society Of India, (now Adapt), Mumbai

- Assisted a school for mentally challenged students at Aurangabad (Maharashtra) in partnership with NGO Swayamsiddh, through which 25 special children were sponsored for one year towards their school fees, food, accommodation, cost of physiotherapy, vocational training, health check-up and recreation.
- Educational sponsorship was provided for 62 special children from low income groups at Vivek Singh Special School, Aurangabad
- Sponsorship towards setting up of Braille book production centres in UP, Bihar and Uttaranchal.
- Conducted free camps for the distribution of artificial limbs, calipers and tricycles to the physically challenged in 10 locations in the states of UP, Chattisgarh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Haryana.

Vocational Guidance

- Sponsored training programs in vocations like tailoring, plumbing & beauty care in Siliguri and Tirupati.
- Provided sponsorship for setting up of a laundry unit for mentally challenged persons in Bhubaneswar.



- Supported repair and renovation of Safai Vidyalaya, Ahmedabad, in collaboration with Gujarat Harijan Sewak Sangh, Ahmedabad, for training of Safai Karmacharis in new methods of scavenging, maintaining cleanliness, health care, sanitation, creating public awareness, upliftment of SC/ST, and backward classes. About 1000 students (70% women) are trained every year.

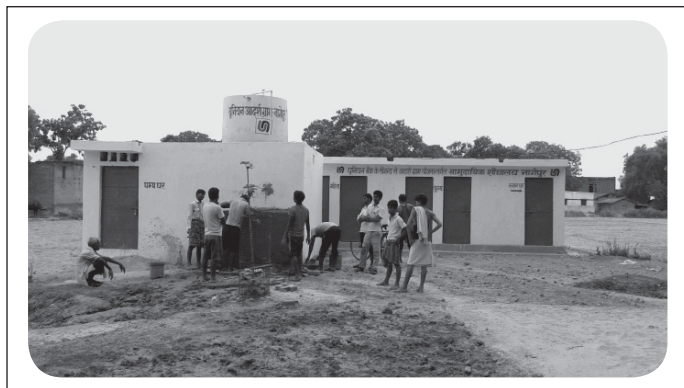
Women Empowerment

- Various measures ranging from educational sponsorship, construction of free hostels in tribal and rural areas to support senior citizens have been undertaken.



ENVIRONMENT/RURAL DEVELOPMENT

- Targeting BPL families and rural areas of UP, Maharashtra, Bangalore for the provision of solar lights, solar stoves, tubewells, community toilets as well as repair of school buildings.



COMMUNITY DEVELOPMENT

- Construction of night shelters to support the destitute in Delhi with the assistance of Ramakrishna Mission which has benefitted hundreds of the destitute.



PROJECTS IN PROGRESS

- Provision of toilets in 273 rural schools in villages adopted by the Bank in 10 Lead districts under the Prime Ministers Swachh Bharat Campaign.

- Support towards education and environment in schools in Varanasi and Jaunpur by providing toilets, solar lamps, hand pumps & school benches.

Lead Bank Scheme:

The Bank is proudly fulfilling the Lead bank responsibility in 14 districts spread over 4 States of the country. In these districts the Bank not only continuously increases its Branches and carries on its normal banking activities, but also works with the local government for the District Credit Plan. It helps monitor its progress of the DCP and other government sponsored schemes. The Bank also has 14 Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) where rural youth are provided with training and skill upgradation for running their micro enterprises. The Bank is also implementing Women's Self Help Group (WSHG) in 4 identified backward districts to empower women.

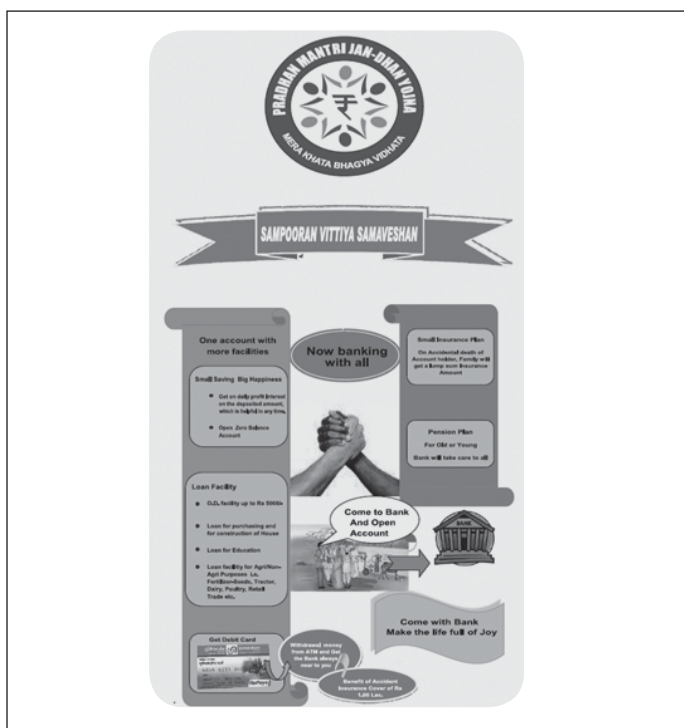


Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Government of India launched 1st Phase of India's largest Financial Inclusion Programme – Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in Aug'14 with the aim of providing access to basic Financial Services to all households in the country. The programme consists of an integrated approach using six pillars: Universal access, Basic Banking Accounts with overdraft facility, Accident Insurance and Rupay Debit Card, Financial Literacy, Credit Guarantee Fund, Micro Finance and lastly unorganized sector pension schemes. These pillars are to be implemented in two phases.

Phase 1 launched on August 28th 2014 aims at providing universal access to Banking Facilities with opening of Basic Banking Account for Saving, remittance and Rupay Debit Card with inbuilt accidental insurance cover of INR1 Lac. It also involves undertaking of Financial Literacy.

On the launch day i.e. August 28th 2014 Bank had set a target to open 5 lac accounts. Against this target, 8.96 Lac Accounts were opened.



- 1) Use and benefits of having Rupay card
- 2) Aadhaar Card linkage and benefits
- 3) Insurance linkage under PMJDY
- 4) Loan and overdraft facility
- 5) Information on Savings, borrowings and high cost debt
- 6) Mobile Banking and usage of technology

Each camp had participation of about 250-300 women and the duration of each camp was about 4 hours. The participatory tools and training aids included videos, films, plays, posters, FAQs etc. and were conducted by trained personal of ISMW. The participants were also provided some handbooks.



The camps also had participation of local public representatives like MLAs/MPs and other respectable citizen besides our own staff. In one of the camps held on 17th January, 2015 at Jayanagar District Varanasi, Ms. Shamala Gopinath former Deputy Governor of Reserve Bank of India participated. On 2nd February, 2015 the camp at Jalalpur district Jaunpur had participation by Shri. Manoj Sinha Honorable Minister of State for Railways, Shri. K P Singh, honorable Member of Parliament and Shri. K Subrahmanyam Executive Director of our Bank.

PHASE II OF PMJDY

The second phase of PMJDY involves the following

- Overdraft facility of up to INR 5,000/- after six months of satisfactory performance of saving / credit history.
- Micro – Insurance.

The Bank has already implemented overdraft scheme.

The Bank will be providing Micro Insurance & Pension to the poor and under privileged through the following three social security schemes as announced by the Hon'ble Finance Minister in the budget for 2015-16.

- **Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana [PMSBY]:** It will cover accidental death risk of INR 2 Lacs for a nominal premium of INR 12 per year for age group 18-70 years.

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

- Life Insurance coverage of Rs 2 lakhs
- Insurance premium Rs. 330/- only
- Age 18-50 years. (Renewable every year upto 55 years)

Insurance Period - 1st June to 31st May.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

- Accidental Insurance coverage of Rs. 2 lakhs
- Insurance premium Rs. 12 only
- Age 18-70 years. (Renew every year upto 70 years)

Insurance is the subject matter of suit

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank of India**

अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

Contact nearest Union Bank Branch, Field Business Correspondent, Insurance Company

Helpline Nos. 1800 22 2244 (Toll free no.) | www.unionbankofindia.co.in

Major highlights of our performance under PMJDY

1	Total Villages covered	18396
2	Sub Service Areas (SSAs)	5407
3	Urban Wards	2581
4	Total Households Surveyed	72.34 Lacs
5	w/w a. Rural Households	45.54 Lacs
6	b. Urban Households	26.80 Lacs

Performance as of 31st March 2015

7	Accounts opened as on 31st March 2015	45.97 Lacs
8	Rupay Cards issued as on 31st March 2015	44.86 Lacs
9	Balance in accounts as on 31st March 2015	352.39 Crores

Financial Literacy:

We have been undertaking various activities for spreading awareness about PMJDY through our 26 FLC Centers and Rural Branches. We have published comic books as well as posters and other reading materials.

Our bank launched a unique initiative in this direction on 1st January 2015 and conducted 60 financial literacy camps in eastern Uttar Pradesh in collaboration with Indian School of Micro Finance for Women (ISMW). In these camps we had set a target of providing financial literacy to around 15000 participants of which 80% were women and to spread the awareness on linkages, benefits and entitlements under PMJDY. In these camps we disseminated following information about PMJDY

- **Pradhan Mantri Jeevanjyoti Bima Yojana [PMJBLY]:** It will cover natural and accidental death risk of INR 2 Lacs. The yearly premium will be INR 330. It is for age group 18-50 years.
- **Atal Pension Yojana [APY]:** The scheme will provide defined pension to individuals depending upon the amount and period of contribution for age group 18-40 years.

These schemes will be implemented during FY 2015-16.

Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL):

Government of India is implementing direct credit of subsidy in the accounts of LPG beneficiaries in 289 districts all over India. The scheme is also being implemented in the Bank's lead districts Ernakulam and Idukki in Kerala w.e.f. 01.09.2013 and Rewa in Madhya Pradesh w.e.f. 01.01.2014 and the progress as on 31.03.2015 is as under:

Period	LPG Subsidy Credited in A/Cs through Aadhaar	
	No. of Transactions	Amt. in lacs(INR)
Jan-15	1,379,933	5,757.33
Feb-15	1,418,691	4,147.47
Mar-15	1,505,971	4,233.40
TOTAL	4,304,595	14,138.20

Direct Benefit Transfer (DBT) Disbursement:

The Government's Direct Benefit Transfer (DBT) was implemented in 43 Districts under Phase I w.e.f. 1st January 2013 and was extended to 78 more Districts bringing the number of total districts covered to 111 w.e.f. 1st July, 2013 (Phase II).

During the year 2013-14, the Bank as Sponsor Bank has remitted INR 272.89 lacs involving 18,185 accounts. The Bank

as destination bank received INR 14275.70 lacs to the credit of 21,74,880 beneficiary accounts maintained at various branches.

During the year 2014-15, the Bank as Sponsor Bank has remitted INR 387.38 lacs involving 18,133 accounts. The Bank as destination bank received INR 16230.15 lacs to the credit of 43,31,948 beneficiary accounts maintained at various branches.

Period	Transaction Initiated at Union Bank branches				Credit received from other Banks	
	Total Records received as Sponsor Bank	Amt in lacs INR.	Success Records	Amt in lacs(INR)	Records received as Destination Bank	Amt in lacs
FY 2012-13	19,523	67.32	18,351	51.26	12,902	176.90
FY 2013-14	18,185	272.89	13,431	173.07	21,74,880	14275.70
FY 2014-15	18,133	387.38	15,106	307.36	4,331,948	16230.15
TOTAL	55,841	727.59	46,888	531.69	4,344,850	30,682.75

New Initiatives during the year: 2014-15

The Bank has launched two new products during the year to extend banking to the under privileged at their doorstep.

1. **Mobile Van Banking:** 20 mobile vans were approved by the Bank in various states so that people at remote villages can be provided Banking services at their doorstep. The bank would launch these mobile vans in the next fiscal year.
2. **Kiosk Banking:** The Bank has entered in to an agreement with CSC e-Governance India Ltd. for launching kiosk banking manned by Business Correspondents (BCs) at various places. Under the scheme these kiosks which are already providing state/central government services such as electricity bill payment, property tax payment, issue of Birth/Death certificates, issue of land/revenue records etc. at village levels will also provide facilities such as opening of accounts, deposit/withdrawal from the accounts and other basic banking services. Currently this project is launched on pilot basis in Andhra Pradesh and Kerala but will be extended to other centers shortly.

Principle 9 – Customer Focus

The Bank strictly adheres to the principles indicated by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and strives to meet customer expectations, maintain transparency in all its proceedings, and an effective customer redressal mechanism. Some of the initiatives of the Bank in this are:



Building a world class Customer Care Unit:

With a view to address customer grievances in an effective and timely manner, as well as creating a nodal agency for ensuring customer service excellence in matters dealing with customer grievances, the Customer Care Unit was set up.

Architecture of the Customer Care Unit:

The Customer Care Unit of the Bank has been designed to meet the following objectives:

1. Respond to requests in a fast, reliable and consistent way
2. Solve root causes of requests and complaints- setting up a continuous improvement process to reduce the volume of requests and complaints received by the Bank
3. Generate information to obtain better insights regarding the customer

Initiatives taken to improve Customer Service:

1. Launch of new branch model focused on customer service under the Brand name **UnionXperience**: The UnionXperience branches are provided with customer friendly ambience and conveniences. There are new roles

designed for the branch staff to deliver superior customer experience which has been achieved through extensive capability building program. Overall the branch aims to provide complete relationship banking.

2. Streamlining of Call Centre, ATM, and other Alternate Channel operations: ATMs of the Bank not only dispense cash but also facilitate remittance through NEFT & IMPS. The Bank also facilitates investment in mutual fund, income tax payment, and mobile top up as other product features through ATM. The Bank has today a network of 7020 ATMs, thus making it one of the most effective medium for providing maximum service facility and hence have been named Sampoorana ATM, out of which there are 1706 Talking ATMs, which cater to the visually challenged.
3. Centralization of non-customer facing liabilities activities to a National Processing Centre (NPC).
4. To make the Grievance Redressal Mechanism more customer centric the bank has appointed an Internal Ombudsman who has the authority to look into cases which remain unresolved even after 30 days or if the customer is not satisfied with the bank's decision on his grievance.

Section F: AWARDS & ACCOLADES

Indira Gandhi Rajbhasha Shield

- **1st prize** for the year 2013-14 in Linguistic Region 'B' for excellent implementation of Official Language and;
- **2nd Prize** for the year 2012-13.



Shri K Subrahmanyam, ED receiving the Indira Gandhi Rajbhasha shield (First Prize) for the year 2013-14 from Hon'ble President Shri Pranab Mukherjee in the presence of Hon'ble Home Minister Shri Rajnath Singh, Minister of State Shri K Rejeeju and Smt. Poonam Juneja, Joint Secretary (OL)

NPCI Award (2014)

- Excellence award for **recording maximum number of transaction on IMPS Platform** enabling customers in ease of fund transfer through Mobile among Public sector Banks
- Excellence award for **"One of the Highest RuPay Cards issuing banks"** among Public Sector Banks.
- **Special Award of Innovation of Value added Services in ATMS. Value Added service in ATMS** include Remittance through ATMs-NEFT/IMPS/eCash, Aadhaar number linking through ATM and Card to Card transfer



Union Bank of India received NPCI Excellence award for "One of the Highest RuPay Cards issuing banks" among Public Sector Banks

"MSME Banking Excellence Awards-2014"

- 'Best MSME Bank Award for Large Banks' - **Winner**; and
- 'Best Bank Award for Tech Savvy' - **Runner Up**.



Shri R K Chaudhary, FGM Delhi receiving the MSME Excellence Award-2014 from Shri Kalraj Mishra, Hon'ble Union Minister

'Ashirvad', (a renowned Literary organisation)

- **1st Prize** for excellent implementation of Official Language among PSBs for 2013-14

ICE Award 2014 by Shailaja Nair Foundation,

- **Special Jury Award** for Bank's in-house magazine Union Dhara

Maharastra SLBC

- **2nd Prize** for outstanding performance in O.L. implementation in the state.

Gujarat SLBC

- **3rd Prize** for outstanding performance in O.L. implementation in the state.

ABCI Awards

- Bank's in-house magazine Union Dhara bagged 7 prizes for being the best Bi-Lingual Magazine, for best Design, Language feature & Special Column from 'ABCI' on 27.02.2015



Shri B P Dimri, GM receiving ABCI award

Financial Inclusion & Payment Systems (FIPS)

Three awards for

- “Financial Inclusion Technology Initiative”,
- “Tabulous Banking- a tablet based Savings Bank Account Opening process” and
- “Kendriya Vidyalaya Fee Payment”

in the Global Conference by Financial Inclusion & Payment Systems held in New Delhi. – 19th September 2014 – New Delhi.



GM Smt. Abha Anand with MP Smt. Meenakshi Lekhi at FIPS award function

Express Technology Senate 2014 award

- “**Express Uptime Champion Award**” in recognition of having the best network uptime for the year. Kuala Lumpur, Malaysia on 13th September 2014.



GM, Shri Ajit Rath receiving the “Express Uptime Champion Award”

SKOCH

- **Platinum award** for Financial Inclusion category conducted by SKOCH Consultancy-
- **Financial Inclusion & Deepening Award 2014**, for Significant contributions to the cause of financial inclusion, financial deepening, customer service or economic value addition and demonstrated business success through strategy, innovation or use of technology

SKOCH RENAISSANCE AWARD, 2014 for being the best among corporates, PSUs, Private Sector Organizations, Banks, Insurance Cos. (both in private & public sector) State and Central Govt. Depts., Undertakings, in carrying out activities in CSR category during the year. It was a recognition for the Bank in extending Bank’s outreach in almost all the major categories of CSR e.g. Health Care, Disability sector, Rural Development, Girl Child & Women Empowerment etc.



Shri K Subrahmanyam, ED, Union Bank of India receiving Skoch Award on behalf of Shri Arun Tiwari, CMD from Smt. Meenakshi Lekhi MP, in presence of Shri Vinod Rai and Shri Sameer Kochhar

E-India

- E-India awards for Technology Initiative for Financial Inclusion Conducted by E-India – 15-Nov-2014.

IDC Insight Awards

- IDC Insights awards for “Tabulous Banking” held on 12th & 13th December at Hyderabad International Convention Centre, Hyderabad.



Shri K Subrahmanyam, ED, Union Bank of India receiving IDC Insight Award

ACI Innovation Award

- Our Bank bagged winner award for innovation category conducted by ACI worldwide

Maharashtra State Rajmata Jijau Swawlamban Puraskar 2015

- Best Performance in Sindhudurg District for SHGs and their credit linkage

Outlook Money 2014

- For being the **Best Education Loan provider**



GM Shri S K Singh receiving the Outlook Money Award for "Best Education Loan Provider" from Ex Finance Minister Shri Yashwant Sinha.

BFSI (BANKING, FINANCE SERVICES & INSURANCE, MUMBAI) AWARD TO UNION BANK:

BFSI, Mumbai conferred Union Bank of India with the Runner Up award in the category "HEALTH CARE & COMBATING DISEASES" under CSR activities. The award was launched by BFSI Vision Magazine, Mumbai with their knowledge partner Ashvin Parekh advisory services and their channel partner Bloomberg TV exclusively for the Banking and Financial sector in August 2014.

Reserve Bank Rajbhasha Shield 2012-13

- **2nd Prize** in Linguistic region 'B',
- **3rd prize** in Linguistic region 'A'
- **Protsahan prize** in linguistic region 'C'
- **First Prize under bi-lingual House Journal Competition** for Bank's House Journal Union Dhara



Shri Arun Tiwari CMD, Mrs. Hemlata Rajan GM(HR), Shri Arun Shrivastava DGM(OL) with RBI Governor Shri Raghuram G Rajan and RBI Dy Governor Shri S S Mundra at the Prize Distribution Function of RBI Rajbhasha shield.

Golden Peacock Awards

- National Training Award – 2014
- HR Excellence
- National Training Award – 2015



Shri Arun Tiwari CMD and Smt. Hemlata Rajan receiving Golden Peacock awards in presence of Hon. Baroness Verma, Minister for Energy & Climate Change, Govt. of UK. Lt. Gen. J. S. Ahluwalia, PVSM (Retd), and Smt. Rajashree Birla and Shri S. Chakraborty. Also seen in the picture Shri H.N. Saxena and Shri R. R. Mohanty, DGMS.

IBA (Indian Bank Association) Technology Awards under following categories: 2014-15

Winner : Best Payment Initiatives:

For comprehensive payment strategy focused on building significant value added features through internet banking mobile banking for small value remittances and strong growth in value of Electronic transfers.

Joint Winner : Best Initiative to Enhance Customer Experience:

For detailed customer segmentation and differentiated service strategy for each customer segment. Integrated complaint management system and centralised customer management system and customer 360 degree view.

1st Runner Up: Technology Bank Of The Year:

IT strategy plan incorporates long term and short term business objectives, expansion plans, factors such as product development, organizational model and changes to it, technological evolution, business process re-engineering, process improvement, staffing, in-sourcing or outsourcing, strong policies and practices, workflow based system to improve performance

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

नामांकन पत्र

(शेयरधारक द्वारा)

(विनियमनों के विनियम 65(डी) का संदर्भ लें)

क्र. सं. _____

प्रति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई -400 021.

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

प्रिय महोदय,

आपकी नोटिस दिनांक _____ / _____ / 2015 के संदर्भ में, मैं _____ यथास्थिति

शुक्रवार 15 मई, 2015 (चुनाव में भाग लेने के लिये निश्चित की गयी विनिर्दिष्ट तिथि), को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ₹ 10/- प्रत्येक के _____

इक्विटी शेयरों का धारक एतद्वारा श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____

निवासी _____

को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार **शुक्रवार 26 जून, 2015** को मुंबई में होने वाली शेयरधारकों की वार्षिक साधारण सभा में निदेशक के रूप में चुनाव के लिये एतद्वारा नामित करता/करती हूँ.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ क्र. (यदि डिमैटीरिलाइज्ड नहीं किया गया है)	डीपी आईडी क्र. (यदि डिमैटीरिलाइज्ड किया गया है)
	क्लाइंट आईडी क्र.
स्थान	
दिनांक	

नोट:

- 1) एक निगमित निकाय द्वारा नामांकन किए जाने की दशा में, निदेशक मण्डल की जिस बैठक में यह संकल्प पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की सत्यापित सत्य प्रतिलिपि सहित संलग्न की जानी चाहिए.
- 2) प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर का बैंक के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मिलान होना चाहिये.
- 3) ऊपर का कोई कालम खाली रहने पर अथवा कोई विवरण गलत पाये जाने पर नामांकन निरस्त किया जा सकता है.



UNION BANK OF INDIA

Head Office : Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400021

NOMINATION FORM

(By the Shareholder)

[Refer Regulation 65(d) of the Regulations]

Serial No. _____

To

The Chairman & Managing Director,
Union Bank of India,
Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai-400 021.

NOMINATION FOR ELECTION OF DIRECTOR

Dear Sir,

With reference to your Notice dated ____/____/ 2015, I _____ a shareholder of Union Bank of India holding _____ equity shares of Rs.10/- each as on **Friday, the 15th May, 2015** (being the Specified Date considered for participating in the election), do hereby nominate Shri./Smt. _____ son / daughter / wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director of Union Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Friday, the 26th June, 2015** at Mumbai.

Name			
Signature			
No. of Shares			
Regd. Folio No (If not dematerialised)		DP ID No. (if dematerialised)	
		Client ID No	
Place			
Date			

Notes:

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Registrar & Transfer Agent of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

घोषणा

(प्रत्याशी द्वारा)

(विनियमनों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं, _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____, निवासी _____ एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि:

ए. मैं दिनांक **शुक्रवार 15 मई, 2015** अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट तिथि को बैंक का शेयरधारक हूँ तथा मेरे पास ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर हैं और यदि चुना गया तो मेरी कार्यवाधि समाप्त होने तक न्यूनतम से कम 100 इक्विटी शेयर रखूंगा/ रखूंगी;

बी. मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग अथवा _____ का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है (जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ/करती हूँ तथा इसके साक्ष्य के तौर पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ; (* जो लागू हो उसे टिक करें)

सी. मैं _____ से _____ तक क्रमांकित नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ;

डी. मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ;

ई. मैं अधिनियम, योजना, विनियमन, भारिबै की अधिसूचना तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया/ठहराया गया हूँ; एफ. मैं न तो किसी लाभ के पद पर हूँ और न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में दी गयी परिभाषा के अनुसार उनका कर्मचारी हूँ; मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करता/करती हूँ कि:

जी. मुझे किसी भी वित्त अधिकारी अथवा न्यायिक मैजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है;

एच. मैं किसी भी किराया क्रय, वित्त, निवेश, लीजिंग और अन्य अर्ध बैंकिंग गतिविधियों से सम्बद्ध नहीं हूँ तथा मैं एमपी/एमएलए/एमएलसी/ स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ;

आई. मैं किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा भारिबै या बीमा कंपनी में निदेशक नहीं हूँ;

जे. मैं पूर्व में किसी भी संवर्ग में दो बार या छः वर्ष, दोनों में से जो अधिक हो चाहे अंतराल पर या लगातार, किसी बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा भारिबै या बीमा कंपनी में निदेशक नहीं रहा/रही हूँ;

के. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/रही हूँ जो मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सभी तरह से पूर्ण है; और

एल. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस घोषणा के बाद होने वाली किसी भी घटना यदि कोई होगी, उसकी जानकारी यथा शीघ्र बैंक को सूचित करूंगा/करूंगी और बैंक का निदेशक चुने जाने पर, मैं बैंक को प्रतिज्ञा विलेख निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ क्र. (यदि डिमैटरिलाइज्ड नहीं किया गया है)	डीपीआईडी क्र. (यदि डिमैटरिलाइज्ड किया गया है)
	क्लाइंट आईडी क्र.
स्थान	
दिनांक	

उपरोक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गए थे.

नाम : _____

सील सहित हस्ताक्षर

दिनांक : _____

जज, मैजिस्ट्रेट, पंजीयक या एश्वोरेंस के उप निबंधक या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर.

UNION BANK OF INDIA

Head Office : Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400021

DECLARATION

(By the Candidate)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____ son / daughter / wife of Shri. /Smt. _____, a resident of _____ hereby confirm that:

- I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on Friday, 15th May, 2015, i.e., the Specified Date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected;
- I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials; (* Tick whichever is applicable)
- I accept the nominations numbered from _____ to _____;
- I am willing to contest for the election of Directors of Union Bank of India;
- I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations, RBI Notification and GOI Guidelines;
- I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under subsection(1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

I specifically declare that:

- I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court;
- I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock broker;
- I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company;
- I have not been a Director on the Board of any Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer whether intermittently or continuously;
- I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects; and
- I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name			
Signature			
No. of Shares			
Regd. Folio No		DP ID No.	
(If not dematerialised)		(if dematerialised)	
		Client ID No	
Place			
Date			

The above declaration was signed before me.

Name : _____

#Signature with Seal

Date : _____

#Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Union Bank of India or any nationalised bank.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन पत्र (प्रत्याशी द्वारा)

पासपोर्ट आकार का
फोटो चिपकाएं

प्रत्याशी द्वारा समुचित अनुलग्नकोंकेसाथ घोषणा एवं वचन पत्र यथास्थिति _____ 2015 को

I. प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण		
ए.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) पिता का नाम(पूरा)	
बी.	जन्म तिथि	
सी.	शैक्षिक योग्यता (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्वतः सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें)	
डी.	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव	
ई.	स्थायी पता	
एफ.	वर्तमान पता	
जी.	ई-मेल पता टेलीफोन क्रमांक(लैंडलाइन) टेलीफोन क्रमांक(मोबाइल)	
एच.	(1) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (कृपया एक प्रति संलग्न करें) (2) आयकर सर्किल/प्रभाग का नाम एवं पता दें जहां व्यक्तिगत आय कर विवरणी फाइल की जा रहे हैं.	
आई.	संबंधित जानकारी एवं अनुभव(बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम1970/80 की धारा 9 (3-ए) का संदर्भ लें).	
जे.	बैंक के निदेशक पद के लिए कोई अन्य संबंधित सूचना	
II. प्रत्याशी का संबंध		
ए.	बैंक से संबद्ध रिश्तेदार, यदि कोई हो, की सूची (परिभाषा विवरण के विनिर्दिष्टीकरण) कंपनीके नियम, 2014 [कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 एवं अनुसूची 1ए] के नियम 4 के साथ पढ़ी गयी बैंकिंग कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें.	
बी.	ऐसी संस्थाओं, यदि कोई हो, की सूची जिसमें उसकी रुचि होना माना जाता है (कंपनीज अधिनियम,2013 की धारा 2 (49) तथा 184 का संदर्भ लें) [कंपनीज अधिनियम,1956 की धारा 299(3)(ए) तथा धारा 300]	
सी.	ऐसी संस्थाओं, प्रस्तावित एवं मौजूदा यदि कोई हो, की सूची, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अनुसार उसकी पर्याप्त रचि होना माना जाता है.	
डी.	जिस बैंक के बोर्ड में वह सदस्य हैं अथवा रहे/रही हैं उसका नाम (जिस अवधि में पद पर रहे/रही हों उसका विवरण)	
ई.	वर्तमान में उसके द्वारा और/या उपरोक्त II (बी) एवं (सी) में सूचीबद्ध संस्था द्वारा बैंक से ली गयी, निधि और गैर-निधि सुविधा, यदि कोई हो.	

	एफ.	मामले,यदि कोई, जहां प्रत्याशी या सूचीबद्ध उपर (2बी) एवं (सी) में सूचीबद्ध संस्था, बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से ली गयी साख सुविधा के संबंध में चूक कर्ता है या विगत में चूककर्ता रहा है.	
III.	व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड		
	ए	युक्तिसंगत व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV.	प्रत्याशी के विरुद्ध कार्रवाई,यदि कोई हो,		
	ए.	यदि प्रत्याशी किसी व्यावसायिक एसोसिएशन/संस्था का सदस्य है तो उसके विरुद्ध लंबित,या शुरू की गयी या विगत में दोषी पाये गए अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण कि क्या उसे किसी समय किसी व्यवसाय/पेशे में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है.	
	बी.	प्रत्याशी या उपरोक्त II (बी) एवं (सी) में सूची बद्ध व्यावसायिक एसोसिएशन/संस्था के विरुद्ध आर्थिक कानूनों एवं विनियमों के उल्लंघन के लिए लंबित या शुरू की गयी या विगत में दोषी पाये जाने पर की गई अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण.	
	सी.	प्रत्याशी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें में लंबित,या शुरू की गयी या विगत में दोषी पाये जाने पर की गई अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण.	
	डी.	क्या प्रत्याशी कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 274) की धारा 164 में दिये गए अनुसार किसी भी प्रकार अयोग्य करार दिये जाने के लिए पात्र है ?	
	ई.	क्या प्रत्याशी या उपरोक्त II (बी) एवं (सी) में दिये अनुसार कोई संस्था की सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा जांच की गयी है ?	
	एफ.	क्या प्रत्याशी को सीमा शुल्क/उत्पाद कर/आय कर/विदेशी विनियम/ अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है	
	जी.	क्या प्रत्याशी को कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, आरबीआई, फेमा, एमसीए, सिबिल आदि से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है. (यद्यपि एक प्रत्याशी के लिए विनियामक द्वारा पाये गए निष्कर्षों एवं उसके आदेशों, जिसे बाद में पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, का कालम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा,तथापि यदि इसे गुण दोष के आधार पर नहीं बल्कि तकनीकी कारणों यथा,परिसीमन,न्याय निर्णयन की कमी आदि से निरस्त किया गया है तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा.यदि नियामक के आदेश को अस्थायी स्तर से स्थगित किया गया है और अपीलेट/न्यायालय की कार्रवाई लंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिये).	
V.	मद। से III तक के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा उचित एवं उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी.		

वचन पत्र

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है. मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं अपनी नियुक्ति के पश्चात उपर्युक्त किसी भी युक्तिसंगत सूचना के संबंध में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी यथासंभव शीघ्र बैंक को प्रदान करूंगा/करूंगी.

मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रतिज्ञा विलेख निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ.

स्थान :

दिनांक :

नोट:

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

1. जहां कहीं भी पर्याप्त स्थान नहीं है,कृपया सूचना को कालानुक्रमिक क्रम में तथा उचित संदर्भ देते हुए परिशिष्ट के स्तर में संलग्न करें.
2. प्रत्येक पृष्ठ (परिशिष्ट सहित)पर प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है.

बैंक की नामांकन समिति का अभिमत/टिप्पणी:		
समिति के सदस्य	समिति के सदस्य	समिति के सदस्य

स्थान:

दिनांक:



UNION BANK OF INDIA

Head Office : Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400021

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING (By Candidate)

Affix
Passport Size
Photo Here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ____/____/2015

I.	Personal details of Candidate	
a.	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualifications (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
d.	Relevant Background and Experience	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
h.	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9 (3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II.	Relevant Relationships of Candidate	
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Schedule 1A of Companies Act 1956]	
b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]	
c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949, proposed and existing.	
d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
f.	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	

III.	Records of professional achievements	
a.	Professional achievements relevant	
IV.	Proceedings, if any, against the Candidate	
a.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/ occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/ or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
d.	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act 2013 (Section 274 of the Companies Act, 1956)?	
e.	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange /other revenue authorities, if so give particulars	
g.	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

UNDERTAKING

I _____ Son/ Daughter / Wife of Shri _____ confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief is true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate

Notes:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee of the Bank:

Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place:

Date:



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

प्रत्यक्ष जमा/एनएसीएच जमा अधिदेश फॉर्म

भावी लाभांश के त्वरित, सुरक्षित एवं सही भुगतान हेतु यदि अधिदेश फॉर्म पहले प्रस्तुत नहीं किया है तो कृपया प्रस्तुत करें. (यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो पंजीयक को प्रस्तुत करें और यदि शेयर डिमैट/इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं तो डिपाजीटरी पार्टीसीपेंट (डीपी) को प्रस्तुत करें.)

प्रिय महोदय,

विषय: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर- प्रत्यक्ष जमा/एनएसीएच जमा के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मैं/हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयरों का/के धारक हूँ/हैं

मैं/हम अनुरोध करता/करती हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे लाभांश का भुगतान प्रत्यक्ष जमा/एनएसीएच जमा** के माध्यम से, नीचे दिये गए विवरण के अनुसार मेरे/हमारे खाते में जमा करें: -

प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम	
फोलिओ क्र. (यदि शेयर्स डिमैट/रिलाइज्ड नहीं किए गए हैं)	
डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी (यदि शेयर्स डिमैट/रिलाइज्ड किए गए हैं)	
ई-मेल आईडी	

ए . प्रत्यक्ष जमा (केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों के लिए)	
1. पूर्ण खाता क्र. (15 अंक)	
2. खाते का नाम (जैसा पास बुक पर दर्ज है)	
3. शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता	

अथवा

बी. एनएसीएच जमा	
1. बैंक का नाम	
2. शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता	
3. बैंक शाखा का दूरभाष क्रमांक	
4. बैंक/शाखा का 9 अंकों का कूट क्र. जैसा कि बैंक द्वारा जारी किए गए एमआईसीआर चेक बुक पर प्रदर्शित है तथा आईएफएस कूट	
5. खाते का प्रकार (कूट 10/11/13 सहित एसबी/सीडी/सीसी)	
6. पूर्ण अंकों सहित खाता क्र. (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण सही एवं पूर्ण है. यदि अपूर्ण अथवा गलत जानकारी के कारण संव्यवहार में विलंब होता है अथवा संव्यवहार नहीं होता है तो मैं/हम उपयोगकर्ता संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी/ठहराएंगे. मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि बैंक के नियंत्रण के बाहर किसी अप्रत्याशित स्थिति में मुझे देय लाभांश भौतिक वारंट रूप में भेजने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है जिससे लाभांश का प्रत्यक्ष जमा/एनएसीएच जमा प्रभावित हो सकता है.

भवदीय,

()

दिनांक:

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

**** (कृपया केवल एक विकल्प चुने. कृपया एक निरस्त किया गया कोरा चेक अथवा अपने बैंक द्वारा जारी किए गए एक चेक की फोटोकॉपी संलग्न करें ताकि बैंक खाता विवरण का सत्यापन किया जा सके.)**

पंजीयक का पता : डाटामैटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लि.

प्लॉट न. बी -5, पार्ट बी, एमआईडीसी, क्रास लेन, मरोल,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई -400 093.

दूरभाष क्र. :022-66712151-60

फैक्स क्र. :022-28213404

ई-मेल आईडी :ubiinvestors@dfssl.com

UNION BANK OF INDIA

Head Office : Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400021

Direct Credit/NACH Credit Mandate Form

To facilitate prompt, safe and correct payment of the future dividend please submit the mandate form, if not submitted earlier. **{To be submitted to Registrar if shares are in physical form and to the Depository Participant (DP) if shares are in demat/ electronic form}.**

Dear Sirs,

Sub: Equity Shares of Union Bank of India – Option to receive dividend through Direct Credit/NACH Credit

I/We hold equity shares of Union Bank of India.

I/We request you to arrange for payment of my/our dividend through Direct Credit/NACH Credit** and credit the same to my/our account as per particulars given below: -

First/Sole Shareholder's Name	
Folio No.(If shares are not dematerialized)	
DPID / Client ID (If shares are dematerialized)	
E-mail Id	

A. DIRECT CREDIT (ONLY FOR UNION BANK ACCOUNT HOLDERS)

1. Full Account No. (15 Digits)	
2. Account Name (as appearing on Pass Book)	
3. Branch Name and Address with city PIN Code	

OR

B. NACH Credit

1. Bank Name	
2. Branch Name and Address with City PIN code	
3. Telephone No. of the Bank Branch	
4. 9 Digit Code No. of Bank/Branch as appearing on MICR cheque issued by the Bank & IFS Code	
5. Account Type (SB/CD/CC with code 10/11/13)	
6. Account No. with full digits (as appearing on Cheque book)	

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through Direct Credit/NACH Credit.

Your Faithfully,

()

Date:

Signature of the First/Sole Shareholder

**** (Please select one option only. Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque issued by your bank for verification of the bank account details.)**

Address of the Registrar : Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East), Mumbai-400 093,
Tel. No. : 022-66712151-60
Fax No. : 022-28213404
E-mail Id : ubiinvestors@dfssl.com



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

प्रोक्सी फॉर्म (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाए)

रजि. फोलिओ क्र.

(यदि डिमैटिरियलाइज्ड न हो)

डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी

(यदि डिमैटिरियलाइज्ड हो)

मैं/हम _____ राज्य _____ के _____ जिले के निवासी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का एक शेयरधारक होने के नाते _____ राज्य के _____ जिले के निवासी
श्री/श्रीमती _____ अथवा उनके असफल रहने पर _____ राज्य के _____
जिले _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को **शुक्रवार, 26 जून, 2015** को प्रातः 11.00 बजे रामा एंड
सुंदरी वाटूमल सभागार, के. सी. कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020 में होने वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 13वीं वार्षिक साधारण
बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से वोट डालने के लिए तथा उसके किसी भी स्थगन के लिए अपना प्रोक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.
_____ 2015 के _____ दिन हस्ताक्षरित.

कृपया
रसीदी
टिकट
लगाए

प्रोक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्रोक्सी फॉर्म हस्ताक्षर करने तथा जमा करने के लिए निर्देश

- कोई भी प्रोक्सी लिखत वैध नहीं होगा जब तक
ए) एकल शेयरधारक के मामले में, इस पर उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित स्म से प्राधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
बी) संयुक्त धारकों के मामले में, इस पर रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से प्राधिकृत करते हुए
हस्ताक्षर न किया गया हो,
सी) एक निगमित निकाय के मामले में इस पर इसके अधिकारी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित स्म से प्राधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो.
- प्रोक्सी लिखत पर किसी भी शेयरधारक द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षर किया जाए किंतु जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाता है तो उसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एश्वोरेंस के पंजीयक या उप पंजीयक अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
- निम्न के साथ प्रोक्सी
ए) मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार (यदि कोई) जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
बी) नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति निवेशक सेवाएँ प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 के पास वार्षिक साधारण सभा की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक कार्यकाल समाप्ति तक या उससे पहले अर्थात् **शनिवार 20 जून, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे** जमा कर दिया जाना चाहिए.
- जबतक विधिवत रूप से स्टैम्प न लगाया गया हो कोई भी प्रोक्सी लिखत वैध नहीं होगा.
- बैंक के पास जमा किया गया प्रोक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
- वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में अनुमत किए गए प्रोक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
- शेयरधारक, जिसने वार्षिक साधारण बैठक से संबन्धित प्रोक्सी लिखत निष्पादित किया है उसमें वह व्यक्तिगत स्म से वोट देने के लिए पात्र नहीं है.
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रोक्सी नहीं नियुक्त किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

UNION BANK OF INDIA

Head Office : Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400021

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio

(If not dematerialised)

DP ID & Client ID

(If dematerialised)

I/We _____ resident(s)
of _____ in the district of _____
in the state of _____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint
Shri/Smt. _____ resident of _____
in the district of _____ in the state of _____ or failing him / her,
Shri/ Smt. _____ resident of _____ in
the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to
vote for me / us and on my / our behalf at the 13th Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held
on Friday, 26th June, 2015 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate,
Mumbai – 400 020 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015.

Please
Affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **2.00 p.m. on Saturday, 20th June, 2015.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.



हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट तथा
अन्य पत्राचार करना.

डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -

मैसर्स डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
फैक्स : 022-28213404
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER
COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to:
register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrars at their address given hereunder:

M/s Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, Cross lane, MIDC, Marol
Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel No: 022-66712151-60
Fax No.: 022-28213404
E-mail ID: ubiinvestors@dfssl.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

Date:

मैसर्स डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
फैक्स : 022-28213404
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

प्रिय महोदय,
मैं/हम _____ यूनिन बैंक ऑफ इंडिया
कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपायों के एक प्रयास के
रूप में यूनिन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने नीचे दिये गये ई मेल
आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के
_____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर: _____ ईमेल आईडी _____
मैं/हम इस आशय का वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरे/हमारे ई मेल के माध्यम से
प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनिन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गये
दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं/हम यह भी वचन
देता हूँ/देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई मेल हमें
सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनिन
बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को
उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

M/s Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, Cross lane, MIDC, Marol
Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel No: 022-66712151-60
Fax No.:022-28213404
E-mail ID : ubiinvestors@dfssl.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Union Bank
of India in physical form, intend to receive all communication from Union
Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green
Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number: _____ Email ID: _____. I/We also
undertake that the communication received through my / our email ID will
be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us
by Union Bank of India. I/We further undertake that we would not hold
Union Bank of India, any of its employees, Registrars or its employees,
responsible in case the communication is not properly received at my / our
email ID due to any technical/other failures.

signature of First Holder

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Adding wings to the dream of women entrepreneurs



Low interest MSE loans

- No collateral up to ₹1 crore
- No Processing fee
- Low Margin

At Union Bank of India, we believe in empowering every woman to be independent. In a business of her choice. Earning for herself. And securing her future. With Nari Shakti MSE loans and the special privileges, it has become a lot easier.

Contact your nearest branch to avail of the benefits of Nari Shakti.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India

Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

Helpline Nos.: **1800 22 2244** (Toll free no.) | **080 2530 0175** (Chargeable)
080 2530 2510 (For NRI's) | www.unionbankofindia.co.in

Proud to be associated with



Download "PointART"
mobile app
Visit: pointart.mobi



Open App & Capture
this Image



Know More
Information

Available on all apps store & on all leading Mobile platforms

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India
Good people to bank with

Helpline Nos.: **1800 22 2244** (Toll free no.) | **080 2530 0175** (Chargeable)
080 2530 2510 (For NRIs) | **www.unionbankofindia.co.in**